(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7 ] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का इक्कीसवां दिवस [ संख्या : 14

बुधवार,

17 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष :** श्री रामेश्वर लालजी भाटी।

### राजकीय बगड़िया चिकित्सालय, सुजानगढ़ (चूरू) में रिक्त पद

590. **श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ (चूरू) के राजकीय बगड़िया चिकित्सालय, सुजानगढ़ को 100 शैय्याओं का कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) 100 शैय्याओं के चिकित्सालयों के स्टाफ एवं अन्य उपकरणों के मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में स्टाफ निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पद स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कौन-कौन सा पद कब-कब से रिक्त है ? रिक्त पदों की अब कब तक पूर्ति कर दी जाएगी ?

**राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) :** (1) जी, हां। दिनांक 20-4-92 से 100 शैय्याओं का चिकित्सालय कर दिया गया।

(2) 100 रोगी शैय्याओं के स्टाफ एवं उपकरणों के मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी, नहीं। समुचित वित्तीय प्रावधान के अभाव में मानदण्ड के अनुसार कुछ पदों का सृजन नहीं हो पाया है।

राजकीय बगड़िया चिकित्सालय, सुजानगढ़ में निम्न पद उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से रिक्त हैं :—

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी- एक पद 11/95 से —

2. दन्त चिकित्सक-एक पद 6/96 से

3. नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय-एक पद 20-4-92 से —

4. मेल नर्स श्रेणी–I— तीन पद 3-9-94 से, 15-6-94 से, 20-4-92 से—

5. स्टाफ नर्स-तीन पद 20-4-92 से—

वरिष्ठि चिकित्सा अधिकारी का पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने तथा इसी प्रकार नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी-II एवं मेल नर्स श्रेणी-I के पदों को भरा जाना सम्भव होगा तथा दन्त चिकित्सक एवं स्टाफ नर्स के पद शीघ्र ही भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

**श्री रामेश्वर लाल भाटी** : माननीय अध्यक्षजी, सुजानगढ़ नगर जयपुर, अजमेर और बीकानेर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। करीब एक लाख की आबादी के इस नगर को चिकित्सा की दृष्टि से विभाग ने आवश्यक समझकर 100 शैय्याओं का किया था, परन्तु खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि करीब चार वर्ष के बाद भी 100 शैय्यायों के अन्तर्गत आने वाला स्टाफ और उपकरण उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 100 शैय्याओं के लिये मानदण्ड के अनुसार उपकरण और चिकित्सा स्टाफ कब तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, यह चिकित्सालय 20-4-1992 को क्रमोन्नत हुआ था और क्रमोन्नत होते ही हमने दो पद सीनियर स्पेशलिस्ट के, एक पद डेंटिस्ट का, एक पद नर्स ग्रेड-I का, चार पद नर्स ग्रेड—II के, तीन पद स्टाफ नर्स के, पांच पद वार्ड ब्वाय के और स्वीपर के दो पदों का सृजन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जितने पदों का सृजन होना चाहिए वह हम नहीं कर पाये। अध्यक्ष महोदय, किस चिकित्सालय में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी लगे; इसके लिए एक स्टाफ पैटर्न बना था। 1961 में एक मोहन मुखर्जी कमेटी बनी थी उसमें यह तय हुआ था कि कितनी शैय्याओं के चिकित्सालयों के लिऐ कौन कौन से पदों का सृजन होगा। अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि बहुत लम्बे समय पूर्व कमेटी बनी थी। कमेटी की अभिशंषा के अनुसार पदों का सृजन हुआ था और हमने स्पेशल सक्रेटरी, डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ और डायरेक्टर, मेडिकल एण्ड हैल्थ (प्लान) इन तीनों की एक समिति बनायी थी, एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अन्दर स्टाफ पैटर्न का पुनर्निधारण आगामी 15 दिन के अन्दर कर देंगे और जितने भी पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों में कुछ तो ऐसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पद हैं जिनकी पदोन्नतियों की बैठक अभी होनी बाकी है। बहुत लम्बे समय से, कई संवर्गों में 15-15, 16-16 साल से तथा कई संवर्गों में 6-6, 7-7 साल से पदोन्नति समितियों की बैठकें नहीं हुई थीं इसलिये कुछ पद भरे नहीं जा सके हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि मानदण्ड के अनुसार जितने पदों का सृजन होना आवश्यक है, वित्तीय प्रावधान हैं, सरकार के समिति संसाधन हैं, मैं प्रयास करूंगा और मैं आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ और सुजानगढ़ की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को समझता हूं, निश्चित तौर इसमें जो बन पड़ेगा, किया जाएगा।

**श्री रामेश्वर लाल भाटी** : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि साधनों की दृष्टि से अंकन करने और व्यवस्था में लगे हुए आपको चार वर्ष हो गए हैं। मेरे ध्यान में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो इस चिकित्सालय के बाद क्रमोन्नत किये गये थे और उसमें यह सुविधाएं उपलब्ध करवायी गयी हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौनसे कारण रहे जिनके अन्दर सुजानगढ़ का ध्यान आप नहीं दे पाये ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जिले की बात हो रही है।

**श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 1992 के बाद जितने 100 बैडेड हास्पिटल राजस्थान में अपग्रेड हुए क्या उनमें भी इसी प्रकार का स्टाफ है ? या मानदण्ड के अनुसार जो रिक्त पद हैं वह पद सृजित कर दिये गये हैं ? या वैसी की वैसी स्थिति है ? बाकी के चिकित्सालयों में तो पूर्ति हो गयी है केवल सुजानगढ़ में ही नहीं हुई है ? यह बताने की कृपा करें। (व्यवधान)

**श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि यह अस्पताल बिना क्राइटेरिया के पूर्व मंत्री श्री भंवर लालजी शर्मा ने जबरदस्ती अपग्रेड करवा दिया। क्योंकि वहां औसतन 50-60 बेड ही भरे रहते हैं और बैड्स वहां खाली रहते हैं...(व्यवधान)

**श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री)** : मैंने नहीं करवाया।

**श्री माधवसिंह दीवान** : आपने नहीं, वह सरदारशहर वाले।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, किसी भी चिकित्सालय को क्रमोन्नत करना, नया चिकित्सा संस्थान खोलना यह जनसंख्या और वहां के लोगों की मांग के अनुरूप खोले जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री माधवसिंह दीवान** : मैंने कहा कि वहां औसतन 50 और 60 बैड्स ही भरे रहते हैं। हालांकि आपने 100 बैड्स कर दिये लेकिन वहां डाक्टर्स पोस्टिंग के बाद भी जाते नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब इसमें क्या पूछना है ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, इन चिकित्सालयों के अंदर किस-किस संवर्ग के अन्दर कौन-कौनसे पद हों, इन पदों का सृजन करने की अभिशंषा हम जरूर करते हैं, परन्तु पदों का सृजन वित्त विभाग की सहमति निकलने के पश्चात् होता है। प्रशासनिक तौर पर हम लोग यह प्रयास करते हैं कि निश्चित मानदण्ड के अनुसार इन पदों का सृजन हो जाए। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है। अभी सोजत से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया कि कई चिकित्सालय ऐसे भी हैं, जहां चिकित्सालय क्रमोन्नत हो गये या जहां हमने सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र खोल दिया, परन्तु वस्तुस्थिति में वहां स्टाफ जितना है, उतने वहां मरीज नहीं हैं जन-संख्या की दृष्टि से और दूसरे कई कारणों से। इन सब पर पुनर्विचार कर हम प्रयास करेंगे कि चिकित्सा विभाग में जितने भी चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ के लोग हैं इनको किस तरह हम बांटें ताकि इन लोगों के द्वारा जनता की सेवा की जा सके।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहनजी मेघवाल।

**श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)** : आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जोधपुर जिले के अन्दर आपके जो 100 शैय्याओं के मानदण्ड के अनुसार....

**श्री अध्यक्ष** : अभी तो खाली सुजान-गढ़ की बात हो रही है।

**श्री मोहन मेघवाल** : मेरी बात तो सुन लीजिये। 100 शैय्याओं के कितने अस्पताल हैं। साथ ही मेरा एक निवेदन और है, हमने सुना था, कहते हैं कि हाकिम बदल जाता है, हुकुम नहीं बदलता है। 1992 के अन्दर तत्कालीन मंत्री महोदय जोधपुर में घोषणा करके आये थे, उसकी पूर्ति आज तक नहीं हो पायी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वह हमारा हास्पिटल खोल देंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें।

**श्री रामेश्वरलाल भाटी** : माननीय अध्यक्षजी, मेरे तो यह समस्या पिछले चार वर्षों से आ रही है। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का उत्तर पूरा दें।

**श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)** : माननीय मंत्री महोदय, उपखण्ड स्तर पर कितनी शैय्याओं की व्यवस्था है और कितना स्टाफ है ? उपखण्ड का, एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर के लिये मानदण्ड क्या हैं ? वह बतायें क्योंकि बांदीकुई नया सृजित एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री राजेन्द्र पारीक साहब। अब इसमें कोई विशेष बात नहीं रह गयी है, मात्र सुजानगढ़ तक सीमित है।

**श्री रामेश्वरलाल भाटी** : माननीय अध्यक्षजी, मेरे प्रश्न का उत्तर आने दें।

**श्री अध्यक्ष** : आप बोलिये न। (व्यवधान)

**श्री किशन गोपाल कोगटा** : मेरा एक जनरल प्रश्न था उसका क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : हो गया, बिराजें, आप दे देंगे ।

**श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अवगत कराया है कि अभी स्टाफिंग पैटर्न का पुनःनिर्धारण करने जा रहे हैं और आर्थिक कमियों की वजह से कई जगह यह लगा भी नहीं पा रहे हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कौनसे कारण बने जिनसे सीकर के एक सौ बैड के सरकारी चिकित्सालय को आपने, कल इतनी आलोचनाएं होने के बाद भी, आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि प्राइवेट हास्पिटल्स में इस तरह से अराजकता फैली हुई है और प्राइवेट हास्पिटल्स ने एक तरह से इसको व्यापार बना लिया है । वहीं सरकार ने सीकर के राजकीय जनाना अस्पताल को प्राइवेटाइज करने के लिये प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, अभी सूरसागर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पूर्व मंत्री महोदय द्वारा कोई घोषणा की गयी थी । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे से पहले श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी इस विभाग को देखते थे । कोई एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जो आपके श्रीमुख से हुई हो और वह घोषणा पूरी नहीं हुई हो । उसके पश्चात भी कोई घोषणा की होगी तो मैं श्री चतुर्वेदी साहब से चर्चा कर लूंगा और उन्होंने घोषणा की होगी तो निश्चित तौर पर घोषणा का काम हम लोगों को करना है ।

**श्री मोहन मेघवाल** : जोधपुर मेडिकल हास्पिटल के अन्दर ।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि आपने जोधपुर प्रवास के दौरान जोधपुर के अन्दर कोई सौ शैय्याओं के हास्पिटल की घोषणा की थी । अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया कि सरकारी जनाना चिकित्सालय, सीकर को, जो राजकीय चिकित्सालय था, उसको प्राइवेट हैण्ड्स में दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, चिकित्सालय के भवन का निर्माण भी प्राइवेट एक ट्रस्ट ने किया है । पहले ट्रस्ट ने सरकार के साथ यह अनुबन्ध किया था कि ट्रस्ट भवन बनाकर देगा, सरकार उसको संचालित करेगी । उसके बाद ट्रस्ट का यह आवेदन आया है कि वह भवन भी बनाकर देगा, उसके लिये आवश्यक उपकरण भी देगा और वह अपने चिकित्सकों द्वारा लोगों की सेवा भी करना चाहता है । सरकार और उस ट्रस्ट के बीच में अनुबन्ध हुआ है । बिलकुल उसके पीछे मंशा यह नहीं है कि उस सरकारी चिकित्सालय के अन्दर किसी तरह गरीब लोगों से फीस वसूल की जाए । हमारी मंशा यह है कि किसी भी तरह, क्योंकि सरकार के संसाधन सीमित हैं, और सीमित संसाधनों से सरकार सारे चिकित्सालयों का काम अच्छी तरह संचालित कर सके, यह सम्भव नहीं है । इस तरह के कुछ चेरिटेबल इंस्टीट्यूट आगे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आ रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करने की मंशा जरूर है, परन्तु उसके पश्चात अगर कोई व्यवहारिक कठिनाई आ रही हो, तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे साथ बैठ जाएं हम चर्चा कर लेंगे और अगर वास्तविक रूप से इस तरह की कठिनाई है तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रिछपाल सिंहजी। ....(व्यवधान)....बिराजें, बिराजें। आप बाद में बात कर लेना।

**श्री राजेन्द्र पारीक :** माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चेरिटेबल ट्रस्ट को यह जो भूमि अलाट की है वह इसी कंडीशन पर अलाट की गयी थी कि यह चिकित्सालय राजकीय रहेगा। ऐसी हालत में राजकीय चिकित्सालय को प्राइवेट करने से वहां.... (व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें, बिराजें। उन्होंने कहा है बात कर लेना। समय जाया नहीं करें।....(व्यवधान)....

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** मंत्री महोदय, जवाब दे रहे हैं। मंत्री महोदय जवाब तो दो।

**श्री अध्यक्ष :** सुजानगढ़ के बारे में है बात। सारे राजस्थान के बारे में थोड़ी है। श्री रिछपाल सिंह जी।

## निर्वाचन क्षेत्र डेगाना (नागौर) के बांधों का निर्माण

591. **श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला नागौर में कुल कितने सिचाई के बांध हैं? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील डेगाना (नागौर) में ऐसे कितने बांध हैं तथा इनकी अलग-अलग भराव क्षमता कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निर्वाचन क्षेत्र डेगाना के उक्त बांधों के रख रखाव एवं मरम्मत हेतु वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान विभिन्न मदों पर कुल कितनी राशि व्यय की गयी एवं कितने मजदूरों को कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सिचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) :** (1) नागौर जिले में विभाग के कुल 93 बांध हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) तहसील डेगाना में 18 बांध हैं, उनकी भराव क्षमता 343.89 मिलियन घन फुट है। बांधों की सूची परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) डेगाना क्षेत्र के सिचाई के तालाबों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभिन्न

(7)

(श्री देवीसिंह भाटी)

मदों में वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है। रख-रखाव व मरम्मत तथा बाढ़ क्षतिग्रस्त, कार्य ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किये गये। अतः विभागीय श्रमिकों का नियोजन इन कार्यों पर नहीं किया गया। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य विभाग द्वारा श्रमिक लगाकर कराये गये। जिन पर लगे श्रमिकों की संख्या मानव दिवस में एवं उन पर भुगतान की राशि का विवरण परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इनके विभाग ने नीचे से जो उत्तर बनाकर दिया वह मंत्रीजी ने पढ़ा। प्रश्न के भाग तीन में परिशिष्ट चार पर जो अनुमानित मानव दिवस दर्शाया गया है जबकि राशि तो आपने 48.71 लाख लिख दी है। वह अनुमानित कैसे हो गयी? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि 18 बांधों की जो सूची है उसमें सभी बांधों पर रकम खर्च की है या सभी पर नहीं की है तो किन-किन बांधों पर कितनी-कितनी रकम खर्च की गयी है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, डूंगाना निर्वाचन क्षेत्र में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के विवरण का मैंने व्यय और मानव दिवस का हुआ है, यह सारा डिटेल आपको परिशिष्ट 4 में दिया है। उसमें श्रम-सामग्री अलग-अलग, वर्षवार खर्च हुई है वह मैं आपको निवेदन कर दूं–1993-94 में श्रम पर 0.22 लाख, सामग्री निल, योग 022, 1994-95 में श्रम एवं सामग्री पर योग 22.26, 1995-96 में योग 26.23 और जो मानव दिवस इस पर कार्य कराये गये 1993-94 में 100, 1994-95 में 59000 और 1995-96 में 46,312; कुल मानव दिवस–16,312 लगाये गये। माननीय सदस्य ने कुछ शंका जाहिर की है कि जो विभाग ने सूचना दी है वह वैसी की वैसी पढ़ दी तो वही जाएगी लेकिन मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि आपको कहीं पर भी यह लगे कि यह सूचना गलत दी गयी है या कहीं भी इसमें थोड़ा हेरा फेरी है या थोड़ा तथ्यों को दबाया गया है, कृपया आप मुझे सूचित करें, मैं निश्चित तौर पर कार्यवाही करूंगा।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : यह आपके कार्य करने की शैली है और जानकारी करने के बाद आप उसको कर देते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको जांच में साथ ले लेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूरक प्रश्न पूछा परिशिष्ट चार में आपने जो राशि बतायी है, एक्चुअल राशि इतनी खर्च हुई है सामग्री पर और श्रम पर लेकिन

(श्री हरजीराम बुरडक)

जो मानव दिवस आपने अर्जित होना बताया है वह अनुमानित है, तो अनुमानित है तो इसका मतलब आपकी हाजरियां फर्जी हैं और हाजरियां फर्जी हैं तो फिर आप राशि निश्चित क्या देना चाहते हैं ? उसमें भी आप लिख देते अनुमानित। आप पढ़िये उसको इसलिये यह कह रहे हैं कि विभाग ने जो दे दिया उसको आपने पूरा पढ़ा ही नहीं है।

**श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसी सन्दर्भ में दोनों का एक साथ जवाब दे दें।

**श्री हरजीराम बुरडक :** मानव दिवस आपने अनुमानित कैसे बताये जब राशि आपने निश्चित बता दी। अनुमानित क्या होता है ?

**श्री अध्यक्ष :** भंवर सिंह जी बिराजिये।

**श्री भंवरसिंह डांगावास :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाता हूं कि 1995-96 में अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता मेड़ता के द्वारा कराये गये सारे कार्यों की जांच की मैंने प्रार्थना की थी। क्योंकि वह सारे काम इस बरसात में बह गये। अगर आंकड़ों को आप उठाएंगे तो मानव दिवस और राशि दोनों 1995-96 में अनुपात से बहुत ज्यादा खर्च हुई है। उसके पहले साल में तो यह खर्च नहीं हुआ। प्रश्न यह उठता है कि वह जांच जो आठ महीने से चल रही है, कब वह तक चलेगी ?

**श्री हरजीराम बुरडक :** अनुमानित का बता दो।

**श्री अध्यक्ष :** बोल रहे हैं बोलने तो दो। बिराजें।

**श्री देवीसिंह भाटी :** अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय सदस्य के द्वारा एक शिकायत की गयी थी। उस शिकायत की जांच हुई और जांच में जिसके विरुद्ध आरोप थे वह निर्दोष पाया गया। उसकी आगे और जांच करने के लिये हमने जिलाधीश नागौर को सूचित किया है कि वह भी अपने स्तर पर जांच करवा लें। यदि फिर भी कहीं तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है, आप मुझे सूचित करें। जांच रिपोर्ट आपको भी पेश कर दी जाएगी। आप उसमें साथ रहकर पुनः जांच करवाएं उसके लिये भी मैं तैयार हूं।

**श्री अध्यक्ष :** श्री हबीबुर्रहमान जी।

**श्री हरजीराम बुरडक :** यह अनुमानित ऊपर कालम में क्या लिखा है ?

**श्री अध्यक्ष :** एक आध कम भी हो जाए तो मान लो।

**श्री हरजीराम बुरडक :** राशि अगर कम ज्यादा दी है, तो जिस मजदूर का नाम लिखा जाता है उस मजदूर की हाजिरी से

(श्री हरजीराम बुरडक)

पैसे लेते हैं तो पैसों के मामले में तो निश्चित रूप से दे दिया और मानव दिवस में अनुमानित है। इसका मतलब यह हाजरियां फर्जी हैं माननीय मंत्री महोदय ?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : फर्जी का नहीं है मामला यह....(व्यवधान)...

**श्री हरजीराम बुरडक** : फिर अनुमानित क्या है ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : नहीं है, माननीय सदस्य। यह जो राशि व्यय की गयी है उसका विभाजन करके यह संख्या दी गयी है और इसके अन्दर कहीं भी फर्जी की बात नहीं है यह मानव दिवसों का सृजन हुआ है उसकी सूची दी गयी है।

**श्री हरजीराम बुरडक** : उस कालम में जो ऊपर लिखा है वह पढ़कर सुना दीजिये।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : अध्यक्ष महोदय, अगर 32 रुपये की दर से आप पैसों का विभाजन करेंगे तो आंकड़ा पूरा आएगा, अनुमानित नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये आप। हो गया। श्री रामस्वरूप जी मीणा।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : बिराजे कैसे, काम मेरा है....(व्यवधान)....मेरा यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है और हमारे गरीब किसानों का पैसा फालतू खाया गया है। मैं तो एक ही निवेदन करता हूं वह मस्टर-रोल लाये जाएं। उन मस्टर-रोलों पर किन-किन के अंगूठे हैं, किन-किन व्यक्तियों के नाम हैं, वह वैरीफिकेशन किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजिये ना।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : बिराज तो जाऊंगा पर जवाब तो देंगे ना।

**श्री अध्यक्ष** : दे दिया ना जवाब।....(व्यवधान)....आप साथ बैठकर के जाच करवा लेना। बिराजिये ···(व्यवधान)....श्री हबीबुर्रहमान जी।

**श्री भंवरसिंह डांगावास** : ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को निर्दोष साबित कर देना यह कैसे हो सकता है (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, जो राशि व्यय की गयी है उसके ऊपर जो एक्चुअल लेबर लगी हुई है। उस राशि का अलग-अलग विभाजन करके, लेबर की संख्या आपको बतायी गयी है... (व्यवधान)....

**श्री हरजीराम बुरडक** : अनुमानित क्या है ? मस्टर रोल में हाजरी नहीं लिखते ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : राशि जो खर्च की गयी है उसकी सूचना है ...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : यह अनुमानित कैसे हुआ ? यह बताओ आप तो ।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं क्या ? कुछ बोलिये न आप । आप बिराजें, वह पूछ रहे हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : यह समझ नहीं पा रहे हैं । इसमें साफ लिखा है परिशिष्ट "4" में कुल व्यय लाखों में, श्रम व सामग्री, उसका जो टोटल योग है इसमें सारी राशि व्यय की गयी है । श्रम और सामग्री के ऊपर उसका विभाजन करके सारी मजदूरों की संख्या आयी है ।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि इसमें जो मानव दिवस अनुमानित लिखा है आपने, अनुमानित कैसे हो गया ?

श्री देवीसिंह भाटी : श्रम और सामग्री पर जो खर्च हुआ है, उसके लिए कैल्कुलेशन निकाला है कि इतने आदमियों को मजदूरी दी गयी ।

श्री हरजीराम बुरडक : इसका मतलब हाजरियां नहीं हैं ? इसका मतलब यह हुआ कि श्रम और सामग्री (व्यवधान) आपके मस्टर रोल नहीं हैं ? (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय उस अधिशासी अभियन्ता को निर्दोष साबित करने की जांच की रिपोर्ट की नकल मुझे देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूपजी मीणा । बिराजें अब आप । श्री भंवरसिंहजी, बिराजें आप । (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह डांगावास : नागौर जिले की मेरे द्वारा शिकायत की हुई बात है ।

श्री अध्यक्ष : आप कर देना न शिकायत । आपको यह कहा है कि आप साथ लेकर शिकायत करवाना । बिराजें आप ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मैं तो कभी-कभी बोलता हूं । एक छोटा सा प्रश्न है । क्या मंत्री महोदय मुझे उस जांच रिपोर्ट की नकल देंगे जिसमें उसे निर्दोष साबित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी । (व्यवधान)

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका । आपने अनुमानित पूछा उन्होंने कहा इस तरह से आयी है । ज्यादा लम्बा नहीं कर सकता ।

श्री भंवरसिंह डांगावास : हमें सन्तुष्ट करें कृपया । (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : उत्तर तो दे दीजिये । (व्यवधान)....आपके पास में उत्तर आ जाए....(व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी :** आप पुनः जांच के लिये तैयार हो जाओ। मैं पुनः जांच करवा दूंगा। इसमें झगड़ा कहां है। आप स्वयं साथ रहिये, जो भी दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। आप स्वयं अपनी निगरानी में....(व्यवधान)

**श्री भंवरसिंह डांगावास :** सही बता रहे हैं मंत्री महोदय, बिलकुल सही बता रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। भाषण अलाउ नहीं कर रहा। श्री रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

**श्री भंवरसिंह डांगावास :** लेकिन जिन्होंने मस्टररोल साबित कर दिया उसके खिलाफ क्या करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष :** भाषण अलाउ नहीं कर रहा। श्री रामस्वरूपजी।

**श्री रिछपाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय, एक सवाल करूंगा, एक सवाल।

**श्री हरजीराम बुरडक :** यह कोई बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय। इस प्रश्न का तो उत्तर दिलाओ आप, (व्यवधान) अनुमानित, राशि आपने बतायी है निश्चित, तो अनुमानित क्या हुआ ?

**श्री रिछपाल सिंह :** मैं भी इससे सम्बन्धित ही पूछ रहा था। दो-तीन प्रश्न पूछ रहा था, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) हमारे अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। मूल प्रश्नकर्त्ता को आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं करने देते, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष :** श्री रामस्वरूपजी।

## अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्तियां

592. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त छात्रवृत्तियां पुनः चालू करने का इरादा रखती है ?

(3) राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये कौन-कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं ?

**राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) :** (1) जी, हां। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को पूर्व मैट्रिक एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रसारित नियमानुसार

(श्री मदन दिलावर)

दी जा रही हैं। विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) छात्रवृत्तियां रोकी नहीं गयी हैं, अपितु निरन्तर दी जा रही हैं।

(3) राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिये चल रही योजनाएं संलग्न परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय निवेदन करूंगा कि आपने जो जवाब दिया है कि सारी छात्रवृत्तियां निरन्तर दी जा रही हैं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा अन्य विद्यालयों में जो छात्रवृत्तियां दी जाती है, जिनमें हमारी 9 स्कूलें हैं। उनमें बिड़ला पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिलानी, बिड़ला पब्लिक हायर सैकण्डरी स्कूल, पिलानी और एक है राजकीय माध्यमिक विद्यालय, विद्या भवन, उदयपुर। उच्च माध्यमिक विद्यालय बग्गड झुन्झुनूं, मैरू ग्राम नांगल कला चूरू, विशम्भर दयाल उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इनमें आपके डायरेक्टर बीकानेर के हैं उनके जरिये मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और एक वनस्थली है। मेरा सीधा प्रश्न है मंत्री महोदय, क्या इनको पिछले एक वर्ष से छात्रवृत्तियां दे रहे हैं? क्या पिछले एक वर्ष में आपने इनको छात्रवृत्तियां बन्द नहीं की हैं? क्या डायरेक्टर महोदय बीकानेर के चार-पांच पत्र लगातार आपके पास आ चुके हैं कि आप इनकी छात्रवृत्तियां भेजें। आपकी मंशा यह नहीं है कि उनको छात्रवृत्ति दी जाए इसलिये छात्रवृत्तियों को रोका है। यह मेरा प्रश्न है कि इनको छात्रवृत्ति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** पहले एक बार मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दें। बिराजें।

**श्री मदन दिलावर :** अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां हैं इसको हम प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग को दे देते हैं और शिक्षा विभाग विभिन्न संस्थाओं को वहां की डिमांड के अनुसार वितरण करता है। मैं जानकारी के लिये माननीय सदस्य को बता दूं कि 1991-92 में हमने 7 करोड़ 44 लाख और कुछ राशि शिक्षा विभाग को उपलब्ध करवायी है। 1992-93 में 8 करोड़ 45 लाख 5 सौ 16 रुपये उपलब्ध करवाये हैं। 1993-94 में 8 करोड़ 50 लाख रुपये दिये हैं। 1994-95 में 8 करोड़ 94 लाख। हजार रुपये दिये है। 1995-96 में 8 करोड़ 49 लाख 97 हजार रुपये उपलब्ध करवाये हैं। यदि इसमें राशि कम पड़ी होगी तो उन्होंने हमको लिखा होगा, परन्तु जैसा मेरी जानकारी में है, डिटेल्स मेरे पास में नहीं हैं। केवल यह पत्र दिया बताया और एक यहां नियम 50 के प्रस्ताव के अन्तर्गत भी पूछा गया था कि इन संस्थाओं को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है। उसकी भी जानकारी करवा रहा हूं कि शिक्षा विभाग ने किस कारण से इन संस्थाओं को

(श्री मदन दिलावर)

छात्रवृत्तियां उपलब्ध नहीं करवायी है। यदि वास्तव में इन संस्थाओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं करवायी है, तो उपलब्ध करवाएंगे।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** दूसरा, मेरा, निवेदन है कि क्या अन्य योजनाओं के तहत जो छात्रवृत्तियां दे रहे हैं वे पिछले एक वर्ष में लगातार दी जा रही है ? यदि दी जा रही हैं, तो कहां-कहां दी जा रही हैं ? बता दें कृपया।

**श्री मदन दिलावर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा स्पष्ट कर दें कि क्या पूछना चाहते हैं ?

**श्री रामस्वरूप मीणा :** अध्यक्ष महोदय, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति और अच्छे कार्यों में लगे हुए लोगों के लिये छात्रवृत्तियां आप दे रहे हैं। आपने कहा कि लगातार दे रहे हैं। मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि पिछले एक साल से यह छात्रवृत्तियां आपने बन्द कर रखी हैं, नियमित बच्चों को नहीं मिल रही हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आप यह कह रहे हैं कि यदि बन्द हो गयी हैं तो जांच करवा कर दे देंगे वापस। श्री शांतिलाल खोईवाल।

**श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने अभी फिगर्स बताये हैं कि 1993-94 में 8 करोड़ 50 लाख, 1994-95 में 8 करोड़ 94 लाख, 1995-96 में 8 करोड़ 49 लाख। जहां तक फिजिकल टार्गेट्स का प्रश्न है मैं बधाई देना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि फिजिकल टार्गेट तो पूरे हो रहे हैं लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वह रिजल्ट ओरिएन्टेड नहीं है। रिजल्ट ओरियेंटेड से मेरा आशय अध्यक्ष महोदय यह है कि आपने फिजिकल टार्गेट पूरे कर दिये लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टीचर्स की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके पठन-पाठन की.... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** यह अन्य है। यह दूसरा प्रश्न है।

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पठन-पाठन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैंने कल निवेदन किया था, इसी कारण पिछले पांच....(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें ना आप। सब जने एक साथ क्यों खड़े हो रहे हैं ? बिराजें आप।

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** प्लीज-प्लीज, मैंने कल इस रेफरेंस में निवेदन किया था। यही कारण है कि रिजल्ट ओरिएन्टेड नहीं हो सकते। पिछले पांच वर्षों में आई.ए.एस. आई. पी. एस. जैसी महत्वपूर्ण कैडर की

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

परीक्षाओं में राजस्थान के एक भी एस. सी. और एस. टी. व्यक्ति का चयन नहीं हो पाया। क्या यह चिन्तन का विषय नहीं है? अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर से चिन्तन का विषय है। कहीं न कहीं विभाग में गड़बड़ी है। इन गड़बड़ियों को मिटाने के लिये क्या आप कमेटी का गठन करेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसके बारे में अपना वक्तव्य दें। यह रिजल्ट ओरिएन्टेड क्यों नहीं है? क्या हमारी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या केजुअल वे में ले रहे हैं... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप। श्री रघुवीरसिंह जी।

**श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि एक साल में एक करोड़ दिये, इतने करोड़ दिये परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1995-96 में जो परीक्षाएं हुई, प्रतिभावान छात्राओं की, विशेषकर छात्राओं के बारे में उदाहरण दूंगा। वनस्थली विद्यापीठ में जो छात्राएं अभी उदयपुर जिले की भर्ती होने गयीं उनको यह बहाना कर भर्ती नहीं किया गया कि 1995-96 की छात्रवृत्ति बाकी है 8 लाख 17 हजार 5 सौ 11 रुपये, इसलिये इस साल भर्ती नहीं करेंगे। आपने 1995 में हमारे प्रिंसिपल से कान्ट्रेक्ट नहीं किया। अनआफिशियल व्यक्ति ने यह कहा कि डायरेक्टर, बीकानेर को बराबर पत्र लिखा, 13-6-96 को पत्र लिखा है।

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछ लें अब।

**श्री रघुवीर सिंह** : इन छात्राओं को छात्रवृत्ति के कारण एडमीशन नहीं दिया है क्या आप उनको वापिस इसी सत्र में एडमीशन देने की व्यवस्था करेंगे?

**श्री अध्यक्ष** : श्री किशनारामजी। (व्यवधान) बस आ गया। बैठिये आप।

**श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़)** : डूंगरगढ़ में पिछले चार साल से छात्रावास कार्यरत है लेकिन मकान किराये पर होने के कारण से पिछली एक तारीख को छात्रावास खुलने के बाद उनकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों के रहने की खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और छात्रावास अधीक्षक छह छह महीने तक अबसेंट रहते हैं। इसलिए आज भी छात्र एक तारीख के बाद बाहर रह रहे हैं और उनके लिये किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से बार-बार रिक्वेस्ट भी की कि इसकी न तो कोई चेकिंग की है और न कोई और व्यवस्था है। इसलिए तत्काल छात्रों के मकान की व्यवस्था की जाए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सुन्दर लाल जी।

**श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से

(श्री सुन्दरलाल)

पूछना चाहता हूं कि क्या छात्रवृत्ति छात्रों को समय पर दी जाएगी ? इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : यह जनरल क्वेश्न है। बिराजें। आप तो डेगाना से हैं, नागौर का मामला है इसलिये नागौर वालों को सबको बुलाया है। आप खड़े होकर के बोलें।....

श्री महेन्द्रकुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, पिछले, एक साल से सरकार ने सभी स्कूलों में छात्रवृत्तियां बन्द कर रखी हैं। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह आंकड़ों के आधार पर गलत दिया है। एम. जी. डी. स्कूल और वनस्थली विद्यापीठ में गत एक साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। वहां पर छात्राओं को एडमीशंस भी नहीं दिये जा रहे हैं और....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : जिन बच्चियों के 80 पर्सेण्ट मार्क्स थे उनको साइन्स में एडमीशन नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : जिन बच्चियों को एडमीशन दे दिया है उनको प्रेक्टिकल में जान-बूझकर, भेदभाव करके, एस. सी., एस. टी. की बच्ची होने की वजह से फेल किया गया है। इस तरह से जो भी हमारी छात्राएं वहां आती हैं, उनको कम से कम एक साल फेल तो किया जाता है। इतना भेदभाव और अन्याय आपके द्वारा वहां बरता जाता है, वनस्थली विद्यापीठ के अन्दर। इसकी जांच करायी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। आपको कुछ कहना है सुन्दर लाल जी।

श्री सुन्दर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिल पायेगी ? इस साल जो परीक्षा पास हो गये उनको अगली साल नवम्बर में जाकर मिलेगी। उससे अगली साल दिसम्बर में मिलेगी। क्या यह व्यवस्था कर देंगे कि परीक्षा पास होने तक उसको छात्रवृत्ति मिल जाए ? यह बतावें।

श्री अध्यक्ष : श्री मगोरा जी।

श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति उन छात्रों को मिलती है जो होस्टलों में नहीं रहते हैं। इन्होंने जो यह दर दे रखी है मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस राशि से छात्रों की पढ़ाई हो सकेगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। श्री परसादी लाल जी आपको कुछ कहना है।

श्री महावीर मगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि महंगाई के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि बढ़ायी जाए।

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कि क्या जिस

(श्री कालूलाल गूजर)

तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिके छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है वैसे ओ. बी. सी. के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी ?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप।

**श्री सुन्दरलाल** : यहां ओ. बी. सी. को कहां घुसा रहे हो। चाहे जब ओ. बी. सी. लगा दें बीच में। क्या ओबीसी हो गयी यह ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप। हां, बोलें। (व्यवधान)

**श्री फूलचन्द** : माननीय मंत्रीजी, अगर अधीक्षक ही नहीं होगा तो कहां से बच्चे प्रतिभावान होंगे और कहां से छात्रवृत्ति लेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें। श्री परसादी लाल जी।

**श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)** : माननीय मंत्री महोदय, बिड़ला, वनस्थली, उदयपुर, बगड़, आदि स्कूलों में जो छात्र पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलने के क्या कारण हैं ? क्या उनको छात्रवृत्ति दिलाने के आप कोई आदेश जारी करेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें। हां, परसराम जी। (व्यवधान) हां, यही है। बोलिये आप। आपको बोलना ही है। (व्यवधान)

**श्री सुन्दरलाल** : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवायें।

**श्री अध्यक्ष** : हां, जल्दी बोलें, बोलना हो तो। इतने नखरे करेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं यहां।

**श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि तीन सालों के अन्दर बच्चों को छात्रवृत्ति दी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि महीने की महीने आप छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे रहे हैं ? अभी जैसा माननीय श्री रघुवीर सिंह जी ने कहा ऐसा पिलानी में भी है, बगड़ में भी है, सीकर में भी है, उनको डेढ़-डेढ़ साल तक छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। परीक्षा पास होने के बाद....

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें। पाइन्टेडली प्रश्न पूछें।

**श्री परसराम मोरदिया** : उनका एडमीशन नहीं हो रहा है। क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि उनको महीने की महीने छात्रवृत्ति मिलती रहे ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री जी। अब सवाल का जवाब सुनिये आप।

**श्री मदन दिलावर** : अध्यक्ष महोदय, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि जो छात्रवृत्ति सम्बन्धी योजना है। वैसे तो इन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह सम्बन्धित नहीं था फिर भी बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण मैं उसका जवाब देना चाहता हूं....

**श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : सबका दीजिये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : एक-एक बात आ रही है....

**श्री मदन दिलावर** : एक-एक का जवाब दूंगा। पहले उन्होंने उठाया था। (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : सब मांग रहे हैं। राजसमन्द का ही नहीं है। आप इसका भी दीजिये कि छात्रवृत्ति जो वनस्थली, पिलानी, बगड़ में लड़कों की जो छात्रवृत्ति रुकी हुई है उसका क्या जवाब है आपके पास ?

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : We are more concerned than you. We are from Scheduled Caste Community. (....interruption).

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप। कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान) क्या कर रहे हैं आप सब के सब यह ?

**श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा)**: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जब भी जवाब देते हैं। बोलने का प्रयास करते हैं इनको जान-बूझकर डिमोरलाइज करने के लिये इस तरह की हरकतें इनके साथ आये दिन करते हैं ..(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : विराजें, माननीय सदस्य।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : छात्रवृत्ति आप लड़कों को कब दे रहे हैं ?

**एक माननीय सदस्य** : आप व्यवधान डाल रहे हैं। डिमोरलाइज नहीं होंगे।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया जवाब दें आप। (व्यवधान) विराजें आप। क्या कर रहे हैं आप ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : छात्रवृत्ति का जवाब तो दिलवायें।

**श्री अध्यक्ष** : दे रहे हैं। आप क्यों बार-बार खड़े हो रहे हैं। बार-बार आप खड़े होते हैं, उधर वह खड़े हो रहे हे इधर यह खड़े हो रहे हैं (व्यवधान)

**श्री रामनारायण चौधरी** : हमारा सवाल है उसका जवाब आप दिलवायें।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा** : आज घड़ियाली आंसू बहाते हैं .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : जवाब तो सुनें आप। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति क्यों रोकी गयी है आज तक।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : हमारे प्रश्न का जवाब दें... हमारे हितों पर (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया शांति रखें। क्या कर रहे हैं यह आप। बार-बार खड़े हो रहे हैं। हर आदमी बड़ा इंटलीजेन्ट बन रहा है। आपको कुछ तो . फिर आप कहेंगे आसन के खिलाफ अविश्वास लाओ।

**श्री मदन दिलावर** : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है....

**श्री अध्यक्ष** : यह नाराजगी की क्या बात है। सबको मौका दे रहे हैं। सब

(श्री अध्यक्ष)

खड़े हो रहे हैं। This is not the way.

**श्री मदन दिलावर :** मैं चाहता हूं माननीय सदस्य यह अनुसूचित जाति के....

**श्री अध्यक्ष :** वैसे ही आदी हो रहे हैं हर साल लाने के। बोलने दें आप इन्हें।

**श्री मदन दिलावर :** अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्धित प्रश्न है इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसका उत्तर आप गम्भीरता से सुनें। माननीय सदस्य....

**श्री अध्यक्ष :** कोई बीच में टोका-टोकी नहीं होगी।

**श्री मदन दिलावर :** मैं एक प्रश्न का उत्तर इस सदन में देना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के परिणाम आने चाहिये ऐसी इस सदन की इच्छा है और मेरी भी है। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के शैक्षणिक सुधार और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। छात्रवृत्तियों के बारे में भी यह विषय आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्तियां और पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्तियां शिक्षा विभाग को स्थानांतरित कर देते हैं। शिक्षा विभाग ने एक तिथियां निर्धारित कर रखी है। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने एक निश्चित तारीखें तय कर दीं कि किस-किस तारीख को छात्रवृत्ति मिलेगी। 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो 10+2 तक के विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति मिल जाएगी, ऐसे निर्देश माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिये हुए हैं। जो 12वीं कक्षा से ऊपर विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके सम्बन्ध में अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने हैं। कोई सत्र अक्टूबर में समाप्त होता है, कोई सत्र फरवरी में जाकर समाप्त होता है और कोई सत्र जून में जाकर समाप्त होता है। हम पहले तिथियां तय करते थे, अलग-अलग सत्र के हिसाब से इस पर्टिक्यूलर सब्जैक्ट में या कालेज में इतनी तारीख तक यह तिथि तय है। फिर भी वहां से इस प्रकार की डिमांड आती थी छात्रों की कि इन तिथियों के अन्दर-अन्दर हम आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं इसलिये तिथि बढ़ानी चाहिये। क्योंकि अनुसूचित जाति के गरीब लोगों से सम्बन्धित मामला रहता है, इसलिये सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कई बार हम इन तिथियों को बढ़ाते रहे हैं। मैं यहां तक कह सकता हूं कि हमने 28 फरवरी तक और मार्च में भी छात्रवृत्तियां दी हैं।

अध्यक्ष महोदय, वनस्थली की ओर विभिन्न संस्थाओं की चर्चा यहां की गयी है। जैसा माननीय सदस्यों ने कुछ का यहां उल्लेख किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि

(श्री मदन दिलावर)

कई सारी संस्थाएं हैं, हाई रेपुटेड संस्थाओं के नाम से, जिसको हम छात्रवृत्तियां देते हैं और वह छात्रवृत्तियां नहीं उनका पूरा खर्चा हम देते हैं और इस बार लगभग 350 छात्र-छात्राओं को हम दे रहे हैं, प्रति वर्ष इतने ही छात्र-छात्राओं को देते हैं। यह भी सारा काम शिक्षा विभाग करता है। उनके चयन का काम, उनको किस स्कूल में भेजना है, यह सारा का सारा शिक्षा विभाग के जिम्मे हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि वनस्थली हो, बगड़ हो या आदर्श विद्या मन्दिर हो या केसव विद्यापीठ हो, मैं सबके विषय में बोल रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं....

**श्री रामनारायण चौधरी :** छात्रवृत्तियों का पैसा खा गये आप।

**श्री मदन दिलावर :** आप शांति से सुन लीजिये, मैंने भी सुना है। यह अनुसूचित जाति के लोगों से सम्बन्धित है उन पर कृपया कीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे कहा है कि हमने प्रत्येक वर्ष का आंकड़ा बताया है कि इतने-इतने करोड़ रुपये हमने दिये हैं। किसी न किसी कारण से यदि इसमें व्यवधान आया है, मेरे यहां से आया होगा तो मैं सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवाऊंगा और इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यदि यह शिक्षा विभाग से सम्बन्धित होगा तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी के साथ बैठ कर के मैं चर्चा करूंगा। (व्यवधान) सुन लीजिये, आप सुन लीजिये।

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** अनुसूचित जाति का मामला है, ध्यान से, शांति से सुन लिया करो मेहरबानी करके। घड़ियाली आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। फालतू में व्यवधान डालते हैं। इसकी गहनता और इसकी सीरियसनेस को समाप्त करने की कोशिश मत करो मेहरबानी करके।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप। (व्यवधान) बिराजिये आप।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष से यह छात्रवृत्तियां क्यों बन्द थीं? क्यों नहीं मिलीं? इस बारे में मंत्रीजी क्या कह रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष :** आप बिराजें। नहीं मिल रही है, तो दे देंगे। माननीय खेतसिंहजी।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** एक वर्ष से क्यों नहीं मिली, साहब?

**श्री अध्यक्ष :** वह नहीं मिली है तो उन सब को दिलवा देंगे। बिराजें आप।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** क्या उनको आप दण्डित करेंगे? क्या छात्रवृत्तियां दिलवाएंगे आप? जवाब ही नहीं आया उन सब का तो। इनका नहीं आया जवाब कुछ भी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप बार-बार क्यों बैठ रहे हैं, मंत्रीजी। बोलिये आप।

**श्री मदन दिलावर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री खोईवालजी ने एक सवाल किया था....

**श्री रामनारायण चौधरी** : हमारे प्रश्नों का जवाब ही नहीं दिया (व्यवधान) आप जवाब दिलवायें। आपने क्या व्यवस्था दी है? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें।

**श्री रामनारायण चौधरी** : पाइंटेड प्रश्न था, अध्यक्ष महोदय, पाइंटेड जवाब दिलायें।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें। आप तो माननीय श्री रामनारायण जी साहब, किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

**श्री दलीचन्द (दानपुर)** : अध्यक्ष महोदय, वनस्थली विद्यापीठ के अन्दर जो एस. टी., एस. सी. के छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : एक वर्ष से छात्रवृत्तियां क्यों बन्द कर दीं? आप इसको चालू करिये।

**श्री अध्यक्ष** : आप जवाब ही नहीं सुन रहे हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : आप चालू करिये इसको और नहीं दी उसका कारण बतायें।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें। (व्यवधान)

**श्री परसराम मोरदिया** : जिनको प्रवेश नहीं मिल रहा है उनको प्रवेश दिलवायें। (व्यवधान) एक साल से छात्रवृत्ति बन्द हैं।

**श्री दलीचन्द** : एक साल से बन्द है, वनस्थली विद्यापीठ के अन्दर इतना घोटाला हो रहा है, जांच करवायें।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : यहां पर शिक्षा मंत्रीजी भी बैठे हैं, वे भी कुछ कह सकते है।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें। अब आप बिराजिये रामस्वरूपजी।

**श्री परसराम मोरदिया** : अध्यक्ष महोदय, पाइंटेड उत्तर नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : आप सब सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। यह क्या रोज-रोज इस तरह से कर रहे हैं आप। आप क्या व्यवस्था चाहते हैं?

**श्री परसराम मोरदिया** : वनस्थली विद्यापीठ के अन्दर छात्रवृत्तियों के अन्दर घोटाला हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, एडमिशन के अन्दर घोटालें हो रहे हैं, बच्चियों के साथ भेदभाव किया जाता है। जानबूझकर बच्चियों को फेल किया जाता है, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है।

**श्रीमती कमला (बैराठ)** : मंत्रीजी आपने अब तक क्या किया। आप कृपा करके कह दें कि मैं जांच करवाऊंगा।

**श्री अध्यक्ष** : बैठिये आप । आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हैं ।

**श्री परसराम मोरदिया** : जिस तरह से भेदभाव हमारे छात्राओं के साथ किया जा रहा है, चाहे वनस्थली हो .... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये ।

**श्री परसराम मोरदिया** : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दे रहे हैं मंत्रीजी । एक साल से छात्रवृत्तियां बन्द हैं, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : आप जवाब तो सुनें । आप बैठ जाइये ।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : एक साल हो गया, मंत्रीजी को कहते हैं पर आज तक इन्होंने छात्रवृत्ति नहीं दी बच्चों के लिए....

**(माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप जी द्वारा सदन के वैल में आकर भाषण देना)**

**श्री अध्यक्ष** : आप बहुत उत्साहित हैं, पर इतना उत्साह भी मत लाओ कि बार-बार वैल में आ जाओ फिर आपके वैल की कीमत खतम हो जाएगी और खुद की भी कीमत खतम हो जाएगी । आसन की निगाहों में गिरोगे आप ।

**श्री दलीचन्द** : बात इतनी सी है, पाइंटेड प्रश्न है कि जो राशि अभी तक छात्रों को नहीं दी है वह मंत्री महोदय कब तक दे देंगे ?

**श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो साल हो गये तो भी छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं । इस बारे में क्या कह रहे हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : बात तो सुनें पूरी ।

**श्री नाथूराम अहारी** : क्या बात सुनें । मंत्रीजी जवाब ही नहीं दे रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : और किसी का मत सुनो । श्री खेतसिंहजी राठौड़ । (व्यवधान) आप बिराज जाइये । बैठिये आप । माननीय श्री खेतसिंहजी राठौड़ । (व्यवधान) आपको सुनना ही नहीं है । मैं नहीं अलाउ करूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा । These types of things cannot be allowed. क्या मजाक बना रखा है जब देखो तब (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा, They do not want to hear. यह कोई नहीं सुनना चाहते हैं, जब देखो तब खड़े हो जाते हैं सभी । श्री खेतसिंहजी, आप कृपया बोलिये । (व्यवधान) आप फरमाइये । बात सुनें तो सही पूरी तरह से । यह क्या हो रहा है ? मैं अकेला बोलूं और आप एक साथ खड़े हो जाएंगे, किसी की बात भी नहीं सुनेंगे । यह बात कह रहे थे और अहारीजी खड़े हो गये ।

**श्री नाथूराम अहारी** : दो साल हो गये नहीं मिली ।

**श्री अध्यक्ष** : और जोर से बोलें स्टेज पर जाकर खड़े हो जाइये ऊपर ।

**श्री नाथूराम अहारी** : दो साल हो गये और अभी तक नहीं मिली ।

२२



**श्री अध्यक्ष** : आप बात ही नहीं सुनना चाहते हो। श्री खेतसिंहजी साहब आप कंट्रोल करिये।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : मंत्री खड़े ही नहीं होते हैं। मंत्रीजी खड़े तो हों।

**श्री किशनाराम नाई** : मंत्रीजी जवाब दे रहे थे और ये बार-बार उठ जाते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : Don't invite unnecessarily. आप बात सुनिये। इधर-उधर की बातें नहीं करें, सीधा जवाब करिये आप तो।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** (वल्लभनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पाइंटेड सवाल है।....

**श्री अध्यक्ष** : यह बोल रहे हैं तो कोई सुने तो सही।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : पाइंटेड उत्तर दिलवा दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : आप अनावश्यक सब बारबार खड़े हो रहे हैं।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : पाइंटेड उत्तर दिलवा दीजिये।

**श्री मदन दिलावर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था (व्यवधान) जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री खोईवालजी ने जो प्रश्न किया था उसका मैं जवाब दे रहा हूं, माननीय सदस्यों का भी जवाब मैं एक-एक का दे रहा हूं। मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो सरकार का पैसा छात्रवृत्ति पर या समाज कल्याण की विभिन्न स्कीमों पर खर्च किया जा रहा है उनके परिणाम निश्चित रूप से आने चाहिये, यह चिन्ता जतायी है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग सम्भालते ही हमने एक विचार किया और पुराने सारे रिजल्ट्स देखें कि छात्रावास में जो पढ़ने वाले बालक हैं या छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के रिजल्ट्स क्या हैं। उन पर विचार करके यह विचार किया कि पहले से बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होने चाहिये और उसके लिये एक वृहत योजना बनानी चाहिये। इसलिए सर्वप्रथम हमने जैसे कठिन विषयों में ट्यूटर लगाना (व्यवधान) सुन लीजिये।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत** : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण कैसे हो रहा है। छात्रवृत्ति बन्द कर दी उसको चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर आप कह रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हो। (व्यवधान)

**श्री परसराम मोरदिया** : यह भाषण दे रहे हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : छात्रवृत्तियों के बारे में क्या कह रहे हैं?

**श्री दलीचन्द** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पाइंटेड जवाब दिलवायें।

**श्री अध्यक्ष :** आप तो 1995-96 में नहीं मिली उसके बारे में क्या कहना है। (व्यवधान बिराजें। फिर खड़े हो रहे हैं।

**श्री दलीचन्द :** विभिन्न संस्थानों को नहीं मिली। छात्रवृत्तियां कब तक दिलवा देंगे ?

**श्री अध्यक्ष :** 1995-96 का जवाब आप बता दीजिये।

**श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) :** अध्यक्ष महोदय, खोईवालजी के प्रश्न का उत्तर आ रहा था और वे बीच में खड़े हो गये। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप।

**श्री मदन दिलावर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1995-96 के बारे में निवेदन करूंगा और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने प्रश्न के जवाब में कहा है कि यदि (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप।

**श्री किशनाराम नाई :** मंत्रीजी बोल रहे हैं और ये व्यवधान डाल रहे हैं। ये सुनना ही नहीं चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप। कृपया आप व्यवधान न डालें। मैं आप सबके हाथ जोड़ रहा हूं। (व्यवधान)

**श्री दलीचन्द :** मंत्री महोदय पाइंटेड प्रश्न का जवाब बता दें। सवाल किया कि विभिन्न संस्थाओं को छात्रवृत्तियां उपलब्ध नहीं हुई हैं उनको कब तक उपलब्ध करवा देंगे ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** बड़ा मुश्किल है यह तो।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डौली) :** इन मंत्रियों को जवाब देना बड़ा मुश्किल है।

**श्री अध्यक्ष :** हां, बिराजें आप। माननीय मंत्रीजी आप जल्दी-जल्दी बोल कर बात खतम करें।

**श्री मदन दिलावर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, 1995-96 की छात्रवृत्ति के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता जतायी है इसलिए मैंने पहले भी निवेदन कर दिया था, अब भी करने जा रहा हूं, मैंने यह कहा कि शिक्षा विभाग को हम छात्रवृत्तियां स्थानान्तरित कर देते हैं। मेरे स्तर पर, यानी मेरे डिपार्टमेंट के स्तर पर कहीं न कहीं गड़बड़ रही होगी, लेकुना रहा होगा तो मैं इस प्रकरण की जांच करवा कर जो भी दोषी पाये जाएंगे ....

**श्री अध्यक्ष :** छात्रवृत्ति कब तक दे देंगे, यह पूछ रहे हैं।

**श्री मदन दिलावर :** छात्रवृत्तियां, निवेदन किया, सर कि 15, अगस्त और 26, जनवरी को हम छात्रवृत्ति देते हैं। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा कि पास होते ही क्यों नहीं दे देते। पास होते ही, एडमिशन होते ही दे देते तो वह पढ़ेगा

(श्री मदन दिलावर)

कि नहीं पढ़ेगा इसकी क्या गारंटी है। इसलिए हम छात्रवृत्तियां दो टुकड़ों में देना चाहते हैं।

**श्री रामस्वरूप मीणा :** पिछले एक साल से हम मांग कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आप बिराजें, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, जिन-जिन की छात्रवृत्तियां बन्द हैं उनको दे देंगे कि नहीं देंगे।

**श्री मदन दिलावर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्तियां कोई बन्द नहीं है। (व्यवधान) जो दोषी होंगे उनके खिलाफ जांच करवाएंगे।

**श्री परसराम मोरदिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय, बन्द हैं। मंत्री महोदय असत्य बोल रहे हैं, इनको कोई नालेज नहीं है (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** एक मिनट, कटारिया साहब कह रहे हैं, आप सुनें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) :** एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को आप सुन लो। शिक्षा विभाग के अन्दर जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनकी छात्रवृत्तियां हमें प्राप्त होती हैं और हम उनको वितरण करते हैं। मेरे आने से पहले यह साल के अन्त में दी जाती थी, कभी भी किसी महीने में दी जाती थी। मैंने आकर के पिछले छह महीने की 15 अगस्त के दिन फंक्शन में ही उनके माता पिता को बुलाकर वहीं पर पहले छह महीने की दे देते हैं। शेष चार महीनों की जो शेष रहती है वह 26 जनवरी को मिल जाती है। यदि किसी राजकीय विद्यालय में डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कमी हो या समय पर नहीं बंटी हो तो आप मुझे बतायें मैं उसके आधार पर कार्यवाही करूंगा। मैं राजकीय विद्यालयों की बता रहा हूं। जहां स्पेशल स्कीम में दी जाती है वह मेरे द्वारा नहीं दी जाती है।

**एक माननीय सदस्य :** मेरे यहां एक साल से नही बटी है। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** मेरे नौ विद्यालय हैं। पिलानी, बगड़, झुन्झुनूं, चूरू, ये पब्लिक स्कूल हैं और आपकी लड़कियों का स्कूल है इनमें छात्रवृत्तियां एक साल से नहीं दी हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय श्री खेतसिंह जी।

**श्री रघुवीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें अनुदान मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है (व्यवधान)।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये (व्यवधान) माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी। अब आप बातें करें, ये तो कोई सुनने वाले नहीं है (व्यवधान) आप बैठिये (व्यवधान) ये यूं कह रहे हैं कि नहीं पहुंची है, तो पहुंचा देंगे। (व्यवधान) बिराजिये आप। अब खतम कीजिये, दूसरा प्रश्न भी है।

**श्री दलीचन्द :** कब तक यह राशि

(श्री दलीचन्द)

पहुंचा देंगे, इतना तो जवाब दें आप कि जो राशि नहीं दी है वह कब तक दे देंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रश्न आ जाना चाहिये बस। 25-40 सदस्य एक साथ खड़े होकर वक्त जाया करते हैं। (व्यवधान) खोईवाल साहब आप बिराजिये (व्यवधान) 40 सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं, पूरा एक घण्टा लग जाता है।

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये आप (व्यवधान) मैं नहीं सुनूंगा। श्री खेतसिंहजी को पुकार लिया है। आप आसन की मर्यादा भी समझें और लेजिस्लेटिव बिजनस भी समझें। बिराजिये आप (व्यवधान)।

**श्री महेन्द्र कुमार मीणा :** अध्यक्ष महोदय, हायर एजुकेशन मिनिस्टर खड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं के साथ भेदभाव हो रहा है, उसके बारे में जवाब दें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** वनस्थली विद्यापीठ का नहीं है (व्यवधान) हायर एजुकेशन मिनिस्टर पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर भी हैं। अब आप बिराजें।

**श्री दलीचन्द :** छात्राओं को प्रवेश कौन देगा, उनको प्रवेश देंगे या नहीं देंगे ? इसका जवाब दें। (व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द कान्त :** अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी के गठन की जो बात थी (व्यवधान) ...

**श्री अध्यक्ष :** वह सुन लिया है। आप बैठें। आप मिनिस्टर साहब से बात कर सजेशन दे देना। कृपा करके बैठें। (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** समाज कल्याण मंत्रीजी ने छात्रवृत्ति बन्द कर दी। एक साल से नहीं दे रहे हैं, मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपका आंसर ही नहीं आना है। प्रश्न स्पेसिफिक है तो उत्तर भी स्पेसिफिक ही होगा। यूं घुमा-घुमा कर दे रहे हैं (व्यवधान) माननीय चतुर्वेदी साहब।

**श्री शांतिलाल खोईवाल :** मेरे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष :** वह अब नहीं आएगा, अब आप बैठ करके बात कर लें। (व्यवधान)। कोई जवाब सुनना नहीं चाहता। आप मिनिस्टर साहब से बैठ कर बात कर लें और सुझाव दे दें (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** अब कब चालू कर रहे हैं, यह बतायें।

**एक माननीय सदस्य** : मामूली सी बात में भी आप क्रास क्वेश्चन कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : पूरा पौन घण्टा हो गया। अब आप बिराजें, नहीं तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी (व्यवधान) सख्ती करनी पड़ेगी (व्यवधान) फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे... (व्यवधान)....

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। हमारा निवेदन यह था कि नयी स्कीम की वजह से छात्राओं को प्रवेश इस साल नहीं दिया (व्यवधान) सरकार इस वर्ष छात्रवृत्ति नहीं दे रही है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी (व्यवधान) आप बैठें (व्यवधान)...... यह क्या हुआ ? आप फिर खड़े हो गये .... (व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा** : मेरा सीधा प्रश्न है कि नौ स्कूलों में एक साल से छात्रवृत्ति बन्द हैं वह कब दे रहे हैं ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न संख्या 593.

## विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ (जोधपुर) में सड़कों का निर्माण

593. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कें नवम्बर, 1993 के बाद स्वीकृत की गयीं ? उक्त सड़कों द्वारा कितने गांवों को जोड़ा गया ?

(2) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुल कितनी सड़कों का निर्माण किया गया ?

(3) अब तक कितने ऐसे गांव हैं जो सम्पर्क सड़कों से जुड़े नहीं है ? तत्सम्बन्धी सरकार की नीति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)** : (1) शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में नवम्बर, 1993 के बाद सड़क निर्माण की विभिन्न योजनाओं में 68 कार्य स्वीकृत हुए। इन सड़कों द्वारा कुल 15 गांवों को जोड़ा गया।

(2) अकाल राहत के अन्तर्गत 16 सड़कों के कार्य शुरू किये गये जिनमें से कुल 9 कार्य पूर्ण हुए।

(3) इस क्षेत्र में 122 गांवों को सड़कों से जोड़ना शेष है। सड़क नीति के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि 68 कार्य स्वीकृत हुए और 15 गांवों को ही जोड़ा गया तो इतने कम गांवों को क्यों जोड़ा गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

इसमें क्या आपकी नीति थी ? दूसरा, यह कि अकाल राहत में जो 16 सड़कें मंजूर हुई उनमें 9 का ही कार्य पूरा हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ ? क्या आपके इंस्ट्रक्शंस थे कि इनको पूरा मत करो ? तीसरा, प्रश्न यह है कि 122 गांव एक तहसील में बगैर सड़क से जोड़े हुए मौजूद हैं और आप रोजाना भाषण देते हैं, कल रात को भी आपने कहा....

**श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) :** आपने क्या किया ? सड़कों से जुड़े हुए क्यों नहीं है ?

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें, प्रश्न आने दें।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया। हमनें न्याय किया, हमने यह कभी नहीं सोचा कि सारी तरक्की हमारे क्षेत्र में ही हो। जिसके जितना बंट आता था, बराबर बांटते थे और उनको काम देते थे। आप लोगों ने यह प्रवृत्ति डाल रखी है। 122 गांव तो अभी बैठे हैं और जो काम मंजूर हुए उनमे से भी इन्होंने पूरे नहीं करवाये हैं। आप अभी हमारी तहसील में जाकर आयें और वहां इशारा मार आये कि इनके काम मत करो, यह मेरा चार्ज है इन पर। आप बतायें कि आप शेरगढ़ गये कि नहीं गये ?

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के जो प्रश्न हैं उनको उल्टा करके प्रारम्भ करता हूं। मैं निश्चित रूप से शेरगढ़ तहसील में गया था। जहां तक इशारा मारने का सवाल है, उसमें न तो मेरी उम्र है और न मैं इशारा मारता हूं। आपकी भी उम्र नहीं है। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) :** अध्यक्ष महोदय, यह जो सारा हो रहा है, वह संसदीय भाषा में है क्या ?

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** आपके पी. डब्ल्यू. डी. के अफसरों ने कहा कि हमको यह इशारा है।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन 122 गांवों की इन्होंने चर्चा की है, केवल 20 गांव शेष थे। ये 101 गांव अगस्त, 1995 में नये रेवेन्यू विलेज बनाये हैं तब निर्मित हुए। इसलिये पुराने हिसाब से तो केवल 20 गांव ही बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि समय की घड़ी घूम रही है।

(12.00')

1987 से 90 तक जब तत्कालीन राज था दूसरा, उस समय एक भी गांव शेरगढ़ पंचायत में, आपके विधान सभा क्षेत्र में नहीं जुड़ा था। नम्बर दो, 1987 से 90 तक कोई भी पंचायत मुख्यालय नहीं जुड़ा था। नवम्बर तीन, 1990 में हमको विरासत में 42 पंचायत मुख्यालय ऐसे मिले थे जो कि जुड़े हुए नहीं थे। नम्बर चार,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इनमें से हमने 39 को जोड़ दिया है, केवल 3 बाकी रहे हैं। नम्बर पांच, माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे समय में नवम्बर 1993 से लेकर 3 करोड़ 66 लाख की स्वीकृति इस विधान सभा क्षेत्र में हुई है। नम्बर छह, इसमें 301 किलोमीटर में काम हुआ है गांवों को जोड़ने का, सड़कों को अच्छा करने का और चौड़ा करने का। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें से 1 करोड़ 50 लाख का काम हमने पूरा कर दिया है जो कभी नहीं हुआ। सबसे अधिक हुआ है। आपको धन्यवाद देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य यह समझेंगे कि ये बहुत ही दोस्त हैं और इन्होंने जैसे बहुत बड़ा उपकार मेरे पर किया है, 3 करोड़ और इतने रुपये दिये ...

श्री अध्यक्ष : वह दोस्त नहीं हैं तो क्या शत्रु थोड़े ही हैं आप ?

श्री खेतसिंह राठौड़ :... वह तो नेशनल हाइवे है नम्बर 5 उसमें आपको करना पड़ेगा। मेरे पर क्या मेहरबानी की आपने ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें काम बहुत कम है। मैं विस्तार से बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यह सारे के सारे काम केवल गांव की दृष्टि से, और गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब एक सूची मुझे भी दे दीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न स्थगित कर दीजिए। करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है ...

श्री अध्यक्ष : शेरगढ़ की बात हो रही है। गंगानगर की बात नहीं है। बिराजिये अकाल राहत भी नहीं है। बिराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मैं अर्ज करता हूं कि कल के लिये स्थगित कर दो। मैं 594 को कल के लिये अर्ज कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । आप क्या कर रहे हैं ? शेरगढ़ की बात थी।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 594 के कल के लिये अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप हुकम तो साहब। 594 कल के लिये स्थगित कीजिए कर दो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। और किसी माध्यम से आइये। बिराजिये आप।

(श्री अध्यक्ष)

मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन आपके पक्ष के लोगों ने समय नहीं देने दिया। विराजिये आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि करोड़ों का घपला है। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, करोड़ो रुपयों का घोटाला है इसमें। आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिये....

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### विधान सभा जोधपुर शहर में नगर निगम द्वारा निर्मित सड़कें

502. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में नगर निगम द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 31 मई, 1996 तक कितनी सड़कों पर डामरीकरण व कितनी सड़कों पर सीमेंट का कार्य किया गया? प्रत्येक सड़क पर खर्च हुई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम द्वारा दिनांक 1-1-94 से 31-5-96 तक सड़कों पर किये गये डामरीकरण एवं सीमेंट कार्य का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--4 देखें)

### नगरपालिका पुष्कर की भूमि का बेचान प्रकरण

503. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका पुष्कर की कब्जे शुदा विवादास्पद कीमती जमीन शान्तानन्द उदासीन आश्रम ट्रस्ट के कतिपय लोगों द्वारा नायब तहसीलदार, पुष्कर से सांठगांठ कर बहुत कम कीमत में बेच दिये जाने का प्रकरण सरकार के ध्यान में है?

(2) क्या यह सही है कि इससे नगरपालिका को जहां एक ओर बेशकीमती जमीन से हाथ धोना पड़ा है वहीं स्टाम्पा ड्यूटी कम प्राप्त होने से राजकोष पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) इस प्रकरण की विस्तृत जांच राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, अजमेर द्वारा की जा रही है। जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

## नगर परिषद् सीकर द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

**504. श्री वीरेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देवीपुरा एरिया के पास की भूमि का नगर परिषद्, सीकर द्वारा अधिग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस की कितनी-कितनी भूमि कब अधिग्रहित की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में श्रीमती त्रिलोक्य राज्यलक्ष्मी पूर्व युवरानी, सीकर की भूमि का भी अधिग्रहण किया गया था ? यदि हां, तो कितनी भूमि एवं उसका क्या उपयोग किया गया ?

(3) क्या अधिग्रहण की गयी भूमि का मुआवजा भी दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त भूमि का मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त मुआवजा राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

### उत्तर

(1) जी, हां। देवीपुरा एरिया के पास खसरा नम्बर 425, 426, 1 व 2 की 11 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो स्व. श्रीमती त्रिलोक्य राज्यलक्ष्मी देवी की थी में से 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि जो क्रमशः श्री दुर्गावक्स, श्री भंवर दर्जी, श्री जीवण सिंह, श्री किशोर सिंह व श्री पहाड़ी ब्राह्मण के कब्जे की थी को छोड़कर कुल 10 बीघा 11 बिस्वा भूमि का ही अधिग्रहण वर्ष 1981 में किया गया।

(2) जी, हां। दस बीघा 11 बिस्वा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। भूमि का आवासीय एवं व्यवसायिक उपयोग किया गया।

(3) जी, हां। मुआवजा राशि रुपये 1,13,500/- के भुगतान हेतु चैक सं. 15687 दिनांक 31-3-83 जारी किया गया। चैक की राशि प्राप्त नहीं कर नगर परिषद को वापस लौटाये जाने के कारण दिनांक 29-4-87 को जमा खर्च कर लिया गया। पुनः उक्त राशि का चैक सं. 938327 दिनांक 29-11-89 को जारी किया गया लेकिन भुगतान प्राप्त नहीं करने के कारण पुनः चैक वापस प्राप्त होने पर चैक को निरस्त कर दिनांक 20-4-90 को वापस जमा खर्च किया गया।

(4) जी, हां। किन्तु स्व. श्रीमती त्रिलोक्य राज्यलक्ष्मी देवी का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिये उनका जायज वारिस तय होने पर इस अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

(31)

## ख्वाजा साहब की दरगाह (अजमेर) का विकास सौन्दर्यीकरण

505. विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह के विकास और उसके सौन्दर्यीकरण की कार्य योजना हाथ में ली गयी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना की क्रियान्विति के संदर्भ में हटाये जा रहे अतिक्रमणों में आपसी तालमेल और सही जानकारी के अभाव में अपेक्षित गति नहीं आ रही है ? यदि हां, तो सम्बन्धित विभागों के आपसी तालमेल एवं सहयोग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के ध्यान में उक्त प्रयोजनार्थ हटाये गये अतिक्रमणों में भेदभाव बरते जाने के प्रकरण आये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) सरकार भविष्य में अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में पक्षपात न हो, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1991-92 में राज्य-सरकार द्वारा अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह के विकास एवं सौन्दर्यीकरण की योजना स्वीकृत की गयी है।

(2) जी, नहीं। अतिक्रमणों को हटाने एवं योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों की क्रियान्विति पर नियमित रूप से निगरानी रखने हेतु संभागीय आयुक्त, अजमेर एवं जिला कलक्टर अजमेर के स्तर पर बैठक आयोजित कर विभिन्न विभागों से आपसी तालमेल एवं सहयोग स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

(3) जी, नहीं।

(4) अतिक्रमण हटाने में संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है।

## कोटा नगर निगम द्वारा संचालित गो-शाला

506. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा नगर निगम द्वारा संचालित गो-शाला में वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 (मई, 1996 तक) में कितनी-कितनी गायें रहीं हैं ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बड़ी संख्या में उक्त गो-शाला में रखी गयी गायें लापता हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी संख्या में और कब तथा गायों के गायब होने के क्या कारण रहे ?

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

(3) क्या गो-शाला से बड़ी संख्या में गायों के लापता होने के सम्बन्ध में जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माहवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। किसी कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

## राज्य में नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगमों को देय अनुदान

507. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने राजस्थान में नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर-निगमों को अनुदान अथवा कर्जा देने की कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में सरकार ने उक्त संस्थाओं को कितना-कितना अनुदान अथवा कर्जा दिया है ? संस्थावार एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी इन संस्थाओं को अनुदान या कर्जा दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

उत्तर

(1) जी, हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) संस्थावार एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ?

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## मण्डोर (जोधपुर) में जन-सुविधाओं हेतु सर्वे

508. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नयाबास (मगरा) मण्डोर (जोधपुर) की सड़क टूटी फूटी अवस्था में हैं ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार उक्त बस्ती में नयी सड़क बना देगी और नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बस्तियों में सीमेंट या पेवर रोड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या नयाबास (मगरा) मण्डोर (जोधपुर) में रोड लाइटें पिछले 2-3 वर्षों

(श्री खेतसिंह राठौड़)

से नहीं है ? यदि हां, तो रोड़ लाइटें कब तक लगा दी जाएगी और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उपरोक्त बस्ती में गटर लाइन "सीवर लाइन" का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये सर्वे/अनुसंधान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नयाबास मगरा (मण्डोर), जोधपुर की सड़क वर्तमान में टूटी-फूटी अवस्था में है ? न्यास का यह क्षेत्र गैर योजना क्षेत्र है। यहां वित्तीय साधन उपलब्ध कराने पर कार्य करवाया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में उक्त बस्ती में रोड़ बनाने की योजना है।

(2) नयाबास मगरा क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र में रोड लाइट है। कतिपय, पूर्व पर रोड लाइट, फेस वायर को कंजूमर फेस में तब्दील होने के कारण रोड लाइट नहीं है। अब इन पोलों पर कार्य प्रगति पर है।

(3) उपरोक्त बस्ती में गटर लाइन डालने का कोई प्रावधान नहीं है। गटर लाइन के लिए सर्वे/अनुसंधान कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

## जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विनिमय

509. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने भवन विनियम, 1996 तथा निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय एवं लघु नगर विकास विनियम, 1996 स्वीकार किये हैं ? यदि हां, तो कब ? उक्त विनियमों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च मार्गों पर नियंत्रक पट्टी के संचालन हेतु भी विनियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो विनियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) विनियम बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? क्या इसमें जनसाधारण के सुझाव अथवा आपत्तियां मांगी जाती हैं ? यदि हां, तो इस हेतु कब व क्या-क्या आपत्तियां व सुझाव प्राप्त हुए ?

उत्तर

(1) जी, हां। जयपुर विकास प्राधिकरण की उच्चाधिकार समिति की 32वीं बैठक दिनांक 19-6-96 में जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 1996 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण "निजी विकासकर्ता द्वारा आवासीय योजना एवं लघु नगर विकास विनियम, 1996 स्वीकृत किये हैं। इन दोनों विनियमों की अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ भिजवायी

34



(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

हुयी है। विनियमों की प्रतियां संलग्न है।

(2) जी, हां। विनियम की प्रति संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 96 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार प्राधिकरण विनियम बनाने के लिये सक्षम है। अधिनियम की इस धारा को दृष्टिगत रखते हुए विनियम बनाने हेतु जनसाधारण से सुझाव तथा आपत्तियां मांगा जाना आवश्यक नहीं है।

( प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी )

## नगर सुधार न्यास श्री गंगानगर द्वारा निर्मित सडकें

510. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास श्री गंगानगर द्वारा एक नाला पानी के निकास हेतु मीरा मार्ग से विकास नगर (याचक) व आटोमोबाइल मार्केट होते हुये सूरतगढ़ रोड तक बनवाया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य आदेश, सम्पन्न हुए कार्य का विवरण, तथा कार्य पर ठेकेदार को हुये भुगतान की राशि आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर में जून, 1996 से तृतीय सप्ताह में हुई भारी वर्षा से निर्मित नाले का कार्य घटिया सामग्री के उपयोग एवं दोष पूर्ण तरीके से निर्मित होने से ढह गया है ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त नाले से हुई क्षति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषपूर्ण एवं घटिया निर्माण कार्य एवं हुई क्षति के लिये दोषी ठेकेदार एवं विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, श्री गंगानगर द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिये एक बड़ा नाला मीरा मार्ग से नया चक, ट्रेक्टर आटोमोबाइल मार्केट होते हुए सूरतगढ़ रोड तक बनाया जा रहा है। जो कि विकास नगर तक पूर्व में ही बनाया जा चुका है। इसमें से वर्तमान में 3 कार्य प्रथम चरण कार्य आदेश क्रमांक निर्माण/874 से 878 दिनांक 23-11-95 राशि 5 लाख रुपये द्वितीय चरण कार्य 5 लाख रुपये कार्य आदेश संख्या 905 से 90 तथा तृतीय चरण का कार्य आदेश क्रमांक 889 से 894, 5 लाख रुपये के प्रगति पर है चतुर्थ एवं पंचम चरण के कार्य प्रारम्भ होने की स्थिति में है। इसमें से प्रथम चरण के ठेकेदारो को 340151/-रुपये तथा द्वितीय चरण के ठेकेदार को 378996/- रुपये तथा तृतीय चरण के ठेकेदार को 49914/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है। भुगतान की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

राशि से प्रथम चरण का 78 मीटर द्वितीय गई चरण का 100.50 मीटर एवं तृतीय चरण का 129 मीटर नाला निर्माण लगभग 1.80 × 2.20 मीटर चौड़ाई व गहराई के नाप का बनाया गया है।

(2) नाले का घटिया सामग्री एवं दोषपूर्ण तरीके से निर्मित होने के कारण ढह जाना सही नहीं है। लेकिन यह सही है कि प्रथम चरण का लगभग 18 मीटर एवं द्वितीय चरण का लगभग 50 मीटर निर्माण नाले की साइड में अत्याधिक भारी वर्षा से हुए पानी के भराव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। चुंकि निर्माण कार्य चालू था एवं क्षति चालू कार्य में ही हुई है। अतः इसको ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के पुनः बना दिया गया है। सड़क का पूरा पानी नाले की साइड में चला गया, इसमें सड़क की कोई क्षति नहीं हुई है।

(3) नाले के क्षतिग्रस्त होने का कारण नाले की साइड में मिट्टी का कटाव एवं भारी वर्षा होना रहा है। निर्माणाधीन नाले की सामग्री की जांच भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की जांच लेबोरेटरी से करवायी गयी थी जो सही पायी गयी है। इसके लिये कोई दोषी नहीं है।

## चित्रकूट योजना जयपुर के भू-खण्डों का आबंटन

511. **श्री रिछपालसिंह** (डेगाना) एवं **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चित्रकूट योजना जयपुर जिसका प्रकरण गत पांच वर्षों से न्यायालय में लम्बित था, निर्णीत हो गया है? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय दिया गया? यदि हां, तो फैसले की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 20 जून, 1996 की योजना के भू-खण्ड आबंटन की लाटरी निकाल दी गयी है? यदि हां, तो आबंटियों की प्लाटवार/नामवार सूची तथा चित्रकूट योजना के अनुमोदित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी, हां चित्रकूट योजना में सम्बन्धित मामला सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 27-2-96 को निर्णित हो गया है।

(2) जी, हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है। निर्णय की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। आबंटियों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है तथा मानचित्र

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

की प्रतिलिपि प्रतियां तैयार करना अत्यधिक व्ययकारी एवं असाध्य होने की वजह से प्रतियां संलग्न करने की छूट प्रदान की जावे।

**(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)**

## उपखण्ड भोपालगढ़ व ओसियां के नल-कूपों का विद्युत व्यय

**512. श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उप खण्ड भोपालगढ़ व ओसियां में ऐसे कितने नल-कूप हैं जिन पर विद्युत कनेक्शन पहले ले लिया गया जबकि विभाग ने मोटर पम्प बाद में डाले? विद्युत् कनेक्शन की दिनांक एवं पम्प मोटर लोडिंग की दिनांक दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपखण्ड भोपालगढ़ के रजलानी, बाधनी हरीसिंह एवं पड़ासला सियालोकी ढ़ाणी उपखण्ड ओसियां में विद्युत कनेक्शन पिछले वर्ष ले लिया गया था? यदि हां, तो इन नलकूपों से बिना जनता को पानी पिलाये ही कितनी राशि विद्युत विभाग को चुकाई गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) सन्दर्भित उपखण्डों में 1-4-95 के पश्चात नलकूपों पर विद्युत सम्बन्धों की वांछित सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उल्लेखित स्थानों पर विद्युत सम्बन्धों के प्राप्त करने एवं राशि भुगतान इत्यादि का वांछित विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। विद्युत सम्बन्ध के दिनांक विद्युत मण्डल के रिकार्ड के अनुसार है। मण्डल को इनके विरुद्ध कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

**(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट -6 देखें)**

## कोटा शहर में पेयजल व्यवस्था

**513. श्री शांति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में पेयजल वितरण की पाइप लाइनें काफी पुरानी एवं छोटी होने तथा जगह-जगह से आये दिन क्षतिग्रस्त होती रहने के कारण वांछित मात्रा में नागरिकों को पेयजल उपलब्ध होने में काफी असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थान पर बड़ी पाइप लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि कोटा शहर में उत्पादन एवं वितरण का एक ही डिवीजन होने के कारण अत्यधिक कार्यभार (वर्क लोड) रहता है, जिससे काम वक्त पर गति नहीं ले पाता है? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यभार को मद्दे

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नजर रखते हुए दूसरा डिवीजन खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) शहर की वितरण पाइप लाइने कई वर्ष पुरानी होने के कारण अपर्याप्त क्षमता की हो गयी हैं एवं इनसे लीकेज होने की समस्या है। लगभग 54.30 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइनों को बदलने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसमें से 13 किलोमीटर लम्बी नई पाइप लाइन डाली जा चुकी है एवं शेष हेतु कार्य प्रगति में है।

(2) जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

## माल गांव (नागौर) का सार्वजनिक कुआं

514. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम माल गांव तहसील लाडनूं जिला नागौर के गांवाई खुले कुए को गहरा कराने के लिये राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितनी राशि कब किस मद से तथा उसका क्या उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभाग ने गांव वालों को यह आश्वासन दिया था कि इसमें जो मिट्टी, पत्थर आदि पड़े हैं वो गांव वाले दे, तो शेष राशि सरकार देगी ? यदि हां, तो कब तथा अब तक बोरिंग क्यों नहीं हुआ ? क्या यह भी सही है कि इस कुए को गहरा कराने के लिये ठेका हुआ था तथा ठेकेदार को वर्क आर्डर भी दिया गया था ? यदि हां, तो कब तथा ठेकेदार द्वारा क्या कार्य किया गया ?

(3) अब इस कुए को सरकार कब तक गहरा कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, संदर्भित ग्राम हेतु वर्ष 1994 के ग्रीष्मकालीन कार्यों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में रुपये 0.70 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी। इस मद में कोई व्यय नहीं किया गया, लेकिन गांवाई कुए को पूर्व में उपलब्ध एक अन्य नलकूप के पम्प, पाइप, विद्युत, कनेक्शन आदि से कार्य पूर्ण करवा कर चालू कर दिया गया था।

(2) जी, नहीं। इस तरह का कोई भी आश्वासन रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

(3) वर्तमान में 1995 से स्थापित नये नलकूप से पर्याप्त जल आपूर्ति हो रही है। अतः इस कुए को गहरा करने के लिए वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है।

## भिण्डर एवं कानोड (उदयपुर) की पुनर्गठित जल योजना

515. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार ने एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों में पुनर्गठित जल योजना का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय किया है ?

(2) पुनर्गठित जल योजना में किन-किन कस्बों को शामिल किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस योजना में भिण्डर एवं कानोड कस्बे (उदयपुर) को शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार ने वर्ष 1996-97 में 1991 की जनगणना अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले 35 कस्बों की पुनर्गठन योजनाओं पर चालू वित्तीय वर्ष से कार्य प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

(2) पुनर्गठन हेतु प्रस्तावित 35 कस्बों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी, हां।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

## नवलगढ़ के विद्यालयों में हैण्ड पम्प प्रकरण

516. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नवलगढ़ जिला, झुन्झुनूं ने प्राथमिक शालाओं में हैण्ड पम्प लगाने बाबत सर्वे कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को पेश की है ? यदि हां, तो कब व किन-किन प्राथमिक शालाओं की तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के उक्त सम्बन्ध में आदेशों की पालना सहायक अभियन्ता ने करने में कोताही बरती है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध अब कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी, हां। इस वर्ष मार्च एवं अप्रेल के माहों में विकास अधिकारी नवलगढ़ से प्राप्त सूची के अनुसार 41 प्राथमिक शालाओं का सर्वेक्षण किया जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये। इनमें से 23 शालाओं में हैण्ड पम्पों लगाने हेतु स्वीकृति मई, 1996 में जारी कर दी गयी। वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर सलंग्न है।

(2) जी, नहीं। विकास अधिकारी से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

प्राप्त सूची के अनुसार सहायक अभियन्ता द्वारा एक सप्ताह में प्रस्ताव बनाकर अधिशाषी अभियन्ता, झुन्झुनूं को प्रस्तुत कर दिये गये थे। कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

## विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के प्रस्तावित हैण्ड पम्प

517. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की पूर्व पंचायत जयपुरा के लूनियावास, दांतली, गोनेर, जयपुरा, श्री गोविन्दपुरा, उदयपुर, गिलाहरिया आदि के ग्रामों में वर्तमान में कितने हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, उनमें से कितने चालू हालत में हैं तथा कितने खराब हैं? क्या सरकार खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र की पूर्व पंचायत जयपुरा के ग्राम उदयपुर, गिलाहरिया की जामुन वाली ढाणी में कोई हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो सरकार यहां कब तक हैण्ड पम्प लगाने का विचार रखती है?

(3) क्या लूनियावास व मावगढ़ बन्धा में पेयजल टंकियां बनी हुई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा चालू करने में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? क्या वर्तमान में दोनों स्कीमें बन्द हैं?

### उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र के संदर्भित ग्रामों में स्थापित हैण्डपम्पों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | ग्राम का नाम | स्थापित हैण्ड पम्प | सूखे है. प. | परित्यक्त है. प. | कार्यरत हैण्डपम्प |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | लूनियावास | 16 | 1 | — | 15 |
| 2. | दांतली | 17 | 2 | — | 15 |
| 3. | गोनेर | 13 | 1 | 2 | 10 |

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | जयपुरा | 8 | — | — | 0 |
| 5. | श्री गोविन्दपुरा | 2 | — | — | 2 |
| 6. | उदयपुरगिलारिया | 3 | 1 | | 2 |

जी, हां। अप्रेल, 96 से प्रगतिरत हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में सभी अस्थायी रूप से खराब हैण्डपम्पों को सही कर दिया गया है।

(2) जी, नहीं। इस ढाणी में हैण्डपम्प लगाया हुआ नहीं है और ना ही लगाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी, हां। लूनियावास व भावगढ़ बन्धा में पंचायत द्वारा निर्मित पानी की टंकियां बनी हुई हैं। इनको चालू करने के लिये 5.71 लाख रुपये की स्वीकृत योजना में से 4.53 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। योजना को चालू किया जा चुका है लेकिन योजना का संधारण स्थानीय समिति अथवा नगर निगम के द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

## खण्डेला (सीकर) थाने में दर्ज चोरी के प्रकरण

518. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदार पुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) सीकर जिले के खण्डेला थानान्तर्गत चोरी से सम्बन्धित कितने मुकदमे दर्ज किये गये, कितनी चोरियां बरामद की गयी, कितनी चोरियों में बिना बरामदगी के ही एफ. आर. लगाई गयी एवं क्यों ? जनवरी, 1994 से जून, 1996 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाना क्षेत्रान्तर्गत चोरी की वारदात करने वाले अभियुक्तों को थाना ले जाकर छोड़ दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय दायरा एवं अन्य जगह चोर पकड़े जाने के बावजूद बिना बरामदगी के छोड़े जाने में कौन अधिकारी दोषी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(4) क्या उक्त स्कूल में चोरी एवं आगजनी की घटना में पकड़े गये अभियुक्तों से इस क्षेत्र की अन्य ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी ? यदि हां, तो

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

तफतीश एवं पूछताछ के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि दायरा स्कूल में पकड़े गये चोरी एवं आगजनी के अभियुक्त का चालान नहीं किया गया ? यदि, हां तो क्यों ? इसमें दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले के खण्डेला थाने पर जनवरी, 1994 से 30-6-96 तक चोरी के 61 अभियोग दर्ज हुए हैं, जिनमें से 9 अभियोगों में मुलाजिमानों को गिरफ्तार किया जाकर चालान पेश किया गया है एवं 22,54,200 रुपये का माल बरामद किया। दो अभियोगों में एफ. आर. अदम पता मुलजिमान में दी एवं इनमें 10 हजार का माल बरामद किया गया है। एक अभियोग में एफ. आर. अदम वकू (झूठ) में दी गयी। 4 अभियोग पुलिस के पास गैर तफतीश हैं तथा 45 अभियोगों में एफ. आर. अदम पता माल मुलजिमान में दी गयी है, जिनमें भरसक प्रयत्न के बावजूद भी पतारसी माल मुलजिमान नहीं चल सकी। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) राजकीय प्राथमिक विद्यालय दायरा में चोरी होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। उक्त विद्यालय में आगजनी के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 47/94 धारा 457,436 भादंसं दि. 14-3-96 थाना खण्डेला में दर्ज किया गया। कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया एवं एफ. आर. अदम पता मुलजिमान में दिनांक 26-3-94 को दी गयी।

(5) जी, नहीं। अभियोग का अनुसंधान पुनः करने के निर्देश दिये गये हैं। अनुसंधान पूर्ण होने पर पूर्व अनुसंधान में यदि अनियमितताएं पायी गयीं तो तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

## अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति में विलम्ब

519. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राजस्थान पुलिस सेवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति विलम्ब के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पदोन्नतियां करने का इरादा रखती है ? उप पुलिस अधीक्षक से पदोन्नत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कितने हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद से अतिरिक्त पुलिस

(गृह मंत्री)

अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही वर्ष 1995-96 तक के रिक्त पदों के लिये सम्पन्न हो चुकी है तथा अधिकारियों को पदोन्नति की जा चुकी है। वर्ष 1996-97 के रिक्त पदों के लिये पदोन्नति की कार्यवाही करी जा रही है।

(2) वर्ष 1996-97 के रिक्त पदों के लिये पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कुल 119 अधिकारी कार्यरत हैं।

## थाना बस्सी, चाकसू शिवदासपुरा एवं जमवारामगढ (जयपुर) में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मृत्यु

**520. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले के थाना बस्सी, चाकसू, शिवदासपुरा एवं जमवारामगढ़ में जनवरी, 1994 से मई, 1996 तक कितने व्यक्तियों की दुर्घटनाग्रस्त होकर कब-कब मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दुर्घटनाओं में ऐसे कितने मृतक थे जिनका दाह संस्कार या पहचान नहीं हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसी कौन-कौन सी दुर्घटनाएं हुई, जिनके वाहनों का अभी तक भी पता नहीं लगा है एवं न ही पुलिस द्वारा उनको जप्त किया गया ? पुलिस द्वारा अब तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले के थाना बस्सी, चाकसू, शिवदासपुरा एवं जमवारामगढ़ में जनवरी, 1994 से मई, 1996 तक क्रमशः 121, 61, 41, 15 व्यक्तियों की दुर्घटना में मृत्यु हुई विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) दुर्घटनाओं में कुल सात मृतक थे जिनकी पहचान नहीं होने से दाह संस्कार पुलिस द्वारा कराया गया है। इनकी पहचान हेतु मृतक की फोटू अखबार व टी. वी. पर छाया करवाये गये हैं। विवरण परिशिष्ट "क" में निर्दिष्ट है।

(3) वर्ष 1994 से 1996 तक कुल 23 दुर्घटनाएं हुई हैं जिनके वाहनों का अभी तक पता नहीं चल सका है एवं न ही पुलिस द्वारा जप्त किये गये हैं। इन दुर्घटनाओं के वाहनों की तलाश जारी है विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)**

## राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण

**521. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

(1) राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम के तहत जिला राजसमन्द, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, एवं चित्तौड़गढ़ में वर्ष 1995 में विभिन्न थानों में कितने-कितने प्रकरण दर्ज किये गये ?

(2) क्या प्रत्येक प्रकरण में जप्त किये गये पशुओं के रख-रखाव के लिये अस्थाई व्यवस्था की गयी ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम के तहत जिला बांसवाड़ा में 6, डूंगरपुर में 1, उदयपुर में 2, चित्तौड़गढ़ में 34 व राजसमन्द में 2 अपराध पंजीबद्ध हुए।

(2) जी हां। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम के तहत जिला बांसवाड़ा में पंजीबद्ध अपराधों में जप्त शुदा पशुओं के रख-रखाव हेतु गौशाला बांसवाड़ा के सुपुर्द की गयी जिला डूंगरपुर के प्रकरणों में गायों के दाना-पानी की व्यवस्था पुलिस द्वारा प्राइवेट आदमी रख कर की गयी। जिला चित्तौड़गढ़ में जप्त शुदा पशुओं को सांवलियां मन्दिर मण्डल गौशाला मण्डपीया व गोपाल गौशाला चित्तौड़गढ़ में रख-रखाव हेतु सुपुर्द किये गये। जिला उदयपुर में जब्त शुदा पशुओं के दाना पानी हेतु प्राइवेट व्यक्तियों को सुपुर्द किये गये जिस कार्य की पुष्टि जिलाधीश, उदयपुर द्वारा करायी गयी। जिला राजसन्मद के थाना आमेट के दो प्रकरणों में जब्त शुदा पशुओं के दाना पानी की व्यवस्था जन सहयोग से करायी गयी बाद में जिलाधीश राजसन्मद के आदेश से जिमच गौशाला में पशु जमा कराये गये।

## पुलिस थाना राजगढ़ (अलवर) में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

522. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना राजगढ़ (अलवर) में अप्रेल, 1995 से 25 जून, 1996 तक कितने मुकदमें किस-किस धारा के तहत दर्ज हुये ? कितनों का चालान पेश किया गया, कितने मुकदमों में अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मुकदमा नं. 178/96 किसके द्वारा कब दर्ज कराया गया ? उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वादी ने वर्ष 1995 में भी इस सम्बन्ध में इन्हीं मुल्जिमों के खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवं उसकी जांच परिणाम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मुकदमें के मुल्जिम अपराधवृत्ति के व्यक्ति है और आये दिन झगड़ा-फिसाद करते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अपराधियों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना राजगढ़ (अलवर) में 1 अप्रेल, 1995 से 25 जून, 1996 तक थाना राजगढ़ (अलवर) पर कुल 480 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं, इनमें 317 अभियोगों का चालान न्यायालय में पेश किया गया व 121 अभियोगों में एफ. आर. दी गयी तथा 42 अभियोग जेर तफतीश रहे। दर्ज अभियोगों एवं जुर्म धाराओं का विवरण संलग्न है।

(2) अभियोग संख्या 178/96 दिनांक 13-6-96 धारा 147, 447, 323, 324 भादंसं. के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र दौलतराम जाति ब्राह्मण निवासी थाना राजगढ़ द्वारा दर्ज करवाया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं। अभियोग संख्या 178/96 में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## ऋषभदेव (उदयपुर) में दर्ज नर्स हत्या प्रकरण

523. श्री रघुवीरसिंह (सराड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के ऋषभदेव पुलिस थाने के अन्तर्गत सुश्री सुधावती नर्स के हत्या के मामले में उप महानिरीक्षक से जांच कराने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां तो इस मामले की जांच में क्या पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस प्रकरण में कोई दोषी पाया गया? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

उत्तर

(1) पुलिस थाना ऋषभदेव में नर्स की मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीबद्ध अपराध संख्या : 20/96 अन्तर्गत धारा 279, 337, 304 ए. भा. द. स. के अन्वेषण एवं जिला पुलिस अधीक्षक/उपमहानिरीक्षक पुलिस के द्वारा पुनः किये गये परीक्षण/जांच से मामला लापरवाही से वाहन चलाने के फलस्वरूप मृतका की मृत्यु होना पाया गया जिसके लिये उत्तरदायी वाहन चालक अभियुक्त श्री गमेरमल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अभियोग के परीक्षण/जांच से पुलिस द्वारा लिया गया निर्णय सही पाया गया।

(2) किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

## टोंक जिले के पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण प्रकरण

524. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

में टोंक जिले से कुछ पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण दौसा किया था ? यदि हां, तो किन-किन पुलिसकर्मियों का ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिन पुलिस कर्मियों का स्थानान्तरण टोंक से दौसा किया गया था, उनमें से अधिकतर का कार्य एवं व्यवहार ठीक नहीं था और कार्य के प्रति लापरवाह थे ? यदि नहीं, तो टोंक से दौसा स्थानान्तरण किन कारणों से किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पुलिस-कर्मी कार्यभार संभालने के बाद लम्बा अवकाश लेकर छुट्टी पर रहे ? यदि हां, तो कौन-कौन पुलिसकर्मी किस प्रकार का अवकाश कितने दिनों तक लेकर छुट्टी पर रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पुलिसकर्मियों का लम्बा अवकाश लेने के बाद कुछ समय पश्चात् ही पुनः स्थानान्तरण दौसा से टोंक कर दिया गया, यदि हां, तो क्यों ? किन-किन पुलिसकर्मियों को पुनः टोंक में पदस्थापित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जिन लोगों का दौसा से पुनः टोंक स्थानान्तरण किया गया है, सरकार उनको टोंक से अन्यत्र लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। वांछित सूचना का विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर एवं 5 कर्मियों के शिकायतों के आधार पर किये गये थे। स्थानान्तरण के कारण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) स्थानान्तरित 8 पुलिसकर्मी उनके नाम के आगे अंकितानुसार अवधि में अवकाश पर रहे। विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(4) जी, हां। स्थानान्तरित 14 पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण निरस्त किये गये। स्थानान्तरण निरस्त करने के कारण परिशिष्ट "क" अंकित है।

(5) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

## विधान सभा क्षेत्र हवामहल के थाना नाहरगढ़ में दर्ज प्रकरण

525. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हवामहल के नाहरगढ़ थाना में वर्ष 1995-96 में किन-किन मामलों में कितनी-कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री विष्णु मोदी)

(2) क्या यह सही है कि उक्त थाने में दिनांक 14 मई, 1996 को किसी महिला के साथ मारपीट करने के मामले में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा सम्बन्धितों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यो ? सरकार उक्त प्रकरण में अब कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर के पुलिस थाना नाहरगढ़ पर 1 अप्रेल, 1995, से 31 मार्च, 1997 तक दर्ज अपराधों की शीर्षक वाइज निस्तारण सहित सम्पूर्ण सूचना परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(2) दिनांक 14-5-96 को श्रीमती मोहनी देवी पत्नी मोहनदास निवासी 3653, दीनानाथ की गली, जयपुर के साथ मारपीट के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 138/96 धारा 341, 451, 323 भा. द. स. में पंजीबद्ध हुआ है, प्रथम सूचना रिपोर्ट परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरण में मुलजिम श्रीमती निर्मला देवी पत्नी हेमनदास सिंधी उम्र 30 वर्ष निवासी 3653, दीनानाथ की गली, जयपुर के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 8-7-96 को चालान अन्तर्गत धारा 323, 341, 451 भा. द. स. पेश न्यायालय किया गया।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट -8 देखें)

## राजकीय चिकित्सालय, माण्डल (भीलवाड़ा) के वाहन चालक की हत्या का प्रकरण

526. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री भैरूसिंह पुत्र श्री मजासिंह, वाहन चालक राजकीय चिकित्सालय, माण्डल जिला-भीलवाड़ा की दिनांक 25 मई, 1996 को हत्या की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम करवाया गया ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट मय हत्या होने के कारण व हत्यारों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या हत्यारे गिरफ्तार किये गये ? यदि हां, तो कब एवं किन-किन को गिरफ्तार किया गया ? नाम व दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त हत्या के प्रकरण को पुलिस की मिलीभगत से आत्महत्या का रूप दिया गया है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की पुनः उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाकर हत्यारों को दण्डित करने तथा इसमें लिप्त पुलिस कर्मियों को दण्डित

(श्री कुबेरसिंह)

करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । भैरूसिंह पुत्र भंजा सिंह, वाहन चालक, राजकीय चिकित्सालय, मांडलगढ़ ने दिनांक 25-5-96 को स्वयं पर केरोसिन डालकर आग लगाकर आत्म-हत्या की थी । इस सम्बन्ध में थाना मांडलगढ़ पर मार्ग संख्या 4/96 अन्तर्गत धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता दर्ज हुआ है । अब तक की जांच से पाया गया है कि मृतक की पुत्री की शादी मृतक की पत्नी एवं सास द्वारा मृतक की इच्छा के विपरीत अन्यत्र कर देने के कारण दुखी होकर 25-5-96 की रात 8:00 बजे स्वयं द्वारा ही अपने ऊपर केरोसिन डालकर जलकर करना पाया गया है । यह मामला माण्डल का न होकर मांण्डलगढ़ का है । मार्ग संख्या 4/96 की प्रति परिशिष्ट "क" एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ख" संलग्न है ।

(2) मृतक भैरूसिंह की मृत्यु के कारणों की जांच जारी है । हत्या का अपराध अब तक की जांच से नहीं पाया गया है ।

(3) जी, नहीं । प्रकरण शुरू से ही धारा 174 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज हुआ है । दौराने जांच भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है जिससे कि मामला हत्या का होना पाया गया हो । घटना का सत्यापन वृताधिकारी पुलिस, मांडलगढ़ द्वारा किया जा चुका है ।

(4) जांच अभी विचाराधीन है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

## कृषि भूमि से घरेलू कार्य हेतु खनन प्रकरण

527. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खातेदार आसामी द्वारा अपनी कृषि भूमि से घरेलू कार्य और बेचने के लिए पत्थर निकालने हेतु खनिज विभाग से अनुमति लेने के लिए कोई प्रक्रिया अथवा नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों व सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) खातेदार अपनी भूमि से किस-किस प्रकार के पत्थर विभाग की अनुमति से निकाल सकता है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम व आदेश है ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) खातेदार की कतिपय कार्यों के लिये जैसा कि राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 58 के क्लाज (ए) में उल्लेख है, बिना रायल्टी आदि चुकाये व बिना विभाग की अनुमति प्राप्त किये खनन का अधिकार है । इसी नियम के क्लाज (इ) के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी निजी भूमि से उसी भूमि में व्यक्तिगत उपभोग के प्रयोजनार्थ खनिज:

(खनिज मंत्री)

का उत्खनन कर सकता है। नियम 58 की प्रतिलिपि संलग्न है। उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि खातेदार स्वयं की भूमि से खनिज का उत्खनन करना व उसे विक्रय करना चाहता है तो राजस्थान गौण खनिज रियायत, नियम, 1986 के द्वितीय अध्याय में दिये गये प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे हेतु आवेदन कर सकता है। नियम 5 में इस हेतु आवेदन की प्रक्रिया दी गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) खातेदार खनन पट्टा/परमिट प्राप्त कर अपनी भूमि से उन सभी खनिजों को जिनके लिए पट्टा/परमिट स्वीकृत है, निकाल सकता है। ये पट्टे/परमिट राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

## ग्राम ऊववण एवं बालेलाव (पाली) की पहाड़ी पर अवैध खनन

528. श्री भीमराज भाटी (पाली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ऊववण एवं ग्राम बालेलाव, जिला पाली के बीच खेरवा मार्ग पर स्थित पहाड़ी पर खनन का कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है? यदि हां, तो सरकार को अब तक इस पहाड़ी से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है और राजस्व के अनुपात में कितना खनन कार्य किया जा चुका है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पहाड़ी पर खनन कार्य में लगे विभिन्न खनन कर्ताओं के विरूद्ध राजस्व वसूली एवं अन्य अवैध खनन सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार को पिछले वर्षों में 93,230.00 की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह आय 26,326 टन मैसेनरी स्टोन के खनन के हेतु जारी किये गये अल्पावधि अनुमति पत्रों से प्राप्त हुई है।

(2) जी, नहीं।

## मृतक राज्यकर्मी के आश्रित को नियुक्ति प्रकरण

529. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री श्रवणसिंह तत्कालीन उप अधीक्षक, जिला कारागार, चूरू का राज्य सेवा के दौरान दिनांक 24 जुलाई, 1991 को निधन हो गया था? यदि हां, तो उसके आश्रित द्वारा नियुक्ति के लिए दिया गया आवेदन पत्र कब प्राप्त हुआ?

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) क्या उक्त आवेदक को नियमानुसार मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र माना गया है ? यदि हां, तो अब तक नियुक्ति न दिये जाने का क्या कारण हैं व अब कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी ?

(3) क्या नियुक्ति दिये जाने में किये गये विलम्ब के लिये किसी को दोषी माना गया है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । श्री सुरेन्द्र सिंह का आवेदन पत्र दिनांक 12-8-91 को प्राप्त हुआ था ।

(2) जी, हां । श्री सुरेन्द्र सिंह को दिनांक 15-12-92 को प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी गयी थी ।

(3) जी, नहीं । कर्मचारी को नियुक्ति 3.1/2 वर्ष पूर्व ही दी जा चुकी है ।

## फोटो पहचान पत्र हेतु किराये पर लिये गये वाहन

530. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि फोटो पहिचान परिचय पत्र के लिये किराये पर ली गयी जीपों की किराया दरों में भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस बाबत क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? किराया दर एवं शर्त सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या तत्कालीन प्रचलित दर से अधिक दर पर जीप किराये पर लेने के लिए सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया की पालना की गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं वाहनों की उपलब्धता को देखते हुए जीपों की किराया दरों में भिन्नताएं हैं । विभाग द्वारा चुनावों के दौरान वाहन अधिग्रहण करने पर दी जाने वाली दरों को ही वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर जिलों को फोटो पहिचान परिचय पत्र हेतु किराये पर लिये गये वाहनों को भुगतान करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे । चूंकि चुनावों के समय जिन दरों पर अधिग्रहित वाहनों को किराये का भुगतान किया जाता है उन दरों पर वाहन केवल चुनाव प्रक्रिया के समय ही बाध्य कर, लिये जा सकते हैं । अतः तुरन्त आवश्यकता व वाहनों की उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुये कुछ जिलों में किराये राशि का भुगतान निविदा आमंत्रित कर या पूर्व में आमन्त्रित निविदाओं से किया गया है । विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 16-2-95

(निर्वाचन मंत्री)

की प्रति एवं भुगतान की गयी दरों का जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा चुनावों के दौरान वाहन अधिग्रहण करने पर दी जाने वाली दरों पर वाहन मालिक केवल चुनाव प्रक्रिया के समय ही वाहन देने हेतु बाध्य हैं। चुनावों से पूर्व या चुनावों के पश्चात् वाहन मालिक उक्त दरों पर वाहन देने हेतु कानूनन बाध्य नहीं है। अतः कुछ जिलों में सरकारी वाहन विकास कार्यों/लक्ष्यों की पूर्ति में लगे होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सके वहां जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किराये राशि का भुगतान निविदा द्वारा प्राप्त दरों/अन्य विभागों द्वारा दी जा रही दरों के आधार पर किया गया है। विभाग द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने की स्वीकृति भी संलग्न है।

**(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)**

## ग्राम सूंथडा (उनियारा) में नाम बढ़ाने हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

531. **श्री जगदीश प्रसाद मीणा** (उनियारा) एवं **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) वर्ष 1970 की मतदाता सूची में ग्राम सूंथड़ा तहसील उनियारा में कौन-कौन मतदाता थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस मतदाता सूची में नाम बढ़ाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति के ? सूची नाम, पते सहित सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्ष 1970 की कोई मतदाता सूची नहीं बनी है।

(2) चूंकि 1970 में कोई सूची भी बनी इसका प्रश्न नहीं उठता।

## राजकीय रेफरल चिकित्सालय, गुहाला (सीकर) का निरीक्षण

532. **श्री अमरचन्द मिढ्ढा** (सूरतगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजकीय रेफरल चिकित्सालय, गुहाला (सीकर) का निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में कब-कब किया गया तथा निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में कुछ कर्मचारी लम्बे समय से कार्यरत हैं एवं क्षेत्रीय होने व अधिकतर अनुपस्थित रहने के कारण मरीजों को आये दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त चिकित्सालय में तीन साल से अधिक समय से कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं एवं उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में दिनांक 27-7-94, 31-8-94, 28-10-94, 10-12-94, 18-2-95, 20-3-95 वर्ष 1995-96 में 17-7-95, 15-12-95, 20-1-96, 22-5-96 में भ्रमण निरीक्षण करने पर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अनुपस्थित नहीं पाया।

(2) जी, हां। राजकीय चिकित्सालय, गुहाला में कुछ अधिकारी/कर्मचारी लम्बे समय से कार्यरत है परन्तु सभी मुख्यालय पर रहते हैं। अतः मरीजों को परेशानी नहीं होती।

(3) राजकीय चिकित्सालय, गुहाला में तीन वर्ष से अधिक समय से निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

| नाम कर्मचारी | कार्यरत दिनांक |
|---|---|
| 1. डा. एम. एल. जांगिड | 9/91 |
| 2. डा. आर. सी. भटनागर | 12/91 |
| 3. श्री दशरथसिंह, मे. न. 1 | 6/93 |
| 4. ,, उमरावमल, मे. न. 2 | 8/91 |
| 5. ,, पूर्णानन्द, रेडियोग्राफर | 2/92 |
| 6. ,, बृजमोहन स्वा. निरी. | 10/89 |
| 7. ,, रामप्रकाश, व. लि. | 8/90 |
| 8. ,, चन्द्रशेखर शर्मा, क. लि. | 5/93 |
| 9. श्रीमती चन्दानामा, प्रसा. | 2/93 |
| 10. ,, रेखा दर्जी, प्रसा. | 6/93 |
| 11. श्री भगवानसहाय, बा. वा. | 9/56 |
| 12. ,, मालीराम, बा. वा. | 11/64 |
| 13. ,, बनवारीलाल, स्वीपर | 12/64 |
| 14. ,, छीतरमल, बा. वा. | 4/87 |
| 15. ,, जगमोहन, बा. वा. | 1/90 |

इनके विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है केवल इस माह में श्री मालीराम, बा. वा. की शिकायत प्राप्त हुई थी एवं उन्हें जांच उपरान्त चेतावनी दी गयी है।

## ग्राम कानेटी (अलवर) का उप स्वास्थ्य केन्द्र

533. **श्री मदन मोहन (खैरथल):** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मदन मोहन)

(1) ग्राम कानेटी तहसील राजगढ़ जिला अलवर में उप स्वास्थ्य केन्द्र कब एवं किस वर्ष खोला गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्ष 1991 से 1993 तक इस केन्द्र पर किस-किस व्यक्ति ने किस-किस पद पर कब-कब नियमित एवं अस्थाई रूप से कार्य किया तथा अस्थाई कर्मचारी किस अधिकारी के आदेश से पदस्थापित किये गये ? आदेशों की प्रति एवं वर्ष 1991 से 1993 तक स्थाई एवं अस्थाई रूप में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका की प्रति सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री रामजी लाल सैन द्वारा सहायक कर्मचारी के पद पर दिनांक 1 जुलाई, 1991 से लगातार 180 दिन तक इस केन्द्र पर कार्य किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी को उक्त समय के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो वेतन प्राप्ति की रसीद सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त कर्मचारी का वेतन अब तक न देने के क्या कारण रहे है ? क्या सरकार उक्त कर्मचारी को अब वेतन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? वेतन नहीं देने के प्रकरण में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार अब कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार उक्त कर्मचारी द्वारा 180 दिवस लगातार सेवा करने के आधार पर नियुक्ति पुन: देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम कानेटी तहसील राजगढ़ जिला अलवर में उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 1989-90 में खोला गया । प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) वर्ष 1991 से 1993 तक इस केन्द्र पर निम्न कर्मचारियों ने नियमित कार्य किया ।

(1) श्रीमती सरला देवी गुप्ता, प्रसाविका,

(2) श्री विश्वेश्वर दयाल शर्मा, एम. पी. डब्ल्यू.,

उक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य अस्थाई कर्मचारी को इस केन्द्र पर कार्य करने के आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा प्रसारित नहीं किये गये । उपस्थिति पंजिका की छाया प्रति संलग्न है ।

(3) जी, नहीं ।

(4) उक्त व्यक्ति के नियुक्ति आदेश ही कभी जारी नहीं किये गये हैं । अत: वेतन देने का वर्तमान में कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(5) जी, नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान विधान पुस्तकालय में रखी गयी ।)

## नई स्वास्थ्य नीति

534. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार राज्य में नई स्वास्थ्य नीति लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से। प्रारूप सदन की मेज पर रखें एवं वर्तमान में इस नीति की क्या प्रगति है ?

### उत्तर

जी, हां। नीति शीघ्र लागू की जाएगी। नीति के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अतः सदन की मेज पर रखना सम्भव नहीं है।

## विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबूरोड रेफरल चिकित्सालय की दोषपूर्ण व्यवस्था

535. श्री प्रभूराम गरासिया (पिण्डवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा आबूरोड़ स्थित रेफरल चिकित्सालय की व्यवस्था खराब है ? क्या उक्त चिकित्सालय के डाक्टर हास्पिटल में कम और स्वयं की डिस्पेंसरी में ज्यादा मिलते है ?

(2) तहसील आबूरोड व पिण्डवाडा के गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र कितने हैं ? उनमें से कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र अपने स्वयं के भवनों में चल रहे हैं और कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पूरा स्टाफ है ? कितने उप स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित दवाइयां उपलब्ध हैं, कितने गांव ऐसे हैं जिन्हें यह मामूली सुविधा उपलब्ध है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र की नगरपालिका आबू रोड़ आबू पर्वत व पिण्डवाडा जहां जंगली जानवरों एवं सांपों की बहुतायत है और जनता एन्टी पोईजन इन्जेक्शनों के लिये पालनपुर जाती है ?

(4) क्या उक्त क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम केम्प के दिन भी डाक्टर उपस्थित नहीं रहते हैं और नसबन्दी के इच्छुक स्त्री/पुरुष बिना नसबन्दी के अपने घर को लौट जाते हैं ?

(5) क्या सरकार उक्त शिकायतों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं। उक्त चिकित्सालय के डाक्टर समय पर चिकित्सालय में उपस्थित रहते हैं।

(2) तहसील आबूरोड में 25 एवं पिण्डवाडा में 3934 स्वास्थ्य केन्द्र हैं। 42 उपकेन्द्र राजकीय भवन में चल रहे हैं। उपरोक्त उपकेन्द्रों में से दो उपकेन्द्र क्रमशः मावरी व माण्डवाडा खालसा में प्रसाविका का पद रिक्त है। समस्त उपकेन्द्रों पर उचित मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(3) एण्टी स्नेक वीनम तथा एण्टी-रेबिक सीरम के इन्जेक्शन संस्थानों में स्थानीय मांग अनुसार उपलब्ध कराये गये हैं। जंगली जानवर एवं सांप के काटे व्यक्तियों का पालनपुर जाकर इलाज करवाये जाने की जानकारी विभाग को नहीं है।

(4) जी, नहीं। प0क0 केम्प के दिन प्राय: डाक्टर उपस्थित रहते हैं तथा डाक्टर के अभाव में बिना आपरेशन कराये कोई स्त्री, पुरुष नहीं लौटे हैं, केवल आपरेशन के योग्य नहीं होने के कारण ही बिना आपरेशन के लौटना पड़ता है।

(5) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

## राज्य कर्मियों को दन्त चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण

536. डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को नेत्र चिकित्सा, हृदय रोग चिकित्सा इत्यादि के खर्चों का पुनर्भरण करती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि दन्त चिकित्सा के मामले में उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार दन्त चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, हां। चिकित्सा परिचर्या नियम, 1970 के उप नियम 7 (1) के तहत पुनर्भरण किया जा रहा है।

(2) जी, नहीं। दन्त चिकित्सा के मामले में दन्त चिकित्सा खर्चा पुनर्भरण सम्बन्धी प्रावधान प्रमुख प्रकार के रोगों में ही लागू है। वे रोग जिनके निदान से यह पता चले कि दन्त ही उस रोग का वास्तविक स्रोत है बशर्ते उपचार प्रमुख प्रकार का हो जैसे—अस्थि रोग का उपचार, दांतों का क्षतिग्रस्त होना, अक्ल दाढ़ का पूर्णत: निकालना। परन्तु इनमें पायरिया एवं दन्त मास कोष रोग सम्मिलित नहीं है।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

## बी. सी. जी. कला प्रवीण व्यक्तियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रकरण

537. श्री महादेव सिंह (खण्डेला): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग बी. सी. जी. कला प्रवीण के पद पर नियुक्त हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाता है ? यदि हां, तो यह प्रशिक्षण किस वर्ष तक दिलवाये गये।

(श्री महादेवसिंह)

क्या अब भी यह प्रशिक्षण दिलवाया जाता है ?

(2) वर्ष 1985 में बी. सी. जी. कला प्रवीण के कितने पद रिक्त थे ? कितने व्यक्तियों को जो प्रशिक्षण शुदा थे नियुक्ति दी गयी ?

(3) क्या वर्ष 1985 का प्रशिक्षण शुदा कोई व्यक्ति अभी तक भी नियुक्ति हेतु शेष है, जिसे नियुक्ति दी जानी है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करवाने के पश्चात् अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गयी ? क्या इस सम्बन्ध में किसी का कोई प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जावेगी ? वर्ष 1985 के नियुक्त व्यक्तियों की सूची व प्रशिक्षण शुदा व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) वर्तमान में बी. सी. जी. कला प्रवीण के कितने पद रिक्त हैं ? इन्हें भरने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग बी. सी. जी. कला प्रवीण को प्रशिक्षण प्रदान करवाता था । यह प्रशिक्षण वर्ष 1985 तक दिलवाये गये । अब यह प्रशिक्षण नहीं दिलवाये जाते ।

(2) वर्ष 1985 में बी. सी. जी. कला प्रवीण के पद रिक्त नहीं थे । वर्ष 1985 में किसी भी प्रशिक्षित व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी गयी ।

(3) 1985 के एक व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जा सकी, क्योंकि उसका नाम नियोजन कार्यालय द्वारा नियुक्ति हेतु अग्रेषित नहीं किया गया । वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है । वर्ष 1985 के प्रशिक्षण शुदा व्यक्ति की सूची संलग्न है । 1985 में किसी को नियुक्ति नहीं दी गयी ।

(4) वर्तमान में बी. सी. जी. कला प्रवीण के 8 पद रिक्त हैं । परन्तु बी.सी.जी. टीका लगाने का कार्य बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । अतः बी. सी. जी. कला प्रवीण का पद भरने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, और इसे डांइग केडर करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

## राजकीय चिकित्सालय ब्यावर/नसीराबाद/किशनगढ़ के ठेकेदारों का लम्बित भुगतान

538. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ राजकीय चिकित्सालयों में सफाई व रोगियों को देय भोजन के कार्य में लगे ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने समय से यह भुगतान

(श्री किशन मोटवानी)

नहीं किया जा रहा है तथा भुगतान रोकने के कारण क्या है ?

(2) सरकार अब कब तक उक्त ठेकेदारों को भुगतान करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । जिला चिकित्सालय ब्यावर में सफाई के ठेके का भुगतान मई, 1996 से राजकीय चिकित्सालय नसीराबाद में सफाई के ठेके का भुगतान 4/96, तथा भोजन का भुगतान 2/96, और सामान्य चिकित्सालय किशनगढ़ में भोजन का भुगतान 2/96 से बजट के अभाव में नहीं किया गया है।

(2) वार्षिक योजना 1996-97 का बजट पारित होने पर ठेकेदारों को भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा ।

## विधान सभा क्षेत्र गंगरार के बस्सी कस्बे में चिकित्सा सुविधा

539. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गंगरार के बस्सी कस्बे में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वहां स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं ?

(2) बस्सी कस्बे के चिकित्सालय में कितने चिकित्सक/कर्मचारी पदस्थापित है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या बस्सी कस्बे के चिकित्सालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी और नहीं, तो कब तक सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, विधान सभा क्षेत्र गंगरार के बस्सी कस्बे में (वर्ष 1988-89 से) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

(2) बस्सी कस्बे में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अस्वीकृत कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

| | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---|---|---|---|
| चिकि. अधि. | 2 | 2 | .... |
| सिस्टर | 1 | 1 | .... |
| नर्स-II | 5 | 4 | 1 |
| प्रयोगशाला तकनिशियन | 1 | 1 | .... |
| वार्ड ब्याय | 4 | 4 | .... |

(3) जी हां, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, में बस्सी 6 रोगी शैय्याएं, रोग निदान हेतु प्रयोगशाला, माइनर आपरेशन की सुविधा पुरुष एवं महिला चिकित्सक द्वारा उपचार, मातृ एवं शिशु कल्याण की सुविधा, टीकाकरण की सुविधा इत्यादि उपलब्ध है ।

## कृषि उपज मण्डी अलवर द्वारा निर्मित सड़क की मरम्मत

540. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर द्वारा निर्मित सम्पर्क सड़क मुबारिकपुर से निकच को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव एवं मरम्मत के लिए अपने अधीन ले लिया है? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क को विभाग द्वारा कब अपने अधीन लिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क के मध्य में एक नदी पड़ती है एवं गत वर्ष अतिवृष्टि (बाढ़) होने के कारण यह सड़क नदी के हिस्से से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई थी एवं इस स्थान पर बाढ़ के कारण दो व्यक्तियों की बहकर मौत भी हो गयी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने राजस्थान मार्केटिंग बोर्ड, जो कि इस नदी पर पुलिया का निर्माण कराने की योजना रखता था, को भी यह कह दिया गया कि इस सड़क की मरम्मत वगैरहा अब सार्वजनिक निर्माण विभाग करायेगा ? यदि हां, तो अभी भी उपरोक्त सड़क पर पुलिया का निर्माण क्यों नहीं कराया गया ?

(4) सरकार इस सम्पर्क सड़क की नदी पर पुलिया का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) उक्त सड़क विभाग की मरम्मत सूची में सम्मिलित नहीं है इसलिये जानकारी देना सम्भव नहीं है।

(3) जी, नहीं।

(4) सड़क अभी कृषि उपज मण्डी की संधारण सूची में है अत: इस विषयक उत्तर मण्डी से सम्बन्धित है।

## रींगस-श्रीमाधोपुर (सीकर) मार्ग पर अतिक्रमण

541. श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रींगस से श्रीमाधोपुर (जिला-सीकर) सड़क पर महरोली मोड़ के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त अतिक्रमण को हटाकर सरकार द्वारा भूमि अपने कब्जे में लेने के लिए कब-कब क्या-क्या प्रयास किये गये ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार की लापरवाही के कारण अतिक्रमणकर्ता द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग से मिलीभगत कर उक्त भूमि को अपने नाम करवाने का प्रयास किया गया है ?

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

(4) क्या सरकार यह भूमि पुनः अपने कब्जे में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। माननीय मंत्री जी के माध्यम से एक शिकायत माह सितम्बर, 1994 में विभाग को प्राप्त हुई थी।

(2) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण होने की जांच की गयी एवं अतिक्रमित भूमि के रिकार्ड राजस्व विभाग से प्राप्त कर ए. सी. जे. एम. न्यायालय श्री माधोपुर में भूमि हस्तानान्तरण हेतु दावा माह जुलाई, 1996 में पेश कर दिया।

(3) जी नहीं।

(4) जी, हां। न्यायालय से खाता दुरूस्ती के आदेश प्राप्त होते ही भूमि पुनः विभाग के कब्जे में ले ली जावेगी।

## डीडवाना कलवाणी सड़क निर्माण की स्वीकृति

542. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत वित्तीय वर्ष में डी. आर. डी. ए. नागौर द्वारा डीडवाना से कलवाणी सड़क निर्माण की स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना को आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई थी ? यदि हां, तो कब स्वीकृति हुई और कार्य कब शुरू हुआ तथा अब तक कितने मजदूरों ने कार्य किया तथा इस कार्य के सम्बन्ध में अब कब तक कितनी राशि किस-किस कार्य में व्यय की गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे है वह वर्ष में कई दिन बन्द रहते हैं ? यदि हां, तो किस माह से किस माह तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीडवाना को गत वर्ष और चालू वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत और भी स्वीकृतियां दी गयी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी कब-कब, कितनी–कितनी राशि की तथा उनका कार्य कब-कब शुरू हुआ, कब पूरा हुआ तथा कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। यह कार्य की स्वीकृति दिनांक 10-2-1996 को दी गयी तथा कार्य 1-6-1996 को शुरू किया गया है। अभी तक इस कार्य पर कुल 1980 मानव दिवस कार्य पर लगाये गये। जिसमें रुपये 63,000/-व्यय किये गये तथा मिट्टी को खान पर एकत्रित किया गया।

(2) जी, हां। यह सही है कि इस योजना के अन्तर्गत सम्पादित कार्य साधारण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तथा माह जुलाई से अक्टूबर तक बन्द रहते है ।

(3) जी, हां । गत वर्ष 1995-96 में और भी स्वीकृतियां दी गयी जिनका विवरण परिशिष्ट "क" में वर्णित किया जा रहा है । इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 1996-97 में भी जारी स्वीकृतियों का विवरण परिशिष्ट "ख" में वर्णित है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया )

## विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के सड़क विहीन पंचायत मुख्यालय

543 श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुये नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत हसामपुर से ग्राम पंचायत लादिकावास सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है ? यदि हां, तो अब इसे कब तक सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमका थाना में 5 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े नहीं है । सूची निम्न प्रकार है :—

1. घासीपुरा 2. मोकलवास

3. रामसिंहपुरा 4. आगवाड़ी

5. शिराना

(2) जी, हां । ग्राम पंचायत हसामपुर पूर्व में ही डामर सड़क पर स्थित है एवं ग्राम पंचायत लादीकाबास ग्राम पंचायत टोडा से ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है । अतः इस सड़क का निर्माण सड़क विकास नीति के अन्तर्गत नहीं आता है ।

## ग्राम छाणी बलीचा (उदयपुर) सड़क की अपूर्ण पुलिया

544. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निर्वाचन क्षेत्र खैरवाड़ा जिला उदयपुर के ग्राम छाणी बलीचा सड़क पर चितौड़ा में एक पुलिया का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पुलिया अभी तक अधूरी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त अधूरी पुलिया को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) यह कार्य वर्ष 1994-95 में शुरू किया गया था ।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी, हां। ठेकेदार के दुर्घटनाग्रस्त होने एवं तत्पश्चात् मृत्यु होने के कारण कार्य बीच में रह गया।

(3) जी, हां। इस पुलिया का कार्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा।

## विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में स्वीकृत सड़कें

545. श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में एनटी. इकोयटी मद में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई ? 1996-97 में कितनी राशि खर्च की जाएगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एनटी. इकोयटी मद में स्वीकृत सरमथुरा से चन्देरीपुरा सड़क पूर्णतः अस्तव्यस्त पड़ी है तथा अन्य सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो सरकार इन सड़कों की कब तक मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

(3) इस योजना में निर्मित सड़कों पर निर्माण के बाद मरम्मत पर सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में एनटी. इकोयटी मद में 6 (छः) सड़के स्वीकृत हुई। इस मद में वर्ष 1996-97 में 30.00 लाख रुपये व्यय किये जाना प्रस्तावित है। स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" में तथा वर्ष 1996-97 में किए जाने वाले प्रस्तावित खर्चे का विवरण परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(2) जी, हां। इस मद में निर्मित अन्य सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं हैं। सरमथुरा चन्देलीपुरा सड़क के क्षतिग्रस्त किलोमीटरों की मरम्मत का 40.00 लाख रुपये का प्रस्ताव वर्ष 1996-97 की "वार्षिक" योजना में किया गया है।

(3) इस योजना में निर्मित सड़कों पर निर्माण के बाद विभिन्न वर्षों में मरम्मत पर व्यय की गयी राशि रुपये 31.23 लाख का विवरण परिशिष्ट "स" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्रामों की निर्माणाधीन सड़कें

546. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चौथ का बरवाड़ा में रेल्वे स्टेशन, कृषि उपज मण्डी, उप तहसील और चौथ माता का मन्दिर होने के कारण एक धार्मिक स्थल भी है ? जिससे यहा प्रतिदिन हजारों की संख्या में किसान, व्यापारी, यात्री और आम जनता आते-जाते रहते हैं ? क्या उक्त कारण

(श्री हरिनारायण बैरवा)

चोक से चौथ का बरवाड़ा तक सड़क की चौड़ाई कम पड़ती है ? क्या सरकार चोक से चौथ का बरवाड़ा तक सड़क को चौड़ा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि भगवतगढ़ से चौथ का बरवाड़ा तक सड़क नहीं है, जिसके कारण भगवतगढ़ के साथ लगे बीस गांवों की जनता को चौथ का बरवाड़ा आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि पंचायत मुख्यालय मैंडोला का चौथ का बरवाड़ा से और पंचायत मुख्यालय आदलवाड़ा कलां का भगवतगढ़ से सड़कों का कार्य निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो क्या मैंडोला को आदलवाड़ा कलां तक और जोड़ने से बीस गांवों को लाभ मिलेगा ? क्या सरकार भगवतगढ़ को चौथ का बरवाड़ा तक जोड़ने के लिए आदलवाड़ा कलां से मैंडोला तक जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक !

उत्तर

(1) जी, हां । सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है ।

(2) जी, हां । वर्तमान में भगवतगढ़ से चौथ का बरवाड़ा के बीच डामर की सड़क नहीं है ।

(3) जी, हां । पंचायत मुख्यालय मैंडोला का चौथ का बरवाड़ा से और पंचायत मुख्यालय आदलवाड़ा कलां का भगवतगढ़ से ग्रेवल सड़क का कार्य निर्माणाधीन है । वर्तमान में आदलवाड़ा कलां से मैंडोला तक सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

## तहसील लूणकरणसर (बीकानेर) की मरम्मत योग्य सड़कें

547. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला-बीकानेर की तहसील-लूणकरणसर में सड़कों की न तो कभी विभाग द्वारा मरम्मत कराई गयी हैं और न ही निम्नांकित वर्तमान सड़कें मिट्टी भरी होने के कारण यातायात योग्य हैं :—

1. आर. डी. 710 से डेली तलाई
2. पूगल से डेलीतलाई वाया गणेशवाली
3. पूगल से आड़री
4. आडरी से मेकेरी
5. लूणकरणसर से मनाफरसर वाया नालवाना, किसनासर राजपुरा हुडा ।

(2) यदि हां, तो सरकार उक्त सड़कों की कब तक मरम्मत करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) उक्त सड़कों का मरम्मत व मिट्टी हटाने का कार्य समय समय पर आवश्यकता अनुसार कराया जाता है।

## जगर बांध से सिंचाई सुविधा

548. श्री कमल (हिण्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जगर बांध से निकाली गई नहर से कालवाड़ी, राराशाहपुर, शेरपुर, चिनायठा, खेड़ी हैवत आदि गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई माइनर निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो उक्त माइनर का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि जगर बांध पर स्थित रेस्ट हाउस तक की पक्की सड़क निर्माण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जगर बांध के आधुनिकीकरण के संशोधित तखमीने प्रस्तावित हैं, में कालवाड़ी, रारापुर, शेरपुरा, बिनायठा खेड़ी आदि गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक नहर प्रस्तावित है। जगर बांध आधुनिकीकरण योजना तकनीकी मानदण्डों में स्वीकार्य पाये जाने पर इसकी प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति एवं वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर उक्त प्रस्तावित नहर का निर्माण करवाना सम्भव होगा।

(2) जी, नहीं। जगर बांध पर स्थित रेस्ट हाउस तक की पक्की सड़क निर्माण की योजना अभी तक प्रस्तावित नहीं है।

## बन्ध बारेठा (भरतपुर) की प्रस्तावित नहर

549. श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में कौन-कौन से बांध लघु सिंचाई योजना में आते हैं ?

(2) क्या इनकी बैनीफिट कोस्ट रेशों की राशि उचित आती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या बैनीफिट कोस्ट रेशों में मछलियों के ठेकों की राशि भी सम्मिलित की जाती है ?

(3) क्या बन्ध बारेठा (भरतपुर) की नहरों में स्टेट टाइम से आज तक परिवर्तन या प्रोग्रेस हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसी बांध से भरतपुर शहर को पेयजल एवं कृषि हेतु भी पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या नहर नं. 3 की लाईनिंग 0 से 200 चैन तक पक्की कराना आवश्यक है ? यदि हां, तो अब कब तक इन्हें पक्की करा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना में मात्र कैर बांध ही लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत आता है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी, हां। इसकी बी. सी. रेशों की राशि निर्धारित मापदण्ड से अधिक आने पर ही बांध का निर्माण किया गया है। बैनीफिट कोस्ट रेशों कम आने पर भी मछलियों के ठेकों की राशि सम्मिलित नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं, स्टेट टाइम से आज तक नहरों का रख-रखाव ही किया जाता रहा है। क्योंकि बांध की कैपेसिटी के अनुसार यह व्यवस्था उपयुक्त है। यह सही है कि इसी बांध से भरतपुर शहर को पेयजल दिया जाता है एवं कृषि हेतु भी पानी दिया जाता है। नहरों के रिनोवेशन का तखमीना तैयार किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार अधिक सीपेज वाले स्थानों पर लाइनिंग भी सम्मिलित की जावेगी। अतः बारेठा बांध की नहर नम्बर 3 की 0 चैन से 24 चैन तक की लाइनिंग प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत वांछित बजट उपलब्ध होने पर कार्य करवाया जा सकेगा।

## पंचायत समिति जहाजपुर (भीलवाड़ा) की पम्पसेट योजना

550. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1992-93 से 1995-96 के बीच सामूहिक पम्पसेट योजनान्तर्गत पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को स्वीकृतियां जारी की गयी ? यदि हां, तो समूह के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पम्पिंग सेट जिन लोगों के समूह को दिये गये उनके पास ही हैं ? यदि हां, तो इसका कब-कब भौतिक सत्यापन किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन लोगों को समूह बनाकर पम्पिंग सेट दिये गये उनमें से कई खानापूर्ति कर अन्य लोगों द्वारा उठा लिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत आई है ? क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अब प्रत्येक सामूहिक पम्पसेट के समूह की जांच एवं भौतिक सत्यापन कराने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1992-93 से वर्ष 1996-96 के बीच राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एव विकास सहकारी निगम की सामूहिक पम्प सेट योजनान्तर्गत पंचायत समिति, जहाजपुर जिला भीलवाड़ा की 42 समूहों की स्वीकृतियां जारी की गयी। समूहों के समस्त नाम व विवरण सहित सूची परिशिष्ट "1" के अनुसार सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। वर्ष 1992-93 से

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

1994-95 तक वितरित किए पम्पसैटों का भौतिक सत्यापन माह अगस्त 1994 में किया गया था। भौतिक सत्यापन का विवरण परिशिष्ट "1" के कालम संख्या 8 के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। जिन लोगों को समूह बनाकर पम्पसैट दिए गए थे वे उन्हीं लोगों के पास ही हैं। मात्र एक कृषक की शिकायत जिला कलक्टर को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच करवायी जा रही है।

(4) जी, नहीं। राजस्थान अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम की योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वितों की परिसम्मपतियाँ संसाधनों का भौतिक सत्यापन करने के लिये निर्धारित मापदण्ड हैं। मापदण्डानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) की बालवाड़ो योजना

551. श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण बोर्ड के अधीन कार्यरत समाज कल्याण योजना निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) में बालवाड़ी के बच्चों के लिये वित्तीय वर्ष 1995-96 में खाद्य सामग्री यथा बिस्कुट्स आदि के लिये कोई राशी स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो कितनी राशि एवं उसमें से किस-किस प्रकार यह राशि किस-किस केन्द्र पर कितनी-कितनी व्यय की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 20 दिसम्बर, 1995 को रानीखेड़ा, बिनौदा, सतखन्दा आदि केन्द्रों पर पदस्थापित ग्राम सेविकाओं से फर्जी तौर पर बिस्कुट्स प्राप्त करने के सम्बन्ध में समाज कल्याण योजना की अध्यक्ष द्वारा बिस्कुट प्राप्ति पत्र लिखवाये गये है, यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इसके वितरण एवं फर्जी प्राप्ति के लिये जाने के मामले की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

(3) यदि नहीं, तो प्राप्त किये गये बिस्कुट्स का वितरण किस-किस तिथि को कहां-कहां किस-किस को किया गया ? स्टाक रजिस्टर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) इस अनियमितता के लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार दबावपूर्वक कराये गये इस कार्य की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1994-95 में

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

संचालित 6 बालवाड़ी केन्द्रों के लिए खाद्य आपूर्ति हेतु 5,000.00 रुपये का प्रावधान रखा गया था। संलग्न विवरण परिशिष्ट (अ) के अनुसार प्रत्येक केन्द्र पर रुपये 645.00 व्यय कर 2 कार्टन बिस्कुट के 26-11-94 व 23-1-95 को सम्बन्धित ग्राम सेविकाओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराये गये थे।

(2) जी, नहीं। अध्यक्षा द्वारा फर्जी तौर पर बिस्कुट प्राप्त करने सम्बन्धी पत्र लिखवाये जाने का कोई प्रकरण विभाग के ध्यान में नहीं आया है। फिर भी इस प्रकरण की जांच करवा ली जावेगी।

(3) वितरण किये गये बिस्कुटों के स्टाक रजिस्टर की प्रविष्टि की प्रति परिशिष्ट (ब) पर संलग्न है।

(4) दबावपूर्वक कार्य करवाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर निश्चित रूप से अनियमित कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में अकाल राहत कार्य

552. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में कहां-कहां अकाल राहत कार्य, कितनी-कितनी राशि एवं श्रमिक संख्या के स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि के दौरान पूर्व में स्वीकृत कार्य जो अधूरे थे, को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवाया गया? यदि हां, तो किस-किस को? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त वर्षों में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो गये तथा कौन से अपूर्ण रहे, अपूर्ण रहने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को अभी भी पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस मद से किसके द्वारा कब तक। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में स्वीकृत अकालराहत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "एक")

(2) जी, हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "दो")

(3) पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है (परिशिष्ट "एक")

(राज्य मंत्री, अकाल सहायता)

(4) अधूरे अकाल राहत कार्यों को विभागीय बजट से अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में जिला कलक्टरों को निर्देश दिये हुये हैं।

**(विवरण/सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)**

## राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में कार्यरत कर्मियों को चुनाव लड़ने हेतु अनुमति

5583. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में, विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी अथवा शिक्षक को लोकसभा/विधान सभा/स्थानीय निकायों के निर्वाचन में भाग लेने के लिये अनुमति के सम्बन्ध में नियम क्या है? विश्वविद्यालय के सम्बन्धित स्टेट्यूट्स (विधान) अथवा ऑर्डिनेंस (अध्यादेश) की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विश्वविद्यालय के किस निकाय अथवा प्राधिकारी को सम्बन्धित नियमों में किसी कर्मचारी अथवा शिक्षक को लोकसभा/विधान सभा/स्थानीय निकायों के चुनावों में खड़े होने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति दी गयी है?

(3) वर्ष 1993 के विधान सभा चुनावों, वर्ष 1994-95 में हुए स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति, जिला परिषद् अथवा नगर परिषद) के चुनावों तथा वर्ष 1996 में हुए लोक सभा चुनावों में किन-किन विश्वविद्यालय कर्मचारियों अथवा शिक्षकों को किस-किस चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होने की अनुमति प्रदान की गयी? प्रत्येक निकाय के सम्बन्ध में, विश्वविद्यालय कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की दी गयी अनुमति का विवरण सदन की मेज पर रखें, तथा सक्षम प्राधिकारी या निकाय द्वारा दी गयी अनुमति की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों अथवा शिक्षक को लोकसभा/विधान सभा नागरिक व स्थानीय निकायों के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अनुमति अध्यादेश 384-ए में प्रदान की गयी है, जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उपरोक्त अध्यादेश 384-ए में अनुमति देने का अधिकार सिण्डीकेट को है। कुलपति के आदेश सिण्डीकेट की आगामी बैठक में पुष्टि हेतु रखे जायेंगे। कुलपति ने यह आदेश अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन जारी किये हैं।

(3) अध्यादेश 384-ए के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 एवं 95 में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों तथा वर्ष 1996 में लोकसभा चुनावों में जिन विश्वविद्यालय

(उच्च शिक्षा मंत्री)

कर्मचारियों अथवा शिक्षकों को अनुमति दी गयी है, उनकी सूची तथा आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

## पोलिटेक्निक कॉलेज, अलवर द्वारा संचालित ट्रेनिंग सेण्टर

554. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर पोलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा कौन-कौन से ट्रेनिंग सेंटर पिछले दो वर्षों में किन-किन स्वयं सेवी संस्थाओं को दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अन्नपूर्णा नगीना बिदाई केन्द्र एवं रूपवास अलवर में चलने वाला टेलरिंग प्रोजेक्ट किस के द्वारा स्वीकृत किया गया और क्या इसका कार्य संतोषजनक है? यदि नहीं, तो प्रोजेक्ट आफिसर ने इन पर क्या रिमार्क दिया था और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) अलवर पोलिटेक्निक कॉलेज ने पिछले दो वर्षों में जिन संस्थाओं को ट्रेनिंग सेंटर दिये, क्या वे सभी 3-4 वर्ष पुरानी संस्था है? यदि नहीं, तो क्या ये नियम के विरुद्ध है? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(4) अलवर पोलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा दिये गये ट्रेनिंग सेंटर्स की संस्थाओं को क्या पूर्ण भुगतान कर दिया गया है?

उत्तर

(1) अलवर पोलिटेक्निक कॉलेज में चल रहे सामुदायिक पोलिटेक्निक योजना के तहत किसी भी स्वयं-सेवा संस्था को गत दो वर्षों में कोई प्रशिक्षण सेंटर चलाने की स्वीकृति नहीं दी गयी।

(2) अन्नपूर्णा नगीना बिदाई केन्द्र एवं रूपवास अलवर में टेलरिंग प्रोजेक्ट से सामुदायिक पोलिटेक्निक का कोई नहीं है। सामुदायिक पोलिटेक्निक द्वारा ग्रेनाइट ड्रिलिंग का प्रशिक्षण एक माह के लिये पुलिस लाइन क्षेत्र, अलवर में चलाया गया था। जिसकी प्रशिक्षिका श्रीमती अन्नपूर्णा थी, इन्हें प्रशिक्षक के मानदेय की रुपये 15/-प्रति घंटे की निर्धारित दर से 2 घंटा प्रतिदिन एक माह तक कार्य करने का रुपये 840/- का भुगतान किया गया। इसी प्रकार रूपवास, अलवर में पिछड़े एवं निम्न वर्ग की महिलाओं के लिये 2 माह का कटिंग एवं टेलरिंग का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। जिसकी प्रशिक्षिका श्रीमती सुमन सिंह थी। इस कार्य के लिये निर्धारित मानदेय की दर से 3 घण्टा प्रतिदिन के तीन माह कार्य करने के प्रशिक्षक मानदेय रु. 2205/- का भुगतान किया गया।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(3) अलवर पोलिटेक्निक द्वारा किसी स्वयं सेवी गैर सरकारी संस्था को सामुदायिक पोलिटेक्निक के अन्तर्गत कोई सेंटर चलाने के लिये स्वीकृति नहीं दी गयी।

(4) अलवर पोलिटेक्निक द्वारा जब किसी भी स्वयं सेवी गैर सरकारी संस्था को ट्रेनिंग सेंटर खोलने की स्वीकृति नहीं दी गयी तो उन्हें भुगतान का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

## राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में विद्यार्थियों के प्रवेश में अनियमितताएं

555 श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश के निमम क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये निर्धारित नियमों का पालन हुआ है?

(3) वर्ष 1995-96 में प्रवेश के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि, तथा विलम्ब शुल्क के पश्चात् प्रवेश की अन्तिम तिथि क्या थी? इस अन्तिम तिथि के पश्चात् किस-किस इकाई में कितनी-कितनी संख्या में तथा किन-किन विद्यार्थियों के प्रवेश किस किस तारीख को हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों तथा संघटक कॉलेजों में प्रवेश के लिये निर्धारित नियमों के अन्तर्गत बनी मेरिट सूची के अलावा भी क्या प्रवेश दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) मेरिट के अलावा दिये गये प्रवेशों के लिए अनुमति किसने प्रदान की? प्रवेश के लिए निर्धारित नियमों की क्या कुलपति को मेरिट के अलावा प्रवेश के लिये निर्देश देने का कोई स्वविवेकाधीन अधिकार प्राप्त है? यदि हां, तो सम्बन्धित नियम, स्टेट्यूटस अथवा ऑर्डिनेंस की सदन प्रति की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय में एम. सी. ए. पाठ्यक्रम में ऐसे छात्रों को भी कुलपति के आदेश पर प्रवेश दे दिया गया है, जो प्रवेश के लिए ली गई सत्र के आरम्भ में परीक्षा में या तो सम्मिलित नहीं हुए अथवा उत्तीर्ण नहीं हो सके? यदि हां, तो कितनी संख्या में, तथा किन-किन छात्रों को कुलपति के आदेश के अधीन, बिना मेरिट के ही एम. सी. ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश सम्बन्धित नियम विश्वविद्यालय विवरणिका

(उच्च शिक्षा मंत्री)

में उल्लेखित है। विश्वविद्यालय से प्राप्त नियमों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सामान्यतः नियमों का पालन हुआ है। कतिपय मामलों में कुलपति महोदय ने अध्यादेश 87 ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रवेश हेतु अनुमति दी है।

(3) विभिन्न संकायों में प्रवेश की तिथियां निम्न प्रकार है :–

1. बी. ए./ बी. काम./ बी. एस. सी. — 20/6/95 बिना विलम्ब शुल्क; 27/6/95 विलम्ब शुल्क सहित
2. एम. ए./ एम. काम./ एम. एस. सी. — 22/7/95 बिना विलम्ब शुल्क; 29/7/95 विलम्ब शुल्क सहित
3. एल. एल. बी. — 25-8 95 बिना विलम्ब शुल्क; 2-9-95 विलम्ब शुल्क सहित
4. एम. बी. ए. — 18-11-95 बिना विलम्ब शुल्क; 28-11-95 विलम्ब शुल्क सहित
5. एम. सी. ए. — 21-8-95 बिना विलम्ब शुल्क; 26-8-95 विलम्ब शुल्क सहित
6. डिप्लोमा पाठ्यक्रम-अर्हक परीक्षा के परिणाम के अनुसार।

छात्रों द्वारा आवेदन फार्म जमा कराने में विलम्ब को माफ करने हेतु केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा सत्र 1995-96 में की गयी संस्तुति की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है। छात्रों के नामों तथा प्रवेश तिथियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) जी, हां। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों तथा संघटक कालेजों में प्रवेश के लिए निर्धारित नियमों के अन्तर्गत बनी मेरिट सूची के अलावा भी प्रवेश दिये गये हैं। संघटक कालेजों में ऐसे प्रवेशों का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(5) मेरिट के अलावा दिये गये प्रवेशों के लिये कुलपति महोदय द्वारा अनुमति प्रदान की गयी। कुलपति महोदय ने अध्यादेश 87 ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुमति दी। अध्यादेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(6) विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार श्री संजय पाठक व श्री मनीष पाठक एम. सी. ए. में प्रवेश परीक्षा में बैठे थे

(उच्च शिक्षा मंत्री)

साथ ही यह भी सूचित किया है कि प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किये जाते हैं और वे उत्तीर्ण हुए या नहीं यह सूचना देना सम्भव नहीं है। इन दोनों छात्रों को खेलकूद की स्थिति को ध्यान में रखकर कुलपति महोदय ने 87 ए अध्यादेश में प्राप्त शक्तियों से इनके प्रवेश के आदेश किये हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री अध्यक्ष** : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :--

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले में बाढ़ का पानी भरा होने तथा वहां के नागरिकों द्वारा इस पानी का सेवन करने से हैजा फैलने तथा कतिपय व्यक्तियों की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा एवं श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के ग्राम मीणों की झोंपड़ियों में अकाल राहत कार्यों के तहत सुरन्जा निर्माण की स्वीकृत राशि के कथित दुरुपयोग से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(3) श्री लक्ष्मणसिंह रावत एवं 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों से कथित अशोभनीय व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत एवं 11 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी के सर्किट हाउस में राज्य के सहकारिता मंत्री के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा कथित दुर्व्यवहार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : + + + करने के सम्बन्ध में।

**श्री अध्यक्ष** : एक्सपंज कीजिए।

(5) श्री भीमसेन चौधरी, एवं दो अन्य तथा श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के छात्रों पर दिनांक 15 जुलाई, 1996 को पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज से छात्रों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

(6) श्री परसादीलाल मीणा एवं दो अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर जिले की बहरोड़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा कथित भ्रष्टाचार

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

व अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन अनुमति पर देने में मैं असमर्थ हूं। प्रस्तावकर्त्ता माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी :--

(1) श्री विष्णु मोदी एवं दो अन्य सदस्य विधान सभा की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, अपहरण, पुलिस हिरासत में लोगों की मृत्यु, अपराधियों की जेल से फरारी आदि की बढ़ती वारदातों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अरूण सिंह एवं श्रीमती बीना काक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के सरिस्का तथा रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघों की संख्या में निरन्तर कमी आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

## प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की परबतसर के गांव सांचौर में विद्युत तहसील कनेक्शन प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा की चावण्ड नदी पर सिगोड़ी एनीकट बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण नियमन के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पूरी पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती कमला, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिक्योरिटी राशि जमा होने के बावजूद भी कृषकों को कनेक्शन न देने एवं कृषकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री प्रभुराम आसिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत मांवरी कर सरपंच व उप सरपंच द्वारा अपने कर्त्तव्यों की अपेक्षा तथा कथित दुराचरण की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रतापसिंह सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचन क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

छबड़ा के छीपाबड़ोद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा कर्मियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेरवाड़ा तहसील क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय तराटी में अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री भवानी जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी के ग्राम फलोदा में रेफरल अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमरा राम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा, में बी. ए. पार्ट 1 में एक नया सेक्शन खोलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मोहन मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत पालके सरपंच द्वारा पट्टे जारी करने में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(12) श्री उगम राज मेहता, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अमृतकोर अस्पताल में पिछले कई वर्षों से कनिष्ठ विशेषज्ञ (महिला रोग) का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं को पढ़ने की अनुमति होगी।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने एक प्रस्ताव आपको दिया सरकार ने इजाजत मांगी होगी या तो भिजवा दिया होगा और उस पर....

**श्री अध्यक्ष :** आप मेरे चेम्बर में बात कर लें।

**श्री परसादीलाल मीणा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के साथ जो सर्किट हाउस बून्दी में दुर्व्यवहार हुआ है और जो सूचनाएं अखबारों में छपी हैं उस पर, अध्यक्ष महोदय, आप स्टेटमेंट दिलवाइये। मंत्री जी के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो....

**श्री जुबेर खान (रामगढ़) :** सरकार का+++हो गया (व्यवधान)

**श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) :** (व्यवधान) इस सरकार में इण्डिपेण्डेण्ट्स के साथ इतनी खराब हालत हो रही है। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, एक निर्दलीय मंत्री के साथ में (व्यवधान) सहकारिता मंत्री के साथ बून्दी में क्या घटना घटी है? रोज अखबारों में आता है (व्यवधान)

---

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री अध्यक्ष :** विराजें, विराजें। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक निर्दली मंत्री के साथ में षड़यंत्र रचकर उनको प्रताड़ित किया है (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** विराजिये आप। अंकित नहीं होगा।

(व्यवधान)

**श्री रामस्वरूप मीणा :** ×××

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** ×××

**श्री परसादी लाल मीणा :** ×××

**श्री महेन्द्रकुमार मीणा :** ×××

**श्रीमती बीना काक :** ×××

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** ×××

**श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अथवा किसी भी जन-प्रतिनिधि के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार एक निन्दनीय घटना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों की चिन्ता है यह चिन्ता वाजिब है और मैंने कल माननीय सहकारिता मंत्रीजी से इस बारे में जानकारी ली थी, और जानकारी के अनुसार जितना अखबारों में छपा है वह बहुत अधिक सनसनीखेज छपा है। वह यहीं थे। कल मैंने पूछ लिया उनसे। देखिये, आपने एक विषय उठाया और ऐसा नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि, आप में से भी मंत्री रहे हैं, जन-प्रतिनिधि भी हैं और हमको कई सार्वजनिक समारोह में भी जाना पड़ता है, राजनीतिक पार्टियों की बैठकों में भी जाना पड़ता है और आपसी विवाद या मतभेद करीब-करीब सभी पार्टियों में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में होते हैं। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

**श्री कालीचरण सराफ :** एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के लोगों को पीटा पीटाई की है उनकी ओर ये उठकर चले गये वहां से, ये भाग गये वहां से। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** बैठ जाइये, आपकी स्थिति तो यहां बहुत ही खराब है। (व्यवधान)

**श्री कैलाश मेघवाल :** मैंने सहकारिता मंत्रीजी से कल इस बारे में जानकारी की थी और उस समय वहां पर, जैसा सहकारिता मंत्रीजी का कहना था, हमारे माननीय श्री शांतिकुमार जी धारीवाल साहब भी वहां थे माननीय श्री ओमप्रकाश जी भी वहां थे, दूसरे भी थे और आपसी विवादथा। सहकारिता मंत्रीजी ने जो कल मुझे बताया कि वहां आपसी विवाद की वजह से एक किसी कार्यकर्त्ता ने उनके पास

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

बैठे हुए किसी आदमी के ऊपर स्याही फैंकने की कोशिश की और वह स्याही उनके ऊपर भी गिरी थी। उन्होंने कहा कि छपा जितना है वैसी घटना नहीं हुई है, न किसी तरह का काला मुंह उनका किया गया है और कपड़े भी नहीं फाड़े हैं। यह उन्होंने सूचना दी। (व्यवधान)

**श्री अनंग कुमार जैन** (राज्य मंत्री, वित्त) : क्या कह रहे थे इन्द्रजीत गुप्त ? उस वक्त शेम नहीं कहा आपने। श्री भुवनेश चतुर्वेदी आपके कांग्रेस के केन्द्र में मंत्री थे सर्किट हाउस में .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं.... (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** : ... उनको प्रताड़ित करवाया है क्या ? (व्यवधान)

**श्री परसादी लाल मीणा** : क्या घटना घटी है। एक दिन आपके साथ भी हो सकती है यह घटना। सावधान रहना। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सब सावधान हैं। सब जुड़वां भाई हैं। बिराजें आप।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय सहकारिता मंत्रीजी आज भी मंत्री हैं, इस सदन के सदस्य भी हैं (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रीजी ने कहा कांग्रेस के +++ बात क्या श्री सुजानसिंह जी को भी उसी कड़ी में आपने प्रताड़ित करवाया है ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप। यह एक्सपंज करिये कोई+++की बात आयी हो तो।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं इस विषय पर, आज वह पधारे नहीं हैं, वह स्वयं आ जाएं और वह भी अपनी तरफ से अपना वक्तव्य इस सदन में दे दें, मैं उनसे निवेदन करूंगा। तो सारी स्थिति सामने आ जायेगी। उसके अनुसार जितनी गड़बड़ हुई है या जो कार्यवाही की जानी चाहिये वह कार्यवाही सरकार करेगी।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : मंत्रीजी ने अभी स्टेटमेंट दिया है और जो चिन्ता व्यक्त की है उस चिन्ता में हम भी शामिल होते हैं। लेकिन जिस समारोह में वह लाभांश बांटने के लिये जाने वाले थे उस समारोह में मैं भी विशिष्ट अतिथि था। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : यह इसी कारण से हुआ है।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : सुन लीजिये। मेरा वर्णन भी सुन लीजिये। क्योंकि मेरा नाम लिया है। जिस वक्त वह जाने वाले थे उस वक्त नागरिक

---

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

सहकारी बैंक के चुनाव में हारे हुए लोग इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि वह वहां नहीं जाएं और उन्होंने बाकायदा षड्यंत्र करके पांच आदमियों ने उन पर स्याही डाली जिसमें बून्दी जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी शामिल थे। (व्यवधान) यह सारा का सारा वाकया, हंगामा सुनकर के मामडा जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो बराबर के कमरे में सर्किट हाउस में ठहरे थे, आये और आकर के जब उन्होंने सुना की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भंवरलाल शर्मा भी इसमें शामिल हैं तो उन्होंने 100 आदमियों के बीच में यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो तो हो, लेकिन इस तरह की वारदात हम पसन्द नहीं करेंगे। कोतवाली से सी. आई. आया, सी. आई ने आकर के तीन अभियुक्त, जो अपने बनाये, उनको जीप में बिठाया और जिला अध्यक्ष को भी बिठाया। जब जिला अध्यक्ष ने कहा कि मैं जिला अध्यक्ष हूं तो उन्होंने कहा, होगा जिला अध्यक्ष, अभी तो मेरा मुलजिम है बैठ जा जीप में और बिठा लिया। यह मैंने अपनी आखों से देखा है कि चार घण्टे के बाद कोतवाली में जिला अध्यक्ष को तो छोड़ दिया और बाकी तीन मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। (व्यवधान) यह वाकया हुआ है और बाकायदा मैंने मंत्रीजी का मुंह देखा है, काली स्याही, कपड़े सने हुए और आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। इससे ज्यादा निंदनीय बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : आप गिन-गिन करके बदला लेना चाहते हैं जिनको ताजिन्दगी कांग्रेसियों से ट्रेनिंग दी (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये (व्यवधान) अब आप सदन चलाना चाहते हैं या नहीं (व्यवधान) बहुत देर हो गयी है। (व्यवधान) This is height of the things now. आपने कोई बात सुनी, आपने कह दी। मंत्रीजी ने कोई बात कह दी पर इस बात को इतना (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : मंत्रीजी का नहीं, हमारा मुंह काला हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : हो गया बिराजें आप। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम)** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मंत्रीजी का नहीं है, यह प्रश्न व्यवस्था का है। (व्यवधान)

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** : मंत्रियों के साथ नहीं हो ऐसी व्यवस्था करवाइये। (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मणसिंह रावत** : अध्यक्ष महोदय, श्री सुजानसिंह जी हमारे भी मंत्री हैं, श्री सुजानसिंह जी राजस्थान के मंत्री हैं। (व्यवधान)

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सिंचाई मंत्री रामप्रसाद लड्ढा के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शाहपुरा में इतना अभद्र

(76)



(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

व्यवहार किया कि उनको लेट्रिन में घुसना पड़ा था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : .... और आपसे डर जाएं। (व्यवधान) बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : मीटिंग करवायी और (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : मंत्रीगण के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो और यह सरकार मंत्री (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान) किसी का अंकित नहीं हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : ××× 

श्री अध्यक्ष : सब देंगे। बिराजिये (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ×××

श्री शांति कुमार धारीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : ×××

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : ×××

श्री शांति कुमार धारीवाल : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : ×××

श्री परसादी लाल मीणा : ×××

श्री शांति कुमार धारीवाल : ×××

श्री माधवसिंह दीवान : ×××

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रामप्रताप कासनियां : ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जीरो आवर में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री रामप्रताप कासनियां : ×××

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, सभी राजनैतिक पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि या जन-प्रतिनिधि या पार्टी पदाधिकारी हमारी जनतान्त्रिक व्यवस्था में एक आवश्यक अंग होते हैं और उनमें इस तरह के जो प्रसंग होते हैं हम सब की यह इच्छा रहती है कि इस तरह के प्रसंग नहीं होने चाहिए, हिंसा नहीं आनी चाहिए किसी भी बैठक में और, अध्यक्ष महोदय, शान्तिकुमार जी वहां थे, माननीय विधायक वहां मौजूद थे, दूसरे और भी थे और कल सहकारिता मंत्रीजी स्वयं आकर, वैसे यह चिट के द्वारा मसला उठाया गया है। स्थगन प्रस्ताव दिया गया है जो जानकारी के लिए आपने भेजा है और वह आ जाएगा तो मैं उस पर पूरी जानकारी भी कर लूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मंत्रीजी भी अपनी स्थिति आपके सामने रख देंगे और इसमें जितना भी जिसने अपराध किया है, चाहे वह किसी भी पोलिटकल पार्टी से सम्बन्धित हो; किसी तरह से नहीं बख्शा जाएगा और इसमें पुख्ता कार्यवाही करवायी जाएगी (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल ×××

श्री रामवल्लभ मीणा : ×××

श्री ओमप्रकाश शर्मा : ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप इस पर डिबेट करवा रहे हैं क्या ? आखिर चाह क्या रहे हैं आप ? बिराजिये बिराजिये आप। I will not allow any debate. यह कोई बून्दी का मामला नहीं है। गृह मंत्रीजी ने कह दिया, जिसके खिलाफ होगी, कार्यवाही की जाएगी और उसके बाद स्थगन प्रस्ताव का उत्तर दे देंगे। बिराजिये आप। I will not continue this debate. Please, sit down, आपको कुछ कहना है जीरो आवर में ? मैं आज नहीं लेने की स्थिति में हूं। आधा घंटा खराब करवा दिया। बिराजिये आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। बाद में बात कर लेना। क्यों इनवाइट कर रहे हो मामले को ? श्री हरिसिंह जी।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

**श्री अध्यक्ष :** क्या पाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान) जीरो आवर में ?

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको ऐक विशेषाधिकार का मामला दिया था, आप उस पर व्यवस्था दे देते ..

**श्री अध्यक्ष :** आप मेरे से चैम्बर में आकर मिल लें, यह मैं आपको पहले कह चुका हूं। आपने सुना नहीं। आप चैम्बर में मिल लें, मैं देखकर बता दूंगा। अब हर मामले में, आपने तो 100 कागज दे रखे हैं और हर चीज मुझे कोई वरबेटम याद नहीं हो सकती है। नहीं आयी है तो आप मुझे आकर के चैम्बर में मिल लें, मैं बता दूंगा।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत :** अध्यक्ष महोदय, आपके पास पांच दिन हो गये, आप केवल व्यवस्था दे दीजिये।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये आप। हां, तो मैं दूंगा ना। आप मिल लेना, मैं देख लूंगा। बिराजिये आप। श्री हरिसिंह जी महुआ वाले।

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, दोनों का एक साथ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हिण्डौन से एक साप्ताहिक पत्र निकलता है "हिण्डौन दिग्दर्शन"। उसके सम्पादक है मिस्टर गोपाल दत्तात्रेय। उन्होंने अपने अखबार में एक खबर छापी कि ए. ईएन. द्वारा मस्टररोल के 80,000 रुपये हजम, करौली। और साथ में दूसरी खबर यह थी कि कैलादेवी के मेले के समय करौली में चुंगी नाके से लेकर गुडला तक सवारियों के आवागमन को अच्छा बनाने के लिये सड़क को एक मीटर चौड़ी की और छह इंच थिकनेस की ग्रेवल डालने का काम किया। यह काम ए. ईएन. ने 25-25 हजार रुपये के टुकड़ों में बांटकर और अपने चहेते ठेकेदार को दे दिया, जबकि यह लाखों रुपयों का काम था और टेण्डर से होना चाहिए था। उन्होंने यह लिखा कि इन दोनों कामों में बड़ा जबरदस्त घपला हुआ है। यह सपोटरा के जे. ईएन. से फर्जी मस्टररोल भराई गयी है 80,000 रुपये की। उन पर खुद ए. ईएन. ने फर्जी अंगूठे का निशान लगाकर और सरकार को अंगूठा दिखाकर 80,000 रुपये हड़प कर गया। अध्यक्ष महोदय, यह पत्रकार महोदय जब करौली गये तो इस न्यूज का हवाला देकर उनको पकड़ लिया और यह कहा कि इस ढंग की अगर आपने खबर मेरे खिलाफ छापी तो मैं आपको जिन्दा नहीं छोड़ूं, आपके बाल-बच्चों को जिन्दा नहीं छोड़ूंगा और आपके परिवार को तबाह कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रेस की स्वतन्त्रता की, लेखनी की अभिव्यक्ति पर यह सीधा-सीधा प्रहार है, इस चीज को जागरूक प्रेस ने ....

**श्री अध्यक्ष :** श्री राधेश्याम जी। बिराजिये, हो गयी बात।

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा

(श्री हरिसिंह)

और एक मिनट। बड़े-बड़े कांड खोले हैं; कभी किसी पर कोई आंच नहीं आने दी। पूर्वी राजस्थान के पत्रकार संघ ने एक सामूहिक रिप्रजेंटेशन बनाकर कलक्टर, सवाई माधोपुर को और एस. पी., सवाई-माधोपुर को दिया कि पत्रकार के जीवन की सुरक्षा की जाये। 30 तारीख से अब तक न तो पुलिस ने जीवन की सुरक्षा की है, न कलक्टर ने कोई कार्यवाही की और विभागीय अधिकारियों को भी लिखित शिकायत दी। उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा दोनों मंत्रियों से अनुरोध है कि पत्रकार के जीवन की सुरक्षा की जाये और उसके बाल-बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जायें और इस प्रकार के भ्रष्ट अफसर के खिलाफ ठोस कार्यवाही करें, मंत्रीजी। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री राधेश्याम जी।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि गंगानगर शुगर फैक्ट्री के अन्दर घोर अन्याय हो रहा है और उसके अन्दर कल एक व्यक्ति बायलर में वेल्डिंग करते हुए गिरकर मर गया। इससे चन्द दिन पूर्व बायलर की ट्यूब फट गयी और उसके फटने से सारा शहर तबाह हो सकता था और छह आदमी उसके अन्दर बिल्कुल आग से झुलस गये, जिनमें से एक-एक करके तीन आदमियों की मृत्यु हो गयी अब तीन बाकी है जिनकी तनख्वाह भी शुगर फैक्ट्री ने बन्द कर रखी है। अब जिनके परिवार के लोग मर गये उनको कोई मुआवजा नहीं, उनको कोई सर्विस नहीं, उनके लिये कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसके लिये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी और कम से कम तीन महीने पूर्व मैंने यह सूचना विभाग को दी थी कि इस तरह की घटनाएं यहां होने वाली है, क्योंकि स्प्रिट का पास में बहुत बड़ा भण्डार है और उसके अलावा ऐसा बड़ा एक इन्होंने ....

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : कमाल की बात है साहब, इसका जवाब दिलाइये न आप। आदमी मर गये साहब। चार आदमी मर गये।

**श्री अध्यक्ष** : आपको मैंने मौका दिया इसका मतलब यह नहीं कि इनसे अभी कंम्पेल करके जवाब दिलवाऊं। विराजिये आप। श्री अरुण सिंहजी।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : आपने मौका दिया, वह आपकी बड़ी मेहरबानी है।

**श्रीमती शशीदत्ता** (राज्य मंत्री, विधि) : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न कल का उठाया है कि कल गंगानगर शुगर मिल में एक श्रमिक की मृत्यु हो गयी और शाम को ही मुझे, जैसे ही मैं यहां विधान सभा से गयी, मुझे सूचना मिल गयी थी और आज सुबह ही तत्काल प्रभाव से दस हजार रुपये मरने वाले श्रमिक के सिर्फ सहायता

(श्रीमती शशीदत्ता)

हेतु दिये हैं और मैंने मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि उसके परिवार को जितनी ज्यादा सहायता दी जा सकती है, उपलब्ध करवाई जाए।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** माननीय मंत्री महोदय, जो तीन व्यक्ति चंद दिन पूर्व मरे हैं शिड्यूल्ड कास्ट के, गरीब आदमी उन गरीब आदमियों के साथ, आपने उनको क्या दिया है और शुगर फैक्ट्री का आज अखबार में पढ़ रहे थे, मोती झील, भरतपुर में सारा रिकार्ड....

**श्री अध्यक्ष :** बिराजे। बिराजें न आप।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** शुगर फैक्ट्री का गेर दिया। आज की राजस्थान पत्रिका, कल और परसों की, तीन दिन तक यह बात आयी है कि मोती झील के अन्दर दस साल पुराना रिकार्ड बिना इन्क्वायरी के, बिना चीफ मिनिस्टर और बिना मंत्री की अनुमति झील के अन्दर गिरा दिया गया। ऐसा अन्याय कभी आज तक हुआ है ? यह गवर्नमेंट है ? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें न आप, क्या कर रहे हैं आप यह। यह कोई डिबेट का ग्राउण्ड नहीं है।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** आप हुकम तो कर रहे हैं लेकिन निवेदन यह है कि जो तीन आदमी मरे हैं, आप उनका तो जवाब दीजिये कि क्या कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आपने सारी बात कह दी है, सरकार की निगाह में ला दी। बिराजिये आप। अरूण सिंहजी।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** आप शुगर फैक्ट्री का हैड आफिस, आपका हैड आफिस जहां है, शुगर फैक्ट्री वहां है, करोड़ों रुपये का जहां खर्चा हो रहा है....

**श्री अध्यक्ष :** आप जैसे कुछ माननीय सदस्य हैं उनको बुलवाना भी एक हाउस को रोक रखना है। आधा-आधा मिनट में बात कीजिये।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** एक लाख रुपये की घोषणा कीजिये आप। कम से कम एक लाख रुपये की घोषणा तो करें। एक आदमी काम करता हुआ....

**श्रीमती शशीदत्ता :** दे देंगे।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** आप आश्वासन दीजिये खड़े होकर। (व्यवधान) खड़े होइये न आप। आप उठ रही हैं, फिर बैठ रही हैं।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप। अभी कैसे आश्वासन दे देंगी ये।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** आप कृपा करके खड़े होकर यह अनाउंसमेंट कीजिये।

**श्रीमती कमला :** जहां मौत हो गयी हो वहां एक लाख तो होने ही चाहिए।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : एक हरिजन परिवार के, आप खुद उनकी हैं ...

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप। बिराजें अब। अरूण सिंहजी।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : हां, जी। क्या फरमा रहे थे, आप फिर बैठ गयीं। आप हुकम करो न, क्या कह रही थीं ?

**श्रीमती शशीदत्ता** : मैं कह रही थी कि मुख्य मंत्रीजी को कह दिया हमने।

**श्रीमती कमला** : अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में भी जहां मौत हो जाती है इस तरह से, वहां एक-एक लाख रुपये दिये जाते हैं। यह तो उपचार के लिये दस हजार रुपये, पांच हजार रुपये दिये जाते हैं। इसलिये जहां मृत्यु हो गयी हो, परिवार आधारहीन हो गया, वहां एक-एक लाख रुपये की घोषणा तो करें। (व्यवधान)

**श्री अरूण सिंह (डीग)** : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भरतपुर जिला एक मलेरिया प्रोन जिला है। डीग सब डिवीजन में 400 पोजिटिव मलेरिया के केसेज रिपोर्ट हुए। श्री राठौड़ साहब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यहां से मेडिकल टीम भेजी है पर यह मेडिकल टीम शहर और कस्बों में जा रही है। मेरा अनुरोध है कि यह मेडिकल टीम देहात में भी जाए और गांवों में डी. डी. टी. और क्लोरीन की गोलियां बंटवायें, क्योंकि पिछले साल इस सब डिवीजन में कम से कम सेरिब्रल मलेरिया से 50 मौत हुई हैं। तो मैं हैल्थ मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस साल का बाढ़ और भी बुरा रहा तो प्रिकाशन के तौर पर वह सावधान रहें। रणजीत नगर इण्डस्ट्रियल एरिया, जहां अभी भी भरतपुर में पानी है, वहां क्लोरीन और डी. डी. टी. पाउडर भिजवायें। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : मोटवानी साहब।

**श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)** : अध्यक्षजी, कल के अखबार में यह पढ़ने को मिला कि–"बस में सवार युवक की दिन दहाड़े चाकू घोंपकर हत्या।" और इससे चौंकाने वाला तथ्य और है, और वह राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह बम्बईया फिल्मी स्टाइल से यह कत्ल हुआ है वह चौंकाने वाला है और राज्य सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिये, चिंतन होना चाहिये। हुआ ऐसा कि पुलिस चौकी उसड़ी गेट, वहां पर पहली बार एक थ्री व्हीलर में बैठे हुए हथियारों से लैस लोगों ने बस में बैठे विक्टिम को चैलेंज किया। चौकी के पास, चौकी से पांच कदम दूर है वह। उसके बाद ड्राइवर ने हिम्मत की, उस गाड़ी को भगाया और फिर केशरगंज जैसे व्यस्त इलाके, मैं समझता हूं हमारे गृह मंत्रीजी इस सिचुएशन के जानकार हैं, वहां दौड़े हैं सड़क पर, मेन सड़क के ऊपर, जिसमें विक्टिम था और वह वाहन जिसमें हत्यारे थे, वह भागे हैं और फिर पुलिस चौकी, केशरगंज के सामने से गुजरे हैं और उसके बाद उससे थोड़ा आगे, कोई

(श्री किशन मोटवानी)

पच्चीस कदम आगे उस बस को रोका गया है, रोक करके पहले ड्राइवर पर आक्रमण किया है और उसके बाद उसको, बस में बैठा जो विक्टिम था उसको चाकू मारा है। चाकू की यह घटना सवा नौ बजे की है और फिर उसके बाद ढाई बजे पुलिस वहां अस्पताल में जाती है। यह सब जो फैक्ट्स मैंने निवेदन किये हैं, यह सोचने के बिन्दु हैं, चिंता करने के बिन्दु हैं, चिंतन करने के बिन्दु हैं कि आखिर हमारी कानून-व्यवस्था किधर जा रही है। इसी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** श्री आर. पी. शर्माजी।

**श्री कैलाश मेघवाल :** कल आपने मुझे बता दिया था।

**श्री किशन मोटवानी :** मैंने बताया तो आपने कहा कि गिरफ्तार करा दूंगा। मैं कहता हूं गिरफ्तारी गौण है, किन्तु इस तरह की जो दिलेरी, हिम्मत के साथ जो कर रहे हैं, उनकी आखिर रोकथाम कैसे होगी। यह है मेरा निवेदन। आप गिरफ्तार कर लेंगे, आपने मुझे कहा, और गिरफ्तारी हो जाएगी, इससे आम जनता में कांफिडेंस कैसे क्रिएट होगा, यह सवाल है।

**श्री अध्यक्ष :** कृपया सुनें।

**श्री कैलाश मेघवाल :** मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं कि कल आपने मेरा ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित किया था और मैंने भी जितनी गम्भीरता से आपने मेरा ध्यान आकर्षित किया....

**श्री किशन मोटवानी :** देखिये, आपकी तत्परता के प्रति कायल हूं।

**श्री कैलाश मेघवाल :** उसी गम्भीरता मैंने से इसमें कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं और विशेष पुलिस दल गठित करके तुरन्त मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दिलाने के लिये प्रयत्न किये जाएं, यह मैंने कल भी आप से निवेदन कर दिया था, और आज भी निवेदन कर रहा हूं मैं। कल आपने मेरा ध्यान....

**श्री किशन मोटवानी :** नहीं नहीं, तालियां मत बजाइये। माननीय मंत्री महोदय, तालियां मत बजाओ। यह आपके लिए गहन चिंता का विषय है। यह गिरफ्तारी हो जाएगी, मैं आपका आभारी हूं। हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं किन्तु मैं जो कहना चाहता हूं, आने वाले समय में....

**श्री कैलाश मेघवाल :** मेरे लिये ही नहीं, सारे सदन के लिये और सारे राजस्थान की जनता के लिये गहरी चिंता का विषय है। लॉ-एण्ड-आर्डर....

**श्री किशन मोटवानी :** How you can create confidence in the public, that is the question.

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये। श्री शर्माजी।

**श्री कैलाश मेघवाल :** अपराध नहीं हो और लॉ-एण्ड-आर्डर की स्थिति ठीक रहे,

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह आपकी तरफ से मैं गृह मंत्री के रूप में भी और सारे सदन की एक चिंता का विषय है, और ज्यों ही आपने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया, मैंने आपसे भी बिलकुल पुख्ता कार्यवाही का निवेदन कर दिया था और नीचे भी इस बात के निर्देश दिये और आज आपने फिर उठाया है, शाम को मैं इसकी रिपोर्ट ले लूंगा और इस बारे में, यह लॉ एण्ड आर्डर भी ठीक रहे अजमेर की, अजमेर से आपका भी लगाव है, मेरा भी लगाव है, तो अजमेर की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति भी ठीक रहे और अजमेर का पुलिस प्रशासन भी ठीक ढंग से कार्यवाही करे, इस बारे में मेरी भी चिंता है, आपकी भी है और कार्यवाही की जा रही है।

**श्री किशन मोटवानी :** I am obliged.

**श्री अध्यक्ष :** विराजें। शर्मा जी।

**श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके विभाग से एक आदेश हुआ। उस आदेश के तहत 22 कर्मचारी जो कम्पाउण्डर्स और नर्सेज थीं उनका स्थानान्तरण भरतपुर से किया गया और उस आदेश में आपने लिखा है कि स्वीकृत रोगी शैय्याओं के उपयोग न होने के कारण इन लोगों का ट्रांसफर किया गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ जहां हमारे सिटी अस्पताल मे कम्पाण्डर्स के 20 पद सृजित हैं और नई मण्डी में 4 और छोकरवाड़ा में 3 पद सृजित हैं उनमें से एकदम सिटी अस्पताल से 16 आदमियों को कम करने की, और नई मण्डी से 3 और छोकरवाड़ा से। आदमी कम करने की ऐसी कौन सी आवश्यकता आपको पड़ गयी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आर्डर हुआ है यह बिलकुल अमानवीय आर्डर है, क्योंकि जिन व्यक्तियों का ट्रांसफर किया गया है उनमें ज्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। सात महिलाएं हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको उनकी शिकायत थी, अगर आपको ऐसा पता था कि इस अस्पताल में शैय्याओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, तो माननीय मंत्रीजी, आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की वहां के डाक्टर्स के साथ, क्या कार्यवाही की वहां के अस्पताल में? क्या आपको मालूम है कि वहां अस्पताल में न तो आपके पास बैड हैं, लेट्रीन-बाथरूम वहां के बिलकुल गंदे पड़े हुए हैं, पखे नहीं हैं, दवाओं की व्यवस्था है नहीं, वहां जो कुक है उसकी व्यवस्था है नहीं? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं... कि आप इस आर्डर के ऊपर सिम्पथेटिकली कंसीडर करके जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको आप वहां रोकें और अगर आप की स्थानान्तरण करने की यही बात है, माननीय मंत्री जी, तो भरतपुर के साथ कुठाराघात हो रहा है। भरतपुर के साथ हर जगह कुठाराघात होता है। हर आफिस को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। जिन आदमियों को ट्रांसफर किया गया है, नागौर और

(श्री आर. पी. शर्मा)

बीकानेर ट्रांसफर किया गया है आप सोचिये जो व्यक्ति, जिनके बच्चे बड़े हो गये हैं, जिनकी लड़कियां शादी लायक हैं किस तरह से वो लोग नागौर में नौकरी करेंगे और जो व्यक्ति भरतपुर में सेवा नहीं कर सकता, तो क्या वो नागौर और बीकानेर में सेवा कर सकेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : अब आप लम्बा नहीं करें माननीय सदस्य। यह ध्यान आकर्षित करने की बात है। श्री हरिसिंह जी साहब ।

**श्री आर. पी. शर्मा** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य दें।

**श्री अचलाराम मेघवाल** (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : जानकारी मांग करके आपको बता देंगे ।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : आयुर्वेद मंत्री महोदय, भरतपुर के साथ यह एक षड्यंत्र का, सौतेले व्यवहार का प्रश्न है कि भरतपुर का जो आयुर्वेदिक औषधालय है, जिसके बारे में आप कह रहे थे वह भरतपुर स्टेट के जमाने से एलोपैथिक औषधालय के समानान्तर चलता था। बराबर के रोगी दोनों में आया करते थे और आज भी कम से कम डेढ़-दो हजार रोगी जो आयुर्वेदिक फायदा उठाना चाहते हैं, वे इस औषालय में आते हैं। पहले तो आपने यह काम किया कि वहां पर औषाधियों की सप्लाई कम कर दी, उसके बाद आपने वहां से वैद्यों का स्थानान्तरण कर दिया, झगड़े होने लगे आपस में और फिर आज आप वहां से कम्पाउंडरों को भी हटा रहे हैं। यानी 20 कम्पाउंडरों में से जहां पर कि इण्डोर हास्पिटल है, इण्डोर के अन्दर कम से कम 20-25 रोगी रोज रहते हैं और डेढ़-दो हजार औषधालय के अन्दर आउटडोर पेशेंट भी रहते हैं। उसमें से एकदम आपने अचानक ही 16 कम्पाउंडरों को कम करके चार कम्पाउडंर छोड़े हैं। आपके भरतपुर के इस औषधालय को स्पष्टतया नष्ट करने के लिये कोई साजिश कर रहे हैं, विशेष सर्किल बना रहे हैं आप। पहले औषधालय के अन्दर आपने दवाइयां नहीं दी, फिर आपने वहां के वैद्य कम कर दिये, अब कम्पाउडंर कम कर रहे हैं और फिर आप बिल्डिंग के लिये बहुत दिनों से पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्या कारण है इस बात का कि भरतपुर जिले के आयुर्वेदिक सिस्टम के साथ और यह भरतपुर जिले में ही नहीं कर रहे हैं आप, मैं समझता हूं पूरे राजस्थान का आयुर्वेदिक का मामला आप चौपट करने जा रहे हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। श्री महादेव सिंह जी।

**श्री महादेव सिंह (खण्डेला)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री

(श्री महादेव सिंह)

जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खण्डेला थाने के द्वारा एक राजपूत परिवार के साथ नाजायज राठौड़ी कार्यवाही की गयी।

महोदय, निवेदन है कि खण्डेला से पश्चिम साइड में 5 किलोमीटर पर गुरारा नाम का एक गांव है। रिछपाल सिंह जी और प्रहलाद सिंहजी दो चचेरे भाई हैं। रिछपाल सिंह जी सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक श्री राजेन्द्र शेखर साहब के यहां फोर्थ क्लास हैं उन्होंने यहां से कोई राठौड़ी कार्यवाही की। दिनांक 8-7-96 को पुलिस थाना खण्डेला के थानेदार और कुछ सिपाही गांव में गये तथा जबरन प्रहलाद सिंह जी को अपनी गाड़ी में बैठाकर लाये। गांव वालों ने सबने मना किया। उसके बावजूद भी दिन भर उसको थाने में बैठाये रखा, बेइज्जती की गयी। इस बात को लेकर सारे गांव में आक्रोश है। इसलिये मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी आगे के लिये व्यवस्था करें की इज्जतदार परिवार, जो कि प्रहलाद सिंहजी शेखावत का है, उनकी गांव में बहुत बड़ी इज्जत है। उनके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार न हो।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी।

**श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारा जो सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र है उसमें पृथ्वीराज नगर योजना बनाने के नाम से जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था और आज पुनः बताना चाहती हूं कि यह जो क्षेत्र है जिसको कि पृथ्वीराज नगर योजना के लिये लिया जा रहा है। यह बिलकुल मानसरोवर से लगा हुआ है और इस क्षेत्र में 5 और 10 लाख रुपये बीघा की जमीन है। जो जे. डी. ए. और सरकार उस जमीन को ले रही है वो 20 और 25 हजार रुपये बीघा जमीन देकर ले रही है। आप बताइये ऐसी ज्यादती और इतना अन्याय उन किसानों के साथ क्या किया जा रहा है? अगर कोई योजना बनानी जरूरी भी है, पृथ्वीराज नगर की योजना, यह मेरा क्षेत्र तो सारा ही इतना मुसीबत में फंस गया कि आधे से ज्यादा तो रीको में आ गया है, कुछ हाउसिंह कालोनी, मानसरोवर में आ गया है और अब पृथ्वीराज नगर योजना में आ रहा है। अगर आपको लेना ही है तो कम से कम किसानों से बैठकर बात करें, उनसे नेगोशिएशन करें। उनकी जमीन के 5 और 10 लाख की जगह उनको 4 लाख और 3 लाख तो दें पर 20 हजार और 25 हजार रुपये तो शायद यहां से सौ किलोमीटर दूरी पर भी नहीं दिये जा रहे होंगे। इस तरह की जो स्थिति उनके साथ हो रही है अगर इस अत्याचार नहीं रोका गया तो मैं आपको यही निवेदन करूंगी कि चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे धरना देना पड़े पर इस तरह का अत्याचार मैं अपने क्षेत्र के किसानों के साथ नहीं होने दूंगी।

**श्री अध्यक्ष :** श्री भीमसेन जी चौधरी। (व्यवधान)

**श्री गोपीराम जाट (आमेर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं भी पृथ्वीराज नगर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जिस तरह से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, निश्चित रूप से यह बहुत ही गम्भीर मसला है। हमारे जयपुर तहसील और सांगानेर तहसील के किसान काफी उद्वेलित हैं, क्योंकि इसके अन्दर जो किसानों की जमीन एक्वायर की गयी है, वो जमीन बेशकीमती है। जयपुर शहर को सब्जी, दूध, अन्न की सप्लाई इन गांवों से होती है और यहां पर एक भेदभाव और किया गया है....

**श्री अध्यक्ष :** यह आप 295 में तो नहीं बोल चुके कहीं? एक बार 295 में भी उठाया था आपने।

**श्री गोपीराम जाट :** साहब अभी लगा नहीं। आप लगा दीजिये। मैं बाद में बोल लेता हूं। मेरा 295 लगा दीजिये।

**श्री भीमसेन चौधरी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं....(व्यवधान)

**श्री गोपीराम जाट :** मैं यह निवेदन करना चाहता था....

**श्री अध्यक्ष :** बोलिये, मैं मना नहीं कर रहा हूं।

**श्री कालीचरण सराफ :** अध्यक्ष महोदय, 11 हजार बीघा जमीन इससे 60 हजार किसान परिवार प्रभावित होंगे और उनको 25-25 हजार रुपये मुआवजा देकर लूट मचा रखी है जे. डी. ए. ने।

**श्री अध्यक्ष :** आप बिराजें। नहीं तो आपका नम्बर खतम हो जाना है अब।

**श्री गोपीराम जाट :** यह विभिन्न समय में सरकार के द्वारा अखबारों में घोषणाएं हुई उनके माध्यम से कृषि भूमि पर....(व्यवधान)...

**श्रीमती कमला :** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मसला है, बहुत व्यापक पैमाने का मामला है। किसानों की सिंचित जमीनें बिना मूल्य के ली जा रही हैं और उस एरिये में जिन बड़े लोगों की....(व्यवधान)....जमीनें आ रही हैं..(व्यवधान).... उनको तो छोड़ा जा रहा है और किसानों की ..(व्यवधान)... जबकि सरकार की नीति है कि जहां कहीं बारानी जमीन जब तक उपलब्ध है तब तक हाउसिंग के लिये इरिगेटेड लैण्ड को नहीं लिया जाए और जो किसान खेती के काम से खा रहे हैं उनको बेघर नहीं किया जाए। इस मामले में बहुत चिन्ता है, सारे सदन को दोनों तरफ से इसलिये इस पर चर्चा हो सके, माननीय मंत्री जी, बात करें हमारे साथ बैठ कर।

**श्री गोपीराम जाट :** अध्यक्ष महोदय, गृह निर्माण सहकारी समितियों विभिन्न समय में सरकार के द्वारा जो खबरें अखबार में प्रकाशित की गयीं। गरीब लोग,

(श्री गोपीराम जाट)

जो, यहां कम आय के हैं वे सोसायटियों से जमीनें खरीदते रहे और उनको जे. डी. ए. ने अपनी उचित चौकियां लगा कर के नहीं रोका। आज हजारों परिवार उनमें बस गये। बसने के बाद आज उनको बेदखल किया जा रहा है। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें प्रभावशाली व्यक्ति, जैसे मानसरोवर के साथ में राजावत फार्म उसी के साथ में एक रिजोर्ट बनाने के लिए जमीन उसको तो डिएक्वायर कर रहे है। प्रभावशाली जे. डी. ए. के अधिकारी जिन सोसायटियों के प्लाट्स खरीद रखे हैं उसको डिएक्वायर कर रहे हैं और जहां गरीब लोग बसे हुए हैं वहां उनके मकान तोड़ने की योजना है। किसान की जमीन को 24 हजार रुपये में एक्वायर करने की जो योजना है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार....

**श्री अध्यक्ष :** श्री भीमसेन जी। अब आप सब कुछ बोलने लग गये तो एक घण्टा डिबेट का बढ़ेगा ही। हां, हो गयी सारी बात। आ जाएगी एक-एक। भीमसेन जी साहब।

**श्री गोपीराम जाट :** .... जो गरीब लोग बसे हुए हैं उनको संरक्षण दें। यह मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :** अध्यक्ष महोदय, आधे से अधिक यह नगर बस चुका है जो नगर बस चुका है उसको तो छेड़ा नहीं जाए बाकी जो स्वतन्त्र खुली जमीन पड़ी है उस पर कार्य करे जे. डी. ए., कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आज के रेट से इन किसानों को पैसा दें। तब तो कोई बात मानी जा सकती है लेकिन किसानों पर आपाधापी करेंगे, लूट-खसोट करेंगे तो ठीक नहीं।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये आप।

**श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में दो तहसीलें नयी कायम की गयी हैं। उन तहसीलों से कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं उस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पटवार सर्किल पुराने बने थे वो कोई 20 चकों के हैं, कोई, 10 चकों के, कोई 30 चकों के हैं, इनका पुनर्गठन और सामान्यीकरण करके और जो तहसीलें कायम की हैं खाजूवाला, पूगल उनको ठीक ढंग से किया जाए। छतरगढ़ और नयी तहसील बनाने की आवश्यकता है उससे हमारी समस्या दूर होगी इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजिये। मिर्धा जी।

**श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जी का ध्यान नागौर जिले के डेगाना में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों के एडमिशन में की जा रही धांधली की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री रिछपाल सिंह)

माननीय अध्यक्ष जी । वहां के प्रधानाचार्य द्वारा ऐसी धांधलियां की जा रही हैं । जैसे छात्रों को एच्छिक विषय इच्छा के विपरीत दूसरा विषय देना, ऐच्छिक हिन्दी के विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय देना, मनमाने तरीके से एडमिशन कमेटी बनाकर प्रवेश देना, विज्ञान में जीव विज्ञान विषय लेने वाले छात्रों को जबरदस्ती गणित विषय आबंटन करना, विद्यालय के सिलेबस व अन्य नियमों सम्बन्धी किसी प्रकार की जानकारी चाहने पर असन्तोषजनक जवाब देना । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रधानाचार्य के खिलाफ तुरन्त जांच की जाकर वहां के छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे उसको बचाया जाए और उनको न्याय दिलाया जाए । धन्यवाद ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय शिवनाथसिंह जी ।

**श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम राजस्थान में सब जगह चलाया जा रहा है और मेरे झुंझुनूं जिले में भी चलाया जा रहा है । परन्तु इस कार्यक्रम को बदनाम करने और इससे अपनी जेबें भरने की हमारे जिले में कार्यवाहियां हो रही हैं । माननीय अध्यक्ष जी, 18 आइटम्स की एक सूची है जो स्थानीय स्तर पर खरीदी जा सकते हैं, जिनमें दरी, बाल्टी, लोटा, चारपाई आदि हैं । इसके अलावा कोई भी आइटम बिना टेंडर काल किया हुए और बिना समुचित प्रक्रिया के नहीं खरीदा जा सकता है । झुंझनूं जिले में झुंझुनूं, नवलगढ़, बुहाना ये प्रोजेक्ट्स हैं और वहां कई लाख रुपये के आइटम खरीदे गये हैं, जिनमें दरी चार्ट, नक्शे और किताबें ली गयी हैं । अध्यक्ष जी, ये किताबें जो क्रय की गयी हैं वे न तो कोर्स से सम्बन्धित हैं और न कोई अन्य उपयोग की हैं । मैं आपको नमूने के लिए वह किताब पढ़कर बताना चाहता हूं । इसकी कीमत पांच रुपये रखी गयी है और 1 से इकाई तक की है । इसमें तौल का नाप दिया गया है एक हजार मिलिग्राम इज इक्वल टू वन किलोग्राम, एक हजार ग्राम इज इक्वल टू वन किलोग्राम । अध्यक्ष जी, इस प्रकार की किताबें खरीदकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है उन लोगों द्वारा खरीदी जा रही है स्थानीय लेवल पर जिन लोगों इनको खरीदने का अधिकार नहीं हैं । अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में इतना और निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से डायरेक्टोरेट से आदेश गये, टेलीग्राम गये कि इस प्रकार की पर्चेज नहीं की जाए और यदि पर्चेज कर ली गयी हैं तो उनका पेमेंट नहीं किया जाए । उसके बावजूद 5 या 6 लाख के आसपास का सामान खरीदा गया । डायरेक्टर के आदेश की चूंकि अवहेलना की गयी इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण की जांच करायें और जांच कराकर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह प्रकरण हमारे ध्यान में आया, हमने इसकी कार्यवाही शुरू कर दी है, हमने इसके सम्बन्ध में एफ. आई. आर. भी दर्ज करायी और बाकी जहां-जहां इस प्रकार की खरीद हुई है उसकी हम सारी जांच कराकर जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको कठोर से कठोर जो दण्ड दिया जा सकता है वह जरूर देंगे।

**श्री अध्यक्ष :** तीन माननीय सदस्यों की पर्चियां आयी है उसमें श्रीमती उजला जी, श्री ओमप्रकाश जी और श्री कालीचरण जी, एक ही विषय पर हैं। श्री कालीचरण बोलें।

**श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार):** माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने गत 15 जुलाई को एक निर्णय लिया है कि राजस्थान में कृषि भूमि पर जो आवासीय कालोनियां बनी हैं वहां के निवासियों से विद्युत विकास शुल्क के नाम पर 15 प्रतिशत राशि अतिरिक्त वसूल की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में लगभग 4 लाख लोग गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से कालोनियां बनाकर कृषि भूमि पर रह रहे हैं। जे. डी. ए. उनसे विकास शुल्क के नाम पर, कलक्ट्रेट उनसे रूपान्तरण शुल्क के नाम पर और नगरनिगम कृषि कर के नाम पर हजारों रुपये वसूल कर रही है। रूपान्तरण शुल्क तो 1981 में जमा हुआ 28 करोड़ रुपये और आज तक नियमन नहीं हुआ और अब राज्य विद्युत मण्डल ने भी लूट मचाने की सोची है। 4 लाख निवासी जयपुर शहर के इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि विद्युत मण्डल यह जो 15 प्रतिशत राशि ले रहा है उसके क्या कारण हैं ? क्यों लेना चाहता है ? माननीय विद्युत मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, वह ये शुल्क नहीं लेंगे इस प्रकार की घोषणा उन्हें यहां पर करनी चाहिये। इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** श्रीमती उजला अरोड़ा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :** अध्यक्ष महोदय, पहले ही बहुत तरह से आवासीय कालोनी के लोग बहुत परेशान हैं। उनके ऊपर दोहरी, तिहरी तलवार लटकी हुई है, आये दिन तोड़ने वाले खड़े रहते हैं, जो कैम्प लगाये जाने थे वे लगे नहीं और इस प्रकार से उन पर 15 प्रतिशत विद्युत विकास शुल्क लगाना नितान्त अव्यावहारिक है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि आप खड़े होकर यह विनिश्चय आपका दोहरायें कि ये अनावश्यक जो कर लगाया जा रहा है इसको वापस ले रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** ओमप्रकाश जी। बिराजें। (व्यवधान) कृपया शांति बनाये रखें।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सारे राजस्थान का मसला है। अभी जयपुर की बात रखी है। मैं बूंदी, कोटा, बांरा, झालावाड़ और राजस्थान के

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सारे जिले इसमें आते हैं, क्योंकि जब तक नगरपालिका, नगरपरिषद् या यू. आई. टी. प्लाट काटकर नहीं देती है, तो लोग अपनी जमीन को बेचकर वहां कालोनी बनाते हैं और उस पर विकास शुल्क लिया जाता है। उन पर वैसे ही कई प्रकार के कर लगाये जा रहे हैं, जिसमें नियमन करने का शुल्क है, भूमि रूपान्तरण शुल्क है और अनेक प्रकार के शुल्क हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि इस प्रकार से जो 15 प्रतिशत शुल्क लगा रहे हैं। उसको विद्युत मंत्रीजी माफ करें, वह उनसे नहीं लेवें। मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह घोषणा करें कि जो 15 प्रतिशत कर लगाया है उसको हटा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें। श्री रामेश्वर जी कुछ कहना है ? इनकी स्लीप है।

**श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : हां, साहब।

**श्री अध्यक्ष** : हां, बोलें आप। (व्यवधान) रामेश्वर जी जयपुर के बारे में कुछ बोल रहे हैं।

**श्री रामेश्वर भारद्वाज** : माननीय अध्यक्ष महोदय विद्युत मण्डल ने जिस प्रकार से 15 प्रतिशत राशि कृषि भूमि पर बने मकानों की बढ़ायी है वह उचित नहीं है और इससे बहुत सारे परिवार प्रभावित होंगे। मैं भी माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वे इसे वापस लें।

**श्री अध्यक्ष** : आपको क्या कहना है इसमें ?

**श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल द्वारा 15 प्रतिशत जो राशि विकास शुल्क की लगायी गयी है वह कतई गैर-कानूनी है, यह नहीं लगानी चाहिये और जब नगर विकास न्यास विकास शुल्क ले रहा है, तो उस विकास शुल्क के अन्तर्गत सारे के सारे विकास के कार्य करवाने चाहिये। एक ओर सरकार घोषणा करती है कि 1991 की बसी हुई कच्ची बस्तियों में और जो अभी कृषि भूमि से रूपान्तरण हुए हैं उनको रेगुलराइज कर देगी और दूसरी ओर इस प्रकार से कर लगाया जाना दमन की नीति है।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

**श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसी बस्तियां बहुत हैं इसलिये मुझे भी थोड़ा निवेदन करना है। यह बस्तियां बसी हैं और गरीब लोगों को सोसायटीज में प्लाट्स खरीदने पड़ें उसकी वजह से वे लोग वहां पर रह रहे हैं। अगर सरकार या जे. डी ए. जैसे यह बनीपार्क और सी-स्कीम बसाया था वैसे अगर कालोनी बनाकर रहते तो ये गरीब काहे को इन सोसायटीज के झगड़े में पड़ते। अब ये लोग बस गये हैं तो उनके ऊपर जो

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

शुल्क और 15 प्रतिशत कर लगाकर दोहरी मार की जा रही है। वह नहीं की जानी चाहिये और इसे माफ किया जाना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें। (व्यवधान) यह क्या कर रहे हो ? यह तो डिबेट चालू हो गयी। (व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जोधपुर भी आता है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** एक सैकण्ड; आप बोलें। (व्यवधान)....

**श्रीमती सूर्यकांता व्यास :** मैं तो एक ही निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरीके से 15 प्रतिशत जो लगा रहे हैं उसको आप माननीय मंत्री महोदय से कहें कि जवाब दें और (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** यह बिजली की चर्चा करेंगे उसमें आपको बताएंगे। कृपया बैठ जाएं। (व्यवधान) श्री तिवाड़ी जी.... (व्यवधान)....

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** मैं तो इतना ही कहना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि विद्युत मण्डल ने यह एक तरफा निर्णय लिया है। यह किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता कि जयपुर शहर में कुछ लोग अपना जो मकान ले रहे हैं वैशाली में और उसके पास दूसरी हाउसिंग बोर्ड की कालोनी बसी है उसके सटाकर, तो उनसे तो 15 प्रतिशत अधिक लेंगे और उनसे कम लेंगे। यह कोई कारण नहीं है। कारण इसलिये कि जो कालोनी हैं वह अप्रूवड हैं उनका विकास शुल्क जमा हुआ है, उसका रूपान्तरण जमा हुआ है, तो एक प्रकार से जो गरीब आदमी हैं उनके साथ में भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना चाहिये और न किया जा सकता है। विद्युत मण्डल ने जो निर्णय लिया है वह आर्बिट्रेरी है। यह केवल जयपुर में ही लागू नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के सभी नगरीय क्षेत्रों में जहां कृषि भूमि पर आवासीय कालोनियां बनी हुई हैं, उनमें सब में लागू कर दिया है।

(13.00)

और वह न्यायालय में भी नहीं टिक सकता, कहीं भी नहीं टिक सकता। इसलिये मंत्री महोदय आपसे निवेदन करूंगा कि यह हर दृष्टि से विभेद पैदा करने वाला नियम है इसको तुरन्त राज्य सरकार को, विद्युत मण्डल को और विद्युत मंत्री जी को सदन को आश्वस्त करना चाहिये और लिखकर भेजना चाहिये। हजारों लाखों परिवारों को बिना मतलब परेशान किया जा रहा है। इसलिये इसको वापस लिया जाना चाहिये, अध्यक्ष महोदय,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपके माध्यम से यही माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें। धारीवाल साहब।

**श्री कालीचरण सराफ** : साहब मंत्री जी से जवाब दिलवाइए। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है।

**श्री अध्यक्ष** : यह कोई जरूरी नहीं है। I cann't compel him. If he want on his own then he ...

**श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री)** : मैं जवाब दे रहा हूं।

**श्री परसादी लाल मीणा** : जवाब ऐसा सोच कर देना जो लागू हो जाए।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : ऐसा एक भी नहीं है जिसके लिये मैंने कहा हो और वह लागू नहीं हुआ हो। ऐसा सम्भव होता नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : अब टोका-टाकी ना करें। बहुत देर हो गयी है। बैठिये आप।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह जो चिन्ता व्यक्त की है कि यह 15 प्रतिशत बढ़ा दिया है। वैसे मैं इसकी जानकारी लूंगा, यह कैसे हुआ है और यदि यह सच है कि 15 प्रतिशत इन नयी कालोनियों पर बढ़ाया है तो मैं बोर्ड को निर्देश दूंगा कि वह इसे वापस लें।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें। श्री शांतिकुमार जी धारीवाल।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री श्रीमती नरेन्द्र कंवर जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने हाड़ौती क्षेत्र के पर्यटन विकास के बाबत उपेक्षा की नीति अपना रखी है। सभी प्रकार के पर्यटन आकर्षण केन्द्र वहां पर हाड़ौती क्षेत्र में मौजूद हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा जो पर्यटन विकास के कार्य हैं वे हाड़ौती क्षेत्र में शून्य के बराबर हैं। हाड़ौती क्षेत्र में टेम्पल्स, फोर्टस, पैलेसेस और बूंदी के किले में जो चित्रशाला है वह वर्ल्ड फेमस है और कोटा की जो शिकार की पेंटिंग है वह भी मिनिएचर पेंटिंग में वर्ल्ड फेमस है। यह सब होने के बावजूद भी वहां पर वाटर फाल्स हैं। वाइल्ड लाइफस हैं, रामगढ़ की और दरा की गेम सैंक्चुरी है, सोसंग की बर्ड सैंक्चुरी है और इसके अलावा जितनी भी तरह के टूरिज्म हैं चाहे वो हैरिटेज टूरिज्म हो, चाहे रिलिजिएस टूरिज्म हो, फेस्टिवल टूरिज्म हो, कल्चरल टूरिज्म हो, एडवेन्चरस टूरिज्म हो; आर्किटेक्चरल टूरिज्म हो, वाइल्ड लाइफ हो, हर तरह का टूरिज्म अगर राजस्थान में कहीं मौजूद है तो वह सिर्फ हाड़ौती क्षेत्र में है। बाकी राजस्थान के किसी भी संभाग में इस तरीके के टूरिज्म मौजूद नहीं है।

इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 100 से भी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अधिक बुद्धिस्ट केव झालावाड़ जिले में मौजूद हैं। आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि बुद्धिस्ट केव बड़ी मुश्किल से हिन्दुस्तान में 4 या 5 जगह हैं और हर जगह जहां पर भी यह पायी गयी हैं जापान ने अरबों रुपयों की मदद उनके विकास के लिये दी है। मुझे यह आपको बताते हुए जरा थोड़ी सी चिंता हो रही है और दु:ख हो रहा है कि बुद्धिस्ट केव कोलवी में, बिनायका में, हथियागोड़ में, गुनई में और धर्मराजेश्वर में स्थित है। जापान सरकार से राजस्थान सरकार ने ओ. ई. सी. एफ. के तहत 550 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है राजस्थान के दूसरे पार्ट के विकास के लिये। लेकिन जापान सरकार को यह कतई इल्म नहीं होने दिया कि हमारे यहां बुद्धिस्ट केव मौजूद हैं। अगर जापान सरकार को इशारा भी मालूम पड़ जाता कि यहां पर राजस्थान में बुद्धिस्ट केव हैं तो अरबों रुपये की ग्रांट वे आराम से दे सकते थे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने 47 करोड़ रुपये की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हाड़ौती में पर्यटन विकास के लिये योजना बनाने के लिये कहा। योजना तैयार होकर आ गयी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पर्यटन विभाग को अपनी योजना दे दी। एक पैसा उस पर खर्च नहीं किया गया। यह घोर उपेक्षा है। पर्यटन के सारे आकर्षण केन्द्र मौजूद होते हुए भी हाड़ौती क्षेत्र में....

**श्री अध्यक्ष** : आपको कहना है इस बारे में ? क्या कहना है ?

**श्री बाबूलाल वर्मा (डग)** : झालावाड़ का मामला है साहब।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : झालावाड़ का मामला है साहब। 100 केव्स कहीं नहीं मिलेंगी आपको।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धारीवाल जी फरमा रहे हैं, इससे मैं शत-प्रतिशत सहमत हूं कि टूरिज्म के मामले में हाड़ौती की घोर उपेक्षा हो रही है। मेरे क्षेत्र में भी एक जगह है काकोनी वहां छठी शताब्दी की मूर्तियां पायी जाती हैं और वहां कोई देख-रेख नहीं होने की वजह से मूर्तियां चोरी जा रही हैं। लोग उनको उठाकर ले जा रहे हैं। काफी लोग पकड़े जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां काकोनी में उन मूर्तियों की देख-रेख के लिये कोई समुचित व्यवस्था करें।

**श्री बाबूलाल वर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी श्री शांतिकुमार जी धारीवाल ने कहा कि बुद्धिस्ट केव जो स्थित हैं वो सारी की सारी मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित हैं। डग विधान सभा क्षेत्र में--गुनई, हथियागोड, बिनायका और कोलवी, जो चार गांव बताये, ये चारों गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित हैं। एक साल पूर्व मैंने भी माननीय मंत्री महोदय से मौखिक रूप से निवेदन किया था कि कम से कम झालावाड़ जिले में जो ये गुफाएं हैं सारी की सारी खतम होती जा रही हैं। आज की तारीख में वहां सिर्फ राजस्थान टूरिज्म के नाम पर एक बोर्ड

(श्री बाबूलाल वर्मा)

लगा हुआ है। वह भी हरनावदा के पास एक गांव है गुनई जहां ...

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें।

**श्री बाबूलाल वर्मा** : एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काफी गम्भीर मामला है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : बड़ा गम्भीर विषय है साहब।

**श्री अध्यक्ष** : हां, हां, बहुत गम्भीर है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : जितना रोजगार पर्यटन उद्योग दे सकता है उतना कोई दूसरा उद्योग नहीं दे सकता।

**श्री बाबूलाल वर्मा** : टूरिस्ट पाइंट ऑफव्यू से भी झालावाड़ जिले में, हाड़ौती में जितना आज की तारीख में पोटेंशियल है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट केव आज पूरे वर्ल्ड में मिलना असंभव है, लेकिन आज वे सभी खण्डहर हो रही हैं।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप। आप और किसी माध्यम से लम्बी-चौड़ी बात बताना। आपने ध्यान करवा दिया, बहुत अच्छी बात है।

**श्री बाबूलाल वर्मा** : आज की तारीख में रोजगार मिल सकते हैं इस टूरिज्म डिपार्टमेंट से। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय हाड़ौती के बारे में पर्टिकुलर की बुद्धिस्ट केव के बारे में एक निर्णय लें और इसके विकास के लिये काम करें, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री उगमराज जी।

**श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 13-7-96 को बनेड़ गांव, किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में भंवरू खां नाम 85 साल का व्यक्ति, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं, उसको अकारण थाने में लाकर वहां के थानेदार ने इतनी पिटाई की कि उसके उलटियों में खून आने लगा और पेशाब में खून आया। उसका कोई कसूर नहीं था। झगड़े के किसी विवाद में उसके लड़के को ढूंढने गये और उस 85 साल के बूढ़े को ले आए। उसके बाद 200 व्यक्ति उसको लेकर किशनगढ़ गये। डीवाई. एस. पी. के सामने ऊपर उसको लेकर गये। उनको कहा। डीवाई. एस. पी. ने यज्ञ नारायण, अस्पताल, किशनगढ़ में उसको भर्ती करवाया। उसी दिन रात रूपनगढ़ का थानेदार सिविल ड्रेस में किशनगढ़ थाने में आकर भंवरू खां को डिस्चार्ज करा कर जीप में डालकर वापस उसके गांव ले जाकर उसको पटक दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपसे परसों डेढ़ सौ व्यक्ति किशनगढ़ से यहां मिलने आये थे। वह कराह रहा है। अभी भवरू खां की हालत खराब

(श्री उगमराज मेहता)

है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि महमूद खां, जो वहां का थानेदार है, उसको सस्पेंड करें और उसके खिलाफ जांच कार्यवाही करें।

**श्री अध्यक्ष** : दयाराम जी।

**श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तरसों की घटना है और परसों सवेरे मुझे मालूम पड़ गयी थी, मैं अजमेर में ही था। अजमेर में मैंने तत्काल इस घटना के बारे में एस. पी. को बुलाकर कहा कि इसकी पूरी तहकीकात करें। उन्होंने एडिशनल एस. पी. अजमेर श्री मेहताब सिंह को यह सारी जांच सौंप दी है और मैंने भी उनको निर्देश दे दिये हैं कि तत्काल इस सारे मसले की जांच करके जांच रिपोर्ट में यथोचित कार्यवाही करें और मुझे इसकी सूचना दें।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें।

**श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य और आपूर्ति मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर जिले में कंट्रोल का गेहूं प्रति व्यक्ति, प्रति यूनिट 10 किलो के हिसाब से अलाट होता था। अभी आपके यहां से आर्डर हुए या जिला रसद अधिकारी ने आर्डर किये, किसने किये 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी। इसका मतलब यह हुआ कि 5 किलो एक व्यक्ति को एक महीने का अनाज कंट्रोल का मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पूरे जिले में अकाल से प्रभावित लोग हैं। लोगों के पास अनाज खाने के लिये नहीं है और न किसी तरह का रिलीफ कार्य चलता है जो कि काले बाजार से 7 रुपये किलो के गेहूं लाकर खा सकें और कंट्रोल का गेहूं हमें 3.85 रुपये में मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि आप अविलम्ब आदेश करें कि प्रति व्यक्ति 10 किलो के हिसाब से गेहूं पुनः अलाट किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दीपेन्द्रसिंहजी।

**श्री परसादीलाल मीणा** : आपको आसन तक पहुंचने की हिम्मत कैसे हो गयी?

**श्री अध्यक्ष** : जैसे आपकी होती है, वैसे ही हुई। श्री दीपेन्द्रसिंहजी।

**श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सीकर-जयपुर रोड पर रींगस कस्बे के अन्दर बाई-पास बन रहा है। करीब-करीब सारा काम हो चुका है, डामर बाकी है, पुलिया बन रही है। लेकिन साल भर से ज्यादा हो गया उस क्षेत्र में जहां से सड़क निकली, उस इलाके के काश्तकारों को, जिनकी जमीन उस सड़क में गयी उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। एस. ई. चीफ इंजीनियर को तथा सैक्रेटरी को

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

कहा भी जा चुका है, लिखकर भी दिया जा चुका है। साल भर में किसान परेशान हो रहे है, इसलिए अतिशीघ्र उनका मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट मैं आपसे और लूंगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजमान हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 1961 का एक सैकण्डरी स्कूल चल रहा है। दिवराला गांव में वह सैकण्डरी स्कूल है जो हमारे इलाके का सबसे बड़ा गांव है और सबसे ज्यादा छात्र हैं। सन् 1961 से चल रहा है, लेकिन उसका परमोशन नहीं हो पाया। इसलिए आपसे प्रार्थना है, जैसा मैंने सुना है कि आप निकट भविष्य में कोई लिस्ट निकालने जा रहे हैं। दिवराला बड़ा बैक-वर्ड गांव है, जहां सती का प्रकरण हुआ। 1961 का बना हुआ स्कूल है, आप उसको परमोशन करने की कृपा करें। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। श्री नाथूराम जी अहारी।

**श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के चुनाव हुए और इसके बाद जिला परिषद के चुनाव भी हुए।

**श्री अध्यक्ष** : अभी कल-परसों में हुए क्या ? ··· (व्यवधान)।

**श्री नाथूराम अहारी** : इस दरम्यान कई जगह जिला परिषदों के सदस्यों की जगह खाली हुई। हमारे डूंगरपुर में अभी 30 तारीख को जिला प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। जबकि जिला परिषद के 2 सदस्यों की जगह खाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज राज्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिला परिषद् के 2 सदस्यों की खाली जगहों को भरकर जिला प्रमुख के चुनाव कराएं। यह मेरी मांग है।

**श्री अध्यक्ष** : बहुत अच्छा। मोरदिया जी, आपने दी है क्या ? आप चेम्बर में आने का तो कष्ट कर नहीं सकते, वहां देते नहीं हैं और यहां पूरे सवा बारह बजे आप स्लिप भेजते हैं। आज तो मैंने अलाऊ कर दिया है।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : अध्यक्ष महोदय, गिलूण्ड वाले प्रकरण में मेरी भी एक स्लिप है।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी** : अध्यक्ष महोदय मेरा नाम भी था। चार लाइन पढ़नी थीं 295 में। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : हां, एक सैकिण्ड बिराजिए-आप। (व्यवधान) 295 अलग है। आप बैठिये, अभी बोलो मत, समय मत खराब करो आप।

**श्री परसराम मोरदिया** : अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी आपने कृपा की आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि राजस्व मंत्रीजी अभी यहां नहीं हैं, और

(श्री परसराम मोरदिया)

वन मंत्रीजी भी नहीं हैं। फिर भी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के लाखों परिवारों से जुड़ा यह मसला है। इमरजेंसी के अन्दर या इमरजेंसी के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को बसने के लिए जमीन दी थी और तहसील के माध्यम से उनको पट्टे जारी किये गये। आज हालात यह हो रहे हैं कि वन विभाग से उनको नोटिस मिल रहे हैं कि आप वन विभाग की भूमि पर बैठे हैं और तहसीलदारजी उनको परेशान कर रहे हैं कि आप हमारी जमीन पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कानूनी प्रक्रिया है। उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय उस वक्त हुआ जब इस जमीन पर उनको बसाने के लिए तहसील के माध्यम से तहसीलदारजी के हस्ताक्षर से इस जमीन के पट्टे जारी किये थे, जिनके पास बसने के लिए जमीन नहीं थी, उन जमीनों में अमल-दरामद नहीं की। सबसे बड़ी आज यह परेशानी आ रही है।

मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों परिवार राजस्थान के अन्दर जुड़े हुए हैं, उन गरीब हरिजनों को आज भी वन विभाग के अधिकारियों से नोटिस मिलते हैं और वे बार-बार 20-20, 30-30, और 50-50 परिवार पेशी पर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। बार-बार तहसीलदार उनको नोटिस देता है, जबकि करीबन 20-25 सालों से....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री परसराम मोरदिया** : अध्यक्ष महोदय, लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ यह मामला है। आज पूरे राजस्थान के अन्दर हर परिवार को नोटिस दिया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूं कि पक्के मकान बने हुए हैं, 30 साल पुराने। यह न्यायोचित बात है कि उन परिवारों को या तो अमल-दरामद किया जाए या उनके पास जो पट्टे हैं, उनका नियमन करके उस हिसाब से उनको दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः यह अनुरोध करूंगा कि उन लाखों परिवारों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वे जहां बसे हुए हैं उनको बसे रहने दें और उसमें जो कानूनी अड़चन आ रही है उसको दुरुस्त करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिए। श्री रामप्रताप जी कासनियां।

**श्री रामप्रताप कासनियां** (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ तहसील के अन्दर सरदारगढ़ पंचायत है। उसमें पिछले 20-25वर्षों से रायसिख जाति के व कुछ हरिजन लोग भूमि पर काबिज हैं। उनको पूर्व टी. सी. पर वह एक साला भूमि अलाट हुई थी, परन्तु उस भूमि का अभी तक उनको स्थायी रूप से आबंटन नहीं हुआ है। यह मामला पिछले 16-17 वर्षों से

(श्री रामप्रताप कासनियां)

सरकार के पास विचाराधीन है। इनको भूमि इस कारण से अलाट नहीं हुई कि इनके पास सन् 1955 के सबूत नहीं हैं। सबूत इस कारण से नहीं हैं कि जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय उन लोगों का पेशा मजदूरी करना था। वे मजदूरी करते-करते कभी इस गांव चले गये, कभी दूसरे गांव चले गये। उनमें से कुछ 2-4 परिवार एक जगह स्थायी रूप से बस गये, उनको तो भूमि अलाट हो गयी और बाकी लोग इस भूमि के अलाटमेंट से महरूम हो गये।

अब यह प्रकरण सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार की मंशा भी है और सम्बन्धित कलक्टर से इस प्रकरण की रिपोर्ट मांगी है। अध्यक्ष महोदय, बड़े ही दुःख की बात है कि माननीय मंत्रीजी पिछले 3-4 वर्ष से लगातार रिपोर्ट मांग रहे हैं, परन्तु नीचे से रिपोर्ट नहीं आ रही है। भागसर में मिरजेवाला टीनेंट कृषि सहकारी समिति का मामला भी इससे सम्बन्धित है। वह भी राजस्व मंत्रीजी के यहां पेण्डिग है। 15-16 वर्ष से चल रहा है, उसमें अलाटमेंट करने का निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया, परन्तु रेवेन्यू सेक्रेटरी ने उसके अन्दर एक छोटासा परन्तुक लगा दिया कि इन काश्तकारों के पास इस पटवार सर्किल के अलावा कोई और भूमि तो नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तहसील की रिपोर्ट मांग लो। तहसील की रिपोर्ट आएगी तो पूछेंगे कि जिले में इनके पास और कुछ है कि नहीं है। अगर जिले की आ गयी तो फिर राजस्थान की मांगेंगे।....

**श्री अध्यक्ष** : लम्बी बात न करें, बिराजिये आप। श्री शांतिलालजी खोईवाल।

**श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का इस बात के लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चितौड़गढ़ में श्रीमती बादाम की उसके ससुराल वालों ने पीट-पीट कर और अर्द्ध-मूर्छित होने के बाद केरोसिन डालकर हत्या कर दी। पुलिस विभाग द्वारा इसमें कोताही बरती जा रही है।

श्रीमती बादाम का जेठ रामप्रसाद खटीक, एक हिस्ट्री-शीटर है, एडवोकेट भी है और पैसे वाला है। वह गवाहों को इस बात की धौंस दे रहा है और साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर रहा है ताकि कोई उसके सामने नहीं आए। वह उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है। जान से मारने की धमकी देने के कारण वहां दहशत फैली हुई है। पुलिस विभाग द्वारा इसकी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और 2 व्यक्ति रामप्रसाद और ताराचन्द फरार हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वहां से एक प्रतिनिधि मण्डल आया था। इस सम्बन्ध में उसका एक मेमोरेंडम भी मैंने माननीय गृह मंत्रीजी को हेण्ड-ओवर किया था और मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया था। लेकिन मुझे सुबह टेलीफोन मिला है कि वहां पर रामप्रसाद खटीक, जो पैसे वाला है, हिस्ट्रीशीटर है और एडवोकेट है उसने तरह-तरह की योजनाएं बनाकर

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

इन लोगों को आतंकित कर रखा है। मेरा निवेदन है कि रामप्रसाद खटीक और ताराचन्द खटीक जिन दो लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उन्हें तत्काल गिरफ्तार करें।

अध्यक्ष महोदय, जिस लड़की की हत्या हुई वह आपकी कांस्टीट्यूएंसी की गिलूण्ड की रहने वाली है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप इस पर विशेष तौर से ध्यान देकर माननीय गृह मंत्रीजी को निवेदन करें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं तो आपका ही हुक्म मान लेता हूं।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : You take it in a very casual manner इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई इसीलिये मुझे दुबारा अनुरोध करना पड़ रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये। श्री शैलेन्द्र जी। नहीं हैं क्या? श्री शैलेन्द्रजी जोशी। (अनुपस्थित)। श्री अमरारामजी चौधरी।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर की पचपदरा तहसील के गांव कीरनोद, बिठूजा और मिण्डाकुंआ, जो लूणी नदी के किनारे हैं, वहां पर विभाग के द्वारा कम से कम तीस ट्यूबवैल खोदे जा चुके हैं। पीपलोद में सौ कुए हैं, मिण्डाकुंआ में बीस कुए और बिठूजा में सौ कुए हैं। लेकिन ग्राउण्ड वाटर बोर्ड ने इन गांवों को डार्क जोन में घोषित कर दिया। डार्क जोन में होने के कारण वहां पर जीवनधारा योजना के तहत गरीब तबके के और खासकर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अपने कुए खोदना चाहते हैं, जिन्हें ऋण का फायदा मिलना चाहिये, जो वहां पर नहीं मिल रहा है। वे अपने कुए खोद नहीं सकते। जो सम्पन्न लोग हैं वे तो कुए खोद सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो गरीब कृषक हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के, उनके पास खुद के साधन नहीं हैं, धन नहीं है, जिससे वे कुआ खोद सकें।

इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस जगह पानी पर्याप्त है, कोई कमी नहीं आयी है और आये दिन जब आपके ट्यूबवैल खुद रहे हैं तो फिर काश्तकारों को डार्क जोन घोषित कर परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है?

**श्री अध्यक्ष** : यह आपका है। शैलेन्द्र जी जोशी।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : हमारा नम्बर नहीं आया 295 में।

**श्री अध्यक्ष** : विराजिये तो सही, आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? आपका आएगा, एक सैकण्ड आप विराजिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : (व्यवधान) तीसरे प्रतापसिंह जी थे, उनके बाद दयारामजी थे, यह क्रम आपने यहां पर लिखित किया था। अस्त-व्यस्त हो गया तो इन तीनों का नम्बर आना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : किसका ?

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : कमलाजी, प्रतापजी और गरासियाजी, इनका 295 मे क्रम बोला था....

**श्री अध्यक्ष** : 295 अब है। बैठ तो करिये। अभी तो, चलिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : 295 में आपने क्रम बोला, मैं रोज लिखती हूं तो उस क्रम में यह तीनों निकल गये और लोगों की पर्चियां आ रही हैं।

**श्री अध्यक्ष** : अभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ है।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की घोषित नीति में प्रत्येक जिले में इसी शैक्षणिक सत्र में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की व्यवस्था की गयी थी। उसके उपरान्त भी हमारे दौसा जिले में अभी तक कन्या महाविद्यालय खोले जाने के लिये कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है। न तो कोई टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई है और न ही कोई फर्नीचर और इस तरह के जो संसाधन हैं, उनकी व्यवस्था की गयी है। ऐसी स्थिति में जबकि शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब दो सप्ताह हो चुके हैं तो राजस्थान सरकार को चाहिये कि दौसा जिले के अन्तर्गत घोषित नीति के अनुसार कन्या महाविद्यालय खोले जाने के लिये सारी व्यवस्थाएं तत्काल मुहैया करायी जाएं, जिससे सरकार की जो घोषित नीति है, वह अपने आप में असली जामा पहने, न कि एक थोथी घोषणा मात्र रह जाए। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलना था। आप, श्री परसादीलालजी।

**श्री परसादीलाल मीणा** : कौनसा है, अध्यक्ष महोदय ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : इतने दे देते हैं कि पता ही नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : ध्यान ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : बहरोड़ पंचायत समिति का। चलिये। मैंने यह दिया था कि आपको दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी....

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : अध्यक्ष महोदय, इसमें व्यवस्था यह दी थी कि सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। इसमें सरकार से जवाब मांगा जा रहा है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : जवाब मंगवाने के लिये कहा था। जवाब के लिये भेजा है, मेरा साहब।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, विष्णु जी का है। सॉरी। श्री विष्णु जी। (अनुपस्थित)। अरूणसिंह जी। (अनुपस्थित)। श्रीमती बीनाजी। (अनुपस्थित)।

दोनों ही नहीं बोलना चाहते। 295,

(श्री अध्यक्ष)

राकेशजी मेघवाल । आज पढ़े हुए मान लिये जाए ?

**श्रीमती कमला :** नहीं, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** चलिये, पढ़िये आप ।

**श्री परसादीलाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, बहरोड़ पंचायत समिति के जिस विकास अधिकारी के खिलाफ जो एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, क्या आपने उसमें व्यवस्था दी थी ?

**श्री अध्यक्ष :** नहीं, नहीं । उसमें नहीं....

**श्री परसादीलाल मीणा :** वह तो आपने सरकार से जानकारी के लिये भेजा ?

**श्री अध्यक्ष :** हां ।

**श्री परसादीलाल मीणा :** ठीक है ।

**श्री अध्यक्ष :** विष्णुजी का नाम था, आपका नाम आ गया ।

**श्री परसादीलाल मीणा :** आपका बहुत प्रेम है, मेरे ऊपर साहब ।

**श्री अध्यक्ष :** इसमें कोई शंका नहीं है । बिराजिये ।

## प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

### गांव सांचोर (सांचोर) में विद्युत कनेक्शन

**श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सेवानिवृत्त मेजर मुकन्द सिंह पुत्र श्री सबलसिंह, निवासी सांचोर के विद्युत कनेक्शन बाबत आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । उपरोक्त विषय में निवेदन है कि :—

(1) यह है कि मुकन्द सिंह का कुआ गांव सांचोर तहसील परबतसर, जिला नागौर में स्थित है, उक्त कुए पर विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने हेतु करकेड़ी तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर की तरफ से आने वाली लाइन से जोड़ने हेतु तकमीना विद्युत विभाग द्वारा तैयार करवाया गया; उसी अनुसार इनके द्वारा तखमीने की राशि विद्युत विभाग में जमा करवायी गयी ।

(2) यह है कि उक्त विद्युत सम्बन्धी सम्बन्ध स्थापित करने के लिये विभाग द्वारा पोल खड़े कर तार खेंचकर कनेक्शन देने से पूर्व भारी मात्रा में रिश्वत मांगी, इस रकम को सेवानिवृत्त मेजर मुकन्दसिंह ने देने से इनकार किया और कहा कि मैंने सारी उम्र देश की ईमानदारी से अपनी सेवा की है और आपसे कनेक्शन के लिये सारी उम्र की तपस्या छोड़ दूं ।

(श्री राकेश मेघवाल)

इस बात पर नाराज होकर अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, किशनगढ़ (एस. पी. संतोष) की शह पर उनकी उपस्थिति में गांव करकेड़ी के लोगों को बहला फुसलाकर पोल तोड़ने का आदेश मुंह जबानी दिया। उनके साथ में करकेड़ी के असामाजिक तत्वों ने भी साथ दिया, जो पोल तोड़ने में साथ थे। उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में सहायक अभियन्ता, परबतसर द्वारा दर्ज करवायी गयी। मुकदमा नम्बर 126/95 है।

(3) यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अधिशाषी अभियन्ता किशनगढ़ का नाम होने से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता अजमेर, अधिशासी अभियन्ता को बचाने की नीयत से कुए का विद्युत कनेक्शन करकेडी से आने वाली लाइन से नहीं होने दे रहे हैं।

(4) यह कि गांव सांचोर में कुआ करकेड़ी की विद्युत लाइन से बिलकुल नजदीक है तथा अजमेर जिले की विद्युत लाइन से नागौर जिले के कुओं पर पहले भी कई कनेक्शन दिये हैं तथा इसी प्रकार नागौर जिले की विद्युत लाइन से अजमेर जिले के कुओं पर कनेक्शन दिये हैं। वर्तमान में दिये गये विद्युत कनेक्शनों का विवरण निम्न प्रकार है :—

(1) श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री घीसालाल करकेड़ी, अमेजर का विद्युत कनेक्शन ढाढ़ोता (नागौर) के ट्रांसफार्मर्स से चल रहा है।

(2) जीवनराम पुत्र श्री धन्नाराम जाट का विद्युत कनेक्शन करकेड़ी की 11 के. वी. लाइन से डी. पी. लगाकर किया गया है।

(3) बस्सी, बांसेड़ व सिडीयास (नागौर) ग्रामों के सभी विद्युत सम्बन्ध पुष्कर, अजमेर से आने वाली लाइन से दिया हुआ है।

(4) गांव बंवाल (नागौर) के सभी विद्युत कनेक्शन गांव गगवाना, अजमेर से आ रही लाइन से किए हुए हैं।

ऐसी परिस्थिति में श्री मुकन्दसिंह को विद्युत कनेक्शन करकेड़ी की लाइन से करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी, कानूनी व्यावहारिक कठिनाई नहीं है।

अतः आपके माध्यम से दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सख्त से सख्त सजा दिलवायी जाए।

यह कि मुकन्दसिंह का विद्युत कनेक्शन स्थापित करने हेतु समस्त व्यय कर दिया है एवं वर्तमान परिस्थित में इनको फसल का नुकसान हो रहा है। कुए में मोटर स्थापित हो जाने से अन्य साधन जुटाकर सिंचाई करने में असमर्थ हैं एवं इनकी ऐसी आर्थिक स्थिति भी नहीं है कि वह इंजन या जनरेटर लगाकर सिंचाई कर सके।

अतः आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही कराकर दोषी अधिकारियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही कराये।

(श्री राकेश मेघवाल)

क्या इसको मानीस सरकार रखती है, पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री हीरालालजी। हीरालालजी कहाँ गये? श्री हीरालालजी (अनुपस्थित)। श्री महावीरजी भगोरा।

## आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण नियमन के जारी आदेशों की पालना

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के वन विभाग के राज्यादेश क्रमांक प. 5 (9) प्र. सु.-3/91, दिनांक 24-1-1991 में निर्देशानुसार आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण नियमन के सम्बन्ध में पूरी-पूरी पालना नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर इस विशेष उल्लेख के जरिए वन मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

राजस्थान में आदिवासियों की कमजोर आर्थिक व सामाजिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें राहत पहुंचाने के उद्देश्य से वन भूमि पर अतिक्रमण की समस्या हल करने के लिए राज्यादेश क्रमांक प 5(9) प्र. सु -3/91, दिनांक 24-1-1991 द्वारा एक समिति गठित कर समिति के सुझावों से परीक्षा उपरान्त राज्य सरकार उक्त सुझावों को स्वीकार करते हुए वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को नियमन करने हेतु समस्त प्रकरणों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

उक्त राज्यादेश में दिये दिशा-निर्देश एवं प्रक्रियाओं को वन विभाग द्वारा समय-समय पर पालन नहीं होने से आदेश प्रसारित होने के 15 वर्षों बाद भी भूमिहीन आदिवासियों अतिक्रमियों को सही पहचान नहीं हो पायी है जिससे वन विभाग द्वारा जन जाति उप योजना क्षेत्र, ऐसे अतिक्रमियों को जो उक्त आदेश की सीमा में आते हैं, वन विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने की कार्यवाही के कारण जबरन बेदखल करता आ रहा है। यहां तक कि राजस्व भूमियों पर भी जहां आदिवासी अतिक्रमी हैं, वन विभाग अपनी भूमि बता कर उस पर कब्जे कर गरीब आदिवासियों को रोजी-रोटी से महरूम कर रहा है। इस स्थिति से कई क्षेत्रों में टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है एवं आदिवासियों को आन्दोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

मैं विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के विशेष उल्लेख के जरिये माननीय वन मंत्री महोदय से निम्न प्रकार से मांग करता हूं:-

(1) 1980 से पूर्व के कब्जों की सही पहचान नये सिरे से उक्त राज्यादेश

(श्री महावीर भगोरा)

में निर्देशित दिशा निर्देशों एवं समिति से समयबद्ध कार्यक्रम तय कर पूर्ण प्रसारित करवा कर किया जावे;

(2) कब्जों की पहचान पूरी होने तक आदिवासियों को बेदखल नहीं किया जावे; एवम्

(3) आगे और अधिक अतिक्रमण न बढ़े, इस हेतु ग्राम वन सुरक्षा समितियों का शीघ्र गठन किया जावे। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** श्रीमती कमलाजी।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** (वन एवं पर्यावरण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट जवाब दे दूं।

अभी माननीय सदस्य ने यह बात रखी है कि आदिवासियों का जो 1980 से कब्जा था उनके केसेज रेगुलराइज नहीं किये गये। हमने अभियान चला कर तीन हजार केसेज सैंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिये हैं और यदि आप के यहां के कोई केसेज रह गये हैं तो जो कमेटी है, जो रेगुलराइज करती है, आप भी उसके सदस्य हैं, आप अपनी सुविधा से जो तिथि दे देंगे उसमें उस कमेटी की मीटिंग बुला ली जायेगी और आप की उपस्थिति में रेगुलराइज होने लायक सारे केसेज को रेगुलराइज कर दिया जाएगा।

## सिक्योरिटी राशि जमा होने के बावजूद कृषकों को विद्युत कनेक्शन न दिया जाना

**श्रीमती कमला** (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के सन्दर्भ में यह निवेदन करना चाहती हूं कि भाजपा शासन के दौरान कृषकों के साथ जो अन्यायपूर्ण दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वह बहुत ही चिन्तनीय है। कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु इस सरकार ने जिस मनमाने ढंग से चार्जेज बढ़ाये हैं वह तो शोचनीय हैं ही किन्तु इतने भारी चार्जेज के जमा कराये जाने के बावजूद भी कृषकों को एक-एक, डेढ़-डेढ़ वर्ष बाद भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बावजूद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज भी शाहपुरा विराटनगर एवं राड़ावास ए. ईएन. क्षेत्र में कृषकों को कननेक्शन नहीं दिये गये हैं जबकि उनके लाखों रुपये की राशि विद्युत मण्डल में लम्बे समय से जमा पड़ी है। क्या यही एक प्रजातान्त्रिक कल्याणकारी शासन का स्वरूप है? मण्डल तथा राज्य सरकार में उन कृषकों की बर्बादी को रोकने हेतु न तो कोई सुनने वाला है और न ही राहत प्रदान करने का इनका कोई इरादा लगता है। अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश प्रदान करें कि उन कृषकों को माह अगस्त, 1996 तक कनेक्शन दे दिये जावें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर कृषकों से 15-20 वर्षों पूर्व के कनेक्शंस की अब बढ़ी

(श्रीमती कमला)

हुई सिक्योरिटी राशि के नोटिस जारी किये हुए हैं। लोक सभा चुनावों के कारण इनकी वसूली स्थगित कर दी गयी थी, किन्तु यह फिर से जारी हो सकती है, ऐसी हमारी आशंका है। अतः माननीय मंत्री महोदय यह भी घोषणा करें कि यह जो आपने नया कार्यक्रम चालू किया था उसको आप हमेशा के लिये समाप्त कर देंगे।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : नया कौनसा ?

**श्रीमती कमला** : यह कभी आज तक हुआ है कि 15-20 वर्ष पहले जिन्होंने कनेक्शन लिये थे उन से आप नये सिरे से बढ़ी हुई सिक्योरिटी मांग रहे हैं। यह जो आपने चालू किया था, लोक सभा चुनाव के कारण स्थगित कर दिया, हमें डर है कि आप इसको वापस शुरू कर देंगे इसलिये इसको समाप्त करने की भी घोषणा करें।

अध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल द्वारा कृषकों से एक खम्भे के रुपये 9,000/- वसूल किये जा रहे हैं। विद्युत मण्डल थोक में जब ये सीमेंट के खम्भे बनवाता है तो मुश्किल से 1,000/-, 1,500/- रुपये का खर्चा होता होगा जबकि कृषक से उसकी 9,000/- रुपये कीमत चार्ज करना बेहद शर्मनाक बात है। राज्य सरकार इसकी कीमत वास्तविकता के आधार पर तय करें।

अध्यक्ष महोदय, कृषकों को आठ घंटे बिजली उपलब्ध कराने में भी मण्डल कतई असफल रहा है और फसलें सूख रही हैं, क्योंकि बरसात नहीं आ रही। जितनी बिजली दी जा रही है वह भी पूरे फेस में नहीं आ रही है यदि मण्डल ने स्थिति की गम्भीरता को नहीं समझा तो खड़ी खेती नष्ट हो जायेगी और किसान बरबाद हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को पाबन्द करें कि पर्याप्त विद्युत सप्लाई की निश्चित व्यवस्था कराने की कृपा करें। आप मेहरबानी कर के इन दो-तीन बिंदुओं पर कुछ आश्वासन दें तो बड़ी कृपा होगी।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रघुवीर सिंहजी। आप नहीं, मैंने उनको कहा है। आप चाहें तो भले ही कहें कुछ।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह कहना है कि 24 तारीख को ऊर्जा पर चर्चा है उसमें आप यह बात कहें, मुझे जो कुछ कहना होगा मैं उसका उत्तर दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा।

**श्रीमती कमला** : धन्यवाद।

## सराड़ा विधान सभा क्षेत्र की चावण्ड नदी पर एनीकट

**श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राज्य की अनुसूचित जाति/जनजाति तथा घुमक्कड़ जाति के छात्रों को प्रदत्त पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के

(श्री रघुवीर सिंह)

सम्बन्ध में मैं समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित रना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिये विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रवासी विद्यालयों व हाईरेपुटेड शिक्षण संस्थाओं में चयन परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयनवार कक्षा 2 से 12वीं तक अध्ययन की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा रखी है जो निःसंदेह इन वर्गों के महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों के लिये सुनहरा अवसर है, जिसके माध्यम से प्रति वर्ष कई विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। किन्तु कक्षा 12वीं के बाद यह सुविधा उपलब्ध न होने से विद्यार्थी वैसे भी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के होने से पुनः जब अच्छे भविष्य की शुरूआत होने की स्थिति में होते हैं और प्रथम वर्ष से निम्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने से इन विद्यार्थियों की पूरी पूर्व की मेहनत पर पानी फिर जाता है अर्थात 12वीं तक जो अच्छे वातावरण से अध्ययन किया वह एकदम धूमिल हो जाता है।

अतः आपसे निवेदन है कि पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की सुविधा, जो कक्षा 2 से 12वीं तक राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है, वह स्नातकोत्तर स्तर पर जारी रखने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का कष्ट करावें ताकि इन वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा तक कोई परेशानी उत्पन्न हो सके एवं विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रभुराम गरासिया।

## ग्राम पंचायत भांवरी के सरपंच व उप सरपंच के दुराचरण की जांच

**श्री प्रभूराम गरासिया** (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भांवरी के सरपंच व उप सरपंच द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा तथा दुराचरण के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत, भांवरी के सरपच, श्री जेठाराम मेघवाल व उप-सरपंच, श्री इन्दरसिंह देवड़ा अपने कर्तव्यों की उपेक्षा, भारी अनियमितताएं एवं दुराचरण कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं :–

(1) यह कि दिनांक 26-9-1995 को पंचायत में एक बैठक रखी गयी जिसमें कि गांव के विकास कार्य में लिये जाने वाले मैटीरियल वास्ते टेण्डर खोलना था, जो कि टेण्डर सरपंच व उप सरपंच द्वारा सिर्फ अपने चहेते लोगों, श्री किशोर सिंह जो कि उप सरपंच के भाई हैं, शैलेन्द्र सिंह, जो कि उप सरपंच साहब के प्रेस पर कम्पोजिटर हैं, प्रभूराम जो कि उप सरपंच साहब के मित्र एवं श्री कसनाराम रेबारी, जो कि हमेशा सरपंच व उप सरपंच के आगे-पीछे घूमता रहता है, इन्हीं के टेण्डर आमन्त्रित किये व खोले गये। जिसको कोरम ने निरस्त कर दिया। प्रस्ताव संख्या

107



(श्री प्रभूराम गरासिया)

6, दिनांक 26-9-1995 है। जिस पर सरपंच ने पुनः दिनांक 27-9-1995 को एक पंचायत की बैठक रखी जिसमें सरपंच को अध्यक्ष बनाकर सामग्री खरीदने हेतु कमेटी गठित करने का प्रस्ताव लिया गया जिसको अधिकतर कोरम के सदस्यों ने नामंजूरी दी। प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 27-9-1995 मगर सरपंच महोदय ने पुनः दिनांक 30-9-1995 को बिना पदेन सचिव के आकस्मिक बैठक ली जिस पर कोरम की सहमति नहीं होते हुए भी स्वयं ने ही पुनः उपरोक्त व्यक्तियों के ही टेण्डर अकेले ने ही मंजूरी दे दी जो कि एक दुराचरण है। प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 30-9-1995.

(2) यह कि टेण्डरधारियों ने पंचायत द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री सप्लाई की है जिसमें डुप्लीकेट सीमेंट का प्रयोग हुआ है और विकास कार्यों पर मजदूरों और कारीगरों के रूप में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। इसमें सरपंच महोदय के सगे भाई भी सम्मिलित हैं।

(3) यह कि पंचायत गठन से आज दिन तक कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ लगभग 10-12 पत्रावलियों पर सरपंच ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये हैं, जो निम्न व्यक्तियों की हैं--श्री बाबूलाल पुत्र भोमाजी मेणा वगैरह, श्री लुम्बाराम पुत्र मोतीजी वगैरह, गणेश भाई गांधी की पत्नी के नाम पर, श्री देवाराम पुत्र गोमाजी मेघवाल वगैरह, श्री लियामत अली व श्री दशरत पुत्र सोपाजी सरगरा आदि। मगर सरपंच ने उपरोक्त व्यक्तियों में से सिर्फ बाबूलाल पुत्र भोमाजी मेणा वगैरह व श्री देवाराम पुत्र गोमाजी वगैरह की ही पत्रावलियां कोरम में लायी गयी हैं। बाकी सबको सरपंच ने ले-देकर ऊपर से ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिये हैं, जो कि एक दुराचरण व कर्तव्यों की उपेक्षा वाला कदम है।

(4) यह कि पूर्व में पंचायत ने दिनांक 12-9-1995 को प्रस्ताव संख्या चार पास कर एम. जी. एम. कम्पनी के सामने पंचायत की भूमि पर रखे अवैध केबिन हटाकर कनिष्ठ इंजीनियर द्वारा एस्टीमेट बनवाकर पंचायत की दुकान बनाने का प्रस्ताव कोरम ने सर्वसम्मति से लिया था। मगर सरपंच ने कोई ध्यान नहीं दिया और अवैध केबिन वालों से मिल गये।

(5) यह कि इसके अलावा पंचायत गठन के बाद से आज दिन तक अत्यधिक मात्रा में अवैध अतिक्रमण व निर्माण हो रहे हैं। सरपंच द्वारा अवैध रूप से भवन निर्माण, पेंडला निर्माण व खार कुआ हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं जिसमें पंचायत का निर्धारित शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है सिर्फ सरपंच व उप सरपंच अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं।

(6) यह कि विद्युत व नल कनेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी बिना नियम के जारी किये जा रहे हैं।

(7) यह कि यह सब कृत्य श्रीमान् शोतसिंह देवड़ा, पटवारी हाल धनारी, जो उप सरपंच के पिता हैं, उनके कहे अनुसार हो रहे हैं। श्री पटवारी अपने पद का

(श्री प्रभूराम गरासिया)

दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके विरुद्ध कई प्रकार की अन्य राजकीय जांच भी चल रही है।

(8) यह कि उपरोक्त सभी पैरों की जांच पंचायत रेकार्ड को मिलकर पूर्व पंचायत अधिनियम 17/4 व वर्तमान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के अन्तर्गत निष्पक्ष रूप से की जाती है तो बहुत ही अनियमिताएं, कर्तव्यों की उपेक्षा व दुराचरण के तथ्य सामने आ सकते हैं।

अतः श्रीमानजी को प्रार्थना-पत्र पेश है। जनता के हित का फैसला आपके हाथ में हैं। मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस सन्दर्भ में जांच करवायें और दोषी सरपंच व उप सरपंच के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के आवश्यक आदेश प्रदान करें। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, अतः आज का कार्य रोककर मुझे चर्चा की अनुमति प्रदान करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रतापसिंह जी सिंघवी।

## छीपा बड़ौद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छीपा बड़ौद में छह चिकित्सकों के पद हैं लेकिन वर्तमान में 2 पद भरे हुए हैं जो वहां की जनसंख्या को देखते हुए बहुत ही कम है। इसके अतिरिक्त दो स्टाफ नर्स के पद रिक्त हैं। मेल नर्स-फर्स्ट का पद वर्षों से रिक्त है। मेल नर्स सैकण्ड का पद भी रिक्त है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के आउटडोर को डाक्टरों ने निवास बना रखा है। इससे मरीजों को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है तथा उन आवासघरों में डाक्टर व स्टाफ रह रहा है। उसका पानी व बिजली का खर्चा सरकार को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वह रिकार्ड में आवास नहीं है एवं चिकित्सालय छीपाबड़ौद में जितने पोस्ट के अगेंस्ट में कर्मचारी लगे हुए हैं उनको लगाकर पदों को भरा जावे। इलाके में कई उप केन्द्र महीनों से बन्द हैं। जैसे राई, पछाड़, गगचाना, अगलावदा हाली, पीपल्या चौकी, मुड़ला, कोटड़ापाल आदि। इसके अलवा छबड़ा व छीपाबड़ौद में चिकित्सालय में डिलेवरी केसों में 250 से 500 रुपये लिये जाते हैं। इसकी भी जांच करवायी जाए। सार्थल जेपला व सेतकोलू पी. एच. सी. में कोई डाक्टर व स्टाफ नर्स नहीं रहते हैं। जेपला चिकित्सालय में एक वर्ष से चिकित्सा अधिकारी भी नहीं है। इससे जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है तथा क्षेत्र में जो नये उप केन्द्र खोले गये हैं वहां भी स्टाफ नहीं लगाया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि छबड़ा निर्वाचन क्षेत्र में जहां-जहां भी जिस-जिस पद के कर्मचारी चिकित्सा सेवा के लिये लगाये गये हैं, वह वहां रहें इसकी व्यवस्था करें। अगर रिक्त पद हों, तो तुरन्त वहां

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

पर कर्मचारी नियुक्त करने का कष्ट करें जिससे जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़े ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री दयाराम जी परमार । हीरालालजी आप बाहर चले गये थे । आपका नाम पुकारा गया था । विराजिये । आप परमार साहब के बाद में बोल देना । दयाराम जी ।

## खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय लराटी का विद्यालय भवन

**श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) :** अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय लराटी का विद्यालय भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा का उच्च प्राथमिक विद्यालय लराटी को आज क्रमोन्नत हुए करीब चार साल का समय बीत गया है और उस विद्यालय में करीब 300 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं । इस विद्यालय का पुराना जो कच्चा भवन था वह अब गिर गया है और पक्का भवन बनवाने के लिए डी. आर. डी. ए. उदयपुर को बार-बार प्रस्ताव भेजने के बाद भी भवन बनाने की स्वीकृति नहीं मिली है । जिससे अभी तक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो पाया है । वर्तमान में इस विद्यालय के छात्रों के बैठने के लिए कोई भवन नहीं है । ऐसी स्थिति में बरसात के दिनों में इस विद्यालय को बन्द कर देने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह जाता है । श्रीमान्, यह गांव शत-प्रतिशत जनजाति समुदाय के लोगों का है इसलिए किसी भी प्रकार का जन सहयोग मिलना भी सम्भव नहीं है ।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय लराटी का भवन निर्माण करवाने के लिए आवश्यक धन स्वीकृत करते हुए भवन निर्माण कराया जाए । धन्यवाद ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री हीरालालजी ।

## बामनवास विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं किया जाना

**श्री हीरालाल (बामनवास) :** अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में निम्न विद्यालय क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बामनवास के निम्न विद्यालय को क्रमोन्नत करने बाबत्—

(1) यह कि तहसील बौंली मुख्यालय पर बालिका माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कराने की मांग गत 5 वर्षों से लगातार

(श्री हीरालाल)

चल रही है तहसील बौंली में बालिका माध्यमिक विद्यालय एक ही है उक्त विद्यालय में अन्तिम कक्षा में 57 छात्राएं हैं और ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां सीनियर स्तर की शिक्षा देने से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि नजदीक में कोई सीनियर कन्या विद्यालय नहीं है और सवाईमाधोपुर 70 किलोमीटर और टोंक 75 किलोमीटर है जहां ग्रामीण क्षेत्र के परिवार अपनी बच्चियों को टोंक और सवाईमाधोपुर शिक्षा नहीं दिला पाते, बच्चियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इसलिये कन्या माध्यमिक विद्यालय बौंली को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावे।

(2) यह कि तहसील बौंली व बामनवास के ग्राम बरनाला में माध्यमिक विद्यालय है और सीनियर माध्यमिक विद्यालय मात्र बामनवास में है जो 40 किलोमीटर दूरी पर हैं और बरनाला के आस पास ग्रामीण क्षेत्र है और करीब 25 ग्राम पंचायतों के छात्र-छात्राएं शिक्षा लेते हैं और इसी क्षेत्र में गरीब परिवार के छात्र-छात्राएं सीनियर स्तर की शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिये बरनाला माध्यमिक विद्यालय को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावे। अन्तिम कक्षा में 43 छात्र-छात्राएं हैं।

(3) यह कि तहसील बौंली के पहाड़ी क्षेत्र में माध्यमिक विद्यालय मितरपुरा में है। इस क्षेत्र में एस. सी., एस. टी. और ओ. बी. सी. के व्यक्ति निवास करते हैं और इस क्षेत्र में यातायात का भी कोई साधन नहीं है और इस क्षेत्र के गरीब परिवार के छात्र-छात्राएं सीनियर स्तर की शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिये माध्यमिक विद्यालय मितरपुरा को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावे।

(4) यह कि तहसील बौंली व बामनवास की उच्च प्राथमिक विद्यालय (1) बागडोली (2) संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय गालदकला (3) कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपलाई (4) उच्च प्राथमिक विद्यालय झाहरा (5) उच्च प्राथमिक विद्यालय नालोली चौक (6) प्राथमिक विद्यालय कोयला। उपरोक्त विद्यालय में ग्रामीण छात्र-छात्राएं शिक्षा लेते हैं। वह सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं जो नजदीक में माध्यमिक विद्यालय नहीं होने के कारण अपने बच्चे-बच्चियों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं। उक्त विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावे ताकि गरीब परिवार के छात्र-छात्राओं को शिक्षक का लाभ मिल सके।

(5) यह कि विधान सभा क्षेत्र की तहसील बौंली एवं बामनवास की-(1) प्राथमिक विद्यालय नीमोद पंचायत मुख्यालय नीमोद राठोद (2) प्राथमिक विद्यालय बहनोली पंचायत मुख्यालय पीपलवाड़ा (3) कन्या प्राथमिक विद्यालय बरनाला पंचायत मुख्यालय बरनाला (4) प्राथमिक विद्यालय मावड़ पंचायत मुख्यालय फुलवाड़ा (5) प्राथमिक विद्यालय बेरखड़ी पंचायत मुख्यालय गोठ (6) प्राथमिक विद्यालय मेरा वढ़ पंचायत मुख्यालय सांचोली उक्त प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के एस. सी.,

(श्री हीरालाल)

एस. टी, के गरीब परिवार के छात्र-छात्राओं को शिक्षा का लाभ मिल सके। सरकार से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देने से ग्रामीण जनता के साथ धोखा और भेदभाव हो गया है। अतः उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भवानी जोशी। हो गया, आप ढूंढ लेना नहीं है। श्री अमरारामजी।

## ग्राम पालोदा (बांसवाड़ा) में रेफरल अस्पताल

**श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)** : बोल रहा हूं, साहब।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत गांव पालोदा पंचायत समिति गढ़ी जिला बांसवाड़ा में रेफरल हास्पिटल खोले जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप स्वयं भली-भांति चिर परिचित हैं कि उदयपुर से बांसवाड़ा जाने के मार्ग पर गांव पालोद-बांसवाड़ा से 45 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। जहां से आसपुर होकर डूंगरपुर, सागवाड़ा होकर डूंगरपुर व गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर को एवं पूर्व दिशा की तरफ वाया गनोड़ा घाटोल होकर चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़-मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले एवं मन्दसौर होकर राजस्थान राज्य के कोटा शहर को अर्थात् इस गांव के चारों दिशाओं में गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान का अधिकतम भाग के जिलों में आवागमन के रास्ते हैं और इस प्रकार यह एक बहुत बड़ा केन्द्र है।

औद्योगिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। यहां से 4 किलोमीटर की अवधि परिधि में माइंस एरिया है जहां से कई वाहनों का आना जाना इसी गांव से होकर जाता है।

यह गांव पंचायत समिति गढ़ी जिला बांसवाड़ा मुख्यावास से बरुखा उत्तर दिशा तरफ उदयपुर मार्ग पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां के अधिकतर नागरिक अपने इलाज के लिये परतापुर, बांसवाड़ा तथा करीब करीब उदयपुर-अहमदाबाद को जाते हैं। परतापुरा से गांव पालोद करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि क्षेत्र का मरीज अपने इलाज के लिये जाता है तो साधनों की कमी तथा विकसित क्षेत्र नहीं होने से वह अपने इलाज से वंचित रह जाता है एवं उसकी मृत्यु तक हो जाती है।

राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों के चुनाव पूर्व इस गढ़ी पंचायत समिति की 37 पंचायतों का विभाजन कर 55 पंचायतें गठित कर चुनाव कराये हैं इस गांव पालोदा के इर्द-गिर्द कुल पंचायतें स्थित हैं और इन पंचायतों के मुख्यालय से पालोद की दूरी अधिकतम 10 से 11

(श्री भवानी जोशी)

किलोमीटर की औसतन होती है। साथ ही इन पंचायतों की कुल आबादी करीबन 20 से 25 हजार की है जिन्हें गांव पालोदा से चिकित्सा सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो सकती है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस पालोदा पंचायत मुख्यावास क्षेत्र में पर एक रेफरल हास्पिटल खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर दें। जो नितान्त आवश्यक भी है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा बढ़ती आबादी पर रोक लगाने व ग्राम नागरिकों को परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाये जाने हेतु कई प्रकार के कार्यक्रम रेफरल हास्पिटलों, अस्पतालों व बड़े-बड़े चिकित्सालयों द्वारा चलाये जाते रहे हैं तथा ऐसा वातावरण तैयार कर ग्राम जनता में परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने हेतु जागरूकता पैदा की जाती है। साथ ही ऐसे कार्यक्रम इस गांव में बांसवाड़ा जिला मुख्यालय व परतापुर उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से किये जाते रहे हैं। जिससे गांवों की जनता में वातावरण तैयार होने के बाद जब किसी कार्यक्रम को अपनाने की योजना बनती है तब यहां की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने से जनता कार्यक्रम अपनाने में हिचकिचाती है जिसके लिये भी यहां पर एक रेफरल हास्पिटल की स्थापना होना अत्यन्त आवश्यक है।

ग्राम पंचायत पालोदा इस हेतु भूमि उपलब्ध करवायेगी तथा राज्य सरकार के सहयोग से तथा ग्राम जन सहयोग से किसी न किसी योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण की व्यवस्था भी की जा सकेगी जिससे सरकार को कम से कम आर्थिक व्यय का भार वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार इर्द-गिर्द की सभी पंचायतें व ग्राम नागरिक अपने जन-सहयोग से धन जुटाकर भवन निर्माण कार्य पूरा कर लेगी मात्र सरकार को स्वीकृति के साथ स्टाफ की नियुक्ति एवं साधन का अलाटमेंट व्यय भार ही वहन करना होगा। इस प्रकार यहां की जनता, जो करीब 25 हजार की तादाद में हैं, आवश्यक जन सहयोग देने को तैयार है एवं साथ ही इन पचायतों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाये जाने हेतु जनता में जागरूकता पैदा करने को भी सक्षम है।

अतः निवेदन है कि इस गांव पालोद में एक रेफरल हास्पिटल इस सत्र में नहीं तो आगामी वित्तीय वर्ष में खोले जाने की स्वीकृति प्रदान कर हमारी पंचायतों के नागरिकों के उत्साह में वृद्धि करते हुए सही उपचार एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अपनाये जानें में आकांक्षाओं के अनुरूप सहयोग प्रदान करें। आशा है कि आपके द्वारा संलग्न स्टेटमेंट, नक्शा व पंचायतों की स्थिति का अवलोकन कर पालोदा पंचायत मुख्यालय पर हास्पिटल खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे। हम सभी आपके आभारी होंगे।

(14.00)

**श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।**

(11.3)

## राजकीय महाविद्यालय बालोतरा में बी.ए पार्ट I में नया सेक्शन

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा के बी. ए. पार्ट प्रथम में नया सेक्शन खोलने बाबत विशेष उल्लेख करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा में इस वर्ष प्रवेश लेने के लिये बी. ए. पार्ट प्रथम में 179 आवेदन पेश किये हैं।

(1) इन प्रार्थना पत्रों में 45 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक सहित आवेदन पत्र 157 हैं।

(2) स्वीकृत एक सेक्शन में साठ छात्रों के प्रवेश पर अन्तिम छात्र का प्राप्तांक प्रतिशत 56.33 है।

(3) बकाया योग आवेदन पत्र 45 प्रतिशत से अधिक अंको सहित व आरक्षित वर्ग सहित 97 छात्र हैं।

(4) उपलब्ध क्लास रूम की संख्या पर्याप्त है।

(5) प्रत्येक वैकल्पिक विषय में एक एक प्रवक्ता की आवश्यकता होगी।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि बालोतरा जैसा शिक्षा से पिछड़े हुए क्षेत्र में छात्रों की संख्या का मद्दे नजर रखते हुए छात्रों के हित में बी. ए. पार्ट प्रथम में नया सेक्शन खोलने का सरकार निर्देश दिलाने का कष्ट करें।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोतरा से आने वाले माननीय विधायक ने 295 के माध्यम से जो विषय यहां रखा है। इस सम्बन्ध में मेरा इनसे निवेदन है कि अगर प्रिंसिपल साहब के मार्फत अगर वहां बैठने की जगह है तो कृपया बता दें वहां सेक्शन अभी खुल जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं है, नहीं है। अमराराम जी मैं तो जाकर आया हूं। उसे कालेज में।

**श्री अमराराम चौधरी** : मेरे पास यह है मैं आपको पेश कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मोहन मेघवाल।

## ग्राम पंचायत पाल (जोधपुर) के सरपंच द्वारा जारी किये गये पट्टे में अनियमितताए

**श्री मोहन मेघवाल** (सूरसागर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राजस्व मंत्री/पंचायत राज्य मंत्री का ध्यान ग्राम पंचायत पाल के सरपंच राजूराम गोदारा द्वारा पट्टे जारी करने में की गयी अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

(14.03)

**(श्री समर्थ लाल मीणा, उपाध्यक्ष पदासीन)**

(श्री मोहन मेघवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पाल के सरपंच राजूराम गोदारा द्वारा अपने गांव पाल के रहवासी लोगों को पट्टे जारी नहीं करके ग्राम गागणा निवासी, गणेशराम पुत्र श्री रूघाराम को जरिये मिसल संख्या 26/1988-89 पट्टा संख्या 14 दिनांक 16-10-88 को तथा दूसरा पट्टा उसी व्यक्ति को दिनांक 4-9-90 की मिसल संख्या 18/1989-90 पट्टा संख्या 4-9-90 को जारी किये। उपरोक्त दोनों पट्टे खसरा नम्बर 105 भी दिये जिसे 1974 में जिलाधीश, जोधपुर द्वारा नाथाराम पुत्र पन्नाराम मेघवाल निवासी पाल को आवंटित कर रखी थी। इसके अलावा सरपंच पाल राजूराम गोदारा द्वारा गणेशराम पुत्र रूघाराम, भवराराम पुत्र गिरधारीराम निवासी गागणा को एक सामलाती पट्टा जरिये मिसल संख्या 110/1988-89 पट्टा नम्बर 16 दिनांक 6-9-89 को 100×100 का दिया तथा बाद में दिनांक 7-3-90 को दो अलग-अलग भागों में विभक्त करके कन्हैयालाल पुत्र हंसराज व नरेश कुमार पुत्र श्री चमन दास जाति सिंधी को चालीस हजार में बेच दिये।

बाद उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 213 आबादी आवंटन सम्बन्धी विवाद होने से उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुर्क कर दी गयी तो पाल सरपंच द्वारा उपरोक्त दोनों खरीददारों को खसरा नम्बर 103 में मैन पाल रोड पर 50×100 के अलग-अलग पट्टे जारी कर दिये जिसके मिसल सं. 15/1989-90, पट्टा संख्या 150 दिनांक 7-11-90 को कन्हैयालाल पुत्र हंसराज के नाम व मिसल संख्या 16/1989-90 पट्टा संख्या 149 दिनांक 7-11-90 को दिलीप कुमार पुत्र श्री हंसराज के नाम से गैर कानूनी रूप से जारी कर दिये। इसके अलावा भी पाल सरपंच द्वारा गांव जोधपुर के पास होने से कई लोगों को नाम से बेनामी पट्टे जारी करके जमीन बेच दी थी तथा निजी खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 38 में भी पट्टे जारी कर दिये।

मैं माननीय राजस्व मंत्री/पंचायत राज मंत्री से इस विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करूंगा कि पाल के सरपंच के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाए तथा उसे तुरन्त हटाया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री उगमराज मेहता।

## अमृतकौर अस्पताल ब्यावर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (महिला रोग) का रिक्त पद

**श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत ब्यावर में गाइनिक जे. एस. पद के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में अमृतकौर अस्पताल में पिछले बीस वर्षों से गाइनिक जूनियर स्पेशलिस्ट का पद चला आ रहा है किन्तु अभी दस दिन पहले उस पद को समाप्त कर दिया गया है जो कि न्यायोचित व जनोपयोगी नहीं है। जबकि वस्त्र व्यापार उद्योग संघ ब्यावर ने इस अस्पताल के लिये प्रसूतिगृह भवन सरकार को भेंट किया था। जबसे

(श्री उगमराज मेहता)

कनिष्ठ विशेषज्ञ गाइनिक की पोस्ट थी उस दिन से आज तक पोस्ट चली आ रही थी और अभी अचानक उस पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है।

अतः माननीय मंत्री महोदय का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि इस अस्पताल में पाली, भीलवाड़ा, मसूदा व आस-पास के निवासी ईलाज कराने आते हैं। इस पोस्ट को समाप्त करनें से वहां के निवासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस लिये जनहित में इस पोस्ट को पुनः स्थापित करने के लिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा।

## याचिकाओं का उपस्थापन

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उप स्थापित करेंगे।

**श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं :—

### रामगढ़ पचवारा तहसील लालसोट, जिला दौसा में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण

(1) रामगढ़ पचवारा तहसील लालसोट जिला दौसा में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण कराये जाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित : एवं

### ग्राम पचायत मुख्यालय गांगलियावास में रामगढ़ पचवारा (जिला दौसा) तक के रास्ते में से अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाने बाबत

(2) ग्राम पंचायत मुख्यालय गांगलियावास से रामगढ़ पचवारा (जिला दौसा) तक के रास्ते में से अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाने बाबत, तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

### कोटड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत

**श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील मुख्यालय कोटड़ा में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य विधान सभा, एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

### कंवरसेन जलोत्थान नहर के आर. डी. 32 आर से निकाले जाने वाले वाटर कोर्स की क्षमता बढ़ाने बाबत

**श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कंवरसेन जलोत्थान नहर के आर. डी. 32 आर से निकाले जाने वाले वाटर कोर्स की क्षमता बढ़ाने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

### ग्राम रताऊ तहसील लाडनूं, जिला नागौर की इन्दिरा कालोनी में पीने का पानी उपलब्ध कराना

**श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम रताऊ तहसील लाडनूं जिला नागौर की इन्दिरा कॉलोनी

(श्री हरजीराम बुरडक)

में पीने का पानी उपलब्ध कराने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

## समिति का प्रतिवेदन

### प्राक्कलन समिति "ख" 1995-96 का नवां, दसवां एवं ग्यारहवां प्रतिवेदन

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती उजला अरोड़ा, सभापति, प्राक्कलन समिति, "ख" 1995-96 समिति के तीन प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (सभापति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति प्राक्कलन समिति "ख" 1995-96 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं :—

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित समिति का नवम् प्रतिवेदन;

(2) कृषि विभाग से सम्बन्धित दशम् प्रतिवेदन; एवं

(3) सहायता (अकाल राहत) विभाग से सम्बन्धित ग्यारहवां प्रतिवेदन।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### थाना रेनवाल (जयपुर) में कार्यरत पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रक्रिया नियम 131 के अन्तर्गत श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा, थाना रेनवाल, जिला जयपुर में कार्यरत पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत थाना रेनवाल, जिला, जयपुर में कार्यरत पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री कैलाश मेघवाल** (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 5-8-95 को पुलिस थाना रेनवाल के क्षेत्र ग्राम धूलिया में दफिना प्राप्त हुआ था। जिसके सम्बन्ध में थाना रेनवाल पर मुकदमा संख्या 153/95 दर्ज करवाया, जो अभी विचाराधीन है। इसी मुदकमें में श्री रामेश्वर लाल के द्वारा एक परिवाद पुलिस अधीक्षक, सतर्कता के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिसकी जांच श्री रोहित महाजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर ग्रामीण के सुपुर्द की गयी। इस जांच के सम्बन्ध में थाना रेनवाल के उप निरीक्षक श्री रामसिंह व कांस्टेबल रोहिताश्व के बयान दिनांक 4-4-96 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय), जयपुर ग्रामीण के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जयपुर ग्रामीण में लिये गये। बयान देने के पश्चात् दिनांक 4-4-95 को 10 पी. एम. पर कांस्टेबल रोहिताश्व ने रपट संख्या 129, रोजनामचा, ग्राम, थाना रेनवाल में दर्ज की कि उसके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

(श्री कैलाश मेघवाल)

(मुख्यालय), जयपुर ग्रामीण द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया ।

**श्री जगदीप धनखड़** : सर, आइ एम आन ए पाइंट आफ आर्डर ।

**श्री उपाध्यक्ष** : पहले वक्तव्य पूरा कर लें ।

**श्री जगदीप धनखड़** : मुझे जो जवाब दिया गया है, मंत्री महोदय जो पढ़ रहे हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष** : पूरा पढ़ने दीजिये ।

**श्री जगदीप धनखड़** : यह मेल नहीं खाता जो मुझे दिया गया है उससे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया पहले पूरा पढ़ने दीजिये ।

**श्री जगदीप धनखड़** : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के अन्दर इस चीज की आवश्यकता है कि मंत्री महोदय जो पढ़ रहे हैं उसकी एक प्रतिलिपि मुझे दी गयी है । मेरे पास जो है ...

**श्री कैलाश मेघवाल** : नहीं दी जाती ।

**श्री जगदीप धनखड़** : मुझे सचिवालय ने उपलब्ध करवाया है । राजस्थान विधान सभा के सचिवालय ने गृह मंत्रीजी....

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जिस समय आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जाता है उस समय कार्यालय से उसका एक जवाब पहुंच जाता है जिसकी प्रतिलिपि आपको आती है । किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय जो वक्तव्य दें, वो का वही हो जो आपको दिया है । हां, अगर उसमें कोई अन्तर हो तो उसकी चर्चा कर लेना आप ।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : यह व्यवस्था है कि जो मंत्री महोदय वक्तव्य पढ़ेंगे उसकी कापी माननीय सदस्य को मिलेगी ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : ऐसा कहीं नहीं है ।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : ऐसा कौल एण्ड शकधर में है आप देख लीजिये ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : ऐसा नहीं है ।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : ऐसा हुआ तो ? मैं आपको दिखा दूंगा । अभी मेरे पास किताब नहीं है ।

**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : आपके पास वही पत्र जाता है जिसकी आफिस में चली जाती है बस ।

**श्री हरजीराम बुरड़क** : वह अलग बात है । लेकिन उसके बाद में यह व्यवस्था है कि जो माननीय मंत्री महोदय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ेंगे उसकी एक कापी सदस्य को उपलब्ध होगी या तो आप यह कह दीजिये कि यह व्यवस्था नहीं है ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (मुख्य सचेतक) : कापी देने का अपने यहां कोई रिवाज नहीं है । यह तो अपने यहां

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पर जो जवाब आता है उसका कई माननीय सदस्य फोटो स्टेट करवा कर ले आते हैं। बाकी माननीय सदस्यों को विधिवत रूप से कोई प्रति उपलब्ध नहीं करवायी जाती।

**श्री हरजीराम बुरडक** : नहीं करायी जाती, लेकिन व्यवस्था यह है, नियमों में यह है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : व्यवस्था यह नहीं है।

**श्री जगदीप धनखड़** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता, सरकारी मुख्य सचेतक क्या कहते हैं विधिवत उपलब्ध नहीं करवायी जाती। विधान सभा सचिवालय हर कार्य विधिवत करता है। सचिव के माध्यम से रिकार्ड आते हैं वह हमें उपलब्ध करवाया जाता है और ये कहते हैं कि विधिवत नहीं किया जाता है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह कोई कांफिडेंशल रिकार्ड नहीं है जानकारी के लिये है और उस जानकारी में और वक्तव्य में कोई अन्तर हो, तो आप ववश्चन कर सकते हैं।

**श्री जगदीप धनखड़** : उपाध्यक्ष महोदय, सचिव के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं, हमें उपलब्ध करवाया जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो तथ्य आपको उपलब्ध करवाये है, उसके आधार पर माननीय गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। कहां दिक्कत है।

**श्री हरजीराम बुरडक** : इसमें इतना सा है कि इस व्यवस्था के प्रश्न को आप ओपन रख दीजिये। अभी आप व्यवस्था मत दीजिये मैं आपको किताब दिखाऊंगा। आप उसको ओपन रख दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं मैंने व्यवस्था दे दी, फिर कुछ नहीं है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था बिलकुल ठीक है। ये इनके सम्बन्ध में जो सरकार से जवाब मांगे जाते हैं वह सरकार के और विधान सभा सचिवालय के अपने बीच का कारस्पोंडेंस है और उसकी प्रतिलिपि का कहीं किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है। वह तो केवल आपकी जानकारी के लिये है कि उसके बाद अध्यक्ष महोदय उस जवाब को देख कर उसको लिस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं प्रक्रिया के नियम 50 का जवाब आया है तो उसका वक्तव्य दिलायें या उसको खारिज करें। 131 का जवाब आया है तो उसका यहां पर ध्यानाकर्षण करने को अलाऊ करें या नहीं करें, यह व्यवस्था है और यही व्यवस्था चलती रही है और यही चलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी मुकदमे में श्री रामेश्वरलाल के द्वारा एक परिवाद पुलिस अधीक्षक, (सतर्कता) के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी जांच श्री रोहित महाजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, (मुख्यालय) जयपुर ग्रामीण के

(श्री कैलाश मेघवाल)

सुपुर्द की गयी। इस जांच के सम्बन्ध में थाना रेनवाल उप निरीक्षक श्री रामसिंह व कांस्टेबल रोहिताश के बयान दिनांक 4-4-96 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जयपुर ग्रामीण के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जयपुर ग्रामीण में लिये गये। बयान देने के पश्चात दिनांक 4-4-96 को 10 पी. एम. पर कांस्टेबल रोहिताश ने रपट संख्या 129 रोजनामचा आम थाना रेनवाल में दर्ज की कि उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर ग्रामीण द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया। दिनांक 4-4-96 को ही रपट संख्या 130 के द्वारा 11.55 पी. एम. पर थानाधिकारी श्री रामसिंह द्वारा वापसी की रपट में थाना रेनवाल के रोजनामचा आम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत दूदू के विरुद्ध अनुचित व्यवहार की रपट लिखी गयी। दिनांक 2-4-96 को रपट संख्या 46 के द्वारा श्री मालीराम कांस्टेबल नम्बर 553 ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्त दूदू के रीडर श्री चन्द्रपाल सिंह के विरुद्ध पुलिस थाने के माहवारी नक्शे के लिये 50 रुपये मांग करने की रपट लिखी। इन कर्मचारियों द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट नहीं कर रोजनामचा आम में रपट लिखी जो आर. पी. आर. के नियमों के नियम 3.38(2) व 3.39 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं। इस सम्बन्ध में इन कर्मचारियों को अनुशासनहीनता के लिये आरोप पत्र 17 सी. सी. ए. के अन्तर्गत दिये गये। इनमें से मालीराम कांस्टेबल 553 को दिनांक 28-6-96 को एक वेतन वृद्धि दो वर्ष के लिये बिना भावी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

यह सुप्रीम कोर्ट का मसला थोड़े ही है मुंसिफ कोर्ट का मसला है। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट फीस कर रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : आज कल बड़े-बड़े नेता मुंसिफ के यहां जाते हैं। अदालत तो सभी बराबर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण इस आधार पर किया कि राजस्थान नियम, 1965 में प्रावधान है, जिस नियम का आपने हवाला दिया है "3.38 क्लाज (2) पुलिस स्टेशन डायरी की प्रत्येक प्रविष्टि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अथवा पुलिस स्टेशन के लिपिक द्वारा की जाएगी," इसका आप उल्लंघन मानते है।

उपाध्यक्ष महोदय, रामसिंह थानाधिकारी है। एक दूसरे व्यक्ति ने लिखा वह लिपिक है और आगे नियम को देखेंगे तो सहायक लिपिक भी यह कार्य कर सकता है। आप स्वयं विद्वान हैं, गृह विभाग को चला रहे हैं! आपने दो नियमों की अनदेखी बतायी है। उन दोनों नियमों में यदि आपके पास किताब है तो एक बार पढ़ लें....

श्री कैलाश मेघवाल : आप बोलिये ना।

**श्री जगदीप धनखड़** : मैंने पढ़ा है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : जो सवाल आपको करने हैं वह करें।

**श्री जगदीप धनखड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दा क्या उठा। तीन पुलिस कर्मियों ने डायरी के अन्दर इन्द्राज किया एक ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया कि मैं थाने की डायरी लेकर एक दूसरे पुलिस अधिकारी के कार्यालय में गया। उनके रीडर को जब मैंने डाक देने की बात कहीं उन्होंने दस्तखत कर दिये। फिर कहा कि 50 रुपये दो। उसने कहा कि 50 रुपये मैं कहा कि कहां से दूं, तो उन्होंने काट दिया। वह क्या करता वह वापस थाने में आया और विधिवत रूप से डायरी में इस चीज को अंकन कर दिया। अब क्या होता है कि उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को मिलती है। स्वाभाविक रूप से इस भ्रष्टाचार के मामले की जांच होनी चाहिये थी, जो दोषी आदमी था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिये था और उसको दंडित किया जाना चाहिये था। लेकिन कुछ नहीं किया। उस आरोप की जांच को शुरूआत आज तक नहीं की और उस पुलिसकर्मी ने, जिसने इस बात को लिखकर दिया 17 सी. सी. ए का नोटिस दिया। गृह मंत्री जी ने कहा कि हमने उसको दंडित भी कर दिया है। यह कहां का न्याय है? यह पुलिस प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है-कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। वह रोजनामचे जैसी जगह डाकूमेंट में कोई इन्द्राज करे, जिसकी सत्यता पर कोई उंगली नहीं उठाता है। कहते हैं कि आपने नियम विरुद्ध कार्य किया है, प्रशासनिक विभागीय कार्यवाही जारी कर दी गयी और उसका निर्णय कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले उच्चाधिकारियों को चाहिये था कि जो भ्रष्टाचार का आरोप इनके विभाग के सम्बन्ध में एक हैड कांस्टेबल ने, एक पुलिस कर्मी ने, एक रीडर के विरुद्ध लगाया जो एक पुलिस कर्मी है, जांच क्यों नहीं की गयी? 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे' ऐसी कहावत को चरितार्थ आपने क्यों किया? यह मामला यहीं खतम नहीं होता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थाने पर जाते हैं। उनके जूरिस्डिक्शन का थाना नहीं है। थाने में जाकर, माननीय गृह मंत्री जी, जरा देखिये राजस्थान पुलिस नियम, 1965 में प्रोविजन है कि जो भी पुलिस अधिकारी जाएगा, चाहे किसी भी थाने का हो, किसी भी काम के लिये जाए, थाने में इन्द्राज करेगा। यह एडीशनल एस. पी. वहां गये। इन्द्राज क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया, तो क्या राजस्थान पुलिस नियम, 1965 का उल्लंघन नहीं है और आप उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करोगे?

एक कांस्टेबल को उठा लाये, एक दूसरे थाने में रखा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बयान दर्ज करने के अन्दर कहा कि नहीं आप ऐसा बयान दो। एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत वाले अधिकारी ने रात को बयान लिखा। 3-4 बार बयान लिखे गये। इन्द्राज यह नहीं किया गया है। उसको मुर्गा तक

(श्री जगदीप धनखड़)

बनाया गया, फिर उन बयानों को फाड़ दिया गया। अनुसंधान से सम्बन्धित, पहला मामला भ्रष्टाचार से सम्बन्धित था। यह अनुसंधान जैसे पवित्र कार्य से सम्बन्धित मामला था। इसका भी आपने इन्द्राज नहीं किया। उस पर भी क्या कहा....

श्री उपाध्यक्ष : आपके दो सवाल हो गये हैं। क्या यह सही है?

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह पूछिये सवाल बनाकर।

श्री जगदीप धनखड़ : हां, सवाल बनाऊंगा। उसमें भी श्रीकर्ण उन्होंने रोजनामचे में लिखा है कि मेरे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार अनुसंधान सम्बन्धित कार्यवाही के दौरान किया गया था। इसकी भी जांच होनी चाहिये थी। जांच नहीं हुई। उसको भी 17 सी. सी. ए. का नोटिस दे दिया गया। थानाधिकारी आये, उन्होंने भी इस प्रकार की एक रिपोर्ट की। उनको भी 17 सी. सी. ए. का नोटिस दे दिया गया। यह सब कार्यवाही एक ही दिन, 16 मई को चली। इस दिन को इन्होंने इसके लिये चुना। कारण, इन तीनों रिपोर्टस पर, एलिगेशंस किसी भी प्रकार की जांच उन एलिगेशंस पर नहीं की गयी, जो उन रिपोर्टस में दिये गये थे। और एक ही आधार दिया गया है और आधार क्या है, यह लिखा है कि आप हमारे पास, उच्चाधिकारियों के पास आ सकते थे, उच्चाधिकारियों के पास आकर यह सूचना देते। माननीय उपाध्यक्ष इसका तात्पर्य क्या है? राजस्थान पुलिस नियम, 1965 की जो व्याख्या की गयी है वह तो गलत है ही, सरासर गलत है। यह उन पुलिस कर्मियों का उत्तरदायित्व था कि वह इस प्रकार का इन्द्राज करते और इनका उत्तरदायित्व था कि यह उस पर कार्यवाही करते। ऐसा न करके उनको दण्डित करना, मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात से चिंतित है कि जो आरोप इन तीन रिपोर्टस में इन पुलिस कर्मियों ने लगाये हैं उनकी जांच किसी भी स्तर पर आज तक न होना और इन कर्मचारियों को दण्डित कर देना, इस सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनकी बात को रेस्पोंड करूंगा कि इस पर क्या कर रहे हैं आप?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक सवाल पूछना चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : आप अपने सब सवाल रख दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, जितने इनके सवाल आये हैं। यह तो नहीं हो सकता कि मुझसे कोई सवाल पूछें, फिर मैं जवाब दूं फिर वापस उठें। इसलिये इनको अपने जितने प्रश्न उठाने हैं वह सारे प्रश्न उठा दें और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे दूंगा। दूसरे माननीय विधायक भी....

**श्री उपाध्यक्ष** : आप और कुछ पूछना चाहें पूछ लें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : जो भी प्रश्न उठाना चाहें वह सब उठा लें और उसके बाद प्रश्नों का तारतम्य चल नहीं सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ठीक है।

**श्री जगदीप धनखड़** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मंत्री जी से बड़ी उम्मीद है। क्योंकि 3 जून, 1996 को राजस्थान पत्रिका में यह खबर छपी। जिसमें कहा गया-"गृह मंत्री का रौद्र रूप देखकर पुलिस वाले, प्रशासनिक अधिकारी सकते में।" मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा और आपने फीत फाड़ने तक की बात कही। आपकी सरकार और आपके नेता तो कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार को नकेल डालकर खींच डालेंगे, खतम कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह भी जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार का इन्द्राज इसी तरह पुलिस कर्मियों ने इसी थाने में और अन्य जगह किया था, परन्तु दंडित सिर्फ उनको किया गया है जो एक विशेष जाति के हैं। दंडित करने का एक ही आधार रहा है कि जातिगत आधार पर गृह मंत्रीजी आप पुलिस विभाग को चला रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : यह बिलकुल असत्य है।

**श्री जगदीप धनखड़** : .....जवाब दे देंगे।

**श्रीमती शशीदत्ता** : यह गलत है। यह जातिगत करते ही नहीं है। वह एक भी नहीं करते हैं। श्री धनखड़ जी इनको आप शिक्षा दें कि यह एक-आध तो करें, जातिगत नहीं करते। आज तक किया ही नहीं इन्होंने। ये जाति से बाहर है कुकृमा यह आरोप नहीं लगायें।

**श्री हरिसिंह (महुवा)** : ....यह भी "मैडम" जातिवाद है जो आप बोल रही हैं।

**श्री जगदीप धनखड़** : आपकी बजाय अगर वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हैं वह गृह मंत्री जी को सर्टिफिकेट देते....

**श्रीमती शशीदत्ता** : बिलकुल नहीं करते हैं ये।....इस आधार पर यह आरोप तो आपका बिलकुल गलत है।

**श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री)** : ये तो जाति वालों के भी काम नहीं करते हैं।

**श्री जगदीप धनखड़** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरी कार्यवाही का एक ही आधार बताया गया है कि राजस्थान पुलिस नियम, 1965 3.38 सब क्लाज(2) का इन लोगों ने उल्लंघन किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी नियम में प्रावधान है, 3.40 में, कि यदि अगर कोई पुलिस कर्मी गलत रिपोर्ट डायरी में दर्ज करता है तो उसका क्या इन्तजाम हो सकता है, उसको किस तरीके से दण्डित किया जा सकता है, वह कार्यवाही नहीं की। क्यों? उसमें एक बात लिखी हुई है It is qualified. यदि अगर वह असत्य है। यदि बात सत्य थी तो सत्य बात का रास्ता क्या निकालते? इसलिये आपके अधिकारियों ने एक तरीका निकाला कि हम 3.40 के तहत कार्यवाही करेंगे तो हमें

(श्री जगदीप धनखड़)

निर्णीत करना पड़ेगा कि इसमें जो लिखा गया है वह सही है या गलत है। पर वे इसका निर्णय नहीं करना चाहते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि नोटिस में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि आप सीधे पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते। क्या डायरी में इन्द्राज करके उनको सूचित नहीं किया जा सकता? यदि अगर ऐसा इन्द्राज डायरी में कर दिया जाए तो क्या विधिवत रूप से उनको इसकी जानकारी नहीं होती है? क्या कंसर्न्ड सी. ओ. ने 18 अप्रेल को सूचना उच्च अधिकारियों को इस बारे में नहीं भेजी? यदि अगर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कंसीडरेशन यही होता कि हमें सूचना करते आप, तो सूचना का सबसे बढ़िया माध्यम पुलिस कर्मी ने अपना लिया। मैं जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान में आप इस बात को पनपायेंगे कि कोई भी पुलिस कर्मी पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार हो, पुलिस अधिकारी दुर्व्यवहार करे, नियमों की पालना न करें, अनुसंधान जैसे पवित्र कार्य में एक ऐसा रास्ता अपनाये जो विधिक नहीं है, आपने इस व्याख्या को राज्य के स्तर पर स्वीकार कर लिया है?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं आपकी इजाजत से, उपाध्यक्ष महोदय। क्या यह बात सही नहीं है कि रोजनामचा, थाने, की डायरी या डेली डायरी और उसके अन्तर्गत जो भी पुलिस कर्मचारी थानों पर तैनात हैं वे जब बाहर जाएं तो उसकी एन्ट्री होगी और बाहर से भीतर आएगा तो उसकी एन्ट्री होगी और काम करके आएगा उस बात की एंट्री होगी? और क्या एस. एच. ओ. का यह फर्ज है कि कोई भी फरियादी या कोई भी शिकायत थाने में आये तो वह रोजनामचा रपट में डालेगा और अगर कोई काग्निजीबल आफेंस बनता है तो उसका काग्निजीबल आफेंस लिखा जाएगा?

अब इस केस में, श्रीमन् 2-4-1996 को एक कांस्टेबल जो आन ड्यूटी गया था और उसने आकर के अपना वापसी का इन्द्राज किया, इन्द्राज में यह रपट डाली कि इस प्रकार से एक काग्निजीबल आफेंस 50 रुपये रिश्वत लेना का मामला थाने के अन्दर रोजनामचा की रपट में डाला। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस रोजनामचा रपट को एस. एच. ओ. ने देखा और अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? अगर एस. एच. ओ. ने उसको देखा तो क्या यह काग्निजीबल आफेंस की परिभाषा में नहीं आता था? उन्होंने इस सम्बन्ध में केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। जब रोजनामचा में यह लिखा गया और उसकी कापी दूसरे दिन सी. ओ. के पास चली जाती है तो उसमें सी. ओ. ने क्या कार्यवाही की? आपने जो अनुशासनात्मक कार्यवाही की वह

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अलग है या सी. ओ. ने जो सारी अनुशासनात्मक कार्यवाही की है वह अलग है?

दूसरा, मेरा इसमें निवेदन है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने का आपका नारा है। इसमें कोई एलर्जी हुई हो कि भ्रष्टाचार आप तो मिटा रहे हो और उन्होंने रोजनामचा लिख दिया, पर्मानेंट सर्टिफिकेट दे दिया कि ये भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, तो क्या वे वापस बढ़ा रहे हैं?

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि सारी चर्चा का गेमट बड़ा नेरो हो गया है और आपने जो बातें उठायी हैं उन सारी का जवाब मैं दे दूंगा, पहले तो जनरल बात का दे दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आरोप कि जाति विशेष के लोगों के कारण इस तरह की कार्यवाही की गयी है, बिलकुल असत्य है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सब इंस्पेक्टर जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही इनिसिएट की गयी है वह रामसिंह शेखावत है। शेखावत है या नहीं या वह जाट है? वह रामसिंह शेखावत है। वह सब इंस्पेक्टर है।

**श्री जगदीप धनखड़** : मतलब जातिगत आधार पर मेरा आरोप यही हो सकता है The cat is out of the bag.

आप यह कहना चाहते हैं कि जातिगत आधार पर मेरा आरोप यही हो सकता है The cat is out of the bag. और यदि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपने इसका निलम्बन किया उसकी तारीख बताइये तो?

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोटिस देकर जो भी सवाल पूछना चाहेंगे उन सारे सवालों का जवाब देने को मैं तैयार हूं। लेकिन अभी इस बात में आपने भी सुना और मैंने भी सुना, इन्होंने यह आरोप लगाया है कि यह जातिगत, विशेष जाति के होने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी तो उसका स्पष्टीकरण मेरे लिये देना आवश्यक है बाकी मैं जाति रेफर भी नहीं करता। इसमें जो सब इंस्पेक्टर है वह रामसिंह शेखावत है। दूसरे दो कांस्टेबल हैं वे जाट जाति के हैं। इन तीनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने एक ध्यान और आकर्षित किया कि राजस्थान के दूसरे थानों में ऐसी एंट्रीज हुई हैं और वहां उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी एक भी एंट्री जो नियम विरुद्ध है, जो इस राजस्थान पुलिस रूल्स में किये प्रावधानों के विरुद्ध है, अगर इसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की गयी है, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि मेरी जानकारी में लाने पर मैं उसमें कार्यवाही करूंगा।

एक आपने शायद किस कारण से फीत उतारने वाली बात जो एक अखबार में छपी है और मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने कहा था, मैं इसको मना नहीं करता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कई ग्रामीण मुहावरे चलते हैं, उन ग्रामीण मुहावरों के आधार पर कई बार बोल देते हैं। मुझे मालूम है जब प्रतापसिंह कैरों पंजाब के मुख्य मंत्री थे उस समय वह कहीं थाने में जाते, कोई गड़बड़ होती तो उसी समय वे फीत उसकी उतरवा लेते कि आपको डिमोट करता हूं, आपको यह करता हूं। वहां पर जब मैं कार्यवाही करने गया तो मैंने मेरे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर, जिन पर आतंक हुआ था उनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा आप आश्वस्त रहिये कि मैं आपके खिलाफ कोई भी किसी तरह से अगर अन्याय पुलिस वाले करेंगे तो उसकी फीत उतारने में देर नहीं करूंगा। मतलब दण्डित उसको करके रहूंगा। इस प्रसंग में मैंने कहा था। अब उसका आज आपने रेफरेंस किस साइक्लोजिकल, कौन सा साइक्लोजिकल" प्रेसर ये मेरे पर लाना चाहते थे उस प्रसंग को आप लाये और अखबार में आपने पढ़ा तो मैं स्वीकार करता हूं, मैंने कहा है। उसका आशय यह था कि कोई भी पुलिस वाला शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा या इनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं देगा, तो उसकी फीत उतारने में देर नहीं करूंगा, मतलब दण्डित करते हुए देर नहीं करूंगा। उसको आज फिर रिपीट करना चाहता हूं कि एक मुहावरा था जो मैंने यूज किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो बात तो इन्होंने कहीं। अब मैं वह पढ़ दूं, उस पाइंट पर कि, आखिर अनुशासनात्मक कार्यवाही किस बात पर चल रही है। सबसे पहले तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा इसी राजस्थान पुलिस रूल, 1965 के रूल 3.3 की ओर। वह रूल यह है "The Police Station Clerk is a literate Head Constable who, under the control and supervision of the officer incharge of the Police Station, acts as Clerk, Accountant, Record Keeper and Custodian of Government and other property at a Police Station. He may be assisted by one or more Assistant Clerks." यह है स्टेशन क्लर्क। स्टेशन क्लर्क की परिभाषा मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने इसलिए पढ़ी है कि सारे नियमों की परिधि में और प्रावधानों में रोजनामचा में रपट दर्ज करने का अधिकार या तो एस. एच. ओ. को है, जो यहां पर सब इंस्पेक्टर रामसिंह शेखावत है या इस स्टेशन क्लर्क को है। स्थिति साफ होने के बाद ये दोनों रोजनामचा में अपनी रपट डाल सकते हैं किसी भी तरह की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 3.38 क्लॉज (2) है वह मैं आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि सबके सामने स्थिति

(श्री कैलाश मेघवाल)

बिलयर हो जाए-"All entries in the station diary shall be made by the officer incharge of the police station or by the station clerk."

यह जो प्रोविजन है उस रोजनामचे में "All entries in the station dariy shall be made by the officer incharge of the police station or by station the clerk" यह स्पष्ट बताइटा कर रखो है कि डायरी में क्या-क्या एण्ट्री होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जवान और वरिष्ठ एडवोकेट ने....

श्री उपाध्यक्ष आप दोनों ही जवान हैं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : Sir, kindly keep me in a different category Kailash Meghwal is of 63.

श्री कैलाश मेघवाल : ये मेरे पुत्र की उम्र के हैं। यदि मैं शादी करता तो मेरे पुत्र इनकी उम्र का होता।

श्री जगदीप धनखड़ : यदि ये शादी कर लेते तो मैं इनके बेटे की उम्र का होता।

श्री कैलाश मेघवाल होते। उपाध्यक्ष महोदय, हुआ क्या है, बिलकुल स्पष्ट प्रावधान है कि स्टेशन डायरी में क्या-क्या घटनाएं एण्ट्री की जाएगी और स्पष्टता के लिये मैं आपके सामने पढ़ देना चाहताहूं कि-

"Matters to be entered in Register Number (2). — The following matters shall, amongst others, be entered :—

(a) The number and description of cattle seized in connection with cases or on suspicion with reference to the case or report.

(b) The day, hour and purpose of visits to the police station of convicts released under the Remission Rule or under Section 565, Code of Criminal Procedure, together with the names of such persons.

(c) The hour of arrival and departure on duty at or from a police station of all enrolled police officers of whatever rank, whether posted at the police station or elsewhere, with a statement of the nature of their duty. This entry shall be made immediately on arrival or prior to the departure of the officer concerned and shall be attested by the latter personally by signature or seal.

Note :—The term police station will include all places such

(श्री कैलाश मेघवाल)

as police lines and police stations where register number (2) is maintained.

(d) Every police officer of or above the rank of Head Constable, when returning from duty other than an investigation in which case d aries are submitted; shall have an entry made in the daily diary by the station clerk or his assistant showing the places he has visited and the duties performed by him during his absence from the police station.

(e) The hour of receipt and despatch of all communications, property, cash, etc., giving reference to the number in the corresponding register.

Note :-The word 'communications' shall be taken to include the reports required by police rule 3.47 and police rule 8.1 to be sent to Panchayats

(f) Information of the commission of non-cognizable offences (rule 5.3) including reports of enmities likely to reach to a breach of the peace (rule 4.28); visits of Chowkidars to police stations (rule 2.3).

(g) All arrivals at, and despatches from, the police station of persons in custody. and all admissions to and removals from, the police station lockups, whether temporary or oherwise an exact hour being given in every case.

(h) The hour and date of receipt and (separately) of service or execution of each process; and hour and date or return made to such process.

(i) The report regarding property in the store room required by rules 3.15 and 3.18 (2).

(j) The report regarding excess of expenditure over the permanent advance as requried by rule 3.58.

(k) The deposit in or removal from, the post office safe in the police station of any article whatsoever, the exact hour being given in every case.

(श्री कैलाश मेघवाल)

Note :–Every such entry shall contain detail of the articles deposited or removed and shall be signed by the Sub or Branch Post Master affecting the deposit or removal."

श्री उपाध्यक्ष : कितना लम्बा है ?

श्री कैलाश मेघवाल : बस दो और हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ?

श्री कैलाश मेघवाल : दो आइटम ही है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत लम्बा है।

श्री कैलाश मेघवाल : दो आइटम और हैं। मैं "एम" तक आ गया हूं और "एम" तक ही है।

श्री जगदीप धनखड़ : अगर आप 3.38 का क्लाज चार पढ़ दें तो स्पष्ट हो जाये, वह आपने पढ़ा ही नहीं2 क्लियर हो जाए। You are reading wholly irrelevant.

श्री कैलाश मेघवाल :... "(1) A reference to every information relating to the commission of a cognizable offence and action is taken under Section 157 Code of Criminal Procedure the number and date of the First Information Report submitted.

Note :–In cash where the information relates to the commission of cognizable offence triable by a Panchayat mention shall also be made in the daily diary of the measures taken to send a copy of the First Information Report to the Panchayat concerned as required by police rule 5.5 (2).

II (m) In monday's diary a list shall be given of all papers pending for over a week.
ये 3.39 का है।

श्री जगदीप धनखड़ : आप 3.38 का 4 पढ़िये।

श्री कैलाश मेघवाल : 3.38 "(4).. The daily diary is intended to be a complete record of all events which take place at the police station. It should, therefore, record not only the movements and activities of all police officers but also visits of out-siders, whether

(श्री कैलाश मेघवाल)

official or non-official, coming or brought to the police station for any purpose whatsoever." यह मैंने आपके सामने पढ़ दिया है।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब स्थिति यह है कि माननीय सदस्य ने जैसा यहां संदर्भित किया है कि तीन रिपोर्ट लिखी गयी। पहला यह कि एस. एच. ओ. रामसिंह के खिलाफ रिकार्ड एण्ट्री करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। एस. एच. ओ. रामसिंह ने जो एण्ट्री की है वह एण्ट्री मैंने 3.39 जितने भी क्लाजेज पढ़े हैं उनसे एक से भी कवर नहीं होती है। ये उसने अनुशासनहीनता की कि जो रिकार्ड नहीं होना चाहिये था वह रिकार्ड किया। इन दोनों कांस्टेबलों को तो डेली डायरी में लिखने का ही अधिकार नहीं था। पहली बात तो यह कि उनको अधिकार नहीं था कि वे रोजनामचे में एण्ट्री करते दूसरा यह कि जो एण्ट्री नहीं होनी चाहिए, जो फैक्ट्स रजिस्टर में नहीं रखे जाते वे एण्ट्री की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टूटू गया। वहीं एडिशनल एस. पी. बैठता था। पचास रुपये मांगे। कहा कि अरे भाई तू ये लाया है तो ला पचास रुपये देगा तो लूंगा नहीं देगा तो तेरे दस्तखत काट देता हूं। मैं मानता हूं कि यह हुआ होगा लेकिन वहां बैठने वाले एडिशनल एस. पी. को शिकायत की जा सकती थी। कांस्टेबल से लेकर जितने भी श्रेणी के हमारे अधिकारी हैं, उन सबको अधिकार हैं कि सीनियर आफिसर्स से मिलकर अपनी ग्रिवेंसेज बतायें, उनके साथ जो कुछ होता है वह भी बतायेंगे और इसके लिये डी. जी. पी. तक अपनी आडियेंस देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसको जो करना चाहिये था वह नहीं किया। उसने क्यों नहीं किया, उसके दिमाग में क्या था लेकिन वह न तो एण्ट्री करने के लिये अधिकृत था और न उन फैक्ट्स की जो एण्ट्री की है वह बहुत बड़ी-बड़ी है, आप चाहेंगे तो पढ़ दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर जिन फैक्ट्स की एण्ट्री उसने की वो एण्ट्री उस रजिस्टर में नहीं होनी चाहिये थी। दूसरा, रामसिंह शेखावत ने भी जो एण्ट्री की है वो एण्ट्री करने का अधिकार रखता है, लेकिन वो एण्ट्री उस रजिस्टर में नहीं की जानी चाहिये थी। मैंने "ए" टू "एम" पढ़ा है, उससे कहीं कवर नहीं होती। कांस्टेबल रोहिताश्व कुमार को भी एण्ट्री करने का अधिकार नहीं था और जिन तथ्यों की एण्ट्री की उन तथ्यों की एण्ट्री भी वहां नहीं होनी चाहिये थी इसलिये इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। एस. पी. (रूरल), जयपुर जिनके इमीजियट सबोर्डिनेट्स हैं एडिशनल एस. पी. की शिकायत उनको की जा सकती थी आई. जी. टू को की जा सकती थी। इस तरह से यह कार्यवाही की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वर्किंग के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही बड़ी कोम्पेक्ट वर्किंग है। इसमें जब कभी कोई कमी आये तो

(श्री कैलाश मेघवाल)

उसमें संशोधन किये जा सकते हैं, रूल बदले जा सकते हैं। इनके खिलाफ जो कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है, बिलकुल ठीक की गयी है। अब रहा सवाल यह कि इन्होंने जो एण्ट्रीज की है। वह एण्ट्रीज सी. ओ. को भेजी जाती है, सी. ओ. ने उसको सीनियर आफिसर्स को भेजी है और सीनियर आफिसर्स ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की है इस बारे में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज ही डी. जी. पी. को इस बात के लिये निर्देश दूंगा कि इसमें नियमानुसार यथोचित कार्यवाही नहीं की गयी है, तो क्यों नहीं की गयी है और अब कार्यवाही को कर लिया जाए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो तीन एण्ट्रीज हैं यह रामसिंह ने तो एण्ट्री कर दी क्योंकि उसको अधिकार है। माननीय गृह मंत्री जी दोनों एण्ट्रीज भी नियमानुसार की गयी हैं। एक एण्ट्री उस कांस्टेबल ने नहीं की है। जो हैड कांस्टेबल था उसने की है और यदि अगर आप नियम 339(घ) को देखेंगे तो लिपिक का असिस्टेंट भी कर सकता है तो तीनों की तीनों एण्ट्रीज विधिवत उनके द्वारा की गयी हैं जिनके पास जूरिस्डिक्शन है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो रिपोर्ट में तथ्य अंकित किये हैं जिनकी जांच आप डी. जी. पी. से करवाओगे क्या उस जांच का दायरा यह होगा कि अब तक जिन अधिकारियों को इनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिये थी जिन्होंने कार्यवाही नहीं की और जो इस बात के दोषी हैं तो क्या जांच का दायरा यह भी रहेगा कि जो भी कोई दोषी है इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने का, एक तो बाई ओमिशन और दूसरी बात कि कितने समय में यह जांच पूरी हो जाएगी ? यह तो आपने बहुत अच्छा किया और मैं आपको बधाई देता हूं कि डी. जी. पी. स्वयं अपने निर्देशन में इस प्रकार की जांच करवाएंगे। इससे पुलिस में कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल और नीचे के जो पुलिस कर्मी हैं उनके मनोबल को, जो आपकी भावना थी फीत उतार लेंगे, यह सिग्नल उनको मिल जाएगा और गृह मंत्री जी एस. सी., एस. टी. को बचाने के साथ-साथ हम लोग भी उसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम भी पीड़ित है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जगदीप धनखड़ :... तो मैं आपसे जानना चाहूंगा नम्बर 1 कि समयावधि क्या होगी जांच की ? नम्बर 2-इस जांच का दायरा काम्प्रीहैंसिव होना चाहिये कि जो भी कोई रेस्पांसिबल है "फोर नाट इनीसिएटिंग एक्शन आन दीज रिपोर्ट्स" उनको भी कवर किया जाए। नम्बर 3--डिस्पेशनेटली जो भी उनमें कहा गया है यदि मुकदमा दर्ज कराना पड़े 50 रुपये के लिये तो करवाइये। यदि अगर

(श्री जगदीप धनखड़)

अनुसंधान के साथ खिलवाड़ किया है, वहां भी क्रिमिनल प्रासीक्यूशन हो सकता है, करवाइये। यह दो बातें आप स्पष्ट कर दीजिये।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक को मुझ से ज्यादा डाइसिटीज एण्ड डैलीकेसीज आफ दी ला का पता है। दफा 17 की भी कार्यवाही की जाती है तो डेलीक्वेंट आफिसर को सुना जाता है, एक्सप्लेनेशन लिया जाता है। उसके बाद उस पर दण्डित भी अगर किया जाता है तो उस दण्ड के खिलाफ राज्यपाल महोदय तक अपीलें और रिविजन्स होते रहते हैं। इसलिये अगर कोई गलत कार्यवाही हो जाए, होती भी हैं, यह सारे प्रावधान इसलिये किये गये हैं। आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं....

**श्री जगदीप धनखड़** : क्या आप रिपोर्ट को गम्भीर नहीं मानते हैं? आप खुद पढ़िये कितनी गम्भीर रिपोर्ट्स हैं। इस पर अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं की गयी कुम्भकरण की नींद में सब सोये रहे....

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही तो कह रहा हूं कि किसी तरह के कोई ओमिशन, कोई कमीशन इसमें नियमों के और कानून के होते हैं, कोई कमी रहेगी तो इसकी भी जांच डी. ओ. पी. शीघ्रातिशीघ्र करेंगे।

**श्री जगदीप धनखड़** : कितने समय में?

**श्री कैलाश मेघवाल** : शीघ्रातिशीघ्र।

**श्री जगदीप धनखड़** : नहीं, शीघ्रातिशीघ्र नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, "लेट दी आनरेबल होम मिनिस्टर गिव सम टाइम शिड्यूल।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया बिराजें। मंत्री महोदय, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। कृपया बिराजें।

## पाली जिले की कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन

प्रक्रिया और नियम 131 के अन्तर्गत श्री उगमराज जी मेहता सदस्य विधान सभा पाली जिले की कृषि भूमि खसरा नं. 537-1 चक नम्बर 2 की कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

**श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस सम्बन्ध में आकर्षित करता हूं।

**श्री गंगाराम चौधरी** (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री शांतिलाल मेहता द्वारा दिनांक 18-6-92 को पाली के चक नं. 2 के खसरा नं. 537/1 रकबा 58,12 बीघा शामलाती भूमि में से 9 बीघा

(श्री गंगाराम चौधरी)

15 बिस्वा कृषि भूमि को ओद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र कलक्टर, पाली को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृष्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। यह खसरा नं. नगर परिषद की सीमा से 1.05 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। प्रार्थी द्वारा संपरिवर्तन के लिये प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 537/1 संयुक्त खातेदारी की थी, अतः प्रार्थी को उक्त भूमि का विधवत बंटवारा करवाकर प्रार्थना पत्र पूर्ण करने हेतु 6-7-92 को सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि का विधिवत बंटवारा करवाकर राजस्व रेकार्ड 16-5-94 को प्रस्तुत किया अतः इससे पूर्व भूमि बंटवारे के अभाव में संपरिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं था। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 27-9-93 द्वारा पाली नगर परिषद सीमा का विस्तार किया गया। प्रार्थी की भूमि चक नं 2 का खसरा नं- 537/1 इस अधिसूचना से नगर परिषद सीमा में आ गयी। इस प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक 16-5-94 को प्रस्तुत होना माना जाएगा और इस तारीख से पूर्व यह भूमि नगर परिषद पाली की सीमा में सम्लित की जा चुकी थी। अतः 1992 के नियमों के तहत इसका संपरिवर्तन सम्भव नहीं था। उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्व विभाग की अधिसूचना 1-10-94 द्वारा नगर परिषद की परिधिय सीमा को बढ़ाकर 3 किलोमीटर कर दिया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 1992 के संपरिवर्तन नियमों के अन्तर्गत संपरिवर्तन योग्य नहीं होने से जिला कलक्टर, पाली ने आदेश दिनांक 31-5-95 द्वारा संपरिवर्तन नहीं करने की सूचना प्रार्थी को दी।

दिनांक 31-5-95 के आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी श्री शांतिलाल मेहता ने राज्य सरकार के समक्ष राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा की 83 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की।

अन्य अभिलेख के अवलोकन पश्चात् आदेश देने पर राज्य सरकार द्वारा कलक्टर पाली को लिखा गया कि वे राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि भूमि में परिवर्तन) नियम, 1961 सहपठित राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन, नियम, 1959 के अन्तर्गत प्रार्थी के प्रकरण में संपरिवर्तन आदेश करने की स्वीकृति जारी करें। साथ में यह भी आदेशित किया कि भूमि रीको औद्योगिक क्षेत्र द्वारा विकसित नहीं होने के कारण प्रार्थी से विकास शुल्क देय नहीं है।

जिला कलक्टर, पाली ने अपने आदेश दिनांक 13-6-96 में यह आपत्ति की है कि राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आबंटन) नियम, 1959 के नियम 11 (2) के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को मास्टर प्लान व ड्राफ्ट मास्टर प्लान में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने पर ही स्थानान्तरण का प्रावधान है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान में प्रश्नगत भूमि ग्रीन बेल्ट में है अतः कलक्टर ने संपरिवर्तन करने से असमर्थता प्रकट करते हुये राज्य सरकार के स्तर पर संपरिवर्तन आदेश जारी करने की अनुशंषा जाहिर की है।

(श्री गंगाराम चौधरी)

उपरोक्त आपत्ति पर नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से ड्राफ्ट मास्टर प्लान एवं ग्रीन बैल्ट की स्थिति मालूम की जा रही है। मामला विचाराधीन है।

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सीधे ही प्रश्न करता हूं कि कलक्टर ने प्रस्तावित भूमि ड्राफ्ट मास्टर प्लान में ग्रीन बैल्ट की वजह से औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्मिलित करना सम्भव नहीं होगा—यह बात बतायी। जब कि राज्य सरकार ने 7-4-94 के आदेश में ही इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया था कि इस भूमि को संपरिवर्तन कर दिया जाए। नम्बर 2—क्या कलक्टर पाली ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12-3-96 की पालना में प्रार्थी को भूमि राज्य सरकार के हित में तहसीलदार पाली को सशर्त समर्पण करवाने हेतु 18-3-96 को पत्र लिखकर भूमि का समर्पण करवाकर औद्योगिक प्रयोजनार्थ नहीं देकर राज्य सरकार को पत्रावली भेज देना यह बताता है कि राज्य सरकार से बढ़कर वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं? तीसरा, मेरा प्रश्न है कि क्या राज्य सरकार की नयी औद्योगिक नीति व राजस्व विभाग द्वारा उदारीकरण औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु सपरिवर्तन नियमों को इस ढंग से पालना की जा रही है जब कि सारी औपचारिकताएं पूर्ण होते हुए एवं राज्य सरकार की स्वीकृति के बावजूद प्रार्थी को आदेश न देकर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना और परेशान करना नहीं है?

क्या राज्य सरकार ने इस ढंग के प्रकरण में गांव शम्भुपुरा जिला चित्तौड़गढ़ में आसीम इण्डस्ट्रीज द्वारा स्थापित बड़े सीमेन्ट उद्योग को नियम 1992 के तहत आदेश नहीं दिये थे? क्यों नहीं इस मामले में भी जो लागू उद्योग हैं इसका आदेश राज्य सरकार अपने स्तर पर जारी करना चाहती है?

(15.00)

श्री उपाध्यक्ष : पहली बार ही कह दीजिए। आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए।

श्री उगमराज मेहता : और क्वेश्चन हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राज्य सरकार की उदारीकरण नीति औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आबंटन के लिए है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो सम्परिवर्तन के नियम 1992 में लागू किये थे उसमें तो यह प्रावधान कर दिया है कि भूमि संपरिवर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। 30 दिन के भीतर अधिकार कलक्टर को है, अगर वह नहीं करता है तो कमिश्नर को अधिकार है। बल्कि 1994 में तो यहां तक प्रावधान कर दिया गया कि अगर प्रार्थना पत्र पूर्णतः प्रेषित कर दिया गया है, उसमें कोई खामी नहीं है तो 30 दिन के समय में अपने आप भूमि संपरिवर्तित मानी जायेगी, चाहे कलक्टर आदेश नहीं करें। 'डीम्ड् टू बी कन्वर्टेड', ऐसे शब्द भी हमने जोड दिये। यह मामला 1992 में जब पेश किया तब ग्रामीण क्षेत्रों के नियमों से सम्बन्धित था।

(श्री गंगाराम चौधरी)

लेकिन परिस्थिति बदल गयी, क्योंकि भूमि का बंटवारा पार्टीज में नहीं किया था। प्रार्थीगण ने जो भूमि खरीदी थी उसमें हिस्सेदार ज्यादा थे और उसके बाद शांति लाल ने सीमेंट का उद्योग लगाने के लिए एप्लाई किया था। जिला कलक्टर ने उन्हें कहा कि प्रार्थी अकेला एप्लाई कर रहा है और भूमि के भागीदार ज्यादा हैं, इसलिए बंटवारा करके फिर यह प्रार्थना पत्र पेश करें। उसमें प्रार्थीगण को समय लगा। 1994 में यह प्रार्थना पत्र दुबारा पेश हुआ, या यों कहिए कि उसकी कमी पूर्ति की गयी। जब कमी पूर्ति की गयी तब तक परिस्थिति बदल गयी। परिस्थिति यों बदल गयी कि पाली नगर की नगरीय सीमा, म्यूनिसिपैलिटी की सीमा बढ़ा दी गयी और यह भूमि ग्रामीण क्षेत्र से म्यूनिसिपैलिटी सीमा के भीतर आ गयी। इसलिए कलक्टर को उसमें परेशानी हुई कि अब ग्रामीण क्षेत्र के नियमों में इसका संपरिवर्तन नहीं हो सकता और उसने आपत्ति करके इसको रिजेक्ट कर दिया। आपत्तियां दो थीं। पाली का ड्राफ्ट मास्टर प्लान 1983 में बना था। ड्राफ्ट मास्टर प्लान में भी यह भूमि ग्रीन बैल्ट में थी। उस वक्त म्यूनिसिपैलिटी की सीमा पहले ही खतम हो गयी थी। जब म्यूनिसिपैलिटी की सीमा 1993 में, बढ़ गयी तो यह भूमि नगर परिषद् सीमा में आ गयी थी वे नहीं कर पाये। तब राज्य सरकार ने दूसरे नियमों का हवाला देकर संपरिवर्तन करने को कहा अब। कलक्टर ने यह कहा है कि इसमें यू. डी. एच. से यह स्वीकृति लेनी पड़ेगी, टाउन प्लानिंग से यह स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि इसका लैण्ड यूज जो ग्रीन बैल्ट है उसको बदला जाए। उस स्वीकृति के बाद में यह संपरिवर्तन हो जाएगा। राज्य सरकार इसमें परिवर्तन कर रही है कि यू. डी. एच. से इस भूमि की एन ओ. सी. ले ली जाए या लैण्ड यूज बदल दिया जाए। तब इसका संपरिवर्तन हो जाएगा। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक माह के अन्दर मैं इसकी पूर्ति करवा दूंगा।

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय इसमें प्रयत्नशील हैं। आपके विभाग से ही पत्र गया है। मंत्री महोदय, बहुत टाइम हो गया, चार साल हो गये, कम से कम 15 दिन में इसका निपटारा करा दें। मंत्रीजी, मैं आपको एडवांस में इसलिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे आशा है कि आप 7 दिन में, 10 दिन में इसका निपटारा करके लैण्ड यूज चेंज करके उसको कर देंगे। उस फैक्ट्री में 25 लाख रुपये लग गये उसके बिजली के कनेक्शन हो गये, पर्यावरण विभाग से एन. ओ सी मिल गयी, नगरपरिषद् से भी एन. ओ. सी. मिल गयी। सिर्फ इसलिए उसका प्रोडक्शन चालू नहीं हो रहा। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होने इस प्रकार से यह हाथ में लेकर 10-15 दिन में निपटाने का आश्वासन दिया।

## आय-व्ययक 1996-97

## अनुदान की मांग

## मांग संख्या-46, सिंचाई की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, सिंचाई मंत्री, अनुदान की मांग संख्या-46-

(श्री उपाध्यक्ष)

सिचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी (सिचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-46-सिचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,59,00,32,000 (दस अरब उनसठ करोड़ बतीस हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ।

## मांग संख्या-46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

**श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)**

(1) कीटनोद व वरिया बांध तहसील पचपदरा की दीवार की ऊंचाई बढ़ाने एव वरिया के क्षतिग्रस्त एनीकट का पुनः निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री लक्ष्मण सिंह रावत, (भीम)**

(2) राजसमंद जिले की क्षतिग्रस्त नहरों व बांध की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(3) देवगढ़ (राजसमंद) के अपूर्ण बांध सागांवास को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)**

(4) पूगल बांध से लिंक चैनल 20 किलोमीटर के निर्माण से के. डी. के टेल के चकों को सिचाई सुविधा मिलने एवं 22 हजार एकड़ असिंचित भूमि को कमांड क्षेत्र में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(5) अनूपगढ़ शाखा पर घग्गर डिप्रेशन न. 19 आर. डी. 42 पर इनलेट चैनल व रेगूलेटर बनाकर घग्गर बाढ़ से बचाव करने व पानी का सदउपयोग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

**श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)**

(6) सिरोही विधान सभा क्षेत्र में गोड़ाना बांध की मरम्मत एवं अणगोर बांध की नहरें/धान्ता बाध की नहरें तथा ओज की सतापुरा माइनर आदि की मरम्मत एवं पक्का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(7) सिरोही जिले में पानी का बहाव तेज होने, पर्याप्त एनीकट एवं बांध नहीं होने, के कारण वहां की जमीन में जलस्तर निरन्तर घटने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

(8) सिरोही विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कैलाशनगर में वर्षों से अधूरे पड़े कैलाशनगर बांध को पूर्ण नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(9) सिरोही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 में अतिवृष्टि में टूटे कमेली बांध, नून बांध, कलडी एनीकट धान्ता एनीकट आदि का पुनर्निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)

(10) बोर कुई बांध, गरड़दा (लतारिया बांध) एवं राजाओं के समय के बांधों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

(11) खण्डेला क्षेत्र में पानी को रोकने हेतु पर्याप्त संख्या मे बांध सिचाई के लिए बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर)

(12) धौलपुर जिले की उर्मिला सागर से निकली नहर को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(13) धौलपुर जिले में ग्राम खुर्द पंचायत सिघावली पंचायत समिति राजाखेड़ा के पास बिलाया नाले को रोककर बिलाया पर नया बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(14) धौलपुर जिले के ग्राम ओडेला ताल की मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामपाल उपाध्याय (महुआ)

(15) लाखोला तथा पोटला फीडर तथा मोखन्दा नहर के अधूरे कार्य को पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(16) बिसलपुर सिचाई योजना में जल ग्रहण क्षेत्र की भराव क्षमता से अधिक पानी आवक से अधूरे बांध/ नये बांध एवं एनीकटों के निर्माण की रोकथाम से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

(17) खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर सिचाई उपखण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(18) सोमा कागदर बांध को 3 मीटर ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(19) खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के बिलख बांध को 2 मीटर ऊंचा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री दयाराम परमार)

(20) खैरवाड़ा के गोदावरी का नाका बांध को 2 मीटर ऊंचा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(21) खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के बांध एवं सागवाड़ा की पाल बांध की केनाल का अन्तिम छोर तक निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

(22) पांचना बांध से नादोती एवं टोडाभीम को लिफ्ट द्वारा पानी देने तथा इन्द्रा लिफ्ट को मंजूर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मघराज चौधरी (आहोर)

(23) जालोर जिले में स्थित तासेरा उनाय की नहर से लिफ्ट सिंचाई करने की सुविधा देने पर चर्चा के लिये।

(24) जालोर जिले में जवाई नदी से मीठड़ी नाले में पानी के बन्द प्रवाह को चालू कर करीब 15 गांवों के कुओं में जल स्तर को सुधारने पर चर्चा के लिये।

(25) जालोर जिले में स्थित भाद्राजून उनाय के करीब 4-5 हजार बीघा भूमि से प्रतिवर्ष बरसाती पानी की निकासी हेतु नहर का निर्माण कर बांकली बांध में सिंचाई हेतु पानी डालने की चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल)

(26) माण्डल जिला भीलवाड़ा के तालाब की नहरों को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(27) ग्राम बागोर जिला भीलवाड़ा स्थित गंगदेड़ तालाब की नहरें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(28) मेजा बांध भीलवाड़ा में पूर्व में चालू की गयी मेजा मॉडर्नाइजेसन योजना के बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(29) भीलवाड़ा के मेजा बांध की बायीं मुख्य केनाल (जो माण्डल की तरफ जाती है) की माइनर्स एवं धोरे कच्चे होने से पानी के नष्ट हो जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा लिये।

(30) मेजा बांध के डाक बंगलों पर रख-रखाव की कमी एवं फूलों और पौधों के सूख जाने के कारण बंगलों का सौन्दर्य समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

(31) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा को डार्क जोन से हटाकर किसानों को सिंचाई हेतु कुएं का लोन दिलाये जाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

(32) पिड़ावा क्षेत्र में आहू नदी, रीछड नदी व बड़े-बड़े नालों पर टाप डेम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(33) विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के चँवली बांध में किसानों की अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

(34) सिरोही जिले की शिवगंज तहसील में पोसालिया नदी पर बने पंचदेवल बांध (मुकड़ी इनन्डेशन योजना) के तट बंधन डिजाइन के अनुसार नहीं बनाने तथा इसके आसपास के गांवों को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन)

(35) चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा परियोजना क्षेत्र में अप्रेल, मई, व जून में मशीनों को भूमि सुधार कार्यक्रमों व सोडा ड्रेन कार्यक्रमों में ही लगा कर चम्बल की नहरों पर नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

(36) कोटा चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना की बायीं मुख्य नहर क्षेत्र में एक लाख दो हजार हैक्टेयर क्षेत्र में राज्य सरकार के मापदण्डानुसार एक और डिवीजन कापरेन में खोला जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(37) कोटा चम्बल सिंचित क्षेत्र परियोजना में भूमि सुधार (कैचमेन्ट) कार्यक्रम में भूमि सुधार के बाद पुनः कृषक वर्ग को खेत सम्भालने के बाद सरकारी एवं निजी कृषकों की कृषि भूमियों को पैसा देकर बड़े किसानों को देने से सम्बन्धित 10 करोड़ रुपयों के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(38) चम्बल सिंचित क्षेत्र कोटा परियोजना में वर्षों से बाराबन्दी के नाम मात्र कागजों में खाना पूर्ति कर करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(39) कोटा चम्बल सिंचित क्षेत्र की बायीं मुख्य नहर खण्ड के लबान व खरिपाड़ी सब-डिवीजन को पुनः चालू करने एवं इस क्षेत्र में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को तुरन्त भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

(40) विद्यमान सिंचाई प्रणालियों के रख-रखाव हेतु भौतिक मापदण्डों के अभाव में बिगड़ती सिंचाई व्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

(41) स्थानीय प्राकृतिक जल के स्थानीय उपयोग के सम्बन्ध में तर्क संगत

(श्री महावीर भगोरा)

नीति के अभाव में सिंचाई साधनों के विकास में असंतुलन पर चर्चा के लिये।

(42) पंचायत समिति के अधीन आने वाले तालाबों के अपर्याप्त रख-रखाव से अदक्षतापूर्ण सिंचाई व नीचे के बड़े तालावों की सुरक्षा को होने वाले खतरे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(43) सिंचाई के साधनों के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन व राज्य के बाहर व्यर्थ जा रहे पानी को काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(44) पहाड़ी क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं की अधिक लागत को देखते हुए बी. सी. रेश्यो का मापदण्ड परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

(45) राज्य के सारे बांधों का रख-रखाव तथा सिंचाई कर की वसूली राजस्व विभाग की जगह सिंचाई विभाग से कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

(46) भीम सागर, हरिशचन्द्र सागर, छापी परियोजना तथा सावनमादों सिंचाई परियोजना के किसानों का बकाया मुआवजे का भुगतान कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(47) कोटा सम्भाग में उपलब्ध सरफेस वाटर का सही उपयोग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(48) छापी सिंचाई परियोजना (झालावाड़) के बांध निर्माण तथा नहर निर्माण में घटिया कार्य व भ्रष्टाचार की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(49) भीम सागर की नहर के टेल क्षेत्र को ग्राम पणवाड़ से 2 किलोमीटर और आगे तक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(50) भीम सागर बांध की भराव क्षमता बढ़ाने बाबत तथा पूरी सिंचाई क्षमता तक सिंचाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द)

(51) आसीन्द तहसील में अधूरे कण्टालिया बांध को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

(52) राज्य सरकार की कुशलगढ़ क्षेत्र की सिंचाई की अधूरी योजना, हिम्मतनगर, चरकनी को स्वीकृत कर किसानों को लाभ दिलाने में

(श्री फतेह सिंह)

असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(53) राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में सिंचाई के पुराने तालाबों की टूटी-फूटी नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(54) राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के अधूरे तालाब, पीपलोन खजूरा, बगायचा, सीमेलां, टिडिया, देव, देवकी नाका आदि को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(55) कुशलगढ़ क्षेत्र के कलींजरा व सोबानीयाँ बांध को पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी)

(56) खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र में बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)

(57) गंग नहर की टूटी पटरियों को दुरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(58) गंग नहर की ब्रांचों की टेलों को पूरा पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(59) गंग नहर के रेगुलेशन सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(60) मोघों को छोटा बड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(61) गंग नहर योजना को सी. ए. डी. में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिनारायण (खण्डार)

(62) सिंचाई किये जाने वाले तालाबों को ग्राम पंचायतों से सिंचाई विभाग के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(63) ईसरदा व सावदा के पास बनास नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(64) देवपुरा व मानसरोवर बांध की नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(65) चम्बल, बनास एवं गालव नदी से लघु जलोत्थान सिंचाई योजनाएँ चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(66) वृहद् इन्दिरा जलोत्थान सिंचाई परियोजना व पीपलदा जलोत्थान सिंचाई योजना को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

(67) तहसील रामगढ़ (अलवर) में

(श्री जुबेर खान)

अलखलपुर, मूनपुर करमला के पास बाढ़ नियन्त्रण हेतु बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(68) तहसील रामगढ़ (अलवर) में कंसरवाल पर बाढ़ नियंत्रण हेतु बांध बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(69) तहसील रामगढ़ (अलवर) में नदियों, नालों एवं नहरों की मरम्मत एवं सफाई कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(70) जिला अलवर के जेरोली बांध एवं खानपुर बांध की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(71) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के अंतरिया डाइवरजन बांध की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डोली)

(72) हिन्डोली जिला बून्दी के मेन्डी बांध से निकलने वाली नहरों की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(73) चम्बल बैराज से छत्रविलास तालाब कोटा में आने वाले पानी का मुख्य दांयी नहर में जाना बन्द हो जाने के कारण छत्र विलास तालाब, कोटा सूख जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(74) चम्बल कमान्ड एरिया में बेकार बहने वाले पानी को लिफ्ट द्वारा या अन्य तरीकों से सिंचाई के काम में लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

(75) आर. एम. सी. की अमरथून घाटी का कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

(76) माह जून, 1996 में आयी बाढ़ से हुई क्षति की पूर्ति हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(77) भरतपुर जिले के कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में लखन माइनर की पूर्ण सफाई किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)

(78) जोधपुर जिले के बांध, एनीकट्स एवं बड़े तालाबों की मरम्मत पर ध्यान नहीं देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(79) क्षेत्र में नये एनीकट्स एवं तालाबो के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी)

(80) नहरों की सफाई व रख रखाव में कमी के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

(81) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में गत बाढ़ में क्षतिग्रस्त बांधों एवं नहरों की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न संकट की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

(82) झुन्झुनू जिले के पचलंगी गांव में निर्मित हांसनला बांध की ऊंचाई को बढ़ा कर भराव क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(83) झुन्झुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील क्षेत्र में बांधों के स्थलों का सर्वे करवाकर बांध बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(84) झुन्झुनू जिले के छापोली गांव में पूर्व निर्मित बांध के भराव क्षेत्र में आने वाले कदम्ब कुंडों के पास पहाड़ी पर डी. आर.डी.ए. झुन्झुनू द्वारा प्रस्तावित बांध का निर्माण नहीं करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

(85) दौसा जिले में रेहड़िया सिचाई बांध की विस्तार योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय)

(86) सिकराय विधान सभा क्षेत्र में सिचाई विभाग के अन्तर्गत आने वाले माधोसागर बांध, भण्डारी बांध, कालाको बांध एवं थोरोली फीडर की मरम्मत के नाम पर रुपयों के घोटाले एवं मरम्मत पर ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)

(87) गूलर का बन्धा नेवटा, चिरोटा, रामचन्द्रपुरा आदि बांधों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

(88) इन्दिरा गांधी नहर योजना में अभियन्ताओं के खिलाफ जांच कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(89) लोसल में जल निकास नाला विभाग द्वारा बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(90) इन्दिरा गांधी नहर निर्माण में घटिया सामग्री लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

(91) तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू के ग्रामों को सिचाई योजना से

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(92) नोहर-साहवा लिफ्ट सिंचाई की नहर लाईनिंग में लगी घटिया सामग्री (घटिया ईंट) से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(93) सिद्धमुख नहर से तहसील राजगढ़ के ग्रामों व मादरा तहसील के ग्रामों को नहर की सिंचाई से वंचित किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(94) नोहर-साहवा लिफ्ट सिंचाई योजना पर धीमी गति से हो रहे कार्य से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)

(95) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995-96 में हुई अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त नहरों की समय पर मरम्मत नहीं करवाने के कारण बांधों एवम् तालाबों के पानी का सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग नहीं होने तथा अधिकारियों द्वारा फर्जी भुगतान किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(96) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1989 से जवाहर रोजगार योजना एवम् अन्य विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई विभाग को आवंटित कार्यों को अभी तक पूर्ण नहीं करवाने एवम् फर्जी मस्टर रोल पर भुगतान प्राप्त करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(97) वर्ष 1995-96 में पांचना परियोजना करौली में विभाग द्वारा कोफर डैम तोड़ देने के कारण कमाण्ड क्षेत्र गंगापुर के कृषकों को पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण फसलें नष्ट होने की क्षति-पूर्ति का मुआवजा दिलाने एवम् इस वर्ष सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(98) जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1995-96 में बरसात में अरजेन्ट वर्क के नाम पर लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान करने की शिकायत करने के बावजूद भी आज तक अधिशाषी अभियन्ता सवाई माधोपुर एवम् उच्च अधिकारियों द्वारा जांच नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(99) आश्वासन देने के बावजूद भी गंगापुर क्षेत्र के चूली बांध को लघु सिंचाई योजना में सम्मिलित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

(100) डूंगरपुर जिले में सिंचाई की सही योजना नहीं होने के कारण जिला

(श्री नाथूराम प्रहारी)

सिंचाई से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दन मल बैद (तारानगर)

(101) नोहर-साहवा लिफ्ट सिंचाई योजना का काम बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(102) नोहर-साहवा लिफ्ट योजना के अन्तर्गत चूरू के गांवों और क्षेत्र को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)

(103) पंचायत समिति लालसोट में अधूरा एनीकट रामसर को शीघ्र पूरा करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(104) मोरेल बांध को 5 फीट ऊंचा करके अतिरिक्त लिफ्ट नहर निकाल कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी)

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

(105) बायीं मुख्य नहर सिंचित क्षेत्र विकास कोटा परियोजना में नहरी समस्या का समाधान न करने, टेल पर पानी न पहुंचने की एवं 77 गांवों को डिकमाण्ड करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मीमराज भाटी (पाली)

(106) जंवाई नहर का पानी रोहट पंचायत समिति के गांवों में सिंचाई के लिये उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(107) डिजाइन एण्ड डवलपमेंट डिपार्टमेन्ट में लम्बित बाणियावास बांध की योजना को मंजूरी दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(108) वायद बांध के जीर्णोद्धार से सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(109) राणी का बड़ा तालाब सिंचाई का बड़ा स्रोत है। उसका जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(110) बान्डी-सेहड़ा बांध का अधूरा कार्य पूर्ण करवाकर प्रदूषण प्रभावित इलाके को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई)

(111) बीसलपुर परियोजना से टोंक जिले के गांव की कृषि भूमि को अब तक भी नहरों से पानी उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री दलीचन्द (दानपुर)**

(112) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा में माही बांध एवं मुख्य नहरों के आस-पास ग्रामों में लिफ्ट सिंचाई द्वारा पानी सप्लाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(113) विधान सभा क्षेत्र दानपुर के जिला बांसवाड़ा को माही डेम व नहरों के ऊपरी तरफ के गांवों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(114) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा में सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)**

(115) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां के ग्राम सूण्डा से खाखरा माइनर (नहर) की मरम्मत की जाकर टेल कार्सेज को सिंचाई हेतु चर्चा के लिये।

(116) सिगरी सिमलोद बांध में एक जो नहर निकल रही है उससे टेल पोरसन तक सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(117) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के नाटई ग्राम की ठिकवानी तालाब से सिंचाई कार्य हेतु नहर की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(118) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मोयदा केनाल के खुर्द-बुर्द हो जाने के कारण मोदया, भमूका, रामनगर इत्यादि ग्रामों में नारड़ा के तालाब द्वारा नहर के टेल पोरसन पर पड़ने वाले क्षेत्रों में सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(119) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम देवरी की नहर से टेल पोरसन पर स्थित सहरिया परिवारों के क्षेत्रों की सिंचाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)**

(120) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के खाजूवाला क्षेत्र की चक आबादियों के डिग्गियों के संधारण की व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

**श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)**

(121) इटावा सब डिवीजन के अन्तिम छोर में पानी का न पहुंचना एवं नहरों एवं ड्रेनेजों की सफाई का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्री अरूण सिंह (डीग)**

(122) यमुना जल समझौते का जहां तक

(श्री अरुण सिंह)

राजस्थान राज्य से सम्बन्ध है, उस पर चर्चा के लिये।

(123) गुड़गांव कैनाल पर जहां तक राजस्थान राज्य का सम्बन्ध है, उस पर चर्चा के लिये।

(124) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा भरतपुर जिला का चार्ज लिये जाने के पश्चात् अलवर एवं धौलपुर जिले के दौरे न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(125) 27 जून, 96 को भरतपुर जिले में हुई बाढ़ की स्थिति से क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(126) गुड़गाव कैनाल के एक्स. ई. एन. की लापरवाही से पिछली बाढ़ में के. पी. ड्रेन क्षतिग्रस्त होने तथा बाढ़ में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

(127) कमाण्ड क्षेत्र में माही का पानी नहीं पहुंच रहा है उस क्षेत्र को नोन कमाण्ड क्षेत्र घोषित करने एवं माही विभाग मे भारी भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(128) जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा में लिफ्ट योजना में लिफ्ट का कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (मंगवा)

(129) चम्बल की बड़ौद माइनर से बगाना जाने वाले सीधे रास्ते के साथ निर्मित ड्रेन की सफाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(130) वर्ष 1978 में चम्बल सिंचाई परियोजना की दौलाड़ा राजबहा पर सड़क बनाये जाने के लिए जारी स्वीकृति को पुनः बहाल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(131) चम्बल की नहरों एवं ड्रेनेज की सफाई व मरम्मत के नाम पर करवाये गए मिट्टी के कार्य की गलत माप लेकर फैलाये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(132) दौलाड़ा, ऊंकारपुरा एवं अजेता डिस्ट्रीब्यूट्री (चम्बल सिंचित क्षेत्र) की जर्जर हालात को सुधार कर उन्हें पक्की करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(133) ग्राम छोड़ेदा (तहसील केशवरायपाटन) से माल की जमीन में जाने वाले रास्ते पर चम्बल बांध की नहर से होने वाले कीचड़ से बचाव हेतु पुलिया निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)

(134) राजसमंद झील की खारी फीडर का पक्का निर्माण नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(135) रेलमगरा तहसील में मराई बांध की जलग्रहण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)

(136) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पक्के खाले बने हैं। उनके ध्वस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(137) घटिया निर्माण कार्य होने से समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

(138) राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के कलीजरा, सोनारीघ, मयरी, हिम्म नगर, तालाब में विभाग के अधिकारी व ठेकेदारों की मिली भगत से हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा)

(139) निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र का जलस्तर गिरने से सर्वे कर छोटे बांध व एनीकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(140) पन्डेरिया बांध निर्माण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(141) बाड़ी मानसरोवर से निम्बाहेड़ा को पानी देने हेतु बांध की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिऐ।

श्री हरिसिंह (महुआ)

(142) महुआ विधान सभा क्षेत्र महुआ के कोंड़ला सिंचाई परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(143) विधान सभा क्षेत्र महुआ में गत वर्ष बाढ़ के कारण टूट गये बांध, बड़ागांव, समसपुर, नाहिड़ा, शीशवाड़ा के निर्माण कार्य में हुई धांधली पर चर्चा के लिये।

(144) विधान सभा क्षेत्र महुवा के गांव पावटा के एवं रोत हड़िया तथा कोट की मरम्मत, पाल निर्माण व कोट फीडर में निर्माण कार्य में हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा)

(145) ब्यावर तहसील के लोरड़ी बांध की नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(146) ब्यावर तहसील के जालिया II में

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

नारायण सागर बांध की नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. शंकरलाल मानुवा (कपासन)

(147) बड़ गांव बांध की भराव क्षमता के अनुरूप हर वर्ष पानी से भरने के लिए चंगेड़ी नाले से फीडर खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(148) रहियारड़ी संडियारड़ा तालाब का निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(149) चित्तौड़गढ़ जिले के संगसरा डेम का निर्माण अतिशीघ्र प्रारम्भ कर पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(150) मुंगाना तालाब की भराव क्षमता में वृद्धि कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(151) कपासन तालाब की भराव क्षमता के अनुसार हर वर्ष भरने के लिए बनास नदी से सीधी फीडर डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम पंवार (नोखा)

(152) बीकानेर नहर का गंदा पानी जो कि ठेकेदारों के उपयोग करने के बाद बचे पानी को फिल्टर करवाया जाकर पास के काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ दिये जाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कमल (हिण्डौन)

(153) सिचाई नहरों की मरम्मत समय पर न होने के कारण पूर्ण सिचाई सुविधा न मिलने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

(154) पांचना बांध पर बने कॉफर डेम जो कि सिचाई अधिकारियों की लापरवाही के कारण टूटने से सिचाई सुविधा में हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिये।

(155) निर्माण के ठेके देते वक्त ठेकेदारों द्वारा पूल करके दी गई उच्च दरों को जान बूझकर स्वीकृत कर सरकारी धन के दुरुपयोग को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(156) जगर बांध से निकाली गई मुख्य नहरों को क्षमता के अनुसार नहीं चलाये जाने के कारण किसानों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

(157) जगर बांध के सम्पूर्ण कमाण्ड में सिचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराने के कारण व्याप्त जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी)

(158) पीपला बांध का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करवाने एवं छापरवाड़ा बांध की नहरों को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल (रूपवास)

(159) रूपवास क्षेत्र के बांधों को रिपेयर तथा नदियों की सिलट निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

(160) बीसलपुर जलग्रहण क्षेत्र में अधूरी तथा नई सिंचाई योजनाओं के एवं शक्करगढ़, नवरतन सागर, महादेव सागर, रतनगढ़ दवोलिया गफेर, रतन सागर, गणेशपुरा आदि अधूरी योजनाओं के निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

(161) डूंगरपुर जिले में बांधों का सर्वे करवाने, सिंचाई एनीकट निर्माण नये बांध निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयन्तिलाल कोली (रेवदर)

(162) सूकली सैलवाड़ा बांध 1984 में स्वीकृति होने के बावजूद भी आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)

(163) अपूर्ण ओडवाडिया बांध का कार्य 1987 से बन्द पड़ा है। बांध को पुनः स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(164) बस्सी बांध की पुरानी नहरों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(165) चित्तौड़गढ़ जिले को बीसलपुर केचमेंट एरिया से मुक्त कर छोटे-बड़े तालाब बनाने की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(166) गंगरार विधान सभा क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि को मातकुन्डिया बांध से पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(167) अकाल राहत में अपूर्ण एनीकट तालाब, नहरों को पूर्ण कराने के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

(168) बीसलपुर बांध में विभाग के अभियन्ताओं द्वारा मुआवजा आदि प्रकरणों में किये गये घोटालों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(169) इन्दिरा गांधी नहर का पानी लिफ्ट केनाल द्वारा लाडनूं तक लाये जाने की योजना बनाने के बाद भी अभी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

तक उसे चालू नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग)

(170) डग विधान सभा क्षेत्र में जसवन्तपुरा एवं पॉण्ड़ला मध्यम सिंचाई योजनाओं को लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन मोहन (खैरथल)

(171) सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही से कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(172) राज्य में सिंचाई विभाग के द्वारा आज तक के मुआवजे की राशि उपलब्ध न कराने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(173) राज्य में विभिन्न बांधों के टूटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(174) राज्य में विभाग की बिगड़ती हालत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(175) सिंचाई मद का पैसा उचित समय पर खर्च न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जीतराम (मालपुरा)

(176) टोंक जिले से बनेठा बांध को पूरा न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(177) मालपुरा क्षेत्र में नहरों को पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(178) मालपुरा क्षेत्र में नहरों की सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(179) मालपुरा को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)

(180) जिला जयपुर में सिंचाई विभाग द्वारा 1980 से 1996-97 तक बांधों, तालाबों आदि कार्यों हेतु यंत्रों एवं ट्रैक्टरों, ट्रकों आदि वाहनों के खरीदे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(181) पिछले वर्षों 1987 से 1996-97 तक सिंचाई विभाग द्वारा बंधों, तालाबों, एनिकटों आदि पर कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(182) तहसील चाकसू में बनाये जा रहे खारली बन्ध की डूबत में आने वाले ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थान पर बसाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(183) कानोता परियोजना को पूर्ण कराने में

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

विलम्ब के कारण क्षेत्र के लोगों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

(184) तहसील बस्सी में लालगढ़, रलावता (कालियावास) मटेसरी (बूरथल) में नये बांध बनाये जाकर बेकार बहकर जाने वाले पानी को रोककर कृषकों के उपयोग हेतु दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अमराराम (धोद)

(185) मुख्य अभियन्ता, कमाण्ड एरिया डवलपमेंट आई. जी. एन. पी. बीकानेर के आदेश दिनांक 7 मार्च, 1996 के बावजूद इन्दिरा गांधी नहर II फेज में पक्कारवाला निर्माण में टेल के किसानों का खाला निर्माण नहीं करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गोपीचन्द (नगर)

(186) भरतपुर जिले में डीग-उपखण्ड में सिचाई विभाग द्वारा अतिक्रमण न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(187) भरतपुर जिले में डीग उपखण्ड के समस्त सिचाई सिस्टम पर चर्चा के लिये ।

(188) जिला भरतपुर के नगर विधान सभा क्षेत्र के समस्त नहरों, बांधों व तालाबों के सम्बन्ध पर चर्चा के लिये ।

(189) भरतपुर जिले के नगर विधान सभा क्षेत्र में सीकरी बांध व सीकर सिस्टम पर चर्चा के लिये ।

श्री राधेश्याम (गंगानगर)

(190) हनुमानगढ़ एवं आस-पास के क्षेत्रों में घग्गर नदी की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष होने वाली जन धन की हानि को रोकने के उपायों पर चर्चा के लिये ।

(191) इन्दिरा गांधी नहर को शिल्ट एवं काई को निकाल कर नहर की सफाई कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(192) जेडमाइनर, गंग कैनाल जो गंगानगर शहर के मध्य से जा रही है से जन जीवन को हो रही असुविधा को देखते हुए शहर के बाहर से निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(193) गंग कैनाल को वितरिकाओं को पक्का कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़)

(194) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में लो लेवल ब्रांच में से एम. डी. डिस्ट्रीब्यूट्री निकलती है उसके गेट अभी तक नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

(195) राजस्थान कैनाल के मोघों को अधिकारी जब चाहे बदल देता है अतः मोघों को खोलने व बन्द करने की स्थाई रूप से व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (प्रोसियां)

(196) सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के लिए पानी वितरण की पृथक-2 व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(197) लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई हेतु पानी देने की दोष पूर्ण व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(198) सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत जल वितरण की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण कृषकों को खाद्यानों के उत्पादन को हानि और भूमि बेकार होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(199) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से विभिन्न प्रयोजनों हेतु जल की मात्रा निर्धारित नहीं किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगतार सिंह (श्री करणपुर)

(200) माधोपुर ब्यास लिंक द्वारा रावी का जल जो पाकिस्तान को जाता है को ब्यास नदी में डालकर हरीके हैड पर लाकर सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(201) गंग कैनाल की स्थिति को सुधारने हेतु बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(202) इन्दिरा गांधी नहर से गंग कैनाल को लिंक करने वाली नहर को पक्का नहीं करवाने एवं बजट न रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(203) इन्दिरा गांधी कैनाल के पंजाब (फरीदकोट) की मरम्मत का प्रावधान नहीं रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(204) अजमेर जिले के करीब 800 तालाबों में सिल्ट (मिट्टी) आ जाने से उपलब्ध सिंचाई के पानी में कमी की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(205) अजमेर जिले को चम्बल नदी से लिफ्ट इरीगेशन योजना द्वारा सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(206) विभाग में ठेकेदारों व अभियन्ताओं से 50 लाख रुपये की राशि एवं अवैध रूप से वसूलने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

(207) अजमेर जिले में विभिन्न कनिष्ठ, सहायक व प्रशिक्षार्थी अभियन्ताओं के पदस्थापना में भ्रष्टाचार व राजनैतिक भेदभाव करने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(208) बनास नदी की आव पर राजसमन्द व चित्तौड़ जिलों में विभिन्न स्थानों पर एनीकटों के निर्माण से उत्पन्न समस्या व उसके कारण जल-आवक में बीसलपुर बांध में भारी कमी की सम्भावनाओं पर चर्चा के लिये।

**श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)**

(209) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में बनाये जाने वाले वाटर कोर्सेज के अन्तिम मुरब्बा के लिये अनलाइन्ड रखने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

**श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)**

(210) जवाई एवं आकोली नदी के बहुत लम्बाई तक फैले तटों पर बसे गांवों को बाढ़ से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(211) बीबलसर तालाब के बीच स्थित पुरातात्विक महत्व के मन्दिर तक पहुंचने हेतु रास्ता बनाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(212) बांकली बांध एवं सुमेरगढ़ खेड़ा बांध के पानी का गलत लगान वसूल किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(213) मेड़ा ऊपरला एवं भेटाला बांधों का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(214) चवरछा (बाहोर) बांध से छोड़े जाने वाले खारे पानी से जालौर के आस-पास तक के कुओं का पानी खारा हो जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)**

(215) राज्य में बरसाती नदियों के पानी को रोककर लघु सिंचाई योजनाओं का मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

216) कानोता बांध की डूब में आने वाले गांवों के निवासियों को बसाये जाने की समुचित व्यवस्था में की जा रही देरी से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिए।

(217) सिंचाई विभाग के माध्यम से जल महल के अधिक वर्षा के जल को खोल देने से जयसिंहपुरा खोर गांव में जल प्लावन की स्थिति पर चर्चा के लिये।

(218) पंचायत समिति जमवारामगढ़ में लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(219) इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही में देरी से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

(220) गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 13वीं बैठक में गंगा के पानी के बंटवारे में राज्य की हिस्सेदारी पर की गई चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

(221) तहसील महुवा के बांध सिकन्दरपुर व समसपुर के नाकों के कार्य पूर्ण गुणवत्ता के आधार पर नहीं किये जाने, पानी का छिड़काव कर रोलर नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा)

(222) माही उप नहर सागवाड़ा-आसपुर के निर्माण कार्य में धनाभाव के कारण गतिरोध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(223) कडाणा परियोजना के डूब में आने वाले विस्थापितों को बुनियादी सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(224) आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में लघु/लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं पर मौजूदा माप दण्डों को शिथिल कर सिंचाई एवं जनजाति क्षेत्र विकास विभाग द्वारा अधिक राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(225) राजस्थान सरकार द्वारा सिंचाई योजनाओं की परिकल्पना में बरती जा रही उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (महुआ)

(226) तहसील महुवा के बांध सिकन्दरपुर का वेस्ट वेयर नहीं बनाये जाने से बांध को भराव क्षमता के 9 फीट की जगह 5 फीट रह जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा)

(227) हमीरगढ़ या मांगरोप के पास बनास नदी पर एनीकट बनाने की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(228) मेजा बांध के पेटा काश्त में पम्पों द्वारा पानी लेकर नाजायज काश्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(229) मेजा बांध की बायीं व दायीं नहर की मरम्मत व पक्की बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

## मांग संख्या 46 पर विचार

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रामप्रताप कासनियां। कृपया समय का ध्यान रखें।

**श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) :** उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे बीच में नहीं टोकेंगे। मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, कहना कुछ होता है और मुंह से कुछ निकल जाता है। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे।

यह जो सिंचाई का विषय है यह विशेषकर गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिले से सम्बन्धित है उपाध्यक्ष महोदय, जबसे माननीय मंत्री महोदय ने इस विभाग का काम संभाला है तबसे विभाग में कुछ सुधार हुआ है। इस बात को भी मैं मानकर चलता हूं कि विभाग पर इनका नियन्त्रण भी है। परन्तु इनके समय में जितनी योजनाएं बनी हैं जो-जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी क्वालिटी बढ़िया है, काम समय पर पूरे हुए हैं और अगर इनको कोई शिकायत मिली तो उसमें भी कार्यवाही करने से नहीं चूके। मेरा तो माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन है कि प्रथम स्टेज को जो भूमि है, जो फ्लो कमांड से सिंचित होने वाली है या लिफ्ट से सिंचित होने वाली है उसको पानी दिया जाए। सैकण्ड और थर्ड स्टेज में हम जो पानी दे रहे हैं या पानी देने की योजना है उसमें काफी खर्चा नहीं होता है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन सिंचित हो और ज्यादा से ज्यादा उपज बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें निवेदन है कि प्रथम स्टेज को जो भूमि है वह बहुत ही अच्छी किस्म की भूमि है, उपजाऊ है। प्रथम स्टेज में एक बीघा में जितना अनाज पैदा होता है उतना सैकंड और थर्ड स्टेज में 15 बीघा में भी पैदा नहीं होता। साथ में इस भूमि में पानी देने पर राज्य सरकार का कोई विशेष खर्चा भी नहीं होगा। इसके अलावा प्रथम स्टेज को जो भूमि पानी से वंचित रह गयी उनमें छोटी-छोटी माइनर्स के द्वारा पानी दिया जा सकता है और वह स्कीम कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सूरतगढ़ ब्रांच नहर में प्रेमपुरा गांव के पास से एक डिस्ट्रिब्यूटरी निकाल करके मांखड़ा के टेल क्षेत्र को पानी देने की योजना स्वर्गीय झाला साहब ने बनायी थी। उस समय वे मौके पर भी पधारे थे। दो-तीन योजनाएं और भी थीं, जिनके बारे में माननीय मंत्रीजी स्वयं भी जानते हैं। मेरा यह निवेदन है कि मांखड़ा की छोटी-छोटी 3-4 नहरें हैं और वहां उसका टेल पोर्शन है और टेल पोर्शन पर पानी नहीं पहुंचता है। अगर सूरतगढ़ ब्रांच से 80 या 100 क्यूसेक्स की नहर निकालकर मांखड़ा टेल क्षेत्र को पानी दे दिया जाए तो हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा यह जो निर्माण कार्य पहले हुआ है उसके लिए कई बार इस सदन में निवेदन कर चुका हूं। उस निर्माण कार्य के कारण काश्तकारों को सजा भुगतनी पड़ रही है। चाहे वह नहर हो या पक्के खाले हों।

अभी मैं सूरतगढ़ ब्रांच की चर्चा कर रहा था। सूरतगढ़ ब्रांच 2000 क्यूसेक्स की

(श्री रामप्रताप कासनियां)

नहर है। रिकार्ड में वह कम्प्लीट पक्की है और पक्की बनी भी है, परन्तु मौके पर उसकी जो हालत है, जगह जगह से उसका पैंड़ नीचे से टूटा पड़ा है, कई जगह साइड ...

**श्री देवीसिंह भाटी** : आर. डी. नम्बर बताओ।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : सिंचाई मंत्री महोदय, मैं आपको एक-एक जगह बता दूंगा। सूरतगढ़ ब्रांच नहर ही नहीं, अन्य डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर, एक-एक बिन्दु के बारे में बता दूंगा। परन्तु मुझे बड़ा भय लगा रहता है, वैसे तो मैं आप पर भरोसा रखता हूं, परन्तु उनकी जो दुश्मनी है वह भी खतरे से खाली नहीं है। मैं अगर ज्यादा ही शिकायत करूं और उस शिकायत पर आप कोई कार्यवाही नहीं करें तो विभाग के इंजीनियर मेरे से दुश्मनी निकालेंगे पहले ही सीपेज वाले मामले में और हर जगह से मेरी तो हालत वैसे ही खराब है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप निर्भीक होकर बोलिए।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : परन्तु फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूर्व में जो निर्माण कार्य हुए हैं, अगर इनकी जांच करवायी जाए, जिस-जिस बिन्दु पर, जिस-जिस आर. डी. पर बताऊंगा, वहां आप जांच करें तो एक ए. ईएन. नहीं बचे, एक जे. ईएन. नहीं बचे, एक एक्स. ईएन. नहीं बचे, एक ठेकेदार नहीं बचे। ये जो सी. ए. डी. से पक्के खाले बने हैं सन् 1975-76 और 77 में। यह तो एक अभियान चला था। जिस तरह से सरकार अभियान चलाकर गांवों में काम करती है और अभियान का मतलब होता है तुरन्त काम करना। तुरन्त काम करने से निर्माण कार्य बिलकुल ही घटिया हुआ है। खाले बनने के 2-3 वर्ष के बाद ही टूट गये और आज उनकी हालत यह है कि कच्चे खाले से काश्तकार पानी तो ला सकता था, उस पर मिट्टी डालकर बांध सकता था, लेकिन आज न तो वहां मिट्टी डाली जा सकती और न ही उस खाले को काश्तकार अपने खर्चे से बना सकता है। बहुत ही दयनीय हालत है। खाले बनाकर छोड़ दिये। सिंचाई मंत्री महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि सैकण्ड स्टेज के अन्दर काश्तकार कोई खेती करने वाला भी नहीं है। खाले पक्के बन गये और जबतक भूमि अलाट हुई, काश्तकार ने भूमि का कब्जा सम्भाला तो खाला टूटा पड़ा है। यह तो सामने की बात है, सब लोगों ने देखी है, जो भी उस क्षेत्र से सम्बन्धित जन प्रतिनिधि है, उनसे कोई छिपी हुई बात नहीं है।

सूरतगढ़ ब्रांच नहर के लिए मैंने पूर्व में भी मंत्रीजी से निवेदन किया था कि सीपेज की समस्या में सूरतगढ़ नहर का योगदान भी 40 प्रतिशत है। यह गांव जुआरपुरा से लेकर चन्दाराम ओढ़ की ढाणी तक इस नहर को दुबारा पक्की बनाने की आवश्यकता है। अगर आप इसका मौका देखना चाहें तो मैं यह बात साबित करके दिखा सकता हूं कि इस नहर में से पानी रिसाव होकर जिस साइड

(श्री रामप्रताप कासनियां)

में सेम है उपर पानी रिसाव करके निकलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस नहर को पक्का करने की आवश्यकता है और पक्की तो वैसे पहले ही हुई है। अभी आपने जो क्वालिटी में सुधार कर रखा है उसमें इस तरह से कोई और नई तकनीक हो, जिससे पानी का रिसाव नहीं हो तो वह भी करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस क्षेत्र के अन्दर मंत्रीजी ने कई बार दौरा किया है, मौका भी देखा है। अभी जो पानी देने का निर्णय किया है उसमें मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जो जो भूमि फ्लो कमांड से सिंचित होने वाली है उनको पानी दे दिया जाए। पानी की वैसे भी कमी नहीं है। हां, सिस्टम में कमी हो सकती है। खाले की क्षमता डेढ़ क्यूसेक्स की है और पानी चाहिए दो क्यूसेक्स, तो इस तरह की जगह पर हमें परेशानी आ सकती है। लेकिन जहां परेशानी नहीं आए, जहां पानी दिया जा सकता है, वहां फ्लो कमांड वालों को, लिफ्ट कमांड वालों को पानी दिया जाना चाहिए।

सैकण्ड और थर्ड स्टेज की जो भूमि है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं कि इन लोगों को पानी नहीं दिया जाए। वे भी काश्तकार हैं, वे भी राजस्थान के नागरिक हैं। परन्तु प्रकृति की देन है, वहां की भूमि की जो बनावट है, वह इस तरह की है कि 70 प्रतिशत भूमि तो उसमें सिंचित हो सकती है। यह तो मैं डर के मारे बोल रहा हूं, 70 नहीं बल्कि 40-45 प्रतिशत भूमि सिंचित होने के लायक है; बाकी भूमि पशुधन के लिए ही प्रकृति ने बनायी है घास चारा उगाने वाली भूमि है। (व्यवधान) सूरतगढ़ ब्रांच और उस भूमि में तो बहुत फर्क है। खैर ठीक है, वह आपका सोच है, मेरा सोच यह नहीं है कि इन लोगों को पानी नहीं दिया जाए। जो मौके पर सिचुएशन है; जितनी मेरी बुद्धि है, मेरा विचार है; उसके मुताबिक मैं यह मानकर चलता हूं कि वह भूमि पशुधन के लिए ही बनी है और पशुधन को भी बचाना हमारे लिए जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय सी. ए. डी. मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि सेम की समस्या आपसे सम्बन्ध रखती है। इसलिए सम्बन्ध रखती है कि इस काम को सी. ए. डी. विभाग देख रहा है और पिछले 5-6 वर्ष से मैं इस सदन में बार-बार इस समस्या पर बोला भी हूं और निवेदन किया है, परन्तु रिजल्ट अभी तक जीरो है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसी सत्र में बोले थे आप।

श्री रामप्रताप कासनियां : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो तो मैं क्या करूं? आज सिंचाई की डिमांड है। यों मैं जीरो आवर में बोलता रहूं उससे क्या मतलब है। आज जवाब देंगे, मौका तो आज है बोलने का (व्यवधान) मेरे कहने का मतलब है, जीरो आवर में बोल दूं उससे क्या मतलब है? आज

(श्री रामप्रताप कासनियां)

डिमांड है, आज जवाब देंगे तो कुछ न कुछ इसमें कहेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप जल्दी समाप्त करें ।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट के अन्दर प्रावधान रखा था आठ करोड़ रुपये का । किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है । पैसा उपलब्ध है । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि पैसा चाहे कितना ही लगे, इस समस्या का समाधान करना इंजीनियरों का काम है, एक्सपर्टों का काम है, वे करें, किसी तरह से करें । परन्तु आज दिन तक कुछ नहीं हुआ । एक स्कीम बनायी थी, कपूर साहब इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह स्कीम तो बनायी और उसमें मेरी भी सहमति है । पूरी तो नहीं है परन्तु 50 प्रतिशत मेरी सहमति उस स्कीम में जरूर है । मैंने जो सुझाव दिये थे ..

**श्री हरिसिंह (महुआ)** : धन्यवाद किस बात का ?

**श्री रामप्रताप कासनियां** : धन्यवाद इस बात का है कि जो मैंने सुझाव दिये, उसमें एक सुझाव यह भी था । यह लास्ट का सुझाव है, 5-6 सुझाव जो मैंने दिये उनमें से इसको इन्होंने एग्री कर लिया, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं । 50 प्रतिशत उस स्कीम से मैं सहमत हूं । अगर वह समयबद्ध तरीके से जिस तरह से बनी थी, आज दिन तक चालू हो जाती तो कुछ न कुछ रिजल्ट निकलता । आखिर में सी. एम. साहब ने इस मसले पर मुख्य सचिव, और सिंचाई सचिव, सी. ए. डी. सेक्रेटरी, सी. ए. डी. मंत्री, सिंचाई मंत्री, राजस्व मंत्री के साथ बैठक की । मैं भी उस कमेटी का मेम्बर हूं । बिना मंत्री, जरूरी नहीं है मंत्री होना ...जो अबकी बार बैठक हुई उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं संतुष्ट नहीं थे कि मैंने सेम की समस्या के सम्बन्ध में तीन बार बैठक ले ली और आज तक रिजल्ट नहीं आया, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं । मैं स्वयं मौके पर जाऊंगा और मौके पर जाकर ही निर्णय करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बदकिस्मती है कि 24 और 25 तारीख को प्रोग्राम बना, लेकिन उस समय बाढ़ आ गयी, फिर नहीं जा सके । मैंने इस समस्या के समाधान हेतु कुछ सुझाव दिये थे, पुनः मैं वे सुझाव दे रहा हूं । मैंने एक सुझाव दिया था कि इस क्षेत्र में ड्रेन बनाकर पानी पम्प आउट करके नहर में डाल दिया जाए या डिप्रेशन में ...

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपका समय समाप्त होने जा रहा है । समय सीमा निर्धारित है ।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : दो-तीन मिनट की बात है, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा । एक तो ड्रेन बनाने का जो सुझाव दिया था उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । दूसरा सुझाव मैंने सूरतगढ़ ब्रांच नहर पक्की करने का दिया था, यह सेम से ही सम्बन्ध रखती है । एक सुझाव

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पाताल-तोड़ कुएं यानी हजार पांच सौ, छह सौ फीट गहरा बोर करके जो जमीन के ऊपर पड़ा पानी है, यह अन्दर डाला जा सकता है। विभाग ने मेरी बात को यह तर्क देकर काट दिया कि यह जो पानी है, यह खारा है, बेकार है, यह नीचे का जल दूषित कर देगा। उपाध्यक्ष महोदय, नीचे जमीन के अन्दर तो जहरीली गैस भी है, कई जगह पानी भी बहुत गंदा है। उस क्षेत्र में तो पीने के काम में कोई लेता ही नहीं है। अगर ज्यादा खतरा है तो हजार फीट नीचे डाल दो। जमीन में जहरीली गैस रह सकती है तो वह पानी भी रह सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यह सुझाव देने के बाद मेरे एक मित्र, जो काश्तकार हैं रावतसर के, जिनका नाम है केदार बिहाणी, चक 2 ए. पी. डी. में दो ट्यूब वैल लगाकर उन्होंने पानी अन्दर डालकर दिखा दिया। विभाग मेरी इस बात को माना नहीं। आखिर में मैं खुद यह सोच रहा हूं कि अगर मैं अपने खर्चे से ही बोर करके एक्सपेरीमेंट करके पानी डाल देता तो मुझे कौन मना करता। विभाग कहता है पानी दूषित है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी काश्तकार अपनी मरजी के मुताबिक अपने खेत का पानी, चाहे गंदा हो, चाहे दूषित हो, चाहे कैसा ही हो; बारिश के समय खेत में पानी ज्यादा भर जाता है तो काश्तकार ट्यूब वैल में वह पानी डाल देता है। कोई पाबन्दी नहीं है। यह जो रावतसर के अन्दर एक्सपेरीमेंट हुआ है, इसी तरह से अगर विभाग दो-चार जगह ट्यूब वैल बोर करके पानी अन्दर डाल कर देख ले तो यह स्कीम सबसे सस्ती है, कोई महंगी भी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब सुझाव तो और भी बहुत हैं, लेकिन मुझे आपकी तरफ देखना पड़ता है, और भी बोलने वाले कई माननीय सदस्य हैं। मेरा तो आखिर में माननीय मुख्य मंत्रीजी से, सी. ए. डी. मंत्रीजी से यही निवेदन है कि आप इस सेम की समस्या का किसी न किसी तरह से समाधान करें और अपना वक्तव्य देते टाइम मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर भी आप अपनी जो राय है, सरकार की जो इच्छा है वह जाहिर करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : धन्यवाद।

**श्री रामप्रताप कासनियां** : इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने आपको धन्यवाद दे दिया। बिराजें। श्री आर. पी. सिंह जी। श्री माधव सिंह दीवान।

**श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरा जिला पश्चिमी राजस्थान में है जहां साधन बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है। वहां अभी भी सिंचाई विभाग, चाहे राजस्थान का कोई हिस्सा हो, गंगानगर हो, सूरतगढ़ हो, वह एक ही दृष्टि से सभी जगहों को देखता है। मेरे यहां छोटे-छोटे बांध बने हुए हैं। जहां सिंचाई का पानी पहुंच

(श्री माधव सिंह दीवान)

गया जिस बांध का, उस टेल एण्ड पर जो काश्तकार है वह तो निहाल हो गया और जिस काश्तकार का कमाण्ड में नहीं आया वह काम से गया। उसको तो आठ रुपये बीघा पूरे चार पाण का पानी मिल रहा है और जिस किसान के पास कुआं भी नहीं है उसको पानी बिलकुल नहीं मिल रहा है। वह भूखों मर रहा है।

मैंने माननीय मंत्री महोदय को एक सुझाव दिया था कि जहां कहीं कमाण्ड एरिया है उस कमाण्ड एरिया में कई कुओं में पानी हो गया है। जहां कुओं में पानी है, मोटर लगी हुई है, वहां तो कम से कम सिंचाई बंद करो। उनको तो पानी यों भी उपलब्ध है। वे तालाब के नीचे आये हुए, है उनको अनकमाण्ड करके जो नीचे वाले एरिया के खेत हैं, जहां किसान है, एस. सी. के लोग हैं, एस. टी. के लोग हैं, जहां पानी बिलकुल नहीं पहुंच रहा है उनको पानी दिया जा सकता है। एक परिस्थिति जो या नहर बनने ने बाद बदलनी है उस परिस्थिति पर भी विभाग ध्यान दे तथा समय-समय पर उसका अंवेक्षण करवाता रहे कि कहीं वाटर टेबल ऊंचा आ गया है। वह उसको डिकमाण्ड करने के बाबत भी कार्यवाही करे तो अधिक लोगों को फायदा हो सकता है और राजस्थान में जो सीमित पानी है उसका उपयोग भी हो सकता है।

सिंचाई विभाग पहले एनीकट निर्माण करवाता था ताकि जमीन की वाटर टेबल ऊंची आये। अब यह एनीकट के बारे में 20 तरह के विचार अलग-अलग हो गये। बीसलपुर के लिए तो दुनिया भर से अलग एक आदेश निकाल दिया गया कि बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र में तो एनीकट बन सकेंगे। क्यों बन सकेंगे, इसका कारण तो शायद चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य, जिन्होंने आर्डर करवाया, वही जानें, पर राजस्थान में अन्य जगह एनीकट नहीं बन सकते। जहां बांध बन रहा है, पानी कम है, जिसका पानी जयपुर भी मांग रहा है, अजमेर, ब्यावर मांग रहा है, वहां तो आप एनीकट बनाने के लिए छूट दे रहे हैं और बाकी पूरे राजस्थान में एनीकट पर रोक लगा रखी है। यह अन्याय की बात पता नहीं किस कारण हैं, क्या है, इसके पीछे कौन है, यह समझ में नहीं आया। आप वहां रोक लगायें मैं यह नहीं कहूंगा कि वहां रोक लगायें पर राजस्थान के अन्दर बाकी जगहों पर, जो छोटे-छोटे गांव हैं, जहां पर नदी निकल रही है और कुओं में पानी नहीं है, वहां कम से कम यह जो दो मीटर एनीकट की हाइट बनाने का आपने प्रावधान कर रखा है। यह पूरे राजस्थान के लिए खोलेंगे और कम से कम वहां तो अवश्य खोलेंगे जहां टूट गये हैं, एनीकट टूटे पड़े हैं। सिंचाई विभाग कहता है हम तो रिपेयर नहीं करायेंगे, हमारी तो उसमें आता ही नहीं है। तो कौन करायेगा? आधा एस्टीमेट, आधा काम सिंचाई विभाग का किया हुआ है। अब ये कहते हैं ग्राम पंचायतों से कराओ, विकास विभाग से कराओ। विकास विभाग वाले कहते हैं कि सिंचाई विभाग का अधूरा काम हम कैसे पूरा करें। एक विचित्र परिस्थिति बनी हुई है। इसके बारे में निर्णय करके जो भी टूटे हुए

(श्री माधव सिंह दीवान)

एनीकट हैं, वे अगर एन.आर.ई.पी. से हो सकते हों, जवाहर रोजगार योजना से हों, जिस योजना में भी हों, एक निर्णय आ जाए कि एनीकट का रिपेयर सिंचाई विभाग नहीं करायेगा और कलक्टर को अगर इन्सट्रक्शंस हो जाए तो वे उसकी रिपेयर का काम हाथ में ले सकते हैं। छोटे-छोटे जो बांध हैं उनका दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल से कोई रख-रखाव नहीं हो रहा है। एक पैसा भी नहीं लगता। एक काम तो आपने अच्छा किया। जो वर्कचार्ज स्टाफ था, जो एक धेला भर काम नहीं करता, उनको परमानेंट कर दिया और परमानेंट करते ही वह तो+++हो गया। +++राज एक ही बहुत होता है जो काम न करता है, न करने देता है और आपके यहां सैंकड़ों+++हो गये। एक भी आदमी, एक बीघा भी मिट्टी नहीं डालता है और पूरे के पूरे स्टाफ को परमानेंट कर दिया। वे आफिस में बैठे रहते हैं, जहां-जहां उनकी पोस्टिंग हुई, कोई जाता नहीं और एक पूरी कमाण्ड की कमाण्ड इकट्ठी हो गयी।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी** : एक विभाग में एक पर्याप्त है क्या ?

**श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री)** : माननीय सदस्य, इसमें कोई सुझाव हो तो आप दीजिएगा। वैसे हमने यह तय किया है कि उसकी वापस आदत डाली जाए। इसके लिए पांच-पांच फीट का ही रोज काम उसके रजिस्टर में एन्ट्री करने के लिए कहा गया है। एक शुरूआत करके देखते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो बताए।

**श्री माधव सिंह दीवान** : अभी तक तो आपने ऐसी शुरूआत शायद कागजों में की होगी। अगर आप वर्क्स की नार्म्स तय कर दें कि हरेक आदमी, जो आपका फोर्थ क्लास है, जो लेबर है, जो हेल्पर है, उसको इतना वर्कटम आॅफ वर्क रोज करना होगा, जो मेजरमेंट बुक है, उसमें भरा जायेगा, तो कम से कम उसका काम हो। बाकी तो आज तक उनकी तनख्वाह बेकार जा रही है। यह रखरखाव का काम या तो अकाल पड़े तब कर सकते हैं या फिर उस अकाल के टाइम जो रियल रखरखाव होना चाहिए, बांध जब फूटता है तभी सिंचाई विभाग जगता है। समस्या यह है कि हमारे यहां जिस बांध की भी सिंचाई 200 बीघा या 250 बीघा से कम होती है, सिंचाई विभाग कहता है कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राजस्व विभाग, पटवारी, उसकी बिगोड़ी भी वही लेगा, उसकी सिंचाई का तखमीना भी वही बनायेगा....

**श्री देवीसिंह भाटी** : ढाई हजार एकड़ से कम।

**श्री माधव सिंह दीवान** : ढाई हजार एकड़ से कम। अब ढाई हजार एकड़

---

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री माधवसिंह दीवान)

वाले बांध कितने हैं ? पूरे जोधपुर डिवीजन में आप देखने जाओ तो पांच-सात बांध हैं। बाकी सारे छोटे-छोटे बांध राजस्व विभाग ही देखता है। अब राजस्व विभाग के पटवारी वहां क्या तो निहाल करते हैं। या तो आप अपने पटवारियों को ज्यादा काम दे दो, और करना क्या है, बांध तो कम से कम दो-तीन साल में एक बार भरता है, कौनसा कोई हर साल बांध भरता है। उन बांधों का रखरखाव, सिंचाई का जो हिसाब-किताब है वह सारा सिंचाई विभाग रखे तो उनका काम होगा।

मेरे क्षेत्र के दो बांध चिरपटिया और पोटलिया थे। उनको टूटे हुए आज 12 साल हो गये। चिरपटिया बांध तो जिस साल बना था उसी साल पानी आया और टूट गया। नहीं बनता तो बेटर था, कम से कम पानी नदी में तो बह रहा था। अब जहां फूट गया वहां से सारा खेतों को नुकसान करता हुआ जा रहा है। कितनी ही बार वहां लोग आ गये, सैम्पल ले गये। कोई कहता है कि कोई रिसर्च लेबोरेटरी है। जब इसकी जांच हुई कि यह फूटा क्यों, तो जांच करने वाले अधिकारी इस निष्कर्ष पर आये कि पूरी दुनिया में अगर इस तरह से कोई बांध फूटा है तो नाइजीरिया में बांध था वह फूटा है या फिर यह मेरे क्षेत्र में ही फूटा है। एक दूसरे को बचाने का मामला तो इतना पक्का है कि कौन जिम्मेदार है और आज तक किसी बांध के लिए किसी अधिकारी को दोषी पाया गया या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं। यह जांच पूरी हो चुकी है। ये जो दो बांध बचे हुए हैं चिरपटिया और पोटलिया, मैं वहां इस गांव में जाने लायक नहीं हूं और उनको यह कह-कह करके सन्तुष्ट करता हूं कि हम तो विपक्ष में हैं, विपक्ष में हैं। परन्तु पता नहीं लोगों को कैसे मालूम है कि देवीसिंहजी मेरी बात थोड़ी-बहुत मानते हैं। कम से कम यह बात तो यहां लोगों को बता दें कि यह बात है आपका यह प्रयास होना चाहिए कि ये दोनों बांध किसी भी योजना के तहत चालू हो सकें ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके।

जहां तक इन्दिरा गांधी नहर का सवाल है, भाटी साहब आपके पास सिंचाई और इन्दिरा गांधी नहर, दोनों ही हैं। परन्तु इन्दिरा गांधी नहर मंत्री मैं भी रहा हूं। उनके पास सिर्फ नहर बनाने का काम है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इन्दिरा गांधी सैकण्ड स्टेज में जितनी भूमि है जो एरिया प्रोपड कहलाता है, जहां नहरें बन गयीं, खाले बन गये, वहां वास्तव में सिंचाई सिर्फ 10 प्रतिशत इलाके में हो रही है। बाकी 90 प्रतिशत इलाका खाली पड़ा हुआ है। लोगों ने अलाट करवा ली। वहां टीले एज इट इज मौजूद हैं और लोग इसलिये राह देख रहे हैं कि कब उसके भाव बढ़े और कब वे बेचकर अलग हों। अलाटमेंट के टाइम हो सकता है हमारे टाइम में गड़बड़ियां हुई हों, आपके टाइम में भी हुई हों और अलाटमेंट करने वाली कमेटी अलग है, कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट अलग है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपने रफ्तार से दौरे किये हैं। अगर आप इंटिरियर में जाते तो सही स्थिति सामने आ जाती।

**श्री माधव सिंह दीवान** : आप तो वहां मिल जाया करते थे। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जितना एरिया प्रोपण्ड हुआ है 10 से 15 प्रतिशत एरिया में सिंचाई हो रही है। 85-90 प्रतिशत एरिया अभी-भी खाली पड़ा हुआ है। वहां जाते नहीं हैं और कोलोनाइजेशन के रूल्स भी अजीब हैं। आपने एक बार अलाट करवाकर कब्जा ले लिया, उसके बाद आप 20 साल भी सिंचाई नहीं करो तो भी आपका अलाटमेंट कैन्सल नहीं होता। उसमें आप परिवर्तन कर सको तो बढ़िया बात है कि जो उसमें सिंचाई नहीं करेगा, खेती नहीं करेगा तो हम उसका कैन्सल कर देंगे, तो कई लोग जो इस बात की बाट देखे हुए हैं उनको राहत मिलेगी। उसमें अधिकतर तो आपके विभाग के छोटे-मोटे अधिकारी और ठेकेदार ही हैं जिन्होंने वहां जमीन अलाट करा ली है और उसको बेचने की वे भी राह देख रहे हैं।

अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि नहर के अन्दर मिट्टी निकालने का काम है, अनाप-शनाप घास उग गयी है, जगह-जगह मिट्टी उड़-उड़ कर आने से नहर की कैपेसिटी कई-कई जगह 20 प्रतिशत तक रह गयी है। इस मिट्टी को निकालने के काम में धांधली का भी चांस बहुत है, क्योंकि उसका ठेका अजीब तरह से होता है। न तो उस मिट्टी को मापा जा सकता है कि कितनी मिट्टी है और न उसका हिसाब-किताब रखा जा सकता है कि चालू नहर के अन्दर किस प्रकार साफ की जाए। मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि नहर में से मिट्टी निकालने का ठेका सही रूप से दें और अधिक से अधिक मिट्टी समय पर निकले और नहर की पूरी कैपेसिटी हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अरूण सिंह।

**श्री अरूण सिंह (डीग)** : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर का जो इरिगेशन सिस्टम आफ इनडेंशन था आजादी के बाद से जो भी राजस्थान सरकार आयी उसने इस यूनिक इनडेंशन सिस्टम को तहस-नहस कर दिया। यह सिस्टम चीन में कॉपी हुआ है। सिंचाई मंत्री मेरे मित्र भी हैं मैं उनसे यह उम्मीद करता हूं कि इस सिस्टम को आप प्रयास करके रिवाइव करें। परन्तु इस व्यवस्था में मंत्रियों की चलती तो है नहीं। हां, थोड़ी-बहुत तो चलती है देवीसिंहजी की।

अब मैं एक आरोप भी लगा रहा हूं लेकिन इन पर नहीं है। इन्जीनियर और कॉन्ट्रेक्टरों का, सिंचाई मंत्री महोदय, एक कॉकस और माफिया बन गया है। वह इस सिंचाई विभाग पर इतना हावी हो गया है कि आप भी कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हाल के लोक सभा चुनाव में इन्जीनियरों ने अपने कैंडिडेट लड़ाये। इस तरफ से भी लड़ाये, उस तरफ से भी लड़ाये। 2 करोड़ का चन्दा

(श्री अरूण सिंह)

भी इकट्ठा हुआ। इस साइड भी दिया, उस साइड भी दिया। मैं कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी इस पर कुछ तफ्तीश करें। मैं तो सबूत दूंगा आपको। निष्पक्ष को नहीं दिया। तो यह जो नैक्सस कांट्रेक्टर और इंजीनियरों का हो गया उसमें हमारे क्षेत्र में टेण्डर 140 प्रतिशत ऊपर गये। कोई इंजीनियर टेण्डर 60 प्रतिशत बिलो दे तो काम कैसे हो सकता है? सिंचाई मंत्री जी, आपके पास अब बड़े काबिल सिंचाई सचिव भी आये हैं, श्री सी. के. मैथ्यू आप कुछ करके दिखाएं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : सुझाव दें।

**श्री अरूण सिंह** : सुझाव मिलेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया बोलने दें, व्यवधान न डालें।

**श्री अरूण सिंह** : भरतपुर जिले में मोती झील के बांध में 13 फुट पानी 27 जून को आया। प्रशासन और जे. ईएन. विज्ञप्ति दे रहे हैं कि चूहों के कारण टूटा मोती झील बांध का एक हिस्सा। इन्सानों के कारण नहीं चूहों के कारण बांध टूटा। यह हो भी सकता है, वहां चूहे बहुत आ गये हैं। जब डिवीजनल कमिश्नर ने जब 13 तारीख को मीटिंग की तो प्रशासन ने यह कम्पलेण्ड क्यों नहीं की कि वहां चूहे ज्यादा हैं? अब यह भी एक बहाना बन गया और चूहों के नाम पर आप बहाना कर रहे हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने इसी विधान सभा सत्र में घोषणा की कि भरतपुर में 9 महीने में जो तीन बाढ़ आयी है उसके लिए एक उच्च स्तरीय इन्क्वायरी अधिकारी बैठाएंगे। माननीय मंत्री जी मैं यह चाहूंगा कि आज ही आप इसकी घोषणा करें। 1995 की बाढ़ में सिंचाई विभाग ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से 8 करोड़ रुपया मांगा था। अब 1996 में भी 4-5 करोड़ का नुकसान सिंचाई विभाग को हुआ इसमें सिंचाई सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करके, क्योंकि जब भरतपुर का मामला आता है तो मुख्य सचिव राइडर लगा देते हैं कि भरतपुर के लिए पैसा नहीं है। बिना पैसे वहां काम नहीं होगा।

अभी एक सप्ताह पहले की ही बात है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गोवर्धन ड्रेन पर विवाद चला। गोवर्धन ड्रेन की लैंथ 54 किलोमीटर है। **It enters into Rajasthan nine times.** हमारे हिस्से में आज की तारीख में 11 कट इस बाढ़ के कारण आये हैं, डेढ़ सौ फीट के कट हैं। जब राजस्थान सरकार के इंजीनियर इसको ठीक करने गये तो उत्तर प्रदेश की पी. ए. सी. और उत्तर प्रदेश के प्रशासन वालों ने राजस्थान वालों को भगा दिया। सातवीं बटालियन आर. ए. सी. वहां है। क्यों नहीं राजस्थान सरकार भी पुलिस का सहयोग लेती है? ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर एण्ड एन एक्स ईएन. आफ द सी. ए. डी. डिपार्टमेंट, बीकानेर ने जिला प्रशासन को लिखकर दे दिया कि यहां काम करना हमारे बस का नहीं है, आप यह काम आर्मी को दे दो। राजस्थान सरकार इतनी नपुंसक नहीं है कि

(श्री अरूणसिंह)

उत्तर प्रदेश के सामने घुटने टेक दे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और मैं बधाई देता हूं, उनके मुख्य सचिव ने मौका देखा, गोवर्धन नाले पर गये, आगरा, मथुरा गये । मेरा मुख्य मंत्री ठाकुर भैरोंसिंह जी से यह अनुरोध है कि वे प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश के सिचाई सचिव, राजस्थान के सिचाई मंत्री और सिचाई सचिव, हरियाणा के सिचाई मंत्री और सिचाई सचिव आगरा और फरीदाबाद में मीटिंग करके इसमें समाधान लायें। हमने भी चिकसाना बांध तोड़ा और खारी नदी में लाखों क्युसेक्स पानी गया, हजारों गांव नष्ट हुए । उसका उत्तर प्रदेश सरकार ने हमसे बदला लिया। आज भी कुम्हेर क्षेत्र के बरसोई ताखा, सांतरूक, रारे में 4-4 फीट पानी भरा है। सिचाई मंत्री जी, इसमें आप इनिसिएटिव लें और आगरा नहीं जाना है। आपको, पर चालू तो करें उसको।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आगरा तो आप ही जाओ।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : आगरा आप जायेंगे या वे जायेंगे ?

**श्री अरूण सिंह** : मैं तो इनिसिएटिव ले रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं उनको।

पिछले साल की बाढ़ से बाणगंगा नदी ने अपना रास्ता बदला। यह जो बाढ़ आयी यह अलवर और रूपारेल नदी की बदौलत आयी। पर अब जो बारिश हो रही है जयपुर में, मैं आपको प्रिकोशन दे रहा हूं कि बाणगंगा नदी ऊफान में आये तो एक हिस्सा भरतपुर रह गया है वह भी डूब जाएगा। मैं मंत्री जी को हल्का सा धन्यवाद देना चहता हूं। एक एक्स. ईएन. श्री ओ. पी. शर्मा जो गुड़गांव कैनाल प्रोजेक्ट में तैनात थे, वे श्रीमान् फरार थे, उनको मंत्री जी ने तोहफा दे दिया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। उस जैसे इंजीनियर पर मुकदमा चलना चाहिए। He should be suspended परन्तु जैसा मैंने कहा कि एक कॉकस है ठेकेदारों का और इंजीनियरों का। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में यह जो प्राचीन सिस्टम है भरतपुर इनंडेशन का, माननीय देवीसिंह जी भाटी इसमें रूचि लेते हैं इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यह सिस्टम आपके हाथ से रिवाइव हो, क्योंकि भाटी और हमारा एक ही निकास है, करौली भाई-भाई हैं हम, तो भरतपुर वाले आपके आभारी बहुत रहेंगे। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री राजपाल सिंह शेखावत (अनुपस्थित)।

**श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 पर मैं भी मेरे कुछ सुझाव सिचाई मंत्री महोदय को दूंगा। एक तो हमारी जो नहर है। उसको बने हुये करीब 30-35 साल हो गये हैं और इसकी टूट फूट बहुत हो चुकी है। इस वास्ते आप कृपया नहरों की मरम्मत कराइये। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां सिल्ट है, इस सिल्ट

(श्री अमरचंन्द मिड्ढा)

से बड़ा चक्कर है। इसकी वजह से टेल-एंड पर पानी नहीं जाता। इस वास्ते आप टेल के लिए बजट दें। जब किसी अधिकारी से मिलते हैं तो वे यह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिए सिल्ट हम निकाल नहीं सकते, इस वास्ते टेलों पर पानी पहुंच नहीं सकता।

तीसरी बात यह है कि हमारे अभी तक 35 साल हो गये यह मोगों की उलट-पुलट बन्द नहीं हुई। यहां अधिकारी जब भी चाहते हैं मोगों को उलट देते हैं। गंग कैनाल को 70 साल हो गये और ये मोगे फिक्स हो गये। पता नहीं इस नहर को क्या बीमारी है या इंजीनियरों को बीमारी है कि ये साल में 2-3 दफा मोगे बदलते हैं।

मुद्दा एक यह है कि जितनी भी ये नहरें हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं इनका लेबल सही नहीं है। कहीं से दो फीट-तीन फीट ऊंची है तो कहीं से यह आधा किलोमीटर, किलोमीटर ऊंची आ जाती है। वहां वह मोगे वाले या चक वाले को पानी लगता ही नहीं है। इस वास्ते आप कृपया इनको देखकर आप इंजीनियरों के आदेश दें कि इसको देखें और जहां से भी दुरुस्त करना है उनको दुरुस्त करें। जैसे भार्गव साहब हमारे यहां आये थे एस. ई. साहब, वे जी. एम. माइनर को ही खत्म कर गये और सब चांचों में मोगे दे गये।

**श्री देवीसिंह भाटी** : सस्पैण्ड कर दिया।

**श्री अमरचन्द मिड्ढा** : धन्यवाद है आपका। कई अधिकारी ऐसे हैं कि इस चक से भी 10 मुरब्बे ले लिये, इस चक से 10 मुरब्बे ले लिये, 20 मुरब्बे किसी और माइनर में मिला दिये, तो यह सिस्टम बन्द करें। इनको कहें अगर जरूरी हो तो उसके लिए आपसे मंजूरी लेकर करें। वे वहां पर बैठे-बैठे पैसा बटोरकर फैसला न करें।

एक एम. डी. नहर है, जब यह नहर आयी थी तब इसका गेट बना हुआ था। 35 साल के अन्दर विभाग उसका गेट नहीं लगा सका। उस पर लाखों रुपये खर्च हो गये, गेट बन गया। यहां मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ इंजीनियर भी थे, सचिव भी थे, आप भी थे, मैं भी था, गुरुचरण सिंह जी भी थे। उस समय वायदा किया गया था कि इसको लगवा देंगे, परन्तु आज की तारीख तक वह गेट नहीं लगा। कृपया आप अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वे इसको लगाएं। एम. डी. नहर में अनूपगढ़ से बीकानेर तक जो सड़क जाती है इसमें सतराधा के पास में एक पुल बना हुआ है। जब भी बरसात होती है तो उसमें कैलो बहुत आती है और वह पुल इतना नीचे बना हुआ है कि वह कैलो उसमें छू जाती है, पानी आगे क्रास नहीं होता, पीछे नहर का पानी ऊपर चढ़ जाता है और आगे पानी जाता नहीं। यह आपके विभाग का काम हो तो आप करवाएं और अगर पी. डब्ल्यू. डी. का काम है तो आप कृपया उनसे लिखा-पढ़ी करके यह काम करवाएं।

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

एक 6 एम. एस. आर. का एक मोगा दिया है। उसके लिए कई दफा आपको शिकायतें भी की हैं, चीफ इंजीनियर को भी शिकायतें की हैं, एस. ई को भी शिकायतें की हैं। वह पानी लग ही नहीं सकता। मोगा ही मोगा दे रखा है। लिफ्ट से उसको पानी सिंचाई करते हैं और मोगा आपने लगवा लिया है। जो ऐसा काम है यह भी भार्गव साहब की कृपा है। इसलिए आप किसी अधिकारी को भेजकर जांच करवाकर टेलों पर पानी पहुंचाने का काम करें। 6 एम. एस. आर. का उन्होंने बीच में यूं ही ठोक दिया। मेरा सुझाव है आप कृपा करके इनको करवाइए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारतवर्ष का किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। किसान को सतही जल उपलब्ध कराने और सुचारू रूप से उसकी सिंचाई व्यवस्था की देखभाल करना इस सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। यह सच है कि राजस्थान में मानसून पर ही किसान अधिकतर निर्भर रहता। जहां पर भी सतही जल के सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहां पर या तो उसके जो बांध या एनीकट्स बने होते हैं, उनकी रिपेयर्स समय पर नहीं होती या जहां पर उसको आवश्यकता है वहां पर उसके लिये बांध और एनीकट्स नहीं बनाये जाते हैं। कांग्रेस के शासन में, करोड़ों रुपये के बांध सरकार ने बनाये थे। ये सरकार भी पैसे तो किसान का पक्ष लेने का या किसान के समर्थन का वायदा करती है, ऊंची-ऊंची बातें करती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले वर्षों के अन्दर इरिगेशन पर जो प्लान एक्सपेंडिचर, जो प्लान एलोकेशन हो रहा है, वह कम होता चला जा रहा है। यह मैं मानता हूं कि देवीसिंह जी भाटी को अपने विभाग में तो पकड़ है, लेकिन ऐसा लगता है कि कैबिनेट में उनकी ज्यादा नहीं चलती है। इसी कारण से सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग में, जहां बजट एलोकेशन ज्यादा होना चाहिये था, जहां प्लान एक्सपेंडिचर हर साल बढ़ता जा रहा है वहां सिंचाई विभाग का प्लान एक्सपेंडिचर घटता जा रहा है। मैं अपेक्षा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि भाटी साहब अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए, किसानों के हित में सोचते हुए सिंचाई विभाग के जो बांध हैं उनकी मरम्मत के लिये और साथ ही साथ इनके एनीकट्स वगैरह के निर्माण के लिये प्लान एलोकेशन में ज्यादा प्रयास करेंगे।

जो आपने प्रगति प्रतिवेदन दिया है उसके पेज 46-47 पर बजट एलोकेशन और अलग-अलग विभागों के अन्दर किस प्रकार से इसका वितरण करेंगे, इसका विवरण दिया है। आपने 95-96 में 286 करोड़ रुपये का प्रावधान सिंचाई विभाग के विभिन्न कार्यों के लिये किया था लेकिन 96-97 में आप का प्रावधान करीबन 22 करोड़ घट गया और 264 करोड़

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

45 लाख रुपये हो गया। आपने कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें आपने प्रावधान कम कर दिया। वृहत परियोजनाओं में आपका पिछले साल का प्रावधान करीबन 96 करोड़ था वह घटकर 93 करोड़ कर दिया। मध्यम परियोजनाओं पर जो प्रावधान 62 करोड़ 96 लाख था वह आपने 54 करोड़ के आस-पास कर दिया। माडर्नाइजेशन प्लान की जो स्कीम्स थीं उसके अन्दर करीबन 9 करोड़ 13 लाख का था वह घटकर 7 करोड़ का प्रावधान हो गया। मुख्य रूप से मुझे जो पाइंट आउट करना है वह यह है कि जो लघु सिंचाई योजनाएं, जो कि छोटे किसानों के लिये विशेष रूप से लाभदायक होती हैं और जिनका कई जिलों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके लिये आपने 43 करोड़ रुपये की जगह आने वाले वर्ष में 37 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया। कहने का मतलब है कि आपने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अन्दर सिंचाई विभाग की विभिन्न मदों में जो कम एलोकेशन किया है उसके कारण से किसानों हानि होगी। आपने कम एलोकेशन किया वह बात तो समझ में आती है लेकिन माननीय सिंचाई मंत्री जी और सरकार के ध्यान में मैं एक और बात लाना चाहूंगा। वह यह है कि आपका जो बजट एलोकेशन है वो इक्विटेबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर। किन डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा आवश्यकता है, किन डिस्ट्रिक्ट्स में बांध ज्यादा टूटे हुए हैं या नहरों की रिपेयर्स की आवश्यकता ज्यादा है, उसमें एलोकेशन पता नहीं किस तरह से ध्यान में किया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो एलोकेशन बहुत ही ज्यादा है और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे--अजमेर में 1995-96 में विभिन्न परियोजनाओं में सिर्फ 243 लाख रुपये का प्रावधान किया था। अलवर में 216 लाख का किया था जबकि बांसवाड़ा में 3,705 लाख रुपये का प्रावधान किया था। इसी प्रकार से आपने नागौर, पाली और मेरे राजसमंद जिले में भी आपने बजट एलोकेशन बहुत कम किया था। आपने टौंक और जयपुर जिले के अन्दर काफी ज्यादा प्रावधान किया था। तो यह आपका डिस्ट्रिब्यूशन मुझे इक्विटेबल नहीं लगता है। इसको किस प्रकार से आप जस्टिफाई कर सकेंगे, कृपया अपने उत्तर में बताने का प्रयास कीजिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्षों पहले के बांध बने हुए हैं, एनीकट्स बने हुए हैं, जो नहरें बनी हुयी हैं, आज उनकी हालत बहुत खराब हो रही है और रिपेयर्स की तरफ हमारी सरकार का ध्यान बिलकुल नहीं जा रहा है। मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी को व्यक्तिश: भी कहा था कि आपको ये अरबों की लागत के बने हुए बांधों और नहरों की रिपेयर्स के लिये बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कई जगह ऐसी स्थिति है कि टेल एण्ड पर नहरों का 25 प्रतिशत पानी भी नहीं पहुंच पाता है। राजसमंद जिले में पिछले वर्ष का जब मैंने तुलनात्मक रूप से पी. डब्ल्यू. डी. की रिपेयर्स की सड़कों का और इरिगेशन की रिपेयर्स के जो तुलनात्मक

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

आंकड़े देखे तो वो काफी चौंकाने वाले थे ।

मैं यह नहीं कहता कि सड़कों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये । लेकिन अगर आपके पास पैसा कम है, पैसा बहुत है तो सड़क भी बनाइए, उनकी भी रिपेयर्स कीजिए, एनीकट्स भी बनाइए, तालाब बनाइए । लेकिन किसान को आज तालाब, एनीकट और नहरें पहले चाहिये । वह सड़कों के लिये कुछ समय इंतजार भी कर सकता है । आपने राजसंमद जिले में पिछले साल सड़कों की रिपेयर्स के लिये 1 करोड़ 54 लाख रुपये दिये । बांधों, नहरों या एनीकट्स की रिपेयर्स के लिये कितने दिये ? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 3 लाख रुपये राजसंमद जिले में इनकी रिपेयर्स के लिये दिये गये थे । सरकार की इस सोच को मैं विकृत सोच मानता हूं । यह सही सोच नहीं है । सड़कों की रिपेयर्स के लिए तो आप इतना पैसा देते हैं और बांधों के लिये, जो किसान के लिये अतिआवश्यक और उनकी ओर उनकी नहरों की रिपेयर्स के लिये इतना कम पैसा अपनी तरफ से देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आपने लघु सिंचाई के बांधों वगैरह की मरम्मत के लिये जो बजट का एलोकेशन किया, वह 1994-95 में 6 करोड़ 28 लाख रुपये किया और 1995-96 में वह घटकर 3 करोड़ 57 लाख रुपया हो गया । पहली चीज तो यह अपने आप में दर्शाती है कि सरकार की सोच क्या है । अगर हम देखें कि डिस्ट्रिक्ट्स में इसका किस प्रकार से डिस्ट्रिब्यूशन किया तो वापस वही बात आ जाती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन बिलकुल बैलेंस में इन्होंने डिस्ट्रिब्यूशन नहीं किया । जयपुर के अन्दर, जहां पर आपने 63 लाख रुपये 1994-95 में दिये थे, पिछले साल 54 लाख रुपये दिये, धौलपुर में आपने सिर्फ साढ़े 3 लाख रुपये दिये, अजमेर में सिर्फ साढ़े 7 लाख रुपये दिये, जोधपुर में सिर्फ 5 लाख 16 हजार रुपये दिये । ये लघु सिंचाई बांधों की रिपेयर्स की बात कर रहा हूं । नागौर में आपने सिर्फ 5 लाख रुपये दिये और मेरे राजसंमद डिस्ट्रिक्ट में आपने सिर्फ 8 लाख रुपये दिये । इतने कम पैसों से क्या हो सकता है ? यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है । कम पैसा है तो आप समान रूप से उसका वितरण कीजिए । किसान राजस्थान में सब जगह बसता है और सब जगह उसको पानी की आवश्यकता है और आप इसको अगर किसी अन्य कारण से या किसी पालिटिकल रीजन से इस पैसे का डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं तो it is strongly objectionable.

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा नहीं है ।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह नहीं है तो खुशी की बात है, आप कारण बता दीजिएगा । उपाध्यक्ष महोदय, एनीकट्स के बहुत लाभ हैं और यह सर्वविदित है कि इससे कुओं का सेजा बढ़ता है और पानी का लेवल ऊंचा आता है । एनीकट्स के

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

ऊपर हमारे तीन-चार डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर पिछले कुछ सालों से रोक लगी हुयी है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट्स में, राजसंमद में और उदयपुर के कुछ हिस्से में रोक लगी हुई है। बीसलपुर परियोजनाओं में उसके कैचमेण्ट में आता है।

मैं इस बात को मानता हूं और इस बात से सहमत हूं कि सिचाई के पानी से ज्यादा प्राथमिकता हमको पेयजल के लिये देनी चाहिये। चाहे वह अजमेर के लिये हो, चाहे ब्यावर के लिये हो, चाहे जयपुर के लिए हो। लेकिन अगर आप उनसे आगे बढ़ कर के सिचाई की फैसिलिटी उपलब्ध कराना चाहते हैं किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट को और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कैचमेण्ट में वहां पर रोक लगाते हैं तो उसका मतलब यही होगा कि आप एक भाई के हाथ से रोटी छीन कर दूसरे भाई को देना चाहते हैं, हैं, मेरे ख्याल से यह अन्याय है। सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिये और जो 2 मीटर तक बनाने को रोक लगायी हुयी है चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसंमद और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में, उस रोक को हटाया जाना चाहिये। इसके साथ एक प्रेक्टिकल प्रोबलम और आ गयी है। आपके रेकार्ड में दिया हुआ है कि एनीकट्स 2-2 मीटर के बने हुए है। हम जब उसको कुछ ऊंचा उठाने की बात करते है, यह कहकर की हम आपके नियम नहीं तोड़ना चाहते हैं। दो मीटर तक का है। उसमें मिट्टी बह-बह कर आ गयी है और उसके कारण से उसकी वास्तविक, व्यावहारिक ऊंचाई अब दो मीटर नहीं रह गयी है। कहीं पर दो फीट रह गयी है, कही पर एक फीट रह गयी है और सारी मिट्टी वहां आ गयी है। जब हम कहते हैं विभाग के अधिकारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से कि व्यावहारिकता से आप इसको दो मीटर ऊंचा तो कर दीजिए। वे कहते हैं कि जब बनाया था,

( 16.00 )

उस वक्त 2 मीटर था। 20 साल पहले, 15 साल पहले बनाया था, उस वक्त 2 मीटर था लेकिन आज तो वास्तव मे एक फुट रह गया है। तो कम से कम उन बांधों के लिये जहां पर कि उसकी वास्तविक ऊंचाई अब एक फुट या दो फुट रह गयी है, जमीन इतनी ही बची है, पानी की भराव-क्षमता इतनी ही है उसको ऊंचा उठाकर 6 फुट या 2 मीटर करने का आप आदेश प्रदान करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रगति प्रतिवेदन के अन्दर अपनी कुछ विशिष्ट उपलब्धियां बतायीं है। उन विशिष्ट उपलब्धियों के अन्दर राजस्थान जल संसाधन कंसोलिडेशन परियोजना का आपने जिक्र किया। इस परियोजना के लिए आपने 2 हजार करोड़ रुपये की योजना बनायी है। लेकिन इसके अन्दर स्माल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है। यदि इसमें प्रावधान नहीं किया गया है, तो कृपया इसमें प्रावधान करने का

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

कष्ट करें। स्माल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी हमारे किसानों के लिये बहुत आवश्यक है और इस दिशा में भी आपको सोचना चाहिए।

सिंचाई मंत्रीजी, आपने एक राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना का इस प्रतिवेदन में जिक्र किया है। संयोग से मेरे पास पिछले वर्ष का भी प्रतिवेदन था, इस वर्ष का भी था। पिछले वर्ष के प्रतिवेदन को देखा, तो उसमें कोमा तक की भी आपने कहीं बढ़ोतरी नहीं की है। राष्ट्रीय जल प्रबंधन योजना जो वर्ष 1994-95 में थी, उसको ज्यों का त्यों उठाकर इसके अन्दर आपने छाप दिया। इसका मतलब एक वर्ष के अन्दर उस स्कीम में, उस योजना के अन्दर आपने कुछ भी प्रगति नहीं की है। जहां आप पिछले वर्ष थे वहीं पर आप खड़े-खड़े कदमताल कर रहे हैं। कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए।

आपने विश्व बैंक की सहायता के अन्दर बांध सुरक्षा परियोजना का भी इसके अन्दर जिक्र किया। पहले यह 52 करोड़ की थी और अब करीबन 99 करोड़ 70 लाख रुपये की यह परियोजना बन गयी है। 1991 में इस योजना की क्रियान्विति प्रारम्भ हुई थी। यह पांच साल की है, तो 1996 के अन्त तक इसका कार्यकाल है। इस परियोजना का जो मेन लक्ष्य है उसमें 80 प्रतिशत पैसा बांधों की विशिष्ट सुरक्षा उपाय के लिए किया जाना चाहिये। लेकिन अभी तक इसमें सिर्फ 15 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। सिर्फ एक मास बाकी है और अभी तक इसमें 85 प्रतिशत पैसा असली काम के लिए खर्च होना बाकी है। आपने अपने पैसे का उपयोग सिर्फ दूसरे भवन निर्माण में या सड़क निर्माण में या साथ में कोई टाइप-राइटर वगैरह खरीदने में, इन कार्यों के लिए किया है। असली कार्यों के लिये पैसा खर्च नहीं किया है। पिछले वर्ष तक आपने इसमें 14 करोड़ रुपये खर्च किये थे और पूरे एक साल में आपने सिर्फ 2 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। अब बचे हुए एक साल के अन्दर आप किस प्रकार से 50-60 करोड़ रुपये खर्च करेंगे ? कृपया इसको भी बताने का कष्ट करें।

अन्त में मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मेरे उस बिंदू पर निवेदन करूंगा कि आप जिस प्रकार दृढ़ता से अपने विभाग को चलाते हैं उसी प्रकार दृढ़ता से बजट अलोकेशन के वक्त अपनी बात को रखिये कि हमें राजस्थान के अन्दर अगर किसान की प्रगति देखनी है, उसको जिंदा देखना है, उसका विकास करना है, तो हमें इस बजट अलोकेशन के अन्दर सिंचाई विभाग में बहुत ही ज्यादा अलोकेशन करने की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग में भी लघु परियोजना के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें और उसमें भी जो उनकी रिपेयर है, नयी चीज बनाने में ज्यादा पैसा लगता है लेकिन पुरानी चीज के रख-रखाव के कारण हम ज्यादा उपयोगी काम में ले सकते हैं, किसान को ज्यादा फायदा भी पहुंचा सकते हैं। रिपेयर परपज के अन्दर

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

आप पैसे का एलोकेशन करवाएं तो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी करें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।**

**श्री कन्हैया लाल पाटीदार** (पिड़ावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा तथा मेरे पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वर्ष 1993-94 में आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में चवली बांध परियोजना, जो 29 करोड़ की लागत से पूरी होनी है, स्वीकृत की।

पिछले दिनों माननीय मंत्रीजी चवली बांध परियोजना स्थल पर पधारे थे। और आपने इस योजना का शिलान्यास किया था। उस समय जिन किसानों की इस बांध से भूमि अवाप्त की गयी थी, भूमि अवाप्ति में मुआवजे की जो भरपाई हो रही है और इसमें जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, उस समय इस बाबत आपको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें किसानों ने शिकायत की थी कि हमारी भूमि के ऊपर लगभग 15-20 वर्ष से कुएं खुदे हुए हैं, बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं, मोटरें लगी हुई हैं। इसके बावजूद भी हमें असिंचित भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसा इस कारण किया जा रहा है कि पटवारी ने खसरा गिरदावरी में उस भूमि को सिंचित दर्ज नहीं किया। आपने अधिकारियों को आदेश दिये थे कि तहसीलदार और कलक्टर से इस बारे में विशेष विवरण प्राप्त करें और किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए। समय-समय पर आपके अधिकारियों ने भी और मैंने स्वयं ने भी कलक्टर से सम्पर्क किया, तहसीलदारजी से सम्पर्क किया। लेकिन तहसीलदार इस बात से हटना स्वीकार नहीं करते हैं कि रिकार्ड से बाहर जाकर वे किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट करें। कलक्टर से जब इस बारे में मैंने और अधिकारियों ने बार-बार आग्रह किया तो कलक्टर ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें एक्स. ईएन इरिगेशन, एस. डी. ओ. और तहसीलदार थे। वह कमेटी मौके पर गयी, जमीन का मुआयना किया लेकिन उस कमेटी की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है और किसान उचित मुआवजे से अभी तक वंचित हैं।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मैंने 2-3 माह पूर्व भी आपको पत्र द्वारा इस मुआवजे की अनियमितताओं के बारे में निवेदन किया था। आपने मुझ से माननीय राजस्व मंत्रीजी से मिलने के लिए कहा था मैं राजस्व मंत्रीजी से भी मिला था। उन्होंने शायद तहसीलदार को भी इस बाबत लिखा है लेकिन अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस मसले को तुरन्त सुलझाया जाए ताकि इस बांध के निर्माण का कार्य कुछ गति पकड़ सके। मुआवजे की अनियमितता की वजह

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

से बांध के निर्माण में काफी अवरोध आ रहे हैं और गति काफी धीमी है। एक दूसरी अनियमितता और बरती जा रही है जिससे किसानों के दिमाग और खराब हो रहे हैं। जिस गांव में यह बांध बन रहा है, हिम्मतगढ़, वहां वर्ल्ड बैंक की एक रोड मी. बन रही है। वर्ल्ड बैंक वालों ने जो मुआवजा दिया, उस मुआवजे का आधा मुआवजा हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट दे रहा है। इस वजह से भी किसानों में काफी असन्तोष है। इस दुर्भाव को, दोनों मुआवजों में जो फर्क है, इसको भी दूर किया जाए और किसानों के मन की शंका को दूर किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री महोदय से मेरा एक और निवेदन है कि इस बांध पर जाने के लिये सिंचाई विभाग से एक सम्पर्क सड़क भी स्वीकृत है। इस सम्पर्क सड़क के ऊपर काफी घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस बाबत सम्बन्धित अधिकारियों, एक्स. ईएन., ए. ईएन. आदि के पास उस क्षेत्र की जनता ने कितनी ही बार शिकायत की लेकिन अभी तक उस सड़क का उसी घटिया सामग्री से बदस्तूर निर्माण जारी है। उसका भी किसी बड़े अधिकारी से मुआयना कराकर घटिया सामग्री सड़क में न लगे, इस हेतु प्रयत्न किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जब शिलान्यास हेतु पधारे थे तो मेरे क्षेत्र की काफी जनता इकट्ठी हुई थी। हम सबने आपसे निवेदन किया था कि मेरा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन में घोषित है। यहां जमीन के अन्दर पानी नहीं है लेकिन इस क्षेत्र में आहू नदी, काली सिंध नदी, रीछड़ नदी और बड़े-बड़े नाले बहते हैं यदि इनके ऊपर आप छोटे-छोटे स्टाप डैम या माइनर इरिगेशन की कोई स्कीम स्वीकृत करें तो मेरे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के क्षेत्र में काफी फायदा हो सकता है। आपने उस समय हमें आश्वस्त किया था कि मैं निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिये इन छोटी योजनाओं की स्वीकृति दूंगा, आप यहां से प्रस्ताव भिजवाइये। हमने ऐसे प्रस्ताव एक्स. ईएन. इरिगेशन को दिए हुए हैं लेकिन उनमें अभी तक कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के लिये, विशेष रूप से जो डार्क जोन में है, दो-चार स्टाप डैम या माइनर इरिगेशन की स्कीम स्वीकृत करें। मैं एक बार और माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं और आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्रीमती शशी दत्ता, राज्य मंत्रीजी, एक मिनट सुन लें आप। एक व्यवस्था है, बहुत पुरानी, आप नहीं पाएंगी।

**श्रीमती शशी दत्ता** : मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, नहीं बोल पाएंगी। व्यवस्था यह है कि जो कटमोशन

(श्री उपाध्यक्ष)

दे नहीं सकते वे इस पर बोल भी नहीं सकते। श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) :** जो कुछ सुझाव देने हैं, मुझे लिखकर दे देना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस शहर का निवासी हूं और जिस क्षेत्र से चुनाव जीतकर आया हूं, चम्बल का इलाका है। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष कोई पुराने कागजों की आड़ लेकर के राजस्थान की सरकार ने हमारे किसानों के ऊपर बड़ा जबरदस्त कुठाराघात किया है और कुठाराघात ऐसा हुआ कि बून्दी जिले की दो तहसीलें बून्दी तहसील के कुछ गांव और कुछ गाँव केशवरायपाटन के, कुल मिलाकर 77 गांवों की दस हजार एकड़ जमीन को डी-कमाण्ड घोषित कर दिया और यह सब कार्यवाही जो कुछ हुई, इसका किसानों को आज कोई दस-बारह साल से इल्म ही नहीं हुआ। जब यहाँ यह प्रश्न उठाया गया कि साहब यह किस प्रकार से डी-कमाण्ड हुई, तो सरकार का यह जवाब मिला कि 1985 से कलक्टर की रिकमेण्डेशन थी, किसान चाहते थे, जन-प्रतिनिधियों ने लिखकर दे रखा था और वगैरह-वगैरह।

यह तीन चार बातें बतायी गयीं और कुल मिलाकर जो तीन कारण दिये गये वे तीन कारण आपके ये थे कि किसानों को लगान ज्यादा देना पड़ता था, किसानों को ऋण नहीं मिला करता था और किसान की जमीन सीलिंग में ज्यादा आती थी। ये तीनों कारण आपके बिलकुल असत्य हैं। बहाने बनाकर के आपने तीनों कारण दिये हैं। असली वजह, लगान ज्यादा देने के लिये आज भी तैयार है और दुगना, जितना है अभी भी, वर्तमान में विद्यमान लगान है, आप चाहे तो उससे दुगना ले लो, काश्तकार फिर भी देने को तैयार है। ऋण जो कुछ आपने दिया, वह कैचमैंट के चक्कर में वह ऋण ले ही नहीं पाया और ऋण लेने की भी हमारे यहाँ के किसान की क्षमता अब ऐसी रह गयी कि आपसे वह ऋण लेने को तैयार नहीं है। सीलिंग में आलरेडी आपने उसकी जमीन ले ली। ये तीनों कारण बेकार है।

असल कारण जो आप भी जानते हैं, सरकार के सारे अफसर भी जानते हैं और एक-एक काश्तकार जानता है कि नहरों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, सालों से बिगड़ती जा रही थी, वितरण प्रणाली आपकी पूरी दोषपूर्ण थी और उसकी वजह से किसानों में हाहाकार मचता था कि पानी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आन्दोलन होते थे और आन्दोलन होने की वजह की वजह से और किसानों के असन्तोष को करारा जवाब देने के लिये आपने यह फैसला कर लिया पुराने कागजों को इकट्ठा करके कि सन 1983 में कलक्टर की रिकमण्डेशन हुई, फिर सन 1987 में यह कागज चला, फिर सन 1988 में यह चला 1993 और 1995 में यह फाइनल हो गया और अब 1996 में उसको डिक्लेयर कर दिया आपने।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

मेरे कुछ सुझाव हैं, आपने जैसा उस रोज जवाब में कहा था, सी. ए. डी. मंत्री महोदय ने, चौधरी साहब ने कि हम इस बात पर पुनर्विचार करेंगे। मेरे कुछ सुझाव हैं, जिन पर बहुत मामूली सा खर्चा आता होगा लेकिन किसान पर आपने जो यह कुल्हाड़ी चलायी है, इससे किसान बच जाएगा। और खासकर के हमारे यहां के जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वे मेरी एक-एक बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रभाव का पूरा उपयोग करें और किसी प्रकार से समस्या को हल करें।

**श्री कैलाश मेघवाल :** आप इनको कंविस कर दें, हो जाएगा।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** मैं उनको भी कंविस करूंगा, मैं आपको भी करूंगा और पूरे सदन को करना चाहता हूं। आप भी मेरी बात गौर से सुनें। क्योंकि आप जिस एरिया से आते हो न शाहपुरा से, वहां पर कुछ नहीं है, सारा मामला तो इधर है। इसी तरीके से मैंने जैसे आपको चम्बल की बात बतायी, 113 वर्ष पुरानी पार्वती कैनाल बारां जिले में है। श्री चतुर्वेदी साहब जानते हैं। उससे कोई जमाने में 35 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी मगर, उपाध्यक्ष महोदय, आज सिर्फ 12 हजार एकड़ की सिंचाई उससे होती है। हालत यह कि बारह लाख रुपया हर वर्ष सरकार उसकी मेंटिनेंस के लिये दिया करती थी, वह घटाकर के इस वर्ष डेढ़ लाख रुपया दे रही है। माडर्नाइजेशन तो ताक पर रख दिया, नहरों के सुधार की बात एकदम पानी में डाल दी और सारा का सारा बजट कम करके अब उस पार्वती का भी आप सत्यानास करने जा रहे हैं। 113 वर्ष पुराना सिस्टम है, उस पार्वती का। सबसे पुराना। लिफ्ट इरिगेशन की बात छोड़िये। लिफ्ट इरिगेशन तो कांग्रेस के राज में हमने मंजूर करवायी। चाहे मजरावता की ले लें, चाहे शाहगढ़ की ले लें, चाहे काकरी की ले लें और चाहे तेजगढ़ की ले लें, आज पांच साल से बन्द पड़ी हुई हैं, कोई काम आपकी सरकार द्वारा नहीं हो रहा है। न राष्ट्रपति शासन में हुआ जब पहले भैरोंसिंहजी छुट्टी पर थे और जब पहले आपका राज था, तब नहीं हुआ और आज ढाई साल से आप हमारी छाती पर बैठे हुए हो लेकिन कुछ नहीं हुआ....

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** तब किसका शासन था ?

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** माताजी, आपसे मैंने कई बार निवेदन किया कि बच्चों के बीच में आप मत बोला करो।

**श्री उपाध्यक्ष :** कृपया, माननीय सदस्य का प्रयोग करें। अन्य प्रयोग....

**एक माननीय सदस्य :** इससे ऊंचा तो कोई शब्द ही नहीं है, इस संसार में।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** यहां कोई माता-पिता नहीं है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई योजना 1990 में तैयार

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

होकर के रह गयी । तीस हजार बीघा जमीन पर उससे सिंचाई करना तय था। दो साल तक वह इसलिए पड़ी रह गयी कि बिजली का कनेक्शन हो और जब बिजली का कनेक्शन हो गया तो साल-डेढ़ साल इसमें निकल गया कि उद्घाटन कौन करे। खैर, वह भी उद्घाटन हो गया और लिफ्ट योजना चालू भी हो गयी लेकिन वहां की हालत यह है, मंत्री महोदय, कि एक फुट का भी पाइप उस पूरी योजना पर नहीं लगा रखा । न पाइप लगा रखा है और न धोरें बना रखे। किसान बीच में कट लगाता है और कट लगाकर के पानी लेता है और लासेज का आप खुद अन्दाज लगा लीजिये कि लासेज कितने होते होंगे। आज समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के जमाने में जो नहरें बनीं....

**श्री परसराम मदेरणा** : मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : सर, आप तो इरिगेशन मिनिस्टर रहे हैं। आपके टाइम में नहरें बनीं और उस वक्त कोई समस्या ही नहीं हुआ करती थी और न कभी सुनने में आता था कि किसी किसान ने यह शिकायत कर दी हो कि साहब पानी नहीं पहुंच रहा हो....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : अब बोलो इनको चाचाजी।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : पानी पहुंचता था। वितरण प्रणाली बिलकुल सही थी। आज यह क्या हो गया, यह समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है इस बात पर, सिस्टम सारा बिगड़ कैसे गया? इस वर्ष आपने प्लान में एक करोड़ रुपया काट दिया और नान प्लान में 55 लाख रुपया काट दिया, यह किस बिना पर काटा? जब आप यहां के तमाम हालात को जानते हैं कि नहरों का रख-रखाव बिलकुल ठीक नहीं है, बराबर सी. ए. डी. के अफसरान आकर के यहां आपसे निवेदन करते रहते हैं कि हमारे यहां की हालत ऐसी है। कई दफे आप खुद मौके पर जाकर के मुलाहिजा कर आये। किसानों की शिकायतें असंख्य तादाद में आपके पास बराबर पहुंचती हैं लेकिन उसके बाद भी प्लान में आपने कट किया। उसका क्या अर्थ लिया जाए? मोटा-मोटा अर्थ हम यह समझते हैं कि आप वहां के किसानों को निहाल नहीं करना चाहते। उनको पीड़ित देखना चाहते हैं तो यह बता दें, हम वैसा इन्तजाम कर लेंगे।

**श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर)** : यह किसानों की पार्टी नहीं है।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : नहीं, किसान विरोधी है। हालत यह है कि चम्बल कमाण्ड की आर. एम. सी. के फाइव हंड्रेड क्यूसेक्स के लासेज हैं और एल. एम. सी. के थ्री हंड्रेड क्यूसेक्स के लासेज हैं। ये लासेज आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं और आप जमीन, यह तो नहीं कि उन लासेज को कम करने का आप प्लान बनायें। ऐसी योजना बनायें कि जिस तरीके से, किसी प्रकार से वह लिफ्ट होकर

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

के वापस डिस्ट्रिब्यूटरी में डल जाए, केनाल में डल जाए और टेल तक पानी पहुंच जाए। यह नहीं करके आप उन लासेज को जाता हुआ आराम से देख रहे हैं। किसान देख रहा है। और डी-कमाण्ड कर रहे हैं। जमीन को डी-कमाण्ड पर डी-कमाण्ड करते जा रहे हैं। दस हजार एकड़ तो अभी कर दी आपने और मेरा ख्याल है कि अगले साल और कुछ कर देंगे। जहां से शिकायतें आएंगी वहां का ही डी-कमाण्ड हो जाएगा। सरकार की ओर से कोई योजना नहीं और हालत यह है, श्री चतुर्वेदी साहब, जिगर ने कहा है कि—

"उम्र के दरिया के दरिया बह गये।
और हम जहां डूबे वहीं पर रह गये।।"

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया, आसन की तरफ देखें, आसन की तरफ।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : साहब, सुझाव दूंगा, बहुत अच्छे-अच्छे।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप दरियां कहां बहा रहे हैं? इधर देखिये।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : उनको पसन्द आएंगे वे सुझाव। अब यह सुझाव चालू होते हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** :
"उम्रे दराज मांगकर लाये थे चार दिन,
दो आरजू में कट गये दो इन्तजार में।"

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : मेरे कुछ सुझाव हैं अगर आप उचित समझें तो उन्हें नोट भी फरमा लें और अगर इन पर आपकी सरकार कार्यवाही करना उचित समझती हो, कुछ पैसा कोलायत की सिस्टम से आप निकाल कर के इधर देना चाहते हों, तो देने की कृपा करें।

मेरा पहला सुझाव यह है, क्योंकि 10 हजार एकड़ के 10 हजार फोड़े हमारे किसानों की छातियों पर हैं जो डी-कमाण्ड किया आपने, वर्धा डेम आप खुद लास्ट ईयर, देख कर आये जब वर्धा डेम टूटा एनकेसिंग के लिये खुद आप बोल कर के आये लेकिन एनकेसिंग हो कहां रहा है, नीचे की साइड में हो रहा है। अगर इसी वर्धा डेम को आप एक मीटर ऊंचा कर देते हैं और आर. सी. सी एनकेसिंग किया जाता है तो इसका स्टोरेज डबल हो जाएगा और डबल होने पर अल्फा नगर की जो नहर बराबर से निकली है, आसनी से उसमें पानी डाल कर के पांच हजार एकड़ जमीन, जो टेल पर बसी हुई है, उस पर आप पानी दे सकते हैं। कुल मिलाकर इस सारे प्रोजेक्ट पर आप का तीन करोड़ रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होगा।

दूसरा सुझाव है बाजड़ के खाल का। बाजड़ के खाल में अगर आप एक एनीकट बना कर के और पिकअप वियर से सुवासा और बाजड़ की डिस्ट्रिब्यूटरी में अगर पानी डाल दें तो टेल का पांच हजार एकड़ फिर आप इससे सिंचाई के योग्य बना सकते हो, सिंचाई कर सकते हो उस पर। और लोसेज कितने भी हैं क्योंकि बाजड़ के खाल में जितना भी पानी बहता है वह सब या तो सीपेज का बहता है या फिर वो लोसेज का बहता है, अगर आप

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

इसका मैनेजमेंट कर सकें, आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है।

तीसरा सुझाव मेरा यह है, माइगा नदी है, बहुत पानी आता है अगर वहां पर भी एक पिकअप बन जाए और जहां पर लेबल परमिट कर सकें. डीप कटिंग जरूर होगी लेकिन लेबल जहां पर भी परमिट करें, तो वहां पर ही आप लिफ्ट मेन केनाल में डाल कर के वो जो टेल का एरिया है जिसको आप ने डी-कमाण्ड कर दिया और आगे जाने वाले वर्षों में भी कुछ और डी-कमाण्ड करने जाएंगे, उनसे आप बच सकते हैं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : वह डी-कमाण्ड सी. ए. डी. ने किया (व्यवधान)

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : यह तो दोनों आप के सिस्टर कन्सर्न हैं, चाहे सी. ए. डी. ले लें, चाहे आप सिंचाई विभाग ले लें बात बराबर ही है। अब उसी वर्धा डेम को आप जा कर देख आये, उसी को सी. ए. डी. मिनिस्टर देख आयें, बात तो एक ही हो गयी। मेरी इच्छा यह है कि आप दोनों मिल कर काम करेंगे न तो इस समस्या का हल हो जाएगा।

मध्य प्रदेश में देखिये आप, सिंचाई मंत्रीजी, कि चम्बल प्रोजेक्ट की सारी कैनाल पर लाइनिंग बन चुकी हैं और जहां कुछ नहीं बनी हैं अब बन रही हैं और एक हमारी तरफ की कैनाल्स देखिये, डिस्ट्रिब्यूटरी की हालत देखिये आप, 90 पर्सेण्ट कैनाल ब्रांचेज और डिस्ट्रिब्यूटरीज इस तरह की हैं जहां पर लाइनिंग की आज सख्त आवश्यकता है। अगर इस सिस्टम को आप बचाना चाहते हैं और आप की बात कर दूं मैं व्यक्तिगत, सिंचाई मंत्री महोदय, कोलायत में वाटर कोर्सेज, डिस्ट्रिब्यूटरी लाइनिंग सब कांग्रेस के समय में चालु हुई थीं।

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह बंटाधार चम्बल में किसने किया ?

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : बंटाधार तो हमारा हुआ है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : सारे सीपेज, ड्रेनेज के ड्रेनेज, अरबों रुपये लगा दिये नतीजा कुछ नहीं।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : आप का काम किया इसलिये बंटाधार तो हमारा हुआ।

कांग्रेस के समय में कोलायत में डिस्ट्रीब्यूटरी और सारी वाटर कोर्सेज हमने तैयार की, पक्के तैयार किये आपके वक्त में कुछ नहीं हुआ। खैर, मैं जो कुछ आप आई. जी. पी. पर करने जा रहे हैं मैं उसकी आलोचना करता होऊं, लेकिन दुखी इसलिये हूं कि ओल्डेस्ट सिस्टम हमारा है चम्बल का उसके साथ आप का, इस प्रजेंट सरकार का क्या व्यवहार है। आई. जी. पी. पर....

**श्री विष्णु मोदी** : आई. जी. एन. पी.।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विष्णुजी मोदी आते ही एक वर्ड और जोड़ देंगे इन में आई. जी. एन. पी.।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, वो ठीक है. Abbreviation is correct.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : Correct Sir ?

श्री परसराम मदेरणा : 'O' yes. General abbreviation is this.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, करेक्ट । (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : इन्दिरा गांधी प्रोजेक्ट के नाम से कहिये। कैनाल कोई-कोई यूज करते हैं ये टेक्नोक्रेट्स ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आई. जी. पर सेंड ड्यूंस पर जो डिप्रेशंस हैं उसके बाद भी जो जमीन बचेगी वहां पर भी आप पाइप साइफन सिस्टम के जरिये इरिगेशन के प्रस्ताव बना रहे हैं और जब कि हमारे यहां हालत यह है कि फ्लो सिस्टम है और जमीन डी-कमाण्ड की जा रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप कोटा ले कर नहीं गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप को ले जाकर क्या करूं मैं चम्बल में, आप सिंचाई मंत्री हो, सी. ए. डी. मिनिस्टर थोड़ी हो।

श्री देवीसिंह भाटी : एक ही बात है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उत्तर प्रदेश में जिस तरह कैनाल के सहारे सहारे बैट्री आफ ट्यूबवैल्स लगा कर डिग कर रखे हैं। यह क्यों किये ? सिर्फ वो इसलिये किये कि सीपेज का पानी वापस केनाल में डाल दिया जायेगा और यह वाटर का वेस्ट यूटिलाइजेशन है हमें इसको अपनाना पड़ेगा, एक न एक रोज हमें इस पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार की प्लानिंग आप की होनी चाहिये।

सेंट्रल इरिगेशन कमीशन की रिकमंडेशन पर 8 हैक्टेयर जमीन तक पक्के वाटर कोर्सेज आपसे फ्री आफ कोस्ट बना कर के दिये हैं। वो इन्दिरा गांधी कैनाल के एरिया में भी दिये, माही पर भी दिये, उदयपुर में भी दिये लेकिन चम्बल पर एक इंच पर वाटर कोर्सेज आपने पक्के नहीं बनाये और सेंट्रल इरिगेशन कमीशन को आप ने चम्बल पर वाटर कोर्सेज बनाने की रिकमंडेशन दी। यह सब क्या दर्शाता है ? आप हाड़ौती के साथ भेदभाव करना चाहते हैं, चम्बल के किसानों को गर्त में उतारना चाहते हैं।

श्री विष्णु मोदी : वोट ले लेते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वोट तो वो पता नहीं फर्जी तरीके से लेते हैं, फर्जी वोटिंग से, कोई ऐसे वोट मिलते हैं क्या इन को । ओल्डेस्ट सिस्टम हैं चम्बल का आप घंटी बजा रहे हैं मैं ओल्डेस्ट

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सिस्टम कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री परसराम मदेरणा :** old in age does not matter Hon 'ble Member. All that matter is how old one is in hours. It alone matters. The Peter that young became the Prime Minister of Great Britain at the age of 25 years only. He was a brilliant Prime minister in all respects.

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** Thank you Sir. सुझावों के आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके बाद भी दो-तीन बात और बोलूंगा । गांधी साग रके कैचमेंट में चाहे पानी कितना ही हो, कम भरे, ज्यादा भरे, मध्य प्रदेश को पूरा पानी आपको देना पड़ता है और नुकसान सारा राजस्थान के खाते में आता है । हमारे यहां से पानी निकलता है, हमारी आंखों के सामने से पानी निकलता है, किसान देखता है कि पानी निकल रहा है, कहां जा रहा है, कि बाणुदा की पुलिया के आगे मध्य प्रदेश को जा रहा है । लेकिन वो अपना पूरा पानी लेते हैं पानी कम होने के बाद भी गांधी साहगर के कैचमेंट में, और हमें पानी कम मिलता है । कम से कम दबाव तो डालिये मध्य प्रदेश की सरकार पर कि प्रपोशर्नेटली तय करलो । एक बार कोई एग्रीमेंट हो जाता है क्या रिव्यू नहीं होता उसका ? इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

सिंचाई मंत्री महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के एक गुढ़े बांध को निवेदन करना चाहता हूं । 360 वर्ग किलोमीटर में उसका कैचमेंट का एरिया है और पानी इधर-उधर फैल करके काफी वेस्ट जाता है । कई सालों से यह डिमाण्ड है कि अगर इसको 7 फिट और ऊंचा कर दिया जाए तो सिंचाई का रकबा खूब बढ़ेगा और आप इसको एग्जामिन करवाइयेगा, बड़े कम खर्चे में यह सब काम हो सकता है और कई लोग जिनकी भूमि सिंचित नहीं है वो सिंचित हो सकती है । इसी प्रकार बटावदी का डैम भी ऊंचा किया जा सकता है बड़े कम खर्चे में ।

एक इर्रेगुलरिटी जो मेरे सामने आयी है जिसके लिये मैंने कलेक्टर, बूंदी को भी लिखा, उन्होंने एक तहसीलदार को जांच दी....

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आप समाप्त करें ।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** बस, साहब अब दो मिनट भी नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से । आपने मुझे बर्दास्त किया उसके लिये तो आपको धन्यवाद है ...

**श्री टीकमचन्द कांत :** पूरे सदन को ही दो और एक शेर कहने के बाद ।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक मेंडी का डैम आपका विभाव बना रहा है । सिंचाई विभाग ने वहां पर नहरें बनाने के लिये सैकड़ों ट्रक गिट्टी तुड़वायी और एक पी. डब्ल्यू. डी. का ठेकेदार, जिस पर सरकार मेहरबान, उसको एक रोड बनाने का ठेका मिल गया । तो जो सिंचाई

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

विभाग की मिट्टी थी वह उठाकर उसने रोड पर लगा दी थी। मैंने शिकायत की कलक्टर साहब को। कलक्टर ने तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया और यह उस जांच अधिकारी की लिखित रिपोर्ट है। रिपोर्ट को आये पांच महीने हो गये। इसमें साफ लिखा है कि "वाकई इसने सिंचाई विभाग की मिट्टी चोरी की है और इसमें एफ. आई. आर. दर्ज की जानी चाहिये।" लेकिन आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मंत्री महोदय चले गये। मंत्री महोदय चले गये बराबर में मेहरबान। कोटा में आपको ध्यान ही होगा कि पिछली बार बाढ़ आयी थी....

**एक माननीय सदस्य :** कोटा रहने दो, आप बून्दी की बोलो।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** नहीं, बून्दी की तो मैं भूल चुका हूं, बस आखिरी है और यह नक्शा है आपको भी दिखा दूं नाट लेस देन मैं। पिछले साल बारिश से कोटा शहर और कोटा के आस-पास के गांवों में बड़ा भारी नुकसान हुआ था। प्रशासन हरकत में आया, आकर उसने एक प्लान बनाया कि किस प्रकार से एक डाइवर्जन चैनल बनाया जाए और यह रानपुर और लखावा का जो बांध है उनमें जो ओवर फ्लो होता है तेज बारिश की वजह से, उसका पानी किसी प्रकार से चम्बल रीवर में डाल दिया जाए। 10-11 करोड़ रुपये का उस वक्त का खर्चा था और यह मैप बनाया गया था लेकिन मैप भी फाइलों में वैसा का वैसा पड़ा रहा। धूल चाटता रहा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बार मैंने एक सवाल पूछा था तो आपने जवाब में यह दिया कि "जी, हां। 26-8-1995 को कोटा में आयी बाढ़ के परिपेक्ष्य में दिनांक 6-11-95 को आयोजित की गयीथी जिसमें संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक बाद में पुनरावृत्ति न होने के सम्बन्ध में कोटानगर का सर्वे व प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाकर निर्णय किया गया था।" निर्णय किस बात का किया गया था? सब प्लान तो तैयार है। यह नक्शा नन्हीं का बनाया हुआ है, मेरा तो बनाया हुआ है नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष :** अब आपके दो मिनट हो गये। विराजें आप।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** दो मिनट में दो सैकण्ड ही रह गये हैं बाकी। "तत्पश्चात् प्रारम्भिक सर्वे करवाकर रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा योजना की तकनीकी स्वीकृति हेतु तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं। इस योजना की क्रियान्विति हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।" कहां प्रयास हो रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। यह सब कुछ तैयार है, कह रहे हैं युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। यह सब बातें हैं सी. ए. डी. मिनिस्टर महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि पार्वती कैनाल पर ध्यान दीजिये। 113 साल पुरानी कैनाल है वह और 35 हजार एकड़ जमीन पर उससे सिंचाई हुआ करती थी, आज सिर्फ 10 या 12 हजार एकड़ सिंचाई होती है। आपने

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

बजट 12 लाख रुपये करके तो डेढ़ लाख कर दिया। उसका माडर्नाइजेशन का प्लान बनवाइये और यह डी कमाण्ड छोड़कर के नहरों के रख-रखाव के लिये सी. ए. डी. को खूब साधन दीजिये, मशीनें दीजिये, बजट दीजिये और बराबर उस एरिया को विजिट कीजिये जहां टेल पर पानी पहले पहुंचता था वह आज नहीं पहुंचता, उसके क्या कारण हैं? इन नहरों का रख-रखाव आप पूरा करेंगे, आपको यश मिलेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम! (व्यवधान) वह अलग दल है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई पर चर्चा चल रही है, उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए मैं भी कुछ अपने इलाके के बराबर में बताना चाहता हूं।

सिंचाई और पेयजल यह दो इतने महत्वपूर्ण विषय है कि दोनों विभागों के मंत्रियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं। क्योंकि अगर सिंचाई का प्रबन्ध सही नहीं होता और बांधों में पानी सही नहीं रहता है तो कुंओं का जल स्तर भी नीचे हो जाता है, हैण्डपम्प में भी पानी आना बन्द हो जाता है, सिंचाई नहीं होती है तो अनाज पैदा नहीं होता है, रोटी का इन्तजाम भी नहीं होता है और पीने के पानी का इन्तजाम भी नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर यह सरकारी इतनी संवेदनशील है तो इन दो विभागों के जो मंत्री हैं उनको इसके बारे में बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है, पिछले एक वर्ष से, डेढ़ वर्ष से मैं देख रही हूं कि इन दोनों ही विभागों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। भरतपुर, नागौर और अलवर में जो बाढ़ आयी है उसको देख लीजिये। उसमें भी सिंचाई विभाग की ही त्रुटियां नजर आयेगी, क्योंकि हर साल वहां पर उन बांधों में पानी आता है, उन झीलों में पानी आता है। हर साल अलवर का पानी भरतपुर की तरफ जाता है। यह सब जानते हुए भी अगर आपके इंजीनियर, आपके सरकारी अफसर ध्यान नहीं दें और उसके बाद में लोग मर जायें फिर उनके लिये आप दस-दस, बीस-बीस पूड़ी बांटकर और बीस दिन में यह कह दें कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया हैं। उनको खाने को रोटी बांट दी। आप देखियेगा कि जिसका घर उजड़ गया है उसको आप पांच--पांच, दस--दस पूड़ी खिलायेंगे तो उसकी क्या हालत होगी।

मेरा निवेदन यह है कि सिंचाई विभाग में एक ओर देखते हैं कि सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये। सिंचाई विभाग की इसमें बहुत सारी योजनाएं दी हैं। उसी के साथ-साथ उनको यह भी ध्यान रखना होगा कि जिन कारणों से, क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र की बाढ़ तो नहीं है कि रूक ही नहीं सकती, आसाम में जो आती है। जिन कारणों से, जिन बांधो की वजह से जिन बांधों पर ढंग से काम नहीं हुआ,

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

वहां यह बाढ़ आयी है। एक तो उनको इस पर ध्यान देना होगा कि अगले वर्ष इस तरह की तबाही न हो।

मेरे क्षेत्र में भी मेरे बार-बार निवेदन करने के बावजूद पिछले वर्ष मेरे गांव वालों ने रामचन्दपुरा के बंधे में दस-दस बीस-बीस रुपये इकट्ठे करके एक-देढ लाख रुपये बंधे में लगाये। बारिश आयी बंधा टूट गया और एक आदमी मर गया। चार बजे तक मैं अकेली बंधे के किनारे लाश के पास खड़ी रही, सिचाई विभाग का कोई आदमी नहीं गया। जब मैंने कलेक्टर को और सबको फोन किया तब वहां पर आदमी गया। मेरा सिर्फ निवेदन यही है कि जिन बांधों की मरम्मत कराने की बात सोच रहे हैं तो उसके बारे में जरूर ध्यान दें।

हमारे क्षेत्र के लिये मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था कि मेरे यहां रामचन्दपुरा के बंधे के लिये जैसा मैंने कहा था, मुख्य मंत्रीजी ने भी आश्वासन दिया था, क्योंकि वह पानी रामचन्दपुरा से चन्दलाई जाता है। उसको जिस तरह से टैक्नीकली बांधना चाहिये वैसा नहीं बांधा। मैंने लिखा भी था और मुझे मालूम नहीं कि उसकी क्यों नहीं जांच करायी जाती। होता यह है वह पानी या तो रामचन्दपुरा में रुक जाता है और अगर चन्दलाई जाता है तो वहां पर रोक लिया जाता है। आप मेहरबानी करके इतना बड़ा सिंचाई का बांध है उससे पीने के पानी की समस्या भी दूर होगी तो उस पर ध्यान दें और मालूम करें क्या हो सकता है।

इसी प्रकार गूलर के बांध की हर बार चिट्ठी आती है कि हम इसको करवा रहे हैं। हमने उनको बता भी दिया कि आप थोड़ा-सा ऊंचा करेंगे तो ठीक होगा। उसके बारे में भी बार-बार यही लिखकर भेज देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके विभाग वालों को यह लिख देते हैं। एक दिन मुख्य मंत्रीजी यह बात कह रहे थे कि गंगासिंह जी साहब ने गंगा कैनाल जब बनायी थी, तो उन्होंने यह निर्णय किया था कि चाहे मुझे जेवर बेचने पड़ें; चाहे कुछ भी करना पड़े पर यह कैनाल पूरी करनी है, क्योंकि इससे किसानों को पानी मिलेगा। आज है ऐसा कोई जिम्मेदार मंत्री या कोई सरकारी अफसर, जो यह सोचे कि यह जो सिंचाई के बांध हैं, यह हमारे किसानों के लिये हैं, इससे हमारे किसानों को रोटी मिलेगी और पीने का पानी मिलेगा। जब तक आप इस तरह की जिम्मेदारी नहीं बांधेंगे, दो-दो साल तक लिखते रहे, आप पैसा मजूंर करते रहे लेकिन काम नहीं चले। उससे आगे नेवटा का बांध नहीं होता, उससे आगे चिरोटा का बांध नहीं होता, उससे आगे का छितरोला का बांध नहीं होता। कितने बन्धों पर काम रूका पड़ा है। पिछले दो वर्ष से हर बार मेरे बोलने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा निवेदन यह है कि सिंचाई विभाग में आपने बहुत-सी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनायी हैं। राजस्थान कैनाल से बहुत जगह पानी पहुंचाया है। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं लेकिन उसमें भी जब तक आप

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

जिम्मेदारी नहीं देंगे किसी को, वह भी इस तरह से कहीं से टूट जाएगी और बाढ़ आयेगी। इसलिये उसकी भी जिम्मेदारी आपको किसी न किसी को देनी पड़ेगी कि जो भी बांध हैं या इस तरह की नहरें हैं उनमें चाहे वहां के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को लगायें या किसी भी सरकारी आफिसर को लगायें। अगर इसका कोई भी काम नहीं होता है, इसकी जिम्मेदारी किसी आफिसर की होगी।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जैसे बीसलपुर योजना की बात है। आपने इसमें बताया है कि इससे अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर तक पानी आएगा। इसलिए मैं इस बारे में बोल रही हूं कि मेरा इलाका चाकसू भी इसके रास्ते में आता है। और चाकसू से लेकर शिवदासपुरा तक इतना फ्लोराइड है। हमारे इलाके के गांवो में लोगों के पैर टेढ़े हो जाते हैं और जब में पत्र लिखती हूं कि यहां पानी पीने के लिये इन्तजाम होना चाहिए तो मुझे यह बताया जाता है कि बीसलपुर योजना का पानी आऐगा उससे आपके गांवों को पानी मिलेगा तब इस फ्लोइाड के पानी के लिये हमने योजना बनायी है। इसके ऊपर भी कृपा करके, मैं तीन साल से बराबर निवेदन कर रही हूं कि जिन लोगों के पैर टेढ़े हो रहे हैं जिनके बच्चों की हालत खराब हो रही है, उन लोगों के लिए यह योजना जितनी जल्दी और कैसे बन सकती है या पानी का कोई और प्रबन्ध हो सकता है। यह आप ...

**श्री शिवनाथ सिंह** : जोड़ी काफी अच्छी लग रही है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : आपको अच्छी लगी है न। भगवान ने यह जोड़ी बनाये रखे।

**श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : पाइंट आफ आर्डर, सर। यह गुफ्तगू क्या हो रही है ? बधाई हो।

**श्रीमती इन्दिरा मायाराम** : मेरा निवेदन करना यह था कि सिंचाई विभाग में जो बांध आज भी टूटने की स्थिति में हैं, आज भी अभी बड़ी भयंकर बारिस हुई है और अभी आने वाली भी है। कृपा करके माननीय मंत्री महोदय, उन बांधों के बारे में जितना जल्दी से जल्दी हो सके, अपने इंजीनियर्स को भेजकर उन बांधों की जांच करा लें ताकि इस बार कोई ऐसा हादसा फिर न हो जाए जैसा पिछले साल हुआ था और हमारे यहां एक लड़का मर गया था। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शंकर भानुदा।

**डा. शंकर भानुदा** (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 पर जो बहस हो रही है उसके सम्बन्ध में मैं कांग्रेस शासन के दौरान मेरे क्षेत्र के लिऐ या चित्तौड़ जिले, उदयपुर संभाग में हुए इनजस्टिस के बारे निवेदन करना चाहता हूं। यह एक तरह से ब्लाण्ड इनजस्टिस का दूसरा नमूना है। कल मैने आपसे निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र

(श्री शंकर मानूदा)

के लिये कोई भी योजना सूटेबल नहीं मानी गयी और उस वजह से विकास के सारे कार्य अधूरे पड़े हैं। इस सम्बन्ध में सबसे पहला हमारे ऊपर कुठाराघात हुआ बीसलपुर योजना के माध्यम से। बीसलपुर कैचमेंट एरिया में मेरा गांव आता है, हमारा विधान सभा क्षेत्र आता है। इस वजह से मेरे सारे जो प्रोजेक्ट बने थे बांधों के वह सारे प्रोजेक्ट बीच में रुक गये। एक प्रोजेक्ट बना था सन्ड्याडी सन्ड्याड़ा तालाब। यह छोटा तालाब है लेकिन इस वजह से भू-गर्भ के जल स्तर में वहां के एरिये में सुधार होना था जो पास में एरिया है वहां पर 120 फुट नीचे तक पानी नहीं है। आज भी वहां बाहर से टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है, आज की तारीख में। इस तरह के प्रभावग्रस्त एरिये में यह तालाब बनने वाला था। अब वहां तालाब नहीं बनेगा, पानी जयपुर को पहुंचाना है और माननीय सदस्या के वहां पर पानी पहुंचाना है। इस तरह से मेरे लोगों को क्या जवाब दूं जाकर। आखिर क्यों तालाब नहीं बन सकता? क्योंकि पानी जयपुर पहुंचाना है, अजमेर-किशनगढ़ पहुंचाना है, उनको पानी चाहिये, दो बार नहाने, ढोलने के लिये बाल्टियां की बाल्टियां और हमारे वहां पर पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं है।

"सन्ड्याडी सन्ड्याड़ा तालाब तो नहीं बना पर बडगांव डेम बना हुआ है। बीसलपुर के लिये एक तर्क यह दिया जाता है कि कैचमेंट एरिया में बांध बन जायेंगे तो उसकी भराव क्षमता पर असर पड़ेगा, पूरा भरेगा नहीं। लेकिन यह बांध तो मेरा ऐसा है जो हमेशा खाली रहता है और उसके बनने के बाद में आज दिन तक तालाब नहीं भरा, बहुत बड़ा बांध है। खाली एक छोटा सा नाला पास से गुजरता है उसका नाम है चंगेडी का नाला। चगेडी के नाले से अगर इसमें फीडर डाल दी जाए तो यह पूरा तालाब भर जायेगा और उसकी भराव क्षमता का अच्छा उपयोग हो सकेगा और पूरा उपयोग हो सकेगा। लेकिन इसमें भी बीसलपुर बाधक बनता है। जब उसका जो बनने वाला बांध है उसकी भराव क्षमता पर आप असर नहीं डालना चाहते मगर जो बन चुका है उसके भराव क्षमता के बारे में कोई योजना बनती है, तो उसमें क्यों आब्जेक्शन किया जाना चाहिये, यह बात समझ में नहीं आती। और न मेरे क्षेत्र के लोगों के समझ में आती है और न मैं समझ पाया हूं।

इसी तरह से मेवदा डेम है, मेवदा डेम को भी काफी बढ़ाने की गुंजाइश है। छोटा डेम है लेकिन इतना ज्यादा पानी आता है उसमें, पहली बरसात में ही पानी भर जाता है और उसके आसपास का एरिया बिलकुल ड्राई है। एकदम पीने के पानी की समस्या है, इरिगेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके आसपास एक कंजरखेड़ा है वहां पर हमने लिफ्ट द्वारा पानी पहुंचाने की योजना बनायी थी लेकिन उसमें पानी की भराव क्षमता बढ़े तो भी कंजरखेड़ा को पानी मिले। कंजरखेड़ा का निरोदा गांव है।

(श्री शंकर मानूदा)

मवेशी-प्यासे कंजर हैं। हम उसकी भराव क्षमता बढ़ा नहीं सकते और उनको पानी दे नहीं सकते।

इसी तरह कपासन कस्बे के लिये भी अगर यह दो फुट तालाब बढ़ जाए दो फुट उसकी ऊंचाई बढ़ जाय मेवदा डेम की, उसमें करीब 37 लाख का खर्चा है खाली। उससे कपासन की पेयजल समस्या काफी हद तक सुलझ सकती है लेकिन उसमें भी हमारा बीसलपुर डेम आड़े आता है। इसके अलावा संगेसरा डेम की पहले हमारी योजना बनी थी। अगर संगेसरा डेम बन जाता है तो मेरी आधी कांस्टीट्यूएंसी के लिये यह लाइफ लाइन साबित होगा। हमारा भू-जल स्तर गहरा चला गया है, उसका पुनर्भरण हो जाएगा और हमारा एरिया नहरों की वजह से हर जगह और हर तरह से सरसब्ज हो सकता है लेकिन वह भी बीसलपुर की वजह से नहीं बन सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि हमारे एरिये में एक मेजा बांध के लिये कपासन के पास से बनास नदी गुजरती है उस पर डेम बनाया गया है उसका हमारे यहां उपयोग नहीं हो सकता। उसका उपयोग करना है। वह मेजा और भीलवाड़ा जिले में जाएगा। हम उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते लेकिन मेरा इसमें किसी सुझाव है और यह सम्भव भी है। इसमें तरह का कोई व्यवधान भी नहीं आयेगा कोई कानूनी या टेक्निकल। नदी के ऊपर बनास नदी पर बामणिया गांव के पास एक एनीकट (पिकअप वीयर) बना दिया जाए, जिसकी कीमत एस्टीमेटेड साठ-सत्तर लाख रुपये है। अगर वह एनीकट बन जाता है तो उस एनीकट की वजह से करीब 72 गांवों की सिंचाई सुविधा में सुधार होगा। 72 गांवों में भोपाल-सागर, कपासन, घमाणा और उसके नीचे का एक तालाब (अरनिया तालाब) ये चार तालाब मिलकर 72 गांवों में सिंचाई करते हैं और यह हमेशा खाली रहते हैं। फीडर बनी हुई है, दो करोड़ रुपये उस वक्त लगे थे। आज बीस करोड़ से ज्यादा उस फीडर की कोस्ट है लेकिन उस फीडर में बिलकुल एक तरह से दो-चार साल में कभी कभार पानी आता है और पानी के लिये हर बार झगड़ा करना पड़ता है। एक तरह से युद्ध होते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी पता है इस बात का, कि हम पानी किस तरह से मुश्किल से वहां से लेकर आते हैं। गांव वालों को आब्जेक्शन होता है। यह पानी इधर नहीं ले जाना, उधर बहने दो अगर वह एनीकट बन जाता है। एनीकट से, नदी के किनारे जो गांव हैं, उनका भी सेजा बढ़ेगा वह लोग भी खुश होंगे, पानी भरा रहेगा तो। हमारे यहां भी पानी ज्यादा आयेगा। इस तरह 72 गांवों की सिंचाई सुविधा में सुधार हो सकेगा।

इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं तालाबों की। भोपालसागर और कपासन की और दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूट्रीज हैं, खास तौर से भोपालसागर

(श्री शंकर मानुदा)

साइड वाली डिस्ट्रीब्यूट्रीज है उनके लिये विभाग ने नेशनल वाटर मैनेजमेंट बोर्ड को प्रस्ताव भेजा था और उसको सेन्ट्रल वाटर कमीशन के वाटर रिसोर्स डवलपमेंट डिपार्टमेंट में फाइल गयी हुई है और करीब-करीब पूरी होने में है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे एरिये की पेथेटिक्स सिचुएशन को देखते हुए इस पर खास तौर से ध्यान दिलायें और इसको जल्दी क्लियर करायें ताकि 60 जो प्रतिशत पानी खराब होता है, डिस्ट्रीब्यूट्रीज इतनी खराब हैं जिससे पानी इतना खराब हो जाता है, 60 प्रतिशत पानी खराब हो रहा है अगर यह काम हो जाए तो उसमें काफी सुधार होगा। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक में एक स्कीम गयी हुई है हमारे डैम सेफ्टी में फंड सैकण्ड में। उस स्कीम को उन्होंने ले लिया ले लिया है उन्होंने स्वीकार कर लिया है वह अगर आ जाएगी तो डैम सेफ्टी में भी कई काम हो सकेंगे और इन तालाबों की स्थिति भी कुछ सुधर पाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यह इस तरह की जो सिचुएशन हम बना रहे हैं आज की तारीख में या पहले की सरकारों ने बनायी यह सीड्स आफ डिस्कन्टेंट्स है फ्यूचर के लिये। यह फ्यूचर में सिविल वार की सिचुएशन पैदा करेंगे। अभी भी लड़ते हैं, हमें अभी भी वहां गांव में जाकर लड़ना पड़ता है पानी लाने के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे लोग अभी इल्लिटरेट हैं, इग्नोरेंट हैं इसलिये सब सहन कर रहे हैं। जब हमारे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तब आमने सामने इस तरह का इंजस्टिस आएगा वह देखेंगे तो मरने-मारने के लिये तैयार होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी सम्भावना मुश्किल होगा। तो यह सीड्स आफ डिस्कन्टेंट को हम इस वक्त ही उखाड़ कर फेंक दें तब ही जाकर हमारे इस एरिये का भी भला होगा और फ्यूचर जनरेशन भी उससे लाभान्वित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सिचुएशन है, कपासन कस्बे की आबादी पिछले दस साल में एक भी नहीं बढ़ी। वहां गांव में जितने लोग हैं, जो पढ़ लिख जाता है, सभी माइग्रेट होते हैं, बाहर जाते हैं। वही स्थिति गांवों की है। गांवों में पीने का पानी नहीं, खेती की सुविधा नहीं और पढ़े लिखे लोग नहीं। ऐसे इल्लिटरेट लोग, ऐसे अनपढ़ लोग जब शहरों में आएंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, किस स्थिति में रहेंगे ? वह कोई महल नहीं बनाने वाले। किसी के पास पैसा है तो भी बंगला नहीं बना सकता क्योंकि उसमें अज्ञानता है, इल्लिटरेसी है। वो झुग्गी झोंपड़ियां बनाएगा और शहरों का सड़ा देंगे। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आज जो झुग्गी झोंपड़ियों की वजह से शहरों की दुर्दशा हो रही है। ट्रांसपोर्ट पर इलेक्ट्रिसिटी पर या सभी सर्विसेज में जिस तरह का प्रभाव पड़ रहा है उस तरह, हालांकि मैं महसूस करता हूं, मैं मानता हूं कि migration or urbanisation is a sign of modernisation और होना

(श्री शंकर मानुदा)

चाहिये, दुनिया में हुआ, हमारे भी होगा लेकिन इस तरह से अगर माइग्रेशन होगा, इल्लिटरेट पापुलेशन अगर माइग्रेट होगी, अज्ञानी लोग यहां के तौर तरीके समझेंगे नहीं और जो शहरों की व्यवस्था है वे उसको भी तहस नहस कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है। मेरा निवेदन है इस पर खास तौर से ध्यान दें।

अन्त में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह की सिचुएशन पैदा हो रही है उसमे एक रास्ता निकाला जा सकता है। हमारे एडिशनल चीफ इन्जीनियर, उदयपुर ने भेजा भी है इस तरह का बनाकर और भी कई रीजन्स दिये जा सकते है लेकिन खास हमारा आग्यूमेंट यह है कि जितने हमारे तालाब हैं, डी-फोरेस्टेशन हो चुका है और सब में सिल्ट आ रही है, सब उथले हो रहे हैं पानी की धराव क्षमता अपने आप कम हो रही है। उन्होंने एस्टीमेट लगाया इस सिल्ट को केलकुलेट कर लो तो एक भोपाल सागर जैसा बांध हर साल बन सकता है। हर साल एक बांध बन सकता है और बीस साल के सारे सिल्ट को अगर केलकुलेट कर लें तो जितने एग्जिसटिंग प्रोजेक्ट्स हैं आज की तारीख में वह सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारा एरिया भी दूसरे एरिया की वजह से सरसब्ज हो जाएगा। ऐसा मेरा निवेदन है सिंचाई मंत्री महोदय से। आप ही अगर यह काम नहीं कर पाएंगे तो मुझे सन्देह है और तो शायद कोई कर ही नहीं पायें। आज जिस तरह के डैशिंग मिनिस्टर हैं, आपकी काम करने की क्षमता है, मुझे विश्वास है आप जरूर हमारा काम करेंगे। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री राधेश्याम गंगानगर।

**श्रीमती कमला (बैराठ) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही। सिर्फ एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। उनको भी ध्यान होगा, बहुत से माननीय सदस्यों को भी ध्यान होगा कि सिंचाई विभाग की जब मैं प्रभारी मंत्री थी तो विभाग ने और हमने बहुत महीनों तक अथक परिश्रम करके एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान आफ वाटर रिसोर्सेज आफ राजस्थान तैयार किया था और ड्राफ्ट मास्टर प्लान की 6-7 वोल्यूम्स तैयार भी हुई थीं।

## सदन को कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या-46 सिंचाई पारित होने तक बढ़ाया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष :** क्या सदन की सहमति है कि मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

## मांग संख्या-46 पर अग्रेत्तर विचार

श्रीमती कमला : मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो इतना महत्वपूर्ण परिश्रम के साथ तैयार किया गया एक बेसिक डाकूमेंट राजस्थान स्टेट के लिये है उसके आधार से आने वाले पच्चीस-पचास वर्ष की कोई योजना हमने उसके अनुसार बनायी है या नहीं बनायी है ? और अगर उस डाकूमेंट को फाइनलाइज कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया गया है, तो उस डाकूमेंट को फाइनलाइज करके उसके आधार पर राजस्थान की आने वाली कई युगों की योजना को तैयार करने का काम किया जाना चाहिये। मैं यह भी उनके ध्यान में लाना चाहती हूं कि चार वोल्यूम्स आज भी मौजूद हैं लेकिन सिर्फ आफिशियल व्यूज के लिये वह अटका हुआ है। उनका उपयोग किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय और सी. ए. डी. मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गंग कैनाल बने हुए पचास साल के करीब हो गये। महाराजा गंगासिंह ने एक ऐसा कार्य किया, मेरे ख्याल में जब तक दुनिया रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक उनको याद किया जाएगा। ऐसा महान कार्य उन्होंने आम गरीब जनता के लिये किया। ऐसे लोग हमेशा पूजे जाते हैं। आज उस कैनाल की हालत है ? मंत्री महोदय आप अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब के हिस्से में वह कैनाल जगह-जगह जर्जर हो रही है और मुझे याद है कि 1982 में यहां का पूरा मंत्रिमण्डल जिसमें श्री परसराम जी मदेरणा भी, शायद उस वक्त सिंचाई मंत्री थे और पूरी केबीनेट गंगानगर कैनाल एरिया का सर्वे करने के लिये गयी थी वहां केबिनेट मीटिंग हुई गंगानगर में। उसमें यह निर्णय लिया गया था कि लिंक चैनल बनाकर तुरन्त मेन कैनाल की रिपेयर का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। लेकिन कितना लम्बा समय बीत गया। सौ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट वहां बना था उसकी कीमत बढ़कर न जाने दो सौ, ढाई सौ करोड़ अवश्य हो गयी होगी। उसका कहीं भी जिक्र नहीं आया। यह मैं समय से पहले आपको सूचित करना चाहता हूं सदन में। मंत्री महोदय गंगानगर जिले के अन्दर नीचे पानी इतना खारा है कि आप पानी जुबान पर लगा नहीं सकते और अगर यह कैनाल एक दिन भी रुक गयी, इसकी हालत जैसी है, हो सकता है कई महीनों और कई सालों तक पानी न आये। उस वक्त राजस्थान में गंगानगर जिला किस तरह का होगा, आप अच्छी तरह इस बात से परिचित हैं फिर भी आपने इसके अन्दर उसका कोई जिक्र नहीं किया।

जैसा मेरे से पूर्व वक्ता श्री लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, उनकी बात बिल्कुल सही है कि डिपार्टमेंट पर तो आपकी पूरी पकड़ है और शक तो शायद अच्छा नहीं

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लगेगा, बड़े-बड़े अधिकारियों का बस वो हो जाता है जो यहां अच्छा नहीं लगता। वह तो अच्छी बात है। मैंने एक अधिकारी को छोटी सी बात कही जो उसके अधिकार क्षेत्र में थी, तो उसने कहा ना जी मंत्री जी से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा मजा आ गया। काम हो चाहे नहीं हो, मंत्री का दबदबा पूरा है लेकिन आपका परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर पर या केबिनेट पर बिलकुल रत्ती भर भी असर नहीं है। आप अपना बजट आवंटन कराने में सबसे पीछे हैं। आपका प्रतिवेदन देखकर ऐसा महसूस होता है।

उस गंग कैनाल के अन्दर, आप याद करिये उस वक्त क्या जमाना था। उन्होंने करोड़ों रुपया जब खर्च किया उसके अनुपात में एक स्टेट, बीकानेर स्टेट के महाराजा ने उस गंग कैनाल के ऊपर जो पैसा खर्च किया था, आप एक दफा तो सारे राजस्थान में उतना पैसा खर्च करके दिखा दो उस अनुपात में। तब तो मानें कि वाकई कोई राजस्थान सरकार है। इसलिये आप चिन्तन करो। बहुत बड़ा एरिया वहां पड़ा है। आप स्वयं भी कई बार जाते हैं, मौके पर जाकर देखते हैं। यह आपका बहुत अच्छा तरीका है। इससे लोगों को और किसानों को लाभ भी मिलता है।

लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। यह गंग कैनाल का सिस्टम, हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में सबसे बेस्ट सिस्टम है। जिसकी इंग्लैण्ड और अमेरिका ने आपसे बुक्स मंगवायी है और उन्होंने इसका अनुसरण किया है। गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह ने, पता नहीं उस वक्त कैसे इंजीनियर थे, न तो वह सिस्टम आपका चम्बल में है, ना सिस्टम और कहीं है।

(17.00)

हिन्दुस्तान में ही नहीं, पर मैं कहता हूं कि पूरे वर्ल्ड में इतना बढ़िया सिस्टम नहीं है। अगर मैं यह गलत कह रहा हूं तो आप अपने जवाब में कह देना। इसके अलावा ऐसे सिस्टम में होता क्या है, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि रोज कभी तो ऊपर (व्यवधान) क्या जी? मौका, कभी ऊपर कभी नीचे यह डांस क्यों होता है, किसानों की जेब क्यों काटी जाती है? आप जब इस चीज को जानते हैं फिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसके साथ-साथ आपके गंग कैनाल के अन्दर सी. ए. डी. लागू नहीं करेंगे। सी. ए. डी. मंत्री दिल्ली के अन्दर पधारे थे तब आपने स्टेटमेंट दिया कि गंग कैनाल का सारा एरिया सी. ए. डी. में ले लिया गया है और बहुत जल्दी इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। मेरी दोनों मंत्रियों से यह भी गुजारिश है कि मिलकर सेंट्रल पर पूरा दबाव डाल कर, इस पूरे इलाके को सी. ए. डी. में लेकर-पूरी कैनाल पक्की हो, वितरिकाएं पूरी हों, उनके खाले पक्के हो ताकि जो लासेज होते हैं, आज 2700 क्यूसेक्स की कैनाल आपको पानी दे रही है 2000 क्यूसेक्स, 700 क्यूसेक्स पानी हमारा लासेज में चला जाता है आप बताओ कभी 2000 से ज्यादा चला

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

है तो। वह जमाना था जब 2700 क्यूसेक्स चलता था। आपके रिकार्ड में है। अब क्या हो गया? क्योंकि वह जगह-जगह से हमारी नहर टूट गयी, वह सांस लेकर चल रही है, न जाने कब हार्टफेल हो जाए और मामला खतम हो जाए। इसलिये समय रहते आपको इस बात में पूरी रूचि लेकर, केबिनेट में पूरा नोट बना कर, ऐसा केबिनेट मीमो रखो कोई उसको रोक ही नहीं सके, एक मिनट में दस्तखत हो जाएं ताकि राजस्थान का विकास हो सके। गंगानगर और हनुमानगढ़,

(17.02)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

ऐसे जिले हैं जो सारे राजस्थान को अनाज की पूर्ति कर सकते हैं। यह अपने आप में छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही गंग कैनाल के अलावा लिंक चेनल जो आपका वहां बनाया गया, उस लिंक चैनल के ऊपर एक रेगुलेटर जो राजस्थान कैनाल से भी जुड़ा है वह रेगुलर आज चालू किया गया। लिंक में पानी तो आ गया, बड़ी मुश्किल से वह लिंक बन गयी थी। लिंक बन कर कभी की कम्पलीट हो गयी, पानी उसमें चल रहा है लेकिन उसमें जो इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी रेगुलेटर से आना था वह नहीं आया। इसी तरह आपको इन्दिरा गांधी कैनाल की सूरतगढ़ ब्रांच के ऊपर एक रेगुलेटर बना हुआ जो जी. बी. माइनर को, 425 क्यूसेक्स की कैनाल को, हम वहां से पानी बड़ी आसानी से दे सकते हैं। 25 साल पुराना रेगुलेटर, पैसा खर्च किया और इंजीनियर्स ने बड़ी सोच के साथ उस स्कीम को बनाया। क्या कारण है कि वह लागू नहीं हो सकी? वह 425 क्यूसेक्स पानी हमारा उधर काम में आये और किसान आपको दुआ दे, आपके सारे अधिकारियों को और आपकी गवर्नमेंट को। लेकिन अभी तक उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं है? कृपया उस तरफ भी ध्यान दें।

रायसिंह नगर के अन्दर आपके चीफ इंजीनियर उस वक्त के जो थे उन्होंने कहा कि भीमपुर माइनर का कार्य, बिलकुल पानी इसमें आ सकता है लेकिन नहर बनाने के लिये हमारे पास बजट नहीं है। अगर आप नहर बना दो तो पानी उसको दिला दूंगा, किसानों ने हिम्मत की, श्री देवीसिंहजी ने कहा और किसानों ने नहर बना दी। कमाल की बात है अपने खर्चे से खुद ही लग गये। ऐसा बना बड़ा उदाहरण हिन्दुस्तान में कहीं है तो आप बताओ और फिर आप उनको पानी नहीं दें, बड़ी कृपा हो आप दे दें तो। मैं तो आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। यह हालत भीमपुर माइनर के हैं।

आज सिद्धमुख कैनाल की बात है। जिस समय श्री राजीव गांधी ने उसका शिलान्यास किया था तो 1995 के अन्दर उसको बनाने की घोषणा की गयी थी फिर 1998 हुआ, अब आपने इसमें दर्शाया है कि सन् 2000 तक, पता नहीं आप उस जगह होंगे कि नहीं, हम यहां होंगे

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

कि नहीं होंगे ? मान्यवर, इसको जल्दी कर दो 1998 में तो पैसा बचेगा। वहां के इलाके के लोग आपको दुआ देंगे।

इसके साथ साथ इन्दिरा गांधी कैनाल के अन्दर आज 10-10 और 12-12 फुट सिल्ट जमी हुई है। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है 18 हजार क्यूसेक्स की कैनाल जिसके अन्दर 8 हजार साढ़े 8 हजार क्यूसेक्स से ज्यादा पानी नहीं चला और आपने इसके बारे में कभी चिन्तन नहीं किया। डिप्रेशन बना दिये ताकि हम पंजाब को यह दिखा सकें कि हम पानी ले रहे हैं लेकिन उन डिप्रेशन का क्या हाल हुआ, सीपेज हो गया, जगह-जगह सेम आ रही है। और आने वाले समय में एक मुसीबत का सामना आपको और करना पड़ेगा।

इसी तरह से रावतसर इलाके की लाखों एकड़ भूमि आज सीपेज होकर सेम के चक्कर में आ चुकी है। मेरे ख्याल में छः महीने या सालभर के अन्दर हजारों लाखों किसान आपके दरवाजे पर आएंगे और आपको बड़ी भारी परेशानी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस पर भी कुछ ध्यान दीजिये।

भाखड़ा के अन्दर जो हालत है वह भी आपसे छुपे हुए नहीं हैं।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त कीजिये।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : भाखड़ा कैनाल का इतना बढ़िया सिस्टम है लेकिन उस सिस्टम में भी जो टेल पर बैठे हुए जो लोग हैं, वे रो रहे हैं। कभी उनको पानी नसीब ही नहीं होता। इसी प्रकार आपने एक एल. एन. पी. नहर का उदाहरण देकर बहुत अच्छा काम किया लेकिन बड़े दुःख की बात है कि कई अधिकारी, बड़ी गड़बड़ी करते हैं। सीमेंट, घोटाले और पता नहीं क्या-क्या घोटाले होते हैं और कई अच्छे कार्य भी करते हैं। आपके निर्देश पर एस. ई., एक्स. ईएन., ऐ. ईएन. जे. ईएन. सब लोग गये। रातों-रात, रात दिन एक करके उस एल. एल. पी. को कम्पलीट किया और बड़े सुन्दर सिस्टम की हो गयी। जो सिस्टम महाराजा गंगा सिंह के बाद अब वह एक बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि उस वक्त वह बढ़िया था, उसकी जरूरत थी। आज इसकी जरूरत है। लेकिन दोनों मंत्री आपस में लड़ पड़े, लोगों ने तमाशा देखा, हजारों किसान इकट्ठे हुए, न जाने वहां पर खून-खराबा हो जाता, तो घर में बैठ कर पहले सुलह कर, लिया करो। इसमें अधिकारियों का कोई दोष नहीं है। यहां अधिकारियों ने यह जो काम किया उसकी तारीफ करता हूं। वह इस तारीफ के काबिल है और बाकी आप सब मेरे से ज्यादा परिचित हो। आपको जो इन्दिरा गांधी नहर का सिस्टम उसमें बहुत सारा कार्य अगर हम 18 हजार क्यूसेक्स, सारी। वह हम लेकर पूरी तरह राजस्थान को आते हैं, तो हमारे यहां का जैसलमेर और जोधपुर इलाका तो निहाल हो जाएगा। यह तो वर्षों तक आपको दुआ देगा। इस बात में क्यों देरी हो रही है ? आप जागो।

**श्री सभापति :** माननीय समाप्त करें।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** आपकी जो 10 फुट सिल्ट है उसको हटाओ और हटा कर इस इलाके का एकदम उद्धार करो।

**श्री सभापति :** प्लीज, समाप्त करें।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** माननीय सभापतिजी, मेरी बहुत सारी बातें तो रह गयी हैं। मैंने कोई ऐसी अनर्गल बात तो कही नहीं, फिर भी आप जैसा आदेश दें। मैं तो सुझाव दे रहा हूं। हो सकता है मंत्री जी उनको मान लें।

**श्री सभापति :** आपको निवेदन करना है कि सबको बोलना है। अभी कई लोग बोलने वाले है।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** गंगानगर जिले और हनुमानगढ़ जिले का उससे बहुत सारा लाभ हो। मैं इसीलिये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप यह नोहर फीडर भी इसमें आता है। उसकी तरफ भी आप ध्यान दीजिये। आप उसकी तरफ भी पूरा ध्यान देओ।

**श्री सभापति :** प्लीज को-आपरेट।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** मैंने पहले भी कहा है कि सूरतगढ़ 25 साल पहले बना हुआ है।

**श्री सभापति :** श्री रतनलाल जी ताम्बी।

**श्री राधेश्याम गंगानगर :** 25 साल वाला रेगुलेटर आप घोषणा करेंगे तब चालू होगा। 425 क्यूसेक्स पानी हमें ज्यादा मिलेगा आपने समय दिया। धन्यवाद। मैंने जो सुझाव दिये हैं मेरे ख्याल में मंत्रीजी कुछ घोषणा करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जयहिन्द।

**श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :** सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-46 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

**श्री सभापति :** समय सीमा का ध्यान रहे। 10 मिनट।

**श्री रतनलाल ताम्बी :** 15 मिनट।

**श्री सभापति :** 10 मिनट, ओनली टेन मिनट्स।

**श्री रतनलाल ताम्बी :** हमारी तरफ से बहुत कम बोल रहे हैं।

**श्री सभापति :** कई व्यक्तियों के नाम हैं।

**श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :** मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जल ही जीवन है यह सब मानते हैं और आज जैसा कि हमारे सामने सवाल आ रहा है। इसका उपयोग किस प्रकार से राजस्थान में हो। देश में 256·60 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र है। 10·60 लाख हैक्टेयर करीब-करीब राजस्थान में क्षेत्र है और सतही पानी। 158·8 लाख एकड़ फुट है। उसमें 1·16 करीब-करीब राजस्थान

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्रदेश में है और एक प्रतिशत लगभग यहां पर उसमें वर्षा होती है। जो समस्या हमारे सामने गम्भीर है। मैंने जब भी इस डिमांड पर चर्चा की यह निवेदन किया कि राजस्थान में सिचाई का किस तरह उपयोग हो और कैसे मास्टर प्लान बनें जिसके माध्यम से एक सुनियोजित योजनाबद्ध ढंग से राजस्थान में इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। दुर्भाग्य से चर्चा बहुत होती है पर इसी तरह पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये स्थिति दिन-प्रतिदिन और गम्भीर होती जा रही है और अब पानी की समस्या इतनी जटिल है, इन मामलों में ध्यान देने की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं तालाबों के संधारण से। सभापति महोदय, जो तालाब पहले बने हुए हैं, काफी वर्षों से उनको मैं देखता हूं, संधारण की स्थिति बहुत खराब है। कैनाल बहुत खराब है। जगह-जगह पानी लीकेज और सीपेज के माध्यम से काफी खराब हो रहा है। उनकी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मैं आपसे इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ढाई हजार एकड़ तक की जो आपकी क्षमता के तालाब हैं उनको आपने सिंचाई के पटवारी वगैरह हटा कर के रेवेन्यू के जिम्मे कर दिये। उसके बाद आप असेसमेंट करवा लें। मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि पिलाई उसमें पूरी रिकार्डेड नहीं होती है। पिलाई वसूल नहीं होती है जिससे निरन्तर आपकी आय में नुकसान होता है। इस बारे में आप एक परीक्षण के तौर पर एक जिला लें और उसको देखकर के इस व्यवस्था को ठीक करें।

एनीकटों की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि दक्षिणी राजस्थान के जिलों में एनीकट बहुत उपयोगी हैं। वर्षों से इनका संधारण नहीं हो पा रहा है और दुर्भाग्य हमारा यह रहा कि बीसलपुर परियोजना के नाम पर आज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, उदयपुर जिलों की जो हालत हो रही है उसके बारे में आगे जाकर जिक्र करूंगा। उन इलाकों में एनीकट नहीं बनाना या उसमें अवरोध पैदा हो रहे हैं वह स्थिति आज गम्भीर चिन्ताजनक है। हमारे मुख्य मंत्री जी, मैं सोच रहा था कि इस समय बिराजेंगे और उन्होंने बड़ी होशियारी की कि सबसे ज्यादा स्कोप आज पानी का उदयपुर सम्भाग के क्षेत्रों में है, जहां पर पानी को अभी काफी टेप करने की आवश्यकता है और सिंचाई मंत्री जी बना दिये बीकानेर सम्भाग के।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आप भी रहे थे।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : एक मिनट। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि सिंचाई मंत्री जी को राजस्थान कैनाल दें, इनका शायद उसमें इंट्रेस्ट भी काफी है।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरी बात तो सुनें। मगर दुर्भाग्य से हमेशा सिंचाई मंत्री उदयपुर डिवीजन का रहता रहा। इस बार यह परिवर्तन जो हुआ है। उसका इस सम्भाग को काफी नुकसान हो रहा है। इसके बारे में आगे जाकर अर्ज करूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नुकसान कैसे हो रहा है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं बताऊंगा आगे जाकर। शांति रखें। समय का सवाल आ रहा है। तालाबों के सर्वेक्षण की न कोई निश्चित अवधि है, 10-10, 15-15 वर्ष की योजनाएं आज भी इस विभाग में लम्बित हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : कौनसी लम्बित है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : नाम, बताऊं, साहब ?

श्री देवीसिंह भाटी : हां, बताओ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी आगे आकर बताऊंगा। सब दूंगा, अभी दूंगा, सारे विवरण दूंगा और लिखित में आपको दूंगा। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि कोई निश्चित अवधि नहीं है ! सिंचाई मंत्री महोदय, आप अपने विभाग की मानीटरिंग करें कि किस स्तर पर योजना कहां-कहां कितने समय से पड़ी रहती हैं। उसके लिये भी आप कोई नीति निर्धारण कर दें कि इतने समय में योजना वहां रहेगी, वहां रहेगी। यहां जयपुर में आने के बाद एक बार आब्जर्वेशन में आपत्ति में जाएगी तो वह 2-3 साल वापस नहीं आएगी। तब तक नये बी. एस. आर. चेंज हो जाएंगे, उसकी शर्तों की रेटें; सारी स्कीम वापस बनाओ, इसमें वर्ष लग जाएंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : आप क्या कहते हो ?

श्री रतनलाल ताम्बी : वह मैं बता दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता था कि सिंचाई की कितनी योजनाएं हैं, उनके सर्वेक्षण के बारे में एक सुनिश्चित नीति और प्रक्रिया निर्धारित की जाए। सिंचाई विभाग के जो तालाब और बांध बने हैं, उनके कम्पनसेशन आपने दे दिये। कम्पनसेशन के बाद भी सिंचाई विभाग अपने खाते दर्ज करके अपने कब्जे में उन पेटाकाश्त को नहीं ले रहा है। आज भी जिन्होंने कम्पनसेशन लिया है वह लोग काबिज हैं। इससे गरीबों को उसमें अलाट नहीं हो सकती। वह लोग ही काश्त करते है। इस दिशा में भी आपका ध्यान जायेगा।

अब मैं आना चाहता हूं बीसलपुर पर। जल ग्रहण क्षेत्र बीसलपुर का 27 हजार 7 सौ वर्ग किलोमीटर है। बांध की भराव क्षमता 38 हजार 7 सौ क्यूबिक फीट करीब है। कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया जो मेरा भी सुझाव था, पहले भी मैंने दिया आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इसके जल ग्रहण क्षेत्र में जितने बांध और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

तालाब हैं उनकी जो पूरी क्षमता आपने अनुमानित की है उनके बनने के बाद उनमें कितना सिल्ट जमा हो गया, सिल्टेशन कितना उसका हो गया ।

श्री देवीसिंह माटी : आ गयी आपकी बात ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं तो कहना चाहता हूं कि आगे मेरा एक पाइंट और है। उसको आप आधार मानें। साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि हर साल डेढ स्टोरेज पानी उनमें रहता है । उसका भी अनुमान करवा लें और बीसलपुर प्रोजेक्ट में सिल्टेशन कितना हुआ है, उसको आधार मानेंगे तो मैं समझता हूं कि तीनों-चारों जिलों में जो अधूरी योजनाएं आपके पास विचाराधीन हैं उसकी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी । इसके लिये मैंने लिखित में एक नोट भी तैयार कर रखा है । जो मैं अलग से देने की कोशिश करूंगा ।

अब मैं सीधे मेरे क्षेत्र की योजनाओं पर आना चाहता हूं । हमारे सिंचाई मंत्री महोदय भी फरमा रहे थे कि कौन-कौनसी योजनाएं कब से पेंडिंग हैं । मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीन योजनाएं ऐसी थीं, जो बीसलपुर बांध के नाम पर उनमें मामूली-मामूली काम बाकी था । कैनाल वगैरह का । सरसिया चारनाम में 14·81, झालरा पहाड़ी में 16·26 और बेइ गेमुला पर 18·70 लाख इस साल देकर उनको पूरी करवा दी उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं । इसके साथ ही इसी तरह की स्थिति थी माननीय सिंचाई मंत्री महोदय जिनके नाम मैं बताना चाहता हूं नेवट्या गुढ़ा 13·8 के लिये बैठा इन्तजार कर रहा है । इस पर 23·79 लग गया और 13·8 नहरों वगैरह के लिये बेकार पड़ा है । पचानपुरा जिस पर 15·62 लग गया, 14·50 के लिये यह योजना लम्बित है । मोमलिया महादेव सागर, लुहारी कलां है 56·21 का है जिसमें से 13 प्वाइंट लगकर के 43.79 के लिये यह लम्बित पड़ी हुई है। जो आप फरमा रहे थे कि कौनसी योजनाएं इसमें लम्बित हैं पीपलून, डगारिया, माकड़िया और रतनगढ़ यह आपके यहां आठ-आठ, दस-दस साल से लम्बित पड़ी हैं । इसके अतिरिक्त सकरगढ़ की योजना नवरतन सागर, तलौदा, गणेशपुरा, माण्डल क्षेत्र में मोतीपुरा....

श्री देवीसिंह माटी : यह एन. आर. ई. पी. में तो नहीं है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : एन. आर. ई. पी में भी हो सकती है । कोई प्लान में भी हो सकती हैं । अकाल में भी हो सकती है । कोई में भी हो सकती है । यह तो आपकी व्यवस्था है । जनता ने कभी यह नहीं कहा कि एन. आर. ई. पी. में बनाओ, अकाल में बनाओ, यह तो आपके विभाग की व्यवस्था है । जैसे-जैसे फण्ड्स अवलेबल होते गये वैसे-वैसे आप बनाते गये । मैं समझता हूं कि अधूरी योजनाओं के सम्बन्ध में आपका ध्यान जाएगा । और ऐसी योजनाएं भीलवाड़ा जिले में 11 है जो

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अधूरी हैं। जो बीसलपुर बांध जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाली सभी योजनाएं हैं। उन पर आप ध्यान दें।

अब बीसलपुर बांध जल ग्रहण क्षेत्र से बाहर की योजनाएं सकरगढ नवरतन सागर, भोमलिया, दवेलिया, मोतीपुरा (मांडलगढ) है और नयी प्रस्तावित योजनाओं में पीपलून, अरसागर, डगारियां, मांडलगढ़, माखलिया, रतनगढ़ ये योजनाएं हैं जिसका मैं आपको पूरा विवरण दूंगा।

**श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी** : मोतीपुरा तो इस साल में बन गयी है (व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, मुंह से पान निकाल लीजिये आप। मुंह से पान निकाल लीजिये।

**श्री रतनलाल ताम्बी** : मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बीसलपुर के मामले में आप अपने विशेषज्ञों के साथ हम इससे प्रभावित जो सारे विधायक हैं, के साथ बैठें, एक दिन बैठे दो दिन बैठें, तीन दिन बैठें। बाकी अभिशाप लगा हुआ है आपका उसके कारण चारों जिलों की जनता आज इस मामले को लेकर बहुत नाराज है। इस समस्य- का समाधान करने के लिये बहुत गम्भीरता से आपको चिन्तन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आज आप अपने जवाब में फरमावें ताकि उन चारों जिलों की करीब 50 लाख जनता जो आज इस कारण से प्रभावित है। पानी सामने जा रहा है, हम पानी देख रहे हैं, उसके बाद भूखे-प्यासे लोग कितने परेशान हैं। इस मामले का रास्ता आप ढूंढेंगे और मैं समझता हूं कि राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारी टैक्निकल दृष्टि से काफी विशेषज्ञ है। उनकी जानकारी मुझे भी है। उन सबका उपयोग करें, बैठकर तो रास्ता निकलेगा। इस समस्या का समाधान होगा। इसके साथ-साथ एनीकटों पर जो आपने रोक लगा रखी है, उसको हटाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री सभापति** : माननीय श्री ओमप्रकाश शर्मा।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)** : सभापती महोदय, मैं मांग संख्या 46 की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। सिंचाई विभाग की ओर सी. ए. डी. विभाग दोनों के बारे मे मैं निवेदन करूंगा। पहले सिंचाई विभाग की ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि कोटा सम्भाग जिसमें बूंदी भी आता है। वहां जितनी पानी की आवक है, उसका 88 प्रतिशत पानी बेकार जाता है। केवल मात्र 12 प्रतिशत पानी ही बांधों में शामिल होता है। एक बांध है जिसका नाम है गरड़दा, लताड़िया नाम से वह बांध बन रहा है। (व्यवधान) मंत्री महोदय कर रहे हैं कि मंजूर हो गया। मैं उसके लिये बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। लेकिन साथ ही यह निवेदन करूंगा कि पिछले वर्ष माह मई, 1995 में आपने बैठक की थी उसमें यह तय किया था और वित्त विभाग ने भी एक करोड़ रुपये

(श्री श्रोमप्रकाश शर्मा)

देने की स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से वह मंजूर नहीं हुआ था और वहां से एन. ओ. सी. जारी नहीं हुई थी। अब आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। आपको इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस के साथ ऐसा नहीं हो सभापति महोदय, कि लतारिया बांध जो गरड़दा नाम से है, दो बार श्री शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे शिलान्यास करके आये थे, कहीं ऐसा फिर न हो कि शिलान्यास हो जाए और फिर बाद में कहने लगे कि यह स्वीकृत नहीं है। एक कहावत है कि "दूध का जला हुआ छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है।" इसलिये निवेदन कर रहा हूं।

इसी के साथ बून्दी जिले में कुछ बांध ऐसे हैं, छोटे बांध हैं जो राजा महाराजाओं के समय में आजादी के पूर्व के बंधे थे। ऐसे बांध लगभग 39 हैं और वे सब जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं। यदि उनकी मरम्मत की जाए और उनके लिए पैसा दिया जाए तो वे छोटे बांध, छोटे तालाब अच्छे रहेंगे और उनसे सिचाई हो पायेगी। परन्तु वर्तमान में स्थिति यह है कि पुराने बांधों के लिए, पुराने तालाबों के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पुराने बांध और तालाब जितने भी हैं उनके लिये पैसा दिया जाए, उनकी मरम्मत की जाए। जैसे मैं निवेदन करूंगा बरधा बांध जो पिछले वर्ष टूट गया था और इस वक्त पैसा दिया। उसके लिए दो साल से मैं मांग कर रहा था। उसमें पैसा चाहिये था और अगर पूरा पैसा उसमें मिल जाता तो शायद यह बांध नहीं टूटता। नये और पुराने बांध हैं उनके लिए निवेदन करूंगा कि बून्दी तहसील में एक कंवरपुरा है, लक्ष्मीपुरा कल्याणपुरा व कछालीया एनीकट और तालाब हैं। उनको छोटे बांध भी बोलते हैं। अगर इनकी मरम्मत कर दी जाए तो वहां पर आदिवासी एरिया है उनको इसका लाभ मिलेगा। जनजाति के लोग वहां रहते हैं उसके साथ बंजारा जाति के लोग भी वहां पर है उनको भी लाभ मिलेगा। इसी प्रकार एक घोड़ा पुल है जो डोरा पंचायत में जलोबी में आता है उसके लिए भी अभी 12 लाख रुपये का एस्टिमेट बना है। यदि उसको भी इस वर्ष मन्जूरी मिल जाए तो बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। इसी के साथ बोर का खाल है जो पहले बढ़भू के नाम से मन्जूर किया था परन्तु बढ़भू बांध कैन्सिल हो गया क्योंकि वहां पर माइन्स वगैरह लग गयी। बोर का खाल पुराना है उसका सर्वे भी हो चुका है, उस गांव को पहले उठाने की योजना थी इसलिए बढ़भू बांध मन्जूर किया था। यदि बढ़भू के स्थान पर बोर का खाल का जो सर्वे हो चुका है उसको मन्जूरी दी जाए जिससे कि वहां लाभ मिल पायेगा।

इसी प्रकार बून्दी में चकल बांध है जो इन्द्रगढ़ के पास बंधेगा। वह भी गरड़दा, लतारिया की तरह ही है उसकी

(श्री ग्रोमप्रकाश शर्मा)

भी स्वीकृति प्रदान की जाए। मेज नदी, जहां पानी बेकार जा रहा है। उस मेज नदी का पहले सर्वे हो चुका है फिर भी सर्वे करवा कर उस पानी को रोक कर बांध बनाया जाए तो लाखेरी तक उसका पानी पहुंचेगा ग्रौर वहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, सी. ए. डी. की ग्रोर ग्रापका ध्यान दिलाऊं उसके पहले ग्रभी जैसे मैंने गरड़दा की बात की है उसी प्रकार से झालावाड़ जिले में चंवली बांध है ग्रौर देवली के पास बीसलपुर बांध है वहां पर पर्यावरण की स्वीकृति नहीं हुई थी, परन्तु वहां के किसानों की ग्रावश्यकता थी कि जमीन में पानी मिले ग्रौर भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है "हर हाथ को काम हर खेत को पानी", उसी को मध्य नजर रखते हुए मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि इन बांधों की जो ग्राज स्वीकृति दी जा रही है उसके लिऐ वित्त विभाग से पैसा दिलाया जाए ग्रौर पर्यावरण से उसकी स्वीकृति ले ली जाए। ग्रगर पर्यावरण स्वीकृति नहीं दे, तो भी उसको चालू किया जाए क्योंकि चांवली ग्रौर बीसलपुर से लाभ होगा, किसी तरह से चालू किया जाऐ।

ग्रब मैं सी. ए. डी. की ग्रोर ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहूंगा। बून्दी जिले में बायीं मुख्य नहर है। 1960 में यह नहरें बनी थीं ग्रौर तब से लेकर ग्राज तक कई नहरें टूटी है ग्रौर जो ड्रेन हैं वे 1974 में सारी भर गयी हैं, नहरें भी टूटी हैं। उसके लिऐ 1977 में मुख्य मंत्रीजी श्री भैरोंसिंह शेखावत थे तब उन्होंने एस्केवेटर ग्रौर डोजर मशीनें लगायी थीं। पर वे इतनी पुरानी हो गयी कि ग्राज ये मशीनें वहां जाते ही कब खराब होती है, कब रुक जाती है पता ही नहीं चलता है। इन मशीनों के लिऐ पिछले वर्ष एक करोड़ रुपये देने के लिए मंत्री महोदय ने कहा भी था। वे मशीनें क्यों नहीं लगी यह मुझे पता नहीं लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुरानी मशीनें हैं उनके स्थान पर जब तक नयी मशीनें नहीं ग्राएंगी ग्रौर नयी मशीनें नहरों की सफाई करने के लिए वहां नहीं चलेगी तब तक नहरों की सफाई नहीं हो पाएगी।

इसी के साथ-साथ मैं ग्रौर निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राज बून्दी में जो नहरें हैं उन नहरों ग्रौर ड्रेनों की स्थिति यह है, मान्यवर, बून्दी जिला बासमती चावल पैदा करता है ग्रौर बासमती चावल विदेशों में बिकने जाता है, वहां से हमको रेवेन्यू मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है ग्रौर उससे सारे देश को लाभ होता है। मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जब उद्योगों के लिए हम पैसा देते हैं, सब्सिडी देते हैं, सब कुछ देते हैं तो ग्राज किसानों के लिऐ यह खेती एक उद्योग है। पानी ग्रगर खेत में जाएगा, नहरों के द्वारा पानी ग्रगर खेतों में जाएगा तो किसान सम्पन्न होंगे, देश सम्पन्न होगा। इसलिए मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नहरों को ग्रौर ड्रेनों को जब तक

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, साफ नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं चल पायेगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि नहरों और ड्रेनों की सफाई

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की जाए और नहरों के अन्दर जो गाय, बैल, भैंस पानी पीने के लिये उतरते हैं उनके लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाए, पुलिस फोर्स लिया जाए जिससे कि नहरों में कोई जानवर नहीं उतारें। पीने के पानी के लिये यदि कोई जानवर जावे तो उसके लिये ऐक अलग से स्थान हो जहां पर वे जाकर पानी पी सके। इसी के साथ साथ कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान जब पानी के लिये डोला उतारते हैं या गलत तरीके से पानी लेते हैं उनके ऊपर सख्ती बरती जाए।

इसी के साथ मैं मंत्री महोदय को बून्दी में सी. ए. डी. का कार्यालय खोला है, खुले हुए तो 16 महीने हो गये पर अभी वहां पर चालू हुआ है उसके लिए पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी के साथ एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। बायीं मुख्य नहर से बून्दी जिले की जो जमीन है वह एक लाख दो हजार हैक्टेयर है। यदि 50 हजार हैक्टेयर पर एक कार्यालय खोलते हैं तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कापरेन और पाटन के अन्दर एक कार्यालय और खोला जाए जिससे कि पूरे एक लाख दो हजार हैक्टेयर जमीन की अच्छी तरह से देखरेख हो सके। अधिकारी वहां रहेंगे और देखेंगे तो काम चलेगा।

**श्री सभापति** : समाप्त करें।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** : मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, सभापति महोदय, बून्दी तहसील में तीन जगह है, मांगली नदी, घोड़ा पछाड़ नदी और बाजड़खाल। यदि यहां लिफ्ट द्वारा पानी नहरों में डाला जाए तो निश्चित रूप से टेल के गावों में पानी पहुंचेगा। आज स्थिति यह है कि घोड़ा पछाड़ नदी के पास गुमानपुरा, जड़खोदा, मोहीपुरा ऐसे गांव हैं जो बिलकुल हैड पर हैं, वहां पर 15 साल से एक भी गांव में पानी नहीं पहुंचा है। वहां ड्रेनें भर गयीं, नहरें भरी पड़ी हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि या तो उनको खोदने की व्यवस्था की जाए और यदि खोदने की व्यवस्था नहीं होती है तो लिफ्ट द्वारा घोड़ा पछाड़ नदी का, मांगली नदी का और बाजड़खाल नदी का जो पानी बिलकुल बेकार जा रहा है उसको नहरों में डाला जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। धन्यवाद।

**श्री सभापति** : माननीय श्री जुबेर खान।

**श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पवित्र सदन में बार बार इस बात को मैं दोहराता रहा हूं कि जिस

(श्री जुबेर खान)

तरह का भेदभाव अलवर जिले के साथ किया जा रहा है सिंचाई के विभाग में, मैं सोचता हूं किसी जिले के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जा रहा होगा।

माननीय सभापति महोदय, अलवर और भरतपुर जिले का सिंचाई सिस्टम स्टेट टाइम मे इस तरह का सुदृढ़ बना हुआ था कि जरा-सा पानी बेकार नहीं जाता था। तरह-तरह के बांधों और एनीकटों के माध्यम से रोक कर यूटिलाइज किया जाता था। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। कि सिंचाई विभाग के रिकार्ड में अलवर जिले में 117 बांध हैं इनमें से लगभग 100 बांध ऐसे हैं जो स्टेट टाइम में सिंचाई विभाग ने टेक ओवर किये, राजस्थान में शायद ही किसी जिले में इतने बांध बने हुए हो जो सिंचाई के परपज के लिये हो। 1947 में देश के आजाद होने के बाद राजस्थान राज्य बनने के बाद 10-15 बांधों की योजनाएं राज्य सरकार ने ली हैं उनमें ज्यादातर ऐसे बांध हैं जिनमें आज तक पानी का ठहराव होकर सिंचाई नहीं हो पा रही हैं। नीमला, ढमरेल, पीलीबेरी, दोहान, मिलकपुर, पाटन, बाढला, किशोरी, कुतीना ये ऐसे अनेक बांध हैं जो राज्य सरकार ने अब बनाने के लिए लिये हैं लेकिन आज तक किसी का प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खानपुर बांध किशनगढ़ और रामगढ़ तहसील के बार्डर पर है जिसका केचमेंट एरिया किशनगढ़ में और ज्यादातर कमाण्ड एरिया रामगढ़ तहसील में है। जर्मन सरकार की एड से यह बांध बन रहा है और लगभग चार करोड़ रुपये इस पर खर्च किया जा चुका है. काश्तकारों के मकान और जमीनें जो ली गयी थी उनका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। वेस्टवेयर के ऊपर से बिजली की लाइन जा रही है और बिजली की लाइन हटाकर उस वेस्टवेयर का आज तक प्रोपर अरेंजमेंट नहीं किया गया है। इस साल क्या हुआ? आपके विभाग का जो टोप लेवल डिजायन विभाग का है उससे छह फीट नीचे तक मिट्टी डली थी। छह फीट पूरी मिट्टी और डली होती तो खानपुर का बांध इस बार ब्रीच नहीं होता और भारी तबाही नहीं हुई होती। इससे अलवर जिले के बांध और रामगढ़ तहसील के कई गांव और बांध पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये। मेरा निवेदन करना है कि मात्र दो हजार कट्टे इस पर डाल दिये जाते तो जो छह फीट की ऊंचाई है वह बराबर हो जाती और बांध नहीं टूटता। ओवर टोप करने से पूरा बांध टूट गया सारा बह गया। इससे खेती के आधार को नुकसान हुआ है, बड़े-बड़े खाले पड़े, मिट्टी पड़ी और सारा पानी अलवर जिले के गावों को तबाह करता हुआ हरियाणा चला गया। हमारे यहां एक फीट भी पानी नहीं रुका।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जेरोली बांध जिससे 429 हैक्टेयर में सिंचाई होती है और करीब 120 मिलियन क्यूबेक्स

(श्री जुबेर खान)

फीट पानी का भराव करता है, गत वर्ष सितम्बर में यह बांध ब्रीच हुआ। और इस तरह से ब्रीच हुआ, पाल ऊपर में रह गयी और नीचे से जमीन बहाकर इसको लक्ष्मण झूला बनाता हुआ पानी चला गया। इसको ठीक कराने का ठेका सिंचाई विभाग ने दिया और 30 लाख रुपये का उस पर काम हो चुका और काम क्या सिर्फ डिसमेंटलिंग हो रही है, यह 24-25-26 जून की बारिश से पहले हो चुका था। अब आप अंदाजा लगायें कि दोनों बांधों में लगभग 270 मिलियन क्यूसेक्स फीट पानी एवरेज बारिश का जमा होता है। अब ये बांध नहीं बंधेंगे तो सारा पानी जो खाले और नाले बन गये अलवर जिले के तहसील रामगढ़ से, यहां से होता हुआ हरियाणा निकल जायेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों का, 270 मिलियन क्यूसेक्स पानी को रोकने का इस बरसात में आप क्या उपाय करने जा रहे हैं? यह बतायें। खानपुर बांध की नहरें जो बनी थीं वे नहरें नींव सहित बह कर चली गयी। इसमें आपने चार करोड़ रुपये लगाये थे, चाहे कुछ मदद दी हो जी. डी. आर. सरकार ने और दी, क्या उस चार करोड़ की भरपायी कर पाएंगे?

अंतरिया डाइवरजन डैम पिछली बार चार सौ फीट का ब्रीच आया था। अलवर एक्स. ईएन. से जयपुर प्रस्ताव गया कि इसकी मरम्मत होनी चाहिये लेकिन इन्होंने प्रायोरिटी बनाकर इसकी मरम्मत का एक पैसा नहीं दिया। इस साल इसमें चार सौ की जगह नौ सौ फीट का ब्रीच आ गया और 0 से 97 चैन तक पांच जगह ब्रीच आया। डाइवरजन डैम का पांच किलोमीटर का इलाका है जिसमें मेरे ख्याल से एक फेसमाल है नौ सौ मीटर की उसको छोड़कर सारा बांध बह गया। नौगांव के आसपास की जमीन का सारा पानी का नुकसान कर दिया। सारा पानी 270 मिलियन क्यूसेक्स फीट जेरोली और खानपुर आयेगा अंतरिया डाइवरजन डैम टूट गया इससे आगे करौली और खालसा की एक बट आयी थी वह टूट गयी। यह सारा पानी बहने से बड़े बड़े खाले पड़ गये, नदियां बन गयी और आगे बहकर हरियाणा चला जायेगा और हमारे यहां एक बून्द पानी नहीं रुक पायेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्या उपाय करने जा रहे हैं? बाढ़ आयी तो आपने सब जगह युद्धस्तर पर काम चला रखे हैं लेकिन अलवर का अंतरिया डैम बार-बार मरम्मत के लिये आता है तो आप उसको प्रायोरिटी पर नहीं लेते हैं, इससे बड़ा पक्षपात और क्या होगा?

दूसरा, मेरा निवेदन है कि अलवर और किशनगढ़ के बीच में जो स्पेस है उसमें ट्रेमिंग बांध है, डहरा गांव में, विजय मन्दिर सागर है फिर बजीरका बांध; फिर हंस सरोवर का फिर देव खेड़ा, फिर तिपरोली का बांध है। ये सब स्टेट टाइम में इस तरह से बनाये गये थे कि पानी एक बांध में आये तो फालतू पानी वेस्टवेयर से अगले में जाए और उसके

(श्री जुबेर खान)

बाद तीसरे, चौथे, पांचवें में जाने के बाद भी फालतू बचे तो रूपारेल में जाकर भरतपुर जिले के सीकरी बांध में चला जाएगा। इनसे सिंचाई होती थी। माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह हुई कि सारे बांधों में ब्रीच आयी, क्योंकि 1969 के बाद नहरों की कोई मरम्मत नहीं हुई। लोगों ने एन्क्रोचमेंट कर लिये, जुताई कर ली। नहरें नक्शे पर है, मौके पर नहीं। 1969 में सिंचाई विभाग ने जो नहरें बनायी थीं वे रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई इसलिये गांव के काश्तकार जाते हैं और स्टे और ले लेते हैं और जोत लेते हैं। यह स्थिति है अलवर के सिंचाई विभाग की। सभापति महोदय, यह तो मैं रामगढ़ तहसील की बता रहा हूं। अलवर जिले में 14 तहसीलें हैं, अब आप अंदाजा लगा लीजिये क्या स्थिति हो रही होगी। सारा पानी निकलकर रूपारेल जाकर भरतपुर सीकरी फतेहपुर और वहां से गोवर्धन होता हुआ यमुना और यू. पी. चला जाता है, हमारे यहां रुकता नहीं है जिससे अलवर का वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है और अलवर जिला आज भी डार्क जोन है।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की तहसील में करीब साढ़े चार करोड़ की लागत से मरम्मत कार्य होंगे जिनके प्रस्ताव सिंचाई विभाग को भेजे। मैं सदन के माध्यम से, मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आप कहां से चार करोड़ रुपये रामगढ़ तहसील के लिये देंगे और यह पानी रोक पायेंगे? वहां यह स्थिति है।

**श्री परसराम मदेरणा :** काश्तकारों ने खेती करनी शुरू कर दी तो चार करोड़ रुपये लगेंगे कहां?

**श्री जुबेर खान :** माननीय नेता महोदय, मरम्मत कार्य और नहरों की खुदाई के भी इसमें की हुई है। सिंचाई विभाग के रिकार्ड में नहरें हैं। पन्द्रह साल से बारिश न होने से सिंचाई विभाग भूल गया कि नहरें भी हैं, कोई लेना-देना नहीं, कोई मेंटीनेंस नहीं करते। वहां झारझंखाड़ और घासफूस निकलने लगी और मिट्टी ढलकर एकदम लेवल हो गया था लोगों ने जुताई कर दी। आपके विभाग ने जहां-जहां नहरों की खुदाई की और मरम्मत की, वहां काश्तकारों ने कोई आब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि दो साल की लगातार बाढ़ से वे भी परेशान हैं कि उनकी जमीन का बुरा हाल हो रहा है। अब कोई रोक-टोकने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप नहरों की मरम्मत और खुदाई करा दें। यह सही मौका और अप्रोप्रिएट टाइम है नहरों की मरम्मत और खुदाई हो जाएगी और काश्तकार भी विरोध नहीं करेंगे। लगे हाथ कृपा करके अलवर जिले की ये नहरें आपके और रेवेन्यू रिकार्ड में भी दर्ज करा दीजिये।

**श्री सभापति :** कृपया समाप्त करें।

**श्री जुबेर खान :** दूसरा, सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा ...

**श्री सभापति** : You have exhausted your time.

**श्री जुबेर खान** : हो गया पूरा टाइम, सभापति महोदय ?

**श्री सभापति** : Yes.

**श्री जुबेर खान** : अभी तो रामगढ़ ही पूरा बाकी पड़ा है।

**श्री सभापति** : नहीं, 10 मिनट का समय है और अभी आप....

**श्री परसराम मदेरणा** : Hon'ble chairman, you should stick to the time because large number of legislators from opposition want to participate in the debate.

**श्री सभापति** : That is why I give a ring two minutes before the time.

**श्री जुबेर खान** : अच्छा 2 मिनट, में समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : Within a minute.

**श्री परसराम मदेरणा** : The Member should realise his responsibility because you cannot snatch time of the other members. That becomes a problem for me.

**श्री जुबेर खान** : दो मिनट और करना चाहूंगा। सभापति महोदय, एक फ्लड प्रोटेक्शन के लिये अलावलपुर में चैकडैम का एक प्रस्ताव यहां आया हुआ है उस चैकडैम से क्या होता है कि सुनेड़ी झील और सुनेड़ा गांव के आसपास हर साल पानी भर जाता है और नावें चलाकर लोगों को चीजें मुहैय्या करायी जाती हैं। 25 लाख का एक डैम का एस्टीमेट आया हुआ है। मंत्री महोदय आप अलावलपुर चैकडैम को जब तक नहीं बनाएंगे, आपके पीछे कृषि मंत्रीजी बैठे हैं। यह हालात पिछले साल देख आये हैं कि उन गांवों की क्या हालत होती है। आप जब तक अलावलपुर का चैकडैम नहीं बनाएंगे और मिलकपुर की कैसवाल का काम नहीं कराएंगे तब तक मैं कहता हूं कि हमारे यहां पानी की समस्या हमेशा रहेगी।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। सिलीसेढ़ आपका मशहूर बांध है वहां से सारे अलवर में सिंचाई होती थी, अब ज्यादातर जगह अलवर के आसपास कालोनियां बन गयी हैं, वहां कमाण्ड एरिया बहुत सीमित रह गया है और पानी की क्षमता वही की वही 450 मिलियन क्युसेक्स फट है। आपसे मेरा निवेदन है कि उसके पास में 3 गांव हैं सावड़ी, माचड़ी और अलापुर वहां मुश्किल से एक किलोमीटर का एरिया लगता है। आपको एक किलोमीटर की नहर बनानी पड़ेगी, एक्सटेंशन करना पड़ेगा। एक किलोमीटर की नहर का एक्सटेंशन कराकर उन गांवों को पानी दिलायें, क्योंकि अलवर के आसपास तो सारी कालोनियां बन गयी हैं।

**श्री सभापति** : समाप्त करें। माननीय श्री कन्हैयालाल मीणा।

**श्री जुबेर खान** : ....सभापति महोदय, मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि आप अलवर की तरफ भी झांककर देखिये। आप चम्बल योजना बनाइये, आप इन्दिरा गांधी नहर योजना बनाइये, आप सभी योजना बनाइये, बीसलपुर योजना बनाइये लेकिन अलवर पराया नहीं है। अलवर कोई दूसरा नहीं है। अलवर आपका हिस्सा है और अलवर आपको रेवेन्यू देता है। आज इसका मतलब यह नहीं है कि अलवर डिविजन से कोई मंत्री नहीं बना, कोई मुख्य मंत्री नहीं बनता तो आप इतना तो विचार करें कि पूर्वी राजस्थान के साथ पक्षपात करें, भेदभाव करें, वहां के लोग त्राहि-त्राहि करें, जो सदियों पुराना वहां सिस्टम है उसको बरबाद करें--यह आपके हक में अच्छा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां की जनता बहुत दुःखी है एक दिन वह आएगा कि तरह-तरह की बातें आएंगी।

**श्री सभापति** : धन्यवाद। श्री कन्हैया लाल मीणा।

**श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी)** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननी मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर जिला जो करीब 5 साल डार्कजोन घोषित है और डार्कजोन एरिया घोषित होने की वजह से वाटर लेवल नीचे चला गया जिससे आज किसानों को अपनी फसल से वंचित रहना पड़ रहा है। मैं माननीय सिचाई मंत्री महोदय का आपके मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बस्सी है जहां एक बांध कानोता है, जिसकी 1983 में स्वीकृति हुई थी। उस समय उसका दो करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर अब तक एक बूंद पानी रुकना तो दूर रहा लगता है कि 5-6 साल के बाद भी वह बांध बन जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। अब तक कानोता बांध के अन्दर लगभग चार करोड़ के करीब खर्च हो चुका है जिस पर 2 करोड़ की लागत आनी थी और आज 4 करोड़ के करीब लघु सिचाई योजना के नाम से खर्च हो गया जिसका कोई उपयोग वहां की जनता को को नहीं है और अभी भी उसमें बार-बार बहाना बना लेते हैं कि किसान जमीन नहीं देते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन काश्तकारों की जमीन उस बांध में आ गयी है बिना सिचाई विभाग के पैसा दिये उन काश्तकारों की जो पास में ही सिवायचक भूमि थी उन्होंने न सिचाई विभाग से एक पैसा लिया। मैंने स्वयं जिलाधीश से मिलकर उनको उनकी भूमि के बदले भूमि का अलाटमेंट कराया, उनके नाम म्यूटेशन हो गया लेकिन उसके बावजूद आज तक भी उस बांध का, जिससे करीब 150 गांवों के किसानों को उस बांध से फायदा हो सकता है। आज उसके आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पीने का पानी भी किसानों को उपलब्ध नहीं है। यदि यह कानोता बांध बन जाता है तो उसकी वजह से आसपास के एरिया चाहे कानोता ग्राम पंचायत हो,

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

जूथाड़ा हो, रामरतनपुरा हो, बेनाड़ा हो, खालावास हो, बूरथल हो इन सारी ग्राम पंचायतों के जितने भी ग्रामपास के गांव हैं, बस्सी से आगे तक इस बांध का फायदा किसानों के लिये और पीने के पानी के लिये काम में आएगा। कुओं का जलस्तर ऊंचा आ जायेगा। सिंचाई नहीं भी हो मगर कुओं के जलस्तर में काफी मदद मिलेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानोता बांध को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए जिस पर 2 करोड़ की बजाय 4 करोड़ का खर्चा हो चुका है और अभी भी पता नहीं कितने करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसलिये इसकी तरफ जल्दी ध्यान दिया जाए।

अनेक बार सीमेंट घोटाले का मामला पहले बीच में आया खारली बांध के नाम से, जहां पर सीमेंट का एक कट्टा भी नहीं लगा और 500 कट्टे खारली बांध के नाम से लिये गये। पूर्व में भी इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया था। जिसमें जांच की गयी और उसमें मात्र एक हैल्पर को सस्पेंड करके अधिकारियों द्वारा लीपापोती कर दी गयी। वह सारे सीमेंट के 500 कट्टे तो पकड़ में आ गये तब जाकर यह हुआ अन्यथा यहां से हजारों कट्टे सीमेंट, कानोता बांध से जहां खारली बांध में एक कट्टा सीमेंट का नहीं लगा और जो वहां से 60 किलोमीटर दूर है वहां कट्टे ले जाने का किराया और वहां उन्हें रखने का पैसा वसूल कर रखा है। जब वहां सीमेंट ही नहीं लगा तो वहां सीमेंट क्यों ले गये थे? फिर तुंगा से गोदाम बनाने का क्या तुक था जो वहां से 30 किलोमीटर दूर है। इस बांध से वहां गोदाम किराये पर लेकर ट्रकों से भर-कर ले जाने की भी लीपा पोती होकर जांच नहीं हुई। इसी प्रकार से आज इस बांध के नाम से ट्रैक्टर हैं। ट्रैक्टर विभाग में खड़े हुए हैं। ट्रैक्टर खराब हो गये हैं लेकिन दूसरे ट्रैक्टरों को काम में लाया जा रहा है। वहां डीजल बिक रहा है ट्रैक्टरों के नाम से। वहां लोहा भी आया है, बजरी जो लग रही है उसका मासी को बजरी का बिल बन रहा है और बजरी वहां लोकल काम में लायी जा रही है। पत्थर कहां से आ रहे हैं, बिल दूसरी जगह से बन रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी शीघ्रातिशीघ्र जांच करके पूरा करवाने की कार्यवाही की जाए नहीं तो और जो घोटाले हो रहे हैं उस तरह से वह कानोता बांध का सारा काम अधूरा रह जाएगा।

**श्री सभापति** : समाप्त करें। प्लीज।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** : पहली बार ही बोल रहा हूं। 10 मिनट नहीं हुए हैं।

**श्री सभापति** : बहुत बार बोले हैं आप।

**श्री कन्हैयालाल मीणा** : 10 मिनट नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

राहत के माध्यम से आपने जो खारली बांध बनाया। खारली बांध का काफी काम प्रगति पर है उसके लिये तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। वह कार्य भी काफी दिनों बाद चालू हुआ लेकिन बहुत जल्दी पूरा हो रहा है। उसके लिए तो मैं बधाई देना चाहूंगा लेकिन कानोता में जो करोड़ों रुपयों का खर्चा हुआ उसकी आप जांच करायें।....

**श्री सभापति :** धन्यवाद।

**श्री कन्हैया लाल मीणा :** दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के तहत जो 10 लाख से लेकर 30 लाख तक के काम सिंचाई विभाग ने अपने माध्यम से कराये हैं, परन्तु आज एनीकटों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। पंचायत समितियों को आपसे सम्भला दिये और पंचायत समितियों के पास कोई बजट नहीं है। इसलिये उनमें थोड़ा सा भी 10 हजार या 5 हजार खर्चा आता है तो वे टूट जाते हैं और सारा पानी वह बहकर निकल जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल राहत के अन्दर जो एनीकट्स बनाये गये हैं उनको आप अपने अधीनस्थ लें और उनकी देखरेख का काम करवायें। साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि फालियावास बांध, पिपलावाई बांध, दोपुर बाध, टेहटड़ा बांध-ये जो बांध हैं, ये अपूर्ण हैं, उनको पूर्ण करायें, अकाल राहत कार्यों के माध्यम से इनको पूरा करायें।....

**श्री सभापति :** श्री महादेव सिंह जी।

**श्री कन्हैया लाल मीणा :** मैं एक मिनट और लूंगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भालाना नदी आती है रोपाड़ा नदी परवटेसरी, बूरथल पर एक नये बांध की स्वीकृति दी जाए। साथ ही मैं मांग करूंगा कि गोनेर, रलावता नदी पर, रलावता गांव में जिससे करीब 6 पंचायत समितियों को लाभ होगा....एक लालगढ़ गांव का प्रोजेक्ट....

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य अब नहीं।... दूसरे माननीय सदस्यों को बुला लिया, श्री महादेव सिंह जी।

**श्री कन्हैया लाल मीणा :** ....बनाया गया, माननीय सभापति महोदय लालगढ़ के लिये आपने एक ए. ईएन. और 3 जे. ईएन. लगाये है और एक साल में प्रोजेक्ट बनकर तैयार नहीं हुआ और उनका कितना ही तो टी. ए., डी. ए. बन गया उसको जल्दी ही तैयार करायें।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य मुझे मजबूर नहीं करें अन्यथा कह दूंगा नोट टू बी रिकार्डड।

श्री महादेव सिंह जी।

**श्री महादेवसिंह (खण्डेला) :** माननीय सभापति महोदय, हमारे शेखावाटी के अन्दर सदा बहने वाली कोई नदी नहीं है और हमारा किसान हमेशा बरसात पर आधारित रहता है। सिंचाई तो क्या हमारे इलाके में पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है और कभी असामयिक बरसात होती है। मेरा सिंचाई

(श्री महादेव सिंह)

मंत्रीजी को सुझाव है कि अगर हमारे इलाके के अन्दर बरसात के पानी को जगह जगह रोका जाए तो हमारे किसानों को पशुओं के लिए पानी मिलेगा और हमारी जमीन का जल स्तर भी ऊंचा आएगा।

माननीय समापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि शेखावाटी बेल्ट में सीकर जिले के खण्डेला, नीमकाथाना और झुन्झुनू जिले के उदयपुरवाटी और खेतड़ी में अरावली पहाड़ियां हैं। बरसात के अन्दर पानी गिरता है तो पहाड़ों से तेजी बहकर नीचे आता है और जमीन को काटता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विभाग द्वारा हमारे इलाके में सर्वे करवाकर इन पहाड़ी इलाकों में जितने ज्यादा से ज्यादा एनीकट और बांध बनाये जा सकते हैं उनको बनवाने की कृपा करें।

**श्री परसराम मदेरणा** : खण्डेला में एक दफे पानी बहकर आया था और दुकानों में आदमी रह गये थे और कुछ लोग मर गये थे तो कोई बांध बना ? सर्वे हुआ था, बांध बना या नहीं बना ? वह जरूरी है बांध बनना।

**श्री महादेव सिंह** : वह बन गया। वह बांध बनने से सारा शहर डूबने से बच गया। लेकिन हमारे राजा-महाराजाओं के टाइम से एक सलोदीपुरा का बांध बंधा हुआ है। पिछले साल अतिवृष्टि से उस बांध की स्थिति ऐसी हो गयी थी कि यदि एक और बरसात भी होती तो वह बांध टूट जाता और बहुत से गांवों को नुकसान होता। माननीय समापति महोदय, खण्डेला महाराज की तरफ से खण्डेला पूर्व दिशा में 7-8 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ा तालाब बनाया हुआ है। अगर आप जाकर देखें तो उस तालाब की पक्की दीवार जो चारों तरफ बनायी हुई है, उस पर आप अपनी जीप आराम से ले जा सकते हैं। लेकिन आज उसकी हालात यह है कि वह तालाब पूरा का पूरा मिट्टी से भर गया है और उधर से जो पानी निकलता है उस पानी से खण्डेला और कांवट की तरफ जाने वाली सड़क हर साल क्षतिग्रस्त होती है। हर साल उस सड़क को तोड़ता हुआ पानी जाता है। जब पिछले साल में उस सड़क का दुबारा निर्माण करवाया जा रहा था मैंने विभाग के आदमियों से कहा कि हर साल आप इसी जगह, हमेशा हमेशा यह सड़क टूटती है और इसका दुबारा निर्माण करवाते हो, क्यों नहीं आप इसका ऐसा पुख्ता निर्माण करें जिससे बार बार आपको तकलीफ नहीं हो। माननीय समापति महोदय, मुझे जवाब में कहा गया कि सोने का अंडा देनी वाली मुर्गी को कभी नहीं काटते। मैंने जब कहा कि यह मेरे समझ मे नहीं आयी, मैं समझा नहीं तो उन्होंने कहा कि समझने की बात यही है कि एक बार हम पुख्ता निर्माण करवा देंगे तो दुबारा हमारे पास फण्ड कहां से आएगा इसलिए हम इसका पुख्ता निर्माण नहीं करवाएंगे। यह तो हालत हमारे अधिकारियों की है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे खण्डेला से होती हुई कोटड़ी-गुहाला

(श्री महादेव सिंह)

एक बहुत बड़ी नदी जाती है लेकिन वह बरसाती नदी है। यदि उसको स्लोब के रूप में जगह-जगह से पाटा जाए, जगह-जगह उसमें छोटे-छोटे बांध बनवाये जाएं तो अधिक पानी होगा वह निकल जाएगा और जगह-जगह पानी रुकेगा। पानी रुकने से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां पशुपालन का धंधा बहुत ज्यादा है, लोग भेड़ और बकरियां बहुत ज्यादा रखते हैं। भेड़, बकरियों और पशुओं को पानी मिलेगा और जल स्तर भी ऊंचा होगा।

इसी प्रकार से मेरा सुझाव है कि कांवट के पास में प्रीतमपुरी साइड में खण्डेला से करीब 30 किलोमीटर पूर्व में अरावली की बहुत बड़ी पहाड़ी है। उसके नीचे जो जमीन है वह रेतीली जमीन है। बरसात में जब पानी अचानक ऊपर से आता है तो जमीन बहुत ज्यादा कटती है। वहां की हालत यह है कि आज से करीब 10-15 साल पहले जल स्तर ज्यादा से ज्यादा 10-15 फीट थी लेकिन आज उस कटाव की वजह से वह नदी, वह नाला कटता कटता 30-40 फीट तक चला गया और वहां पर जल स्तर भी 70-80 फीट तक चला गया। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यदि उस कांवट वाली नदी को प्रीतमपुरी के पास में 3-4 जगह से स्लोब के रूप में रोका जाए तो आपको नदी से पानी से बहती हुई मिट्टी आएगी वह रुकेगी और जल स्तर ऊंचा होगा। इसलिये मेरा आपके मार्फत मंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि हमारे यहां विभाग के द्वारा सर्वे करवाकर जगह-जगह एनीकट और बांध बनवाने की कृपा करें।

इसके साथ में मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गत वर्ष अतिवृष्टि की वजह से करोई बांध टूट गया और उसके टूटने से केलपुरा की ढाणी, करोई की ढाणी, कुड़ो की ढाणी, सारी ढाणियां क्षतिग्रस्त हो गयी थीं। सारे मकान टूट गये और इनसे मैंने कहा था कि इसका पुनः निर्माण करवाया जाय। मंत्री महोदय के आदेश सारे अधिकारियों के पास पहुंच गये, वहां मैंने देख भी लिये लेकिन इस साल तक उसका निर्माण नहीं करवाया गया पुनः उस ढाणी का सर्वनाश कर दिया गया। अतः मैं इनसे दुबारा निवेदन करना चाहूंगा कि उस करोई बांध का निर्माण यदि आप जल्दी ही करवा दें तो वहां कोई भी नुकसान नहीं होगा और उसमें पानी भरेगा उससे वहां का जल स्तर भी ऊंचा आएगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिये आपका मैं आभारी हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

**श्री सभापति** : श्री रामपाल जी उपाध्याय। (अनुपस्थित) श्री जगतार सिंह जी।

**श्री जगतार सिंह (श्रीकरणपुर)** : माननीय सभापति जी, आज सिंचाई, जो कि राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और खासकर गंगानगर जिला जो कि सिंचाई में काफी अग्रणी है। गंगानगर जिले में बहुत सी समस्याएं

(श्री जगतार सिंह)

हैं जिनका निराकरण होना बहुत जरूरी है।

मान्यवर, सबसे पहले, क्योंकि गंग कैनाल हमारे सबसे पुराना सिस्टम है और मेरी पूरी की पूरी कांस्टीट्यूएंसी गंग कैनाल के एरिया में आती है। मैं माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एल. एन. पी. नहर को डिस्चार्ज कम करके 6 महीने वाली नहर का 12 महीने में परिवर्तन कर दिया। यह एक बहुत ही सराहनीय और बहुत बड़ा कार्य था। हमारे यहां केनाल के वाटर डिस्ट्रिब्यूशन में सदैव ऐक प्राब्लम रहती थी। यह नहर कैपेसिटी से ज्यादा पानी लेती थी मगर इस नहर के 6 मासी से 12 मासी बनने से हमारे करीब पौने दो सौ क्यूसेक्स पानी की सेविंग हो गयी जिसका हम अच्छी तरह से दूसरी नहरों की बारी में यूटिलाइज कर सकते हैं।

इसी के साथ मैं मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जैसा आपने एल. एन. पी. को 12 मासी बनाने का कार्य किया है, इसी प्रकार से हमारे जी. बी. माइनर है। जी. बी. माइनर के बारे में, मैं समझता हूं कि मंत्रीजी बहुत भली प्रकार से परिचित हैं कि उनके भी पानी की बहुत प्राब्लम रहती है, पानी नहीं पहुंच पाता। अगर जी. बी. माइनर को हम डिप्रेशन से पानी दे दें तो यह डिप्रेशन जो इन्दिरा गांधी नहर से और जो पानी वहां स्टोर हो रहा है जिससे कि सेम बनी हुई है, काफी एरिया हमारा उस पानी के निकलने से सेम से बच जाएगा और वहां की जमीन उपजाऊ हो सकती है। करीब 5-6 साल तक जो डिप्रेशन में पानी है उस पानी से हमारे जी. बी माइनर की एरिया की अच्छी सिंचाई हो सकेगी। इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी वहां उस एरिया से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं।

(18.00)

मगर मैं आज तक समझ नहीं पाया, गंग कैनाल में जी. बी. माइनर का नक्का जो कि आलरेडी सूरतगढ़ ब्रांच से बना हुआ है, उस नक्के में से पानी देने से या उस रेगुलेटर में से पानी देने में प्राब्लम कहां आ रही है, तो उससे राजस्थान कैनाल से पानी एक तरफ तो हम डिप्रेशंस में भी छोड़ते हैं और अगर वही पानी करीब 275 क्यूसेक्स पानी हम जी. बी. माइनर को दे दें तो उससे हमारी गंग कैनाल के रेगुलेशन के बाद भी प्राब्लम कम हो सकती है। हमारे पास 525 क्यूसेक्स पानी बच जाता है, गंग कैनाल की कैपेसिटी कम हो रही है-पुरानी होने की वजह से, सिल्ट भरने की वजह से, नहर टूटने की वजह से और हमारे सीपेज लोसेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उनको हम इस तरीके से कम्पनसेट कर सकते हैं।

इसी प्रकार गंग कैनाल एरिया में बहुत सी ऐसी भूमि है जो कि बारानी है और हमने उसमें पहले पानी देने की व्यवस्था की थी, आज जमीन में पानी लेवल लगता है। उस जमीन को पानी दे दिया जाए। बाद में इस स्कीम से कुछ आदमियों को

(श्री जगतार सिंह)

पानी मिल गया और कुछ ऐसे किसान रह गये जिनकी जमीन में पानी देने का राज्य सरकार की तरफ से आदेश हो गया और वह पानी देना बन्द हो गया तो ऐसी समतल जमीन को पानी देने के आदेश पुन: किये जाए।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ तो हम लिफ्ट पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। लिफ्ट कैनाल से पानी 3-3, 4-4 जगह से लिफ्ट से उठाकर दे रहे हैं और उधर जिस एरिया में पानी दे रहे हैं वहां सेम की प्राब्लम आ रही है। गंग कैनाल एरिया का जो ऊंचा एरिया है अगर हमें राजस्थान कैनाल वाले पानी में से कुछ पानी दे दिया जाए तो मैं समझता हूं कि किसान अपने पैसे से उस पानी को लिफ्ट करके, अपने खर्चे से, बिना किसी खर्चे के हमारी करीब 20 से 25 हजार एकड़ जमीन जो गंग कैनाल में ऊंची पड़ी है वह कमांड एरिया में आ जाएगी और उसमें अच्छी फसल होने लग जाएगी।

इसी के साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि मोतीराम कमेटी बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। आज हम देखते हैं कि हमारा काफी एरिया सेम से प्रभावित है, नीचे जिप्सम है। कुछ पानी को हमने पर थाउजेंड एकड़ दिया हुआ है। राजस्थान कैनाल में वह 5.26 है और गंग कैनाल में 2.56 लगभग इतना है, तो जस्ट इन्दिरा गांधी कैनाल का दुगुना पानी है। अगर फर्स्ट फेज में जहां पर सेम आयी हुई है, उस एरिया में उससे पानी कम करके गंग कैनाल तथा भाखड़ा में, भाखड़ा में इससे भी कम है तो सिस्टम में हम बराबर ले आये तो इससे हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी, हमारा क्रोप पेटर्न अच्छा होगा और मैं समझता हूं इससे हमारे किसानों के साथ-साथ सरकार को भी रेवेन्यू बहुत अच्छी आएगी और हम हमारे देश के लिये ज्यादा योगदान कर सकते हैं।

इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम कैनाल की तारीफ कर रहे हैं, सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं तो यहां बहुत बड़ी कैनाल का अन्न में और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। मगर इसके साथ-साथ जब हम बजट देखते हैं तो बजट देखकर हमें बड़ी निराशा होती है। गंग कैनाल जो 1927 में बनकर तैयार हुई थी, पंजाब में 80 किलोमीटर के करीब नहर आती है। वह सारी नहर पुरानी जर्जर हो चुकी है, जगह-जगह से टूट चुकी है। उसमें 2730 क्यूसेक्स की बजाए अभी 2200 से ज्यादा पानी नहीं ले रहे हैं। 2200-2300 क्यूसेक्स पानी ले सकती है और हमारे लोसेज इतने ज्यादा है कि हमारे यहां 1900-2200 क्यूसेक्स के बीच में ही पानी पहुंच पाता है तो पिछले दिनों में काफी कोशिश की गयी। पंजाब के एरिया में पुल वगैरह ऊंचे किये गये मगर फिर भी हम कैपेसिटी नहीं बढ़ा सके। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी कैनाल से हम लिंक नहर बनायी। इन्दिरा गांधी नहर से और गंग कैनाल के बीच में लिंक किया

(श्री जगतार सिंह)

और इन्दिरा गांधी कैनाल भी 12,000 क्यूसेक्स पानी ले नहीं पाती, क्योंकि नहर इन्दिरा गांधी कैनाल भी पंजाब के एरिया में है, फरीदकोट के पास बिलकुल खराब हो चुकी है। जब हम इसका प्लान बजट देखते है, तो गंग कैनाल को सिर्फ चार करोड़ रुपये रखे तो चार करोड़ रुपये से वहां क्या होगा। इन्दिरा गांधी नहर के प्लान का बजट बिलकुल ही निल है तो यह व्यवस्था कैसे ठीक होगी। इसके बारे में मंत्रीजी, आप हमें यह समझाएंगे कि इतने कम पैसे में क्या होगा। आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इन्दिरा गांधी नहर के पंजाब के पोर्शन के रिपेयर के लिये पैसा लें, गंग कैनाल का पंजाब का जो पोर्शन है उसकी रिपेयर के लिये आप पैसा लें और इसके साथ-साथ....

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें। You have taken your time You have taken the priority. नहीं, अब बिलकुल नहीं। अब समाप्त करें।

**श्री जगतार सिंह** : माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण बात चल रही है, प्लीज। मैं बहुत जल्दी खतम कर रहा हूं। ऐसे ही यह हमारे क्षेत्र का बड़ा अहम प्रश्न है।

मैं इसी में आपसे यह निवेदन करूंगा कि रावी का लाखों क्यूसेक्स पानी बहकर पांचना चला जाता है तो माधोपुर के पास लिंक किया गया है और जो पानी पांचना मे जाता है, अगर हम माधोपुर व्यास लिंक को थोड़ा बढ़ाकर उसकी कैपेसिटी बढ़ा लें तो वह पानी व्यास नदी में डालकर हम हरिके पर ला सकते हैं। गंग कैनाल और इन्दिरा गांधी कैनाल का जो पानी पांचना में जाता है, उस पानी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इन मुद्दों पर विचार करें और एरिया की जितनी परेशानियां हैं, पानी की जितनी अव्यवस्था है, उसकी तरफ आप भी ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं, समस्या का समाधान हो जायेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री सभापति** : माननीय श्री भवानी जोशी।

**श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)** : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 में अपने आपको सम्मिलित करते हुए माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना का कोई धणी-धोरी नहीं है। माही परियोजना पूर्णत: अव्यवस्था की शिकार हो रही है। वहां उस चीफ इंजीनियर को लगाया जाता है जिसकी सेवानिवृत्ति में 3-4 महीने शेष रह जाते हैं, उसी व्यक्ति को लगाया जाता है और जो भी चीफ इंजीनियर वहां लगता है, वह बांसवाड़ा की माही परियोजना के डवलपमेंट के बारे में नहीं सोचकर, वह अपनी नौकरी से किसी तरह से सेवानिवृत्ति का समय गुजारे और किस तरह यहां पर भ्रष्टाचार करें, उसी दृष्टिकोण से बांसवाड़ा आते हैं। पिछले तीन वर्षों मे माही की किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनी है, कई कैनालों की

(श्री भवानी जोशी)

मरम्मत का कार्य बराबर नहीं हुआ है और उनका निर्माण कार्य नहीं हुआ है। माही परियोजना में आज तक भी टेल पर पानी नहीं पहुंचता जबकि माही परियोजना क्षेत्र में लगभग 35 से 40 प्रतिशत भाग सिंचित क्षेत्र है लेकिन 15 प्रतिशत भाग में अभी तक पानी टेल पर नहीं पहुंचता। वहाँ के अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, कई बार माननीय मंत्रीजी से मैंने निवेदन किया है कि कमांड क्षेत्र में जो टेल का क्षेत्र है, वहां पानी नहीं पहुंचता है। अगर माही के अधिकारी वहां पानी नहीं पहुंचा सकते हैं, तो उसे नॉन कमांड क्षेत्र घोषित किया जाए। वहां का आदिवासी अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाता है। एक तरफ उनसे लगान वसूल किया जाता है और पानी भी नहीं पहुंचता है, सरकार कमाण्ड क्षेत्र में बिजली की सुविधा नहीं देती है, कुआ गहरा कराने के लिये किसी प्रकार का कोई अनुदान भी नहीं देती है। इसलिये मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आर. एम. सी. में जो अमरजून की घाटी का कार्य पिछले काफी समय से चल रहा है और मुझे विश्वास है, वह इस वर्ष भी पूरा नहीं होगा। अगर इस वर्ष पूरा नहीं हुआ तो माही का पानी आगे नहीं पहुंचेगा और फिर काश्तकार आन्दोलन करेंगे। जिन क्षेत्रों में माही का पानी अभी पहुंच रहा है, वहाँ पर भी कैनालों की हालत ठीक नहीं है, सीपेज से हजारों बीघा जमीन उसर होती जा रही है और काश्तकारों की जमीन बेकार होती जा रही है। माही नहर खोदी है, आनन्दपुरी में नहर खोदी है, उसमें किसानों को अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया और उनकी खातेदारी की जमीन थी वह जमीन खाते में कम कर दी है जिससे काश्तकारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एक निवेदन मेरा यह था कि जन जाति क्षेत्र है और जन जाति क्षेत्र में स्वयं काश्तकार जन सहयोग से कोई लिफ्ट योजना नहीं लगा सकते और न ही सरकार को किसी प्रकार का कोई जन सहयोग कर सकते हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि पूर्णतः अनुदान उन काश्तकारों को दिया जावे और वहाँ पर लिफ्ट योजना चालू करवायी जाए।

बांसवाड़ा जिले में 90 तालाब एवं 10 एनीकटों के निर्माण का कार्य अधरझूल में पड़ा हुआ है। सरकार से धनराशि स्वीकृत नहीं होने के कारण वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि उन तालाबों और एनीकटों के लिये तत्काल राशि स्वीकृत करायी जाए और उन कार्यों को पूर्ण करवाया जाए। कच्ची नहरों को भी पक्की करायी जाये। आसोला के आदिवासी काश्तकार माही के पानी से वंचित है और उनकी जमीन माही की मुख्य नहर से 25 या 30 फीट ऊंची है, वहां भी लिफ्ट लगवाई जाए। जहां जहां लिफ्ट्स चल रही हैं वहां की केनाल टूट गयी हैं और उन केनालों के टूट जाने से सारी जमीन उसर होती जा रही है। उन कैनालों को भी ठीक किया जाए। कोहन, जमतोला,

(श्री भवानी जोशी)

लुहारिया, पालोदा, लसाड़ा एवं ठीकरिया में अभी तक कई जगह पानी नहीं पहुंचा है, वहां पर पानी पहुंचाया जाए।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि माही में जितना भ्रष्टाचार है, मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में इस तरह का भ्रष्टाचार अन्य किसी विभाग में नहीं होगा। अभी यह आया है कि "माही के पांच इंजीनियर्स एवं ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज।" करीब एक करोड़ रुपये का गबन घोटाला वहां पकड़ा गया। उसके बाद वहां के अखबारों ने माननीय मंत्रीजी से यह 17 प्रश्न पूछे हैं। अगर इन 17 प्रश्नों की निष्पक्ष जांच करवा दी जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माही में बहुत बड़ा घोटाला पकड़ में सरकार के पास आयेगा।

आज की तारीख में माननीय मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि आप बराबर बीकानेर की तरफ ध्यान रखते हैं लेकिन माही की तरफ आपका ध्यान नहीं है और माही की तरफ ध्यान नहीं होने से उस जन जाति क्षेत्र में जो काश्तकारों को लाभ पहुंचना चाहिये, वह लाभ नहीं पहुंच पायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर को जैसा समझते हैं वैसा आप बांसवाड़ा को भी समझें।

**श्री देवीसिंह भाटी** : यह कहां के हैं स्टेट मंत्री ?

**श्री भवानी जोशी** : यह स्टेट मंत्रीजी हमारे वहां के हैं लेकिन इनके क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार हुआ और इन्होंने भी मुझे यह कहा कि यह तारांकित प्रश्न आप लगा दें, इस मामले में भ्रष्टाचार है। मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा, जब तक श्री भाटी साहब बांसवाड़ा की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक यह भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता और जिस तरह से इतना बड़ा डैम बना है वह। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : माननीय श्री हरिसिंह (महुआ) (अनुपस्थित)। श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : माननीय सभापति महोदय, सरकार की तरफ से 10 अरब 59 करोड़ 32 लाख रुपये की मांग सिंचाई के सम्बन्ध में, सिंचाई के पानी के सम्बन्ध में प्रस्तुत हुई। मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना है सभापति महोदय, राजस्थान के किसानों के लिये बिजली और पानी दो जीवन रेखाएं हैं और यह रेखाएं जितनी स्पष्ट हों, सुनिश्चित हों और गहरी हों उतना ही राजस्थान का भविष्य सुनिश्चित रहता है और यह रेखाएं अगर धूमिल हुई तो राजस्थान का भविष्य भी धूमिल हो जाएगा। जहां तक पानी का सम्बन्ध है, राजस्थान के अन्दर कुल एक प्रतिशत पानी है जितना भी पानी हिन्दुस्तान के अन्दर उपलब्ध है उसका और यदि कृषि योग्य जमीन आप देखें तो 11 प्रतिशत है। 11 प्रतिशत भूमि के लिये एक प्रतिशत पानी है और उस एक प्रतिशत पानी में

(श्री हरिसिंह)

भी राजस्थान में जो मिलता है वह तो है 158 लाख एकड़ फुट पानी और हमारे इन्टर स्टेट समझौते से हमें मिलता है 134.21 लाख एकड़ फुट पानी। इसलिए मुझे निवेदन यह करना है कि 134.21 लाख एकड़ फुट पानी जो हमको अन्तर-राज्यीय समझौते से मिलता है उस पानी को लेने की हमें समुचित कार्यवाही करनी चाहिये और उसको हमें बड़े प्रभावी ढंग से लेना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं अपने क्षेत्र के अन्दर जो यमुना जल समझौता हुआ है उस सम्बन्ध में अपनी बात शुरू करना चाहता हूं, उसके बाद मैं फिगर्स के ऊपर निवेदन करूंगा।

अभी पिछले साल 12 मई, 1994 को यमुना जल का समझौता हुआ और राजस्थान सरकार ने इस बात का ऐसा प्रचार-प्रसार किया जैसे भरतपुर और अलवर जिलों के लिये कोई आकाश से गंगा उतर कर आ रही है और इतने ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं कि राजस्थान में कभी ऐसा कोई काम हुआ नहीं है, इस प्रकार से उसका प्रचार और प्रसार किया गया। अब मैं....

**श्री परसराम मदेरणा** : धौलपुर को भी सम्मिलित किया था।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : धौलपुर को भी सम्मिलित किया गया है उसमें। यह समझौता हुआ था 12-5-94 को। उसके हिसाब से 1.119 बी. सी. एम. पानी हमको मिलना था। उस समझौते में राजस्थान ने यह लिखने के लिये अपना एग्रीमेण्ट दे दिया कि फिलहाल, क्योंकि इतना पानी अवेलेबल नहीं है इसलिये हम इस पानी को फिलहाल कम करके ले लेंगे और कमी जो हुई वह इस प्रकार से उसमें अंकित हुई—जुलाई से अक्टूबर तक—0.963 बी. सी. एम. पानी मिलेगा, नवम्बर और फरवरी के बीच में .070 बी. सी. एम. पानी मिलेगा और मार्च और जून के बीच में 0.086 बी. सी. एम. पानी मिलेगा। इतने कम पानी की अवेलेबिलिटी हमको होगी, यह इस एग्रीमेंट में हो गया और दूसरे उस एग्रीमेंट में एक बात और लिख ली गयी। उस एग्रीमेंट के अन्दर यह लिखवा लिया, राजस्थान की मरजी से या नामरजी से, मैं नहीं कह सकता, कि उन रियासतों के अन्दर जो पानी है उस पानी में से बिजली बनाने का अधिकार उन रियासतों के लिये होगा। कितना बड़ा अन्याय हुआ है सिंचाई मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

(18.16)

**(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष पदासीन)**

राजस्थान के अन्दर तो नदी का पानी आता नहीं है यमुना का और इस केस के अन्दर हिमाचल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वह इस पानी में बिजली बना सकेंगे और राजस्थान को इस बिजली में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके सम्बन्ध में आपने लिखा-पढ़ी भी की, आपने पत्र भी लिखे लेकिन उन पत्रों का नतीजा क्या हुआ। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आपने केन्द्र सरकार

(श्री हरि सिंह)

को यह पत्र लिखा, मैं समझता हूं उसके बाद क्या स्थिति है, सरकार इस बात पर बिलकुल साइलेंट है। इसके अतिरिक्त ब्रिगेडियर या कमाण्डर श्री सिन्हा, उसकी जो रिट चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के अन्दर, उसका भी जहां तक मैंने सुना है, कुल ऐसा फैसला हो गया है कि राजस्थान को पानी जितना उसका हिस्सा है वह भी तब मिलेगा जबकि दिल्ली की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। पहले तो जो हिस्सा मिलना था उसमें कमी हो गयी, उसके बाद और कमी हो गयी। तो अब मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इस सब माहौल के अन्दर राजस्थान सरकार यमुना का जो इसका हिस्सा है उसको लेने के लिये क्या प्रयास कर रही है। न यह बात आपने बजट स्पीच में बतायी, न यह बात आपने गवर्नर एड्रेस में बतायी और न यह बात आपने प्रगति विवरण में बतायी। अब आप और देखें। जैसे आसमान से लटक कर खजूर में आ गये। उसके बाद अब जब पानी हमको मिल रहा है, पानी उतना मिल नहीं रहा जितना कि इसमें लिखा है—0 86। इससे भी हमको कम मिल रहा है। सिंचाई मंत्री महोदय, इस समझौते से पहले जो हमको पानी मिल रहा था वह ज्यादा मिल रहा था। मैं आपको आपके फिगर्स बताता हूं। 1990 में हमको गुड़गांव कैनाल से मिला था—19987 क्यूसेक्स डेज पानी, 1991 में मिला—8185 क्यूसेक्स डेज पानी, 1992 में मिला—15794 क्यूसेक्स डेज पानी, 1993 में मिला—15798 क्यूसेक्स डेज पानी, 1994 में मिला—9627 क्यूसेक्स डेज पानी और 1995 में मार्च तक मिला है—496 क्यूसेक्स डेज पानी। अब आप देखिये, समझौते का पालन कराने में राजस्थान सरकार कितनी विफल हो रही है। भरतपुर फीडर की मैं आपको बताऊं-1990 में मिला —11237 क्यूसेक्स डेज पानी और 1995 में मार्च तक—निल।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, इतनी तो पानी की अवेलेबिलिटी है और जो पानी मिल रहा है वह कम मिल रहा है हमको। आप जाकर देख लेना उसके अन्दर, दिल्ली का उसमें एफ्लुएंट हमको मिल रहा है। दिल्ली का जो गन्दा पानी है वह यमुना के पानी में मिल करके भरतपुर फीडर के अन्दर आ रहा है। दिल्ली की जो इण्डस्ट्रीज हैं, उनका काला पानी इसके अन्दर आ रहा है। मैं सिंचाई मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, कम से कम दिल्ली का मल-मूत्र तो उधर रोक सकें तो रोक दें। पानी अगर आप साफ नहीं ला सकते हैं तो कम से कम दिल्ली का सीवरेज तो उसके अन्दर नहीं आये, इतना तो प्रबन्ध कर सकते हैं और जो हमारा हिस्सा है जिसके लिये हमने आपकी वाहवाही की है, पूरे राजस्थान ने आपको मालाएं पहनाई इस काम के लिये, उसमें हमारा जो हिस्सा है, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाए या किसी और कचहरी के अन्दर जाए, वह जाकर दिलायें दिलायें आप हमारे लिये और आप क्या

(श्री हरिसिंह)

कर रहे हैं, इससे हमको अवगत करायें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था, यमुना के पानी के अलावा, अगर पानी मिल भी जाए। हमारे लिए पूरा पानी, आपने उसके लिए कोई प्रबन्ध कर रखे हैं क्या लेने के लिए, मैं दो साल से इस बात को निवेदन कर रहा हूं कि अगर इतना पानी, 1.11 बी. सी. एम. पानी आने लग जाए, उसको रखने के लिये उसको लेने के लिये आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया सिवाय इसके कि एक चिट्ठी आपको चली गयी कि हमने वेपकोस मे सर्वे करने के लिये 5 लाख रुपये का एग्रीमेंट कर लिया है। इससे क्या बनता है, यह तो आप देख लीजिये। पहले पानी लाने के लिये गुड़गावा नहर है और भरतपुर फीडर है। इन दो के अन्दर पानी गुड़गावा नहर के अन्दर पानी हमको पांच सौ क्यूसेक्स मिलना चाहिये और भरतपुर फीडर के अन्दर तीन सौ क्यूसेक्स पानी मिलने की बात थी और गुड़गांव नहर की स्थिति जो हो गयी है वो यह है गुड़गाव नहर आपके हरियाणा होकर के और राजस्थान के अन्दर पानी लाती है। इस नहर में 17 सो क्यूसेक्स पानी तो आएगा हरियाणा का और पांच सौ क्यूसेक्स पानी आएगा राजस्थान का। 2200 क्यूसेक्स पानी इस नहर के अन्दर चलना चाहिये और एट ए टाइम चलेगा, क्योंकि फसल का समय एक ही होता है हरियाणा में भी फसल को पानी की जरूरत पड़ती है और राजस्थान में भी उस समय जरूरत पड़ती है पानी की। इस 2200 क्यूसेक्स पानी नहर में लाने की क्षमता अगेंस्ट में इस समय केवल 400 क्यूसेक्स पानी लाने की क्षमता है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कहते हैं चेयरमैन, वाटर कमीशन ऑफ इण्डिया और उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया 17-4-1992 को और अभी तक राजस्थान और हरियाणा के बीच में 17-5-1992 को, आज से चार साल पहले जो मीटिंग हुई उस मीटिंग की मैं आपको प्रोसीडिंग पढ़कर सुनाता हूं :--

"Gurgava Canal in Haryana portion.--This portion of the canal is also badly silted up and its capacity has been reduced to 400 as against designed discharge of about 2200 cusecs."

2200 क्यूसेक्स के स्थान पर गुड़गाव कैनाल की कैपेसिटी 400 है। उसके अलावा आप हरियाणा के अन्दर देखिये जो लिक चैनल है, उसके लिये यह लिखते हैं कि :--

"Rajasthan Link Channel constructed by Haryana in its territory is exclusively meant for Rajasthan's share of Yamuna waters through Gurgava Canal. However, it has been noticed that unauthorised outlets have been given in Haryana territory."

हमारी चैनल है, हमने पैसे से बनायी है राजस्थान लिंक चैनल और उसमें हरियाणा वालों ने तमाम आउटलेट्स बना

(श्री हरिसिंह)

रहे हैं, अपनी सिचाई कर रहे हैं उससे। वही हाल भरतपुर फीडर का है। भरतपुर फीडर की भी स्थिति यह है कि उसके अन्दर तीन सौ क्यूसेक्स के स्थान पर तो क्यूसेक्स पानी भी नहीं आ सकता और उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है। इस सिस्टम के लिये पानी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसमें मुझे निवेदन यह करना है कि अगर आप यमुना का पूरा पानी लेना चाहते हैं तो आपको गुड़गाव नहर के स्थान पर एक इंडिपेंडेंट चैनल बनानी होगी जिसमें होकर के आप पानी लायें और वो चैनल आज तो बहुत ही साइंटिफिक हो गया है, या तो आप उसको अण्डरे ग्राउंड चैनल बनायें या पाइप सिस्टम से लायें या कवर्ड करें उसको, अन्यथा पानी अन्य स्टेटस आपको लेने नहीं देंगे, न यू. पी. लाने देगा और न आपको हरियाणा लाने देगा और यह निवेदन मैं कई साल से करता हुआ चला आ रहा हूं। इसके अलावा यह जो और कैनाल्स हैं हमारी इनकी डी-सिल्टिंग आप करायें अन्यथा हालत हमारी यह होगी कि जो पानी हमको मिलना चाहिये वो भी नहीं मिल पाएगा। अभी तो पेयजल की समस्या है। आप पेयजल के बजट को इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। यह मैं आपसे निवेदन करके चलना चाहता हूं।

अब फलड्स के बारे में बात करना चाहता हूं। आपसे मैं ...

**श्री अध्यक्ष** : कृपया थोड़ा सा जल्दी फरमायें।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : बहुत जल्दी बोल रहा हूं साहब, ज्यादा जल्दी बोलूंगा तो समझ नहीं पाएंगे सरकार आप भी। तो मैं कह रहा था फ्लड्स के सम्बन्ध में कि यह राजस्थान में ऐसी बात नहीं कि हमारे भरतपुर के अन्दर पहली बार फ्लड आया हो। पहले भी फ्लड्स आये हैं और फ्लड्स के बारे में प्रपोजल्स आते हैं लेकिन बदकिस्मती भी हमारी यह है कि हम पूर्वी राजस्थान के निवासी हैं और पूर्वी राजस्थान के निवासी होने के नाते वर्तमान सरकार हमारे लिये जो काम करना चाहिये वो कर नहीं रही है। मुझे यह कहने के अन्दर। (व्यवधान)

**श्री परसादी लाल मीणा** : पूरे राजस्थान की उपेक्षा कर रहे हैं।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : उपेक्षा कर रहे है, जो काम करना चाहिये वो नहीं कर रही हैं। क्षमा करेंगे मुझे आप। यहां तक कि यह अप्रेल 1979 के अन्दर, सिचाई मंत्री जी, मास्टर प्लान फोर फ्लड कंट्रोल वर्क्स इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट बना। यह पुस्तक आपके पास भी होगी और उसमें से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय बड़ी डिटेल में सर्वे करके कुछ प्रपोजल्स फ्लड कंट्रोल करने के लिये दिये गये थे और उनमें से आपने एक काम भी नहीं किया है। देखिये आप :-

"To find solution to the problem of floods, one of the following suggestions is to be considered :--

1. to increase the discharge capacity of Kaman Pahari Drain.

(श्री हरिसिंह)

पहली बात उन्होंने कही है कि कामां पहाड़ी ड्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा दीजिये आप। दूसरा कहते हैं वो :-

"by constructing an independent Drain in Rajasthan."

अब जो गोवर्धन ड्रेन है वो 10 जगह से यू. पी. के अन्दर जाती है। यू. पी. वाले उसको हमारी तरफ तोड़ देते हैं। कभी वे पी. ए. सी. लगाते हैं, कभी हम आर. ए. सी. लगाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि पानी जिस वक्त निकलना चाहिये उतना डिस्चार्ज नहीं होता। आज हालत यह है कि यू. पी. वालों ने गुड़गाव का जो डिस्चार्ज है उसको साफ नहीं कर रखी है और उसकी वजह से पानी निकल नहीं रहा है वहां पर। वो कहते हैं कि हमारे गांव डूब रहे हैं और हमारे एरिये के अन्दर गुड़गावा कैनाल सूख रही है। इसमें दूसरा सजेशन उनका यह है कि--"by constructing an independent Drain in Rajasthan."

तीसरा सजेशन यह है कि--"by remodelling Kaman Pahari Drain for 67.71 cusecs."

चौथा सजेशन यह है कि--"by increasing the capacity of Gowardhan Drain, increasing the wideth only by restoring the pumping operation from Kaman Depression to the. tune of about 28 32 cusecs." आपको कामां पहाड़ी ड्रेन और गोवर्धन ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, उसकी विड्थ बढ़ानी होगी और उसका बैल्ट गहरा करना होगा। यह 4-5 उन्होंने सजेशंस दिये थे, उस सम्बन्ध में कोई काम नहीं हुआ। और नतीजा वहीं का वहीं है।

इसके अतिरिक्त जैसा कि श्री अरुण सिंह जी साहब कह रहे थे कि जो पुराना सिस्टम है उसको ठीक करने के लिये भी आपने कोई प्रयत्न नहीं किये। हॉस्म कैनाल की आपने सफाई नहीं की. आपने जो बंध बने हुए थे उनको ठीक नहीं किया, दो काम आपने ये नहीं किये और आज भी 29 या 30 तारीख को एनाउंसमेन्ट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि फ्लड से जो टूटी हुई चीजें हैं, उनको त्वरित गति से ठीक करने के लिये राजस्थान भर की मशीनरी वहां पर लगा दी है। आपने कहा कि हमने इन्दिरा गांधी कैनाल से वहां पर मशीनरी लगा दी है, आपने कहा कि हमने सी. ए. डी. की मशीनरी वहां लगा दी है, आपने कहा कि हमने बीसलपुर की मशीनरी वहां लगा दी है और आपने कहा कि हमने सिंचाई डिपार्टमेंट को लगा दिया है। चार-चार बड़े महकमे सिंचाई डिपार्टमेंट के भरतपुर के अन्दर जो टूटे बांध हैं भरतपुर के अन्दर जो ड्रेन टूटी हुई है उसको ठीक करने के लिए लगा दिया है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं सिंचाई मंत्री महोदय कि गोवर्धन ड्रेन जिसके अन्दर 10-12 कट्स हुए थे उनमें से एक भी अभी तक ठीक किया है ? मैं खुद देख करके आया हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर पांच कट्स हैं गोवर्धन ड्रेन के अन्दर। यू. पी. के कट तो यू. पी. करेगा।

(श्री हरिसिंह)

यू. पी. के चीफ सेक्रेटरी ने जाकर उस ड्रेन का इंस्पेक्शन किया और उन्होंने वहां पर एक एस. ई., एक्स. ईएन. और अपनी फोर्स लगा रखी है। मैं ताज्जुब में पड़ गया, सकते में पड़ गया कि यू. पी. की वहां पुलिस पर लगी हुई है राजस्थान के अन्दर और हम उसको जाकर देख ही नहीं सकते। हमारे एरिये के अन्दर वो कूट बन्द कर रहे हैं, कट बन्द करने से हमारे गांव सांतरूं में पानी भरेगा। मैंने जिलाधीश को निवेदन किया, मैंने चीफ इंजीनियर को निवेदन किया कि अगर हमारा कट जो पानी ले जा रहा है सांतरूं के अन्दर वो पहले बंद नहीं हुआ और यू. पी वालों ने पहले बंद कर दिया तो हमारे गांव बह जायेगा। हमारे गांवों में पानी भर जायेगा। वो तो उन्होंने बन्द कर दिया पहले लेकिन किस्मत हमारी अच्छी थी, क्योंकि आज सिस्टम ऐसा है कि आगे गोवर्धन ड्रेन में पानी नहीं निकल रहा है वहां के झाड़-झंकरों से रुका हुआ है पानी। उनको जो बनाया हुआ था वो टूट गया। यह काम सी. ए. डी. वाले अभी तक नहीं कर पाये। जहां तक ताका का कट है वहां पर तो एक बोरा नहीं लगा है अभी तक। पता नहीं, पूछ लीजिये अपने चीफ इंजीनियर से। आज सुबह 8 बजे तक तो ताका को कट को ठीक करने के लिये एक बोरा उसके अन्दर गया नहीं, कोई गया नहीं था, काम करने के लिये, काम कहां मैं पूरा हो। पानी चारों तरफ हो रहा है। यह जब स्थिति है यह प्रोग्रेस है आपकी। इतनी सब मशीनरी लगाने के बाद में अगर सिंचाई डिपार्टमेंट को ही आप छोड़ देते तो हालत क्या होती? मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि कृपा करके कोई ऐसा काम करें कि एनाउंसमेंट के साथ-साथ ही उस काम को क्रियान्वित करने के लिये आप सोचें।

दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय तो आपने इन्क्वायरी की घोषणा कर दी लेकिन इंक्वायरी तो आप करते रहना लेकिन कम से कम अपने महकमे वालों को यह तो कह दो कि पानी आने से पहले अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो गांव वालों को रास्ता तो दे दे। नगर के अन्दर जब पानी चला, तो भरतपुर का प्रशासन यह पूछ रहा था कि पानी नगर से दो दिन पहले इतना चला तो चला कहां गया? आ क्यों नहीं आ रहा है भरतपुर के अन्दर? लोगों ने कहा कि पानी तो आ जायेगा लेकिन कुछ इन्तजाम करिये उसे लाने का। तो बजाय इन्तजाम करने के वो सकते में थे, ताज्जुब में थे कि पानी रह कहां रहा है। दो दिन तक पानी आगे क्यों नहीं आ रहा है भरतपुर के अन्दर? यह बाट देख रहे थे ...

**श्री अध्यक्ष** : कृपया, माननीय सदस्य।

**श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : यह मैंने फ्लड के बारे में निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में। कृपा करके आप हमारे मास्टर प्लान के मुताबिक और जो मैंने निवेदन किया है उसके मुताबिक काम करें।

(श्री हरिसिंह)

दूसरा, हमारा जो पानी खारी नदी के अन्दर जाता है उसमें खारी नदी में जाने के लिए भी इस समय 17 हजार क्यूसेक्स पानी जाने की कैपेसिटी है उसकी। 17 हजार क्यूसेक्स पानी से काम चलता नहीं, क्योंकि अभी जो पानी आया है वो ज्यादा पानी आया है इसलिये कैपेसिटी उसकी आगे बढ़ानी होगी। होम्स कैनाल जो कि 1867 के अन्दर बनी है, केप्टन होम्स ने बनायी थी, खो डिफ्लेशन से भरतपुर तक पानी लाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी और उसको बजाय मोती झील टूट गयी है आपकी। मोती झील टूटने से भरतपुर शहर के अन्दर पानी आ गया। अगर मोती झील नहीं टूटती तो भरतपुर शहर के अन्दर पानी नहीं आता। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि होम्स कैनाल को सीधी आप एस्केप चैनल से मिला दें जो कि पानी बाहर-बाहर होकर के खारी नदी के अन्दर ले जाती है। एक सजेशन मेरा यह है आपसे।

श्री अध्यक्ष : मदान साहब।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मैं निवेदन कर रहा था आपको, इंटर स्टेट समझौते की बात कर रहा था तो रावी-व्यास-सतलज नदियों के समझौते के बारे में....

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : दो मिनट लूंगा। मैं यह कह रहा था कि हमारा जो 1984 के अन्दर एग्रीमेंट हुआ 1.6 एम. ए. एफ. पानी का हिस्सा हमको अवेलेबल था उसमें से हमने 7.55 इन्दिरा गांधी नहर के अन्दर लेते है। जिसमें यह हुआ कि .6 एम. ए. एफ. पानी पंजाब को आपने जब तक हम अपना कोई सोर्स बनायें पानी लेने का, पंजाब उसको ले सकता है। अब 1984 से लेकर आज 12 साल हो गये। 12 साल के अन्दर आपने क्या कार्यवाही की है उस .6 पानी को लेने के लिये ? वैसे बहुत इस मामले में सुना करते थे, वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय कहते थे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री बाहर जाकर घूटने टेक देते हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री पानी को लेने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि .6 पानी लेने के लिये आपने क्या किया ? सिद्धमुख परियोजना आपकी बनी हुई है, अलग से पानी लेने के लिये सीधा पानी जाने के लिये आपने क्या कार्यवाही की ? एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं और इसके अलावा बड़े जोर से यह बात कही जाती थी कि राजस्थान की बिजली का इंट्रेस्ट हमारे पांच प्रोजेक्ट्स में बना हुआ है। हरीके, रोपड़ और फिरोजपुर हैड वर्क्स का कंट्रोल अभी भी पंजाब के पास में है। इसको राजस्थान में लेने के लिये आपने क्या कार्यवाही की है और पांच बिजली के प्रोजेक्ट्स में आपने शेयर लेने की क्या कार्यवाही की है ? अगर आप केन्द्र सरकार से नहीं ले सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे है ? बहुत कहा करते थे आप गांधी सागर डेम के कैचमेंट एरिया के अन्दर मध्य प्रदेश ने इंटरसेप्शन कर रखा

(श्री हरिसिंह)

है। उन्होंने अपने बांध बना रखे हैं। उनको राजस्थान सरकार क्यों नहीं तुड़वाती है ? अब मै आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने 4-5 साल के अन्दर क्या कार्यवाही की है और मध्य प्रदेश सरकार से क्या बात की है ? अगर आप उनको नहीं तुड़वा सकते हैं तो आप क्यों नहीं अदालत के इस सम्बन्ध में दरवाजा खटखटाते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : कृपया अब आप समाप्त करें।

**श्री हरिसिंह** कुम्हेर) : श्रीमन् मैं तो सिर्फ संक्षिप्त में अपनी बात कर रहा हूं कि हमारे कुम्हेर क्षेत्र के अन्दर यह जो भरतपुर फीडर का सिस्टम है उसकी दो तीन कैनाल हैं, किलकिन का माइनर हैं, सजोला माइनर हैं, कृपा करके उसकी जो सिल्टिंग हैं उसको भरवायें उसको मिलायें और उस सिस्टम को इस प्रकार से मिला दें कि पूरा पानी जितना भी आये, बरसात के अन्दर पानी ज्यादा आता है वह बरसात का पानी चारों तरफ फैल जाए। यह मैं निवेदन कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मदान साहब।

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : अब फ्लोट का जो कटा हुआ हिस्सा है, गोवर्धन ड्रेन एक कटा हुआ हिस्सा है, होम्स कैनाल का भी कटा हुआ हिस्सा है उसे कृपा करके अपने महकमों को इतना सख्त इंस्ट्रक्शंस दें कि वो जल्दी से ठीक हो सके। अन्यथा आज भी हमारे कई गांव आप चलकर देख सकते हैं। श्री देवीसिंह जी साहब, सांचरक हैं, ताखा हैं, हम आज भी पानी के अन्दर हैं। उनको पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप इस सिस्टम को ठीक करायेंगे तो हम बहुत-बहुत अहसानमंद होंगे। धन्यवाद, जय हिन्द।

**श्री देवीसिंह भाटी** : कल सुबह ही मैं इरिगेशन सैक्रेटरी, स्पेशल सैक्रेटरी को यू. पी. वालों से बात चीत करने के लिये मौके पर जाने के लिये निर्देश दे रहा हूं।

**श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई की दृष्टि से प्रदेश कितना आगे बढ़ा है उसका आकलन और विश्लेषण करने के लिये सारा सदन उत्सुक है और उसमें मैं भी अपनी भूमिका निभाने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, आज प्रांत की जो स्थिति है उसके बारे में केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा प्रदेश आज सारे भारत के भूभाग का 10 प्रतिशत से ज्यादा अपने आंगन में समेटे है। पानी की उपलब्धता के बारे में यदि मैं विचार करता हूं तो एक प्रतिशत ही पानी आज इस धरती के अन्दर है। लेकिन फिर भी उसका कितना अधिक से अधिक उपयोग हम कर सकें और अच्छा उपयोग कर सके, इसका चिन्तन और मनन करना मेरे अकेले का ही नहीं,

(श्री अर्जुनदास मदान)

बल्कि इस पवित्र सदन के सभी सदस्य का कर्तव्य हैं, उद्देश्य हैं।

मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री महोदय से भी मैं बहुत साधारण भाषा में निवेदन करना चाहूंगा कि, मान्यवर, मेरा तो केवलमात्र इतना ही आग्रह है कि सबसे पहले तो जितनी इस प्रांत को स्वावलम्बी बनाने की क्षमता भगवान ने आपको दी है, अपने तन की, अपने मन की और अपने इस प्रांत के धन की शक्तियों को बटोरकर आप जितना इसके विकास में अग्रसर हो सकते हैं, आप होवें। मंत्री तो बहुत लोग बनते हैं, मान्यवर, लेकिन इतना मैं निवेदन कर सकता हूं कि मंत्री तो बहुत बनते हैं लेकिन इतिहास बहुत कम मंत्री बनाते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि शायद आप इस इतिहास में एक नया परिचय जोड़ने में सक्षम होंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है और प्रार्थना है।

मान्यवर, आज मैं देश के बारे में यदि कल्पना करूं और आपके विचार अपनी ओर आकर्षित करूं तो मैं पाता हूं कि आज हम केवलमात्र सिमट गये, विचारों में इतना संकुचन आ गया, विचारों में इतना बौनापन आ गया कि हम केवलमात्र अपने आधार पर, केवल मात्र राज्यों के हितों की रक्षा के लिए हम सोच करते हैं लेकिन राष्ट्रीय हितों की ओर कोई चिन्तन और मन्थन आज यह समाज नहीं कर रहा है। देश में बेरोजगारी है, देश में गरीबी है, देश में बढ़ती आबादी है, देश में जल संसाधनों का बंटवारा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज न तो कोई देश का ऐसा नेतृत्व है जो एक विश्वास के साथ सम्बल बनकर इस देश में सामने खड़ा हो सके और ऐसे राष्ट्रीय हितों के ऊपर कोई चिन्तन और मंथन करके एक नयी दिशा दे सके तो मुझे लगता नहीं। हम अपने स्वार्थों में और क्षेत्र तक के साधनों में हम इतना जकड़ चुके हैं कि हम अपनी सीमा से बाहर जाने में कोई विचार ही नहीं करते।

मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा फरवरी, 1996 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की एक बैठक हुई। दुर्भाग्य है इस देश का कि 9 वर्षों बाद तो बैठक हुई और उस पर केवल मात्र यह निर्धारण करना था कि देश में जितने भी जल संसाधन हैं उनका किस प्रकार बंटवारा किया जाय, क्योंकि किसी राज्य की यह सम्पत्ति नहीं है, राष्ट्र की सम्पत्ति है। माननीय मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंहजी शेखावत का सानिध्य भी वहां हम लोगों को प्राप्त हुआ। किन्तु मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विवाद को हल करने के लिए सारे मंत्री इकट्ठे हुए थे, सारे मुख्य मंत्रियों का अखाड़ा वहां जमा हुआ था, स्थिति यह हो गयी कि उस विवाद को निपटाने के लिए मुख्य मंत्री नये विवादों में फंस गये। जयललिता जी अपने प्रांत की बात की बात करने लग गयी, देवेगौड़ाजी जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे कर्नाटक के वे अपने हितों की रक्षा की बात करने लग गये। परिणाम यह हुआ कि 9 साल बाद आयोजित होने

(श्री अर्जुनदास मदान)

वाली यह जल संसाधन की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक एक बार फिर धूमिल हो गयी और कोई विश्वास इस समाज को नहीं दे सकी।

मैं इतना ही आपसे निवेदन करता हूं कि आज राष्ट्रीय राज्यों के हितों को तिलांजलि देकर हम राष्ट्रीय हितों के ऊपर विचार करने के लिये आज किसी न किसी व्यक्ति को, कोई न कोई सम्यक नीति निश्चित रूप से बनानी पड़ेगी। हमें एक आचार संहिता तो तय करनी पड़ेगी। चाहे राजनीति दल अपने अखाड़ों में कुछ भी करें, चुनाव तो आएंगे और चले जाएंगे, चुनाव में कोई लड़ेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही सदन के साथी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश में कोई एक सम्यक नीति नहीं है, कोई एक आचार संहिता का निर्धारण हम नहीं कर पा रहे हैं कि इस देश को हम किधर ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि आज प्रांतों के बंटवारे पर, नगरों के बंटवारे पर, पानी के बंटवारे पर प्रांत-प्रांत के बीच में एक द्वेषता है, एक दुर्भावना है।

आज मैं यह मानता हूं कि बहुत बड़ी तरक्की की है आज इस प्रांत ने। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आजादी से पहले आज राजस्थान का चित्रण यदि मैं देखता हूं तो मुझे लगता है, मान्यवर, कि लोग सोचते थे कि राजस्थान एक ऐसा प्रांत है हिन्दुस्तान के बीच में, जहां पर पीने का पानी नहीं है, कोई सड़क जाने को नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक सोचते थे कि पेट की पूर्ति के लिये, इस उदरपूर्ति के साधन जुटाने के लिये भी कोई संसाधन है कि नहीं। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था इस राज्य के सामने। किन्तु आज मैं किसी एक सरकार को श्रेय नहीं देना चाहता कि सारी का सारी जयश्री कोई भारतीय जनता पार्टी ने ले ली और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं यह जानता हूं कि तत्कालीन सरकारों और वर्तमान सरकार ने भी आज इस प्रांत को इस मानचित्र के ऊपर एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां राजस्थान के प्रति थोड़ा लोगों के मन में आस्था बढ़ी है, कुछ विश्वास बढ़ा है। आज जल संसाधनों का उपयोग भी आपने किया। यही कारण है कि आज यदि हम देखें कि आज प्रांत के अन्दर अगर 1980-81 की तुलना 1994-95 से करता हूं तो मैं पाता हूं कि तिलहन में जो 3·9 लाख टन का प्रोडक्शन था वह बढ़कर 32·46 लाख टन हो गया, अर्थात् 734·44 प्रतिशत की अभिवृद्धि हमने इसमें की। सरसों में हमारा प्रथम स्थान हो गया पूरे राष्ट्र में। सायाबीन में हम तीसरी पोजीशन पर आ गये। कपास में 177·81 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और छठे स्थान पर हम आ गये। इस तरह से मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि निश्चित रूप से हम आगे बढ़े हैं लेकिन फिर भी इस पर विचार करना होगा कि हम अभी और क्या कर सकते हैं।

(श्री अर्जुनदास मदान)

मैंने जैसा निवेदन किया कि सबसे पहले तो केवल अपने साधनों पर विश्वास करना होगा। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास करके चलता है, मेरा इतना ही निवेदन है, मान्यवर मैं मानता हूं कि उसका आत्म-बल इतना होता है उसके स्वयं का विश्वास इतना होता है कि वह किसी का सहारा ढूंढने की कभी कोशिश भी नहीं करता। इसलिये मंत्री महोदय से मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि जितने साधन उपलब्ध हैं और जो साधन हम दूसरे माध्यम से ले सकते हैं इस प्रांत के लिये, उन सारे साधनों को इकट्ठा करके इस प्रांत के विकास में और इस प्रांत की सिंचाई में हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह हम करते चले जाए।

अब मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां से मैं आता हूं चम्बल हाड़ौती का अंचल, उस अंचल में आज चम्बल परियोजना में केवल 6 पंचायत समितियां ऐसी हैं जो जल पूर्ति का साधन करती हैं उसमें तीन पंचायत समितियां कोटा जिले की हैं एक पंचायत समिति बारां की है और और दो पंचायत समितियां बून्दी जिले की हैं इसके बीच में जो कुछ भी आती है वह भी मैं जानता हूं। आज मंत्री महोदय कई लोग कोटा के बैठे हैं। मुझे वह दिन भी याद है जब यह चम्बल परियोजना नहीं आयी थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि धरती के मालिक धरती के मालिक बनने से सकुचा रहे हैं। जब कर्जा लेने के लिये पटवारी जाता था और उसके लिये कहता था कि आप लगान के पैसे दो तो वो आदमी जमीन के मालिक तक नहीं बनते थे, क्योंकि कोई ही नहीं थे, कहीं उपज नहीं थी। किन्तु आज चम्बल परियोजना के माध्यम से निश्चित रूप से खेत लहलहा रहे हैं। किसानों का विश्वास बढ़ा है, जीवन के तौर-तरीकों में निश्चित रूप से विकास हुआ है और विस्तार हुआ है।

लेकिन उसके उपरान्त भी आज कोटा के बीच में जितनी भूमि हैं, जहां पर चम्बल परियोजना है, उसकी सिंचाई के अन्तर्गत केवल मात्र जितनी भी सिंचाई सघनता की मान्यता लेकर जो 76 प्रतिशत की रूपरेखा हमने बनायी थी, आज उसके भीतर 108 प्रतिशत सिंचाई कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है और मैं उसके लिये जिन लोगों का भी योग है, उन्हें अपना धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा।

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करता हूं, ठीक है विकास हुआ चम्बल की योजनाओं में। लेकिन उसका रख-रखाव आज बहुत ढीला है। मुझे ध्यान है जब देश के बंटवारे के बाद मैं छोटा था। वहां से पाकिस्तान से चलकर यहां हिन्दुस्तान में आया। आर्थिक स्थिति परिवार की इतनी अच्छी नहीं थी। मेरा पायजामा एक बार फट गया और मेरी माताजी ने मुझ से कहा कि तू पायजामा खोलकर दे दे तो हम एक टांका इसके ऊपर लगा दें। मैंने कहा लगा देना

(श्री अर्जुनदास मदान)

माताजी। वह बोली कि नहीं बेटा अगर मैं आज यह एक टांका नहीं लगाऊंगी तो विश्वास कर आने वाले दिनों में मुझे 9 टांके लगाने पड़ेंगे तेरे पायजामे में। मैं निवेदन केवल मात्र इतना करना चाहता हूं कि स्थिति यह भी थी....

श्री अध्यक्ष : एक टांका 9 टांकों को सेव करता है। One stitch in time saves nine.

श्री अर्जुनदास मदान : इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि एक टांका अगर आप आज बचाना चाहेंगे तो आने वाले दिनों में आपको 9 टांके लगाने पड़ेंगे। मंत्री महोदय, रख-रखाव के ऊपर आज जितनी वितरिकाएं हैं, कौन इसकी चिन्ता करेगा? कोई चिन्ता नहीं करने वाला है। इसलिये जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मंत्री तो बहुत बनते हैं, इतिहास बहुत कम मंत्री बनाते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप इतिहास बनायेंगे अपने क्षेत्र में। एक और निवेदन कर देना चाहता हूं मान्यवर, आज जैसे एक कहावत है कि "आगे दौड़ पीछे छोड़।" आदमी आगे तो भागता है और पीछे की चिन्ता ही नहीं करता। आप नयी-नयी नहरें बनाते हैं लेकिन पुरानी के रख-रखाव की चिन्ता कौन करेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आदमी नहीं करने वाला। आपके बजट में निश्चित रूप से प्रगति हो रही है। लेकिन प्रगति का आकलन, प्रगति का चित्रण, प्रगति का विश्लेषण बैठकर आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम तो केवल मात्र अपनी बात कहकर बैठ जाएंगे। आपसे तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी परिस्थितियां इस प्रान्त के अन्दर आज हैं उनका अधिकतम उपयोग अच्छे से अच्छा कैसे हो सकता है, यह आपके विचारणीय प्रश्न हैं। मैं मेरे क्षेत्र की दो योजनाओं के बारे में भी आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय निवेदन करना चाहता हूं चम्बल परियोजना की दांयी मुख्य नहर और इधर से अलनिया डैम के बीच में मेरे क्षेत्र के 10-12 गांव हैं। उन 10-12 गांवों में मैं ज्ञानसिंह जी चौधरी जी को ले गया, वे भी देख आए। वहां के कलक्टर ने न जाने कितनी यात्राएं कर लीं। इसके बावजूद माननीय श्री देवीसिंह जी भी पधारे थे। इनको भी मैं ले गया। मेरे निवेदन पर मेरी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की और वहां गये और जाने के बाद इन्होंने देखा स्थिति क्या थी। मान्यवर, आज वे दो नहरों के बीच में बसे हुए बारां के 14 गांव, आज केवल मात्र वहां की धरती प्यासी नहीं है, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि पानी पीने के लिये भी लोग प्यासे हैं। जाने से हुआ क्या। मेरे पर तरस तो सबने खाया, सहानुभूति भी सबने प्रकट की, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। मुझे उस शायर का एक शेर याद आ जाता है—

"साहिल के तमाशाही अफसोस तो सब करते हैं, इमदाद नहीं करते।"

आपने अफसोस तो किया मेरे ऊपर लेकिन

(श्री अर्जुनदास मदान)

मेरी इमदाद नहीं की और आज उसी इमदाद के लिये मैं आपसे याचना, प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं तो निश्चित रूप से मुझे दूसरा शेर कहना पड़ेगा--

"उम्मीदे वफा तुम से होगी जिन्हें होगी,
मुझे तो देखना है यह कि तुम जालिम कहां तक हो।"

**श्री अध्यक्ष** : विराजें आप।

**श्री अर्जुनदास मदान** : मान्यवर, मैं केवल मात्र इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अहारी साहब।

**श्री अर्जुनदास मदान** : मान्यवर, मैं जब-जब भी गया, मेरे से यह कहा गया कि सब पानी का बहाव है। मैं चित्रण रखना चाहता हूं। जो लोग मेरी को सुन रहे हैं, मंत्री महोदय भी सुन रहे है कि जब यह चम्बल परियोजना बनी थी तो उस समय, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 3·2 मिलियन एकड़ फुट पानी की उपलब्धता के बारे में हमने विचार किया था और ऐसा सोचा था कि 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हम कर पाएंगे। इस 3·2 मिलियन एकड़ फुट पानी के बीच में 1·6 तो हमारी पांती में आया और 1·6 एम. पी के खाते में चला गया। लेकिन आज अगर 7 लाख एकड़ भूमि का सिंचन करना था उसके स्थान पर हम 5 लाख 68 हजार एकड़ भूमि का सिंचन कर रहे हैं। आपने योजनाएं और भी बना लीं। मैं तो किनारे पर बैठा हूं। मेरे क्षेत्र में तो दोनों और नहर है। चाहे वह राइट मैन कैनाल हो, चाहे एल.एम.सी. हो चाहे आर.एम.सी. हो चम्बल परियोजना की। दोनों मेरे विधान सभा क्षेत्र में होकर जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैं प्यासा हूं। इस पड़ोसगारी में आगे के लोग तो जीम रहे हैं, खा रहे हैं लेकिन मैं पास में बैठा हुआ हूं, मेरी किसी को चिन्ता ही नहीं है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो यह परिस्थिति ऐसी है ...

**श्री परसराम मदेरणा** : आप दो पाटन के बीच में आ गये है। "दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय।" आज आपका भाषण फिलोसोफर अरस्तू के लेबल का है।

**श्री अर्जुनदास मदान** : एक मैं निवेदन करूं। आपने कहा कि दो पाटों के बीच में आ गये। लेकिन एक निवेदन करूं, मैं मानता हूं कि दो पाटों के बीच में दाना पिसता है लेकिन कई दानें कीली के दानें भी होते हैं, खूंटी के दाने भी होते है और खूंटी का सहारा यदि उनको मिल जाए तो फिर वे दाने पिसाई में नहीं आते। चक्की सारे दानों को चाहे पीस ले। मैं तो चाहता हूं कि यह खूंटी मेरे को मिल जाए और मैं उस खूंटी के सहारे अपने आपको बचा लूं लेकिन स्थिति यह देखनी पड़ेगी कि वो मिले तो सही। मैं तो कह ही सकता हूं, याचना कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। नहीं भी

(श्री अर्जुनदास मदान)

मिलेगी तो कोई बात नहीं साहब। अब धैर्य की परीक्षा ले रहा है सदन। मेरे धैर्य की परीक्षा ले ली श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी ने, मेरे धैर्य की परीक्षा ले ली मंत्री महोदय ने और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं अपनी परीक्षा में फेल भी हुआ हूं तो तब तक इम्तिहान देना मैंने कभी नहीं छोड़ा जब तक पास नहीं हो जाता। इसलिये आप यह विश्वास करें कि मैं जब तक पास नहीं होऊंगा इम्तिहान देता ही रहूंगा।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : पड़े रहो किनारे कभी कभी तो लहर आएगी।

**श्री अर्जुनदास मदान** : कभी तो लहर आएगी, निश्चित आएगी।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें।

**श्री अर्जुनदास मदान** : इसीलिये, मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था मंत्री महोदय आपसे, मेरी बात पर आप थोड़ा ध्यान दें कि आज 700 क्यूसेक्स पानी तो बहाव में चला जाता है, उसके डिफाल्ट में चला जाता है, सीपेज में चला जाता है। मैं केवल मात्र इस 700 क्यूसेक्स पानी के स्थान पर 136 क्यूसेक्स पानी आप से मांग रहा हूं। मैंने निवेदन कर दिया। यह पत्राचार है मेरे पास। आपका पत्र है। मान्यवर, मुझे कहते हुए बहुत दुःख है, क्योंकि मैं मानता हूं आप एक बहुत सबल मंत्री हैं, भगवान उस सबलता को बनाये रखे। यह आपके हाथों का लिखा हुआ पत्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूरे पत्राचार की कापियां लाया हूं जो मैंने इसी सम्बन्ध में मंत्री महोदय से समय-समय पर की हैं। इसमें मंत्री महोदय ने एडिशनल चीफ इंजीनियर, कोटा को यह लिखा कि "इसे अति आवश्यक समझें और 15 दिन में मेरी रिपोर्ट मेरे कार्यालय में तत्काल भेजें।" 18-12-1994 का पत्र है। 18-12-1994 के पत्र में इतना सबल मंत्री अपने एडिशनल चीफ इंजीनियर से योजनाएं मांगे, मेरी मदद करने को तैयार है। 1994 निकल जाए, 1994 निकल जाए, 1996 के 7 महीने भी निकल जाए तो मुझे दुःख नहीं होगा क्या? बताओ मैं किस के दरवाजे पर जाऊं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, नहीं, बहुत स्वाभाविक है। विराजें आप। आपका कष्ट बहुत स्वाभाविक है। शंकरलाल जी अहारी।

**श्री अर्जुनदास मदान** : स्वाभाविक है इसलिये मैं निवेदन करता हूं उस नाते से आज परीक्षा है मेरी--

"धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपात् काल परखिए चारी।

अगर आप मेरे मित्र हैं तो मुझे कमजोर मत होने दो, अगर आप मुझे सबल नहीं बना सकते तो निर्बल मत होने दो। अगर आप मेरे पोषक नहीं हो सकते तो शोषक मत बनो। बहुत सारे सवाल है लेकिन मैं अपनी बात यहीं समाप्त करते हुए आपके माध्यम से, मान्यवर, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी याचना को सुने,

(श्री अर्जुनदास मदान)

मेरी प्रार्थना को सुनें, मेरी अर्चना और अभ्यर्थना के ऊपर विचार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 पर मैं भी अपने आपको सम्मिलित करते हुए जिला डूंगरपुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि डूंगरपुर जिले में पुराने बांध हैं। पुराने बांधों की स्थिति धीरे-धीरे खराब होती जा रही है। नहरों की स्थिति खराब होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों से पानी निकलता है, उस पानी से काफी मिट्टी का बहाव होता है और उस मिट्टी से वो बांध स्थल ऊपर वाले पानी का जो भाग हिस्सा है, वो भर गया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे उक्त बांध स्थलों को रेज किया जाए। पानी की क्षमता कम होती जा रही है। जैसे उस तालाब के नीचे सौ किसानों की सिंचाई हो रही है तो उस तालाब में मिट्टी के भरने से उसकी क्षमता कम होने से 85 किसान -बड़ी मुश्किल से अपने खेत को सिंचित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहां के तालाबों को भी रेज करने की आवश्यकता है।

अभी वर्तमान में, अकाल के समय नहरों पर काम करवाये, परन्तु वे नहरें पूरी नहीं हुई हैं। मेहरबानी करके, नहरों का काम भी आप हाथ में लेवें, वे पक्की करवायी जाएं। इस बीच में हमारे जनजाति मंत्री माननीय श्री नन्दलालजी का प्रवास हुआ था। आपने भी डूंगरपुर जिले का निरीक्षण किया है। आप जगह-जगह पर बांध स्थलों पर, कहीं वनों के काम, दूसरे-तीसरे सारे काम आपने देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी वकालत सिंचाई मंत्री महोदय से करेंगे कि वहां सिंचाई के टूटे-फूटे बांधों को ठीक करवाये जाने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय, ने मेरे कहने के अनुसार एक बात पर ध्यान दिया है। मेवाड़ परियोजना का काम लम्बे समय से बन्द पड़ा हुआ था, वह आपने प्रारम्भ करवाया है। परन्तु बहुत स्लो गति से वह काम हो रहा है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस तालाब के बनने से आदिवासी जनता को ही काफी लाभ मिल रहा है। वह टोटल ही, होल आफ एरिया आदिवासी है और उस तालाब से सारे आदिवासी किसानों की भली हालत अच्छी बनाने की सम्भावना रहेगी। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ढंग से, जिस रफ्तार से आपने तुरत-फुरत काम हाथ में लिया है उसी तरह से उस काम को सम्पन्न कराएं।

मैं मानता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री जी ने जब से सिंचाई विभाग का काम हाथ में लिया है तब से निश्चित ही कुछ न कुछ काम आप करते रहते हैं और हमारे क्षेत्र में काम दिखाते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में

(श्री शंकरलाल अहारी)

समय-समय पर कुछ पत्र भी लिखे हैं। मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया था कि एक अमरापुरा सिंचाई परियोजना है जिसकी लगभग 14 करोड की लागत आएगी। उस पर कार्य प्रारम्भ करने के लिये मैंने निवेदन किया था। लम्बे समय से यह योजना पड़ी हुई है काम नहीं होने से धीरे-धीरे उसका पैसा बढ़ता जा रहा है। जो लागत एक समय 8 करोड़ थी, वह आज 14 करोड हो गयी है। वैसे आपने विभाग को निर्देश दिया है और शायद वहां का सर्वे का काम प्रारम्भ है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने वक्तव्य से इस सम्बन्ध में हमें अवगत कराने की कृपा करेंगे।

दूसरा, डूंगरपुर जिले में जो तालाब हैं, उनसे 1/4 लोगों को ही सिंचाई का लाभ मिलता है बाकी 3/4 किसानों की जो जमीन है, वह पड़त रहती है। हम सिर्फ वर्षा के आधार पर निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने मंत्रीजी को पत्र भी लिखा था और आपने मुझे पत्र का जवाब भी दिया था, अपने विभाग को निर्देश भी दिये थे, कि जिन तालाबों की मैंने सूची दी थी उस सूची के अनुसार आपने सर्वे करने के लिये आदेश भी दिये थे। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि विभाग के लोगों ने सर्वे नहीं किया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मैंने जो तालाब सर्वे के लिये दिये थे, इनके नाम पढ़कर के भी मैं बताना चाहूंगा, तो आप निश्चित ही इन तालाबों का सर्वे कराकर आदिवासी जनता की भूख-प्यास मिटाने की कृपा करेंगे। ये तालाब हैं, बलवानियां, बोरका माटडा, खजुरी का दरा, कुरजी घर का नाका, राताघाटा, बैडसा पीपली वाला नाला, खोखदरा, भडगावाला नाका, बीजरगा वाला का नाका, कुंडीवाला नाका, मोदरामहुडी। बांध स्थल के ये स्थान आज भी सुरक्षित हैं। आप चाहें तो पूरा सर्वे कराकर और बांध बनाकर हमें सिंचाई का लाभ आप दे सकते हैं।

जैसे अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि खुले दिल से काम करो तो हम भी कह रहे हैं कि माननीय मंत्रीजी आप खुले दिल से काम करो और खुले दिल से हमको दो, तो निश्चित ही आदिवासी बेल्ट आपकी मेहरबानी से आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेगा।

मैंने आपसे एक पत्र और लिखकर निवेदन किया था वहां एनीकट बनाने की आवश्यकता है। हमारे वहां का पानी बहकर के गुजरात में चला जाता है। हां, पूरे उदयपुर डिवीजन की बात है कि वह पानी गुजरात में बहकर चला जाता है। हमारी इच्छा है, हमारा सुझाव है और हमारा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि आप इन तमाम नदियों पर ऐसे एनीकट बनाएं जिससे कि हमारे वहां के किसानों को सिचाई का लाभ मिल सके। वैसे अभी हमने अकाल राहत कार्यों में एनीकटों का निर्माण किया है और सफलतापूर्वक वहां एनीकट बने हैं। अभी थोड़ा सा पानी आया तो उस एनीकट में पानी भर गया तो मवेशियों के लिये

(श्री शंकरलाल प्रहारी)

तो काम प्राया। इसलिये विभाग यह न सोचे कि हम एनीकट न बनायें। हमारे वहां तो जितने एनीकट बनाएंगे उतना ही हमारे लिये लाभ है। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हुआ यह निवेदन करूंगा कि एनीकट की जो सूची है, वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : वह तो लिखनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी याद रहेगा।

**श्री शंकरलाल प्रहारी** : ये हैं, - चारवाड़ा, मूराखाल; झाफरा, गोदीघाटा, मीठीबोरब, बैंजा एनीकट, लाम्बा भाटड़ा, प्रनपुरा, सासरपुरा ढोलका, मोरना नाले पर, बावड़ी। मंत्रीजी, इनमें से कुछ एनीकट तो कमिश्नर साहब के पास विचाराधीन हैं। प्राप कमिश्नर को यहां से ऐसा कोई प्रादेश दें जिससे कि वे हमारे यहां काम प्रारम्भ कर सकें।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। कृपया समाप्त करें अब।

**श्री शंकरलाल प्रहारी** : स्वर्गीय हरिदेवजी जोशीजी का हमारे यहां प्रादिवासियों को पानी देने का बिलकुल एक संकल्प था। वहां सोम कैनाल निकलती है। उस कैनाल से प्रासपुर-सागवाड़ा-भादपुर जोड़ना था। परन्तु श्री जोशीजी हमारे बीच रहे नहीं प्रौर यह योजना भी अधूरी रह गयी। इसलिये मैं मंत्रीजो से निवेदन करना चाहूंगा कि उस कैनाल का काम भी हाथ में लें। कई लोगों की रोजी-रोटी इस कैनाल से जुड़ी हुई है। मैं प्रापसे यह निवेदन करूंगा कि...

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त करें। श्री बाबूलालजी।

**श्री शंकरलाल प्रहारी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट प्रौर बोलने दें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : बोलने दें, बोलने दें। बोलें, श्री शंकरलालजी। प्रब क्या बाकी रह गया है?

**श्री शंकरलाल प्रहारी** : मैं बाऊजी की सहमति से ही बोल रहा हूं। माही कैनाल में बाऊजी का भी प्रयास है। हम यह नहीं कह रहे हैं, परन्तु वे चीफ मिनिस्टर थे प्रौर चीफ मिनिस्टर के नाते उन्होंने हमको बोला था कि जब तक यह कैनाल पूरी नहीं होगी, तब तक यहां के प्रादिवासियों का भला नहीं हो सकता है प्रौर माली प्रार्थिक हालत से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। यह उनके दिमाग में था तो वह मैंने प्रापसे निवेदन किया है। मुझे प्राशा प्रौर विश्वास है कि माननीय सिंचाई मंत्रीजी डूंगरपुर जिले की तरफ ध्यान देकर हमारे सर्वांगीण विकास प्रौर आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाते हुए हमारी माली हालत को ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद, जयहिन्द।

**श्री अध्यक्ष** : बिराजिये। बाबूलालजी।

**श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 पर

(श्री बाबूलाल वर्मा)

सिंचाई विभाग की चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : क्या आप बोलेंगे ? श्री भीखा भाई आप बोलेंगे ? बाद में, उनको बोलने दें, फिर आप बोलिएगा। आप बिराजिये। (व्यवधान)

**श्री भीखाभाई** : थोड़ा सा बोल लेना चाहता था। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आप बोल रहे हैं ? बोलें, एक मिनट।

**श्री परसराम मदेरणा** : आप, the eldest Hon'ble Member of this House speaks.

**श्री अध्यक्ष** : फरमाने दें साहब। वे बैठ गये।

**श्री भीखाभाई** (सागवाड़ा) : मैं बहुत कम बोलता हूं। मेरी आंखें भी खराब हो गयी हैं इसलिये मेरे को कोई रेफर न करें।

**श्री अध्यक्ष** : परन्तु आप जोर से मत बोलना, भीखाभाई।

**श्री भीखाभाई** : फिर भी ऐसा है कि मेरे मन में तमन्ना है कुछ न कुछ कहने की। इसलिये मैं कुछ आपके माध्यम से सरकार को अर्ज करना चाहता हूं। आज की जो सरकार बनी हुई है

( 19.00 )

उसके बारे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता इसलिये नहीं रहती है कि यह सरकार अभी तक कुछ काम नहीं कर सकी। अकाल जैसी स्थिति को भी सम्भाल नहीं पायी। अकाल के काम पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न को लेकर के, आपने बराबर हमारा साथ नहीं दिया और निष्पक्षता नहीं की, इसके फलस्वरूप हमारे में कोप पैदा हुआ और अच्छे भले, सज्जन और ईमानदार अध्यक्ष महोदय के प्रति हमको रोष प्रकट करना पड़ा। आज सिंचाई के सम्बन्ध में जब बात हो रही है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी सिंचाई मंत्री किसी वक्त में था। पहले हमारे अग्रज श्री मोगीलालजी पाण्ड्या, सिंचाई मंत्री थे, श्री रामनिवासजी मिर्धा थे और हमारे पीछे भी श्री रामप्रसाद जी और कई लोग सिंचाई मंत्री बने हैं। लेकिन मैंने पहले भाषण में, 3 मार्च, 1994 को जब भाषण दिया था तो उसमें मैंने कहा था, निवेदन किया था कि राजस्थान की सरकार कोई भी ऐसा बांध नहीं बना सकती, कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, ऐसा कोई शिलान्यास बांध का नहीं किया है कि जिससे उनका नाम कभी लिखा जा सके।

**श्री परसराम मदेरणा** : आप मुझे भूल ही गये। आपने जब पूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कराया, उस वक्त तो भारत के प्रधान मंत्री को कहलावाया था।

**श्री भीखाभाई** : मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो सिंचाई विभाग है, जो आबपाशी विभाग है, वह भी राजस्थान

(श्री भोलाभाई)

की कांग्रेस सरकार ने बनाया । यहां पर आबपाशी का नहीं था । बीकानेर, जोधपुर, अलवर और कुछ स्थान थे, जहां पर यह आबपाशी महकमा था । मैं आपके माध्यम से एक बात निवेदन करना चाहता हूं सरकार को, जिसमें कई लोग मिले हुए हैं लेकिन यहां राजाओं के वक्त में जो बांध बने, वे बहुत अच्छे बने । चाहे भीम सागर बना हो, चाहे उर्मिला सागर बना हो, चाहे वह जयसमन्द बना हो, चाहे जयसागर बना हो, गंग कैनाल बनी हो, सब उन्होंने अच्छे बनाये हैं । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या बनाया ? राजाओं की तरफ उनका झुकाव होता है । मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कौन-कौनसे तालाब मुख्य बनाये हैं ? यह बात जरूर है कि उन्होंने सिंचाई की क्षमता को बढ़ाया है यह बात सही है, लेकिन कितना बढ़ाया है, कितने समय में कितना बढ़ाया है ? चार लाख हैक्टेयर से हम करीब 24 लाख हैक्टेयर तक लाये हैं । 19 प्रतिशत क्षमता हमने बढ़ायी है ।

आज अभी कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी 11 प्रतिशत जमीन है और एक प्रतिशत उसको पानी मिलता है । आज पानी का दुर्भाग्य है हमारा, हम सब राजस्थानियों का दुर्भाग्य है कि यहां पर कोई पैरेलल नदी नहीं है । यहां पर पैरेलल नदी होती तो मैं समझता हूं कि आज यह झगड़े नहीं होते । आज सोचा जा रहा है । अबके प्रधानमंत्री नये आये हैं, वे सोच रहे हैं । दक्षिण की जितनी नदियां महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी सब को इंटर लिंक किया जाए । इस प्रकार से इंटर लिंक के लिये लास्ट बार भी हमने सोचा था । हमने कोशिश की कि भरतपुर में इनको लाये, गुड़गांव वाली भी लाये, गुड़गाव कैनाल लाये, कई लाये । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सूखा है । राज्य में इतना सूखा है और इतना रेगिस्तान है, यहां बरबादी है । हमारा दक्षिणी भाग जो है, उदयपुर का भाग है, उदयपुर सम्भाग है, उसके बाद में कोटा का सम्भाग है, उसके बाद में मैंने झुन्झुनूं का इलाका भी देखा है । उदयपुर वाटी है, शेखावाटी है, जयपुर जिसमें है, जहां पर पर्वत ही पर्वत है । ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार का प्लानिंग होना चाहिये, यह आपको सोचना चाहिये । हम कहते थे कि हमने भूगोल बदला है, हम कहते थे कि हमने इतिहास बदला है, परन्तु साथ-साथ मैं यह भी कहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी बदल दो ।

मैंने अपने पहले भाषण में उस दिन भी कहा था कि खूब अच्छा काम करो । मेरे पास रिकार्ड है । उस रिकार्ड में लिखा हुआ है कि आप बढ़िया काम करो, काम्पीटीशन पर उत्तर जाओ, हद से बढ़ जाओ । अब यह कहते है कि हमने सन् 1949 से लेकर 1952 तक और 1952 से लेकर के 1977 तक हमारी सरकार रही । अच्छे ढंग से काम किया । उसके बाद में फिर 1980 से लेकर के 1995 तक फिर हमारी सरकार रही । उधर बैठने वाले हमारे कई माननीय सदस्य, जिसमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने सबने मिलकर के

(श्री भीखाभाई)

राजस्थान के अन्दर बेहतरीन तरीके से सिंचाई की योजनाओं का और अन्य प्रकार की विभिन्न योजनाओं का काम किया। राजस्थान में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बुनियाद है, मैंने कहा था, चाहे वह चम्बल का बेसिन हो, चाहे वह माही का बेसिन हो, चाहे जाखम का बेसिन हो और चाहे इधर हरिके कैनाल का बेसिन हो, उनको डवलप करने की जरूरत है। अगर उनको डवलप कर दिया तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो पर्वतीय इलाके हैं, उन पर्वतीय इलाकों में लघु सिंचाई की योजना, कडाणा बांध के बारे में मैंने एक, कटौती प्रस्ताव है। उस कडाणा में यह होना चाहिये कि उसमें जो विस्थापित लोग हो गये हैं। गुजरात से विस्थापित, बांध बनने के कारण से गुजरात ने पैसा दिया और अपनी माही कडाणा योजना बनी, उसके बाद में बनास सागर बना। जाखम का, जाखम में मीमा का बांध बना, बाकलिया बांध बीच में बना और उस प्रकार से कई बांध बनें। राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो पानी है, अभी जो माननीय सदस्य सीमलवाड़ा से आये हैं वे कह रहे थे कि हमारा सारा पानी माही सागर में चला जाता है।

**श्री परसराम मदेरणा** : श्री भीखा भाई, आपने इस चीज के ऊपर स्टडी की है क्या कि सरदार सरोवर की हाइट का जो फैसला हुआ है।

**श्री भीखाभाई** : हां, परसों हुआ है।

**श्री परसराम मदेरणा** : इस सरदार सरोवर का। इस सरदार सरोवर का समझौते के फलस्वरूप कडाणा का पानी जो राजस्थान को मिलना चाहिये था, एग्रीमेंट के अनुसार और जिस हाइट पर उन्होंने समझौता किया है, क्या राजस्थान को पानी मिलेगा? मुझे शंकाएं हैं।

**श्री भीखाभाई** : बिलकुल ठीक है।

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं, स्टडी, मामले को देखना है।

**श्री भीखाभाई** : जैसा हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो कह रहे हैं, हमारा समझौता 1966 में माही का हुआ है। उसमें यह तय हुआ था गुजरात के साथ में कि नर्मदा का पानी हमको दिया जाएगा। जहां तक हो सकेगा, माही का भी देंगे। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान को नर्मदा से पानी दिया जाएगा, यह फैसला हुआ था, श्री नाथूरामजी मिर्धा के वक्त में। उस फैसले का जरूर उस बंधे पर असर पड़ेगा (व्यवधान) दे ही नहीं सकते हैं न इसलिये, अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : भीखाभाई अब आपको ज्यादा नहीं बोलना, बिराजिये आप।

**श्री भीखाभाई** : इस बारे में सतर्कता बरतना चाहिये। अन्तरराज्यजयी जितने भी झगड़े हैं। अभी तक, जो कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि अन्तर राज्जीय जितने भी झगड़े हैं, झगड़ों को भी मिटाने की कोशिश करनी चाहिये। क्योंकि जब तक पानी, जब तक उस बारे में कोई फैसला नहीं होगा, अन्तराज्यीय झगड़े में अभी कहा था कि आप कोर्ट में जाओ,

(श्री भीखाभाई)

कहीं भी जाओ या ट्रीब्यूनल में जाओ लेकिन उसमें फैसले होना जरूरी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माही के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने तीन कट-मोशस दिये हैं। एक तो यह दिया है कि माही उप नहर को लिया जाय। माही उप नहर के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री शिवचरण माथुर जब मुख्य मंत्री थे, उनके मुख्य मंत्री काल में भटनागर चीफ इंजीनियर थे और वहां पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हमको डूंगरपुर वालों को कोई पानी नहीं मिलता। ऊपर से उन्होंने एक नहर की कल्पना की और वह नहर करवाली से लेकर जगतपुरा, जगतपुरा से लेकर के आसपुर में यह गोरेश्वर तक आयी लेकिन जब हमारी सरकार थी, उस वक्त इसमें काम हुआ। इसके बाद में काम ही नहीं हुआ। दो-तीन साल से मैं चिल्ला रहा हूं। चिल्लाने के बाद में गये साल कुछ प्रावधान हुआ लेकिन क्या आप यह समझ रहे हैं कि जो 125 किलोमीटर लम्बी नहर है और जिसका एस्टीमेट करीबन 200 करोड़ रुपये है वह नहर कभी पूरी हो सकती है? मैं भी नहीं रहूंगा, इधर कोई हमारे माननीय सदस्य मेरी उम्र के नहीं रहेंगे, और कोई रहेगा भी नहीं तब तक जब होगा। तो आप क्या फैसला कर रहे हैं? क्या आप वाटर कमीशन के पास ले गये हैं? प्लानिंग कमीशन के पास ले गये? उसको अलग से सेपरेट योजना बनाने के बारे में विचार किया? दो वर्ष से मैं बराबर कह रहा हूं, आपकी ओर से कोई उत्तर ही नहीं आ रहा है। आप की ओर से कोई प्रयास भी नहीं हो रहा और आपने कोशिश भी नहीं की, जो हमें जानकारी है। इसलिये एक तो निवेदन यह कर रहा था। उसके बारे में मैं यह भी कहूंगा, जिस नहर का मैं जिक्र कर रहा हूं वह नहर तीन-चार पंचायत समितियों को, एक तरह से भागीरथ प्रयत्न होगा अगर आप दे सकें। आप भागीरथ बन जाएं, बन सकते हों, तो बन लो और आप नहीं बन सकते हो तो आप की मर्जी है। मैं तो कहता हूं आप को भागीरथ बनो।

एक मैंने लिखा हुआ है कडाणा पुनर्वास के बारे में। कडाणा पुनर्वास के अन्दर 1978 के अन्दर कडाणा के लिये गुजरात के साथ सहमति हो गयी। कडाणा के बारे में आपने निर्दिष्ट किया पहले, नहीं बनने दिया और जब बन गया। बनने लगी सहमति आ गयी तो बसे करार यह तय हुआ कि उन आदिवासी लोगों को, जो कि जंगलों में थे उनको दूसरी जगह बसाया जाए। विस्थापित लोगों को बसाया गया। लेकिन इनके बसाने के बाद में, हमारी सरकार जाने के बाद में आज तक कोई किसी आदमी ने जा कर वहां की क्या सुख-सुविधाएं हैं, क्या उसको सिविक अमेनिटीज हैं, किस प्रकार की उनकी रहने की व्यवस्था है, किस प्रकार से उनकी जमीन की लेवलिंग है, किस प्रकार से प्लांटेशन होना चाहिये, किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये, सड़कों का निर्माण होना चाहिये, बिजली का काम होना चाहिये? कुछ नहीं हुआ इसलिये यह उपेक्षित रह गया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता....

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें। अब आप थक जायेंगे।

**श्री भीखा भाई :** वैसे कहने के लिये तो बहुत है लेकिन थोड़ा-सा यह पहलू रह गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे डूंगरपुर और सीम्बलवाड़ा से आने वाले मित्र ने आप से यह कहा कि यह आदिवासी इलाका है। आदिवासी इलाके में हमारे यहां 23 तो पंचायत समितियां पड़ती हैं, चार जिले पड़ते हैं और इन जिलों के अन्दर पानी बिलकुल कम है और जो पानी आता है वो गुजरात में चला जाता है और सब पहाड़ हैं पहाड़ पर पानी कैसे पहुंचाएं। फ्लो इरिगेशन हो नहीं सकता केवल लिफ्ट इरिगेशन हो सकता है, लघु सिंचाई योजना हो सकती है, एनीकट्स हो सकते हैं, छोटे-छोटे बांध बनाये जा सकते हैं वो निर्माण लघु सिंचाई के सम्बन्ध में मैंने कहा, उसके यार्डस्टिकस हैं ये वो कौनसा रेशो कहलाते है, आप जरा बता दीजिये ?

**श्री परसराम मदेरणा :** यह सोम कमला अम्बा, सोम कागदर की जो कल्पना आपने की है....

**श्री भीखा भाई :** तो वो रेशो जो है उसको कोस्ट/बेनिफिट्स रेशो जो होगा उसको कम कर दिया जाए और उसको कम करने के बाद में....

**श्री परसराम मदेरणा :** इन्होंने लिफ्ट के लिये....(व्यवधान)....

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) :** इनको अपनी बात भी नहीं सुनाई दे रही है तो आपकी क्या सुनेंगे।

**श्री परसराम मदेरणा :** हैं ?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** इनको अपनी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है....

**श्री परसराम मदेरणा :** नहीं, इन्होंने कल्पना कर के सोम-कमला-अम्बा और सोम कागदर में पानी को बहुत लिफ्ट किया है ऊपर सौ-सौ फुट। क्या बात कर रहे हो आप। आप यह इनकी हाइट से मत देखो, इनकी कल्पनाएं बहुत ऊपर हैं।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** इनकी हाइट शायद सरदार सरोवर के बराबर हैं।

**श्री अध्यक्ष :** भीखा भाईजी, अब थक गये होंगे आप।

**श्री भीखा भाई :** नहीं, बोल रहा हूं, साहब। खतम कर रहा हूं।...(व्यवधान)....

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप।

**श्री परसराम मदेरणा :** नेपोलियन बोनापार्ट, लाल बहादुर शास्त्री और भीखा भाई।

**श्री अध्यक्ष :** नो डाउट, नो डाउट मेवाड़ के तो हैं ही हैं ये।

**श्री भीखा भाई :** कोस्ट रेशो को कम कर के और लघु सिंचाई की योजनाए

(श्री मीखा भाई)

ली जाएं, एनीकट्स दिये जाएं और जहां तक नहर का सवाल है, दोनों हाथ जोड़ आप सभी लोगों को, आपको भी कहता हूं कि एक जोरदार प्रयास करो कि इसकी योजना पूरी होनी चाहिये। (व्यवधान) यही निवेदन कर के अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलालजी। अब आप थक गये होंगे ?

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई पर चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सिंचाई मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल चवली सिंचाई परियोजना झालावाड़ में स्वीकृत हुई और काम शुरू हुआ। मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उससे झालावाड़ जिले में काश्तकारों को राहत मिली।

अध्यक्ष महोदय, मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में पांच-छह छोटी सिंचाई परियोजनाएं बनायी हुई हैं, कुछ बांध बना कर उसके द्वारा काश्तकारों को पानी दिया जा रहा है। जैसे कि मोगरा बांध, महूड़िया बांध, बिस्तूनिया बांध, बयासरा बांध और बिनायका बांध, इस तरह पांच-छह बांध बना कर पूरे डग विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गयी है लेकिन आज की तारीख में किसी भी तरह की कोई भी सिंचाई परियोजना मेरे विधान सभा क्षेत्र में चालू नहीं है और जो बांध बने हुए हैं उनके द्वारा भी जो नहरों का काम है, जो छोटी-छोटी माइनर नहरें बना कर पानी दिया जा रहा है, वह बिलकुल अपर्याप्त स्थिति में हैं। मतलब कई जगह तो नालियां खोद कर ऐसी डाल दी गयीं, जिन ठेकेदारों के मार्फत यह काम किया गया उन्होंने कोई सही तरीके से काम नहीं किया और सिंचाई का जो पानी मेरे डग विधान सभा क्षेत्र को मिलना चाहिये था वह पूरा पानी नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र की दो सिंचाई परियोजना अभी राज्य सरकार के पास लम्बित हैं। एक जसवंतपुरा और एक पोंडला स्कीम है। यह लगभग काफी समय से आयी हुई पड़ी हैं। मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इन स्कीम्स के बारे में अधिकारियों को निर्देश दें कि किस स्तर पर और किन कारणों से पेंडिंग ? जहां तक मेरी जानकारी का सवाल है, स्कीम टेक्निकली पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है और फाइनेंस के मैटर को लेकर वह स्कीम अभी तक पेंडिंग है। इन दो स्कीम्स की जल्दी से जल्दी स्वीकृत जारी करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, एक पीपलाद स्कीम्स के बारे में भी मैं मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि पीपलाद स्कीम जिससे कि पूरी पिड़ावा और डग विधान सभा क्षेत्र के सभी काश्तकारों को फायदा मिलेगा, यह स्कीम 21 करोड़ 88 लाख

(श्री बाबूलाल वर्मा)

की काफी समय से बनी हुई पड़ी है और अभी तक हम यह सुनते आ रहे हैं कि यह स्कीम सैंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। मुझे जानकारी मिली है कि सैंट्रल वाटर कमीशन से भी यह स्कीम क्लियर हो चुकी है। सैंट्रल वाटर कमीशन से यह स्कीम की प्रिंसिपली एग्री हो गयी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास यह स्कीम प्लानिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में तीन-चार महीने से पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि पीपलाद स्कीम जो 21 करोड़ 88 लाख की है, इससे दो विधान सभा क्षेत्र के काश्तकारों को फायदा मिलेगा। यह स्कीम जब सैंट्रल वाटर कमीशन से अप्रूव हो गयी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस के लिये यह स्कीम पेंडिंग है। इस स्कीम के बारे में भी माननीय मंत्रीजी शीघ्र निर्णय लें जिससे कि काश्तकारों को फायदा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, एक मैं डग विधान सभा क्षेत्र के बारे में जरूर निवेदन करना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने इस डिमाण्ड के समय निवेदन किया था, मेरा डग विधान सभा क्षेत्र लगभग 100-125 किलोमीटर के आस-पास दो नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ चम्बल नदी और एक तरफ आहू नदी है। अध्यक्ष महोदय, डग विधान सभा क्षेत्र नदी के एक तरफ बसा हुआ है। दूसरी तरफ एम पी. की सीमाओं से लगा हुआ है।

मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आहू नदी से हो, चाहे चम्बल नदी से हो, एक एम. पी.का काश्तकार तो पूरा पानी ले रहा है और हमारे डग विधान सभा क्षेत्र का काश्तकार, किसी भी तरफ का पानी लेने में समर्थ नहीं है। इसका कारण यह है कि मेरे यहां विद्युतीकरण पूरा नहीं है। विद्युतीकरण की चर्चा में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई सिंचाई परियोजना बनाने के लिये, चाहे लिफ्ट इरिगेशन का मामला हो, कोई लिफ्ट इरिगेशन 20 लाख की या 10 लाख की बनती है और यदि उस स्कीम को लागू करने के लिये लाख रुपया भी विद्युत का खर्चा आता है तो वह स्कीम सिर्फ इसलिये लागू नहीं की जाती कि वहां विद्युतीकरण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि मेरे क्षेत्र के काश्तकारों को किसी तरह का पानी नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सौ-सवा सौ किलोमीटर की बेल्ट में पूरा पानी है लेकिन आज काश्तकारों को पानी नहीं मिल रहा, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसी स्कीम जरूर बनायें या राज्य सरकार ऐसा निर्णय ले। आज डी. आर. डी. ए. के पास काफी पैसा है, आज जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पास इतना पैसा है लेकिन वो योजनाएं लागू इसलिये नहीं हो पाती हैं कि आज लाइट नहीं है। आज सिंचाई डिपार्टमेंट भी कार्य नहीं करें और डी. आर. डी. ए. भी कार्य नहीं करे तो उसका पूरा नुकसान काश्तकारों को होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग का मामला है, माननीय मंत्रीजी से

(श्री बाबूलाल वर्मा)

निवेदन करूंगा कि कृपया इस मामले पर ध्यान दें। लगभग ढाई साल हो गये मुझे विधायक बने हुए, मैंने आज तक सिंचाई विभाग के किसी जे. ईएन. के दर्शन नहीं किये। सिंचाई विभाग का सहायक अभियन्ता का कार्यालय वहां मौजूद है लेकिन सहायक अभियन्ता के कार्यालय पर कौन कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है इसका आज तक वहां के किसी भी जन-प्रतिनिधि को या वहां के किसी भी नागरिक को, काश्तकारों की बात तो बहुत दूर है, लेकिन आज हम लोगों को पता नहीं है। किसी जे. ईएन. की पोस्टिंग नहीं है। एक जे. ईएन. की पोस्टिंग हुई, बड़ा गम्भीर मामला है। इसके सम्बन्ध कहना चाहता हूं कि पिछले साल एक सहायक अभियन्ता की पोस्टिंग हुई। सहायक अभियन्ता से जब मैंने बात की, मैंने कहा कि आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्य क्यों नहीं करते हो? आप मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की योजनाएं क्यों नहीं बनाते हो? तो वह सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता बोलते हैं कि साहब, हमारे यहां कोई काम नहीं है। अब मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौनसा काम नहीं है इग विधान सभा क्षेत्र में? आप देखिये कि जे. ईएन. की क्या दुर्दशा है? यह दुर्दशा आपके विभाग की है एक जे. ईएन. तीन महीने तक इधर-उधर घूमता फिरे, यह आपके विभाग का देखने का काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अपनी समय सीमा में बोल रहा हूं लेकिन मेरा गम्भीर मामला है...

**श्री अध्यक्ष** : समय सीमा तो होती है पर एक ही विषय को इतना लम्बा कर रहे हैं, कोई तथ्य की बात कहें कहना है तो।

**श्री बाबूलाल वर्मा** : एक विषय पर नहीं बोल रहा। इसका कारण मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं....

**श्री अध्यक्ष** : There are so many Members now.

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, जवाब कराओ अब तो।

**श्री बाबूलाल वर्मा** : हां, बस एक मिनट लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : फिर रात को एक बजे जाना रोज।

**श्री बाबूलाल वर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ठेकेदार काम के प्रपोजल बनाकर देते हैं वही काम स्वीकृत होते हैं। ऐसी कौनसी विडम्बना है कि जो ठेकेदार ने प्रपोजल दिये वही स्वीकृत होते हैं। सिंचाई विभाग के पास कोई प्रस्ताव नहीं, कोई योजना नहीं है। इसलिये सिंचाई विभाग इस बात के लिये योजना बनाये न कि ठेकेदारों पर डिपेंड रहे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अर्जुनलाल जी जीनगर।

**श्री बाबूलाल वर्मा** : ठेकेदारों पर डिपेंड रहकर इस तरह का काम करायें यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपने मुझे

(श्री बाबूलाल वर्मा)

समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : दो जने इधर से बोले थे इसलिये इधर से दो। यूं नहीं है मैं पूरा ध्यान रखता हूं।

**एक माननीय सदस्य** : दस मिनट।

**श्री अध्यक्ष** : दस मिनट भी नहीं, सिर्फ पांच मिनट। छह-छह, सात-सात मिनट में अपनी बात समाप्त करिये अब। कहना चाहें तो तीन मिनट में बात हो सकती।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार)** : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई पर चर्चा की जा रही है मैं भी इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्रीजी और मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो बीस साल पुराना अपूर्ण बांध पड़ा हुआ था सोमी सरोवर, उसकी आपने स्वीकृति दी और एक साल में ही वह बनकर तैयार हो गया, नहरें बन चुकी हैं और इस साल से ही किसानों को उससे काफी फायदा हुआ। इसलिये मैं पुन: आपका आभारी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं।

लेकिन आगे की कड़ी में उसी सोमी सरोवर के समकक्ष मात्र 36 एम. सी. एफ. टी. भराव क्षमता का एक ओडवालिया बांध 1987 से अधूरा पड़ा है ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : वह अधूरा पड़ा हुआ है बीसलपुर बांध के कैचमेंट कारण।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** : बीसलपुर बांध का तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय से यह अपूर्ण पड़ा हुआ है। कई बार सिंचाई मंत्रीजी को लिखा। मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया, विधान सभा में प्रश्न लगाया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाये। परन्तु माननीय मंत्री महोदय और विभाग का एक ही उत्तर था कि बीसलपुर कैचमेंट एरिये में आता है। माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सांकलखेड़ा बांध, चित्तौड़, बड्क्या बांध, चित्तौड़, सोमी सरोवर, चित्तौड़, यह भी कैचमेंट एरिया में हैं, ओडवालिया बांध भी कैचमेंट एरिये में है। जब तीन बांधों के साथ न्याय किया जा सकता है, परन्तु अनुसूचित जाति की कास्टीट्यूएंसी गंगरार तहसील के अन्दर एक भी बांध नहीं है, न तो छोटा तालाब है, न बड़ा तालाब है, न कोई नदी है। ऐसी परिस्थिति में मेरे क्षेत्र के किसान अपनी खेती के लिये पानी कहां से लायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय मंत्री महोदय आज यह घोषणा करें कि हमारा यह ओडवालिया बांध स्वीकृत हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगरार के अन्दर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। मेरे ग्राम चोगांवडी के अन्दर चरागाह की जमीन पड़ी है। उस चरागाह जमीन में

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

तीन छोटे-छोटे तालाब बना रखे हैं। मैंने विधान सभा में प्रश्न लगाया इसी सत्र में कि इन तीन छोटे-छोटे तालाबों को हटाकर एक बड़ा तालाब बना दिया जाए तो मंत्री महोदय का एक ही उत्तर आया कि बीसलपुर कैचमेंट एरिया है। मैं तो यह आग्रह कर रहा हूं कि आलरेडी तीन बांध बने हुए हैं उनके स्थान पर एक बना दिया जाये। इसमें बीसलपुर कैचमेंट एरिया कहां आ रहा है।

एक गम्भीर समस्या और है। तत्कालीन सरकार के समय में आज से करीब बीस साल पहले मातृ कुण्डिया बांध बना मेजा डैम को भरने के लिये। मेजा बांध की योजना थी एक करोड़ रुपये की। उस एक करोड़ रुपये की योजना को पूरा करने के लिये पच्चीस करोड़ रुपये की योजना मेरे क्षेत्र में बनायी गयी यानि कि मेरी घड़ी खराब हो जाए। 100 रुपये की घड़ी है उसको ठीक कराने के लिये मैं 2500 रुपये खर्च करूं। यह कहां का न्याय है? तत्कालीन सिंचाई मंत्रीजी को यह देखना चाहिये था। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको देखना चाहिये था कि यदि एक करोड़ की योजना को भरने के लिये हम 25 करोड़ कैसे लगा सकते हैं? कोई आवश्यकता नहीं थी वह मेजा डैम एक करोड़ रुपये का है। उसके लिये अन्य कई योजना बनायी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र आपके विधान सभा क्षेत्र से मिलता है। मातृ कुण्डिया की जो समस्या है, मातृ कुण्डिया डैम का सारा पानी मेजा फीडर नहर बनाकर मेजा के अन्दर डाइवर्ट किया जाता है। मेरे क्षेत्र की जनता उस पानी को देखती रहती है। एक लोठा पानी उसमें से नहीं ले सकते। यदि उसमें से पानी लेने की कोशिश की जाती है तो किसानों के ऊपर केस बनाये जाते हैं। क्या मेरे क्षेत्र में जनता निवास नहीं करती, किसान नहीं रहते, खेती योग्य जमीन नहीं है या वहां पर सब पहाड़ियां हैं या ऐसी योजना सरकार ने बनायी है कि यहां पर जितने लोग रहते हैं उनको अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जाए? मान्यवर, मेरे क्षेत्र की जनता व मेरी लगभग 15 वर्षों से मांग चल रही है। मातृ कुण्डिया के पानी पर मेरे क्षेत्र की जनता का हक है। उसमें पानी का बंटवारा होना चाहिये। यदि बंटवारा नहीं हुआ तो आने वाले समय में आपस में लड़ाई-झगड़ा होगा, युद्ध होगा। जैसाकि कपासन से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि पानी के लिये युद्ध हो सकता है जब--कभी भी इस क्षेत्र में जागृति आएगी।

मैं गत वर्ष का एक उदाहरण आपको दूं। मेजा फीडर डैम को भरने के लिये मातृ कुण्डिया से जो मेजा फीडर बनायी गयी है उस नहर को ब्लास्टिंग से उड़ाया था और आने वाले समय में, मैं कह रहा हूं इस सदन में कि यदि पानी हमारे क्षेत्र की जनता के लिये, हमारे किसानों के लिये नहीं दिया गया तो आने वाले समय में पुनः नहर को उड़ाया जायेगा, केस बनेंगे किसी बात की चिन्ता नहीं। दो लाख

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

जनता की मांग है। पानी के लिये हम सब प्यासे हैं। पानी को देखते हैं। यदि पानी हमारे क्षेत्र की जनता को नहीं मिला, किसानों को नहीं मिला तो पुनः जनता द्वारा नहर को उड़ाया जाएगा...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री भीमसेनजी।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** : अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट का समय और है।

**श्री अध्यक्ष** : अब आप एक मिनट में रख दो अपनी बात।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** : मातृकुण्डिया का जो पानी है काफी समय से यह मुद्दा चल रहा है इस पर आप ध्यान देंगे। आप बांध बना देते हैं, नहरें बना देते हैं और छोटे-छोटे एनीकट बन जाते हैं, परन्तु उनके रख-रखाव के लिये पूरी पर्याप्त धनराशि उनको नहीं दी जाती है। मातृ कुण्डिया डेम से सीपेज हो रहा है। पास का जो गुरजणीया जवासिया गांव है...

**श्री अध्यक्ष** : काम की बात तो बोलते नहीं हैं, इधर-उधर की बात कर रहे हो। जब लास्ट टाइम होता है तब कह रहे हो सीपेज हो रहा है।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** : उस सीपेज को रोकने के लिये आपने भी लिखा है मंत्रीजी ने उस सीपेज को रोकने के लिये सरकार ने 40 लाख रुपये मंजूर कराये है। परन्तु उस ठेकेदार ने आज दिन तक काम नहीं कराया। यदि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो दूसरे ठेकेदार को आमंत्रित करना चाहिये। इंजीनियरों का कोई ध्यान नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय भीमसेन जी। विराजें। हो गया आपका।

**श्री अर्जुनलाल जीनगर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : छह मिनट दिये हैं पूरे। श्री भीमसेनजी।

**श्री भीमसेन चौधरी** : माननीय अध्यक्षजी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मेरे क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी समस्याएं हैं उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़, शाखा से खाजूवाला क्षेत्र में के. वाई. डी. और के. जे. डी. दो वितरिकाएं निकलती हैं। ये दोनों वितरिकाएं अनूपगढ़ शाखा के अन्तिम छोर पर हैं और अन्तिम छोर के काश्तकारों की अनेक समस्याएं हैं। के. जे. डी. नहर के 34 चक से लेकर 43 चक तक के काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा की बात को भूलकर उनको पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। इतनी बड़ी समस्या उनकी है तो इस समस्या के समाधान के लिये पूगल शाखा के आर. डी. 211 से एक लिंक चैनल बनायी जाए इस लिंक चैनल के माध्यम

(श्री भीमसेन चौधरी)

से के. जेड. डी. नहर के 146 आर. डी. तक लिंक किया जाए और इससे इन क्षेत्रों के अन्तिम छोर के काश्तकारों को पानी उपलब्ध किया जा सकेगा और आज जो उनके सामने भुखमरी की समस्या है वह समस्या उनकी समाप्त हो जाएगी। पूगल शाखा का 211 पर एफ. एस. एल. हैड 438.84 फुट है और उसका आगे जो लेवल है 146 आर. डी. का उसका 414 फुट है। इस तरह से करीब 25 फुट के लेवल का डिफरेंस है और उससे आराम से इस एरिया को लिंक कैनाल से बनाने से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मैं समझता हूं, अनकमाण्ड एरिया भी कई हैं, करीब पांच हजार एकड़ अनकमाण्ड जमीन है और दस हजार एकड़ जमीन इन काश्तकारों की है, इस लिंक चैनल को बनाने से इस इलाके के किसानों को लाभ होगा। इस समस्या के सम्बन्ध में मैं पिछले दो वर्षों से बराबर ध्यान आकर्षित करता आ रहा हूं मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में ध्यान देगी।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने अभी फैसला किया फर्स्ट स्टेज के बारे में, सैकण्ड स्टेज में तो वाटर कोर्सेज बनाये जा रहे हैं और उन वाटर कोर्सेस से अन्तिम मुरब्बे के काश्तकारों के लिये सरकार ने यह फैसला किया है कि उनको पक्का नहीं बनाया जाए तो यह सरकार का फैसला है। जहां तक सैकण्ड स्टेज के लिये है वह तो समझ में आने वाली बात है कि वहां काश्तकार उपलब्ध नहीं हैं लेकिन राजस्थान नहर के खाजूवाला क्षेत्र में जो वाटर कोर्सेज बनाने से रह गये थे वहां पर काश्तकार उपलब्ध हैं, अन्तिम छोर के काश्तकार बैठे हुए हैं इसलिये यह सरकार ने जो फैसला किया है कि अन्तिम छोर के मुरब्बे को हम अनलाइन्ड रखेंगे। इस फैसले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्तिम छोर के काश्तकार ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उनको आप अनलाइन्ड रख रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि फर्स्ट स्टेज के बारे में सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अभी यमुना वाटर का फैसला करवाया है उसी तरह से हमारा राजस्थान को जो गंग फ्लड वाटर में जो हिस्सेदारी है यह मामला भी पिछले 25 वर्षों से पेंडिंग है तो मैं समझता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार को प्रयत्न करके जल्दी निर्णय करवाया जाना चाहिये। अभी हमारे जो प्रधान मंत्री हैं, वह भी चाहते हैं कि इस तरह के जो फैसले पड़े हुए हैं, नदियों का पानी समुद्र में बेकार चला जाता है। इस समस्या का समाधान वह भी करना चाहते हैं इसलिये मैं समझता हूं, इस फैसले को भी जल्दी करवाया जाना चाहिये।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे फर्स्ट स्टेज में जो चकों के लिये डिग्गियां बनी हुई हैं उन डिग्गियों का मेंटीनेंस बिलकुल नहीं हो रहा है तो उस सम्बन्ध में भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां जो चक

(श्री भीमसेन चौधरी)

समितियां हैं या ग्राम पंचायतें हैं, वे इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए तैयार हैं इसलिये मैं सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन चक आबादियों को या ग्राम पंचायतों को जो इस जिम्मेदारी को वहन करने के लिये तैयार हैं, उनके लिये आप कोई वित्तीय व्यवस्था कर दें तो मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान निकल सकता है।

इसी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, साहवा योजना से लूणकरणसर क्षेत्र की करीब 36 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होने की सम्भावना है लेकिन इस साहवा योजना का कार्य बहुत ही धीमा गति से हो रहा है। इस योजना से हमारे लूणकरणसर क्षेत्र की 36 हजार एकड़ जमीन को पानी मिलने की सम्भावना है। हमारा यह सारा इलाका अकाल प्रभावित है। मैं समझता हूं कि इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने से इस अकाल की समस्या का समाधान होगा। इस तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया अब थोड़ा जल्दी करें। श्री मदन मोहनजी।

**श्री भीमसेन चौधरी** : इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, कंवरसेन लिफ्ट कैनाल की जो भी योजनाएं हैं। जहां खारी माइनर निकलनी है, मेगाना माइनर निकलनी है और शेरपुरा माइनर निकलनी है, इन माइनर्स का काम भी जल्दी से किया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह जो हमारा अकाल प्रभावित इलाका है इसको लाभ मिलेगा। दूसरा, माइनर्स बनने के बाद वाटर कोर्सेज बनाये जाने हैं, तो इसके बारे में भी सरकार ने यह फैसला किया है कि वाटर कोर्सेज बनाने का जो काम है, कंवरसेन लिफ्ट कैनाल में पहले जितने भी वाटर कोर्सेज बनाये हैं वह कंवरसेन लिफ्ट के इंजीनियर्स ने बनाये हैं। यह वाटर कोर्स जो माइनर्स के लिये जैसे बंधा माइनर पूरी हो गयी और एम. सी. माइनर पूरी हो गयी तो जहां-जहां माइनर्स पूरी हो गयी हैं, उनके वाटर कोर्सेज को पक्का बनाने का कार्य है, वह कंवरसेन लिफ्ट कैनाल के इंजीनियर्स के माध्यम से करवाया जाना ज्यादा फायदेमन्द रहेगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मदन मोहनजी।

**श्री मदन मोहन (खैरथल)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में मांग संख्या 46 पर जो चर्चा हो रही है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए, अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस वर्ष राज्य के कुछ जिलों में बाढ़ आयी और बाढ़ का मुख्य कारण जो हमारे क्षेत्र में रहा वह केवल बांधों का पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाना ही रहा। जो गत वर्ष बाढ़ आयी थी उस समय जितने बांध टूटे थे और राज्य के सिंचाई विभाग ने जो उस समय लापरवाही बरती उसके बारे में मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस तरह

(श्री मदन मोहन)

से पिछले वर्ष करीब चालीस बांध किशनगढ़बास सब डिवीजन के अन्दर टूटे थे और इस वर्ष करीब 20 बांध और टूटे हैं। पिछली बार यदि उनका सही समय पर पुनर्निर्माण करा दिया जाता या उनकी मरम्मत करा दी जाती तो आज यह स्थिति उस क्षेत्र में नहीं आती।

दूसरा, इसका कारण यह रहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो पानी भरता है वह भरता है उसका मुख्य कारण है मसानी डैम। मसानी जो बैराज है, हरियाणा सरकार ने राजस्थान की सीमा पर बनाया हुआ है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मसानी बैराज जो राजस्थान की सीमा पर है उसमें जो डूब का क्षेत्र है वह है राजस्थान का है। वहां पड़ने वाले सैंकड़ों गांवों के लिये अभी तक राज्य सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। एक तो मेरा राजस्थान सरकार से यह निवेदन है कि उस मसानी बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे उनका जीवन सुरक्षित रह सके।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने 1977 के अन्दर, उस समय सिंचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला साहब थे उस समय तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाकर मीटिंग ली और उसमें यह फैसला हुआ कि राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार को दिल्ली के नजबगढ़ क्षेत्र में नाला बनाने के लिये और राजस्थान में अजमेरीपुरा पर बांध बनाने के लिये तेरह करोड़ रुपये, नजबगढ़ वालों के लिये भी 13 करोड़ रुपये और हरियाणा के लिये भी 13 करोड़ रुपये दिये थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मसानी बैराज जो बन गया है 166 करोड़ रुपये की लागत से। लेकिन राजस्थान में आज तक उस अजमेरीपुरा में बांध के लिये उसकी नींव का एक पत्थर भी नहीं रखा गया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार क्या अजमेरीपुरा में बांध बनाने का विचार रखती है या नहीं और नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वह उस समझौते को लागू करना चाहती है या नहीं ? यदि वह समझौता लागू कर लिया जाए और वहां पर मसानी बैराज जो बना हुआ है उसी आधार पर यदि अजमेरीपुरा का बांध बन जाता है तो उस बांध की उपयोगिता खतम हो जाएगी और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले के जो लोग हैं उनकी पानी की समस्या का निपटारा होगा और वहां पर किसी भी नहर के लाने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अजमेरीपुरा का बांध बन जाए तो अजमेरीपुरा के बांध से ही वहां पर सिंचाई का कार्य भी किया जाएगा और जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है उस बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से गत वर्ष पूरे साल के दौरान

(श्री मदन मोहन)

सिंचाई विभाग ने किशनगढ़बास सब डिवीजन के अन्दर तीन विधान सभा क्षेत्र आते हैं। तीनों विधान सभा क्षेत्रों में नगण्य के बराबर वहां पर सिंचाई विभाग का पैसा लगा है। मैं माननीय मंत्रीजी को इसके लिये धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन है कि जिस तरह से लापरवाही बरती गयी है इस तरह की लापरवाही यदि बरती गयी तो इस समय जो मानसून सक्रिय हो गया है वह क्षेत्र फ्लड डूब के क्षेत्र में है, वहां पर बाढ़ की स्थिति फिर उत्पन्न हो जायेगी। इसके लिये माननीय सिंचाई मंत्रीजी आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मेरा तो आपके माध्यम से यही निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिश्चन्द्र जी पल्लीवाल। पांच-पांच मिनट ही कर रहे हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : पांच-पांच मिनट तो बहुत कम हैं। हमारे आते ही पांच-पांच मिनट हुए हैं। मेहरबानी करके हमको तो सवाई माधोपुर जिले की समस्या रखनी है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान सवाईमाधोपुर जिले के किसानों की व्यथा और पीड़ा की ओर दिलाना चाहता हूं। सवाईमाधोपुर राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर जिला जिसका कि कुल क्षेत्रफल 10 लाख, 54 हजार, 396 हैक्टेयर हैं और इसमें कृषि योग्य भूमि 7 लाख, 31 हजार, 443 हैक्टेयर है और सिंचाई कितनी होती है मात्र 1 लाख, 62 हजार, 226 हैक्टेयर पर बाकी की जमीन जो है वह वह इन्द्र देवता की कृपा के ऊपर जिन्दा है। इसमें से कुओं के मापदण्ड से 1 लाख, 21 हजार, 684 हैक्टेयर जमीन के ऊपर कुओं से होती है। आप यह जानते हैं कि कुओं का जल स्तर पांच मीटर से लेकर दस मीटर तक नीचे चला गया है और आज स्थिति यह है कि उन कुओं के माध्यम से कितनी सिंचाई हो रही है यह सवाईमाधोपुर जिले का किसान जानता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आगे निवेदन करूं, सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर ले देकर एक मध्यम सिंचाई परियोजना करौली के अन्दर पाचना की बनी। 1977 के अन्दर इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकली और आज बीस साल हो रहे हैं इस बीस साल के अन्दर आपकी यह सिंचाई की योजना पूरी नहीं हुई। इसे मैं क्या कहूं? या तो सरकार की या विभाग के अधिकारियों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि बीस साल के अन्दर क्या यह योजना पूरी नहीं हो सकी? मैं जानता हूं नहीं हो सकती। इसलिये मेहरबानी करके मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो पाचना परियोजना है, इसकी योजना तो है करौली में और कमाण्ड एरिया है गंगापुर, यानि मेरे विधान क्षेत्र में।

गत वर्ष आपका कॉपर डैम टूटा। उसके पहले आपका कॉपर डैम टूटा।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

क्यों टूटा, कैसे टूटा या तोड़ा गया है ? यह तो आपके सोचने का विषय है। मेरा तो आपसे निवेदन इतना ही है कि इसका मुख्य कार्य स्पिल वे का है, वह स्पिल वे बननी चाहिये और जब तक स्पिल वे नहीं बनेगी तब तक किसानों को इससे पानी नहीं मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है अबके यह कापर डेम टूट जाए। अभी भी कापर डेम आपका पूरा नहीं बना है। है। फिर वही गत वर्ष की तरह स्थिति बनेगी।

इसके साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सवाईमाधोपुर जिला ही राजस्थान में एक ऐसा जिला है जहां पर आपकी दो बारह महीने बहने वाली नदियां हैं--बनास और चम्बल। गत कई वर्षों से चम्बल नदी के ऊपर इन्दिरा लिफ्ट योजना बनाने के लिये आपका विभाग सर्वे करवा रहा है। कभी यह कहता है कि हमने सी. डब्ल्यू. सी. को भेज दिया। कभी यह कहता है कि इसके अन्दर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी बैठकर बात करेंगे तब जाकर इस पर निर्णय होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जो इन्दिरा लिफ्ट योजना है इसके माध्यम से सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर 1 लाख 22 हजार एकड़ जमीन के ऊपर सिंचाई हो सकती है। इससे गंगापुर की तहसील, टोडाभीम की तहसील, नादौती की तहसील, खण्डार तहसील और बोंली तहसील कवर होती है। मैं निवेदन करूं कि कम से कम इन्दिरा लिफ्ट योजना, जिसका सर्वे गत पन्द्रह सालों से चला आ रहा है, मेहरबानी करके कम से कम इसको तो पूरा करवा दो।

श्री राजेश पायलट जी को देखो, 1994 के अन्दर दौसा और गंगापुर रेलवे का सर्वे करवाया और इस साल बजट में ले लिया। इसलिये आप कम से कम गंगापुर क्षेत्र के ऊपर इतनी तो मेहरबानी करो। उन्होंने दो साल में सर्वे करवा दिया और आप इतने अरसे से सर्वे करवा रहे हो और आप इसको प्लान में भी नहीं ले रहे हो।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया एक मिनट और।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : अभी है। अध्यक्ष महोदय, अभी तो बोला ही कहां हूं ? मैं अभी तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : यहां तो सब बोल बोल कर, जीतकर आते हैं।

**श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** : बहुत आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वह धन्यवाद क्या ? अतिवृष्टि हुई सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर 1995 के अन्दर, मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद नहीं देना चाहता, मैं सवाईमाधोपुर सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वह क्यों देना चाहता हूं, अतिवृष्टि के अन्दर आपने उनको पैसा दिया, विभिन्न योजनाओं में आपने उनको पैसा दिया और सवाईमाधोपुर

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

जिले में उन्होंने क्या किया ? सवाई-माधोपुर जिले में उन्होंने यह किया उस पैसे को अपने आप के अन्दर बांट लिया। बिलकुल पी गये अपने आप के अन्दर। स्थिति यह बनी, मैं छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझा दूं। इमरजेंट वर्क जो आप बरसात के पहले करवाते हैं, एक लाख का एग्रीमेंट किया गंगापुर सब डिवीजन के अन्तर्गत और नौ लाख का उनको पेमेंट कर दिया और वह भी पांच परसेंण्ट बिलो रेट के ऊपर मन्जूर किया है। मजदूर को 32 रुपये की मजदूरी दी जाती है। पांच प्रतिशत का मतलब है कि उसको सिर्फ तीस रुपये, वैसे ही तीस रुपये के अन्दर इमरजेंसी के अन्दर कोई मजदूर ही नहीं मिलता, पचास रुपये रोज के अन्दर ही मजदूर नहीं मिलते। हिण्डौन और करौली के अन्दर तो पचपन पर्सेण्ट अबव के अन्दर गया है लेकिन गंगापुर के अन्दर इमरजेंट वर्क के नाम पर पांच प्रतिशत बिलो के ऊपर दिया है आपने। एक महीने में तीस हजार मानव दिवस होते हैं तब जाकर के नौ लाख का पेमेंट होता है।

अध्यक्ष महोदय, कह रहे हैं कि समय नहीं है। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियन्ता, गंगापुर को पहले तो मैंने 22 तारीख को चिट्ठी लिखी जिसके बारे में लिखा था गंगापुर उपखण्ड के अन्दर दो महीने में लाखों रुपये का फर्जी भुगतान। यह इतने मैंने उनको पाइंट दिये और यह सारी की सारी बातें लिखीं। उसके बाद मैंने उनको 19-11-95 को लिखा तो क्या जवाब आता है मात्र दो लाइन की चिट्ठी, आपका पत्र मिला, कार्यवाही की जा रही है, जांच की जा रही है। आज तक कोई जांच नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इस तरह इतना फर्जी सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर हुआ है। अब वह क्यों हुआ है, आप कहें तो यह सारे के सारे डाकूमेंट आपको दे दूंगा। आप जांच करवा लीजिये। आप इस पर जांच करवा लीजिये सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर क्या हो रहा है, रोजगार योजना के अन्तर्गत जिलाधीश, सवाईमाधोपुर ने अतिवृष्टि के कारण लाखों रुपये का भुगतान किया है, 1979 के अन्दर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 12 काम स्वीकृत हुए और आज तक तीन काम पूरे हुए हैं। यानि 1979 से लेकर अब तक सात साल के अन्दर तीन काम पूरे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह बन गयी है सवाईमाधोपुर जिले के लिये जो आपका विभाग है वह नहीं चाहता कि सवाई-माधोपुर जिले में कहीं कोई विकास हो। इसलिये मेरी मांग है कि सवाईमाधोपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। इसलिये मेहरबानी करके वहां के कृषकों को पानी दिलाने की आप पूरी व्यवस्था कराएं। यही मेरा आपसे कहना है। जयहिन्द।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शांतिलाल खोईवाल।

**श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद)** : अध्यक्ष महोदय, आज ईरिगेशन और सी. ए. डी. की मांगों पर चर्चा हो रही है। दोनों ही महकमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जनता

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

की, आम किसानों की, ग्रामीण लोगों की अर्थ-व्यवस्था पर इन विभागों द्वारा दी गयी सुविधाएं अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। यदि सिंचाई विभाग और सी. ए. डी., दोनों को ही किसानों की आर्थिक दृष्टि से मेरुदण्ड कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जब मैं दोनों ही विभागों के कृत्य को मेरूदण्ड शब्द से सम्बोधित कर रहा हूं और यदि यह सुविधाएं किसानों को पर्याप्त तरीके से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो निश्चित तौर से यह एक चिन्तन का विषय है और इसका समाधान होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई और सी. ए. डी., यह बरसात पर ज्यादा निर्भर करती है। पुराने समय में यह मान्यता थी कि उदयपुर सम्भाग बहुत हरा भरा है। खूब बरसात होती है, पानी की कमी नहीं है। वाटर टेबल ऊंचा है और यह भी मान्यता थी कि रेगिस्तान साफ सूखा है, पानी की बिलकुल कमी है, फसलें पैदा नहीं होती हैं लेकिन आज स्थिति ठीक विपरीत हो गयी है। रिवर्स स्टेज में आ गया है, यह स्थिति क्यों आयी है? हमारी योजना बनाने वाले लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं। जब से देश आजाद हुआ इसके बारे में चिन्तन नहीं हुआ है। हमारी राजस्थान सरकार में, अधिकांश समय में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही है और इसका खामयाजा आज मेवाड़ सम्भाग के सभी जिलों को भुगतना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज राजसमंद जिले में पेयजल का संकट है। सिचाई का संकट है। मात्र 5 प्रतिशत भूमि पर सिचाई व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। चित्तौड़ जिले में तो इससे भी बदतर स्थिति है। इसके आखिर कारण क्या हैं? कारण हैं कि इसके बारे में कभी अध्ययन करके, कोई योजना आज दिन तक नहीं बनायी। जिसके कारण आज किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है पानी के लिये पानी नहीं है, पशुओं के के लिये घास नहीं है, सिचाई के लिये पानी नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है और भारी परेशानी हो रही है। रेलमगरा तहसील में हिन्दुस्तान जिंक जैसी संस्थान। उसकी खदानें लम्बे-चौड़े एरिये में डेढ़ किलोमीटर तक गहरी चली गयीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप इस स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हिन्दुस्तान जिंक की खदानें इतनी गहरी हैं कि आस-पास का पानी सारा रिसाव होकर हिन्दुस्तान जिंक की इन खदानों में चला जाता है। पानी दूषित हो जाता है। जिससे खनन सामग्री बाहर निकालने के लिये उस पानी को बाहर पम्पों द्वारा फेंका जाता है। वह पानी यदि जानवर पी लें तो जानवर मर जाएंगे। जिस जमीन में पानी भरा रहेगा, जहां तालाब बना हुआ होगा और वह भरा रहेगा तो तालाब के आस-पास की जमीन खराब हो जाएगी। यह की यह स्थिति चित्तौड़ जिले की है। चित्तौड़ में कई सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। यही नहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, एग्रजेसेंट एरिया है उसमें भी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। अब सीमेंट फैक्ट्रियों के लिये अथाह पानी की आवश्यकता होती है। सक्षम लोग हैं, चाहे हजार मीटर गहरा करना पड़े पानी निकालने के लिये तो हजार मीटर गहरा ट्यूब वेल

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

खोदेंगे। इसके कारण किसान लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। वह इसलिये बिगड़ रही है, अध्यक्ष महोदय, किसान की आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है कि वह हजार मीटर गहरा ट्यूब वैल खोद कर अपनी ज़मीन की सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध करवा लें।

**श्री अध्यक्ष** : बनास का क्या हुआ ?

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : मैं टू दी पाइन्ट ही अर्ज कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह वाकिफ है इन तथ्यों से। इनका समय रहते निराकरण नहीं हुआ, तो उस क्षेत्र के लोगों को उस क्षेत्र को छोड़ कर गुजरात और महाराष्ट्र जैसे सरसब्ज स्टेट्स हैं, वहां पर भागना पड़ेगा अपनी आजीविका के लिये आज स्थिति यह पैदा हो गयी है। आज हिन्दुस्तान जिंक के कारण कोई व्यक्ति रेलमगरा तहसील में कुआ खोदे तो मैं नहीं मानता कि 100 मीटर के पहले उसमें पानी आ जाए। वह पानी भी कितना आएगा ? क्या 100 मीटर गहरा कुआ खोदना वायबल है और इकोनोमिकल है ? कतई नहीं है। ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग को योजनाएं बनानी पड़ेगी। योजनाएं क्या बनायें सिंचाई विभाग ? हमारे लिये तो बीसलपुर परियोजना एक आफत बनी हुई है। कैचमेंट एरिया में आता है। कैचमेंट एरिया में आने के कारण कोई बड़ा बांध, नया निर्माण नहीं कर सकते।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं बनास कहां से आ रही है ? यूं कहो ना आप।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : बनास तो मेवाड़ से ही आ रही है, मेवाड़ से ही इसका उद्गम है। और मेवाड़ ही प्यासा है। यही हमारा दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : मैं निवेदन यह कर रहा था कि अब इसके समाधान के लिये हमें छोटे-छोटे एनीकट्स के निर्माण की आवश्यकता है। जहां जितने पानी बरसे, वह पानी उस जगह नहीं रोकेंगे हम तो आने वाले समय में उस क्षेत्र के लोगों को पलायन करना पड़ेगा। आपको मालूम है आज 20 हजार रुपये पर ट्रक घास का किसानों को अपने पशुओं को चराने के लिये खरीदना पड़ रहा है। क्या कारण है आखिर ? इसलिये बनास नदी पर जगह-जगह ऐनीकट्स के निर्माण करवायें जाए।

चित्तौड़ का जहां तक प्रश्न है, गोसुण्डा डेम, गोसुण्डा का मैं रहने वाला हूं। अध्यक्ष महोदय, बांध बना हुआ है, पानी देखते हैं, मन लपलपाता है कि कितना अच्छा पानी भरा हुआ है। लेकिन वह गोसुण्डा डेम भी हमारे लिये एक अभिशाप बना हुआ है। अभिशाप कैसे ? उसकी स्ट्रीम में जितने 100-50 गांव आते है उनमें पीने के पानी का संकट पैदा हो गया सिंचाई की बात तो छोड़ो आप। ऐसी स्थिति में बेड़छ नदी पर भी जगह-जगह निर्माण की आवश्यकता है। यदि वहां ऐनीकट्स का निर्माण नहीं होगा....

**श्री अध्यक्ष** : विराजें। श्री आंजना जी।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : तो उसकी स्थिति बड़ी खराब हो। एक छोटा-सा निवेदन और करना था अध्यक्ष महोदय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री आंजना साहब, विराजें।

**श्री शांतिलाल खोईवाल** : डूमड़िया बांध चित्तौड़ तहसील में बना हुआ है। गोसुण्डा का बहुत बड़ा तालाब है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। यदि वहां पर एक फीडर का निर्माण करवा दिया जाए, तो कम से कम 5-7 गांवों के किसानों के लिये सिंचाई की सुविधाएं हो जाएगी वाटर रीचार्जिंग हो जाएगी जमीन में और उनके कुओं में पानी आएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है सिंचाई मंत्री महोदय से कि इसके बारे में विचार करें और कुछ निर्णय लेंगे तो उपयुक्त रहेगा। धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सुजानसिंहजी आप कुछ कहना चाहते थे ?

**श्री परसराम मदेरणा** : फ्यूचर जनरेशन के लिये भी सोचना चाहिये, एक। दूसरा, उन्होंने गोसुण्डा बांध की बात कही ऐसे ही तिलानिया बांध में मुख्य मंत्री जी इस लूणी नदी पर बना हुआ है। आगे जसवन्त सागर खाली पड़ा रहता है। सब एनीकट खाली पड़े रहते हैं। बात तो काफी सही है, उद्योग मंत्रीजी, रोज उद्योग भवन के अन्दर लगाओ सीमेंट की फैक्ट्रियां, यह लगाओ फैक्ट्रियां और खोदो एक हजार, वह तो एक हजार मीटर खोद लेगा। लेकिन किसान जायेंगे नहीं तो क्या करेंगे ? माननीय सदस्य आप ठीक कह रहे थे उनको सबको पलायन करना पड़ेगा महाराष्ट्र में और गुजरात में इण्डस्ट्रियलाइजेशन भी आंख मीचकर मत करो। आप यह सोच रहे हो कि इण्डस्ट्रियलाइजेशन करके हमारी टर्न ओवर ज्यादा हो जाएगी, सेल्स टैक्स की रेवेन्यू बढ़ जाएगी लेकिन काश्तकार मर जाएंगे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री)** : किसान मर जायेंगे, यह बात पानी की कमी होगी तो नुकसान होगा लेकिन इसमें तो आपको तो, तो खुद को भी जानकारी है कि काश्तकारों ने भी बहुत डीप ट्यूब वैल्स खोद रखे हैं जिसके कारण से आस-पास के काश्तकार तबाह हो रहे हैं।

**श्री परसराम मदेरणा** : एक केटेगरी में नहीं। पूरे राजस्थान को तीन केटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ग्रे, व्हाइट एण्ड ब्लैक, तो उसमें कोई कानून बनाओ, बन्द करो।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : कानून बनाएंगे, मैं मानता हूं आपकी बात को....

**श्री परसराम मदेरणा** : काश्तकार तो 800, 600 फुट खोद रहे हैं, मैं 1000 फुट की बात कह रहा हूं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : मैं आपको बता देऊं, बिलकुल सही है कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर का जितना ज्यादा एक्सप्लायटेशन होगा उतनी ही पीने के पानी की प्राब्लम होगी। इसको कैसे कंट्रोल

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया जाए। इसे कंट्रोल करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है।

**श्री परसराम मदेरणा :** मैंने टोंट में कोई बात नहीं कही है। रात को टी. वी. पर एक बात आ रही थी धनबाद के अन्दर....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** बिलकुल हैं, आप कह रहे हैं उसे मान रहा हूं।

**श्री परसराम मदेरणा :** कलकत्ता सब रेलवे जाती है, आग लग गयी है और उसने जमीन को खोखला कर दिया है। एक अंग्रेज एक्सपर्ट आया था। उसने करीबन 22 साल पहले वार्निंग दी थी कि यह सब रेलें बन्द होंगी। क्योंकि जमीन नीचे से खोद दी है पूरी की पूरी। कई मीलों तक जमीन खुद गयी है। इसलिये एक्सप्लामेंटेशन नहीं हों, नेचुरल रिसोर्सेज है आज भी और उस समय responsibility and duty to the future generation.

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** वो ठीक है। मैं समझता हूं....

**श्री परसराम मदेरणा :** मैं कोई पर्टीक्यूलर बात नहीं कह रहा हूं because he influenced me. उनके आग्यूमेंट इतने कोजेंट एण्ड कविंसिंग थे....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** आग्यूमेंट आपके भी ठीक हैं, आग्यूमेंट आपके भी ठीक हैं।

**श्री परसराम मदेरणा :** वेन यू वर सिटिंग, इसलिये मैंने बात कही है। (व्यवधान) आंख मीचे हुए है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** मैं उस बात का विरोध नहीं कह रहा हूं। अच्छा अवसर है। मैं सदन को इस बात की जानकारी देना चाहता हूं। कि पानी का ओवर एक्सप्लायटेशन होगा तो कई समस्याएं हमारे सामने खड़ी होंगी। आपको याद होगा, मुझे थोड़ा-सा याद है कि आज के 15-20 वर्ष पहले एक बार इसी तरह का कानून विधान सभा में रखा गया था कि कोई कुआ खोदे, चाहें ट्यूब वैल हो चाहे कोई तरह का कुआ हो, सरकार से अनुमति ली जाएं। उस समय यह प्रश्न आया कि अनुमति देने में कई दिक्कतें आएंगी अड़चने आयेगी, अनियमितताएं होंगी। वह बिल शायद ड्राप कर कर दिया गया, वह पास नहीं हो सका। आज उसकी बहुत नितान्त आवश्यकता है कि अण्डर ग्राउण्ड के एक्सप्लायटेशन को रोकने के लिये, पानी को किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए हम भी इस पर विचार कर रहे हैं। अगले सत्र में इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया जाएगा।

## स्पष्टीकरण

### श्री सुजानसिंह यादव, सहकारिता मंत्री का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

**श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज सदन में बूंदी की घटना के सम्बन्ध

(श्री सुजानसिंह यादव)

में कोई चर्चा हुई थी उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं था

(20.00)

लगभग 100 किलोमीटर दूर मेरे मित्र की मां का देहान्त हो गया था, उस बैठक में गया हुआ था। कुछ चर्चा बूंदी काण्ड के सम्बन्ध में यहां उठी। मैं पूर्ण रूप से उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

14-7-96 को मुझे बून्दी जाना था। इसके पहले माननीय विधायक श्री ओमप्रकाश जी शर्मा, बूंदी और माननीय विधायक श्री शांति कुमार जी धारीवाल हिण्डोली, दोनों ने दो दिन तक मुझसे यह चर्चा की कि मुझे जरूर बूंदी चलना है। मैं उन्हें बार-बार इस बात के लिये इंकार करता रहा कि विधान सभा का सत्र चल रहा है, मेरे पास रुपये नहीं है। मैं नहीं चल सकता। लेकिन माननीय विधायक श्री ओमप्रकाश जी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने मुझसे यह कहा कि आपके विभाग के ही दोनों कार्यक्रम हैं, यह आपके विभाग से सम्बन्धित है, आप पधारोगे तो मेरी भी इज्जत वहां बनेगी और विभाग की भी इमेज बनेगी। इसके पश्चात मुझे यह मालूम पड़ा कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी भी पधार रहे हैं, तो मेरे दिमाग में यह बात जम गयी कि जब लीडर जा रहे हैं और मेरे विभाग से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम है तो मेरी ड्यूटी भी बन जाती है, मुझे वहां जाना चाहिये। मैं भी वहां चला गया। मैं बूंदी के सर्किट हाउस में कमरा नम्बर 3 में ठहरा था। वहां एक कार्यक्रम तो था शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की कोई एक सहकारी समिति है, बूंदी में उसका कार्यक्रम था 2 बजे और 4 बजे नागरिक सहकारी बैंक, बूंदी का था। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब तो पहले कार्यक्रम में पधारे थे। दूसरे में आप नहीं गये थे। आपको इन्वाइट भी नहीं किया था। उसके उपरान्त मेरे पास, सबसे पहले मैं यह स्पष्टरूप से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले 15-20 कांग्रेस के आदमियों का एक डेलिगेशन आया और उसके तत्काल साथ ही में भारतीय जनता पार्टी का डेलिगेशन मेरे पास में आया। भारतीय जनता पार्टी के श्री भंवरलाल जी शर्मा, मैंने तो उनको पहली बार ही देखा था। मैं उनमें से किसी को जानता नहीं था। एक ग्रुप यह कह रहा था कि नागरिक सहकारी बैंक, बूंदी के आप लाभांश बांटें। एक ग्रुप कह रहा था कि यह लाभांश नहीं बंटेगा। इस बैंक में गबन घोटाले हैं। मैंने उनको यह कहा कि मैं बगैर बुलाये नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है श्री शांतिकुमार जी धारीवाल, इन दोनों से बात कर लो। इनके सम्मान में भी उन लोगों ने कुछ अपशब्द कहे। मैंने कहा कि विधायक हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं उनको नाम लेकर इस मामले में चर्चा क्यों करते हो। इसी बात पर उनके बीच में झगड़ा हो गया। भारी झगड़ा हो गया। मेरे पड़ोस में मेरा प्राइवेट सैक्रेटरी बैठा हुआ था, मेरा पी. ए. भी बैठा था।

(श्री सुजान सिंह यादव)

एक सज्जन कोई ग्रौर बैठे हुए थे, वह ज्यादा बात कर रहे थे। झगड़ा कर रहे थे बी. जे. पी. वालों से इस बात पर कर रहे थे वह कह रहे थे कि चलो वह कह रहे थे नहीं चलो। मैंने उनसे कहा कि यह झगड़ा क्यों करते हो तो बाहर करो, मेरे से क्यों झगड़ा करते हो। एक लड़का था जिसकी जेब में कुछ स्याही थी, उसने उस लड़के पर इस तरह से फेंक कर मारी कि मेरे पड़ोस में जो लड़का बैठा था उसके उस पर भी छींटें ग्राये, मेरी कमीज पर भी छींटें लगे, मेरे सेक्रेटरी भी उनको छुड़ाने में लगे तो उनके कपड़े भी खराब हो गये। न मेरे सर पर किसी ने स्याही पोती, न ही इन्टेंसली किसी ने स्याही डाली। यह सब मनगढ़ंत बात हैं। यह कोई ग्रच्छी बात नहीं थी। सत्यता तो इस बात की ये है। मेरी छवि को धूमिल करने की कुछ लोगों ने कुचेष्टा की थी। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं किसी को जानता नहीं था, मेरी जानकारी थी नहीं, इसी उद्देश्य से मैं गया था ग्रौर इतनी सी घटना हुई थी। इससे ज्यादा कोई घटना नहीं हुई। मैं उस फंक्शन में गया भी नहीं। दोनों ने, कांग्रेस वालों ने यह कहा कि ग्रापको जाना है, बी. जे पी. वाले कह रहे थे कि नहीं जाना है। इस डिस्प्यूट के कारण में उस फंक्शन में गया नहीं। एक फंक्शन अटैंड करके मैं वापस ग्रा गया। सत्यता तो इस बात की ये है। (व्यवधान)

**श्री ग्रध्यक्ष** : बिराजें। ....नो एक्सप्लेनेशन। बिराजें ग्राप।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : ग्रध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता कि मेरा नाम मंत्री जी द्वारा लिया गया ग्रौर उन्होंने यह भी कहा कि मुझे ग्रौर ग्रोमप्रकाश जी को भी कुछ ग्रपशब्द कहे। चूंकि जिस फंक्शन में हमने ग्रापको इन्वाइट किया था। किस्सा यह है कि ...

**श्री ग्रध्यक्ष** : बिराजें ग्राप।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : उस नागरिक सहकारी बैंक के चुनाव नहीं हो रहे थे। हमने ग्रापसे रिक्वेस्ट करी कि सारी जगह ग्राप राजस्थान में चुनाव करवा रहे हैं, इसके चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। आपने कहा कि जरूर चुनाव कराऊंगा ग्रौर चुनाव डिक्लेयर करवा दिये।

**श्री ग्रध्यक्ष** : बिराजें।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिये नहीं चाहते थे क्योंकि उनको हारने की ग्राशंका थी। नतीजा यह निकला कि चुनाव में जीतने भी जीते वह सब कांग्रेस पार्टी के लोग जीते। उनके फंक्शन में ग्रापको इन्वाइट इसलिये किया गया था कि उस बैंक का एक बहुत ही ग्रच्छा रिकार्ड रहा है। जिसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं हुग्रा। एक रिपोर्ट ग्रायी थी सहकारी डिपार्टमेंट के पास, जिसकी उसने जांच करायी ग्रौर जांच में वे लोग बरी हुए। हमने ग्रापकी इज्जत ग्रफजाई इसलिये चाही थी ग्रौर आपने हमारे ग्रादरपूर्वक इनविटेशन के लिये इसलिए हां भरी थी, क्योंकि ग्राप भी उस बैंक के कार्य कलापों

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

को अच्छी तरह से जानते थे। आपने कहा था कि लाभांश मैं बांटूगा। उस फंक्शन में आप पधारे थे। नाराजगी उन लोगों को थी जो कि चुनाव हारे थे और जो कुछ बारदात आपके साथ हुई वह उन लोगों ने की....

**श्री अध्यक्ष** : आपने कह दिया ना सारी बात। बिराजें आप। श्री हरिसिंह जी (अनुपस्थित)। श्री उदयलाल जी आंजना।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : और वे प्लान वे में आये गये थे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मौजूद था। अगर मान लीजिये कोई बारदात नहीं हुई तो पुलिस से तीन आदमियों को गिरफ्तार क्यों किया ?

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप। इतने लम्बे भाषण की बात नहीं है। बिराजें आप। He has given his explanation. that's all.

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : क्यों भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को चार घण्टे तक थाने पर बैठाये रखा। मैं इस बात की निन्दा करता हूं, अध्यक्ष महोदय, और मंत्री जी से भी यह निवेदन करता हूं कि आप मंत्री पद से मत डरिये। आप में अगर कलेजा है तो खुले में कहिये कि किसने आपसे बारदात की क्यों छुपा रहे हैं आप उस बात को। कहिये आप इस बात को

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप। हो गया बस।

**श्री शांति कुमार धारीवाल** : जो लोग इस तरह की गलती करते हैं और जो लोग माननीय सदस्यों की बेइज्जती करते हैं....

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें आप। अब अंकित नहीं करे आप। अंकित नहीं हो।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : कृपा करके बिराज जाएं आप। आप इसको तिल का ताड़ क्यों बना रहे हैं ? इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। बिराजें आप।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : बिराज जाए। हो गयी आपकी बात। अंकित नहीं हो। श्री आंजना साहब।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल** : ×××

**श्री अध्यक्ष** : बिराजें ना आप। अब आप किस इश्यू पर बोलना चाह रहे हैं ? समझ में नहीं आ रहा है। बिराजें आप।

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** ××××

**श्री अध्यक्ष :** कृपा करके विराजें आप।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें, हो गयी बात।

**श्री शांतिकुमार धारीवाल :** ×××

**श्री परसराम मदेरणा :** ×××

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** ×××

**श्री शांतिलाल चोईवाल :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** बिराजें आप।

**श्री टीकमचन्द कांत :** ×××

**श्री परसादी लाल मीणा :** ×××

**श्री रतनलाल ताम्बी :** ×××

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** ×××

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** ×××

**श्री शांतिलाल चोईवाल :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** कृपया बिराजें। कोई बात अंकित नहीं हो रही है। आपको कह दिया। कोई अंकित नहीं होगी।

**श्री परसराम मदेरणा :** ×××

**श्री परसादी लाल मीणा :** ×××

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** आप छोटी सी बात को क्यों लम्बा करते हो।

**श्री परसराम मदेरणा :** ×××

**श्री परसादी लाल मीणा :** ×××

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** ×××

**श्री परसराम मदेरणा :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** कुछ भी नहीं लिखेंगे। कोई भी इस प्रकार का शब्द नहीं लिखेंगे। बिराजें आप श्री आंजना साहब।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** ×××

**श्री अध्यक्ष :** बैठ जाय श्री शैलेन्द्र जी।

## मांग संख्या--46 पर प्रश्नोत्तर विचार

**श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :** अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई पर अपने आपको सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़ी मानसरोवर बांध के सम्बन्ध में। बाड़ी मानसरोवर बांध का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर ने 1989 में किया था। योजना के अनुसार उसको 1993 तक पूरा हो जाना था लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से यह बांध अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है।

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उदयलाल आंजना)

और अभी तक कछुआ चाल से उसका निर्माण कार्य हो रहा है। दुःख की बात यह है कि इसी बांध से छोटी सादड़ी की पेयजल व्यवस्था भी जुड़ी हुई है। उसमें करीब 450 करोड़ रुपये सरकार ने खर्च कर दिये हैं लेकिन बांध में पानी नहीं होने से उस योजना का लाभ छोटी सादड़ी की जनता को नहीं मिल पा रहा है। पाइप लाइन पूरी हो गयी, फिल्टर प्लांट लग गया, मोटरें लगने को जा रही है। इसलिये बाड़ी बांध को जल्दी प्रारम्भ किया जाए। मंत्रीजी बीकानेर साइड की योजना तुरन्त पूरी करवा देते हैं लेकिन छोटी सादड़ी क्षेत्र से न जाने क्या नाराजगी है। अभी तक उस बांध का कार्य पूरा नहीं किया गया है। अतः निवेदन करना चाहता हूं कि उस काम को जल्दी से पूरा किया जाए।

इसी प्रकार से क्षेत्र में एक पण्डेरिया बांध भी है। 18 मई, 1992 को आदरणीय श्री शेखावत साहब, उस समय भी मुख्य मंत्री थे, पधारे थे। उन्होंने गांव में घोषणा की थी कि इसका जल्दी से जल्दी सर्वे करवा कर इस काम का निर्माण कार्य कराया जाएगा। सौभाग्य से पुनः श्री शेखावत साहब मुख्य मंत्री हैं और वहां की जनता भी आपसे काफी आस लगाये हुए बैठी है कि श्री शेखावत साहब ने घोषणा की है तो यह काम निश्चित ही पूरा होगा। लेकिन अभी तक उस सन्दर्भ में कोई काम हुआ नहीं है। न सर्वे हुआ, न कोई काम हुआ है। अगर पण्डेरिया का डैम बनता है तो वहां आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी जनता को काफी इससे लाभ मिलेगा।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हू कि जब श्री शेखावत साहब ने वहां से एम. एल. ए. का चुनाव लड़ा था उस समय वहां के आदिवासियों को बोल दिया था रावत भाई और राजपूत भाई तो एक ही हैं इसलिये वे आज राजपूतों से नीचे उतरने को तैयार नहीं हैं। वे आदिवासी हैं और वे उनकी छूट भी नहीं लेना चाहते हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) :** नहीं उतरते तो अच्छा ही है।

**श्री उदयलाल आंजना :** उनकी आर्थिक स्थिति तभी ठीक हो पाएगी जब उस बांध का निर्माण हो जाए। तो उससे रूप से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वह तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है।

**श्री देवी सिंह भाटी :** बांध का नाम क्या बताया ?

**श्री उदयलाल आंजना :** पण्डेरिया डैम।

**श्री परसराम मदेरणा :** बहुत पुरानी बात है। स्वर्गीय महाराजा श्री हनुमंत सिंहजी ने रावतों को इकट्ठा किया था आपके सेंदड़ा में, उस वक्त राजपूत बनाने की बात चल रही थी। उसका

(श्री परसराम मदेरणा)

अनुसरण ही किया है उन्होंने ऐसी क्या खास बात है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** उनको राजपूत बनाने की जरूरत नहीं है वे राजपूत हैं ही।

**श्री उदयलाल आंजना :** नहीं, वे राजपूत हैं लेकिन उनको आर्थिक स्तर से ऊपर उठाना चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** उठना चाहिये लेकिन सारे ही राजपूतों का आर्थिक स्तर गिरा हुआ है उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं कि कैसे ऊंचा हो।

**श्री उदयलाल आंजना :** मैं तो आदरणीय मुख्य मंत्री साहब से इस मौके पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने घोषणा 18 मई को की थी, वह पण्डेरिया बांध शुरू करवा दिया जाए तो काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही छागलोर गांव के पास....

**श्री अध्यक्ष :** एक ही बांध बनाना है इनको तो।

**श्री उदयलाल आंजना :** एक छागलोर गांव के पास इन्दिरा सागर योजना है, उसकी 1987 में स्वीकृति हो गयी थी लेकिन वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने की वजह से वह काम अभी तक रुका पड़ा है। अगर इन्दिरा सागर योजना का काम भी हाथ में लिया जाएगा तो जल स्तर निश्चित रूप से ऊपर उठेगा।

हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि निम्बाहेड़ा और पंचायत समिति छोटी सादड़ी को डार्क जोन घोषित कर रखा है। इसका मुख्य कारण जल स्तर का नीचे जाना है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि भौगोलिक स्थिति का पूरा सर्वे कराकर जहां-जहां सम्भव हो सके छोटे बांध या तालाब बनाये जाने चाहिये ताकि जल स्तर नहीं घटे और काश्तकार आराम से लाभान्वित हो सकें।

छोटे तालाब जहां पर बनने की सम्भावना है उस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक छोटी सादड़ी पंचायत समिति में भागोत्री गांव के पास ऐसी भौगोलिक स्थिति है, जो नाला है उस पर इस प्रकार का बांध बन सकता है। कनेराघाटा में, सरसी, अजोता और और साड़, ये तीन स्थान ऐसे हैं जहां छोटे बांध या एनीकट बन सकते हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** क्या दबा रहे हो? खेतसिंहजी को कैसे दबा रहे हैं श्री शांतिकुमारजी?

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** श्री खेतसिंह जी दबा रहे, हैं साहब।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** ऐसा है क्या?

**श्री हरिसिंह (महुआ) :** आपको पता ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : विराजें। कृपया बोलने दें। बोलने दें इन्हें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : हाथ पैर दबा रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवायें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : श्री खेतसिंहजी साहब, कोई दबने वाली चीज है नहीं। चीज बड़ी मस्त-मस्त।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अब तो जवाब हो जाए, साहब।

**श्री उदयलाल आंजना** : डार्क जोन घोषित होने की वजह से जो काश्तकारों को लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिला है। कुएं खोदने का और सिंचाई के साधनों का लाभ भी उनको नहीं मिलता हैं। इसलिये छोटे बांध बनाने की समस्या का निराकरण करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोपीचन्दजी।

**श्री गोपीचन्द गुर्जर (नगर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 46 पर अपने आपको शामिल करता हूं।

**श्री उदयलाल आंजना** : मेरे से पूर्व खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य ने, कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीसलपुर योजना के सन्दर्भ में निवेदन किया है।

**श्री गोपीचन्द गुर्जर** : भरतपुर का सचाई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है वैसा कोई सिस्टम पूरे देश में नहीं है।

**श्री उदयलाल आंजना** : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी होने दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : पांच मिनट हो गये।

**श्री उदयलाल आंजना** : देना ही नहीं चाहते तो आपकी मर्जी।

**श्री गोपीचन्द गुर्जर** : चीन में इंजीनियरिंग कालेज के अन्दर नये इंजीनियर्स के लिये एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम है भरतपुर सिस्टम....

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : अभी माननीय सदस्य जिसका कह रहे थे ....

**श्री उदयलाल आंजना** : नहीं, आप वायदा करके आये थे।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बाड़ी के बांध का वायदा तो 30 वर्ष से चल रहा था। 1986-87 में शायद यह मन्जूर हुआ। उसके बाद इनको जानकारी है उस बांध पर निर्माण का काम इसलिए नहीं हो सका कि जमीन एक्वीजीशन का मामला था। ये खुद भी जानते हैं अच्छी तरह से तो एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग बड़ी मुश्किल से खतम हुई फिर कोर्ट में चले गये और उसी में कुछ लोग इन्ट्रेस्टेड हैं कि हमारी जो जमीन डूब में आने वाली है वह डूब में नहीं आये। इस विवाद और इन सारी बातों के कारण से देरी हुई और कोई कारण नहीं है।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के लिए एक बात कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी सरदार सरोवर बांध का समझौता करके आये हैं, सदन में कुछ बताया नहीं, आज उपस्थित हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता भी जान जाए कि सरदार सरोवर बांध के बारे में आप क्या करके आये हैं। सिंचाई की बहस भी चल रही है, तो उसके बारे में आप अगर कहे अध्यक्ष महोदय से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कल जानकारी दे दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : कल दे दीजिये, क्योंकि मैं थोड़ा सा कडाना के एग्रीमेंट को पढ़ कर आऊंगा उस वक्त सरदार सरोवर की हाइट का क्या मामला था। आप तय करके आये हैं एक्ज़ेक्टली वहां पर अभी कह देंगे तो फिर वह वाक्य हो जाएगा। कल मैं थोड़ा देख कर आ जाए पुराने कागजों को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देख कर आ जाइये, मैं भी आ जाऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : कल ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो कल दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल का तय कर दें, अध्यक्ष महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : एक एग्रीमेंट हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके तो टिप पर है, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपी चन्दजी।

श्री परसराम मदेरणा : एक पर्टिकुलर हाइट पर यह डिसिजन लेकर आ गये, इसके साथ में कडाना का एग्रीमेंट का भी जुड़ा हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कडाना का तो जुड़ा हुआ है ही।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के पानी का मसला भी उससे जुड़ा हुआ है। इसलिये थोड़ा सा हम भी रात को देख लें। मैटर टेक्नीकल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप देख लीजिए, आप पूरा देख लें तब मुझे कह देना उसी दिन स्टेटमेंट दे देऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास पुराने कागजात तो हैं लेकिन नहीं हो तो कुछ कागजात आपसे मांगने पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भेज दूंगा वे सारे एग्रीमेंट्स।

श्री परसराम मदेरणा : कोई होगा तो इन्फोर्मेशन मुझे आपसे लेनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कापी भेज दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको सारी बातें वैसे ही याद रहती है।

श्री परसराम मदेरणा : वैसे ही नहीं हैं यह इतना लेकर के पानी नीचे लाना है, यह इतना आसान काम नहीं है। बड़ी ऊंची नहर बनानी पड़ेगी ऊपर।

श्री गोपीचन्द गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लगातार दो वर्ष से भरतपुर में बाढ़ का प्रकोप हो रहा है जबकि भरतपुर का सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है शायद ही विश्व में कहीं पर भी इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। कितनी भी भयंकर बाढ़ आये यदि भरतपुर के सिस्टम को कम्पलीट ठीक कर दिया जाए तो भरतपुर कभी भी बाढ़ की चपेट में नहीं आ सकता। भरतपुर मे एक बांध में पानी आता है, उसके बाद में नहरों के माध्यम से दूसरे बांध में जाता है, उसके बाद तीसरे बांध में जाता है और उसके बाद चौथे बांध में जाता है। इस तरीका का सिस्टम है और इस सिस्टम के ऊपर केवल यहीं नहीं चीन के अन्दर भी डिस्कस होता हैं। चीन के अन्दर इंजीनियरिंग कालेज के अन्दर एक चैप्टर केवल भरतपुर सिस्टम के नाम पर अध्ययन कराया जाता है कि भरतपुर जैसा सिंचाई सिस्टम दूसरे देशों के अन्दर भी होना चाहिये।

लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि भरतपुर के सिस्टम को आजादी के बाद बिलकुल डेमेज कर दिया, बिलकुल उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सारी नहरें सिल्ट अप हो गयी और सारे नदियों के गेट जाम हो गये। पिछले वर्ष बाढ़ आने के बावजूद भी, जबकि पिछली बार सारी स्थिति सामने आ गयी उसके बावजूद साल भर तक हमारी सिंचाई विभाग सोता रहा। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि सिंचाई विभाग ने काम नहीं किया लेकिन सिंचाई विभाग के लिये बजट भी माननीय मंत्री महोदय ने भरतपुर के लिये नहीं दिया। उसके कारण भी काम नहीं हो सके। जबकि बजट कम से कम सितम्बर के महीने से पहले पहले पहुंच जाना चाहिये जिससे काम हो सके। अबकी बार जब फ्लड आयी तो एक परसेंट कोई आप व्यवस्था नहीं कर पाये। आज जो स्थिति भरतपुर में पैदा होने की बन रही है, एक तरफ बाढ़ की चपेट में आ गया और दुर्भाग्य से यदि बरसात कम हुई तो एक भी बूंद पानी भरतपुर में कामां के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम बाढ़ से पीड़ित हो गये, हम सूखे से भी पीड़ित होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इस बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है।

मैं एक बात के लिये माननीय मंत्री महोदय को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बाढ़ के आने के बाद स्थिति को गम्भीरता से लिया गया और सी. ए. डी. और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के स्टाफ को इन्स्ट्रूमेंट्स के साथ भेजा जा जोरदारी के साथ काम कर रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि यह स्टाफ और इन्स्ट्रूमेंट्स सीकरी बांध के बीचों को ठीक

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

करने के लिये या दूसरी नहरों के ब्रोचों को बंद करने के लिए भेजा गया है। मेरा निवेदन है कि इनके द्वारा एक बार एटू जेड भरतपुर के सिंचाई सिस्टम को ठीक कर दिया जाए तो बाढ़ का स्थाई हल हो जाएगा। यदि केवल ब्रोचों को ठीक करने के बाद इन्स्ट्रूमेंट्स और स्टाफ वापस आ गया तो अगली बार भी वही स्थिति होगी जो इस बार हुई है। भरतपुर के ठेकेदार और सिंचाई अधिकारी काम करा पाएंगे ऐसी सम्भावना नहीं लग रही है। यह चौड़ में हमको साबित हो चुका है पिछली बार जब बाढ़ आयी और कोई व्यवस्था नहीं हो सकी तो आगे भी यह नहीं कर पाएंगे।

मेरा निवेदन है कि सीकरी सिस्टम में केवल बांध को कम्पलीट करने के लिये स्टाफ भेजा है जबकि वह कोई बांध नहीं है एक सिस्टम है जिसमें 28 नहरें और 18 बांध हैं और इन 28 नहरों को यदि शुरू से लेकर लास्ट तक क्लीयर कर दिया जाए, 18 बन्धों को कम्पलीट कर दिया जाए तो भरतपुर में कभी बाढ़ का संकट नहीं आएगा। जब सीकरी सिस्टम टूट जाता है तो सीधा पानी सारे छोटे-छोटे बंधों को तोड़कर भरतपुर की मोती झील में पहुंच जाता है उसके बाद टूटने की स्थिति आती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ का एक बड़ा कारण यह है कि जो सिंचाई सिस्टम है उसमें भयंकर तरीके से अतिक्रमण किये गये हैं और सिंचाई विभाग निश्चित रूप से कुम्भकरण की नींद सोता रहा, कहीं पर भी किसी को नहीं रोका। आज ऐसा अवसर और मौका है कि इरिगेशन का पानी निकलने के लिये रास्तों पर जो अतिक्रमण हैं उनको हटाने के लिये सिंचाई विभाग प्रयास करे तो जनता भी साथ देगी और जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं वे भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। भरतपुर के पुराने नक्शों को निकाल कर भरतपुर सिस्टम को कम्पलीट किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे नगर तहसील में जोतरी उला और ओतरी पीपल के बीच दो पहाड़ हैं, उनके बीच में एक गैप है। पहले सर्वे हुआ, योजना बनी पर पता नहीं क्यों अधूरी रही। आज वहां मेवात के कम से कम 15-20 गांव बुरी तरह बाढ़ से पीड़ित हुए हैं। यदि दोनों पहाड़ों के नत्थों को जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा एनीकट बन जाएगा, वहां के पचासों गांव बाढ़ की पीड़ा से बच जाएंगे और पापडा का बांध जो टूटा है वह कभी टूटने की स्थिति में नहीं आएगा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बंधे पंचायतों में हैं और पंचायतों के पास ऐसी कोई अमाउण्ड नहीं है जिससे वह उनको मेन्टेन कर सकें, ठीक करवा सकें। सेवल बांध हर साल टूटता है। वहां खोरी में खूटाकी नाम का गांव है। वहां पर पांच-सात नंगलें ऐसी हैं जिनको देखने से लगता है कि कोई गांव बसा ही नहीं था, इस ढंग से गांव को साफ कर दिया है। इसलिये वहां कम से कम 250 मीटर की सुरक्षा

(श्री गोपीचन्द गुर्जर)

दीवार और उस बांध को कम्पलीट करा दिया जाये। इसी तरह माधोगढ़ माइनर गोपालगढ़ कस्बे के ऊपर होकर निकली हुई है इसको पंचायत के वंधे के नाम से जाना जाता है, उसके लिये भी बजट का प्रावधान किया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : आधा मिनट ही रहा है। कृपया समाप्त करें।

**श्री गोपीचन्द गुर्जर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई विशेष बात नहीं कहनी। मैं एक ही बात के बारे में दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर सिस्टम और सीकरी सिस्टम को कम्पलीट किया जाए। मोरा नहर जो सीकर कस्बे से निकलती है उसमें भयंकर तरीके से सिल्ट मिट्टी भरी हुई है और कस्बे में उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। यदि विभाग अतिक्रमण हटा दें तो सीकरी में कभी बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। इस सिस्टम के लिये एक बार पूरा बजट दे दिया जाए।

दूसरा, निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले के गांव-गांव में तालाब थे, आज वे सारे तालाब समाप्त होने की स्थिति में आ गये। इसलिये गांव की आबादी के अनुपात में अधिक से अधिक तालाब खुदवायें जाए। एक भी ग्राम पंचायत ऐसी न बचे जिसमें गहरे से गहरे तालाब न हों, इनसे न केवल सिंचाई का काम ही होगा बल्कि पी.एच.ई.डी. का भी बहुत काम हो जाएगा। यदि प्रत्येक पंचायत और गांव में तालाब खुदवा दिये जाए तो मैं समझता हूं कि पी. एच. ई. डी. की योजना की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : आज सभी माननीय सदस्यों का मन जाने का हो रहा है। कह रहे हैं कि अब सरकार का जवाब आ जाए। आपकी क्या अनुमति है ?

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : हमारी बात कैसे कहें, हम बोलने के लिये खड़े हैं। वे बोलकर चले गये, आपने उनको दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मिनट दिये, बिलकुल भेदभाव है। इसलिये आसन हमारे लिये व्यवस्था दे। हमारी समस्याएं हैं, कटमोशंस दिये हैं, हमारा भी नाम है।

**श्री परसादीलाल मीणा** : ऐसे बोलने का मौका नहीं देंगे ?

( 20.26 )

**(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

**श्री परसराम मदेरणा** (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इरिगेशन की बहुत महत्वपूर्ण मांग है। राजस्थान ऐसा प्रांत है जिसमें देश का एक प्रतिशत जल है। एक-एक बूंद को बचाने की बात इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर लिखी रहती है। माननीय सदस्य अपने सुझाव और प्रस्ताव रख रहे हैं कि एक-एक बूंद पानी को कैसे बचाया जाए और राजस्थान के काश्तकारों को पीने के पानी और सिंचाई के पानी को उनके खेतों में पहुंचाने के लिये किस योजना को हाथ में लिया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है और सरकारी पक्ष

(श्री परसराम मदेरणा)

यदि यह चाहता है कि साढ़े आठ बज गये हैं...

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** हम बिलकुल नहीं चाहते हैं।

**श्री परसराम मदेरणा :** मुख्य मंत्रीजी और सदन के नेता सदन में उपस्थित रहते हैं, क्यों रहते हैं पता नही ? पार्लियामेंट में तो प्रधान मंत्री तीन दिन के बाद आते हैं। आप यहां रहे हैं, यह अलग बात है। लेकिन 12-1 बजे तक डिबेट चलने दीजिये, इसे क्या है, Heaven is not going to fall मैंने सदन में भी अपने मैम्बर्स को यह बात कही है कि आप दस मिनट से ज्यादा समय लेते हैं You are creating a problem for me. मैंने आज सख्ती से कहा है और आसन से भी रिक्वेस्ट की है कि कोई कितना भी इम्पोटेण्ट सदस्य हो दस मिनट से ज्यादा समय मत दीजिये। सदस्य डिबेट में पार्टिसियेट करना चाहते हैं आप उनको बोलने का अवसर दीजिये। अभी तो साढ़े आठ बजे हैं।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत :** बिलकुल छूट दो।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री बनवारीलालजी शर्मा।

**श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिचाई मंत्रीजी का ध्यान धौलपुर जिले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। धौलपुर में 50-60 वर्ष पहले स्टेट टाइम से ओडेरा बंध के नाम से बंध था वह किसी कारण से पिछले छह वर्ष से टूटा हुआ पड़ा है। विभाग ने उसके लिये रुपये भी मंजूर किये थे लेकिन उसकी मरम्मत आज तक क्यों नहीं करायी गयी है, आखिर क्या कारण है ? मेहरबानी करके इसकी मरम्मत करायी जाए यह मेरा निवेदन है।

विभाग की लापरवाही के कारण पार्वती का बांध टूट गया। इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान वहां की जनता का हो गया और विभाग का भी नुकसान हो गया। मैंने करीब 1983 में, उस समय मेरे ख्याल से माननीय श्री परसराम जी सिचाई मंत्री थे, उनको पत्र लिखकर मैंने निवेदन किया था कि इस बंध को कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। माननीय श्री परसराम जी इमीजियेट रश करके वहां पहुंचे तो देखा कि बंधे में दरारें हो गयी हैं। लेकिन विभाग की लापरवाही के वजह से वह बंधा टूट गया। मैं आपसे अर्ज करूं कि उससे विभाग का भी नुकसान हुआ है, जनता का भी नुकसान हुआ है और अगले दो-तीन साल जो भी उसमें लगेंगे उससे खेतो का और फसल का नुकसान होगा। वहां की जनता को बहुत भारी परेशानी उठानी पड़ेगी।

मेरा तो आपसे इतना निवेदन है, आप देखिये विभाग की लापरवाही कितनी रही। 5-5 आपके अधिकारी, बड़े-बड़े इंजीनियर्स जिनकी मृत्यु सिर्फ विभाग की लापरवाही की वजह से हो गयी। आज विभाग की लापरवाही यह है कि एक-एक नाव में 9-10 जने बैठें और जब बंधे में

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

वह जा रही थी तो वहां पर न तो जैकट्स का इंतजाम किया गया, न यह देखा गया कि इस नाव की कैपेसिटी कितनी है, न उनके लिए ट्यूब का इंतजाम किया गया था और 5-5 इंजीनियर्स की मौत हो गयी। यह विभाग के लिये बड़े ही शर्म की बात है। ठीक है कोई दुर्घटना हो गयी लेकिन आज विभाग ने उनके लिए क्या किया ? मुख्य मंत्री कोष से थोड़ा सा पैसा दे दिया। उनके परिवार वालों के लिये आपने क्या मदद दी ?

मेरा निवेदन है कि उनके परिवार वालों को आप ज्यादा से ज्यादा मदद दीजिए। उस बांध के ऊपर काम तीव्र गति से चलाइये जिससे वह बंधा जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। हम तो मांग कर रहे थे कि सैकण्ड पार्वती आप बनायें। यहां माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि जहां पानी नहीं है वहां के लिये मांग कर रहे हैं लेकिन हम वह बात कर रहे हैं कि धौलपुर जिले में इतना पानी है कि हम सैकण्ड पार्वती की मांग कर रहे हैं। न तो सैकण्ड पार्वती के लिये विभाग ने कुछ सोचा और लिफ्ट इरिगेशन को, आज इन्दिरा गांधी कैनाल में बीस-बीस जगह लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं। कारण क्या है कि चम्बल नदी वहां पर बह रही है और वहां पर आप लिफ्ट इरिगेशन से वहां की जनता को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं ? मेरा आपसे निवेदन है कि पूरी योजना में आपके पास इतना पैसा नहीं है तो छोटी-छोटी लिफ्ट इरिगेशन की योजनाएं बनाकर वहां की जनता को लाभ पहुंचायें, वहां के कृषकों को लाभ पहुंचायें, मेरा आपसे यह निवेदन है।

उर्मिला सागर है वहां पर उसका कैचमेंट एरिया बढ़ाइये और इसके साथ-साथ जो उसकी नहर है उसको पक्का कराइये जिससे आप उतने ही पानी से ज्यादा लोगों और कृषकों से सिंचाई करा सकें। आप उसको पक्का कराइये।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि आप यू. पी. के तरीके से वहां पर नहरों को तोड़ देते हैं चाहे वह नहर डिफक्टिव बनी हुई हो बीच-बीच में रोककर पानी लेते हैं। लोग तोड़ देते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह से यू. पी. में कैनाल मजिस्ट्रेट वहां अलग से हैं आप उस प्रकार का प्रोविजन राजस्थान में क्यों नहीं करते हैं ? कैनाल मजिस्ट्रेट यहां पर भी बनाये जाए, अगर कोई मुकदमे भी होते हैं तो न तो आपके अधिकारी पैरवी कर सकते हैं, न कोई मजिस्ट्रेट है जो फैसला कर सकें। बरसों लग जाते है मुकदमों में, उनका कुछ होता नहीं है। मेरा आपको निवेदन यह है कि आप इसके लिए कम से कम कोई एक कैनाल मजिस्ट्रेट नियुक्त करें।

इसके साथ ही मंत्री महोदय क्या कारण है कि पिछले दो तीन सालों में आपने धौलपुर जिले को नेगलेक्ट कर रखा है ? एक भी आपने माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं दिया है। सिवाय मेंटीनेंस के लिये आपने कुछ थोड़ा रुपया जरूर दिया है लेकिन भी प्रोजेक्ट माइनर इरिगेशन में

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

नहीं दिया है आप ने आखिर क्या कारण है ? मैंने कई बार निवेदन किया कि वहां पर बिलाया एक नाला है पंचायत समिति राजाखेड़ा में ग्राम काशलपुर के पास में, खुर्द के पास में बिलाया एक नाला है उसको अगर रोक दिया जाए, तो उससे 500 बीघा जमीन की पैंटा. काश्त की आबपाशी होगी, वहां जमीन मे पानी बढ़ेगा, मवेशियों को पानी का लाभ मिलेगा, कुओं में पानी की लेवल बढ़ेगी लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि तुरन्त उसकी सर्वे करके प्रोजेक्ट को मंजूर करावें, उस क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचावें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई विभाग में प्रशासनिक और तकनीकी कार्य को देखने के लिये मुख्य अभियन्ता स्तर के मैं समझती हूं कि 7 पद स्वीकृत है जो कि विभागाध्यक्ष स्तर के हैं। उसके बावजूद भी सिंचाई के कार्यों की देखभाल से शायद ही आपको सन्तोष होगा। जहां लिफ्ट सिंचाई की जाने की योजनाएं हैं और जहां कुछ कार्य संचालित भी किये जा रहे हैं खेद की बात हैं कि वहां पानी को इकट्ठा करने के बंधे तक भी नहीं हैं। इस प्रकार से अब तक जो वृहद सिंचाई की योजनाओं का समय समय पर सर्वेक्षण किया गया उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सन्तोषजनक नहीं है। यह आप स्वयं देखें किस प्रकार से इस सारे काम को आप संचालित कर पायेंगे।

जयपुर में कोई ऐसी सिंचाई की वृहद योजना नहीं है। बरसाती नालों के माध्यम से हम थोड़ी बहुत सिंचाई कर पाते हैं। यहां छोटी छोटी लघु सिंचाई की योजनाएं आपके द्वारा बनाई जानी चाहिये। जो भी बरसात का पानी है उसको हम रोक सकें, लोगों को सुख दे सकें और सिंचाई के काम में आ सकें, इसकी योजनाएं बनाई जानी चाहिये। एक योजना 1985 आपके में विभाग ने कानोता बांध की बनायी। उसकी डूब में आने वाले 9 बड़े गांव है। 9 बड़े गांवों में चाही जमीन, बारानी जमीन, आबादी की जमीन, और चारागाह की जमीन बड़े पैमाने पर आने वाली है। आपने नोटिस तो दे दिये लेकिन उनको कहां बसाया जाएगा, वह क्या करेंगे इसकी कोई भी आपने समुचित रूप से कोई रूप रेखा तैयार नहीं की और अभी 11 साल होने को जा रहे हैं लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं।

मैं एक गांव मुकन्दपुरा का उदाहरण देना चाहूंगी। मैंने स्वयं ने पक्के मकान 246 बनवाये, स्कूल पक्का बनवाया और वह ऐसे मकान हैं कि हाउसिंग बोर्ड के मकान भी नहीं होंगे और उनको भी उठाये जाने की योजना है। मैं यह नहीं कहती कि आप बांध नहीं बनाएं लेकिन उनकी सहमति प्राप्त करके उनको बसाये जाने की योजना जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। वैसे भी इसमें पानी संग्रहण अधिक नहीं हो सकता इसलिये और ऐसी योजनाएं बनाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

दुर्भाग्य की बात है कि हमारे रामगढ़

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के बंधे से पहले सिंचाई हुआ करती थी लेकिन अब सिंचाई नहीं पेयजल के लिये है तो भी चोरी-चोरी सिंचाई के लिये पानी जाता है । उसको आप रोक नहीं पाते हैं । इसको रोके जाने के आपकी ओर से प्रयास किये जाने चाहिये और वहां पर और सिंचाई के छोटे बांध आपको अपने हाथ में लेने चाहिये । यों तो एशियाड की ऐसी नजर लगी कि दो बार उस बंधे की धरती दीख गयी । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जलमहल का बंधा ऐसा था जो लघु सिंचाई के काम में आता था और हमारी पीली की तलाई, आमेर के इलाके की और जयसिंहपुरा खोर के इलाके में जो फूल पैदा करते हैं उनके काम में यह बंधा आता था। दुर्भाग्य की बात है कि आज कल यह निगम को दे दिया गया। निगम को क्या सोचकर आपने दिया मेरी समझ में नहीं आता। उस क्षेत्र को आपने कम कर दिया और उसके बीच में सड़क बनवा दी जिससे भराव और भी कम हो गया। आप देखें, इस बांध को आप अपने अन्तर्गत लें और वहां पर जो छोटी-छोटी सिंचाई होती है उससे उसको पूरा करने दें ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार से जयपुर में आप एक योजना और बनायें जिससे कि जयपुर जिले में सिंचाई हो सके । बल्कि एक योजना तो इस प्रकार की बननी चाहिये, राज्य सरकार ध्यान दे, छोटे-छोटे बंधों के माध्यम से, तलाइयों के माध्यम से सिंचाई हो सके मेरा तो आपने एक बहुत बड़ा उपकार किया शायद उसका आपको ध्यान भी नहीं होगा । जब 1981 में एक बार बाढ़ आयी थी, उस समय हमारे जयपुर के सारे सम्पर्क के रास्ते टूट गये थे और सब प्रकार से नाले भर गये थे। हमारे यहां 7 बड़े नाले थे नागतलाई का नाला, सी स्कीम का नाला, ब्रम्हपुरी का नाला, मालवीया नगर का नाला, जवाहर नगर, और अमानीशाह का नाला। नगर निगम के लिये उस समय की कांग्रेस की सरकार ने मुझसे कहा कि निगम से बनवायें। मैंने कहा कि उससे हम नाली भी नहीं बना सकते तो नाला क्या बनाएंगे । आपने उन नालों को बनाकर जयपुर शहर की सुरक्षा में हाथ बटाया है ।

आपका उस सम्बन्ध में धन्यवाद करती हूं। काम अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया है। लेकिन उसमें भी एक अमानीशाह का नाला दिल्ली से स्वीकृति के लिये भेजा है, तत्परता है उसको स्वीकार करा लायें और जयपुर का एक नाला बचा है जिसको आप शीघ्र पूरा करायें । मैं कहना चाहूंगी कि अगर यह नहीं होता तो इस छोटी सी बरसात मे भी जयपुर का पता नहीं क्या हाल होता । मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इन पर जो अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, अवरोध बढ़ते जा रहे हैं फिर दुबारा कोई भी दिक्कत न हो, आप खुद भी कदम उठायें और अन्य विभागों से भी इसके लिए कदम उठाने को कहें ।

मैंने आपको पिछली बार भी भरतपुर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के सम्बन्ध में चर्चा की थी कि रामगढ़ के जो भराव क्षेत्र में पानी आ रहा है अगर आपने उसको नहीं मोड़ा तो भरतपुर में फिर बाढ़ आयेगी। आप इन दिनों उसके पानी के प्रवाह को मोड़ने का प्रयास करें ताकि भरतपुर सुरक्षित बचा रहे। यह भी कहना चाहूंगी कि जो कामां फीडर में और हनुमानगढ़ में जिस प्रकार से पंजाब पानी छोड देता है, हरियाणा पानी छोड़ देता है उनको भी किसी प्रकार का नियंत्रण में लीजिए। यह नियंत्रण आपको सुदृढ़ता से लेना होगा, सही कदम उठाकर लेना होगा। इतनी बात कहकर राज्य की सिंचाई व्यवस्था सुचारू हो इसके लिए आप प्रयत्नशील रहें और रहेंगे और जो मैंने काम बताये हैं उनको भी करने का प्रयास करेंगे। बहुत--बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दोरा।

**श्री हीरालाल इन्दोरा** (केसरीसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46, सिंचाई के सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मेरे से पूर्व गंगानगर और करणपुर से आने वाले माननीय विधायकगण ने गंग कैनाल के बारे में चर्चा की। गंग कैनाल जो राजस्थान का सबसे पुराना सिस्टम है, मैं लम्बा नहीं जाऊंगा, मैं तो थोड़े से सुझाव दूंगा, उसको पक्का करने के लिये कांग्रेस सरकार के समय में और वर्तमान सरकार के समय में भी चिन्तन किया गया। लिपट नहर बनायी गयी, 3910 आर. डी. पर उसका रेगुलेशन हैड बनाया गया लेकिन आज तक उस लिंक चैनल का कोई उपयोग नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, जिस लिंक चैनल पर आपने करोड़ों रुपया खर्च किया है और इस उद्देश्य से बनायी थी कि मैन कैनाल, जिसको पुरानी बीकानेर कैनाल भी कहते हैं, उसको पूरा करेंगे लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि जो लिंक चैनल के बाद में साधुवाली हैड से लेकर शिवपुर-हैड तक 10-12 किलोमीटर का जो, चाहे उसको डाइवर्शन कह दीजिये, चाहे एक्सटेंशन आफ द लिंक चैनल कह दीजिये, वह आपकी आज तक अधूरी पड़ी है। आपके पुल बने हुए हैं। आपने साधुवाली से लेकर शिवपुर हैड तक जो लिंक चैनल खोदा है उसमें बड़े-बड़े पेड़ खड़े हो गये, झुण्डे खड़े हो गये लेकिन आज तक, 10 साल से वह पड़ी हुई है और उस पर करोड़ों रुपया खर्च हो गया है। यह समझ में नहीं आता कि यह जो लिंक चैनल का एक्सटेंशन है, जो पीछे के लोगों को पानी देगा, वह कब पूरा होगा।

तीसरी बात यह है कि मैंने कई बार सदन में यह मामला उठाया कि जो ए माइनर है, गंगानगर शहर के बीच में से निकलकर के करीब 15 किलोमीटर की लम्बी नहर है, लगभग 4 किलोमीटर वह शहर के अन्दर से जाती है। मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से और कई बार माननीय मंत्री महोदय से बातचीत की, माननीय मंत्री महोदय भी इच्छुक हैं कि

(श्री हीरलाल इन्दोरा)

वह नहर शहर के बाहर से ले जायी जाए। प्लान भी बनाया लेकिन मैं आज फिर कहना चाहूंगा कि जो प्लान बनया है इन्होंने, ऐसा प्लान बनाया है जिसमें कई गांव रह जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, जो उनकी इच्छा है कि 10 ए के गांव, 9 ए के गांव और 10-12 गांव ए माइनर के पड़ते हैं वहां के लोगों को गन्दा पानी पीने का मिल रहा है. सारे शहर की गन्दगी, सारे शहर का कूड़ा करकट सारे शहर के मरे हुए मवेशी और जितनी भी गन्दगी है, चार किलोमीटर के एरिया में जो होटल बने हुए हैं बस स्टैण्ड के आस-पास में, हास्पिटल हैं उनकी गन्दगी है वह सारी उसमें डाल दी जाती है और वहां के जो लोग हैं, किसान हैं, उसका पानी पी तक नहीं सकते। कई बार लोग दूर-दूर से पानी लेकर आते हैं। माननीय मंत्री महोदय की पीड़ा है इस बात में, मैं यह मानता हूं। मैं चाहता हूं कि उसको आप 18 जी. जी. के हैड से, क्योंकि पहले मेरा सुझाव था कि इस नहर को जेड माइनर से डवलप करके 4 जेड से डाइवर्शन उसका बनाया जाए, हैड बनाया जाए और 4 से 5 ए में लेकर के उसको आगे 10 ए तक पहुंचाया जाए। लेकिन उसका लेवल ठीक नहीं होने की वजह से यह नहीं होता है।

मेरा सुझाव यह है कि जो 18 जी. जी. नहर है और 18 जी. जी. का जो हैड है, आपका जो पुल है उसमें से आप उसको लें और जितना उसका पानी है 27 सौ क्यूसेक्स उसमें ज्यादा डालें और उसका हैड है 18 जी. जी. के पुल के पास बनाकर के 5 ए गुरुद्वारे के पास से लेकर उस ए माइनर को ले पूरा ले जाए उसका लेवल भी ठीक है और उससे किसान भी वंचित नहीं रहेंगे, सारे किसान आ जायेंगे। 'यदि' जो आपने स्कीम बनायी है कि 18 जी के बजाय 5 जी के आगे लेंगे तो उसमें जो ए माइनर के गांव हैं, 5 ए, 7 ए, 9 ए हैं उन गांवों के किसान उससे वंचित रह जायेंगे और उनको पानी नहीं मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस माइनर को आप 18 जी. जी. से लेकर के आगे तक ले जाएं।

आपका रेगुलेशन सिस्टम जो हैं वह कई बार खिलवाड़ करती है। मीटिंगें होती हैं, जन-प्रतिनिधि बैठते हैं, निर्णय होने के बाद में भी, रेगुलेशन कमेटी का जो निर्णय है उसको बाद में रात को बदल दिया जाता है। उससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। माननीय मंत्री महोदय, पांच तारीख की बात है। 5 तारीख को रेगुलेशन कमेटी की मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि ए माइनर को 6 तारीख को पानी दे देंगे। किसानों ने इस आशा के साथ में रात को हल चला दिया, खाद डाल दिया और इस तैयारी में हो गये कि कल पानी आ जाएगा और हम अपने खेतों को सिंचित कर देंगे। लेकिन एन वक्त पर पानी दूसरे चैनल में डाल दिया गया, दूसरे सिस्टम में डाल

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

दिया गया और वहां के किसानों का करोड़ों रुपये का खाद और उनकी जो बोने की मेहनत थी वह सब खतम हो गयी। इस तरह से जब किसानों के नुकसान होंगे, आपने अखबार में प्रकाशित कर दिया उसके बाद भी आप यह रेगुलेशन सिस्टम की कार्यवाही को बदलते हैं, ऐसे मामलों में मंत्री महोदय देखें।

मोगों के बारे में बहुत सी शिकायतें आये दिन आती हैं। आये दिन आपके मोगे बदल दिये जाते हैं, छोटे कर दिये जाते हैं, पानी लोगों को पूरा नहीं मिलता है। इस मामले को भी मंत्री महोदय जब तक नहीं देखेंगे तब तक यह जो काम मोगों का है, उतार चढ़ाव का, बनाने का, छोटे करने का, बड़े करने का, यह चलता रहेगा और किसी को ज्यादा फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा और गरीब किसान पिसेंगे जिनकी एप्रोचेज नहीं हैं, जिनकी सिफारिशें नहीं हैं। तो ऐसे मामलों को आप देखें और इनकी ओर भी ध्यान दें।

तीसरा, मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री महोदय, जब तक आप इस गंग कैनाल सिस्टम को पूरे को सी. ए. डी. को तरमीम नहीं करेंगे, जब तक नहीं लेंगे तब तक इस कैनाल का उद्धार नहीं होने वाला है। आपके इस गंग कैनाल के जितने सिस्टम है, 22 सिस्टम हैं, 22 ब्रांचेज हैं और 22 ब्रांचेज की हालत ऐसी है, आगे का प्लान करते हैं आप। जो इन्दिरा गांधी नहर नयी आयी उसको आपने सी. ए. डी. में डाल दिया, उसमें आप खालों के लिये पैसा दे रहे हैं लेकिन इस कैनाल के साढ़े सात हजार किलोमीटर वाटर कोर्सेज इनको बनाने का काम कौन करेगा? 1200 गांवों को जो पानी मिल रहा है और यह सारी 22 ब्रांचेज की कैनाल पक्की नहीं होंगी, तो यह पानी जो आपकी पुरानी नहरें बनी हुई हैं, कहीं खड्डे पड़ गये हैं, कहीं घाट बना दिये हैं लोगों ने पानी पिला पिलाकर के, कहीं फ्लो ठीक नहीं है, जो कच्ची नहर 1927 में बनी थी और उसके बाद में आज तक वह नहरें चल रही हैं। जब तक आप उसको पक्का नहीं करेंगे सी. ए. डी. में लेकर के तब तक यह पानी का जो फ्लो है, पानी सिस्टम से जायेगा वह नहीं जा पाएगा और जो साढ़े सात हजार किलोमीटर जो वाटर कोर्सेज आपके पूरे इलाके में फैले हुए हैं वह पक्के नहीं होंगे तो किसानों को पानी जो मिलना चाहिये खेती के लिए, वह नहीं मिल पायेगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इसको किसी तरह से सी. ए. डी. में ले जाइये, क्योंकि सी. ए. डी. में न ले जाने की वजह से आपका 16 साल से, 8 साल से हमारी कांग्रेस सरकार और 8 साल से आपकी बी. जे. पी. सरकार सोच रही है कि यह गंग कैनाल पक्की कब होगी। मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज तक इस पर सात साल के बाद में, 1991 में आपका लिंक चैनल शुरू हो गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : समाप्त करें।

**श्री हीरालाल इन्दोरा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी तो बोलता

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

हूं और बहुत सी बातें तो मैंने कही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री जगतार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी महत्वपूर्ण योजना पर बोल रहे थे और आपने बोलने भी नहीं दिया।, यह तो न्याय की दृष्टि से सही नहीं है।

श्री मोतीलाल (रूपवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के ऊपर जो चर्चा चल रही है, मैं अपने आपको इसमें सम्मिलित करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले साल की बाढ़ को देखते हुए और मैंने जो अपने क्षेत्र के बांध टूटे थे उनके लिये इनको एप्लीकेशन लिख कर दी, इन्होंने 65 बांधों को उनमें से स्वीकृत कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा और उसके साथ-साथ 20-25 साल से रूपवास क्षेत्र में जितने एनीकट्स हैं उनमें से एक में भी बाढ़ नहीं थी। बाढ़ आती, पानी निकल जाता, हमारा नुकसान हो जाता, पानी रुकता नहीं जिससे हमारा वाटर लेवल नीचे उतरता चला जा रहा है। इसके लिये भी मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि इस साल रूपवास क्षेत्र में 20 लाख के किवाड़ बनकर सिंचाई के बांधों पर डाले गये हैं।

एक और सुझाव है, बाढ़ में रूपवास क्षेत्र में नदी में पानी भरा है, जब तक उन नदियों की सफाई नहीं करायी जायेगी, रूपवास क्षेत्र में उनके अन्दर सारा पानी रुक नहीं पाएगा, क्योंकि यह पलट होकर निकल जाता है, जमींदार की फसल गड़ जाती है और उससे हमारा नुकसान हो जाता है।

एक बात और कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर के अधिकारी हमारे यहां के आये हुए हैं। इनको मंत्री महोदय कहें कि लोकल ठेकेदार जितने भी हैं, उनको किसी को भी टेण्डर नहीं दिया जाए। एक-एक ठेकेदार की लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिसमें से 35 बांधों के काम मंजूर हुए थे। इनके टेण्डर हो गये, बरसात हो गयी, बाढ़ आ गयी लेकिन उनमें से 10-12 बांधों का काम चालू करके अधूरे छोड़ दिये गये, ऊपर से कह रहे हैं कि हमने पूरा कर दिया। मैंने जाकर बांध देखें। उनके फर्जी बिल उठाये जाते हैं एक्स. ईएन., ए. ईएन. और जे. ईएन. से मिलकर और यह मेरे पास लिस्ट है। एक-एक आदमी के पास 15-15 काम है। जब एक आदमी एक काम पूरा नहीं कर पाता है उसको दूसरा टेण्डर नहीं दिये जाए। मंत्री महोदय से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे काम करने वाले ठेकेदार की चाहे तो सिक्योरिटी लेप्स करें चाहे उनको बिलकुल टेण्डर दिये ही नहीं जाए जिससे कम से कम दूसरे ठेकेदारों को भी डर रहे कि हम काम पूरा करेंगे तब ही हमें टेण्डर मिलेगा।

(श्री मोतीलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, एक सुझाव और देना चाहूंगा, मैंने सिल्ट के लिये कहा था। पिछले साल रूपवास में गम्भीर नदी में बाढ़ आयी है। मंत्री महोदय को मैंने एक एस्टीमेट बनाकर दिया था एक करोड़ 62 लाख रुपये का। हमारी गम्भीर नदी से बाढ़ आती है और रूपवास का पानी गम्भीर नदी में जाकर मिल जाता है, क्योंकि पुराना रास्ता है। श्री धर्मसिंह जी जिस समय सैक्रेटरी थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के भराव के लिए बाणगंगा को बीच में ड्राप करके, तब से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाणगंगा अपना पानी का रास्ता बदल चुकी है। मंत्री महोदय से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक करोड़ 62 लाख के एस्टीमेट को मंजूरी देकर बाणगंगा का रास्ता पहले जैसा रास्ता कराये जिससे कम से कम 50 गांव भराई के बगैर रह जाते हैं उनके लिये सिंचाई का पूरा साधन हो सके और वहां पानी की समस्या है, वह भी खतम हो जाएगी। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री परसादीलाल मीणा।

**श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)** : उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई विभाग पर विचार हो रहा है। मंत्री महोदय, आपको एक बात गत वर्ष की याद दिलाना चाहूंगा कि आपने जयपुर संभाग के सभी विधायकों की एक मीटिंग बुलायी थी और सभी विधायकों को आपने यह कहा था कि आप अपने-अपने इलाके के 1-1, 2-2, 4-4 काम बता दें जो इस साल कराने हैं। हमने आपको सूचियां भी दे दीं, आपने एक भी काम नहीं कराया। उसके बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह आप जाने, आपका विभाग जाने। आपके विभाग के सारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे। इरिगेशन सैक्रेटरी भी थे, आप भी थे और आपने उसके बाद आज तक किसी भी विधायक से दुबारा बात नहीं की। हमने जो आपको काम दिये थे, कुछ भी नहीं हुआ। आपकी यह किताब है, दौसा जिले का इसमें कहीं नामो-निशान नहीं है। मंत्री महोदय....

**श्री देवीसिंह भाटी** : इतने माननीय सदस्यों ने तारीफ की है और आप उलटा कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री परसादीलाल मीणा** : मैं तो उलटी बात ही कह रहा हूं, जो सही है, वह बात ही कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आपको ढाई साल हो गये। न तो मैंने आपको कोई ट्रांसफर का काम बताया है। मैंने आपको कोई दो-चार काम मेरे इलाके के बताये हैं, उसमें से आपने एक भी नहीं किया है। लालसोट तहसील की स्थिति ऐसी है कि वहां हमारी सबसे बड़ी समस्या है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है जिससे हमारा पूरा इलाका डार्कजोन हो रहा है। अब उस स्तर को कैसे ऊपर किया जाए....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने की गति बढ़ाये, समय कम है। स्पीड तेज करिये ।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं दस मिनट में पूरी कर दूंगा बात। मंत्री महोदय, आपने जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए आपके विभाग ने सरकार ने कोई कार्य-वाही नहीं की। आप मेहरबानी करके जो-जो डार्कजोन इलाका हो गया, उनमें आप छोटे-छोटे एनीकट्स बनाकर हमारे इलाके में पहले अकाल राहत के तहत आपके विभाग ने कम से कम 25 एनीकट्स बना रखे हैं जो सारे के सारे अधूरे हैं। एक भी काम अभी अकाल राहत में आपने नहीं किया, एक भी एनीकट्स को पूरा करने के लिये कोई भी काम नहीं किया। जबकि पेयजल समिति की मीटिंग हुई थी, मैं भी उसका मैम्बर था, आप भी उसमें मैम्बर थे। आपने यह कहा था कि सारे एनीकट्स जो कैचमेंट एरिया में नहीं आएंगे, हम उनको बनाएंगे ...

श्री देवीसिंह भाटी : एनीकट्स हम नहीं बनाते, यह हमारा काम नहीं है। पैसा दूसरी संस्था से मिलता है।

श्री परसादीलाल मीणा : एनीकट्स आपके विभाग ने बनाये हैं, आज भी बना रहा है। मंत्री महोदय आप गलत कह रहे हैं। आपका विभाग आज भी एनीकट बना रहा है (व्यवधान) जबकि आपको कह रहा हूं कि हमारे यहां बड़ी योजनाएं नहीं बन सकती हैं तो आप छोटी योजनाओं के रूप में एनीकट बनाकर जल स्तर को ऊपर उठायें। फिर किसान क्या करेगा वहां जब पानी का स्तर बिलकुल नीचे चला जाएगा, किसान किससे खेती करेगा? आप किस तरह के साधन मुहैया कराएंगे। न आज वहां किसानों को कुंए के लिये ऋण मिल रहा है न दूसरी योजनाएं हैं जो वहां पर संचालित होती हैं।

हमारे इलाके में एक मोरेल बांध सन् 1948 में बांधा गया था। उसके बाद वह आधे से ज्यादा मिट्टी से भर गया। 1981 में टूटा और उसको आपने आधा पोर्शन छोड़कर बना दिया, उसकी भराव क्षमता कम हो गयी। उसका कारण यह हुआ कि टेल एण्ड पर कम से कम 8-10 गांवों में एक बूंद पानी आज 10-15 सालों से नहीं पहुंच रहा है और आपने उसको कमांड एरिया घोषित कर रखा है। आपकी नहर में एक बूंद पानी जाता नहीं। आपका विभाग आखिर कर क्या रहा है? कमांड एरिया में वहां पर उनसे लगान वगैरह वसूल किया जा रहा है। आप मेहरबानी करके आपका बांध बाटोदा, मावढ़ और कई गांव है तक जाता था। आप वहां पर पानी क्यों नहीं पहुंचाते। आपने यह कहा कि, कैसे भी मेहरबानी करके अगर आप हमारे इलाके को बजट नहीं देते तो आपने यह सफेद हाथी बांध रखे हैं ए. ईएन, जे. ईएन. आफिस और अधिकारी आप उनको हटा दीजिये। कोई जरूरत नहीं है उनकी वहां पर। अगर आप एनीकट नहीं बनाते या बांध का काम नहीं कराते, दूसरी योजनाएं हाथ में नहीं लेते तो क्या जरूरत

(श्री परसादीलाल मीणा)

है, इनके कार्यालय वहां खोलने की ? आप हटा लीजिये उनको।

मेरी आपसे प्रार्थना है, आप छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजनाओं के रूप में जल स्तर को ऊंचा करने के लिये वहां पर एनीकट्स वगैरह का काम करें, उसके लिये बजट दें, आप प्लान का पैसा दें। 200 लाख रुपये आप मोरेल बांध के लिये दे रहे हैं। आप उन पैसों को मोरेल पर क्या काम में लेंगे ? अच्छा मजबूत रख रखाव है बांध का, आप क्यों नहीं उसको पांच फुट ऊंचा रेज कराते। मुख्य मंत्रीजी मोरेल बांध पर गये थे और यह आश्वासन देकर आये थे कि इस बांध को हम पांच फुट ऊपर करेंगे और इसकी अलग से लिफ्ट कैनाल निकालेंगे। उसका सी. डब्ल्यू. सी. को आपने प्रस्ताव भेज दिया। आज तक उस प्रस्ताव को आपके विभाग ने टेक-अप नहीं किया। आपके अधिकारी उसको लागू कर नहीं रहे हैं। वह आपका आश्वासन फाइलों में पड़ा है। आप क्यों नहीं उसको पांच फुट ऊपर रेज कर देते। आज सारे गांव ड्राई हो गये, आज उन गांवों में सिंचाई सुविधा मिल रही है, क्या हमारे इलाके में, क्या इस पूर्वी राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि आज पूर्वी राजस्थान सिंचाई के मामले में सबसे पीछे है। कोई योजना हमारे इलाके में अगर आपने नयी बनायी हो 5-10 साल में, तो मंत्रीजी आप बता दीजिये कि यह योजना सिंचाई विभाग की है। पुरानी जो योजनाएं थीं, उनका भी आप ठीक ढंग से रखरखाव नहीं कर रहे है। हमारा पूरा इलाका आज डार्कजोन होता जा रहा है। दौसा जिला हो गया, सवाईमाधोपुर जिला हो जाएगा, बाकी अलवर वगैरह ये सारे जिले धीरे-धीरे ड्राई हो जाएंगे। आप इन्दिरा गांधी कैनाल पर ही ध्यान नहीं देकर, क्योंकि हमारे यहां कोई सी. ए. डी., चम्बल नहीं है, कोई बड़ी नदी उधर है नहीं। पहले हमारे यहां कुओं से सिंचाई होती थी, आज कुओं में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा कहीं देखने को। पूरे इलाके में पानी नहीं है। आखिर आप वहां किसानों के लिये क्या करना चाहते हैं ? आप क्यों नहीं वहां पर वाटर लेवल को ठीक करने के लिये कोई कार्यवाही करते।

मंत्री महोदय, आप पूर्वी राजस्थान पर ध्यान दीजिये। आज सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पूर्वी राजस्थान की जिस तरह से उपेक्षा की है, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। इस चिन्ता को आपको मंजूर करना चाहिये और आगे आने वाले बजट में आपने जो बजट प्रावधान किया है, कहीं भी आपने कोई नयी योजना पूर्वी राजस्थान में हाथ में नहीं ली है। आप मेहरबानी करके, आप यह कहते हैं कि एनीकट्स के लिये बजट नहीं है। आप दूसरे बांध बना रहे हैं, सब जगह बनवा रहे हैं। यह पूर्वी राजस्थान को अभिशाप है कि जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं चाहे भरतपुर वाले हो चाहे अलवर वाले हो चाहे दौसा वाले हो, सबकी लगातार आप उपेक्षा कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अलवर के लोक सभा चुनाव में आपके

(श्री परसादीलाल मीणा)

राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गया था। एक घौलाई बांध आपके यहां बांधा है। आपके अधिकारियों ने पूरा खर्चा कर दिया, उस बांध में पानी पिछले दो साल से नहीं रुक रहा है। क्या कारण है? आप कैसे मान रहे हैं, आप आसन पर बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। लोगों ने कहा कि हमारे बांध में पानी नहीं रुक रहा है, सारा खर्चा कर दिया, सारा काम कर दिया पर वहां पानी रोकने का सिस्टम है, उसको आपने लागू नहीं किया है। यह पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगी मंत्री महोदय, इसके गम्भीर नतीजे होंगे। आज पूर्वी राजस्थान में जहां एनीकट्स बनाने की जरूरत है, वहां पर एनीकट बनाइये। जहां पर छोटे बांध बनाने की जरूरत हो आप वहां पर बांध बनाइये। सारे राजस्थान का पैसा आप इन्दिरा गांधी नहर पर लगा रहे हैं। हमें खुशी है आप लगायें लेकिन हमारी कीमत पर, हमारे किसानों की कीमत पर आप हमारा शोषण करेंगे। आप बीकानेर के हो, चाहे जोधपुर के हो, कहीं और के हों, आप सारे राजस्थान के मंत्री हैं। आप जब बजट का आबंटन करें सारे जिलों को आपको ध्यान रखना चाहिये, सारे इलाकों के, राजस्थान के किसानों के, सिंचाई विभाग के मंत्री हैं। या तो हमको बजट दीजिये

(21.00)

तो आपके तामझाम हैं अधिकारियों के, वह आप तामझाम उठा कर आपके जंचे जहां ले जाइये। यह बेकार की यहां पर जो बजट के लिये, आप नान प्लान का, अधिकारियों की तनख्वाह देने का, आपने एक-एक बांध पर सौ-सौ बेगार लगा रखी है, उनको तनख्वाह दे रहे हैं, आप हटा दीजिये इनको, भेज दीजिये इन्दिरा गांधी कैनाल पर। क्या काम है आज मोरेल पर जो सौ आदमी काम कर रहे हैं? पांचना बांध के लिये श्री रामस्वरूप जी बार-बार कहते हैं। क्यों नहीं उसका कोपर डैम आप बनाते। क्या कारण है? मंत्रीजी, यदि पांचना कोपर डैम बनता है तो नादौती और टोडाभीम के ढाई-तीन सौ गांवों की सिंचाई होती है। पर आपको मंशा, सरकार की जो मंशा है, वह पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा करने की है। आप बदलिये अपने नजरिये को। आप पूर्वी राजस्थान का ध्यान दीजिये। इस तरह के हालात हैं, आप महीने में 25 दिन मंत्रीजी, बीकानेर रहते हैं, आपको इन्दिरा गांधी कैनाल की सारी चिंता है, सारे राजस्थान की आपको कोई चिंता नहीं है। आपने जो वायदे किये हैं पिछली मीटिंग में विधायकों से, आप उन वायदों को लागू करिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया आप अब बिराजें।

**श्री परसादीलाल मीणा** : अगर आप भूल गये हों तो विधायकों की गत वर्ष की तरह दुबारा मीटिंग आप बुलायें और आप उनसे जो भी उनके इलाके की योजनाएं बन सकती हैं, चाहे छोटी हों या बड़ी हो, चाहे एनीकट हो, जिससे पानी का स्तर बढ़े। उनकी योजनाओं

(श्री परसादीलाल मीणा)

के लिये आप विधायकों की दुबारा मीटिंग बुलाकर उनसे प्रस्ताव आमंत्रित करें। हमें खुशी होती मंत्रीजी कि आपकी चिट्ठी कोई हमारे पास आती कि फलां विधायक के इलाके में आप कोई सिंचाई का काम, करने योग्य काम तो आप....

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अमराराम चौधरी।

**श्री परसादीलाल मीणा** : कम से कम विधायकों के करते। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री अमराराम चौधरी। (व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : सम्मानीय उपाध्यक्षजी, मैं मांग संख्या 46 सिंचाई के बारे में अपने आपको सम्मिलित करता हूं।....(व्यवधान)

**श्री परसादीलाल मीणा** : नहीं, सही बात है। किसानों की बात को हम जो कह रहे हैं न, वह हमारे दिल का दर्द है। आपको पता नहीं है। आप कभी मगने लगोगे सिरोही से, कभी सिवाना मगोगे, कभी कहीं। आपका अता-पता नहीं। आपके लिये कौनसा इलाका है। कोई इलाका नहीं है श्री कैलाशजी मेघवाल का और आपका।

**श्री अमराराम चौधरी** : और निवेदन करना चाहता हूं...

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : चालीस साल में आपके पुरखे क्या कर गये? वह पुरखे कर जाते तो दुख नहीं होता।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : मंत्रीजी, यह काम आपने नहीं किया तो मत्स्य राज्य की मांग की जाएगी।

**श्री अमराराम चौधरी** : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना कि यह जो प्रतिवेदन मिला है....

**श्री जुबेर खान** : श्री रामस्वरूप जी हमारे मुख्य मंत्री होंगे।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : और मत्स्य राज्य की मांग की जायेगी।

**श्री अमराराम चौधरी** : इस प्रतिवेदन में मरुवासियों के लिये पेयजल, मुझे इस बात का गर्व है.... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया व्यवधान नहीं माननीय सदस्य। श्री राधेश्यामजी। यह कान जरा इधर भी खोल कर रखिये।

**श्री राधेश्याम गंगानगर** : सी. एम. की कुर्सी पर कैसे बैठे हैं?

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बार-बार व्यवधान न करें।

**श्री अमराराम चौधरी** : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मरुवासियों के लिये पेयजल मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मरुवासी हूं और सरकार बाड़मेर तक इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी लाने की

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

योजना बना रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं ग्रौर यह प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि ग्रापने पिछले ढाई साल में बाड़मेर के लिये जो यह ग्राप नहर ला रहे हैं, कितने किलोमीटर ग्रापने इस पर काम किया? बाड़मेर के लिये, मरुवासियों के लिए पेयजल ला रहे हैं इसके लिये ग्रापने पिछले ढाई साल में कितने किलोमीटर काम किया? यह जो पेयजल के लिये नहर ग्राप ला रहे हैं, यह कब तक गडरा तक ग्रा जायेगी? यह कोई निश्चित तारीख ग्राप जरूर बतायें।

मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जो लिफ्ट कैनाल नाचना, पोकरण ग्रौर फलसूंड से मेरे क्षेत्र में उतरणी तक ग्रौर लोक लोक नदी तक सर्वे पहले किया गया था लेकिन वह भी ग्राज खटाई में पड़ गया। ढाई साल में उसके बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसी ग्रभी माननीय सदस्यगण चिंता कर रहे थे, जल स्तर नीचे जा रहा है, कहीं कुग्रों में पानी बिलकुल सूख गया है। मेरा कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसकी भौगोलिक स्थितियां बदल रही है ग्रौर उसी के कारण जल स्तर कहीं तो ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं कम हो रहा है। दो बांधों का निर्माण जो पहले हुग्रा था, ग्राज से बारह साल पहले, जो मेरा कटौती प्रस्ताव है, एक किटणोद बंधा है, ग्राज उसके पेटे के अन्दर पचास कुएं मीठे पानी के हो गये जो बिलकुल खारे थे। लेकिन ग्रावश्यकता इस बात की है, उसको ऊंचा कराने की। पानी निकल जाता है इसलिये भूमि का कटाव भी होता है, इसको ग्रौर ऊपर लिया जाए। बहुत शानदार बंधा बन सकता है। दूसरा बांध है बरीया बांध। यह हिन्दुस्तान का जो तीर्थ नाकोड़ा है उससे करीब ग्राठ किलोमीटर दूर है। ग्रौर ग्राठ किलोमीटर में वहां जितने भी पहले एनीकट थे, बरीया एनीकट वहां तैयार किया था ग्रापने, उसके बाद जो बांध बना, उससे ग्रास-पास के दो-तीन कुए ऐसे है जिनसे पी. एच. ई. डी. ने वहां पर पम्प लगा दिये। ग्रब इस बंधे में सारी रेत ग्रा गयी। बंधे का कैचमेंट एरिया करीबन ग्राठ किलोमीटर होगा। चारों तरफ पहाड़ी है। सौ फीट की दीवार है। यह सौ फीट की दीवार लम्बाई में है लेकिन यदि इसको दस फीट ऊपर कर दिया जाए तो वह पानी बाहर नहीं जायेगा ग्रौर इसके पेटे के ग्रन्दर कुएं हो जायेंगे तो उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनता है जिसको ग्राप 20-20 तीस-तीस रीजनल पाइप लाइन से पानी पीना पड़ रहा है, उन लोगों को वहीं पानी उपलब्ध हो जायेगा।

अब सरदार सरोबर ऊंचाई कम कर देने से बाड़मेर में नर्बदा का जल नहीं ग्रायेगा। क्या यह सही है कि नर्मदा का जो पानी बाड़मेर तक की योजना बनायी थी ग्रौर जगह-जगह बोर्ड गुढ़ामालानी एरिया में लगाये गये थे? यह नर्मदा का पानी बाड़मेर एरिया में कब तक ग्रायेगा, ग्राप बताने की कृपा करें। इस बारे में कितना धन खर्च हुग्रा है, क्या कर रहे हैं, क्या गुजरात के ग्रन्दर भी

(श्री अमराराम चौधरी)

यह पानी नर्बदा का आ गया ? तो फिर आगे बाड़मेर क्षेत्र में जो गुढ़ामालानी एरिया है, जिसका सर्वे हुआ है वह कब तक लायेंगे ? इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पर 30 ऐसे तालाब हैं, 30 से भी ज्यादा तालाब हैं जिनमें 12-12 महीनों तक पानी रहता है और हमारे जब पाइप लाइन वगैरह नहीं थी, और बहुत सी जगह है ही नहीं, आज एक बिटूजा से 100 गांवों से रीजनल पाइप लाइन है। तो वह उस पाइप लाइन में पानी जो आप देखते हैं कि बिलकुल आता नहीं है। 7 दिनों में पानी जब शहर में मिल रहा है तो वहां गांवों में कौन देगा। 15-15 दिन में, महीने-महीने से मिलता है तो लोग तालाबों से पानी पी रहे हैं। उन तालाबों की मरम्मत उनकी सफाई काफी वर्षों से नहीं हुई, उनका कैचमेंट एरिया किसी का हजार बीघा है, किसी का डेढ़ हजार बीघा है यानी ओरणों जो हैं, हमारे वहां पर ओरण छोड़ रखी है और उसमें एक छोटा सा मन्दिर बना देते हैं कि इसमें पेड़ नहीं काटेंगे, इसमें इसको खड़ा ही नहीं करेगा, इस प्रकार की जो एक धार्मिक भावना उसके पीछे है जिसके कारण से लोग उन पर एनक्रोचमेंट नहीं करते हैं और एन-क्रोचमेंट नहीं करने से वह ओरण हमेशा साफ सुथरी रहती है, वहां लोग शोच वगैरह भी नहीं जाते हैं। इस प्रकार के पवित्र सरोवर जो हमारे बहुत पुराने हो गये हैं जिनकी पाल टूट रही है उनकी मरम्मत करायी जाए ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके। खूब हमारे तालाब भर जाते हैं, पानी गन्दा भी हो तो उनके बैंक साइड के अन्दर हम कुए खुदवाते हैं ताकि स्वच्छ पानी कुए के अन्दर से वहां लोगों को सप्लाई हो जाता है। इसलिये ऐसे सरोवरों को आप जल्दी से जल्दी ठीक करायें।

दूसरा, मेरा, एक निवेदन बाढ़ नियंत्रण के बारे में है। 16 करोड़ की एक बाढ़ नियन्त्रण योजना हमारे वहां के अधिका-रियों ने आपके यहां भेजी है, आप उस पर कब तक स्वीकृति देंगे ताकि हम बाढ़ से बच सकें ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लूणी नदी में बाढ़ आती है, पानी सीधा कच्छ की खाड़ी में जाता है। क्यों नहीं आप इस लूणी नदी पर सर्वे कराकर सिणधरी के पास में जहां लूणी नदी बहुत संकड़ी हो जाती है, जहां एक किलोमीटर की चौड़ाई में चलती है वहां जाते जाते इस प्रकार की जमीन आ जाती हैं, दोनों तरफ पत्थर है जिनके कारण से उसकी गहराई ज्यादा हो जाती है और वहां लूणी नदी की चौड़ाई बहुत कम होने से वहां पर गोयणा पार से काफी पानी फालतू जा रहा है, आगे गांवों की तबाही मचाता है, ऐसे पानी को आप योजना बनाकर एक बांध बना दें तो बाड़मेर में बिजली से जो पैदा है, इस पानी से भी पैदा हो सकती है। सिंचाई हो सकती है। यह योजना आपको अभी नहीं तो भविष्य में बनानी ही पड़ेगी। हमारा पानी जो इतना महंगा है वह बेकार चलता जाता है उससे हमारा मन दुःखी होता है लेकिन जब पानी की एक-एक बूंद वेस्ट होती है, लूणी नदी

(श्री अमराराम चौधरी)

का सारा पानी समुद्र में बह जाता है। उस पानी को संचय करने के लिये हमारे बाड़मेर जैसे एरिये में बहुत गुंजाइश है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसका तुरन्त सर्वे करावें और लोगों को बाढ़ से बचावें। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जयन्ति लाल कोली।

**श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-46 सिचाई पर चर्चा हो रही है उस पर मैं अपने-आपको शरीक करते हुए सरकार, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को सिरोही जिले के रेवदर विधान सभा क्षेत्र में करोड़ीधज बांध जो लगभग एक साल पूर्व आपने सैंक्शन दिलवायी और 3 करोड़ लागत से बनकर जो पूर्ण हुआ है उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिरोही की तहसील का निम्बोड़ा बांध जो लगभग 3 करोड़ के समर्थिंग का था वो भी बनकर तैयार हुआ है उसके लिये भी जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जो पूर्ण नहीं हुई हैं उनसे अवगत कराऊंगा कि आज से 12 साल पहले सुकली सेलवाड़ा डैम के लिये लगभग 5 करोड़ की सैंक्शन 1984 में हुई थी लेकिन अभी तक वो बांध चालू नहीं हुआ है। क्या कारण है? माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सैशन में उसकी घोषणा करें। माननीय मंत्री महोदय से मेरा और निवेदन है कि सिरोही के रेवदर विधान सभा क्षेत्र में और जालोर से जुड़े हुए कुछ गांवों में जहां पर सालाना 3 फसलें होती हैं और देश-विदेशों में आबू के टमाटर प्रसिद्ध हैं वहां छोटे-बड़े एनीकट भी बनाकर के जनता को राहत दिलाने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जिरावल बांध जो बनकर तैयार हुआ है लागत उसकी अनुमानित लागत है 34.44 लाख रुपये और उससे सिंचाई अभी तक लगभग निल बटा निल ही है। मैंने एक अतारांकित प्रश्न भी लगाया था उसमें उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 1990-91 में 300 एकड़ सिंचित बताई है और 1991-92 में शून्य, 1992-93 में 15 एकड़ और 1993-94 में 16 एकड़, 1994-95 में 48 एकड़, यह सिंचित जमीन बतायी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि जहां पर यह जमीन बतायी गयी है वहां की स्थिति यह है कि निल बटा निल, बिलकुल सिंचाई नहीं की गयी है इसलिये यह जो उत्तर दिया गया है वह गलत है।

मैं मंत्री महोदय से मेरे विधान सभा क्षेत्र में पंचदेवल नाम से एक छोटा बांध है वह बनाने का आग्रह करूंगा। एक मैटन है, एक मैसासिंह है, एक हवली है

(श्री जयन्तिलाल कोली)

और हालपुरा, माननीय मंत्री महोदय, ये छोटे-छोटे बांध हैं जिनसे जनता को राहत मिलेगी। इसके अलावा चार-पांच एनीकट हैं—एक तो रोवा में हनुमतसागर करके एनीकट है, वाड़का में भीलमगरी, दादरला में एनीकट है, नागाणी में सल्तरा और एक दांतरे में भी एनीकट है, वह बनवाने का करें। एक बार फिर मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगा जरूर इस सैशन के बाद आपने बांध बनाये हैं उनका उद्घाटन भी करें और यह भी घोषणा करें कि एक सुकली सेलवाड़ा बांध है उसको बनाने का कष्ट करें।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आप अलग से बात करें में उद्घाटन वगैरह की।

**श्री जयन्ति लाल कोली** : धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री महेन्द्र कुमार मीणा। (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र चौधरी (अनुपस्थित)। श्री भगराज चौधरी (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण मीणा (अनुपस्थित)। श्री नाथूराम अहारी।

**श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई पर चर्चा हो रही है मैं भी अपने-आपको इसमें सम्मिलित करता हूं। डूंगरपुर में वैसे करीब-करीब पूरा एरिया सूखा है कोई ऐसा बड़ा बांध नहीं है। मैंने पहले भी सिंचाई मंत्री जी और चीफ मिनिस्टर साहब को अपना प्रस्ताव दिया था कि डूंगरपुर से मिला हुआ खैरवाड़ा क्षेत्र है उसमें सोमकागदर बांध है। जो. टी. शीट के अनुसार मेरे डूंगरपुर के जो भी तालाब हैं उसमें समुद्र तल से 260 मीटर ऊंचे हैं और वो जो सोमकागदर का है वो 350 के करीब है। करीब सौ मीटर का फासला है इसलिये इस बांध को रेज करके डूंगरपुर को पानी दिया जा सकता है। मेरी आपसे मांग है कि अगर आदिवासी एरिया सरसब्ज करना है तो इस सोमकागदर को ऊंचा ले करके, क्योंकि कोई साल नहीं गया है जबकि वो खाली गया हो और बराबर भरता आ रहा है। पानी काफी है ऊंचा करने पर कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसलिये मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि आप उस बांध को रेज करके डूंगरपुर को सर्वे करवा करके पानी दिया जाए यह मेरी मांग है।

दूसरा, मेरे एरिये में नहरों में सीपेज इतनी है कि एक तो अमरपुरा बांध है और दूसरा मारठिया बांध है, इनकी काफी नहरें खराब हो रही हैं। इसलिये मेरी यह मांग है कि इन नहरों को भी पक्की करें ताकि टेल पर पानी पहुंच सके। अमरपुरा बांध की जो नहर है वह 7 तालाबों को भरती है—थामालिया, थमोलिया, खेमपुर, गणेशपुर, नेड़ा, कांकड़ी और पूंजेला, ये सात तालाब उससे भरते हैं लेकिन नहर की पूरी सफाई और पक्की नहीं होने के कारण वहां पानी नहीं पहुंचता है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप इन्हें पक्का करें और इन तालाबों को भरने के लिये कोशिश करें। मैंने जैसा पहले सोमकागदर के बारे में कहा उसमें भी सिणोंडिया, जालण, रणसागर, फलोद,

(श्री नाथूराम ग्रहारी)

सुरीतु और पगारां ये 6 तालाब इससे भरे जायेंगे। इन दोनों योजनाओं को ग्राप कार्यान्वित करें और डूंगरपुर को पानी दिलाने की कोशिश करें।

वैसे राजस्थान में उदयपुर डिविजन में पहाड़ी एरिया है। पानी जब बरसता है और एक पानी बड़ा बरस जाए तो भी तालाब कोई खाली नहीं रहता है। इसलिये जलस्तर कायम करने के लिए मेरी मांग है कि ग्राप जहां-जहां भी ऐसे स्थान हैं वहां-वहां एनीकट और तालाब बांधें। मैं तो यह भी कहता हूं और पहले भी कहा है कि हर 15 किलोमीटर पर बांध या तालाब या एनीकट बांधें और स्टोरेज पानी नहीं निकाला जाए तो ग्रपने ग्राप जलस्तर कायम हो जाएगा। इसके बारे में आप ध्यान दें। ग्रभी जो बांध बने हुए हैं वे बांध रेत से भर गये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह नहीं कहता कि यह इंजीनियरों की गलती है। लेकिन ग्राने वाले 15 साल में ये बांध रेत से भर जायेंगे। ग्रागे जो बांध बनाए जाए उनमें यह व्यवस्था हो कि पहली बरसात ग्राने के पहले ही रेत निकल जाए। इस तरह कोई व्यवस्था करें, तो यह ठीक रहेगा। इसी तरह माही का पानी जो भरा पड़ा है....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रब ग्राप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री नाथूराम ग्रहारी : उसमें दो तहसीलों में पानी जाता है। दो तहसीलों में पानी जाता है ग्रासपुर और सागवाड़ा। मेरा ख्याल है कि वह चार-पांच साल से ग्रधूरा पड़ा है। उसे पूरा करने के लिये ग्राप ज्यादा से ज्यादा धन दें और उसे पूरा कराएं यह मेरी मांग है।

ग्रापने जो भी तालाब बांधें हैं उन तालाबों के लिये मेंटीनेंस का पैसा बहुत कम दे रखा है। उस तालाब की नहरें खुर्द-बुर्द होकर खराब होती हैं, तो उसके लिये भी ग्राप पूरा कराएंगे, यही मेरी मांग है। मैंने जो सुझाव दिए उन सुझाव को पूरा करेंगे और ग्रपने भाषण में उसका उत्तर देंगे। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा। (ग्रनुपस्थित)। श्री कमल।

श्री कमल (हिण्डोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई विभाग से सम्बन्धित विषय पर ग्राज चर्चा हो रही है। मैं भी ग्रपने ग्रापको इसमें शामिल करते हुए कुछ बातों की तरफ माननीय मंत्री महोदय का ध्यान ग्राकर्षित करूंगा। ग्रभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भरतपुर की बाढ़ के बारे में बताया था कि पिछले साल भी वहां बाढ़ ग्रायी थी और विभाग की तरफ से कोई इन्तजाम नहीं किया गया, साल भर विभाग सोता रहा और उसकी वजह से फिर इस साल जो बाढ़ ग्रायी उससे भारी हानी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष और इस वर्ष के

(श्री कमल)

बीच में काम क्यों नहीं हुआ इसके पीछे जो मैकेनिकल इंजीनियर का काम था वह काम काफी बड़ा था और उसके बंटवारे के लिये झगड़े हुए, कारण उससे जो फायदा मिलता है उन अधिकारियों को, उसको किसी अन्य को देने के लिये झगड़े हुए और काफी दिनों तक वह काम नहीं हुआ। जो फाटक वगैरह के काम थे वे तैयार नहीं किये गये। मैकेनिकल इंजीनियर जो भरतपुर में हैं, वे अनुसूचित जाति से हैं और वह जब से वहां गये हैं तभी से उनको किसी न किसी रूप में अधिकारियों द्वारा और पूर्व जो इंजीनियर था, उनके द्वारा बाधा पहुंचायी जा रही है। उसके विरुद्ध उसके जो वर्कर्स हैं उनको भी भड़काया, 2-4 बार उससे झगड़ा भी कराया। अतः माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में जांच करायें और दोषियों को दण्डित कराने की व्यवस्था करायें।

माननीय मंत्री महोदय, पानी जो आज सबसे महत्वपूर्ण साधन है जीने का, उसमें चाहे जिस विभाग में हो, चाहे अपन पेयजल के रूप में लें उसको जब तक हम बहुत नियन्त्रित तरीके से काम में नहीं लेंगे दिनों-दिन नयी-नयी समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। कोटा में चम्बल नहरों से बहुत सा पानी वेस्टेज होता है और काश्तकार उस पानी का ठीक तरह उपयोग नहीं करते हैं, खेत में छोड़कर चले जाते हैं और पानी बहकर वापस उसी नदी में जिससे कि वह बांध बनाकर लाया जाता है और पहुंच जाता है और ड्रेन आउट होकर चला जाता है। इसी प्रकार, जो ग्राउण्ड वाटर हम एक्सप्लाइट करते हैं सिंचाई के लिये उस पर भी सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है, बगैर नियन्त्रित तरीके से उसको अपन खर्च किये जा रहे हैं और विभाग उसको बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा है। इस पर भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे और कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि उसके दोहन पर भी नियन्त्रण लग सके।

दूसरा, विभाग में जो ठेके दिये जाते हैं, विशेषकर सवाईमाधोपुर जिले के बारे में बताऊंगा कि ठेकेदार पूल कर लेते हैं और पूल का जो अधिकारी निविदाओं को स्वीकृत करता है उनको भी पता होता है और वह पूल की हुई निविदाओं को कुछ ज्यादा लाभ कमाने के लिये उनसे मिली-भगत करके उनको काम दे देते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको भी पता है।

श्री कमल : बिलकुल पता है। इसीलिये तो बता रहा हूं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको बहुत सख्ती से रोका जाना चाहिये और जैसे ही इस बात की सूचना किसी भी अधिकारी को मिले फौरन इस पर जांच नियुक्ति की जानी चाहिये और जो दोषी हों उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय, इन्दिरा गांधी नहर योजना के बारे में मैं कुछ बात कहूंगा। वहां पर जितने भी वर्कर्स हैं वे तनख्वाह तो

(श्री कमल)

विभाग से लेते हैं, परन्तु वे विभाग का 90 प्रतिशत काम नहीं करते हैं। वे अधिकारियों पर हावी रहते हैं, क्योंकि वहां की जनता इस प्रकार की है कि जंगलों में काम होता है, गांव वहां है नहीं, बस्तियां वहां है नहीं इसलिये वे अधिकारियों पर हावी रहते हैं, उनके बस में नहीं आते। वे काम ठेकेदारों के यहां करते हैं और तनख्वाह विभाग से लेते हैं। इसकी भी जांच करायें और इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाने की व्यवस्था करें।

माननीय मंत्री महोदय, एक समस्या जो मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित है उसकी ओर।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जगर बांध मेरे क्षेत्र में पड़ता है उस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय सन् 1978 की शायद बात है उस समय वहां एक दुर्घटना हुई थी नाव से। एक गांव उस बांध के दोनों तरफ बसा हुआ है तो वहां बहुत सारे वर्कर्स जो किसान हैं इधर से उधर आते जाते हैं और उनके आने जाने की सुविधाजनक व्यवस्था नहीं है। जब बांध भर जाता है तो या तो वे नाव से निकलते हैं अकसर इसलिये वह दुर्घटना हुई थी और 27 आदमी मारे गये थे। उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंहजी शेखावत वहां एक फुट ब्रिज बनाने की घोषणा करके आये थे। कुछ काम उस पर हुआ भी था, परन्तु पता नहीं क्यों बाद में रोक दिया गया। आप उसको पूरा करायें। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई पर बात करूं उससे पहले भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू और राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री मोहनलालजी सुखाड़िया को श्रद्धापूर्वक और आदरपूर्वक स्मरण करता हूं जिन्होंने राजस्थान को एक भागीरथ मरूगंगा दी। मैं कुओं की सिंचाई की बात तो यहां कोई सवाल नहीं है सतही सिंचाई की बात करूंगा। सतही सिंचाई में राजस्थान 1951 तक 4 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित कर रहा था और 1990 तक पहुंचते पहुंचते 23.56 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की क्षमता हमने अर्जित कर ली। अब मैं आपसे अनुरोध करूं कि उसके बाद में जब शासन में आप आये, तो आपने 1992-93 में 133.70 करोड़ रुपये खर्च करके 13,320 हैक्टेयर क्षमता अर्जित की, 1993-94 में 149.70 करोड़ रुपये खर्च करके 18,341 हैक्टेयर की क्षमता अर्जित की और 1994-95 में 234.60 करोड़ रुपये खर्च करके 18,870 हैक्टेयर की क्षमता अर्जित की और 1995-96 में 286.58 करोड़ रुपये खर्च करके 17,600 हैक्टेयर की क्षमता अर्जित की। इस प्रकार से 58,131 हैक्टेयर की क्षमता अर्जित की।

अब इसके अलावा राजस्थान कैनाल माही प्रोजेक्ट और दूसरी-दूसरी जो आपकी वृहद् और मध्यम सिंचाई योजनाएं हैं उनसे करीब सवा लाख हैक्टेयर की क्षमता आपने अर्जित की। आप साढ़े 11 हजार करोड़

(श्री हरिसिंह)

रुपये की पंचवर्षीय योजना लेकर आये थे और बढ़े कितने ? अब हकीकत यह है कि बजट आपने इतना दिया, क्षमता इतनी अर्जित की उसका मुख्य कारण यह है कि आपके बजट का सिर्फ 35 प्रतिशत ही सही प्रयोग हो रहा है और 65 प्रतिशत पैसा सिंचाई विभाग का भ्रष्टाचार की वेदी पर चढ़ रहा है। यह सही है मंत्री महोदय कि आपने यह जो सिंचाई क्षमता अर्जित की है मुझे बड़े दुःख के साथ में कहना पड़ रहा है कि पूर्वी राजस्थान इसमें अब भी नेग्लेक्टेड है। आपने कुल मिलाकर एक मध्यम दर्जे की सिंचाई योजना दी है और सवा करोड़ रुपया टोटल उस बांध पर, पांचना बांध पर बाड़ बनाने पर शेष खर्च हुआ है और 14-15 करोड़ रुपया आपने और खर्च कर दिया जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। अभी तक सिर्फ 22 हजार हैक्टेयर जमीन को आप सिंचाई कर रहे हैं, तो जो क्षमता अर्जित करने का आपका लक्ष्य है वह आप नहीं कर पा रहे हैं।

मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक निवेदन करूं अलवर के भूतपूर्व महाराजा, जयपुर के भूतपूर्व महाराजा, भरतपुर के भूतपूर्व महाराजा, करौली और धौलपुर के भूतपूर्व महाराजा। आप बड़े बूढ़े जो कहते चले आ रहे हैं सम्वत् 1956 में अकाल पड़ा, सम्वत् 1962 में अकाल पड़ा, सम्वत् 1981 में अकाल पड़ा। उस समय अकाल राहत के तहत गांवों में पेटे काश्त के और सिंचाई के बांध उस समय के रूलर्स ने बनवाये। अलवर में जयसमन्द बांध सिंचाई के लिये वो तैयार था। उससे बहुत सारे किसान के खेतों की सिंचाई हो रही थी। आप पीने का पानी अलवर को उपलब्ध नहीं करा सके। किसान के खेत का पानी काटकर आपने अलवर की प्यासी जनता को पिलाया। जयपुर को जमवारामगढ़ जिसकी नहरें आज भी दौसा तक खिंची हुई हैं। वहां के किसानों के खेत का पानी काटकर आप जयपुर की प्यासी जनता को पिला रहे हैं। इसी प्रकार से भरतपुर का बन्ध बरैठा वहां भी किसान के खेत का पानी काट दिया और वो भी पानी आप पीने के लिये भरतपुर पहुंचा रहे हैं। आपका व्यवहार किसान अपने साथ यह दुर्व्यवहार होता देखता रहा। आपने कभी यह मुख्य मंत्री जी को और पी. एच. ई. डी. मिनिस्टर को नहीं कहा कि आप पीने के पानी के लिये भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई-माधोपुर में बारामासी चम्बल और बनास बह रही है, क्यों नहीं वहां से आपने पीने का पानी उपलब्ध करवाया। किसान के खेत का पानी काट कर क्यों आपने अन्याय किया है।

मैं आपसे और अनुरोध कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा दो मिनट का समय आपसे चाहूंगा। क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान की बात इसलिये कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक साल का आपको ब्यौरा पेश कर रहा हूं 1994-95 में योजना मद में 234 करोड़ रुपया ", मैं सिर्फ पांच जिलों की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विरोधी दल के नेता ने यह कहा है कि सबको समान रूप से समय दें।

श्री.हरिसिंह (महुआ) : 5-6 मिनट दे दें मैं आपको पूरा नक्शा बता रहा हूं 7 जिलों का जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, सीकर और झुंझुनूं है इसमें से 234.60 करोड़ रुपये में से अलवर में आपने दिया है. बांध सुरक्षा के लिये 6 लाख रुपये, 4 लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 2.2 करोड़ रुपये। भरतपुर में आपने दिया है वृहत योजनाओं में एक करोड़ रुपये, बांध सुरक्षा पर कुछ नहीं दिया है और एक करोड़ रुपया बाढ़ नियन्त्रण पर दिया है। धौलपुर में आपने एक करोड़ 20 लाख रुपये बांध सुरक्षा पर दिये है, लघु सिंचाई योजना और बाढ़ के लिये कुछ पैसा नहीं दिया। दौसा में मात्र आपने 25 लाख रुपये बांध सुरक्षा पर दिया है। सवाईमाधोपुर में आपने पाचना परियोजना पर निश्चित रूप से 8 करोड़ रुपया दिया और पुराने बांधों के रख-रखाव के लिये आपने 21.70 लाख रुपया दिया। जयपुर में आपने लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये करीब पोने दो करोड़ रुपये, दो करोड़ के आस-पास दिया सीकर में आपने बिलकुल नहीं दिया। झुंझुनूं में 16.50 लाख रुपये दिये। कुल मिलाकर के आपने इस 234.60 करोड़ रुपये में से पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों पर 19 करोड़ एक लाख रुपया दिया। जिसमें से करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपये बाढ़ नियन्त्रण पर दिया। बाढ़ नियन्त्रण पर पैसे का जो कुछ हश्र होता है, उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते है। बाढ़ नियन्त्रण के नाम पर जो पैसा भरतपुर में और दूसरी जगह जाता है, अगर उसका सदुपयोग होता, तो आज भरतपुर में यह तबाही नहीं मचती।

मैं आरोप लगा रहा हूं मंत्री महोदय, बाढ़ नियन्त्रण का जो पैसा आपका है वो 70 प्रतिशत पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है। आपने जो कुछ इन जिलों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हैं, जिस प्रकार से योजना मद में इनके साथ यह सौतेला बर्ताव किया जा रहा है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं आपने कुल मिला कर इस वर्ष में 1994-95 में 96 लघु सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की। उनमें से अलवर में 4, भरतपुर में 3, दौसा में निल, धौलपुर में निल, जयपुर में 7, सवाईमाधोपुर में 4, सीकर में बिलकुल नहीं और अलवर में 4। यह स्थिति आपने पूर्वी राजस्थान की बना रखी है पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा आखिर कब तक करती रहेगी यह सरकार। आपके साथ-साथ इसमें कांग्रेस भी दोषी है। है दोषी। यह जो सौतेला व्यवहार पूर्वी राजस्थान के साथ किया जा रहा है, यह हमको सोचने के लिये मजबूर कर रहा है। जमीन का वाटर टेबल खतम हो गया है। डार्क जोन हो गयी, पूरे के पूरे दौसा जिले की पांचों तहसीलें डार्क जोन हो गयी, सिवाय एक सिकराय के। चार में डार्क जोन आ गयी। अलवर जिले में बहुत ज्यादा पानी निकल कर भरतपुर में तबाही मचा रहा है। आप उस पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आपने सबसे ज्यादा अगर अन्याय किया है तो वह भरतपुर के साथ किया है। भरतपुर में बाढ़ को रोकने के लिये बाणगंगा, गम्भीर, और रूपारेल नदियों की बाढ़ को रोकने के लिये उस समय के राजा ने एक फुल प्रूफ सिस्टम डवलप किया था। आप उस सिस्टम को मेनटेन नहीं कर सके। पिछले साल भरतपुर में तबाही मची, आपके

(श्री हरिसिंह)

विभाग के अधिकारियों ने 14 करोड़ रुपया आपसे मांगा। अगर वो 14 करोड़ रुपया दिया होता तो आज भरतपुर में 85 करोड़ रुपये की सरकारी सम्पदा की तबाही नहीं मचती। इसमें माननीय सिंचाई मंत्री के साथ राजस्थान के वित्त मंत्री को भी मैं आरोपित करता हूं कि भरतपुर को उदारतापूर्वक अगर वो दे देते तो भरतपुर में आज यह तबाही नहीं मचती।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान के साथ यह सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं जानता हूं आपकी सीमाएं हैं। आप बोल नहीं सकते। आप इस आसन पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपका दिल जानता है कि किसान के साथ कितना घोर अन्याय हो रहा है। आप के खुद के क्षेत्र का बरसाती पानी बहकर मेरे क्षेत्र में आता है और वहां वो बाढ़ में तबाही मचाता है। आप उसको टैप नहीं करवा सकते। इसलिये मेरा अनुरोध है कि पूर्वी राजस्थान के 5-7 जिलों के साथ किसी प्रकार का सौतेला बर्ताव नहीं किया जाए।

मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र कांडला परियोजना नाम से मात्र 30 लाख रुपये की योजना थी। मैं मंत्री जी तक आ गयी। मंत्री जी ने यह कहकर नकार दिया कि उससे बांध बड़ा गांव, सिकन्दरपुर, समस्तपुर, शीषवाला, इनकी भराव क्षमता खतम हो जाएगी। मैं आपसे अर्ज करूं पिछले साल ये चारों उसी पानी से जिसे मैं रुकवाना चाह रहा था, जिसके लिये मैंने अनुरोध किया, उसी पानी ने इन चारों बांधों को तोड़ दिया। उनके पास एक्सट्रा पानी और आया लेकिन मंत्री महोदय 30-35 लाख रुपये को उस परियोजना को मंजूर नहीं कर सके। मैं आपके माध्यम से एक अनुरोध और करना चाह रहा हूं कि 1978 में चम्बल के पानी को लिफ्ट कर इन्दिरा लिफ्ट कैनाल के नाम से एक योजना का सर्वे हुआ। आज तक वो योजना चुप्पी की टोकरी में बन्द है। उदासीनता की परतों के नीचे दब रही है। मैं आरोप लगा रहा हूं सरकार पर कि वो पूर्वी राजस्थान के किसान के साथ घोर अन्याय और उपेक्षा बरती जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो मुझे और आपको, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से अलग करने की मांग करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया है उसके लिये धन्यवाद पेश करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री हरिनारायण बैरवा (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** डार्क जोन हो गया। 150 फीट नीचे पानी चला गया। पाकिस्तान की तरह (व्यवधान)

**श्री अमाराराम चौधरी :** हम तो सीमा के प्रहरी हैं। वहां पहरा दिये हुए। आपका प्रेम हमारे साथ बना रहे। (व्यवधान)

**श्री हरिनारायण (खण्डार) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 46 पर चर्चा हो रही है। मैं भी अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह

(श्री हरिनारायण)

कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डार में दो सिचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। एक वृहद इन्दिरा जलोत्थान सिचाई परियोजना, दूसरी पीपल्दा जलोत्थान सिचाई परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं स्वीकृत हैं और करीब 16 वर्षों से प्रस्तावित है। मैंने सर्वे एवं अनुसंधान खण्ड सवाईमाधोपुर (सिचाई) से इसकी जानकारी करी तो उन्होंने बताया कि हमारे अधीन 5 जिले हैं-सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। हमने 31 परियोजनाएं बनायी हैं और केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भेजी है। किन्तु खेद का विषय यह है कि 16 वर्षों के अन्दर जो उन्होंने खर्चा दिखाया है वो दिखाया है 168.30 लाख रुपये और काम एक पैसे का नहीं हुआ। 16 वर्षों के अन्दर सिर्फ कागजी घोड़े उन्होंने दौड़ाये हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो दोनों योजनाएं हैं, उसमें 1980-81 में पीपल्दा लिफ्ट परियोजना है उसके लिये 56,325 रुपये का खर्चा बताया एक साल का। जबकि 1982-83 में 497 रुपये बताये हैं और 1984-85 में 269 बताये हैं। किन्तु बाद में जाते जाते उन्होंने 1991-92 में 27,590 रुपये, 1992-93 में 63,089 रुपये, 1993-94 में 71,803 रुपये, 1994-95 में 2,506 रुपये और 1995-96 में 7,260 रुपये बताये हैं।

पीपल्दा परियोजना पर उन्होंने एक कील भी नहीं लगाई है और खर्च बताया है पूरा 3,66,929 रुपये का जबकि वहां पर आज तक एक कील भी नहीं डाली। इसी प्रकार से वृहद इन्दिरा लिफ्ट इरिगेशन योजना की भी यही स्थिति है। इसमें पूरा खर्चा बताया है 47,10,017 रुपये का जबकि वहां पर उन्होंने भले ही एक दो-बार सर्वे किया हो लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। केन्द्रीय जल आयोग के जो कागज आते हैं सिर्फ उनका जवाब दे देते हैं। वहां पर बैठे रहते हैं और फर्जी बिल बनाते हैं। इनकी जीपों के जो बिल होते हैं वे मंत्रियों के जो बिल आते हैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से, उनसे भी ढाई गुना ज्यादा के इनके बिल हैं। सिर्फ कागजी कार्यवाही कर रहे हैं। इन्होंने 31 परियोजनाओं में से 16 वर्ष में एक भी योजना चालू नहीं की है, यह खेद का विषय है। इसकी जांच की जाए। मेरे क्षेत्र की योजनाएं हैं इनको चालू किया जाए।

इसी प्रकार मैंने सिचाई विभाग को प्रस्ताव भेजे थे कि मेरे क्षेत्र में एनीकट बनाने की जरूरत है लेकिन उन्होंने साफ इन्कार कर दिया कि हमारा विभाग एनीकट नहीं बनाता। लेकिन एक खेद का विषय है कि एक सेवानिवृत्त आई. ए. एस. अधिकारी, जो शासन सचिव भी रह चुके हैं जिनके परिवार के वर्तमान में दो सदस्य, एक आई. ए. एस अधिकारी और एक आर. ए. एस. अधिकारी हैं उन्होंने अपने निजी काम के लिए 4 लाख रुपये की लागत की एक एनीकट अभी अपने बाग में बनाया है। गांव वालों ने उसकी शिकायत की है, स्टे लेने गये, किन्तु उनको स्टे नहीं मिला। चार लाख का एक एनीकट वहां पर बना दिया है। गांव वालों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। वह पूरा का पूरा सुहास गांव उस एनीकट से डूबेगा। इसी

(श्री हरिनारायण)

प्रकार से इन्हीं साहिबान ने पी. डबल्यू. डी. से लाखों रुपये के फर्जी काम करवाये हैं।सुहास माता के नाम से एक सक सड़क बनवायी है। सड़क के दोनो तरफ से सेफ्टी वाल बनवायी है, नाली पर पुलिया बनवायी है और अपने बाग की बाउण्ड्री वाल बनवायी है। यह सुहास ग्राम की बात है। इसकी जानकारी की जाए तथा जिन अधिकारियों ने इसके लिये स्वीकृति दी है उनसे इस पैसे की रिकवरी की जाए। क्योंकि जहां जनहित का काम होता है वहां पर काम नहीं करवाते हैं और व्यक्तिगत लाभ देने के लिये काम करवाये गये हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनास नदी क्षेत्र को दो जगह से काटती हुई बह रही हैं। इसमें ईसरदा और सावदा के पास में बांध बनाये जा सकते हैं जिससे सवाईमाधोपुर जिले की पूरी की पूरी पेयजल समस्या हल हो सकती है। इसी प्रकार से गालव नदी के ऊपर प्रस्तावित योजना को स्वीकृत किया जाए। मेरे क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, जगह जगह पर बड़े-बड़े नाले हैं। पहाडों का पूरा का पूरा पानी बहकर के चम्बल और बनास नदी में चला जाता है। इन नालों के ऊपर एनीकट बनवाये जाएं जिनसे कुओं का जल-स्तर बढ़े। क्योंकि मेरे यहां पर मात्र वही सिंचाई के साधन हैं। इसी प्रकार से एक हमीर सागर योजना प्रस्तावित है जिसको बन्द कर रखा है। मैंने पूर्व में इसके लिये निवेदन किया था कि हमीर सागर योजना की जांच करवाकर पुनः चालू करवाया जाए, क्योंकि इसमें वन विभाग ने कुछ अड़चनें लगा रखी थीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्री हरिनारायण** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी इन दोनों योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर रखा है। इसलिये इन दोनों योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए और क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाए। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री दयाराम परमार। (अनुपस्थित)। डा. जितेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित)। श्री रामस्वरूप मीणा।

**श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : जो मौजूद हैं, उनके नाम तो आखिर में बोले जाते हैं और जो चले गये उनके नाम पहले, कोई बात नहीं। (व्यवधान) कृपया बीच में विघ्न न डालें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों से निवेदन करें।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : सिंचाई मंत्री महोदय के द्वारा पूर्वी राजस्थान के साथ उपेक्षा की जा रही है। इसलिये माननीय सदस्यगण ने यह तय कर लिया है कि मत्स्य प्रदेश का निर्माण किया जाएगा और जिसका भावी मुख्य मंत्री रामस्वरूपजी मीणा को बनाया जाए। (व्यवधान)।

**श्री रामस्वरूप मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री रामस्वरूप मीणा)

b मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के सदन के अन्दर आप में मुझे कुछ मरदानगी नजर आती है। आपकी मरदानगी नजर आती है। आपकी मरदानगी और ईमानदारी पर कोई मुझे शक नहीं है। (व्यवधान)

मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम में एक विसनसमन्द बांध है। बड़ी खुशी की बात है कि आपने मुझे इस बांध की मुख्य नहर, मुख्य फीडर के कार्य के लिये 15 लाख रुपये दिये। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा कि आपने 15 लाख रुपये तो दे दिये लेकिन आपके अधिकारियों ने ठेकेदार से मिलकर, मिलीभगत से उस 15 लाख में से 5 लाख रुपये भी नहीं लगाये। मैं विसनसमन्द बांध की बात कर रहा हूं। इस फीडर की गहराई 3 फुट होनी चाहिये थी जबकि मात्र एक फुट गहराई की है। पानी के बहाव के हिसाब से इसकी खुदाई होनी चाहिये थी, वह भी इन्होंने नहीं की है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि पूरी नहर जो कि हमारे मूमना बांध से चलती है और विसनसमन्द बांध, टोडाभीम होते हुए सीधी वहां बांध पर जाकर मिल जाती है। आज से 30-40 साल पहले का पुराना बांध है उस बांध में जाकर के नहर मिलती है। केवल उस बांध की नहर के ऊपर उन्होंने ट्रैक्टर से मिट्टी डलवायी है और उसके अन्दर भी एक तरफ से मिट्टी डलवायी है दूसरी तरफ इन्होंने मिट्टी नहीं डलवायी है। बड़े दुःख की बात है कि जब यह पानी रास्ते में ही चारों तरफ फैल जाएगा तो बांध तक पहुंच ही नहीं पाएगा।

तीसरा, मेरा निवेदन है इस बांध के बारे में कि आपकी जो नहर आयी है, इसमें इन्होंने पक्का काम नहीं किया है। अगर पक्का काम करते तो 3 जगह सड़क पड़ती है इसमें जब सड़क के ऊपर पुलिया नहीं बन रही हो तो पानी कैसे जाएगा। पुलिया बांधी नहीं है, पक्का काम किया नहीं है और नहर को बांध रहे हैं। बड़े दुःख की बात है जब तक आपकी पुलिया नहीं होगी, पानी कहां से जाएगा, क्या सड़क के ऊपर सीधा निकल जाएगा, पानी आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि पक्के काम आप पहले करवाएं।

**श्री देवीसिंह भाटी :** आपने बांध का नाम क्या बताया ?

**श्री रामस्वरूप मीणा :** विसनसमन्द बांध, टोडाभीम। साहब, मैं एक-एक शब्द बता रहा हूं, वि-स-न-स-म-न्द बांध।

आपने मुझे जो 15 लाख रुपये दिये हैं इसकी जांच करायें, और जो कार्य सही नहीं हुआ, उस कार्य को आप सही कराएंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। इसके अन्दर जो घोटाला हुआ है इसकी आप जांच करायें।

चौथा मेरा निवेदन है कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे बड़ा

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पाचना बांध बांधा है 49 सौ लाख रुपये की लागत से यह बांध बनाया है। इसमें मेरा नादोती क्षेत्र आता है पूरा भाड एरिया है। पूरे जिले में इस नहर के अलावा, इस बांध के अलावा पीने के पानी का और कोई दूसरा साधन नहीं है। मेरे वहां पर कुए नहीं हैं, किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं है। इस पाचना बांध की मुख्य धारा को पिछली बार तोड़ा गया था उससे उसका पानी निकल गया था। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अबकी बार उस मुख्य धारा को बन्द करायें। यह बन्द करने के बाद, मेरे क्षेत्र के 15 गांवों को आपके द्वारा जो सप्लाई की गयी है, वह सप्लाई आप पुनः चालू करवायें।

पांचवा, मेरा निवेदन है कि आपने इन्दिरा लिफ्ट योजना के बारे में कहा है। इन्दिरा लिफ्ट योजना मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र नादोती और टोडाभीम दोनों को कवर करेगी। इस योजना को 1994-95 में आपने यहां से बनाकर दिल्ली भेज दिया। मैं इस सदन में आपसे मांग करता हूं, आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय यहां बिराजमान नहीं हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इसको दिल्ली में जल्दी से जल्दी स्वीकृत करायें। अपना सदन भी आज प्रस्ताव ले कि इतनी बड़ी योजना जो कि सारे जिला सवाईमाधोपुर में पानी देगी, जिससे हमारी लगभग एक लाख बाइस हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। एक लाख बाइस हजार एकड़ भूमि सिंचित करने वाली है, इन्दिरा लिफ्ट योजना। माननीय मंत्री महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली से जल्दी इसको खिचकर के आप ले आएंगे। माननीय प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा जी को आप पर्सनल लेटर लिख कर निश्चित मांग करेंगे ताकि हमारी यह योजना सवाईमाधोपुर जिले की पानी की समस्या को हल करेगी, उसको आप मंजूर कराएंगे।

छठा मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, मेरे यहां जो बांधों के काम आपने करवाये हैं, उसमें हमारा एक तो ये गांव हैं शहर का, तेज का, और हीदाहेली का, इनके अन्दर आपने जो काम कराये। इनके अन्दर बहुत सारे पेड़ थे, कम से कम हजारों पेड़ कटवाये गये हैं। पुराने पेड़ थे, बहुत पुराने, लिख लो आप उन बांधों के नाम, तेज गांव, शहर और हीदाहेली, इन बांधों के ऊपर जो आपके पेड़ थे, माननीय पेड़ बिलकुल साफ कर दिये लेकिन उनका पैसा कहा गया ? उनकी नीलामी नहीं हुई। वह आपके अधिकारी सीधे ही डकार गये। हो सकता है बड़े अधिकारियों तक बात नहीं आ पायी होगी इसलिये वे डकार गये होंगे। इसलिये आप ईमानदार हों, तो इसकी भी कम से कम जांच करवा लें कि ये पेड़ कहां गये ?

सातवां, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आपने हमारे यहां जो सिंचाई के लिये गंगापुर, फतेह सागर, तेज गांव, इन बांधों पर जो कार्य करवाया है, वह ट्रेक्टरों से कार्य करवाया है जबकि यह कार्य मजदूरों से होना था। मस्टर रोल से कार्य होना था। यह बांध आप इसलिये बना रहे हों ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। अकाल में आप जो काम करवाते हों, वे इसीलिये करवाते हैं ताकि आज बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए। आपने ट्रेक्टरों से

(श्री रामस्वरूप मीणा)

काम करवा लिया। उन गरीब बेरोजगारों को रोजगार कहां मिला? अन्याय हुआ है गरीब के साथ, जो अपनी पेट की कमाई के आपने जो साधन ढूंढे हैं, आप जब उनसे काम नहीं करवाकर ट्रेक्टरों से काम आप करवाने लग गये। बड़े दुःख की बात है। आप अपने विभाग को इस बात के लिये पाबन्द करेंगे, आप इसके लिये एक निरीक्षण समिति बैठाएंगे, इस बात के लिये कि कहां-कहां मजदूरों की बजाय ट्रेक्टरों से काम हो रहा है। इन लोगों को बड़ा फायदा होता है ट्रेक्टरों से काम कराने से। योजनाएं आपकी मजदूरों से काम कराने की है। इसलिये आप निश्चित रूप से इसकी ओर भी ध्यान देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा जो पन्द्रह लाख रुपये आपने दिया है उसकी जांच करायें और उसका पूरा काम आप करवाएंगे ताकि मेरे बांध में पूरा पानी जा सके और मेरे क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। इन्दिरा लिफ्ट योजना, पाचना योजना, इन दोनों योजनाओं को आप पूरा कराएंगे। माननीय आपने मुझे जो टाइम दिया, उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। जय-हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री कालूलालजी गूजर।

**श्री कालूलाल गूजर (मांडल) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। मैं भी कुछ सुझाव माननीय मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भीलवाड़ा जिले में 1994 में अतिवृष्टि के कारण जितने भी तालाब और बांध टूटे उनकी इस साल पूरी धनराशि उपलब्ध कराकर, सारी मरम्मत करवा दी और तालाबों को बंधवाया। इसके साथ ही जिन तालाबों पर थोड़ी बहुत क्षति हुई थी उनको भी अकाल राहत में स्वीकृति जारी करके इस बार आपने उनकी भी मरम्मत करवायी। इसके लिये भी आपको मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कुछ समस्याएं हमारे जिले में हैं उनकी ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो अभी कई माननीय सदस्यों ने बीसलपुर परियोजना के कैचमैण्ट एरिया के कारण तालाब और बांध नहीं बनते हैं, उस पर चिन्ता जाहिर की है। मैं भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बीसलपुर का एक भूत उधर लग रहा है, इसको आप उतारें। क्योंकि जितना पानी उधर से आता है और छोटा कोई ऐनीकट भी बनता है तो उसके ऊपर भी इसलिये रोक है कि बीसलपुर के कैचमेंट एरिया में बन रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बागोर में एक तालाब बना। तालाब कम्पलीट बन गया, जंगदेव उसका नाम है। उसमें पानी भी बराबर रुकता है लेकिन उसकी नहरें इसलिये नहीं बन रही हैं कि बीसलपुर कैचमेंट एरिया में आ गया। अब पानी तो भरा

(श्री कालूलाल गूजर)

रहता है लेकिन बीसलपुर कैचमेंट एरिया में आ गया इसलिये उसकी नहरों की स्वीकृति नहीं हो रही। यह आश्चर्य की बात है कि पानी मरा है। पानी तालाब के ऊपर से खिंचकर के तो आप लाएंगे नहीं, तालाब फोड़कर के लायेंगे नहीं तो नहर बना दो और अगर उस मरे हुए पानी का उपयोग हो जाय तो वहां बीसलपुर का कहां आड़े आ रहा है? लेकिन बराबर लिखने के बावजूद भी उसकी स्वीकृति नहीं हुई। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ऐसे बांध, ऐसे तालाब, जो बांध दिये गये हैं, जिनमें छोटे काम बाकी हैं, पानी रुकता है, कम से कम उनके काम तो आप प्लान में लेकर के कम्पलीट करवायें ताकि इन योजनाओं को पूरा किया जा सके।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि पहले श्री मामड़ा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और यह कहा कि छोटे एनीकट बनाये जा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नदियां या जो नालें कैचमेंट एरिया के अन्दर हैं और बांधों में पानी आता है, उसमें बड़े बांध या तालाब बनकर पानी नहीं रोका जाए अगर यह आपका सिद्धान्त भी हो तो छोटे एनीकट बनाकर के जो अंडर ग्राउण्ड वाटर चलता है, नदी के अन्दर अगर उनको एक दो फुट ऊंचाई तक छोटे एनीकट बना दिये जाएं तो उनसे जो पानी रुकेगा उससे आस-पास के कुओं में पानी बढ़ेगा वह सिंचाई के लिये और पीने पानी के लिये मुहैया हो सकता है। ऐसे जो एनीकट हैं, जो पहले यहां पर भी, एक बनास नदी में और एक कोठारू नदी में, दो अधूरे एनीकट बने हुए हैं, उनको आप पूरा करवायें ताकि वहां की जनता को सुविधा मिल सके।

मेरा एक और निवेदन है कि मेंटिनेंस के लिये आप बहुत कम पैसा देते हैं और इसी वजह से बांध और तालाब जितने भी हैं, समय पर उनकी मेंटिनेंस नहीं होती। थोड़ी-सी अतिवृष्टि होते ही पहले वह टूट जाते हैं इसलिये मेंटिनेंस पर पैसा बढ़ाया जाए। मेजा डैम हमारे यहां पर सबसे बड़ा बांध है। उसके ऊपर बहुत अच्छा सुन्दर बंगला बना रखा है और वहां काफी पर्यटक भी आते हैं। बाहर से नहीं लेकिन आस-पास से लोग वहां घूमने आते हैं तो उसकी सारी सुन्दरता खतम हो रही है क्योंकि मेंटिनेंस के लिये आप पैसा नहीं देते हैं। इसी तरह से मांडल का तालाब है और उसकी पाल बहुत ऐतिहासिक है। माननीय मंत्री महोदय इस बार जब भीलवाड़ा पधारे थे तब आपने स्वयं ने उस पाल को देखा है और उसके लिये आप अगर पैसा दें और उसकी मेंटिनेंस अगर की जाए तो वह बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल डवलप हो सकता है और गांव वालों को उसका अच्छा लाभ मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरा, मेरा एक निवेदन और है कि माडर्नाइजेशन एक योजना थी। उसमें पहले तीन करोड़ रुपये का प्रावधान था। वह योजना पूरी हो गयी लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय

(श्री कालूलाल गूजर)

मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में जितनी भी अभी हमारी माइनर्स अधूरी रह गयी, जो पक्की नहीं बन पायी और धीरे वगैरह भी कच्चे हैं तो उनको पक्का बनाने के लिये जितने धन की और आवश्यकता है इसलिये मेजा माडर्नाइजेशन योजना को और आगे बढ़ायें, इसमें और धन स्वीकृत करवायें। क्योंकि जितना कच्चा धोरा और कच्ची माइनर रहेगी, उतना ही पानी वेस्ट जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितना पानी रोकते हैं, यदि उसका सदुपयोग नहीं होगा, जगह-जगह टूट-फूट जाएगा और पानी बेकार जाएगा, जिससे खेतों में सिंचाई की बजाय और कहीं नालों में और बेकार बहकर के चला जाएगा तो उसका उपयोग नहीं होगा इसलिए उनके मेंटिनेंस के लिये और मेजा बांध के लिये विशेषकर के माडर्नाइजेशन का जो कार्य है, उसको पुनः शुरू कराया जाए। इसी तरह से मैं मांग करूंगा कि....

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आप समाप्त करें।

**श्री कालूलाल गूजर** : जेतपुरा बांध। मांडलगढ़ पंचायत समिति में एक जेतपुरा बांध है। उसकी भी माडर्नाइजेशन की स्कीम है, उसको भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत करायी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष** : राजेन्द्रजी चौधरी। केवल पांच मिनट।

**श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)** : मैं तो अभी खड़ा ही नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में हमारे जल की बहुत ही ज्यादा कीमत है और एक प्रतिशत जल पूरे हिन्दुस्तान का हमारे यहां पर उपलब्ध है और 11 प्रतिशत हम इसका उपभोग कर रहे हैं, कृषि के अन्दर। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक-एक बून्द जल का हम कैसे उपयोग कर सकें। श्री कालूलाल जी गूजर ने जो सुझाव दिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बड़े बांध तो बना नहीं सकते। सब जगह पानी नहीं है, हमारे यहां भी पूरे राजस्थान की बात भी कही गयी, यहां पर। पश्चिमी राजस्थान में पानी बहुत कम आता है पर इतना पानी आये कि उनको छोटी-से-छोटी जगह पर उस पानी को रोका जाए। जिससे कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर है उसका रिचार्जेज कैसे हो। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव है कि मेरे क्षेत्र के अन्दर एक बांध बना जालीवाड़ा। वह लगातार चार वार से, जब से बना है पूरा भरा भी है। पूरी उसकी कच्ची कैनाल्स हैं, पर उसका पूरा उपयोग हो रहा है और आसपास के सभी कुओं के अन्दर पानी रिचार्ज हो गया। मेरा मंत्री महोदय, आपसे सुझाव है कि चोकड़ी के ऊपर एक छोटा सा बांध वहां पर बनवाये, जिससे कि उसका लाभ मिल सके और अण्डर ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हो सके और उसका लाभ मिल सके।

दूसरा महत्वपूर्ण बात है चोपड़ा फीडर मेरी बिलाड़ा के अन्दर है। वह रायपुर

(श्री राजेन्द्र चोधरी)

बंघे से प्राती है। उपाध्यक्ष महोदय, दो साल पहले वह फूट गयी थी। बिलाड़ा में पानी हमेशा चोपड़ा फीडर से प्राता है। बिलाड़ा पहले भी काफी दिनों तक पानी के अन्दर डूबा रहा था। मैंने उस समय भी इरिगेशन के अधिकारियों को कहा था

(22.00)

कि प्राप उसके ऊपर कार्यवाही कीजिये। उसके बाद में मैं माननीय मंत्रीजी से मिला प्रौर मंत्रीजी को मैंने चिट्ठी भी लिखी मंत्रीजी ने उस पर कार्यवाही मंगवायी। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जिन कारणों से इसमें बाढ़ प्रायी, जो नहर टूटी, चूंकि इसका रास्ता है वह चौड़ा नहीं हैं, जो नाले हैं वो चौड़े नहीं हैं, सड़क ऊपर निकलती है, तो मेरा आप से निवेदन है चोपड़ा फीडर के जो प्रपोजल्स प्राप मंगवायें प्रौर उनको प्राप देखें कि कैसे उसको प्रौर ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में प्राप इसको प्राथमिकता से लीजिये।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फलोदी के अन्दर इरिगेशन की प्रापकी जो योजना चल रही है इन्दिरा गांधी कैनाल से प्रौर वह चल रही है बिलकुल चींटी की चाल से। पूर्वी राजस्थान वाले तो प्रारोप लगा रहे हैं, बिलकुल सही है पर पश्चिमी राजस्थान की भी स्थिति यह है कि वहां पर प्राप देख लीजिये उसकी गति क्या है उस नहर के चलने की 32 किलोमीटर की है प्रौर प्राज कितनी साल से चल रही है, बनी कितनी है वो, आप वो देख लीजिये। उस पर प्राप पैसा बहुत ही कम दे रहे है प्रौर उसकी गति बिलकुल है नहीं प्रौर फलोदी बिलकुल डेजर्ट है, प्राप जानते हैं इस बात को।

इसके प्रलावा महत्वपूर्ण बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि नर्मदा योजना का काम हमारे जालोर जिले के लिये बहुत महत्वपूर्ण है प्रौर वहां पर स्थिति यह है कि उसका काम बिलकुल धीमी गति से चल रहा है। काम तो हो रहा है बाद में घपले हो रहे हैं पहले इसमें बहुत-सी जांच भी की गयी, टेण्डर उल्टे-सीधे दे दिये, ज्यादा रेट वालों को दिये गये, बहुत ही गड़बड़ हुई प्रौर मंत्री महोदय ने उसमें एक्शन भी लिया। इसी तरह से जवाई डेम का मैंने प्राप से पूछा था। सरकार पहले तो सोती है कोई एक्स. ईएन. हैं वह मिस्टर जैन, उनके खिलाफ मेरे प्रश्न में उत्तर दिया कि रिपोर्ट तो हो गयी इतनी पुरानी रिपोर्ट की हुई उस पर सरकार सोती रही, मंत्रीजी, प्रौर मेरे प्रश्न के बाद में प्रापने उसको 16. सी. सी. का नोटिस दिया प्रौर प्रापने कहां दिया कि हम इस पर कैसे कार्यवाही कर सकते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। प्रापने उसको मान लिया। मेरे कहने का मतलब है कि ध्यान आकर्षित करने के बाद में भी प्राप कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते।

इसी तरह से मैं घग्घर फ्लड् के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ के रंगमहल गांव के अन्दर चक 43 एस. टी. जी. प्रथम प्रौर द्वितीय के अन्दर पहले जो बहाव था वह बहाव था 4/37।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

में और अब उसको कर दिया है 5/372 और, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर स्थिति बिलकुल उलटी है। अधिकारियों ने कैसे भी बात की, मैंने सुबह भी मंत्री महोदय से निवेदन किया और मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर जो दूसरा बहाव उन्होंने किया है, उन्होंने जो है, किया उन्होंने उत्तर को छोड़ कर दक्षिण की तरफ मार्ग निकाला है वहां पर 50 फुट से लेकर 150 फुट तक ऊंचे टीले हैं। मैं टीले का नाम भी बता देता हूं लाखा धोरा। अब बताइये पानी कैसे जाएगा ? पानी जा ही नहीं सकता पर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये नीचे के अधिकारियों ने, मंत्रीजी, यह कार्यवाही कर दी और गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया। आपने कमेटी भी बनायी, आप के श्री मिढ्ढाजी उसमें मेम्बर आपके पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य भी उसमें मेम्बर। मेरे ख्याल से इस कमेटी की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है और न उसकी कोई राय ली गयी। इसके बारे में मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं रंगमहल गांव को बचाने के लिये जो बंधा बना हुआ था उसको आप के विभाग के अधिकारियों ने तोड़ दिया। अब वो गांव डूबेगा, आप किसी कीमत पर भी बचा नहीं सकते और हम फिर यहां पर कहेंगे कि यह क्या हुआ। मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप अविलम्ब कार्यवाही करें। बाद में जब वो गांव बह जाएगा और हालात खराब हो जाएगी तब आप किस को दोष देंगे ? इसलिये मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इसके बारे में आप जरूर निर्णय करें। और महत्वपूर्ण बात यह है....

**एक माननीय सदस्य** : बस।

**श्री राजेन्द्र चौधरी** : बस ? क्यों ? आप को घर जाना है क्या ? आप पधारों न, किसने मना किया आप को। यहां बात कहने के लिये बैठे हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष** : कृपया अब समाप्त करें।

**श्री राजेन्द्र चौधरी** : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बस क्या होता है ? बस में आप जाइये।

मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी में बहुत ही मर्दानगी है और बहुत ताकतवर भी हैं, परन्तु मंत्रीजी का बजट 1994-95 में था, 1995-96 कितना-कितना था, 1996-97 में भी आपका बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। कैबिनेट के अन्दर आपकी ताकत कमी हुई है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, यह कमजोर हो गये हैं और इन को बजट कम दिया गया है। हम इन से उम्मीदें बहुत ज्यादा कर रहे हैं और स्थिति यह है कि जब मंत्रीजी इधर विपक्ष में बैठते थे, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मेरे पास ही बैठते थे। उपाध्यक्ष महोदय, इतना इनको ज्ञान था कि इन्होंने इन्दिरा गांधी कैनाल और इरिगेशन डिपार्टमेंट पर इतने यहां पर भाषण दिये हैं उन प्रोसीडिंग्स को निकाल कर मंत्रीजी उनमें दिये सुझावों पर कार्यवाही करना शुरू कर दें तो हम

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

धन्य हो जाएंगे, राजस्थान का कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : अब आपकी इजाजत हो, तो सरकार से जवाब दिलाया जाए। (व्यवधान)....

**श्री राजेन्द्र पारीक** : पांच मिनट में कोई घाटा नहीं पड़ने वाला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री पारीक साहब।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : सरकार को कितना घाटा पड़ जाएगा मुझे पांच मिनट देने में ?

**श्री उपाध्यक्ष** : इसमें नाम नहीं है। नाम सही है इसमें। बिराजें। (व्यवधान) मंत्री महोदय। कृपया बिराजें।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : हमें हमारी बात कहनी है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने मंत्री महोदय को पुकार लिया, आप बिराजें। कृपया बैठें। माननीय सदस्य, श्री जोशीजी, बैठिये। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं यहां पर लगातार बैठा हुआ हूं मेरा नाम पुकारा गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से मर्सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं ...

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने मंत्रीजी को पुकार लिया। मंत्रीजी, जवाब दें कृपया।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मैं लगातार यहां बैठा हुआ हूं। यह गलत बात है, आप हमें बोलने का मौका नहीं दे रहे। हमारा जो फण्डामेंटल राइट है ...

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं, नहीं।

**श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 के ऊपर (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मैंने कट मोशन दिये हैं इसलिये मेरे को बोलने की इजाजत दी जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : इधर भी बहुत बड़ी लिस्ट है।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मेरे को बोलने का पूरा अधिकार, मेरा नाम है, मैं बोलूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : नहीं माननीय मंत्री महोदय। मैं आपको समय नहीं दूंगा। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह इस तरह से, मैं भी एक माननीय सदस्य हूं....

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं अब समय नहीं दे पाऊंगा, आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं आप से न्याय की उम्मीद करता हूं, आप हमें न्याय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं आप से न्याय की उम्मीद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप मेरे को न्याय देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरीके से सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये, नहीं चलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोशी, आप विराजें। कृपया विराजें। नहीं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, मेरी बात कहना चाहता हूं। यह कोई तरीका नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 के ऊपर....

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या मतलब है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम हाउस में हमारी बात कहने के लिये आते हैं। यह बात कहने की बात नहीं है....

श्री देवीसिंह भाटी : आज माननीय सदस्यों ने काफी रुचि जाहिर की....

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम रात को यहां रात तक क्यों बैठे हैं, हम हमारे एरिये का रिप्रजेंटेशन करते हैं। इस तरह से+ + +हमारा नाम हमारे सचेतक महोदय ने दिया है, हमने कटमोशन दिये हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : यह बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि सिंचाई के बारे....

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह समय बताएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जवाब सुनिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + +यह फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है, X X X उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से न्याय की उम्मीद करता हूं। (व्यवधान)

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री देवीसिंह भाटी** : है और बहुत ही अच्छे आपने जो सुझाव दिये हैं.... (व्यवधान)....

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मैं आप से न्याय चाहता हूं। (व्यवधान) मैं आप से न्याय चाहता हूं। (व्यवधान)।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : उपाध्यक्ष महोदय, कटमोशन दिये हैं इस पर। (व्यवधान)

**श्री देवीसिंह भाटी** : कटमोशन के माध्यम से अपनी भावना रखी और 17 आई. जी. एन. पी. के लिये कटमोशन दिये गये....(व्यवधान)...

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह बहुत गलत परम्पराएं बना रहे हो आप।...(व्यवधान)....

**श्री परसादी लाल मीणा** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को टाइम दें।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : यह आने वाला समय बताएगा...(व्यवधान)....

**एक माननीय सदस्य** : प्रतिपक्ष के नेता महोदय यह कह कर गये हैं (व्यवधान)।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : मैंने कटमोशन दिये हैं।....(व्यवधान)...

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी कटमोशन विधान सभा सचिवालय के माध्यम से सदन में प्रस्तुत किये गये हैं उन सारे कटमोशंस के जवाब (व्यवधान)।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री परसादी लाल मीणा** : ××× (व्यवधान)।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

माननीय सदस्यों का अंकित न हो।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री परसादी लाल मीणा** : ×××

**श्री देवीसिंह भाटी** : सब को एक-एक की सूचना मिलेगी और एक-एक कटमोशन का आप को विस्तृत उत्तर दिया जाएगा। (व्यवधान)।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री परसादी लाल मीणा** : ×××

**श्री देवीसिंह भाटी** : उसके बावजूद भी माननीय श्री भीमसेनजी, यदि कोई शंका रह जाए, किसी प्रकार का आप को संदेह हो, कुछ और आप विकास की बात करना चाहते हैं तो आप मुझे पत्र लिखें, मेरे से चर्चा करें उस समस्या का

---

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

समाधान होगा, क्योंकि वो आपकी निजी समस्या नहीं है आप अपने क्षेत्र की बात करते हैं, लोगों के विकास की बात करते हैं, गावों के विकास की बात करते हैं। इसलिये आप के सुझावों का हर वक्त, मैं यह आमंत्रण देता हूं आप पत्र के माध्यम से या मुझ से निजी तौर पर मिल कर के बताएंगे, उन सारे कामों का मैं निपटारा करूंगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री परसादी लाल मीणा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : श्री शैलेन्द्रजी जोशी, आप के एक-एक काम का, जो भी पत्र आपने मुझे लिखे मैंने उनका जवाब दिया है। एक-एक समस्या के समाधान के लिये (व्यवधान) चर्चा की।

श्री शैलेन्द्रजी, उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले विश्व की एक ऐसी महानतम प्रोजेक्ट...(व्यवधान)...रेगिस्तान के अन्दर जहां हम एक-एक बून्द पानी के लिये तरसते थे (व्यवधान) ऐसी बड़ी प्रोजेक्ट...

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री परसादी लाल मीणा : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : दुनिया में सब से चीपेस्ट और इतने जल्दी समय में तैयार हो गयी, यह लोगों की कल्पना से बाहर है (व्यवधान) उसके आज परिणाम हमारे सामने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आई. जी. एन. पी. के बारे में पहले निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो स्थिति है...

श्री परसादी लाल मीणा : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : परसादी लालजी माननीय सदस्य, मैं आप को निवेदन करूं, एक-एक बात का जवाब दूंगा। (व्यवधान) म्हारा कंठ बैठगा। मनै बोलनै दो। (व्यवधान) एक-एक का जवाब दूंगा। (व्यवधान)।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री परसादी लाल मीणा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो मैं प्रगति बता रहा हूं आई. जी. एन. पी. की, सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर (व्यवधान) की

---

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

अवधि की तुलना में अच्छी गति से प्रगति पर है और उसका तुलनात्मक दृष्टिकोण मैं आपके सामने रख रहा हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में यह जो कह रहे हैं कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना योजना में काम धीमी गति से चलने लग गया। 1985-90 में आपने जो काम चलाये वह मैं आपको बता रहा हूं (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** ×××

**श्री राजेन्द्र पारीक :** ×××

**श्री देवीसिंह भाटी :** सिंचित क्षेत्र इनके द्वारा कुल 1.19 लाख हैक्टेयर ही खोला गया और हमारे रिजीम में, 1990-95 के अन्दर हमें कार्य करने का मौका मिला और 1.19 लाख हैक्टेयर के अगेंस्ट में हमने (व्यवधान) 2.54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में काम किया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, नहरों के निर्माण के बारे में मैं निवेदन करूं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्दर जो नहरों का निर्माण किया गया 1985-90 के आपके शासनकाल में कुल 785 किलोमीटर ही नहरें बनीं और हमारे राज में, 1990-95 के अन्दर 785 किलोमीटर के अगेंस्ट में 1406 किलोमीटर नहरों का निर्माण हुआ। (व्यवधान) मैं बहुत अच्छी जानकारी आगे देने जा रहा हूं। प्रदेश के विकास के लिये, आपकी बहबूदी के लिये जो योजना आयोग के सलाहकार समिति के सहयोग से हमें मिली है उसके लिये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-93 में शुरू होने वाली थी। नहर के प्रथम चरण में 277 करोड़ रुपये का खर्चा हो चुका था और बचे हुए कार्यों को पूरा किये जाने हेतु स्वीकृति तथा धनराशि ...(व्यवधान) जो कि वर्ष 1987 में केन्द्रीय जल आयोग और योजना आयोग द्वारा 931 करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई थी उसके संशोधन की स्वीकृति का मामला अटका हुआ था। 1993 में यह दोनों आकलन प्रस्तुत किये गये और अथक विभागीय प्रयासों द्वारा 14 जून, 1996 को योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने प्रथम चरण के आधुनिकीकरण के लिये 122 करोड़ रुपये और द्वितीय चरण के लिये संशोधन आकलन को कच्चे खालों के निर्माण सहित लगभग 3400 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

**श्री शैलेन्द्र जोशी :** ×××

**श्री देवीसिंह भाटी :** उपाध्यक्ष महोदय, इन स्वीकृतियों से आने वाले वर्षों में परियोजना का कार्य निर्बाध गति से चलता रहेगा। प्रथम चरण के आधुनिकीकरण में बड़ी नहरों को मजबूत एवं छूटे हुए

---

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये माननीय श्री भीमसेन जी साहब जर्जर डिप्रेशन के पानी का उपयोग भी किया जाएगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ××××

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 1987 में नहर का कुल सिंचित क्षेत्र प्रथम चरण में 5.28 लाख हैक्टेयर व द्वितीय चरण में 10-12 लाख हैक्टेयर था। वर्ष 1995-96 में प्रथम चरण....(व्यवधान) और द्वितीय चरण में प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ोतरी करके अब कुल सिंचित क्षेत्र (व्यवधान) 18.7 लाख हैक्टेयर कर दिया है। वर्तमान में जो नहर प्रणाली पूरी हो चुकी है उसमे 8 लाख हैक्टेयर में वार्षिक सिंचाई की जा रही है जो कि अपने आप में कीर्तिमान है और इससे 850 करोड़ रुपये की उपज आज के दिन प्राप्त हो रही है। परियोजना पूर्ण होने पर कुल 3800 करोड़ रुपये की लागत आएगी और उससे 2000 करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन होगा।

इसी प्रकार जल वितरण में सुधार हेतु राज्य सरकार ने नहरों के अन्तिम छोर तक पानी सुचारू रूप से पहुंचे और किसानों की भागीदारी हो, ऐसे निर्णय लिये और मोगों को ठीक करके व अन्य उपाय करके इनकी क्रियान्विति की जा रही है। ऐसे 85 मोगों का साइज ठीक किया गया तथा (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : वह भी मैं बताऊंगा। कृपया आप शांत रहिये। आप मुझे बताइये पूर्वी राजस्थान के लिये जहां भी मैं पानी ला सकता हूं, लाऊंगा। कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं बरता जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। आप व्यवधान न डालें। मैं आपको नाम से पुकारता हूं। आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोशी जी, आप बैठिये। मैंने कोई +++ नहीं किया। आप बैठ जाइये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

---

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कोई + + + नहीं किया । आप बैठ जाइये ।

श्री परसादीलाल मीणा : X X X

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री शैलेन्द्र जोशी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : कोई + + + नहीं किया ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : X X X

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री परसादीलाल मीणा : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाइये । बैठ जाइये आप । कोई नहीं किया । आप बैठ जाइये । कोई अंकित नहीं होगा । इधर का अंकित नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री परसादीलाल मीणा : X X X

श्री शैलेन्द्र जोशी : X X X

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हार्ड पेन की बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो रही थी । ऐसा सैकिण्ड स्टेज के बारे में कहा जा रहा था कि अगर इस हार्ड पेन के अन्दर नहरें बना दी जाए तो यह इस सारी जगह पर वाटर लोगिंग की और दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी । आखिर में बहुत विचार-विमर्श करके, टैक्नीकल एक्सपर्ट्स से राय लेकर, समिति बनाकर, सबकी ओपिनियन लेकर और ऐसे नहर क्षेत्र में बरसों से जो मुख्य समस्या हार्ड पेन की थी जिसके कारण अनेक क्षेत्रों में नहर का काम रुका पड़ा था । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री शैलेन्द्र जोशी : X X X

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन से बाहर जाए । श्री राजेन्द्र पारीक, आप सदन से बाहर जाए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन से बाहर जाए ।

श्री राजेन्द्र पारीक : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन से बाहर जाए, श्री राजेन्द्र पारीक (व्यवधान) आप चुप बैठिऐ । आप शांत रहिये । आप व्यवधान मत डालिए । (व्यवधान) आप व्यवधान मत डालिये । आप बैठ जाइये ।

---

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है हाउस चलाने का। यह कोई तरीका नहीं है। आपका। आसन के साथ आपका किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर बात कह रहा हूं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आप नहीं जानते आसन को बहुत अधिकार है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री परसादी लाल मीणा : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : कृपया, माननीय सदस्य, विराजें प्लीज। मैं दोषी हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप बोलिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे सजा दे दो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री रतनलाल ताम्बी : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की बात की कि लिफ्ट को डिस-करेज नहीं किया जाए, एनकरेज किया जाए जहां ऐसी परिस्थिति हो। मैं निवेदन करूं शुरूआत हुई इस प्रदेश के अन्दर.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : XXX

श्री परसादीलाल मीणा : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री देवीसिंह भाटी : इकलाबे दौर को शोला बनाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

---

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**श्री परसादीलाल मीणा** : ×××

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री उपाध्यक्ष** : इनका अंकित न हो ।

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री राजेन्द्र पारीक** : ×××

**श्री उपाध्यक्ष** : राजेन्द्र पारीक का अंकित नहीं हो ।

**श्री राजेन्द्र पारीक** : ×××

**श्री देवीसिह भाटी** : माननीय सदस्य, कृपया मुझे सजा दे दी जो देनी हो । मैं सजा के लिए हाजिर हूं । (व्यवधान)

**श्री शैलेन्द्र जोशी** : ×××

**श्री देवीसिह भाटी** : आपकी बात वाजिब है लेकिन कृपया थोड़ा मुझे भी बोलने मैं दो । पहली बार ही तो डिमाण्ड पर जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं, तीन साल में मौका ही नहीं मिला पहली बार मौका मिला है । (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आप अपनी बात कहिये । कुछ कहना चाहते हो तो कहिये आप ।

**श्री देवीसिह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, लिफ्ट्स के बारे में यह ओपीनियन थी कि लिफ्ट्स को डिसकरेज किया जाए । माननीय सदस्यों ने अलग-अलग जो अपने विचार व्यक्त किये कि जहां आवश्यक हो वहां लिफ्ट अलाउ की जानी चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में उस रेगिस्तानी क्षेत्र में पहले एक कंवर सेन लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ । वहां की कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि उस क्षेत्र में काफी माननीय सदस्य पधारे नहीं होंगे । इसी लूणकरणसर के अन्दर पीने के पानी के लिये बीकानेर से रेलवे ट्रेन के टैंकर्स के द्वारा पानी पहुंचाया जाता था । सारा क्षेत्र खार पानी का था लेकिन जबसे यह लिफ्ट कैनाल आयी है । लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बिराज रहे हैं । आज वहां जहां हम पहले अरबों रुपये फैमिन रिलीफ के नाम पर खर्च कर चुके थे, स्थायी समाधान नहीं हो रहा था, जहां पानी के लिए हमने अरबों रुपये खर्च किये थे, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जहां चारे की आम तौर पर हर वर्ष समस्या खड़ी रहती थी । आज के दिन, उपाध्यक्ष महोदय, वहां के हर काश्तकार की स्थिति देखेंगे तो करीब-करीब हर दसवें घर के अन्दर ट्रैक्टर होगा, पक्का मकान होगा, उनका रहन सहन, खान-पान, शादी-ब्याह सबके अन्दर उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, समाज में उनका सम्मान बढ़ा है । आज वहां दूध, पूरे राजस्थान के अन्दर यदि सबसे ज्यादा दूध कहीं संकलन होता है तो उस तहसील के अन्दर होता है । मैं यह मानता हूं कि लिफ्ट नहर के आने से उस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ हुआ है और जहां-जहां इस प्रकार की चाहे वह गजनेर लिफ्ट हो, कोलायत लिफ्ट है,

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री देवीसिंह भाटी)

फलोदी-पोकरण है, चाहे वह साहवा है या बांगडसर है, ये आने से निश्चित तौर पर अकाल का भी स्थायी समाधान होगा और लोगों की भी बहबूदी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, छोटी-सी तहसील का एक पार्ट वहां दस करोड़ रुपये की तो सालाना मूंगफली पैदा हो रही है। और चालीस करोड़ का सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडयूस हो रहा है बाकी इनडायरेक्ट तो वहां बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। इतनी बड़ी इण्डस्ट्रीज भी लग रही हैं, दूसरे बड़े सामान भी आज उपलब्ध हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में बहुत बड़ा काम हो रहा था निश्चित तौर पर। मैं भी इस सदन का 1980 से सदस्य रहा हूं और मैं भी विरोधी पक्ष में था इसलिये वह भी उनका दायित्व होता है कि जहां कमी-खामी निकले तो निश्चित तौर पर उसको उजागर करें। मैंने भी इस प्रोजेक्ट के बारे में इस प्रकार की कमी-खामी या जहां भी कहीं आगाह करना होता कि आप सावधान रहें, इसमें सुधार करें। मैंने भी ऐसे मुद्दे उठाये, बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, एरिया का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। यह बात सही है कि बड़े काम में गलतियां भी होती हैं लेकिन उसके साथ में जो अच्छे काम किये हैं वह भी लोगों के सामने उदाहरण हैं। मैं दोनों बताऊंगा। इस प्रोजेक्ट के अन्दर हाल ही हमने ऐसे पांच इंजीनियर्स को उदाहरण के तौर जो आज हमारे इन्दिरा नहर बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री. एस. कपूर, जिनको केन्द्रीय सिंचाई एवं शक्ति मण्डल सी. बी. आई. पी. द्वारा "शांति यादव मोहन अवार्ड" वर्ष 1995 में दिल्ली में देकर सम्मानित किया गया है। यह उनकी देश और राज्य में सिंचाई के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं हेतु प्रदान किया गया और इसी प्रकार हमारे इसी आई. जी. एन. पी. के अभी हाल ही सेवानिवृत्त हो चुके चीफ इंजीनियर श्री सी. बी. शारदा, । इनको भी नहर निर्माण का कार्य द्रुत गति से व मितव्ययता से कराने हेतु योग्यता प्रमाण पत्र द्वारा जनवरी, 1995 में सम्मानित किया गया। ये हमारे प्रोजेक्ट के जैम रहे हैं, जो आज सबके सामने उदाहरणीय और अनुकरणीय हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सारे इंजीनियर्स ही गड़बड़ हैं या जानते नहीं हैं। इसी प्रकार श्री जयसिंह निर्वाण, अधीक्षण अभियंता को भी सुव्यवस्थित और मितव्ययता के कारण सम्मानित किया गया। श्री वी. एस. श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी को भी सम्मानित किया गया, योग्यता प्रमाण-पत्र दिया गया। श्री जी. एल. बंद जो कार्यालय सहायक हैं उनको शून्य आधारित बजट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

लेकिन यहां यह भी बात उठी कि इस प्रोजेक्ट के अन्दर चूंकि बहुत बड़े काम होते हैं, तो इसके अन्दर भी काफी लोगों को, जिन्होंने गलत काम किये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पर भी आऊंगा क्योंकि मेरी अनुपस्थिति में तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे बारे में कुछ कहा था। मैं किसी के ऊपर कोई

(श्री देवीसिंह भाटी)

आरोप नहीं लगाऊंगा । लेकिन किन्हीं वजहों से चाहे जल्दबाजी के कारण से इस प्रकार किये गये या किसी ने जानबूझकर गलत काम किये होंगे तो ऐसे 32 अभियन्ताओं को तो राज्य सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है, छ अभियन्ताओं को निलम्बित कर दिया गया है और बाकी के खिलाफ 16 और 17 की कार्यवाही चल रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रोजेक्ट के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसमें काफी धीमी गति से काम हो रहा है । एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसाकि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार यह कहते रहे हैं कि साहवा लिफ्ट के बारे में उनको थोड़ा कोट भी करना चाहूंगा । यह उनका आरोप था कि साहवा जबसे वे सिंचाई मंत्री हैं और इनके पास आई. जी. एन. पी. का यह विभाग आया है । इन्होंने तो चूरू जिले से और साहवा के लिए तो एक दुश्मनी पाल ली है । मैं आपकी इजाजत से कोट करना चाहूंगा :—

**श्री चदनमल बैद :** मैं बताना चाहता हूं, आज सिंचाई मंत्रीजी यहां नहीं हैं अनुपस्थिति में ये ऐसी बातें करते हैं अच्छी बात नहीं है लेकिन मैं साफ बताना चाहता हूं, विद ड्यू परमिशन सर ।

कि सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान केवल एक तरफ है कि किस तरीके से उनके निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई के साधन बढ़ें, बाकी जगह वह हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि उसको किसी तरह से कम कर दिया जाए । नोहर साहवा लिफ्ट से चूरू जिले के 360 गांवों में सिंचाई हो रही है ... उसमें जानकारी भी उनको पूरी नहीं है ।

उसमें किसी तरह से वे चाहते हैं कि वह चूरू जिले में पहुंचे ही नहीं, वह पानी रुक जाए । इसलिए मैं कहता हूं कि वह आज चूरू जिले के एक नम्बर के दुश्मन के रूप में उठकर आ रहे है...

ये मेरे खिलाफ उन्होंने आरोप लगाये । "और मुझे दुःख इस बात का है कि मुख्य मन्त्रीजी ने उनको चूरू जिले का प्रभारी [redacted] बना दिया है । अब हमारा तो सत्यानाश ही हो गया, क्योंकि वह हमारे दुश्मन हैं और इधर उन्हीं को इन्चार्ज बना दिया । वह नहीं चाहते हैं कि नोहर साहवा की जो लिफ्ट योजना है वह चूरू जिले के अन्दर आये, क्योंकि मैं दो साल से देख रहा हूं, वह जहाँ थी वहीं पड़ी है एक इंच आगे नहीं सरकी है । उदाहरण दूंगा, उपाध्यक्ष महोदय । उनकी मन्शा यह है कि सारा पानी जो इस नहर में आता है नोहर और भादरा में ही समाप्त हो जाए....

"कहाँ साहवा, नोहर और भादरा का क्या लेना-देना ?"

"चूरू जिले में आये ही नहीं इसलिए मै कहता हूं कि सिंचाई मंत्रीजी चूरू जिले के नम्बर एक दुश्मन हैं ।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया यहां मेरी अनुपस्थिति में अब सारी स्थिति यह है....

श्री उपाध्यक्ष : आज वे अनुपस्थित हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सिर्फ उन्होंने जो कोट किया है, तो उनको सोचना चाहिए था काफी सीनियर मैम्बर हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : टाइम तो फालतू है खूब बोलो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आमने-सामने वाला जमाना इनका निकल गया।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा उपाध्यक्ष महोदय। साहवा के अन्दर अलग-अलग ब्रेक-अप हैं। मेरे पास में 1991 से लेकर आज तक की रिजीम 1995-96 तक की उसमें 86.89 किलोमीटर्स में लाइनिंग का कार्य हुआ है और जो उन्होंने आरोप लगाया हैं कि मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत के अन्दर ज्यादा काम खेंच रहा हूं उसके अन्दर गजनेर जो लिफ्ट ब्रांच है उसके लिए हमने कुल ही 37.76 किलोमीटर्स में लाइनिंग की है। और इसी प्रकार कोलायत के लिये भी कुल मिलाकर इस रिजीम में 46.48 है। पर इसका सारा आंकड़ा, उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप सामने होते तो मैं देता कि वर्षवार साहवा के अन्दर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन हो रहा है, और सबसे ज्यादा लाइनिंग का काम हो रहा है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी अभी शंका जाहिर की थी कि धीमी गति से चींटी की चाल से चल रहा है। इस प्रकार का नहीं है। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि जो उस क्षेत्र से परिचित नहीं हैं, जिन्होंने इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट एरिया देखा नहीं है, एक सुनी सुनायी बात या सिर्फ ऐसी कोई बात मीडिया के माध्यम से आती है, मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं माननीय सदस्यों को कि आप वहां पर पधारिये और देखिये कि इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट का काम किस गति से, कैसी परिस्थिति में हो रहा है।

इससे पूर्व, उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछली बार जो हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं, पूर्व में श्री प्रणव मुखर्जी रहे हैं। उनके दिमाग में भी यह शंका थी कि यह रेगिस्तान के अन्दर सारा पैसा बरबाद कर रहे हैं और रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है।

श्री भीमसेन चौधरी : आप माननीय सदस्यों को टूर करवा दें।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आप सभी को आमन्त्रित कर रहा हूं। विशेष तौर से कोटा, उदयपुर के लिये तो निश्चित तौर पर मेरा आमन्त्रण है। पधारें, इस क्षेत्र को देखें और वह सिंचाई प्रणाली, जैसा यहां गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि वहां कैसा सिस्टम है और कैसे उसका लाभ उस क्षेत्र में लिया जा सकता है। वह देखने से अपने को लाभ होगा। श्री प्रणव मुखर्जी ने जब हवाई सर्वेक्षण किया आंख से देखा तो उन्होंने कहा वास्तव में हमारा दिमाग तो बिलकुल उलटा बना पड़ा था कि यह रेगिस्तान में

(श्री देवीसिंह भाटी)

पैसा सारा बरबाद कर रहे हैं लेकिन यह तो ऐसी एक क्रान्ति आयी है इस क्षेत्र के अन्दर। जो बेकार का पैसा हम दूसरी मदों में खर्च करते थे, यह तो आने वाले समय में हमारे हिन्दुस्तान के लिये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।

श्री चन्दनमल जी के बारे में था। अब वे हाजिर नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान) ...मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि सिर्फ एक शाबासी लेने के लिये किसी केन्द्रीय नेता से वाह-वाही लेने के लिये, किस जल्दबाजी में इसमें जो आज इंजीनियर सबसे ज्यादा बली के बकरे बने हैं, उपाध्यक्ष महोदय, रातों-रात 1125 से 95 के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप कैसे खड़े हैं ? बिराजें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का उत्तर आने दीजिये। आप पहले बिराजें माननीय सदस्य, उत्तर पूरा आने दीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : 1125 से 95 में उन्होंने रात और दिन, रात को पैट्रोमैक्स लालटेन लगा लगाकर इंजीनियर्स को कहा कि रात को ही काम कराओ। चाहे हम मकान का भी काम कराएं, मालिक यह देखता है कि रात के समय में अच्छा काम नहीं होगा। बहुत मजबूरी हुई तो थोड़ा करा दिया लेकिन सारी रात काम नहीं चला करता है। उनको मजबूर किया, धमकाया, उस परिस्थिति में उसके अन्दर घटिया निर्माण भी हुआ। सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना था, केन्द्रीय नेता मेरे से खुश हो जाएं, वरदहस्त मिल जाए। शायद उनको और कोई पोस्ट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन वहां इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आज इंजीनियर कोई भी काम अगर हम जल्दी के लिये कहें तो वह बिलकुल हाथ जोड़ देते हैं, साहब, पहले ही हमारे साथी मर चुके हैं इसलिये ऐसा काम नहीं करेंगे। मात्र एक वाहवाही लेने के लिये उन्होंने इसका बंटाधार कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा स्टेटमेंट इसका मैं पढ़ूं सिंचाई....

श्री उपाध्यक्ष : कितना लम्बा है ? मंत्री महोदय कितने पेज का है ?

श्री देवीसिंह भाटी : वैसे तो माननीय सदस्यों ने भी सारा बता ही दिया है कि कितना कुल भू-भाग है, कितने कुल सिंचाई के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी हमारी वृहद और मिडियम माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, काफी द्रुत गति से काम उन पर हमारा चल रहा है। चाहे जालम है, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अन्य ने भी नर्बदा के बारे में इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाही थी। वैसे यह भी लम्बा हो जाएगा लेकिन उसको भी मैं थोड़ा शार्ट कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, नर्बदा के बारे में राजस्थान राज्य में स्थित नर्बदा नहर

(श्री देवीसिंह भाटी)

परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति 30-11-1991 को राजस्थान सरकार द्वारा राशि 467.63 करोड़ की स्वीकृति की गयी थी। उक्त राशि रुपये 467.53 करोड़ में रुपये 280.14 करोड़ गुजरात एवं अन्य राज्यों को देय हिस्सा राशि सम्मिलित है। निर्माण कार्यों हेतु एक वृत्त एवं एक खण्ड वर्ष 1993-94 में सृजित किये गये। सर्वेक्षण एवं तखमीना आदि का कार्य पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य हमने 1994-95 में प्रारम्भ कर दिया। राजस्थान राज्य में स्थित नर्बदा मुख्य नहर की लम्बाई 74 किलोमीटर है। वितरिकाओं एवं छोटी नहरों की लम्बाई लगभग 1403 किलोमीटर है। प्रथम तीस किलोमीटर की लम्बाई की मुख्य नहर एवं वितरिकाओं के निर्माण हेतु वांछित लगभग 900 एकड़ भूमि अवाप्त की जाकर कृषकों को 109 लाख का मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह नीति बना ली कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़े, अवाप्ति करनी पड़े, प्रोजेक्ट शुरू होने से उन काश्तकारों को तंग नहीं करें। उससे पहले-पहले मुआवजे का भुगतान हो जाए। नर्बदा मुख्य नहर की कुल 74 किलोमीटर की लम्बाई में से प्रथम तीस किलोमीटर लम्बाई में मिट्टी खुदाई, पुल, हैड रेगुलेटर, सड़क आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगभग बीस किलोमीटर लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है व इस लम्बाई में स्थित 9 पुलियाओं का लगभग पचास प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। जालोर एवं सांचोर कालोनियों में प्रथम चरण में आवासीय भवन निर्माण कार्य भी करवाया जा चुका है। माह जून, 1996 तक लगभग 7675 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं जिनमें 6720 लाख गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों को हिस्सा राशि का भुगतान सम्मिलित है अर्थात राजस्थान राज्य में क्षेत्र में लगभग 955 लाख का व्यय हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो नर्बदा के बारे में मैंने निवेदन किया।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बिराज रहे हैं। गंग नहर के बारे में आप ज्यादा चिन्तित थे कि इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। 1927 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बारे में मैं मेन-मेन दो लाइन निवेदन कर दूं कि पंजाब में सेम की समस्या के कारण यह नहर जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गंग नहर आधुनिकीकरण योजना राज्य सरकार द्वारा इसका अनुमोदन हो चुका है। पंजाब राज्य द्वारा यह कार्य करवाया जाना है और इसकी अनुमानित लागत राशि रुपये 98 करोड़ आंकी गयी है। राजस्थान राज्य में इसकी अनुमानित लागत रुपये 14 करोड़ आंकी गयी है। इस प्रकार कुल व्यय 112 करोड़ आंका गया है।

बीकानेर कैनाल की पुनः लाइनिंग किये जाने से पूर्व इसकी लाइनिंग की अवधि में गंग कैनाल प्रणाली को वैकल्पिक साधन से सिचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाना नितांत आवश्यक था। अतः इसके

(श्री देवीसिंह भाटी)

लिये इन्दिरा गांधी नहर फीडर की बुरजी 491 से गंग कैनाल फीडर से साधुवाली हैड तक एक लिंक चैनल का निर्माण एवं गंग नहर प्रणाली की एम. एल. वितरिका को पानी उपलब्ध करवाये जाने हेतु तीन पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया था। लिंक चैनल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं उसमें पानी भी छोड़ा जा चुका है। पम्पिंग स्टेशनों का कार्य मार्च, 1997 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। तत्पश्चात बीकानेर नहर को बन्द कर लिंक चैनल से पानी प्राप्त करने के प्रोग्राम हैं। जिसके अनुसार इसके लिये बजट की मांग की जाएगी।

वर्ष 1996-97 के लिये पंजाब राज्य में स्थित भाग हेतु एक करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

माही के लिये माननीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया था। वैसे तो पूर्व में हमने चर्चा भी कर ली थी। माही क्षेत्र में....

**श्री रामस्वरूप मीणा** : हमारे यहां क्या ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : अभी आ रहा रहा हूं, अभी हाजिर हुआ आप ही के पास आ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, माही के लिये चिन्ता की है। कुछ उन्होंने इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाये। कार्य में गति नहीं आ रही है, क्योंकि वहां बहुत बड़ा एस्केवेशन का कार्य हो रहा है और बड़ी-बड़ी पार्टीज उसके अन्दर लगी हुई हैं। सारा मशीनों से काम हो रहा है। निश्चित तौर पर बीच में कुछ बाधाएं आयीं। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधान सभा सत्र के तुरन्त बाद मैं उनके साथ में माही प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊंगा। हमारे राज्य मंत्री, सिंचाई भी हमारे साथ होंगे और जो भी समस्या है उसका वहीं समाधान करेंगे। यदि किसी ने गड़बड़ की है, पूर्व में भी कार्यवाही की है और आगे भी निश्चित तौर पर चोरों के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर का काम काफी द्रुत गति से चल रहा है। मुआवजे का भुगतान कर दिया है। उसके सैटलमेंट का कार्य भी हो रहा है।

**श्री अमराराम चौधरी** : इन्दिरा कैनाल का क्या हुआ ?

**श्री देवीसिंह भाटी** : कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री अरूणसिंह जी पधार गये। जो मुद्दे आपने उठाये हैं हालांकि उनका एक-एक का जवाब मैंने मंगवा रखा है और मैं एक-एक का उत्तर देना चाहता था लेकिन अब सारे ही माननीय सदस्यों का मूड नहीं है लेकिन जो भी आपने मुद्दे बताये हैं अगर आप इसके तुरन्त बाद बिराजें तो एक-एक के बारे में यही अपन डिस्कस कर लेंगे। जिन-जिन माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं उनका

(श्री देवीसिंह भाटी)

सबका जवाब मैंने मंगवा लिया है और मेरे पास उपलब्ध है।

श्री रतनलाल ताम्बी : बीसलपुर का लेग्रो।

श्री देवीसिंह भाटी : यमुना का जल हमें प्राप्त हो चुका है। काफी अथक प्रयास से जो बरसों से लम्बित था। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रयास करके सूझ-बूझ से यह निर्णय करवाया। यमुना का जल तो हमें मिला ही है लेकिन एक बहुत बड़ी आशा पश्चिमी राजस्थान और थोड़ा पार्ट पार्ट इधर बीकानेर, गंगानगर, झुंझुनूं, चूरू यह सारे गांव नागौर में लिफ्ट से, सब में आ रहा है। इसके साथ में, गंगा के फ्लड वाटर्स हमें मिलेंगे निश्चित तौर पर इस प्रदेश का विकास होगा और सिंचाई से जमीनें हरी-भरी होकर फसलें लहलाएगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय कुछ तो उसके बारे में कहें हैं। 15 लाख रुपये दिया उसमें घोटाला हो गया वह नहर आपकी आज तक नहीं बनी क्या करेंगे आप ?

श्री देवीसिंह भाटी : वह मैंने नोट कर लिया है। आपका निश्चित तौर पर होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यमुना जल का मुख्य मंत्रीजी से आपने पूजन करवाया, आपके विभाग ने मुख्य मंत्रीजी तक को धोखा दिया। क्या जिस दिन पूजन किया उस दिन यमुना का पानी वहां था ?

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल।

श्री हरिसिंह (महुआ) : बिलकुल नहीं था। गन्दे नालों का पानी इकट्ठा कर आपने मुख्य मंत्रीजी को धोखा दिया। उसका पूजन करवाया।

श्री देवीसिंह भाटी : एक यहां सबसे बड़ी समस्या, जिसके बारे में काफी माननीय सदस्यगण तो चिन्तित हैं ही लेकिन जो सबसे ज्यादा उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, जो काश्तकार हैं, वो प्रभावित हैं-बीसलपुर कैचमेंट के लिये सबसे ज्यादा लोग चिन्तित है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उस चिन्ता में अपने आपको शामिल करता हूं। यह जिस समय भी निर्णय हुआ उसमें सारे आंकड़े, पानी की उपलब्धता, सब कारण थे या जहां ड्रिंकिंग वाटर को प्रायोरिटी देनी थी उसके हिसाब से वह तय हो गया। लेकिन उसके साथ में हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि जिसके गांव में से पानी बह कर जा रहा हो, उसको तो हम यह कहें कि पानी को देख तो सकते हो पर उसको काम में नहीं ले सकते और सारा पानी आगे जाएगा। हम सीधा तो उसको मना नहीं कर सकते लेकिन जैसा आप लोगों से भी सुझाव आया है, आपके साथ भी अलग-अलग बैठकें ली हैं और हमने भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। जहां हमें आने वाले 20-25 सालों में जाकर पानी का उपयोग लेना है। उसके लिये जैसे कि बीच में आया कि हमे कम से कम एनीकट

(श्री देवीसिंह भाटी)

के लिये तो अलाउ करो। वह श्री माननीय सदस्यों से राय करके हमने एक आदेश 28-5-94 को निकाला कि इस क्षेत्र में, कैचमेंट क्षेत्र में दो मीटर तक के आप एनीकट बना सकते हैं। उसके लिये हमने उनको स्वीकृति जारी की।

अब अगला जो कदम है, चूंकि परसों से चाहे वे स्टेट टाइम के पुराने बांध बने हुए हैं या उसके बाद में बने हैं। जैसाकि अभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, धीरे-धीरे उसके अन्दर सिल्टिंग हो गयी। वह काफी सिल्टेड हो गये हैं और उनके पानी की क्षमता भी कम हो गयी है। मैं यह सोचता हूं कि वह पानी हमें सरप्लस उपलब्ध हो सकता है। उसके लिये काफी आगे तक यह बात हो चुकी है और आपके साथ बात करके निश्चित तौर पर बहुत शीघ्र ही आपके क्षेत्र को यह सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। (व्यवधान) .. ..आज हम कांई करं, इयां कोई हाथों-हाथ दिया जावे है। कर दियां सो कर दिया। शांति, शांति।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मंत्री महोदय, बीसलपुर परियोजना के कारण उस क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। एनीकट की बात तो आप 1994 में ही कह चुके। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय डेड स्टोरेज का पानी कैचमेंट में रहता है उसका भी उपयोग अगली योजनाओं में, लम्बित योजनाओं में हो सकता है। (व्यवधान) हमने निवेदन किया था कि जो इन चारों जिले के विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठकर इस मसले पर चर्चा करके जो बाधाएं आपने उसमें लगा रखी हैं, वह हटायें। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : जानकारी है तो घोषणा करने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इस मामले में आज मंत्री महोदय आप स्पष्ट घोषणा करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : पीने का पानी नही है, कुओं में पानी नहीं है (व्यवधान) नदी में पानी नहीं है क्यों परेशान कर रखा है हम लोगों को ?

श्री रतनलाल ताम्बी : हमारे साथ अन्याय बहुत हो रहा है मंत्री महोदय, 50 लाख जनता की जिन्दगी और मौत का प्रश्न है। (व्यवधान) जितनी बाधाएं इस मामले में लगायी हुई हैं आप सब हटाएं। बीसलपुर बांध बनने के बाद काफी पानी फालतू निकल कर जा रहा है (व्यवधान) डेड स्टोरेज है, सिल्ट वाला मामला है। इन सारे मामलों को गम्भीरता से आप देखिये और जितनी बाधाएं आपने इसमें लगा रखी हैं वह सब हटाने की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : बीसलपुर का बांध हर साल भरता है और उससे ओवर फ्लो होकर पानी जा रहा है। (व्यवधान) ओवर फ्लो होकर पानी बाहर जाता है उसको रोकने के लिये। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह 10 लाख जनता की जिन्दगी का सवाल है (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : मंत्री महोदय कम से कम जो पानी भ्रोवर फ्लो होकर निकलता है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मार दिया बिलकुल हमें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल भ्रापकी भावनाभ्रों में मैं भ्रपने भ्रापको सम्मिलित करता हूं।

श्री कालूलाल गूजर : उससे क्या फायदा होगा ?

श्री देवीसिंह भाटी : निश्चित तौर पर होगा। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : भ्राप भ्रादेश करो। भ्राज ही भ्रादेश करो।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं कच्ची बात नहीं करता। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : कब तक हो जाएगा कोई तिथि तो बता दें कम से कम यहां।

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय, यह कब तक हो जाएगा सारी बात स्पष्ट करें भ्राप। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल खोईवाल : बड़ा गम्भीर मामला है, भ्राप घोषणा करेंगे। आपकी मर्जी है, मंशा है लेकिन भ्रापकी इस मंशा को कब तक पूरी कर देंगे ? मेहरबानी करके इसके बारे में कोई घोषणा करें। भ्रापकी मंशा की बात कर रहा हूं मंत्री महोदय।

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय इस मामले में इफ एण्ड बट नहीं लगावें। भ्राप स्पष्ट घोषणा करें। भ्राज मैसेज जाएगा भ्रापका 50 लाख जनता में इस बात का ऐसी घोषणा करें।

श्री देवीसिंह भाटी : इस बात का भ्रारोप लगता रहा है कि 1990 से 1995 की रिजीम में भ्रापने कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं लिया जो काम हुभ्रा है वह पहले ही पहले हुभ्रा है। मैं माफी चाहूंगा फलौदी से भ्राने वाले माननीय सदस्य ने कई बार यहां यह बात इस हाउस के प्रांगण में फरमाई है। मैं निवेदन करूं कि 1985-90 में किसकी रिजीम थी। उसमें जो स्कीम स्वीकृत की गयी, वृहद एवं मध्यम, भ्रापके रिजीम में 1985-90 में एक 1990-95 में हमारी रिजीम में चार (व्यवधान) फिर भ्रभी क्यों कर रहे हो, क्यों मांग रहे हो ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार लघु सिंचाई योजनाएं भी 1990-95 में 50 की भ्रोर इसी में जो वृहद एवं मध्यम योजनाएं पूर्ण की गयीं 1985-90 में चार, 1990-95 में

(श्री देवीसिंह भाटी)

तीन लघु योजनाएं जो पूर्ण की गयी 1985-90 में 24 और 1990-95 में 55। उपाध्यक्ष महोदय, इसके आंकड़े भी आपके सामने ज्यादा लम्बे नहीं हैं। इसमें जो सृजित सिंचाई क्षमता है वह 1985-90 में कुल 2.38 लाख हैक्टेयर में अर्जित की गयी। जबकि 1990-95 के रिजीम में 3.10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सृजित की गयी (व्यवधान) अब गलत है, तो आप मेरे खिलाफ मोशन ले आना।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पानी हमने ट्रेप किया। आपके समय में 1985-90 में जो पानी ट्रेप किया गया वह 70 हजार मिलियन घनफीट और 1990-95 में 77 हजार 5 सौ लाख घनफीट और राशि तो खैर दुगुनी कर ही दी, आपके समय में 544 और हमारी 1038। उपाध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य यह चाहेंगे पूर्वी राजस्थान में कितने....

श्री अर्जुनदास मदान : मैं निवेदन करता हूं, अगर आपकी आत्मा यह चाहती है, तो आप मेरे यहां पधार सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप बोलिये।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो रुचि रखते हैं, मैं सोचता हूं कि यहां बिराज रहे हैं, बाकी तो यहां अपनी बात कह कर पधार गये। मैं यह चाहता था कि आपको, वैसे तो मैं सारी सूची गिना देता फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य को, कि हमने 1990-95 में कौन-कौन से किस-किस जिले में किस-किस प्रकार की स्वीकृतियां जारी की हैं पूर्ण की हैं...

श्री रतनलाल ताम्बी : आप तो अपने काम बतायें।

श्री देवीसिंह भाटी : वैसे थोड़ा सा छोटा मैं बता दूं। वैसे एक लम्बा भी है, सुनना तो नहीं चाहेंगे। अब इनके सम्बन्ध में, अब देखिये, ऐसा है कि हम सबका ध्यान रखते हैं। जो विभाग के इंजीनियर या कर्मचारी हैं उनको वर्षों से प्रमोशन नहीं मिलते। डी. पी. सी. नहीं होती। आपके समय में जो डी. पी. सी. हुई या प्रमोशन के लिए प्रयास हुए। आपके 1985-90 में मुख्य अभियन्ता को सिर्फ 9 में, हमने 31 को डी. पी. सी. के माध्यम से क्रमोन्नत किया। इसी प्रकार से एडिशनल चीफ के लिए आपके 16, हमारे 57 और इसी प्रकार यान्त्रिक एडिशनल चीफ के आपके एक और हमारे एक, अधीक्षण अभियन्ता के आपके रिजीम में सिर्फ 23, हमारे रिजीम में 112 व्यक्तियों को डी. पी. सी. के माध्यम से प्रमोशन दिया गया। इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता के लिये आपके समय में 91 हमारे समय में 164, सहायक अभियन्ता आपके यहां पर सिर्फ 195 हमारे यहां 302, वैसे अलग-अलग काफी आंकड़े हैं। मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहूंगा।

लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह चाहूंगा कि हमने इसमें थोड़ा सा काश्तकारों का भला हो, नहरों का सुचारू रूप से संचालन हो और इसमें कुछ और कमी रही है, लेकिन जब तक जन-प्रतिनिधि या

(श्री देवीसिंह भाटी)

जो यूजर्स हैं वह सचेत नहीं होंगे तो हमारे सकूलर। प्रादेशों का उतना लाभ नहीं मिल सकेगा। एक तो हमने शुरूआत की है बहुत पहले पुराने समय से इरिगेशन एक्ट बना हुआ था उसमें वर्षों से संशोधन नहीं किया गया था। हमने एक एक्सपर्ट्स की कमेटी का गठन कर दिया है, शीघ्र ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें सबके सुझाव भी लिये जाएंगे और आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उस एक्ट में संशोधन किया जाएगा।

गंगानगर जिले से आने वाले माननीय सदस्य जो बाढ़ के बारे में चिंतित थे और इस हनुमानगढ़ में हर वर्ष जैसे ही पानी आता है, हरियाणा से या बरसात का पानी इकट्ठा होकर के बाढ़ आ गयी, इतना बड़ा नुकसान हो गया। सिर्फ बात इतनी थी कि जहां उसका नेचुरल फ्लो है घग्घर नदी का, उसका एक डिमार्केशन करना था। पुराने रिजीम में कई बार सोचा लेकिन थोड़ा प्रेशर पड़ते ही पीछे खिसक जाते। लेकिन हमारी इच्छाशक्ति थी कि जो काम करना है, चाहे कोई बीच में आता है, नुकसान हो रहा हो। हमने यह निर्णय करके कमेटी का, यहां जैसे माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र जी फरमा रहे थे, कमेटी का गठन किया। उसकी राय ली। उसके बाद में चीफ इंजीनियर, नोर्थ ने एक-एक को सुना। हाई कोर्ट के डायरेक्शन से भी कुछ बिन्दु आये उनको भी सुना और सबका फैसला हुआ। अब उसको डिमार्क करके, घग्घर बेड का 6 बीघों के अन्दर हमने डिमार्केशन कर दिया। उसके बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी और वह पानी अपने आप नेचुरल फ्लो से चलेगा और बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। फिर भी पानी....

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, पहले का जो लेवल है और अभी का जो लेवल है उसमें बहुत अन्तर है। वह सौ-डेढ़ सौ फीट का अन्तर है।

श्री देवीसिंह भाटी : वह एक निजी बात आपने बतायी थी। वह तुरन्त हमने लासे राय ले ली है। उसके बाद मौके पर चलकर तुरन्त उसका समाधान करेंगे। इसी प्रकार पानी का, क्योंकि दिनों दिन सारा पानी हरियाणा में है वहां वह उसको बाहर निकालकर हमारे प्रदेशों में भेजते हैं और इकट्ठा पानी का भराव ज्यादा होकर बाढ़ की स्थिति बनती है। इसलिए हमारे आई. जी. एन. पी. के चेयरमैन की निगरानी में, वहां वह स्वयं गये, मौका देखा और उन्होंने कुछ सुझाव दिये। हमने उसको टेक अप कर लिया है कि इन्दिरा गांधी मेन कैनाल के अन्दर जो तलवाड़ा के पास पानी आता है उसको कम से कम 10 हजार क्यूसेक्स वहां इनटेक बनाकर रेगुलेटर बनाकर वह पानी भी लेंगे जिससे आगे बाढ़ की स्थिति नहीं बने।

एक बात, जो हमारा बारानी क्षेत्र है उसको हम सिंचित करें जहां नहरें हमारी बन चुकी हैं उसमें पानी की कमी बताते हैं। उसको और सरप्लस पानी मिले। इसके लिये जहां डिप्रेशन की समस्या है, हमारे पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य हमेशा चिंतित रहते हैं उसके लिये

(श्री देवीसिंह भाटी)

भी हम डिप्रेशन से इस प्रकार की योजना बना रहे हैं जिसमें करणी जी के लिये, सूरतगढ़ ब्रांच के लिये हम सरप्लस पानी दें। जिससे काश्तकारों को फायदा हो सकेगा।

इस प्रकार अनुपगढ़ शाखा के लिए सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी चिंतित रहते हैं वहां भी हमने एक इनटेक बनाने के लिये निर्णय ले लिया है। 42 से 46 के बीच में उसका सारा डिजाइन तय हो गया है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बारे में चिंतित रहते है। हमने यह निर्णय ले लिया है और वहां पर हम इनटेक बनाकर जो बाढ़ का पानी होगा वह इसके अन्दर लें और उससे आगे वाले काश्तकारों को और लाभ होगा।

मैं बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं, वह सबके लिये अनुकरणीय और उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। जहां हमारी यहां बात चल रही थी कि वाटर कोर्स बनाकर बनायें, हमारे यहां अगर कच्चा वाटर कोर्स हैं, वह भी राज बनाये। मैं तारीफ करना चाहूंगा गंगानगर जिले की रायसिंहनगर तहसील के काश्तकारों की कि वहां के सजग काश्तकारों ने बारानी इलाके में वह प्यासे मरते थे, आंधियों से बुरा हाल रहता है। उनके खेत सारे बिगड़ गये थे। उन्होंने सिर्फ यह अनुरोध किया कि हमें तो पानी दिखा दो नहर हम खोद देंगे। गांव के काश्तकारों ने रातों-रात मिलकर उस नहर का निर्माण कर दिया। आज उससे सवा आठ हजार बीघे में सिंचाई होने जा रही है इसके लिए हमें सारी जगह प्रचार करना चाहिये। यह राजकोष किसी का नहीं है, सारा पैसा अगर कहीं लगता है तो किसी न किसी की जेब से लगेगा। श्रमदान के योगदान से एक भावना तैयार होगी। मैं आप से लोगों सहयोग चाहूंगा कि आप भी इसके लिये प्रचार करें।

उस क्षेत्र में अनकमाण्ड से कमाण्ड करने पर पाबन्दी लगी हुई थी, क्योंकि उसमें बार-बार शिकायत आ रही थी कि हमें दबाव पड़ता है या और किसी कारण से काश्तकार की थोड़ी जेब खेंची जाती है। उसके लिये भी हमने नीति बना दी है अब उस नीति के कारण काश्तकारों के साथ इस प्रकार की लूट या दबाव की बात नहीं होगी।

एक बात बार-बार आती है कि नहरों के रख-रखाव के लिये पैसे की उपलब्धता कम रहती है। मैं यह मानता हूं कि उपलब्धता कम है और प्रायः सारे विभागों में चाहे वह आर. एस. ई. बी. है, पी. एच. ई. डी. है, पी. डब्ल्यू. डी. है, चाहे हैल्थ है सबमें रख-रखाव के लिये पैसा कम मिलता है। लेकिन फिर भी शिकायत रहती है कि रख-रखाव के लिये जो पैसा आबंटन किया गया है, चाहे डिसिल्टिंग का है, चाहे नहरों की मरम्मत का काम हैं, चाहे बांधों की मरम्मत का काम है वह जितना लगना चाहिये उतना लगता नहीं है। हमने तय कर लिया है और शीघ्र ही यह आदेश लागू हो जाएंगे कि इन नहरों का रख-रखाव हम को-आपरेटिव बेस पर समिति

(श्री देवीसिंह भाटी)

बनाकर करेंगे। वही उन समितियों के चुनाव होकर टेल एण्ड के अन्दर जो-जो, ज्यादा काश्तकार होंगे, बीच को होगा, हैड रिच का होगा और वह समिति सारा इन नहरों का पैसा हमें इरिगेशन चार्जेज से मिलेगा। वह हमारे खजाने में आकर जमा नहीं होगा, वह उन्हीं समितियों को हम सुपुर्द कर देंगे। वही इन नहरों का रख-रखाव करेंगे और सारा करेंगे....

**श्री रतनलाल ताम्बी** : चार्जेज ही वसूल नहीं होते।

**श्री देवी सिंह भाटी** : वह भी होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन नहरों के बारे में, कन्ट्रोल के बारे भी यह बात बार-बार आती है कि जहां मौके पर बेलदार है, वही चीफ इंजीनियर है, वही एक्स. ईएन. है। जो बेलदार कर दे वही सब कुछ है। इसलिये हमने यह भी निर्णय लिया है कि इन्हीं समितियों को हम नहरों का बांधों का रेगुलेशन, यह सारा संचालन भी उन्हीं समितियों को सुपुर्द कर देंगे। हमारा यह सोचना है कि इंजीनियर का काम है, नहर का निर्माण करना, बांध का निर्माण करना उसके बाद एक टैक्निकल आदमी जे. ईएन. लेवल का उनके साथ रह जाये बाकी वह समिति ही निर्णय करेगी। वही उन नहरों का संचालन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, बरसों से, हालांकि यह सब विभागों में हुआ है कि इंजीनियर से काश्तकारों के बीच की पिछले वर्षों में दूरी बहुत बढ़ गयी है। काश्तकार तो अपने आपको याचक समझने लग गया और अधिकारी को वह खुदा समझने लग गया। अधिकारी ने भी धीरे-धीरे देखा कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं तो वह भी अपने काम से सिर्फ बांध पर या नहर पर गया और काश्तकार से बात भी नहीं करता है। उन काश्तकारों की समस्या का रेगुलर कैसे सुनवाई और समाधान हो इसलिये हमने यह आदेश जारी किये कि आपके क्षेत्र में जो भी बांध है चाहे वह छमाही चलता है या बारह-मासी जहां नहरें चलती हैं वहां उस हैड पर या टेल पोरसन पर हमारे अधीक्षण अभियन्ता के लेवल पर, अधिशाषी अभियन्ता के लेवल पर हर महीने वहां बैठक होगी। उसकी काश्तकारों को सूचना होगी। वहां रजिस्टर होगा, काश्तकारों की समस्या उसके अन्दर लिखी जाएगी। उनके हस्ताक्षर, अंगूठा और डाक का पता लिखा जायेगा और उसी तारीख को फिर अगली बैठक होगी। इस प्रकार से एक-एक सब डिवीजन में करीब-करीब एक बैठक होगी। मैं चाहूंगा कि यदि इस प्रकार इस सर्कूलर की, इस आदेश की पालना नहीं हो रही है, हालांकि मैंने फिर कहा कि आप वार्ड पंच के लेवल तक को इस सर्कूलर की कापी दें। वार्ड पंच होगा, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख जितने भी जन-प्रतिनिधि हैं, सबको इसकी सूचना जाए और उसमें तारीख निश्चित हो कि साइट के ऊपर इंजीनियर आता है, बराबर बैठक लेता है या नहीं। इस प्रकार की उसके अन्दर व्यवस्था है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(23.00)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सब से ज्यादा आती है कि साहब, निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके अन्दर जो निर्माण सामग्री लगनी चाहिये वह कहां से आ रही है, लीड दी हुई है कागज के अन्दर 45 किलोमीटर से मिट्टी आनी है, बजरी वहां से आनी है, पत्थर आने हैं 12 किलोमीटर से लेकिन होता यह है कि कागजों के अन्दर वहीं जहां नजदीक साइड हो वहीं से मिट्टी ले ली या पत्थर वहीं से ले लिये या मॉर्टर सही नहीं लग रहा है, मसाला सही नहीं लग रहा है। जो भी निर्माण सामग्री होगी, यह हमने तय कर दिया है पूर्व में हमने 5 लाख रुपये तक के ऐसे डाटा बोर्ड लगाने के, अब हमने यह आदेश कर कि 2 लाख रुपये तक के कामों के बारे में हिन्दी के अन्दर डाटा बोर्ड लगेंगे उसके अन्दर सारा यह लिखा हुआ होगा। जहां कहीं नहीं लिखा हुआ हो, तो कृपया सूचित करें, मैं निश्चित तौर पर कार्यवाही करूंगा। यह सारे ऐसे निर्माण स्थल हैं वहां पर डाटा बोर्ड होंगे उसके अन्दर सारी सूचना होगी कि जो माल आया उसकी लीड कितनी है, यहां किस प्रकार का पत्थर लगेगा, यहां किस प्रकार का कितना मोटा और किस रेशो से सीमेंट लगेगी, कितनी बजरी लगेगी वह सारा उसके अन्दर काम होगा, उसकी सारी राशि भी लिखी हुई होगी। मैं माननीय सदस्यों से यह सहयोग चाहूंगा। अब हमने आदेश कर दिये कि दो लाख तक के जो भी काम होंगे उन सब के ऊपर डाटा बोर्ड इस प्रकार के साइड लगे हुए होंगे और वह भी हिन्दी के अन्दर होंगे, जिससे सजग दर्शक हों या अन्य नागरिक हों वह उसके अन्दर रुचि लेकर काम की जो क्वालिटी है उसको चैक कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सब जगह चाहे पुराने बांधों के सामने नहरों का निर्माण हो। हमने पूर्व में ध्यान नहीं दिया और तुरत-फुरत में नहरें बना दीं। अब जिस गांव के सामने नहर है, पशु समझते नहीं हैं या मालिक नहीं समझता होगा, वहां पर हमने न तो पशुओं के लिये कोई घाट बनायें। जब वहां पशुओं के पीने के लिये घाट नहीं होगा या बाहर खेली होगी, जैसा भी लेवल उपलब्ध हो जहां कटिंग में होगी तो वहां हमें घाट बनाने पड़ेंगे और जहां अगर फिलिंग रीच में होगी, तो वहां उसके लिये बाहर खेली बनाएंगे आयन्दा के लिये तो हमने कह दिया कि नया प्रोजेक्ट जो भी बनेगा वहां पर आदमियों के लिये तो जहां पुल होगा या गांव होगा या ढाणी होगी उसके लिये तो पेड़ियां बनायेंगे उस नहर के अन्दर और नहीं है, तो पशुओं के लिये घाट बनाएंगे जिससे नहर को भी नुकसान नहीं हो और पशुओं के लिये यह भी सारी व्यवस्था हो जाए। हमने यह भी कहा है कि आगे भी उस नहर का या जहां कहीं काम होता है और अगर वहां प्रावधान नहीं है तो आप पशुओं के लिये घाट बनाएंगे, पेड़ियां बनाएंगे और खेलियां बनाएंगे।

(श्री देवीसिंह भाटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक यह बात भी आती है कि साइड के ऊपर इंजीनियर्स जाते हैं। गये रफ्तार से जीप लेकर अपने काम को देखा या अपना जो भी सबोर्डिनेट है उनसे या बेलदार से बात कर ली लेकिन काश्तकार से बात नहीं की। हमने उसके लिये एक रजिस्टर बना दिया कि वह जहां भी जाएंगे वह उसका रिकार्ड तो रहेगा लेकिन अगर उन्होंने वहां पड़ोस में गांव है या पड़ोस में कोई ढाणी है उसके अन्दर जाकर उन्होंने बात नहीं की, काश्तकार को बुला कर समस्या नहीं पूछी, उनका नाम वगैरह नहीं लिखा, यदि ऐसी शिकायत मिलेगी तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो अभी भी शिकायत आयी, समय से पूर्व बरसात हुई। हालांकि हम चाहते थे कि समय पर जितने भी हमारे रेगुलेटर्स हैं उनकी ग्रीसिंग, आयलिंग हो जाए, उन गेट्स को को रेगूलेट करके देख ले पर अचानक पानी आने के ऊपर उसका सही संचालन नहीं हो सका। इसलिए हमने यह तारीख तय कर दी कि 15 जून से पहले-पहले रेगुलेटर्स की ग्रीसिंग-आयलिंग करके उस गेट को रेगूलेट करके उसका सर्टिफिकेट वह जे., ईएन. देगा, वह सर्टिफिकेट उनके डिवीजन आफिस में जाएगा, यह सारा हो जाए और अगर नहीं हो रहा हो तो कृपया हमें सूचित करेंगे, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने लापरवाही की होगी उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार एक बहुत बड़ी यह भी शिकायत आती है कि जहां मिट्टी का काम होता है वहां साहब, बड़ी गड़बड़ होती है। बरसात से आने से पहले-पहले थोड़ा सा काम दिखा दिया, एम. बी. में दिखा दिया और उसका पेमेंट उठा लिया। यह एक आम तौर पर शिकायत रहती है। हमने इसके लिये कर दिया है कि 30 जून से पहले-पहले जितने भी आपके काम हो रहे हैं मिट्टी के या दूसरे वह आप 30 जून तक एम. बी. में डाल करके, मेजरमैंट बुक में डाल करके उस एम. बी. को डिवीजन आफिस में एक्स. ईएन. के पास जमा करवायेंगे जिससे एक रिकार्ड बन जाए। कल को उनके पास यदि एम. बी. रह जाती है तो फिर शायद वह कहीं गड़बड़ कर जाए। इसलिये यह भी एक हमने चैकिंग की है कि वह आफिस के अन्दर आ जाए जिससे वह कहीं ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सके और सिर्फ यह नहीं कह दे कि साहब, बरसात आयी और पानी के साथ मिट्टी बह गयी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : डिवीजन में वह मिल कर गड़बड़ कर ले तो।

श्री देवीसिंह भाटी : अब यूं तो ऊपर जाकर प्रधान मंत्री से मिल कर गड़बड़ कर ले तो क्या इलाज है। अपने को सजग रहना है। इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जनप्रतिनिधि जब तक सजग नहीं होंगे तब तक मजा आयेगा नहीं। (व्यवधान)

श्री अर्जुनदास मदान : मंत्री महोदय, एक मिनट आप इधर देख लें, कृपा होगी,

(श्री अर्जुनदास मदान)

बड़ी अनुकम्पा होगी आपकी । एक मिनट के लिये लें साहब, इधर भी ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : उपाध्यक्ष महोदय, लाड़पुरा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ज्यादा चिन्तित हैं । यह द्विपाटन के बीच में सूखे रह गये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं मौके के ऊपर गया और इस बारे में मैंने वहां पर सी. ए. डी. कमिश्नर के साथ, हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सारी इसके लिये चर्चा की, काश्तकारों का हमने सम्मेलन भी बुलाया, उनके सामने भी सारी बात हुई । वैसे यह सी. ए. डी. की नहर है, उसके अन्दर थोड़ी समस्या है और साथ में यह भी है कि मध्य प्रदेश ...

**श्री अर्जुनदास मदान** : एक मिनट के लिये अर्ज कर रहा हूं । अगर कोई कह दे कि पानी की उपलब्धता नहीं है, कोई यह कह दे कि साहब, और कोई दिक्कत है, तो मैंने आपको आंकडे सहित कोशिश की है मेरी बुद्धि के अनुसार आपको कंविंस करने की कि न तो पानी की कमी है, न किसी और बात की, कोई साधन का अभाव है । मुझे यह तो आप बतायें मान्यवर आप अभी वहां के इण्डस्ट्रियल वालों ने, फैक्ट्री वालों ने, टैक्नीकल वर्ड तो शायद ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने एक वाल बनाया है उसके अन्दर ही कम से कम आपका 200 क्यूसेक्स पानी तो उसी में बच जाता है ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : पानी बच जाता है बिलकुल ठीक है ।

**श्री अर्जुनदास मदान** : मान्यवर, सबसे पहले मैं बैठा हूं, नहर का मोखा मेरे पास है और अभी आप कह रहे हो कि जिसके सामने से पानी निकल रहा हो और वह प्यासा रहे तो उसके मन पर क्या बीतती अगर यह पीड़ा आपकी सच्ची है, तो उसे आप मेरी पीड़ा समझिये ।

**श्री देवीसिंह भाटी** : आपकी पीड़ा में मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं ।

**श्री अर्जुनदास मदान** : आप जब स्वयं अनुभव कर चुके हैं, आप जा चुके हैं, मेरे सांसद महोदय श्री जसवंतसिंहजी ने निवेदन कर दिया, आपको मुख्य मंत्रीजी ने मेरा पत्र आपके पास भेज दिया, आप स्वयं देखकर आये, आप अगर नहीं महसूस करते हो तो ...

**श्री देवीसिंह भाटी** : उसका शीघ्र ही निदान करेंगे ।

**श्री अर्जुनदास मदान** : अगर मेरी पीड़ा सही आप मानते हैं और आप यह समझते हैं कि वाकई यह चुभन सही है तो उसके ऊपर कुछ हल दें ।

**श्री उपाध्यक्ष** : बिश्नोईजी कुछ कह रहे हैं ।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : माननीय मंत्री महोदय ऐसा है कि फलौदी लिफ्ट है उसकी गति बहुत मंद है और आप जानते हैं कि जैसलमेर पुराने स्टेट का यह सबसे उपजाऊ क्षेत्र है । टेबलटाप इसका लेवल है, एक भी टीबा नहीं है और न हार्ड पैन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है। इसका यदि निर्माण होता है, तो सर्वाधिक अकाल से पीड़ित रहने वाले क्षेत्र का भला हो जाएगा।

**श्री देवीसिंह भाटी :** मैं आपकी बात से बिलकुल सहमत हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये हमने 1995-96 में 0·35 की लाइनिंग को भी इसकी शुरूआत कर दी है, क्योंकि एक बीच में बाधा आ गयी थी, वह बाधा, हालात यह हो गये थे कि राष्ट्रपति शासन में एक दफे तो निर्णय ने लिया कि सारी लिफ्ट ड्राप ही कर दो लेकिन उसके बाद संघर्ष करते हुए उस समय के जो आई. जी. एन. पी. के चेयरमैन श्री कपूर थे, उन्होंने अपने स्तर पर काफी प्रयास किया उसके बाद में सी. एम. साहब से अलग बार-बार बैठक हुई और उसके बाद अब यह निर्णय ले लिया कि इसके अन्दर द्रुत गति से, क्योंकि सारा फ्लड एरिया है और ज्यादा न तो काश्तकार का इसमें खर्चा लगेगा और न इसके अन्दर बाधाएं आएगी, तो इसको भी हम प्रायोरिटी से, उपाध्यक्ष महोदय, लेंगे।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) :** मैंने भी एक निवेदन किया था, छोटी-छोटी पुलियाएं हैं, माइनर इरिगेशन की हैं उनकी तो कुछ व्यवस्था करो। आपने कहा था, आपने वायदा किया था। कुछ तो करो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्री महोदय, क्या आपने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया है?

**श्री रामस्वरूप मीणा :** माननीय मंत्री महोदय, पाचना बांध जो नादोती टोडाभीम को पानी देता है, बिशनवन बांध .. (व्यवधान)...।

**श्री रतनलाल ताम्बी :** उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध को इन्टरसेप्ट नहीं करते हैं, वे योजनाएं बहुत लम्बे समय से अधूरी और लम्बित है, मैंने इसके सम्बन्ध में निवेदन किया था, कृपा करके उसके बारे में बतायें।

**श्री देवीसिंह भाटी :** उसके बारे में मैंने निवेदन किया था कि एन. आर. ई. पी और फेमिन में थोड़ी दिक्कत आ रही है बाकी बीसलपुर का कोई न कोई रास्ता निकल रहा है।

**श्री रतनलाल ताम्बी :** बीसलपुर के अलावा जो लम्बित हैं, उनकी बात कर रहा हूं।

**श्री अर्जुनदास मदान :** माननीय मंत्री महोदय, आपने सबको जवाब दे दिया। मेरा निवेदन है कि राजस्थान के हिस्से का जितना पानी है उसका आप पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि 3.2 मिलीयन पानी....(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मदान साहब, आप बिराजें। आप काफी देर से प्रयास कर रहे हैं।

**श्री अर्जुनदास मदान :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल इन्टरप्ट नहीं करता और न यह मेरे स्वभाव में है। मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया आपस में बात न करें। श्री मदान साहब क्या कह रहे हैं उसका उत्तर दे सकते हैं, देना चाहते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि यह वैसे सी. ए. डी. से सम्बन्धित है पर मैं खुद मौके पर जाकर आया हूं। वहां हमारे सारे अधिकारीगण भी आये हुए हैं। आपके साथ बैठकर रास्ता निकल सकता है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसका रास्ता नहीं निकल सकता हो।

श्री अर्जुनदास मदान : थैंक्यू साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जाएं। माननीय मंत्रीजी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों के जरिये सी. ए. डी. के सम्बन्ध में काफी विधायकों ने अपनी राय और सुझाव दिये। वैसे तो हमारे सिंचाई मंत्रीजी ने काफी विस्तार से बता दिया मैं विशेष रूप से कमाण्ड एरिया डवलपमेंट क्षेत्र, काडा के बारे में बताना चाहता हूं। इसकी स्थापना इसलिये हुए कि हमारे नये क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में अब तक करीब 7 लाख हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में खालों का निर्माण हुआ, 8 लाख हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन जिन-जिन क्षेत्रों का विकास हुआ है वहां दोहरी समस्याएं हमारे सामने आयी हैं। आई. जी. एन. पी. फेज फर्स्ट का जहां डवलपमेंट हुआ वहां सेम की समस्या आयी और सैकण्ड फेज में सेटलमेंट की समस्या सामने आयी। इन दोहरी समस्याओं के बीच हमारा विभाग काम कर रहा है। रावतसर से लूणकरणसर तक सेम की काफी समस्या है जिसके बारे में हमारे मुख्य मंत्रीजी चिंतित हैं और उन्होंने अपने स्तर पर हमारे अधिकारियों की बैठक बुलाकर कुछ निर्णय किये हैं। 1994 में हमने तीन साल का एक्शन प्लान बनाया जिसके लिये 879 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी दी। इसके तहत जो एरिया सेम से ज्यादा प्रभावित था वहां 120 नलकूप बनाने की मंजूरी प्रदान की है। यह हमारी ट्रायल चल रही है। कुए बनाने की यह योजना यदि सफल हुई, तो और भी ज्यादा क्षेत्र में मंजूरी देंगे। रावतसर का एरिया, डबली-खुर्द, लूणों की ढाणी और मसिदावाली हेड पर सेम की ज्यादा समस्या है उसको भी हमने छुआ है। रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के जरिये डबली खुर्द और डबली कलां के लिये 100 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये योजना बना रहे हैं। रावतसर के पास के क्षेत्र का ब्रिटिश फर्म ने चयन किया जो वहां सर्वे कर रही है। इस प्रकार सारा का सारा सेम का एरिया किस प्रकार बचाया जाए इसके लिये हमारा विभाग, सरकार और मुख्य मंत्रीजी प्रयासरत हैं। आई. जी एन. पी. क्षेत्र में हमने इस बात के प्रयास किये हैं कि जो भी पद्धति हो चाहे फव्वारा सिंचाई पद्धति हो उसके द्वारा पानी की बचत होगी और सेम की समस्या भी पैदा नहीं होगी।

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

दो साल पहले हमने एक योजना चालू की थी कि जो काश्तकार डिग्गी और फव्वारे से सिंचाई करेगा उसको 50 हजार रुपये अनुदान देने की व्यवस्था की इससे काफी क्षेत्र में सैंकड़ों डिग्गियां बनी हैं और अगले साल भी सैंकड़ों डिग्गियां बनाने का प्रोग्राम है, इससे पानी की समस्या हल होगी और पानी की भी बचत होगी।

पेड़ लगाने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है और वहां बाईड्रेनेज के जरिये पेड़ लगाये जा रहे हैं जिससे सेम की समस्या हल हो सके चाहे हमारा लूणकरणसर का अनुसंधान केन्द्र हो जहां हम सरफेस ड्रेनेज के जरिये यह प्रयास कर रहे हैं कि सेम की समस्या का किसी प्रकार से निदान हो सके। दूसरी तरफ दूर दराज के इलाकों में जो खाले बने वे टूटने की स्थिति में आ गये हैं, वे धोरों से भर गये हैं। कई जगह पानी की डिग्गियां जो बनी थीं वे सारी की सारी भर गयीं। इन सारी समस्याओं को हल करने के लिये निर्णय लिया गया है कि जहां बड़े धोरे हैं वहां पत्थर की पट्टियां लगायी जाएं और जहां पर खाले टूटे हैं उनको वापस बनाकर हमारे जो लोग सेटल होना चाहते हैं, उनको सेटल करें।

पानी की डिग्गियों के बारे में बहुत हास्यास्पद स्थिति थी। 3-4 साल पहले देखा वाटर वर्क्स के लोग इन्टीरियर में नहीं जाना चाहते थे। करीबन 50 हजार रुपये की लाइबिलिटी एक डिग्गी पर पड़ रही थी तो हमने बात करके एक प्रोग्राम बनाया है ताकि एक एजेंसी के जरिये उन डिग्गियों को जन-सहयोग के जरिये कार्यक्रम बनाकर सुपुर्द कर सकें। जहां-जहां सेटलमेंट हो रहा है वहां-वहां डिग्गियों की मरम्मत करके गांव के लोगों को हमारी चक समितियां सौंपने जा रही है जिससे पानी की व्यवस्था हो और खालों का काम पूरा हो और धोरों से कैसे खेतों पर पानी पहुंचे। इसके लिये हमने दो साल तक राशन की व्यवस्था और पांच हजार रुपये बगैर ऋण अनुदान देने की व्यवस्था की है जिससे लोग वहां सेटल हो सके। इस समस्या के निराकरण के लिये हम पिछले दो साल से प्रयासरत हैं।

पिछले साल हमने 48 हजार हैक्टेयर खालों का काम किया, इस साल हमने 71500 हैक्टेयर का लक्ष्य रखा है. और उसके एवज में 16 लाख 6 हजार 47 हैक्टेयर का काम 15 जून तक दिया जो आज तक कभी भी सी. ए. डी. के रिकार्ड में नहीं है और इतने लम्बे चौड़े खालों का निर्माण नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि वहां सर्वांगीण विकास हो। खासकर हम चाहते हैं कि मरूस्थल क्षेत्र में लोग जाकर बसें और हमारे राष्ट्र की समृद्धि में भागीदार बनें।

सी. ए. डी. चम्बल का प्रोग्राम जो 1960 में बना बड़ा पेचीदा सा है। वहां न बाराबन्दी है और न पानी यूज करने का कोई कार्यक्रम है फिर भी हमने दो साल में यह प्रयास किया है कि वहां ड्रेनेज की सफाई हो। पहले ड्रेनेज की सफाई

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

एक किलोमीटर या दो किलोमीटर में होती थी हमने यह निर्णय किया कि काडा की कमेटी के जरिये हमने जोन बना दिया कि दो सौ किलोमीटर जोन की एक साथ सफाई होगी। मैं बताना चाहता हूं कि जहां 19 लाख से ज्यादा कभी ड्रेनेज की सफाई का काम नहीं हुआ वहां 1 करोड़ 10 लाख रुपये की सफाई हमने पिछले साल ड्रेनेज की की है और 200 किलोमीटर का काम हुआ है। नहरों की बहुत दुर्दशा है उसमें हमने ओढ़े हटाकर इस बात का प्रयास किया है कि नहरों की मरम्मत हो। हमने वहां 15 मशीनें लगायीं। सी. ए. डी. की मशीनें कभी 20 हजार घण्टे से ज्यादा कभी नहीं चलीं वहीं हमने 30 हजार घण्टे मशीनें चलाकर नहरों की सफाई की है, ड्रेनेज की सफाई की है।

भूमि विकास के कार्यक्रमों का पिछले साल 25 हजार का टार्गेट था उसके एवज में 30 हजार 60 हैक्टेयर का टार्गेट हमने पूरा किया और इस साल टार्गेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार चाहे भूमि विकास का मामला हो, ड्रेनेज की सफाई का या नहरों की सफाई का मामला हो हमने पूरा प्रयास किया है। पानी का जो क्रिमिनल वेस्टेज चल रहा है वह पानी टेल तक पहुंचे। रजाई के जरिये हमने 2 हजार से अधिक क्षेत्र जो सेम का एरिया है, सरफेस के जरिये काम किया है। हमारा प्रयास है कि चम्बल क्षेत्र, राजस्थान कैनाल और सी. ए. डी. क्षेत्र का चहुंमुखी विकास हो। काडा की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गयी थी। हमारे सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं कटौती प्रस्तावों के जरिये जवाब उनके पास पहुंच जाएंगे। माननीय सदस्यों को सुझाव देने के लिये धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** मेरा निवेदन है कि सिंचाई मंत्री महोदय को आप बुलायें और मांग पास करवायें। कहां हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** उपाध्यक्ष महोदय, जो टीबे चलते हैं और रेत उड़कर नहरें और खाले भर जाते हैं, तूम्बा पैदा होता है उसको आप जानते हैं ? तूम्बा गलीचे की तरह होता है। दो महीने के अन्दर एक किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर आप यों लम्बा लगा दें तो अनापशनाप तो पैसे आएंगे उसके और जमीन अगर इस गलीचे पर से उड़े तो उड़े। इससे सस्ता कोई तरीका ईजाद हो नहीं कर सकते आप।

**श्री ज्ञानसिंह चौधरी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार करके हम इसको लागू करेंगे और दूसरे जो श्री मदान साहब ने और श्री देवीसिंह जी साहब ने अभी इसके बारे में कहा, वैसे तो मैंने भी वह क्षेत्र देखा है और श्री देवीसिंह जी साहब ने भी देखा है और वास्तव में इनकी पीड़ा सही है, क्योंकि दो नहरों के बीच में इनके जो दस बारह गांव इन्होंने बताये हैं वास्तव में वह सिंचित नहीं है और यह भी बात सही है कि जो हमारा राइटमैन कैनाल

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

का जो इण्डस्ट्रियल एरिया है और जहां से नहर जाती थी इण्डस्ट्रियल एरिया की वजह से हम एक दिन भी बन्द नहीं कर सकते थे। इस बार हमने जो औद्योगिक संस्थान थे उनसे बात करके और एक करोड़ रुपया उनसे लेकर हमने उसका वहां निर्माण शुरू किया है और अगले साल तक हम उसका पूरा कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा 150 क्यूसेक्स के करीब पानी बच पाएगा और जिससे नहरों में काफी क्षति हो चुकी थी उसका भी काम पूरा कर पाएंगे। तो नहरों से पानी की तो हमारे पास निश्चित रूप से उपलब्धता है। हमारे सिंचाई मंत्री जी से बातचीत करके और मुख्य मंत्री जी को इसके बारे में हम विश्वास में लेंगे और निश्चित से श्री मदान साहब को इस काम के लिये उदासीन नहीं होने देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

**श्री अर्जुनदास मदान** : बहुत-बहुत धन्यवाद।

## मांग संख्या-46 का पारण

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46—सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,59,00,32,000 (दस अरब उनसठ करोड़ बत्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 1996 के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.24 बजे गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 1996 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

## परिशिष्ट–1

### तारांकित प्रश्न संख्या 590 का विवरण

100 शैय्याओं के चिकित्सालय में स्टाफ के पदों का मापदण्ड एवं स्वीकृत, पदों का विवरण

| क्र. सं. | पदनाम | मानदण्ड | स्वीकृत |
|---|---|---|---|
| 1. | वरिष्ठ विशेषज्ञ | 2 | 2 |
| 2. | कनिष्ठ विशेषज्ञ | 8 | 3 |
| 3. | वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारी | 11 | 2 |
| 4. | दन्त चिकित्सा अधिकारी | 1 | 2 |
| 5. | मेट्रन-11 | 1 | 1 |
| 6. | सिस्टर | 4 | 1 |
| 7. | नर्स प्रथम | 4 | 3 |
| 8. | नर्स द्वितीय | 14 | 9 |
| 9. | स्टाफ नर्स | 14 | 5 |
| 10. | रेडियोग्राफर/सहायक रेडियोग्राफर | 1 | 1 |
| 11. | लेब टेक्नीशियन/वरिष्ठ लेब टेक्नी. | 1 | 1 |
| 12. | कार्यालय सहायक | 1 | — |
| 13. | लेखाकार | 1 | — |
| 14. | कनिष्ठ लेखाकार | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | वरिष्ठ लिपिक | 3 | — |
| 16. | कनिष्ठ लिपिक | 4 | 1 |
| 17. | दन्त टैक्नीशियन | 1 | — |
| 18. | वाहन चालक | 2 | — |
| 19. | कुक | 3 | — |
| 20. | धोबी | 2 | — |
| 21. | वार्ड बॉय/स्वीपर | 30 | 20 |
| 22. | इलेक्ट्रिशयन | 1 | — |
| 23. | मैकेनिक | 1 | — |
| 24. | प्रसाविका | — | 2 |
| | योग :— | 110 | 38 |

100 शैयाओं हेतु आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता एवं उपलब्धता

| क्र. सं. | उपकरण का नाम | आवश्यकता | उपलब्धता |
|---|---|---|---|
| 1. | एक्सरे मशीन (300 एम. ए.) | 1 | 1 (160 एम. ए.) |
| 2. | एक्सरे मशीन (60 एम. ए.) | 1 | 1 (30 एम. ए.) |
| 3. | ई. सी. जी. मशीन | 2 | 2 |
| 4. | कार्डियक मोनीटर | 1 | 1 |
| 5. | बोयल्सएपरेटस | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | ओपथेलमो स्कोप | 1 | 1 |
| 7. | स्लिट लेम्प | 1 | 2 |
| 8. | री-सक्शोटेशन किट | 1 | 1 |
| 9. | सिगमोइडो स्कोप | 1 | 1 |
| 10. | डेन्टल यूनिट | 1 | 1 |
| 11. | डेन्टल चेयर | 1 | 1 |
| 12. | आपरेशन टेबल | 2 | 4 |
| 13. | ओटोक्लेव (हौरीजोन्टल) | 1 | 1 |
| 14. | यथा (हाई प्रेशर) | 1 | 1 |
| 15. | शेडो लेस लेम्प | 2 | 1 |
| 16. | माइक्रोस्कोप | 3 | 4 |
| 17. | फोटो इलेक्ट्रिक कलोरीमीटर | 1 | — |
| 18. | होट एयर अवन | 1 | 1 |
| 19. | डिस्टिल वाटर एपरेटस | 1 | 1 |
| 20. | सेन्ट्रीफयूज मशीन | 1 | 1 |
| 21. | काउन्टिंग चेम्बर | 1 | 1 |
| 22. | हीमो ग्लोबीनो मीटर | 1 | 1 |
| 23. | जनरेटर 5 के वी ए. | 1 | 3 |
| 24 | आक्सीजन सिलेण्डर | 20 | 23 |
| 25. | नाइट्रस ओक्साइड सिलेण्डर | 20 | 8 |
| | | | 4. (कार्बन डाइ-आक्साइड सिलेण्डर) |
| 26. | स्टरलाइजर (इस्ट्रूमेंट) | 10 | 3 |

## परिशिष्ट-2

### तारांकित प्रश्न संख्या 592 का विवरण

राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जा रही छात्रवृतियां एवं दी जाने वाली राशि का विवरण

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृति
2. पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृति
3. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
4. अस्वच्छ कार्यों में लगे लोगों के अध्ययनरत बच्चों को देय मैट्रिक पूर्व छात्रवृति ।

### दी जाने वाले छात्रवृति की राशि का विवरण

| | | दर प्रति छात्र प्रतिमाह | |
|---|---|---|---|
| | | छात्र | छात्रा |
| 1. | पूर्व मैट्रिक छात्रवृति | | |
| | कक्षा 6 से 8 | 15/- | 20/- |
| | „ 9 से 10 | 30/- | 40/- |
| 2. | उत्तर मैट्रिक छात्रवृति | | |
| | कक्षा 11 व 12 | 90/- | 150/- |
| 3. | स्वच्छकार छात्रवृति | | |
| | कक्षा 1 से 5 | 25/-प्रतिमाह | |
| | कक्षा 6 से 8 | 40/- „ | |
| | कक्षा 9 से 10 | 50/- „ | |

राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए चलाई जा रही योजनाएं

1. छात्रवृति योजनाएं
2. नि: शुल्क छात्रावास योजनाएं
3. बुक बैंक योजना

## परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकितप्रश्न और उनके उत्तर)

### नगर सुधार न्यास, श्री गंगानगर का भूमि प्रकरण

594. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्याय श्री गंगानगर ने कुछ समय पूर्व दो मुरब्बा भूमि चालीस हजार रुपये प्रति बीघा की दर से भूमि के स्वामियों से आपसी सहमति (नेगोसिएयेशन सेक्रय की है? यदि हां, तो उक्त भूमि के क्रय-विक्रय सम्बन्धी पत्र आदि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि क्रय में नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों/अधिकारियों ने अनियमितताएं बरती हैं एवं स्वयं के लाभ के लिए ऊंची कीमत पर भूमि का सौदा कर नगर सुधार न्यास को आर्थिक क्षति पहुंचाई है? यदि हां, तो क्या सरकार अनियमितता में लिप्त सदस्यों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नगर सुधा न्यास श्री गागंनगर के प्रबंध व अनियमित कार्यों की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि नगर विकास न्यास, गंगानगर द्वारा कुछ समय पूर्व दो

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

मुरब्बा भूमि चालीस हजार रुपये प्रति बीघा की दर से आपसी समझौते से क्रय की है। नगर विकास न्यास द्वारा वर्ष 1995-96 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (अल्प आय वर्ग) के आवासों के लिए आपसी समझौते से 3.13 बीघा भूमि 2.15 लाख रुपये प्रति बीघा तथा 1.02 बीघा भूमि 2.35 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से खरीदी है। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना के लिए 153 बीघा भूमि 2.20 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से तथा 10 बीघा भूमि 1.70 लाख रुपये प्रति बीघा की दर से खरीदने की कार्यवाही की जा रही है। 12 बीघा भूमि 12 प्रतिशत विकसित क्षेत्र की ऐवज में आपसी समझौते के जरिये निःशुल्क प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) भूमि की दरों का निर्धारण जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उचित समिति के द्वारा भूमि की कीमत के विभिन्न पहलुओं पर विचार काश्तकारों से सीधी वार्ता में चर्चा कर तय किया गया है। अतः न्यास अध्यक्ष/सदस्यों या अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है। स्वयं के लाभ के लिए ऊंची कीमत देने का आरोप निराधार है क्योंकि भूमि की दरें जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति (बहुसदस्यीय समिति ने विभिन्न पहलुओं पर विचार कर तय की हैं।

(3) वर्तमान में नगर विकास न्यास के द्वारा किसी अवैध एवं अनियमित कार्य का तथ्य प्रकट नहीं होने से जांच करवाया जाना वांछनीय नहीं है।

## उचित मूल्य की दुकानों को उपभोक्ता सामग्री का आवंटन

595. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं, शक्कर केरोसिन आदि का वितरण वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1981 से 1995 तक जनसंख्या में काफी बढ़ोतरी होने से वर्तमान वितरण सामग्री की मात्रा काफी कम होने से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामग्री की वितरण मात्रा वर्ष 1995 की जनसंख्या के आधार पर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। गेहूं, चावल एवं केरोसिन तेल का आवंटन भारत सरकार से जनसंख्या के आधार पर प्राप्त नहीं होता है। केवल लेवी चीनी का आवंटन राज्य को वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर माह जनवरी, 1996 से प्राप्त हो रहा है।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)

भारत सरकार से वर्ष 1995 की जनसंख्या के आधार पर गेहूं, चांवल, चीनी एवं केरोसिन तेल का आवंटन प्राप्त होने पर ही वितरण कराया जाना सम्भव होगा।

## थाना कोतवाली, सीकर में दर्ज प्रकरण संख्या 82/95

596. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर कोतवाली में दिनांक 17 फरवरी, 1995 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 82 में किस-किस को मुजरिम ठहराया गया व उन पर कौन-कौनसी धारायें लगाई गयी तथा मुजरिमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि जिला न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं द्वारा धारा 307 एवं 326 के तहत वर्तमान में सीकर कोतवाली के किसी पुलिस कर्मचारी को तीन वर्ष की सजा सुनायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त अपराधी तत्व को पुलिस नौकरी किस आधार पर दी गयी व अपराधिक प्रवृत्ति के उक्त कर्मचारी को पुन दोषी पाये जाने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही न किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर कोतवाली में दिनांक 17-2-95 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 82/95 में (1) मुमताज (2) मुन्ना (3) सब्बीर (4) मन्नू खां (5) मुश्ताक (6) सिराज (7) मकसूद (8) अस्त अली (9) महमूद (10) महबूब आलम (11) नवाब अली (12) निसार (13) नजीर खां (14) सलीम (15) शमशेर निवासीयान सबलपुरा थाना सदर, सीकर (16) मकबूल खान (17) दाऊद निवासीयान मियां की ढाणी थाना राणोली जिला सीकर को जुर्म धारा 147, 148, 149, 452, 307, 323, 324, 326, 341 भा. द. स. द्वारा दण्डित अपराध के लिये आरोपित किया गया। अनुसंधान से प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित उपरोक्त सभी मुलजिमान के खिलाफ उपरोक्त वर्णित धाराओं के अन्तर्गत जुर्म साबित पाया जाने पर मुलजिमान में से मुमताज, मुन्ना, सबीर, नन्नू खां व मुश्ताक को गिरफ्तार किया गया। शेष मुलजिमान वक्त घटना से रूपास होने पर उसके विरुद्ध धारा 299 जा. फो. के तहत दिनांक 30-4-96 को एम. जे. एम. कोर्ट सीकर में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 24-5-96 को मुलजिमान सिराजू, अस्त अली, महमूद, नवाब अली, व नजीर खां के दिनांक 24-5-96 को न्यायालय में समर्पण होने पर उनके खिलाफ दिनांक 30-5-96 को तितम्बा चार्जशीट न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

(2) जी, नहीं। जिला न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट झुन्झुनूं के द्वारा वर्तमान में धारा 307, 326 भा. द. स. में सजायाब

(गृह मंत्री)

कोई भी पुलिस कर्मचारी थाना कोतवाली सीकर पर तैनात नहीं है।

## जिला भरतपुर की पेयजल योजना

597. श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भरतपुर जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु चम्बल नदी का पानी धौलपुर से लिफ्ट कर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो यह योजना कब बनी तथा इस योजना पर कितना व्यय होना प्रस्तावित था ?

(2) क्या सरकार इस योजना को क्रियान्वित कराने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। योजना का एक प्रारम्भिक प्रारूप वर्ष 1993 में भरतपुर और धौलपुर जिलों के लिये बनाया गया था, जिसकी अनुमानित राशि 501.12 करोड़ रुपये था।

(2) वर्तमान में भरतपुर जिले की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु यमुना नदी से पेयजल उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अतः उपरोक्त योजना पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी है।

## मातृकुण्डिया बांध (चित्तौड़गढ़) से दायीं नहर का निर्माण

298. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ में बनास नदी पर मातृकुण्डिया नाम से बांध का निर्माण कर फीडर द्वारा मेजा बांध (भीलवाड़ा) को पानी से भरा जा रहा है जिससे बांध के नीचे के क्षेत्र का सेजा सूख गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मातृकुण्डिया बांध से दायीं नहर निकाल कर पीड़ित किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि मेजा फीडर से आस-पास के तालाबों व कृषि योग्य भूमि को पानी उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो कहां-कहां, कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) लाम्बीय, सोमी, करजीया, उपकीया बांधों को किस-किस वर्ष में मातृकुण्डिया बांध की मेजा फीडर से भरा गया ? विगत 5 वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में बनास नदी

(सिंचाई मंत्री)

पर मातृकुण्डिया बांध बना है, जिससे फीडर द्वारा मेजा बांध को भरा जाता है। यह सही नहीं है कि मातृकुण्डिया बांध के बनने से नीचे के क्षेत्र का मेजा सूख गया मातृकुण्डिया बांध से दांई नहर निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(3) वांछित सूचना 'परिशिष्ट-"1" में दर्शायी गयी है।

परिशिष्ट-"1"

मातृकुण्डिया बांध मेजा फीडर के आस-पास के तालाबों व कृषि योग्य भूमि को पानी उपलब्ध कराये जाने का विवरण

| क्र. स. | नाम तालाब | वर्ष | उपलब्ध कराये गये पानी की मात्रा (एम.सी.एफ.टी.) | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ऊचकिया बांध | 1990 | 96 | |
| | | 1992 | 56 | |
| | | 1994 | 55 | |
| | | 1995 | 90 | |
| 2. | करजिया | 1990-94 | मेजा फीडर की एस्केप से लीकेज | |
| | | 1995 | 6 एम.सी.एफ.टी. | |
| 3. | लाम्बिया | — | मेजा फीडर के | यह पंचायत की |
| | | — | एस्केप से लीकेज | नाड़ी है। |
| 4. | सोमी | — | मेजा फीडर के एस्केप से लीकेज | |

(सिंचाई मंत्री)।

उपरोक्त विवरण के अलावा उल्लेखनीय है कि मेजा फीडर से प्रतिवर्ष काश्तकार ग्राम आरनी (आर. डी. 230) से कारोई (आर. डी. 1150) के मध्य पर पम्प व साइफन लगाकर सिंचाई करते हैं जिसका विवरण इस प्रकार है

| वर्ष | सिंचित रकबा एकड़ | | योग |
|---|---|---|---|
| | रबी | खरीफ | |
| 1992 | 205 | 594 | 879 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 1290 | 911 | 2201 |
| 1995 | सिंचाई हुई। सूचना एकत्रित की जा रही है। | | |

## राजस्थान विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रकरण

599. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) एवं श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में लाइजन आफिसर इन्चार्ज ओ. बी. सी. सेल, व होम्योपैथिक चिकित्सक के पद सृजित हैं ? यदि हां, तो कब से तथा उन पदों पर किस व्यक्ति की कब-कब नियुक्ति की गयी ?

(2) इन नियुक्तियों के लिये क्या नियम है तथा किसके आदेश से उक्त पदों का सृजन एवं नियुक्तियां की गयी ?

(3) क्या इन पदों के लिये भर्ती हेतु विज्ञापन प्रसारित किये गये ? यदि, हां, तो कब ? विज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन पदों पर नियुक्तियों के लिखित परीक्षा या साक्षात्कार भी लिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या उक्त पदों का सृजन एवं नियुक्तियां नियमानुसार की गयी है ?

उत्तर

(1) विश्वविद्यालय में निम्न दो पद सृजित हैं--

1. लाइजन आफिसर

(श्री उच्च शिक्षा मंत्री)

2. होम्योपैथिक डाक्टर--एक पद

3. इन्चार्ज प्रो. बी. सी. सेल का पद सृजित नहीं है।

लाइजन आफिसर का पद वर्ष 1993-94 में राज्य योजना मद में एवं होम्योपैथिक डाक्टर का एक पद वर्ष 1974 में सृजित किया गया था जो अब गैर योजना मद में आ गया है।

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचनानुसार लाइजन आफिसर के पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। क्योंकि अभी तक इस पद की न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। होम्योपैथिक डाक्टर के सृजित एक पद पर डाक्टर जी. एन. चौहान 1974 से कार्यरत हैं। रोगियों की अधिक संख्या को देखते हुए होम्योपैथिक डाक्टर के सुझाव पर पूर्णतया तदर्थ रूप में स्थिर वेतन पर एक और होम्योपैथ चिकित्सक की कुलपति महोदय के आदेश से नियुक्त किया गया है और उस पद के सृजन का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचाराधीन है। श्री रिजवानअली 4-11-95 से स्थिर वेतन पर तदर्थ रूप से अंशकालीन कार्य कर रहे हैं। प्रो. बी. सी. सेल इंचार्ज के रूप में श्री एम. एल. सैनी दिनांक 26-4-1996 से निश्चित वेतन पर कुलपति महोदय के आदेश से अल्पकाल के लिये नियुक्त किये गये हैं।

(2) यह नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ रूप से स्थिर वेतन पर कुलपति के आदेश पर की गई है। किंतु ये पद अभी सृजित नहीं है। केवल होम्योपैथिक डाक्टर का एक और पद सृजित करने सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचाराधीन हैं।

(3) जी, नहीं। चूंकि ये पद सृजित नहीं है। अतः इन पर स्थायी रूप से भर्ती हेतु कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं किये गये हैं।

(4) जी, नहीं। इन नियुक्तियों के लिये लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं हुआ है।

(5) जी नहीं। उक्त पदों का सृजन नहीं किया गया है। किंतु वे नियुक्तियां विशेष परिस्थितियों में कुलपति महोदय के आदेशानुसार की गई हैं। पद के सृजन का मामला वित्त समिति के विचाराधीन है।

## कोटा सम्भाग में गिरता भूमिगत जलस्तर

600. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि कोटा सम्भाग में राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होने के बावजूद भी भूमिगत जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है? यदि हां, तो इस सम्भाग की कौन-कौनसी तहसीलों में गम्भीर पेयजल संकट हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सम्भाग में गिरते जलस्तर को रोकने हेतु वर्षा के पानी को नदियों

(श्री भरतसिंह)

में रोकने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं तो इसके अलावा भूमिगत जलस्तर को गिरने से रोकने की विभाग की क्या योजना है ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ तहसीलों में भूमिगत जलस्तर के नीचे गिरने का कारण पत्थर खदान मालिकों द्वारा खनन कार्य है ?

(4) क्या सरकार इस पर नियन्त्रण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। कोटा सम्भाग तहसील बून्दी के करड़ क्षेत्र, हिण्डोली एवं नैनवां तहसीलों में भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट रहता है। वर्ष 1984 से 1995 के भूजल आंकड़ों के विश्लेषण से पाया गया है कि जिला बारां में पंचायत समिति अंता, अटरू, बारां, छबड़ा, छीपा बड़ौद, किशनगंज व शाहबाद, जिला बूंदी में पंचायत समिति नैनवां, केशोरायपाटन व तालेडा, जिला झालावाड़ में पंचायत समिति डग, मनोहरथाना व पिड़ावा जिला कोटा में पंचायत समिति रामगंज मण्डी, सांगोद सुल्तानपुरा जिला सवाईमाधोपुर में पंचायत समिति बामनवास, बौंली, गंगापुर, हिण्डौन, करौली, खण्डार, नदौती, सपोटरा, सवाई-माधोपुर व टोडाभीम में भूजल के स्तर में गिरावट आई है।

(2) सिंचाई विभाग द्वारा झालावाड़ जिले के सतही जल उपयोग के कुछ प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन है। इनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) कुछ क्षेत्रों को छोड़कर कोई ऐसी खाने नहीं है जो क्षेत्र के जल स्तर के नीचे पहुंच गयी है। अतः जल स्तर पर खनन का प्रभाव अधिक नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र में स्थापित हैण्डपम्पों में जल स्तर नीचे गया हुआ पाया गया है जिसके विषय में गहन अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

(4) खान विभाग की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। पर उपरोक्तानुसार अध्ययन होने के बाद नियन्त्रण हेतु कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट 'क'

### झालावाड जिले में सतही जल उपयोग के प्रस्ताव

| क्र. सं. | लघु/मध्यम/वृहद परियोजना का नाम | तहसील |
|---|---|---|
| 1. | कनवाड़ा | झालरा पाटन |
| 2. | काली सिंध | झालरा पाटन |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | कालीखार | अकलेरा |
| 4. | बयासरी | पच पहाड़ |
| 5. | गागरीन | पीड़ावा |
| 6. | मनोहर थाना | अकलेरा |
| 7. | रीवा | पच पहाड़ |
| 8. | बार बंगा | अकलेरा |
| 9. | परवत | खानपुर |
| 10. | पिपलाद | पच पहाड़ |
| 11. | मुलेण्डी | अकलेरा |
| 12. | मानपुरा | अकलेरा |
| 13. | जसवन्तपुरा | पच पहाड़ |
| 14. | पाडलिया | अकलेरा |
| 25. | पोंडला | गंगधार |
| 16. | हरीपुरा डांडिया | झालरा पाटन |
| 17. | कंवरपुरा | खानपुर |
| 18. | रीजोदा | झालरा पाटन |

## ग्राम बनेठी एवं पनियाला (जयपुर) में पुलिस थानों का सृजन

601. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में कितने नये पुलिस थाने व चौकियां खोली गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के पनियाला में नये थाने खोलना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर में वर्ष 1994-95 में कोई थाना व चौकियां नहीं खोली गयीं। वर्ष 1995-96 में जिला जयपुर शहर में कुल 11 थाने खोले गये, जिनमें से 4 नये व 7 पुलिस चौकियों को थाने में क्रमोन्नत किया गया एवं जिला जयपुर ग्रामीण में 3 थाने क्रमोन्नत कर खोले गये। इसी प्रकार जयपुर शहर में कुल 11 नयी पुलिस चौकियां खोली गयी है। सूची परिशिष्ट-क में संलग्न है।

(2) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली के ग्राम बनेठी में नया थाना खोले जाने का प्रस्ताव पुलिस पुनर्गठन योजना के द्वितीय चरण में विचाराधीन है। ग्राम पनियाला में पुलिस थाना खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1995-96 में जयपुर जिले में राज्य सरकार द्वारा 14 थाने स्वीकृत किये गये, जिसमें से 4 थाने नये, 10 चौकियों को थाने में क्रमोन्नत किया गया तथा 11 नई पुलिस चौकियां स्वीकृत की गयीं जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :—

| नये थानें | | | क्रमोन्नत थानें | | | नयी पुलिस चौकी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | (जयपुर शहर) |
| 1. | महेश नगर | (जयपुर शहर) | 1. | सिन्धी कैम्प | (जयपुर शहर) | 1. | बगरू वालों का रास्ता। |
| 2: | शिप्रा पथ | ....,,.... | 2. | भट्टा बस्ती | ....,,.... | 2. | चार दरवाजा |
| 3. | संजय सर्कल | ....,,.... | 3. | मुरलीपुरा | ....,,.... | 3. | रामगंज |
| 4. | महिला थाना | ....,,.... | 4. | विधायक नगर | ....,,.... | 4. | मण्डी खटीकान |
| | | | 5. | ट्रांसपोर्ट नगर | ....,,.... | 5. | ईदगाह |
| | | | 6. | लाल कोठी | ....,,.... | 6. | ग्रम्बा बाड़ी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 7. श्याम नगर ....,,.... | 7. वी. के. भाई. रोड नं. 17, |
| | 8. भांधी (जयपुर ग्रामीण) | 8. हीरापुरा |
| | 9. कालवाड़ ....,,.... | 9. दुर्गापुरा |
| | 10. सामोद ....,,.... | 10. जगतपुरा |
| | | 11. एन. बी. सी. रोड |

(337)

## जे. के. लोन चिकित्सालय जयपुर की आपात इकाई

602. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित जे. के. लोन चिकित्सालय की आपात इकाई में गम्भीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार हेतु आक्सीजन सिलेंडर, यूनिवर्सल आक्सीजन लाइन, एस्पीरेटर, रेस्पीरेटर, डी-फ्रेबीरेटर, इनक्यूबेटर, पल्स आक्सीमीटर, आटोमेटिक रेडियंट वारमर, रेडियंट हीटर, पोर्टेबल ट्राली, माइक्रो आई. वी. ड्रिपसेट, क्लोज सर्किट टी. वी. व मोनिटर्स आदि उपकरण होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या ये उपकरण वर्तमान में उक्त इकाई को उपलब्ध करवाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि आपात इकाई में सभी क्षेत्र के वरिष्ठ डाक्टर्स की 24 घण्टे सुविधाएं उपलब्ध रहें इस हेतु कोई आदेश प्रसारित किये गये हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि आपात इकाई में सभी क्षेत्रों के वरिष्ठ चिकित्सकों की 24 घण्टे सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में सरकार को समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में अस्थि रोग का बच्चों के उपचार हेतु कोई अलग से विभाग नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार अब कब तक अस्थि रोग विभाग खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी, हां । जे. के. लोन अस्पताल की आपातकालीन इकाई में गम्भीर रूप से बीमार बच्चों के उपचार हेतु आवश्यक आक्सीजन सिलेण्डर, लेरिनो-स्कोप एम्बू-बेग, एण्डोट्रेकियल ट्यूब, सक्सन मशीन, ड्रिपसेट एवं चोटग्रस्त घाव पर टांके लगाने का सामान उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त जे. के. लोन अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई एवं वार्डों में क्लोज सर्किट टी. वी. के अतिरिक्त सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं ।

(2) चिकित्सक 24 घण्टे उपस्थित हैं । आपात इकाई में सभी क्षेत्र के वरिष्ठ डाक्टर्स की सेवाएं 24 घण्टे उपलब्ध रहती हैं ।

(3) जी नहीं । इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । शिकायतें प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

(4) जी, हां, । चिकित्सालय की आवश्यकता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने पर इस चिकित्सालय में

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य )

पलंग से अस्थि-रोग विभाग खोलने के लिए यथासमय विचार किया जा सकेगा।

## सिचाई बन्ध कानोता (जयपुर)

603. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिचाई बन्ध कानोता कब स्वीकृत हुआ ? बान्ध का कार्य पूर्ण करने हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी ?

(2) अब तक इस बन्ध पर कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है ? किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? अब कुल राशि कितनी व्यय की जानी शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक व्यय सामग्री यथा; पत्थर, बजरी, सीमेंट कहां-कहां से क्रय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें। बांध को अब कब तक पूर्ण कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) कानोता बांध की राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति 363.50 लाख रुपये की वर्ष 1985 में की गयी है।

(2) मार्च, 1996 तक इस बांध पर 383.95 लाख रुपयों की राशि खर्च हो चुकी है। कार्यवार खर्च राशि का ब्योरा परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अब इस बांध पर अभी 646.18 लाख का कार्य करना शेष है।

(3) सीमेन्ट के अलावा मैटीरियल सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा ही क्रय किया गया है। सीमेन्ट विभाग द्वारा सी. एस. पी. ओ. एवं डी. जी. एस. डी. रेट कांट्रैक्ट के तहत क्रय की जाती है। इस बांध को वर्ष 1998/1999 में पूरा करना प्रस्तावित है।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | व्यय की गयी राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1. | मुख्य बांध मिट्टी का कार्य | 146.38 |
| 2. | स्पिलवे का कार्य | 19.86 |
| 3. | मुख्य नहर का कार्य | 50.76 |
| 4. | अन्य कार्य | 166.95 |
| | | योग : 383.95 |

### कृषि अभियांत्रिकी सेवा भर्ती हेतु उच्चतम आयु

604. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न अभियन्ता सेवाओं यथा, कृषि अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, मैकेनिकल अभियांत्रिकी आदि की उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण के लिए एक ही परीक्षा ली जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सभी प्रकार की अभियांत्रिकी उपाधियों के लिए चार वर्षीय पाठ्यक्रम हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पाठ्यक्रम किस-किस जगह चल रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि कृषि अभियांत्रिकी सेवा में उच्चतम आयु सीमा में एवं अन्य अभियांत्रिकी सेवाओं की उच्चतम आयु सीमा में अन्तर है ? यदि हां, तो कितना व क्यों ? क्या सरकार उपरोक्त असमानता को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। कृषि अभियांत्रिकी, सिविल अभियांत्रिकी, मैकेनिक अभियांत्रिकी की स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिये पृथक-पृथक परीक्षाएं सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं। लेकिन उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पूर्व परीक्षा (प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट) के माध्यम से प्रवेश वरियता अनुसार दिया जाता है। बिड़ला विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, पिलानी में प्रवेश स्वयं संस्थान द्वारा दिया जाता है।

(2) जी, हां। कृषि, सिविल तथा मैकेनिकल अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि के नियमित पाठ्यक्रमों की वर्तमान में अवधि चार वर्ष है। उपरोक्त पाठ्यक्रम निम्न विवरणानुसार चल रहे हैं :—

| पाठ्यक्रम | | महाविद्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1. कृषि अभियांत्रिकी | | प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उदयपुर। |
| 2. सिविल एवं मैकेनिकल | 1. | एम. बी. एम. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जोधपुर |
| | 2. | मालवीया क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जयपुर |

(श्री मदन मोहन)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | 3. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा |
| | | 4. बिड़ला विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, पिलानी (यह संस्थान निजी क्षेत्र में है) |

(3) जी, हां। राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 में अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष निर्धारित है तथा स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग जैसी अभियन्ता सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। जी, हां। प्रस्ताव विचाराधीन है।

## ग्राम बाला (जालोर) को पेयजल योजना

605. श्री मगराज चौधरी (आहोर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की आहोर पंचायत समिति के ग्राम बाला में पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत योजना में घरों में नल कनेक्शन देकर जल वितरण करने की भी स्वीकृति दी हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत योजना के अनुसार इस ग्राम में घरों में नल कनेक्शनों के जरिये जल आपूर्ति करने हेतु उच्चीकृत जलाशय (ओवर हैडटैंक) बनाया हुआ है एवं घरो में नल कनेक्शन देने हेतु गलियों में पाइप लाइन भी बिछादी गई है?

(3) यदि हां, तो यह योजना कब स्वीकृत की गयी और उसके अनुसार ग्राम में उच्चीकृत जलाशय का निर्माण एवं घरों में नल कनेक्शन देने हेतु गलियों में कब पाइप लाइन बिछाई गयी? अभी तक ग्रामीणों की लगातार मांग के बावजूद घरों में नल कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये?

(4) प्रश्न के उक्त वर्णित मांग संख्या 1 एवं 2 का उत्तर यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम की बड़ी आबादी को दृष्टिगत रखते हुए घरों में पानी के नल कनेक्शन देने का विचार रखती है जिससे उच्चीकृत जलाशय बनाने एवं पाइप लाइनें बिछाने पर किये गये खर्च के पेटे सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) स्वीकृत योजनानुसार उच्च जलाशय का निर्माण एवं पाइप लाइनें सार्वजनिक

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति डाली गयी है।

(3) योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.12.89 को की गयी थी। स्वीकृति के अनुसार ग्राम में उच्च जलाशय का निर्माण एवं गलियों में पाइप लाइन डालने के कार्य वर्ष 1992-93 में पूर्ण किये गये। घरों में जल सम्बन्ध निर्धारित मापदण्डों के विपरीत होने के कारण नहीं दिये गये है।

(4) वर्तमान नीति के अनुसार 1991 की जनगणनानुसार 4000 या अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में ही 'घरेलू जल सम्बन्ध किये जाने का प्रावधान है।

तारांकित प्रश्न संख्या 606
(स्थगित)

तारांकित प्रश्न संख्या 607
(स्थगित)

## पंचायत समिति उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) के बांध/एनीकट

608. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं जनवरी, 1994 से मई, 1996 तक की अवधि में कौन-कौन से बांध/एनीकट आदि के कार्य अकाल-राहत डी. आर. डी. ए. तथा विभागीय धन से करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके तथा कौन-कौन से चालू हैं?

(3) ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जिन पर वर्तमान में कार्य भी चालू नहीं हैं तथा पूर्ण भी नहीं हुए हैं?

(4) इन अपूर्ण कार्यों को पूरा करवाने में कितनी धन राशि की आवश्यकता है तथा क्या इस राशि की मांग सम्बन्धित विभाग/एजेन्सी से की जा चुकी है? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं से जनवरी, 1994 से मई, 1996 की अवधि से अकाल राहत एवं विभागीय फण्ड से कोई कार्य नहीं करवाये गये हैं। डी. आर. डी. ए. (सुनिश्चित रोजगार योजना) फण्ड से परकोलेशन टैंक, एनीकट आदि के 27 कार्य जिनमें से 26 कार्य करवाए गए जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) उपरोक्त कार्यों में से 6 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 20 कार्य चालू हैं। इन कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। एक कार्य चालू नहीं हुआ।

(3) स्वीकृत 27 कार्यों में से निम्न कार्य चालू नहीं हुए हैं:—

| क्र.सं. | नाम कार्य | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| 1 | कदम कुण्ड ग्राम छापोली | 5.00 |

यह कार्य चालू नहीं होने का कारण ग्रामीणों में आपसी मतभेद तथा सुनिश्चित रोजगार में पंजीकृत मजदूर उपलब्ध नहीं होना है। फिर भी वर्षा ऋतु के पश्चात्

(सिंचाई मंत्री)

मजदूर उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ कराने का प्रयास किया जायेगा।

(4) 20 अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने के लिए मई, 1996 तक हुए व्यय के अतिरिक्त रु. 65.69 लाख की आवश्यकता होगी इसमें से राशि रु. 55.40 लाख स्वीकृति हैं व 6 बांधों पर रुपये 10.29 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

| क. स. | नाम कार्य | स्वीकृत राशि (लाखों रु.) | कार्य पूर्ण के लिए अतिरिक्त आवंटन (लाख रु.) |
|---|---|---|---|
| 1. | हालेडा परकोलेशन टैंक | 3.50 | 3.44 |
| 2. | ककराणा जलग्रहण टैंक | 5 00 | 2.00 |
| 3. | हरिपुरा परकोलेशन टैंक | 3.50 | 0,92 |
| 4. | अडवाणा परकोलेशन टैंक | 5.00 | 1,00 |
| 5. | मियावाली ढाणी परकोलेशन टैंक | 5.00 | 0.96 |
| 6. | रावल का जोहड़ परकोलेशन टैंक | 2.50 | 1.97 |
| | | 24.50 | 10.29 |

(सिंचाई मंत्री)

उक्त अतिरिक्त धनराशि की मांग के लिए संशोधित तकनीकी प्राकलन की स्वीकृति जारी कर डी. आर. डी. ए., झुन्झुनूं को भेजी जा चुकी है। धन राशि प्राप्त होने की आशा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## जिला भीलवाड़ा में संस्कृत महा-विद्यालय की स्थापना

609. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या संस्कृत भाषा के उत्थान एवं उसे जन सामान्य की भाषा बनाने के उद्देश्य से सरकार का संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का विचार है? यदि हां, तो कितने विश्वविद्यालय राज्य में कहां-कहां खोले जायेंगे?

(2) क्या सरकार राजस्थान के विभिन्न जिलों में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भीलवाड़ा जिले में भी संस्कृत महाविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी, हां। विभिन्न जिलों में क्रमशः निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने वाले वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों को महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार है। वर्ष 96-97 में कोटा एवं भरतपुर में दो वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालयों को शास्त्री महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है।

(3) भीलवाड़ा जिले में वर्तमान में प्रवेशिका स्तर का विद्यालय है जो प्राथमतः वरिष्ठ उपाध्याय में मानदण्डानुसार क्रमोन्न किया जायेगा। पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धि होने तथा निर्धारित मानदण्डों की परिपूर्ति होने पर इसे शास्त्री स्तर के महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

## राज्य को सीमान्त क्षेत्र

610. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में कितनी लम्बाई की तारबन्दी की गई है एवं कितनी लागत आई तथा कितनी और लागत आनी बाकी है? उक्त कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

उत्तर

श्री गंगानगर व बीकानेर जिले

(गृह मंत्री).

अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर तारबन्दी प्रथम चरण में पूर्व में ही हो चुकी है। द्वितीय चरण में जैसलमेर में बी. पी. नं. 488 से 569 तक 121 किलोमीटर व जिला बाड़मेर में बी. पी. नम्बर (सीमा स्तम्भ संख्या) 838 से 931 तक कुल 146 किलोमीटर की तारबन्दी हो चुकी है। जिला जैसलमेर/बाड़मेर में बी. पी. नं. 768 से 838 तक 120 किलोमीटर क्षेत्र में सिविल कार्य प्रगति है। यह कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जा रहा है। अतः लागत एवं समय सीमा की जानकारी राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं है।

भारत पाक अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर भारत सरकार द्वारा बी. एस एफ. के माध्यम से की जा रही तारबन्दी एवं प्रकाश व्यवस्था का विवरण निम्न प्रकार है :—

श्री गंगानगर एवं बीकानेर जिले में तारबन्दी व प्रकाश व्यवस्था पूर्व में ही हो चुकी है, द्वितीय चरण में जिला जैसलमेर व बाड़मेर में तारबन्दी का कार्य प्रगति पर है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

जिला जैसलमेर में सीमा स्तम्भ संख्या 488 से 569 तक 121 किलोमीटर की तारबन्दी एवं प्रकाश व्यवस्था हो चुकी है।

जिला बाड़मेर में सीमा स्तम्भ संख्या 838 से 931 तक 146 किलोमीटर की तारबन्दी हो चुकी है। प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

जिला जैसलमेर/बाड़मेर में सीमा स्तम्भ संख्या 768 से 838 तक 120 किलोमीटर में सिविल कार्य प्रगति पर है।

## विधान सभा क्षेत्र मकराना (नागौर) के चिकित्सालय

611. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हर वर्ष नये खोले जाते है? यदि हां, तो वर्ष 1994 से मई, 1996 तक प्रदेश में कितने स्वास्थ्य केन्द्र व उपस्वास्थ्य तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1994-1995 एवं 1996 में नागौर जिले में भी इस प्रकार के चिकित्सा केन्द्र खोले गये? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें?

(3) मकराना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994 से मई, 1996 तक किस-किस स्थान पर किस-किस स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों की

(श्री रूपाराम)

स्थापना की गयी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। एक जनवरी, 1994 से मई, 1996 तक प्रदेश में 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 129 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 700 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये गये। वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। उक्त अवधि में नागौर जिले में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 27 उप केन्द्र स्वीकृत किये गये। सूची सदन की मेज पर रखा दी गयी हैं।

(3) मकराना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994 से मई, 1996 तक स्वीकृत संस्थानों की सूची सदन की मेज पर रखा दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## जेतपुरा बांध (भीलवाड़ा) की नहरों का नवीनीकरण

612. श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के जेतपुरा बांध की नहरों के नवीनीकरण हेतु सर्वे किया जाकर पूर्व में कोई योजना स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना की क्या प्रगति है तथा कब तक इन नहरों का नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। जेतपुरा बांध की नहर प्रणाली के सुधार के प्रस्ताव वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को नेशनल वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेषित किए गए थे। इस योजना की स्वीकृत अपेक्षित है। उक्त स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ करवाना सम्भव होगा।

## विधान सभा क्षेत्र बामनवास में सड़कों का निर्माण

613. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में किस-किस योजना के तहत कौन-कौनसी सड़कों का कार्य करवाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1996–97 में कौन-कौनसी सड़कों का डामरीकरण करवाने का विचार है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों को सरकार

(श्री हीरालाल)

की सड़क नीति के अनुसार मार्च, 1997 तक डब्ल्यू. बी. एम. का करवा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या उक्त क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कों पर ग्रेवल डब्ल्यू. बी. एम. सड़कों के बीच पड़ने वाली नालियों, छोटे-छोटे नालों का सीढ़ी वर्क करवाकर बनवा दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार की सड़क नीति के अनुसार पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सभी सड़कों को ग्रेवल रोड बन जाने के बाद डब्ल्यू. बी. एम. सड़कें बनवाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्यों :—

1. मित्रपुरा से मोरन

2. मित्रपुरा से उदगांव

3. उदगांव से कुशलपुरा

4. बौंली से झनूण

5. कोलाड़ा

सड़कों का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सार्वजनिक निर्माण खण्ड सवाईमाधोपुर ने दिनांक 9 जनवरी, 1996 को जिला प्रभिकरण को डब्ल्यू. बी. एम. व सीढ़ी वर्क करवाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे जिला प्रभिकरण, सवाईमाधोपुर ने राशि का प्रभाव बताते हुए स्वीकृति से मना कर दिया, यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वर्तमान में न्यूनतम प्रावश्यकता कार्यक्रम, विशेष मरम्मत मद, निर्बन्ध योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्राश्वासित रोजगार योजना एवं विश्व बैंक परियोजना के तहत सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी सूची योजनावार प्रपत्र "प्र", "ब" "स", "द", "य", "र" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में दस सड़कों पर डामरीकरण का प्रस्ताव है। सूची प्रपत्र "ल" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी, नहीं। सरकार की सड़क नीति के अनुसार प्राठवीं पंचवर्षीय योजना काल में पंचायत मुख्यालयों को मार्च, 1997 तक न्यूनतम ग्रेवल सड़क से जोड़ा जाना है।

(4) यातायात को सुचारु रखने हेतु योजनागत धन को उपयोग करते हुये छोटे-मोटे नालों पर पुलियाएं एवं रपट बनाने की योजना है पर ऐसा निर्माण योजना में उपलब्ध धन एवं प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुये ही हो पायेगा।

(5) जी, हां। राज्य सरकार की सड़क नीति के प्रनुसार नवीं पंचवर्षीय योजना काल (वर्ष 1997 से 2002) में पंचायत मुख्यालयों की सम्पर्क सड़कों को ग्रेवल सड़कों से क्रमोन्नत कर डामर की सड़क का

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

निर्माण करना है। सड़क नीति में विभिन्न स्रोतों द्वारा उपलब्ध धन को समन्वित रूप में उपयोग कर इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है जिसमें डी. आर. डी. ए. का धन भी सम्मिलित है और यदि डी. आर. डी. ए. द्वारा इस हेतु धन उपलब्ध नहीं होता तो सड़क योजनागत धन से ऐसा करना प्रस्तावित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की "जनता जल योजना"

614. श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के पंचायत मुख्यालय, चोकड़ी, लापसिया, सांसेरा, गोगाथला को जनता जल योजना के तहत नल योजना सुविधा उपलब्ध कराने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा।

### उत्तर

जी, नहीं। जनता जल योजना की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित पंचायतों से वांछित अनुबन्ध पत्र प्राप्त न होने के कारण, प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## राज्य में हरिजन दुल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने के प्रकरण

615. श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में पिछले छः माह में हरिजन दुल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की कहां-कहां घटनाएं हुई तथा उनमें पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्षों की तुलना में यह घटनाएं बढ़ रही हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) राज्य में पिछले 6 माह में इस प्रकार की कहां-कहां कितनी घटनाएं हुई तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

### उत्तर

(1) सीकर जिले में पिछले छः माह में अनुसूचित जाति के दुल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की एक घटना गांव बागदोड़ा में दो लड़कों लालचन्द व जगदीश बलाई को घोड़ी पर चढ़कर बनोरी निकालते समय रोकने की घटित हुई है। जिसके सम्बन्ध में प्र. सं. 70/96 धारा 147, 341, 336, 323 भा.द.सं. एवं धारा-3 एससी/एसटी. एक्ट थाना सदर फतेहपुर जिला सीकर में पंजिबद्ध हुआ है। उक्त अभियोग में अभियुक्त भंवरसिंह- अजीत सिंह को गिरफ्तार किया जाकर दि. 30-6-96 को चालान

(गृह मंत्री)

न्यायालय में पेश किया जा चुका है। शेष मुल्जिम के वारन्ट गिरफ्तारी जारी कराये जाकर गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

(2) गत वर्ष की अपेक्षा इन घटनाओं में वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति वर्ग से शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे है। जबकि कुछ पिछड़े इलाकों में सामान्य वर्ग के लोग जिनमें पुरानी, रूढ़ीवादी मानसिकता होने के कारण आपस में सामंजस्य नहीं होने के कारण घटनाए बढ़ी है।

(3) राज्य में पिछले छः माह में कुल 12 घटनाएं घटित हुई है। जिनका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट–"क"

| क्र.सं. | जिला | मु. नं. एवं धारा. | तारीख कायमा मुकदमा | घटना स्थल | थाना | गिरफ्तार मुलजिमों की संख्या | चालान | एफ.आर प्रदम वकू | जैर तफतीश पुलिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | सीकर | 70/96, 147, 336, 323, 341, 148 भादस 3(10)एससी/एस.टी एक्ट | 1-6-96 | गांव बागोदा | सदर फतेहपुर सीकर | 2 | चालान 30-6-96 | — | — |
| 2. | भीलवाड़ा | 23/96, 3(10)14) (10)एससी/एस.टी एक्ट, | 20-6-96 | ,, नाथडिया | रायपुर | 2 | — | एफ आर, प्रदमवकू (झूंठ) 16-3-96 | — |
| 3. | नागौर | 197/96, 341 ताहि 3 (10) एससी/एस.टी एक्ट | 25-5-96 | ,, बूडसू | मकराना | 3 | — | — | पैंडिंग पुलिस |
| 4. | झुंझुनूं | 71/96, 341, 323, 336 ताहो 3 (10) एससी/ एसटी एक्ट, 1989 | 30-5-96 | ,, कलोठडा | बुहाना | | — | — | — |

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. भरतपुर | 77/96, 147, 341, 323, 336, 379 भादस 3 एससी/एसटी एक्ट, | 11-3-96 | ,, सवाईमाधोपुर | कुम्हेर | 4 | चालान 31-3-96 | — | पेंडिग पुलिस |
| 6. कोटानगर | 85/96,341, 323 336 ताहि/7 पी.सी आर एक्ट | | ,, धोलपुरा | मण्डाना | 11 | — | — | — |
| 7. कोटाग्रामीण | 120/96, 341,304 ताहि पीसो आर एक्ट | 23-6-96 | ,, मानाहेडा | कपासन | 3 | चार्जशीट 29-6-96 | — — | — — |
| 8. झालावाड़ | 24/96,147, 336, 323 ताहि 3 एससी/एसटी एक्ट, 1989 | 10-1-96 | ,, महेशपुरा | बकानी | 5 | चालान 27-1-96 | — — | — — |
| 9. झालावाड़ | 118/96, 147,148, 149,341,336,337,428 ताहि3 एससी/एसटी एक्ट | 18-4-96 | ,, डोडा | पाटन | 19 | चालान 31-5-96 | — | — |

349

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. बारां | 132/96, 147, 341, 504 ताहि 3 एससी/ एसटी एक्ट 12-5-96 ;; | तेजगढ़ | बांरा संदर 5 | — | — | पेंडिंग पुलिस |
| 11. राजसमन्द | 35/96, 147, 149, 341, 336, 323, 427 ताहि 3 (10) 14 एससी/ एसटी एक्ट, 5-3-96 ;; | जुठाडा | कुवांरिया 16 | चालान 11-6-96 | — | — |
| 12. राजसमन्द | 104/96; 3 (14) एससी/ एस टी एक्ट 2-6-96 ;; | जिलोला | ग्रामेट 1 | — | — | पेन्डिंग पुलिस |

## कल्याण चिकित्सालय, सीकर की गहन चिकित्सा इकाई

616. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गहन चिकित्सा इकाई हेतु कौन-कौन से उपकरण आवश्यक हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर में गहन चिकित्सा इकाई कार्यरत है ? यदि हां, तो उसमें कितने बैड हैं ? क्या वे सभी उपकरण जो इस इकाई हेतु अत्यावश्यक हैं, उपलब्ध हैं ?

(3) क्या गहन चिकित्सा इकाई हेतु अलग से भवन या कक्ष की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार गहन चिकित्सा इकाई हेतु नवीन कक्ष बनाने का विचार रखती है ?

### उत्तर

(1) गहन चिकित्सा इकाई हेतु सामान्यतया निम्न उपकरण आवश्यक हैं:-

1. आक्सीजन सिलेण्डर
2. कार्डियक मोनीटर एवं डोफिब्रीलेटर
3. वेन्टीलेटर
4. एण्डोट्रेकियल ट्यूब, लेरिंगोस्कोप
5. सक्शन मशीन
6. ई. सी. जी. मशीन
7. बी. पी. इंस्ट्रूमेंट

(2) जी, हां । मेल एवं फीमेल वार्ड में 10 रोगी शैय्याएं गहन चिकित्सा इकाई हेतु आरक्षित किये हुये हैं । जी, नहीं, वर्तमान में आक्सीजन सिलेण्डर, एन्डोट्रेकियल ट्यूब, लेरिंगोस्कोप, सक्शन मशीन, ई. सी. जी. मशीन एवं बी. पी. इंस्ट्रूमेंट आदि उपलब्ध है ।

(3) जी, नहीं । अलग से भवन बनाये जाने का प्रावधान एवं आवश्यकता नहीं है । उक्त इकाई जहां तक सम्भव हो चिकित्सालय में ही हो जिससे गम्भीर अवस्था वाले रोगियों को तुरन्त उपचार तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किया जा सके ।

समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर तथा आवश्यकता पड़ने पर नवीन कक्ष बनाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

## गंगापुर (भीलवाड़ा) की पुनर्गठित जलदाय योजना

617. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगापुर (भीलवाड़ा) की पुनर्गठित जलदाय योजना हेतु 40 एम. सी. एफ. टी. पानी जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा मातृ-कुण्डिया बांध से लेने हेतु स्वीकृति या सहमति मांगी गई है ? यदि हां, तो कब और विभाग ने इस हेतु विधिवत कब

(श्री रामपाल उपाध्याय)

स्वीकृति प्रदान की ? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार शीर्ष प्राथमिकता से पेयजल प्रदान करने हेतु स्वीकृति व सहमति प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में किन-किन योजनाओं को यह सुविधा प्रदान की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हाँ। गंगापुर (भीलवाड़ा) को पेयजल आवश्यकता हेतु मातृकुण्डिया बांध से 36.5 एम. सी एफ. टी. पानी की मांग दिनांक 20-11-95 को पी. एच. ई. डी. विभाग द्वारा सिचाई विभाग से की गयी है। इस प्रकरण पर निर्णय लिया जाना सिंचाई विभाग के विचाराधीन है।

(2) राष्ट्रीय जल नीति के अन्तर्गत प्राथमिकता पेयजल को दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में अग्रिम निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाना है। वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध, मण्डोल बांध से नियमित रूप से प्रतिवर्ष पी. एच. ई. डी. को मांगानुसार जल आरक्षित किया जाता है। इसके अलावा उम्मेद सागर, लड़की, पचानपुरा, रायलियास, सरेरी व खारी बांधों में जल वितरण कमेटी के सम्मुख रखी मांग पर कमेटी के निर्णयानुसार अस्थाई रूप से जल का आरक्षण पेयजल हेतु किया जाता है।

## निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में सड़कों एवं पुलियाओं का निर्माण

618. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र झाड़ोल-फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1995-96 में कौन कौन सी सड़कें एवं पुलियां कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृत की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कार्य स्वयं करवाये गये या ठेके पर दिये गये ? यदि ठेके पर दिये गये तो किस-किस कार्य की निविदाएं कब-कब आमंत्रित की गयी तथा प्रत्येक कार्य की प्रगति क्या है ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में सड़कों के पेच निकालने हेतु राशि स्वीकृत की गयी ? यदि हां, तो किस- किस सड़क की कितनी-कितनी राशि ?

(4) क्या यह सही है कि झाड़ोल से गोराणा सड़कों के पेच निकालने हेतु राशि स्वीकृत की गई, यदि हां, तो कितनी ? क्या उक्त सड़क के पेच निकाले गये ? यदि नहीं, तो उक्त राशि का क्या हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र झाड़ोल-फलासिया में वर्ष 1995-96 के दौरान स्वीकृत कार्यों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की सूची "अ" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) कुल स्वीकृत 21 कार्यों में से 14 कार्य ठेके पर दिये गये। 6 कार्य विभागीय स्तर पर कराये गये, एक कार्य वन विभाग की आपत्ति के कारण विवादास्पद है। ठेके पर दिये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। उक्त निर्वाचन क्षेत्र विभाग के जिलाखण्ड उदयपुर के अधीन आता है। इस खण्ड को वर्ष 1995-96 में सड़कों की साधारण मरम्मत के लिये 95.00 लाख रुपयों का आवंटन किया गया था। सड़कवार आवंटन नहीं किया जाता है।

(4) इस सड़क के लिये पेच निकालने के लिए अलग से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गयी थी। डामर के अभाव में कुल 13 किलोमीटर डामर की लम्बाई में से 3 किलोमीटर में ही पेच निकाले जा सके।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## नगरपालिकाओं द्वारा चुंगी वसूली हेतु दिए गए ठेके

619. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (कोटपूतली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने कुछ समय पूर्व प्रदेश में नगर परिषदों व नगरपालिकाओं की चुंगी वसूली का कार्य ठेके पर देने का विचार किया था ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या रहा ?

(2) प्रदेश की किन-किन नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं में वर्ष 1994-95 व 1995-96 में चुंगी वसूली का ठेका कितनी राशि पर दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त नगर परिषदों में वर्ष 1993-94 में चुंगी वसूली से नगरपालिका द्वारा कितनी-कितनी राशि एकत्र की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दौसा में वर्ष 1994-95 में चुंगी ठेका 1.21 करोड़ रुपये पर उठा परन्तु अगले वर्ष 15% बढ़ाने के स्थान पर ठेका 1.1 करोड़ में दे दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सांगरिया में चुंगी ठेका वर्ष 1994-95 में 90 लाख में उठा परन्तु अगले वर्ष 15% बढ़ाने के स्थान पर 75 लाख में दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि इसी प्रकार श्री करणपुर में चुंगी ठेका 1994-95 में 51 लाख पर उठा जबकि अगले वर्ष 41 लाख में दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(7) क्या यह सही है कि उपरोक्त तीनों स्थानों पर ठेकेदार एक ही व्यक्ति था जिससे "नेगोसिएशन" करके सरकार ने नगरपालिकाओं को प्रत्यक्षत: व जनता को परोक्ष रूप से लाखों रुपयों की हानि पहुंचाई गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। निर्णय लिया गया हैं कि चुंगी ठेके पर दिये जाने सम्बन्धी निर्णय स्थानीय निकाय अपने स्तर पर ही करें।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(4) नगरपालिका, दौसा में वर्ष 19-94-95 का चुंगी ठेका नहीं दिया गया था। वर्ष 1995-96 का चुंगी ठेका 1, 21,01,000/-रुपये का था। पुनः चुंगी ठेके की नीलामी वर्ष 96-97 की 1.1 लाख 40 हजार की रही, परन्तु अभी ठेका चुंगी की स्वीकृति नहीं दी गयी हैं।

(5) नगरपालिका, संगरिया का वर्ष 1995-96 का चुंगी ठेका 90 लाख रुपये था तथा वर्ष 1996-97 का चुंगी ठेका पुनः आम नीलामी द्वारा 75.80 लाख में दिया गया हैं। क्योंकि टी. पी. राशि वसूली नहीं होने के कारण ठेका नीलामी कम राशि का हुआ हैं।

(6) नगरपालिका, श्रीकरणपुर का चुंगी ठेका वर्ष 1995-96 का 51 लाख में उठा था। वर्ष 1996-97 का चुंगी ठेका आम नीलामी में 41 लाख में छोड़ा गया। इससे अधिक राशि नहीं आने के कारण इसे नगरपालिका ने अपने हित में छोड़ा हैं।

(7, जी, नहीं।

वर्ष 1994-95 व 1995-96 में चुंगी ठेकों से विभिन्न पालिका/परिषदों की राशि का विवरण।

| क्र. सं. | नाम नगरपालिका/परिषद | ठेके की राशि (लाखों रु. में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01. | हिण्डोनसिटी | 142.71 |
| 02. | कोटपूतली | 75.00 |
| 03. | केसरीसिंहपुर | 37.00 |
| 04. | नोहर | 76.00 |
| 05. | श्रीकरणपुर | 51.00 |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| 06. | रावतसर | 78.00 | |
| 07. | श्री विजयनगर | 55.16 | |
| 08. | संगरिया | 90.05 | |
| 09. | गंगापुरसिटी | 90.61 | |
| 10. | नागौर | 168.10 | |
| 11. | सवाई माधोपुर | 126.01 | |
| 12. | दौसा | 121.01 | |
| 13. | तारानगर | 28.01 | |
| 14. | रामगढ़-शेखावाटी | 16.63 | |
| 15- | सूरजगढ़ | 27.52 | |
| 16. | उनियारा | 18.00 | |
| 17. | चाकसू | 75.00 | |
| 18. | सीकर | 414.01 | |
| 19. | बाँदीकुई | 75.00 (ठेका चलकर बन्द हो गया) | |
| 20. | नवलगढ़ | 71.00 | " |
| 21. | हनुमानगढ़ | 444.00 | " |
| 22. | श्री गंगानगर | 525.52 | " |
| 23. | खेरली | 71.25 (ठेके चालू नहीं किए हुए) | |
| 24. | जोबनेर | 16.63 | " |
| 25. | मकराना | 256.00 | " |
| 26. | राजगढ़ (चूरू) | 76.91 | " |
| 27. | अजमेर | 931.00 | " |
| 28. | बीकानेर | 1212·00 | " |
| 29. | जालौर | 72.00 | " |

वर्ष 1993-94 में चुंगी वसूली से प्राप्त आय का विवरण

| क. सं. | नाम नगरपालिका/परिषद | राशि (लाखों में ) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | हिण्डोनसिटी | 77.22 |
| 2. | कोटपूतली | 23.38 |
| 3. | बांदीकुई | 24.12 |
| 4. | केसरीसिंहपुर | 13.08 |
| 5. | नोहर | 36.76 |
| 6. | श्रीकरणपुर | 22.91 |
| 7. | रावतसर | 32.75 |
| 8. | संगरिया | 43.30 |
| 9. | श्री विजयनगर | 43.41 |
| 10. | गंगापुरसिटी | 54.17 |
| 11. | खेरली | 26.78 |
| 12. | नागौर | 72.70 |
| 13. | सवाई माधोपुर | 71.62 |
| 14. | दौसा | 54.57 |
| 15. | तारानगर | 11.53 |
| 16. | रामगढ़-शेखावाटी | 8.78 |
| 17. | सूरजगढ़ | 11 78 |
| 18. | जोबनेर | 7.47 |
| 19. | उनियारा | 4.75 |
| 20. | चाकसू | 34.00 |
| 21. | नवलगढ़ | 26.78 |
| 22. | सीकर | 148.91 |
| 23. | मकराना | 46·62 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 24. | हनुमानगढ़ | 170.66 |
| 25. | राजगढ़ (चूरू) | 35.29 |
| 26. | गंगानगर | 201.15 |
| 27. | अजमेर | 626.00 |
| 28. | बीकानेर | 432.60 |
| 29. | जालोर | 34.41 |

## जिला जयपुर के थानों में दर्ज प्रकरण

620. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले में पुलिस थाना बगरू, जमवारामगढ़, बस्सी व चाकसू में वर्ष 1992 से मई, 1996 तक अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ छुआछूत एवं जमीन पर जबरन कब्जा करने बाबत प्रकरण दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो अलग-अलग थानों में दर्ज प्रकरणों की सूची कारण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या थाना बस्सी में दर्ज प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों का ग्राम विजयपुरा व ग्राम कुंथाडा की जमीन पर जबरन कब्जा दिलाने एवं चालान पेश करने में पक्षपात किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम विजयपुरा व कुंथाडा के अनुसूचित जाति निवारण कानून के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त कानून के तहत किन-किन को कब गिरफ्तार किया गया तथा चालान कब पेश किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जयपुर जिले में पुलिस थाना बगरु, जमवारामगढ़ बस्सी व चाकसू में वर्ष 1992 से मई, 1996 तक क्रमश: 58, 17, 59, 22 अभियोग अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ छुआछूत एवं जमीन पर जबरन कब्जा करने के दर्ज हुये है। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट—"क" पर अंकित है।

(2) थाना बस्सी के ग्राम विजयपुरा में अनुसूचित जाति के परिवारों की जमीन पर

(गृह मंत्री)

जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 82/94 धारा-147, 447, 427 ता. हि. व 3 (5) (10) एससी/एसटी एक्ट दि. 12.3.94 तथा ग्राम कुंथाडा में इसी प्रकार की घटना पर मु नं. 301/94 धारा 147, 447, 323, 354, 427, 379 ता. हि. व 3 (5) (10) एससी/एसटी एक्ट दि. 9.7.94 मु. नं. 853/95 धारा 147, 447, 379, 323 ता. हि. व 3 (1) (10) एससी/एसटी एक्ट दि. 17.12.95 को थाना बस्सी पर दर्ज हुये है। इन अभियोगों में अन्वेषण कर अभियोग संख्या 82/94 एवं 301/94 में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। अभियोग संख्या 853/95 अनुसंधानाधीन है प्रत्येक अभियोग की सूचना परिशिष्ट "क" में निहित है।

(3) ग्राम विजयपुरा व कुंथाड़ा के अनु0 जाति के निवारण कानून के अन्तर्गत दर्ज उपरोक्त अभियोगों के सम्बन्ध में वांछित सूचना परिशिष्ट—"क" में अंकित है।

(विवरण एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## बेरी आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही

621. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बेरी आयोग ने कुछ अधिकारियों को दोषी माना है? यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध कौन से प्रकरण में किस अधिकारी द्वारा जांच की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डी. इको. कार्डियोग्राफर, बेड साइड, मोनीटर, गामा सैम्पल, चैम्जर व दवाइयों आदि की खरीद सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी, हां। चार प्रकरणों (1) 2 डी इको कार्डियोग्राफी सिस्टम की खरीद (2) बेड साइड मोनिटरिंग सिस्टम की खरीद (3) गामा सैम्पल चेंजर की खरीद एवं (4) दवाओं की खरीद के प्रकरण अग्रिम जांच हेतु राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे गये थे। चारों मामलों में ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफारिश नहीं की है। दवाओं की खरीद व 2 डी. इको. कार्डियोग्राफी के मामले में विभागीय जांच करने की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## रेला बांध (सीकर) पर नहरों का निर्माण

622. श्री मोहनलाल मोदी (नीमका-थाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नीम का थाना में रेला बांध बना हुआ है ? यदि हां, तो उसकी नहरें कितनी लम्बाई में बनी हुई है ?

(2) क्या यह सही हैं कि रेलाबांध की नहर रैण्यांका बास ग्राम के समीप असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़कर खेतों में शामिल कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) इस नहर को सरकार कब तक बना देगी और जिन लोगों ने नहर को नुकसान पहुंचाया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस बांध की नहर की लम्बाई 1844 मीटर हैं।

(2) जी, नहीं। कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

## मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में प्रयोगशाला सहायक, के पद पर नियुक्ति प्रकरण

623. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) यह सही है कि मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा संचालित होटल मैनेजमेंट डिप्लोमाकोर्स में प्रयोगशाला है ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गयी ? यदि प्रयोगशाला नहीं है तो प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

(2) प्रयोगशाला सहायक के पद पर किस व्यक्ति की नियुक्ति की गयी ? उक्त पद पर की गई नियुक्ति के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गई एवं साक्षात्कार में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया ?

उत्तर

(1) होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए प्रयोगशाला होती है किन्तु विश्वविद्यालय में स्थान की अनुपलब्धता के कारण उक्त प्रयोगशाला शुरू नहीं की जा सकी है। प्रयोगशाला की व्यवस्था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, उदयपुर में संचालित प्रयोगशाला में की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को होटल में नियमित प्रशिक्षण हेतु राजस्थान में स्थित लेक पैलेस उदयपुर, लक्ष्मी विलास उदयपुर, होटल श्री निवास उदयपुर, उम्मेद भवन जोधपुर आदि में भेजकर व्यवस्था की गयी है। ऐसे स्थानों पर विद्यार्थियों के प्रयोग के समय विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा उपकरणों के प्रयोग की देखरेख के लिए प्रयोग के समय प्रयोगशाला सहायक का होना आवश्यक है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) प्रयोगशाला सहायक के पद पर श्री दुर्गासिंह राठौड़ की नियुक्ति की गयी। उक्त नियुक्ति के लिये पद विज्ञापन सं.3/94 दिनांक 17-8-94 को विज्ञापित किया गया था। उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में 5 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा इन प्रार्थना पत्रों की जांच में निम्न तीन प्रार्थी साक्षात्कार के लिए योग्य पाये गये :—

1. श्री दुर्गासिंह राठौड़
2. श्री कमलेश कुमार वर्मा
3. श्री केशर सिंह

तीनों अभ्यार्थियों के साक्षात्कार में चयन समिति की सिफारिशों में श्री दुर्गा सिंह राठौड़ को प्रथम स्थान पर रखा गया। चयन समिति की सिफारिश के अनुसार श्री दुर्गासिंह राठौड़ को 8-12-94 से नियुक्ति आदेश जारी किया।

## नगर परिषद् ब्यावर द्वारा सरकारी आवासों का आवंटन

624. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर नगर परिषद् द्वारा पालिका के अधिकारियों के निवास हेतु बनाये गये क्वार्टर अन्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आवंटित किये गये है ? यदि हां, तो किन-किन को ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों द्वारा आवंटित क्वाटरों को अपने भाई, भतीजों व रिश्तेदारों को बिना स्वीकृति लिये ही हस्तान्तरित कर दिये गये हैं यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी, हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं। नगर परिषद् द्वारा श्री लेखराज तोषावड़ा, सहायक कलक्टर को क्वार्टर दिनांक 1-5-94 को आवंटित किया गया था व दिनांक 17-7-94 को श्री उत्तम चन्द्र तोषावड़ा, सहायक रजिस्ट्रार भी इनके साथ रहने लग गये तथा दोनों ही परिवार के सदस्य (भाई) हैं। नगर परिषद् द्वारा श्री उत्तमचन्द्र तोषावड़ा के पक्ष में स्वीकृति जारी नहीं की है।

### सूची

श्री लेखराज तोषावड़ा सहायक कलक्टर को दिनांक 1.5.94 का क्वार्टर आवंटित किया गया।

## उप अधीक्षक सीकर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

625. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

(1) क्या यह सही है कि श्री रामदेव सिंह पुत्र श्री मुकन्दाराम जाट निवास बोसाणा (ढाणी खुर्द) पुलिस थाना लोसल जिला सीकर द्वारा उप अधीक्षक श्री चुन्नी लाल के विरुद्ध कोई शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण में जांच की गई ? यदि हां, तो कब एवं किसके द्वारा तथा जांच के दौरान किन-किन गवाहों के बयान दर्ज किये गये ? बयानों सहित जांच का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में क्या पुलिस थाना लोसल जिला सीकर में भी रोजनामचे में तत्कालीन थाना प्रभारी द्वारा भी टिप्पणियां अंकित की गयी थी ? यदि हां, तो रोजनामचे में दर्ज टिप्पणियों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। शिकायत की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। जांच माह मई, 1996 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता जयपुर द्वारा की जा रही है। रामधन, मुकन्दाराम, लिक्ष्मणराम, मूलाराम, हरलाल, मोहनलाल, पेमराज व गोविन्दराम के बयान पंजीबद्ध किये गये। अन्य गवाहन के बयान लिये जाने है। जांच पूर्ण होने पर ही वांछित सूचना से अवगत कराया जा सकेगा।

(3) जी, हां। तत्कालीन थानाधिकारी लोसल द्वारा अंकित रपट सं. 814 दिनांक 28-7-95 की प्रति परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

367



## परिशिष्ट-4

### अतारांकित प्रश्न संख्या 502 का विवरण

दिनांक 1-1-94 से 31-5-96 तक कराये गये डामरीकरण कार्यों की सूची

| क्र.सं. | कार्य का नाम एवं वार्ड नम्बर | राशि लाखों में |
|---|---|---|
| 1. | रिकारपेंटिंग का कार्य जे. एम. सी. कार्यालय से कबूतरो का चौक, सिलावटो का बास, सोनारो का बास, जाटा बास एवं रावतों का बास | 2.92 |
| 2. | रिकारपेंटिंग का कार्य नागौरी क्षेत्र पुराना वार्ड नं0 15 | 3.25 |
| 3. | रिकारपेंटिंग का कार्य विभिन्न स्थानों में चांदपोल क्षेत्र | 4.78 |
| 4. | रिकारपेंटिंग का कार्य लखारा हरीजन बस्ती वार्ड नम्बर, 29 | 4.97 |
| 5. | रिकारपेंटिंग का कार्य विभिन्न स्थानों में सिवांची क्षेत्र | 3.45 |
| | योग :- | 19.37 लाख रुपये |

दिनांक 1-1-94 से 31-5-96 तक करायी गयी सीमेंट की सड़कों की सूची

| क्र.सं. | कार्य का नाम एवं वार्ड नम्बर | राशि लाखों रुपयों में |
|---|---|---|
| 1. | सड़क का कार्य मालियों की गली मोती चौक वार्ड नं. 26 | 0.59 |
| 2. | सड़क का कार्य चांदपोल चौक से चांदपोल गेट तक वार्ड नं. 13 | 3.38 |
| 3. | सड़क का कार्य जालप मोहल्ला सिवांची क्षेत्र | 4.42 |
| 4. | सड़क का कार्य भीमजी का मोहल्ला गिरदावतों की गली, सिवांची क्षेत्र वार्ड नं. 27 | 4.92 |
| 5. | सड़क का कार्य सिन्धियों का बास, मोली बाई का मन्दिर वार्ड नं. 23 | 4.12 |
| 6. | सड़क का कार्य बकरा मण्डी वार्ड नं. 14 | 1.97 |
| 7. | लकड़ का कार्य भजन चौकी, कल्लो की गली वार्ड नं. 27 | 4.63 |
| 8. | सड़क का कार्य सिहपोल, जुनीमण्डी एवं पास की गलियां वार्ड नं. 28 | 1.13 |
| 9. | सड़का कार्य माटो पान भण्डार से पीछे वाली गली, घासियों का मोहल्ला वार्ड नं. 24 | 1.10 |
| 10. | सड़क का कार्य जवाहर खाना, खत्रियों की गली आदर्श मोहल्ला वार्ड नं. 30 | 3.13 |
| 11. | सड़क का कार्य पारस भवन की गली, सत्यनारायण जी के मन्दिर की गली, जैन भवन, लोहारों की गलियां, खत्रियों की गली, दाऊजी के मन्दिर की गलियां, वार्ड नं. 31 | 4.70 |
| 12. | सड़क का कार्य तेलियों की गली, गोपाल भवन के पीछे की गलियां, नया तालाब, ऊन गोदाम क्षेत्र व साइड की गलियां, वार्ड नं. 35 | 4.68 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | सड़क का कार्य कुचामन की हवेली, ऊपरलाबास बेलदारों की गली वार्ड नं. 37 | 2.05 |
| 14. | सड़क का कार्य नागोरी सिलावटों का बास वार्ड नं. 26 | 4.01 |
| 15. | सड़क का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों में वार्ड नं. 15 | 3.73 |
| 16. | सड़क का कार्य किलीखाना वार्ड नं. 29 | 2.86 |
| 17. | सड़क का कार्य आलप मोहल्ला सिवांची क्षेत्र वार्ड नं. 24 | 4.42 |
| 18. | सड़क का कार्य लखारा हरिजन बस्ती वार्ड नम्बर, 28, 29 | 4.96 |
| 19. | सड़क का कार्य बाईजी का तालाब वार्ड नम्बर 25 | 2.27 |
| 20. | सड़क का कार्य हाथीराम का ओड़ा से बम्बानाला वार्ड नं. 37, 38 | 1.15 |
| 21. | सड़क का कार्य शिम्भु भवन वार्ड नं. 35 | 3.29 |
| 22. | सड़क का निर्माण कार्य देवराजजी पुरोहित मकान से गंगलाब की पोल वीर मोहल्ला वार्ड नम्बर, 14 | 1.10 |
| 23. | सड़क का कार्य चाँदी हॉल से मोती चौक व कपड़ा बाजार वार्ड नं. 26 | 0.46 |
| | योग | 69.07 लाख |

(364)

## परिशिष्ट-5

### अतारांकित प्रश्न संख्या 506 का विवरण

कोटा, नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला में अप्रेल, 1994 से मई, 1996 तक रही गायों का माहवार विवरण

| क्र. सं. | माह का नाम | | गायों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | अप्रेल, | 1994 | 115 |
| 2. | मई | " | 106 |
| 3. | जून | " | 106 |
| 4. | जुलाई | " | 97 |
| 5. | अगस्त | " | 116 |
| 6. | सितम्बर | " | 175 |
| 7. | अक्टूबर | " | 147 |
| 8. | नवम्बर | " | 119 |
| 9. | दिसम्बर | " | 111 |
| 10. | जनवरी | 1995 | 96 |
| 11. | फरवरी | " | 120 |
| 12. | मार्च | " | 187 |
| 13. | अप्रेल | " | 167 |
| 14. | मई | " | 151 |
| 15. | जून | " | 195 |
| 16. | जुलाई | " | 233 |
| 17. | अगस्त | " | 300 |
| 18. | सितम्बर | " | 291 |
| 19. | अक्टूबर | " | 280 |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| 20. | नवम्बर | 1995 | 252 |
| 21. | दिसम्बर | " | 222 |
| 22. | जनवरी | 1996 | 299 |
| 23. | फरवरी | " | 275 |
| 24. | मार्च | " | 238 |
| 25. | अप्रैल | " | 215 |
| 26. | मई | " | 175 |

3 . 3

## परिशिष्ट–6

**अतारांकित प्रश्न संख्या 512 का विवरण**

परिशिष्ट "क"

उपखण्ड भोपालगढ़ एवं ओसियां में दि. 1-4-95 के पश्चात नलकूपों पर विद्युत सम्बन्धों का विवरण

| क.सं | उपखण्ड का नाम | नलकूप का स्थान | विद्युत सम्बन्ध का दिनांक | पम्प सेट प्राप्त होने का दिनांक | पम्पसेट नलकूप में लगाने का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ओसियां | उंटालियां नाडा पुनासर | 20-4-95 | 30-6-96 | 30-6-96 |
| 2. | ओसियां | बासनी द्वारा | 31-5-95 | 8-7-96 | पम्पसेट लगाना शेष है । |
| 3. | ओसियां | मानसागर द्वारा | 31-5-95 | 8-7-96 | ....;;.... |

366

परिशिष्ट "ख"

उपखण्ड भोपालगढ़ के अधीन 1-4-95 के पश्चात विद्युत सम्बन्धों का विवरण

| क्र. सं. | उपखण्ड का नाम | नलकूप का स्थान | विद्युत मण्डल द्वारा दिये गये सम्बन्ध का दिनांक | पम्पसैट प्राप्ति का दिनांक | पम्पसैट नलकूप में लगाने का दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भोपालगढ़ | रजलानी | 30-5-96 | 18-5-96 | 30-5-96 |
| 2. | भोपालगढ़ | बासनी हरिसिंह | विद्युत सम्बन्ध लिया जाना है। | प्राप्त है | लगाना शेष है। |
| 3. | ओसियां | पड़ासला सियाओं की ढाणी | 7-6-96 | 18-5-96 | 7-6-96 |

नोट— रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त नलकूलों पर विद्युत विभाग को कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

## परिशिष्ट-7

### अतारांकित प्रश्न संख्या 515 की सूची

परिशिष्ट "क"

एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों की पुनर्गठित पेयजल योजना सम्बन्धी सूची

| क्र0 सं0 | पुनर्गठित पेयजल योजना का नाम (कस्बा) | क्र0 सं0 | पुनर्गठित पेयजल योजना का नाम (कस्बा) |
|---|---|---|---|
| 1. | गोविन्दगढ़ | 19. | जालोर |
| 2. | बिजोलियां कला | 20. | मनोहरथाना |
| 3. | गंगापुर | 21. | चिड़ावा |
| 4. | मांडल | 22. | चोटड़ा |
| 5. | कापरेन | 23. | उदयपुरवाटी |
| 6. | के. पाटन | 24. | फलोदी |
| 7. | रावतभाटा | 25. | पीपाड़सिटी |
| 8. | निम्बाहेड़ा | 26. | गोरीडिचान्यीं |
| 9. | बीदासर | 27. | मकराना |
| 10. | सरदारशहर | 28. | परबतसर |
| 11. | पदमपुर | 29. | फतेहपुर |
| 12. | सादुलशहर | 30. | खण्डेला |
| 13. | चाकसू | 31. | नीमकाथाना |
| 14. | नरेनिया | 32. | बाबरी (स्वरूपगंज) |
| 15. | सांभर | 33. | पिण्डवाड़ा |
| 16. | सांगानेर | 34. | भिन्डर |
| 17. | पोकरन | 35. | कनोर |
| 18. | भीनमाल | | |

## परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "क"

### अतारांकित प्रश्न संख्या 525 का विवरण

नक्शा आइ. पी. सी. एवं एक्ट दिनांक 1.4.95 से 31.3.96 तक मय निस्तारण थाना नाहरगढ़ रोड जयपुर शहर जयपुर ।

| क्र0 सं0 | शीर्षक | रिपोर्ट | एफ0 आर0 एस0 अ0 बकू | अ0 प0 | अ0 स0 | चालान | जेर तफतीश पुलिस | मालमशरुकान | मालबाज याफ्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | डकैती | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| 2. | लूट | 1 | .... | 1 | .... | .... | .... | 2000 | .... |
| 3. | कत्ल | 5 | 1 | .... | .... | 4 | .... | .... | .... |
| 4 | बलवा | 52 | 11 | .... | .... | 41 | .... | .... | .... |
| 5. | नकबजनी | 19 | 3 | 11 | .... | 5 | .... | 150900 | 137800 |
| 6. | चोरी | 48 | 1 | 32 | .... | 14 | 1 | 669774 | 291100 |
| 7 | बलात्कार | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | अन्य मादस | 186 | 45 | 20 | .... | 117 | 4 | .... | .... |
| 9. | योग मादस | 311 | 61 | 64 | .... | 181 | 5 | 822674 | 428900 |
| 10. | लोकल एवं स्पेशलएक्ट | 60 | 2 | 1 | .... | 56 | 1 | .... | .... |
| 11. | योग मादस एक्ट + | 371 | 63 | 65 | .... | 237 | 6 | 822674 | 428900 |

370

परिशिष्ट "ख"

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

मु0 न0 138/96 थाना नाहरगढ़ रोड धारा 451, 323, 341 भा0 द0 सं0 कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार से है :—

सेवामें,

श्रीमान इन्चार्ज महोदय थाना नाहरगढ़ रोड जयपुर विषय मकान मालकिन निर्मला देवी द्वारा मारपीट करने के क्रम में (मकान नं.--3653 भूरडे के सामने अम्बाशंकर गुजराती का चौक, दीनानाथ जी का रास्ता) मान्यवर, निवेदन है कि मकान नं. 3653 में मैं मोहनदास सोनी बतौर किरायदार रह रहा है।। हमारी मालकिन लम्बे समय से हमें परेशानी कर रही है। इस बाबत पूर्व में भी दिनांक 16-4-96 को सिविल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था आज दिनांक 14-5-96 को दोपहर लगभग 11.30 बजे.00 जब मैं काम पर गया था तो पिछे से मकान मालकिन निर्मला देवी मेरे कमरे में जबरन घुस गयी और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मोहनी देवी के बाल पकड़ कर खिचे और लात घुसों से मारा तथा उसको घसीटती हुई कमरे से बाहर ले आई और पुनः मारपीट की और कहा की मेरा मकान इसी समय खाली करदे। नहीं तो तेरे को और तेरे पति को जान से खतम करवा दूंगी इसी सारे प्रकरण के दरम्यान मकान मालिक हेमन्त सिंधी भी उपस्थित था तथा सीढ़ियों में खड़ा-खड़ा देखता रहा अतः निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियों में मेरा काम धन्धे पर जाना मुश्किल है। मैं सारे दिन भर घर पर नही बैठ सकता, अतः निवेदन है कि मेरे परिवार एवं मेरे जान माल की सुरक्षा हेतु तुरन्त कार्यवाही करके मकान मालकिन निर्मला देवी एवं हेमन्त सिंधी को पाबन्द किया जावे और हमारी सुरक्षा की जावे प्रार्थी एस. डी. मोहनदास सोनी दिनांक 14-5-96 थाना नाहरगढ़ रोड जयपुर 14-5-96 एट 6.30 पी. एम.

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी व खत हिन्दी श्री मोहनदास सोनी पुत्र श्री कीरलमल सोनी जाती सिंधी उम्र 35 वर्ष निवासी म0 3653 अम्बाशंकर गुजराती का चौक भूरेड़ के सामने दीनानाथ का रास्ता जयपुर शहर

जयपुर ने मय अपनी धर्म पत्नी श्रीमती मोहनी देवी के उपस्थित थाना होकर पेश कि जिसकी नकल रजिस्टर एफ0 आई0 आर0 में शब्द ब शब्द की गयी पढ़कर सुनाई सुन व समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा श्रीमती मोहनी देवी का परदे का लिहाज रखते हुए मुआयना जिस्म जरबाह किया गया तो बाये हाथ की कलाई पर दो चोटें रगड़ना एवं खरोच नुमा आयी हुई हैं तथा दाहिने हाथ पर खरोंच नुमा निशानात पाये गये हैं, पेट में दर्द होना बताती है, कमर व सिर में नोचने की वजह से दर्द होना बताती है। मजमून रिपोर्ट व मुआयना जिस्म जरबात से मामला जुर्म धारा 451, 323, 341 भा. द. सं. का बकू में आना पाया जाता है। अतः मुकदमा नं 138/96 हस्ब जा मजकूर कायम में किया जाकर तफतीश सुपुर्द श्री शंकरलाल ए. एस. आई. के कि गयी प्रतियां नियमानुसार जारी की जाकर एक प्रति निःशुल्क मुस्तगीस को दी गयी तथा मजरुबान को वास्ते कराने मुआयना डाक्टरी बदस्ती मुस्तगीस व कानि0 श्री अर्जुनलाल 2451 के एस. एम. एस. एच. रवाना किया गया।

(373)



परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 527 की प्रति

Copy of the Rule 58 (a) of Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 1986 in relation to answer of Part 1 and 2

58 Exemption :—Notwithstanding anything contained in these rules no rent, royalty of fee shall be charged for :—

(a) excavation of ordinary cly including brick making clay, bajri, and masonry stone from areas, which are not working pits of a lessee, by a tenant for bonafide purpose of construction or repairs of :—

(i) irrigation tanks, channels and drains.

(ii) wells,

(iii) compound walls for fields, or

(iv) residential house including compound walls and cattle sheds in rural areas :

Provided that -(1) Such excavation and removal of aforesaid mineral shall be on the basis of the permits issued by the panchayat of Patwari of the village, where the tenant resides. The permit shall contain the details of the total quantity of mineral, period of its excavation and removal and name and address of the tenant;

(2) Excavation of lime stone or lime kankar for lime burning from the areas which are not occupied by a lessee may be made by a tenant for bonafide use under a permit valid for two months issued on payment of Rs. 1 ( 10/ ) as permit fee by the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer having juaisdiction over the area;

(3) Nothing in this sub-rule shall abride the rights of cultivators under section 36 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

(b) excavation of clay used by the potters, for earthen ware pots and for making bricks and kawalus baked through the process of Ava-Kajawa.

Explanation :- Baking of bricks/kawelus in open, non continuous, bhattas without using any form of chimney will be considered as baked through the process of Avaand kajawa.

(c) excavation and use of clay or earth in construction of houses except earth used for brick making.

5

(d) Search for and obtaining the samples of minerals on the surface by chipping of outcrops without involving any disturbance of the soil by way of borehole, pit, tranch or otherwise;

(e) excavation of mineral by any person from his private land for personal use at the spot itself;

(f) excavation of mineral from river or stream bed and use of protection works of the same river or stream at or near the same spot; and

(g) excavation of masonary stone, merrum and vaijri from areas which are not the working pits of a lessee by any person or institution, for construction of such public utility building as schools and hospitals in the rurals areas form donation or contribution :

Provided that such excavation and removal of aforesaid minerals shall be under a permit granted by the Mining Engineer or Assistant Mining Engineer, having jurisdiction over the area and

only after a certificate form the Serpanch/Pradhan in this behalf has been produced.

COPY OF THE RULE 5 OF RMMCR, 1986

5. **Application for grant or renewal of mining lease :—** (1) Every Application for grant of mining lease shall be made to the Mining Engineer/Assistant Mining Engineer concerned in Form No. 1-A.

(2) Every application for renewal of mimning lease shall be made to the Mining Engineer/Assistant Mining Engineer concerned in Form No. 1-B.

(3) Every application made under sub-rule (1) and (2) above shall be accompanied by-

(a) a fee of Rs. 2 (500/-[1]) which shall not be refunded;

(b) a plan of the area together with description report connecting one of the corner pillars with a fixed reference point in the viocinity;

(c) (1) attested copy of no dues certificate from the Mining Engineer/Assistant Mining Engineer concerned if the applicatint holds or has held any mineral concession.

1{Provided that it shall not be necessary for a public sector company/ public undertaking to produce no dues certificate but in case the applicant is a partnership firm or a private limited company, such certificate shall be furnished by all partners of the partnership firm or all members of the privated limited company, as the case may be:)

Provided further that a properly sworn affidavit stating that no duse are outstanding shall suffice subject to the condition that the

certificate required as above is furnished within sixty days of the date of application failing which the application shall become invalid :

Provided further also that where any injunction has been issued by the Court or any other compeant authority staying recovery of any dues, the non-payment thereof shall not be treated as a disqualification for the purpose of granting or renewing the lease :

Provided further also that no dues certificate shall not be required where a person has furnished an affidavit to the satisfaction of the State Government, stating that he does not or did not hold a mining lease or any other type of mineral concession;

(ii) an affidavit stating that no dues of the Department are outstanding against any member of his family; and

(d) in case the applicant belongs to Schedule Caste/Schedule Tribe a certificate of being a member of Schedule Caste Schedule Tribe from the officer not below the rank of Tehsildar, or Vikas Adhikari and affidavit of being a mannual worker working in mines buly sworn and admitted before a notary public or oath commissioner.

[2](e) an affidavit giving particulars of mineral-wise areas already held under mining lease by the applicant or with any person having joint interest or already granted but not yet executed/ registered or already applied but not yet granted.)

## परिशिष्ट-10

### अतारांकित प्रश्न संख्या 537 की सूची

कार्यालय अधीक्षक, कमला नेहरू प्रदेशीय क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर (राजस्थान) क्रमांक : 149/बी. सी. जी./प्र. प्रशिक्षण/टी. बी. डी. सी./85 दिनांक 23-11-85

### कार्यालय-आदेश

श्रीमान् निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक:क्षय/बी.सी.जी./प्रशिक्षण/85/1487 दिनांक 19-9-85 क्षय/बी.सी.जी./प्रशिक्षण/85/1607 दिनांक 9-10-85 एवं बी. सी. जी./प्रशिक्षण/85/1487 दिनांक 8-10-85 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रशिक्षणार्थियों को छः सप्ताह दिनांक 10-10-85 से 23-11-85 तक सफलतापूर्वक बी. सी. जी. कला प्रवीण का प्रशिक्षण उपलब्ध दिखाया जाकर इन्हें आज दिनांक 23-11-85 तक मध्यान्ह-पश्चात् इस केन्द्र से निदेशालय को अपनी उपस्थिति रिपोर्ट देने हेतु कार्य मुक्त किया जाता है :—

| क्र. सं. | नाम व पिता का नाम |
|---|---|
| 1. | श्री बलराज शर्मा पुत्र श्री राम कृष्ण शर्मा। |
| 2. | ,, राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा। |
| 3. | ,, श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा। |
| 4. | ,, सुशील कुमार सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह। |
| 5. | ,, विमल कुमार शर्मा पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा। |
| 6. | ,, विशाल शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा। |
| 7. | ,, इकरामुद्दीन कुरेशी पुत्र श्री रहीमतुल्ला कुरेशी। |
| 8. | ,, ओम प्रकाश पारीक पुत्र श्री रामेश्वर लाल पारीक। |
| 9. | ,, ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री रामदेव यादव। |
| 10. | ,, मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री गुलाब खां। |
| 11. | ,, गनपत सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 12. | श्री मोहन लाल सेन पुत्र श्री नानगराम सेन । |
| 13. | ,, कैलाश चन्द्र राव पुत्र श्री दुर्गालाल राव । |
| 14. | ,, गोविन्द राम पुत्र श्री पूरणलाल । |
| 15. | ,, दिनेश शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा । |
| 16. | ,, राजकुमार सोनी पुत्र श्री तिलक राज भाटिया । |
| 17. | ,, अख्तर मिर्जा पुत्र श्री जब्बार मिर्जा । |
| 18. | ,, महेश सक्सेना पुत्र श्री श्यामसुन्दर लाल सक्सेना । |
| 19. | ,, राजेन्द्र कुमार टांक पुत्र श्री रत्ती लाल टांक । |
| 20. | ,, नरेन्द्र कुमार सक्सेना पुत्र श्री कैला कुमार सक्सेना । |
| 21. | ,, राजकुमार सक्सेना पुत्र श्री जगदीश कुमार सक्सेना । |
| 22. | ,, सत्यनारायण लोढ़ा पुत्र श्री चुन्नी लाल । |
| 23. | ,, गोपीलाल लोढ़ा पुत्र श्री ओम्मा राम लोढ़ा । |
| 24. | ,, रामस्वरूप लोढ़ा पुत्र श्री घोरी लाल लोढ़ा । |
| 25. | ,, रामूलाल जाट पुत्र श्री किशन लाल जाट । |

ह0

(डा. बनवारी शर्मा)

अधीक्षक

कमला नेहरू प्रदेशीयक्षय प्रदर्शन एवं

प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर ।